सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

(खण्ड I)

2021-22

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

वित्त लेखे
(खण्ड I)

वर्ष 2021-2022 के लिए

राजस्थान सरकार

विषय सूची

विषय		पृष्ठ
	खण्ड I	
♦	विषय सूची	i-iii
♦	भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	iv-v
♦	वित्त लेखे का मार्गदर्शन	vii–xii
विवरण 1.	वित्तीय स्थिति का विवरण	2–3
विवरण 2.	प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण	4–6
	विवरण संख्या 2 का अनुबंध	7–9
विवरण 3.	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	10–13
विवरण 4.	व्यय का विवरण (समेकित निधि)	
	क: कार्यकलाप के अनुसार व्यय	14–19
	ख: प्रकृति के अनुसार व्यय	20–25
विवरण 5.	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण	26–32
विवरण 6.	उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण	
	(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण	33–35
	(ii) ऋण सेवा	36–37
विवरण 7.	सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विवरण	
	खण्ड: 1 कर्जे तथा पेशगियों का सारांश: कर्जदार समूहवार	38
	खण्ड: 2 कर्जे तथा पेशगियों का सारांश: खण्डवार	39
	खण्ड: 3 ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सांरांश	40–41
विवरण 8.	सरकार के निवेशों का विवरण	42
विवरण 9.	सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का विवरण	43
विवरण 10.	सरकार द्वारा दी गयी सहायतार्थ अनुदान का विवरण	
	(i) वर्ष 2021–22 के दौरान सहायतार्थ–अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण	44–48
	(ii) पण्य में सहायतार्थ अनुदान के कुल मूल्य का ब्यौरा तथा पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायतार्थ अनुदान के मूल्य का विवरण	49
विवरण 11.	दत्तमत तथा *प्रभारित* व्यय का विवरण	50–51
विवरण 12.	राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्त्रोतों एवं आवेदन का विवरण	52–55
विवरण 13.	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश	56–57
♦	वित्त लेखाओं से टिप्पणियाँ	58–69

विषय सूची – *(क्रमशः)*

पृष्ठ

खण्ड II

भाग I

विवरण 14.	लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण	72–122
विवरण 15.	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण	123–203
	विवरण संख्या 15 का अनुबंध	204–209
विवरण 16.	लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण	210–296
विवरण 17.	उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण	
	(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण	297–304
	(ख) परिपक्व रूपरेखा	305–307
	(ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा	308–309
	विवरण संख्या 17 का अनुबंध	310–334
विवरण 18.	सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण	
	मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण	335–380
	अन्य ऋणी संस्थाओं के बकाया पुर्नभुगतान	381
	अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण	382–385
विवरण 19.	सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण	
	खण्ड1: 2021–22 तक के निवेशों का विवरण	386–407
	खण्ड 2: वर्ष के दौरान मुख्य तथा लघु शीर्षवार निवेश का विवरण	408
विवरण 20.	सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का ब्यौरेवार विवरण	
	(क) वर्गवार गारन्टियों का विवरण	409
	(ख) गारन्टियों का विवरण	410–416
विवरण 21.	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण	417–428
	विवरण संख्या 21 का अनुबंध	429–435
विवरण 22.	पृथक आरक्षित शेषों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण	436–454

विषय सूची – *(समाप्त)*

पृष्ठ

खण्ड II – *(समाप्त)*
भाग II

परिशिष्ट I	संवेतन पर तुलनात्मक व्यय	456–476
परिशिष्ट II	सहाय्य पर तुलनात्मक व्यय	477–494
परिशिष्ट III	राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता/ सहायतार्थ अनुदान (संस्थावार तथा योजनावार)	495–542
परिशिष्ट IV	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे	543–545
परिशिष्ट V	आयोजनागत योजना व्यय	
	(क) केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)	546–581
	(ख) राज्य आयोजनागत योजनाएं	582–643
परिशिष्ट VI	राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण (राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियां) (गैर अंकेक्षित आंकड़े)	644–651
परिशिष्ट VII	शेषों की स्वीकृति तथा समाधान (विवरण संख्या 7 एवं 18 में दर्शाये अनुसार)	652
परिशिष्ट VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	653–657
परिशिष्ट IX	सरकार की वचनबद्धता– अधूरे पूंजी निर्माण कार्यो की सूची	658
परिशिष्ट X	संवेतन एवं गैर संवेतन भाग को पृथक करते हुए रखरखाव व्यय	659–678
परिशिष्ट XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं	679
परिशिष्ट XII	सरकार के वचनबद्ध दायित्व	680

राजस्थान सरकार के वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के वित्त लेखों जिनमें संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से/में लेन–देन वाले संव्यवहार सम्मिलित हैं, के साथ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखाओं के संकलन में दो खंड शामिल है; खंड– I में वित्त की स्थिति की समेकित स्थिति और 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां' शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश शामिल है और खंड– II लेखाओं को विस्तार से दर्शाता है। वर्ष के लिए अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु सरकार के विनियोग लेखे, जो बजट तुलना का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरी अभिमत में, 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों' के साथ पढे जाने वाले वित्त लेखे उचित वित्तीय स्थिति और वर्ष 2021–22 के लिए राजस्थान सरकार की प्राप्तियां एवं संवितरण प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ–साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियां 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही राजस्थान सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे राजस्थान सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ–साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे वित्त लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए राजस्थान के महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत राजस्थान के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार हैं।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और राजस्थान सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया हैं।

इस संकलन में विवरण {7(3), 8, 9, 10 (ii), 19 और 20}, व्याख्यात्मक टिप्पणियां (विवरण संख्या 14 के तहत बिन्दु संख्या 2 पर और परिशिष्ट संख्या VIII के तहत बिन्दु संख्या 3) और परिशिष्ट (VI, IX और XI) सीधे राजस्थान सरकार एवं संघ सरकार से प्राप्त जानकारी से तैयार किए गए हैं जो ऐसी जानकारी के लिए उत्तरदायी हैं।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I) और महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग–अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक : 06 दिसम्बर 2022
स्थान : नई दिल्ली

वित्त लेखे का मार्गदर्शन

क. सरकारी लेखों के ढाँचे का विस्तृत विश्लेषण

1. राजस्थान राज्य के वित्त लेखे वर्ष के लिये सरकार की प्राप्तियां तथा खर्चे के लेखे साथ ही राजस्व एवं पूंजी लेखों द्वारा प्रकट किये गये वित्तीय परिणाम, लोक ऋण के लेखे तथा लेखों में दर्ज शेषों से निकाले गये राज्य सरकार के दायित्वों एवं सम्पत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखे, विनियोग लेखों के साथ रखे जाते है जो अनुदान/विनियोजन के विरूद्ध व्यय को प्रस्तुत करते हैं ।

2. सरकारी लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग–I : समेकित निधि: यह निधि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उगाये गये सभी कर्जे (बाजार कर्जे, बंधपत्र, केन्द्रीय सरकार से कर्जे, वित्तीय संस्थाओं से कर्जे, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुर्नभुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सभी धन को समाहित करती है। इस निधि से कानून एवं उद्देश्य के अनुसार तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त तरीके के अतिरिक्त धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय के निश्चित संवर्ग (उदाहरण के लिये संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुर्नभुगतान इत्यादि) राज्य की संचित निधि (*भारित* व्यय) पर एक भार बनाती है तथा विधान मण्डल द्वारा मताधिकार का विषय नहीं है। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान सभा द्वारा पारित होते हैं।

समेकित निधि में दो भाग शामिल है: राजस्व तथा पूंजी (लोक ऋण, कर्जे तथा अग्रिम सहित)। ये आगे ''प्राप्तियां'' एवं ''व्यय'' में वर्गीकृत है। राजस्व प्राप्तियां वर्ग तीन खण्डों में विभक्त है, अर्थात् ''कर राजस्व'', ''करेत्तर राजस्व'' तथा ''सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान''। ये तीनों खण्ड आगे उपखण्डों में विभक्त होते है जैसे ''वस्तु एवं सेवा कर'',''आय तथा व्यय पर कर'', ''राजकोषीय सेवाएं'', इत्यादि। पूंजीगत प्राप्तियां भाग में कोई खण्ड अथवा उपखण्ड नहीं होता है। राजस्व व्यय वर्ग चार खण्डों में विभक्त हैं अर्थात् ''सामान्य सेवाएं'', ''सामाजिक सेवाएं'', ''आर्थिक सेवाएं'' तथा ''सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान''। राजस्व व्यय वर्ग में ये खण्ड आगे उपखण्डों में विभक्त है जैसे ''राज्य के अंग'', ''शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति'' इत्यादि। पूंजीगत व्यय वर्ग सात खण्डों में विभक्त है अर्थात् ''सामान्य सेवाएं'', ''सामाजिक सेवाएं'', ''आर्थिक सेवाएं'', ''लोक ऋण'', ''कर्जे तथा पेशगियां'', ''अन्तर्राज्यीय निपटान'' तथा ''आकस्मिकता निधि में अंतरण'' ।

भाग–II : आकस्मिकता निधि: यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसकी स्थापना विधि के तहत राज्य विधान मण्डल द्वारा की जाती है तथा ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका राज्य विधान सभा द्वारा प्राधिकृत लम्बित हो, की पूर्ति हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती है। निधि को राज्य की संचित निधि से सम्बन्धित कार्यकारी मुख्य शीर्ष को व्यय नामे करते हुए पूरित किया जाता है। वर्ष 2021–22 के लिये राजस्थान सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 1,000 करोड़ है।

भाग–III : लोक लेखा: सरकार द्वारा अथवा की ओर से प्राप्त अन्य समस्त लोक धनराशियां, जहां सरकार एक बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा होती है। लोक लेखा में पुर्नदेयताएं जैसे लघु बचत एवं भविष्य निधियां, जमाएं (ब्याज वाली एवं बिना ब्याज वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज वाली एवं बिना ब्याज वाली), प्रेषण तथा उचन्त शीर्ष (दोनों जो अस्थायी शीर्ष है, अन्तिम लेखांकन के बकाया रहते) शामिल होती है। सरकार का उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखे के अन्तर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखे में छ: खण्ड सम्मिलित है अर्थात् ''अल्प बचत, भविष्य निधि आदि'', ''आरक्षित निधियां'', ''जमा एवं अग्रिम'', ''उचन्त तथा विविध'', ''प्रेषण'' तथा ''रोकड़ शेष'' । ये खण्ड आगे उपखण्डों में विभक्त होते है। लोक लेखा विधान मण्डल के मत का विषय नहीं है।

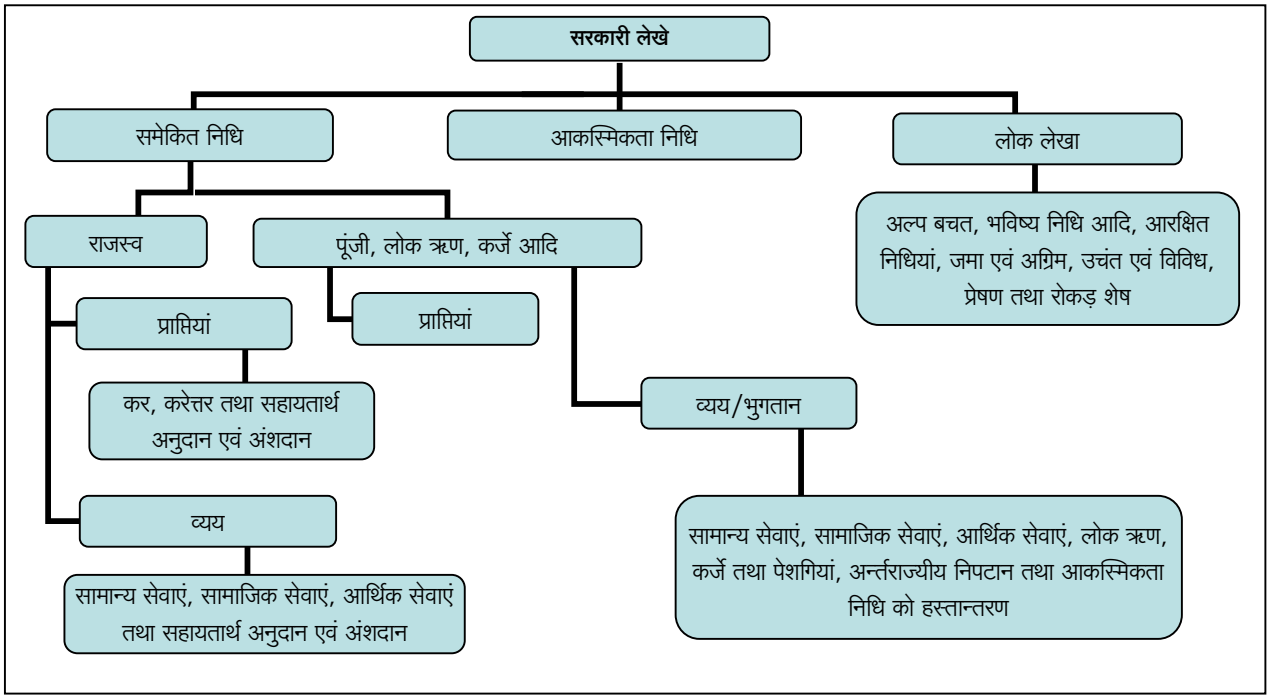
3. सरकारी लेखे छह स्तरीय वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाते है, अर्थात् मुख्य शीर्ष (चार अंक), उपमुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप शीर्ष (योजना) (दो अंक), समूह शीर्ष (उप–योजना) (दो अंक) तथा आब्जेक्ट (विस्तृत) शीर्ष (दो अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों का द्योतक है, उपमुख्य शीर्ष उपकार्यों, लघु शीर्ष कार्यक्रम/कार्यकलापों, उपशीर्ष योजनाओं, समूह शीर्ष उप–योजनाओं तथा विस्तृत शीर्ष व्यय के अभिप्राय/उद्देश्य का द्योतक है।

4. लेखों में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कोडिंग तरीका शामिल है (31 मार्च 2022 तक संशोधित मुख्य एवं लुघ शीर्षों की सूची के अनुसार):–

0005 से 1606	*राजस्व प्राप्तियां*
2011 से 3606	*राजस्व व्यय*
4000	*पूंजीगत प्राप्तियां*
4046 से 7810	*पूंजीगत व्यय (लोक ऋण, कर्जे तथा पेशगियां सहित)*
7999	*आकस्मिकता निधि को विनियोजन*
8000	*आकस्मिकता निधि*
8001 से 8999	*लोक लेखा*

5. सरकारी लेखे के ढ़ांचे का सचित्र प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है:

सरकारी लेखे का ढ़ांचा



ख. वित्त लेखे में क्या शामिल है

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत होते है।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, वित्त लेखे का मार्गदर्शन, तेंरह विवरण जो चालू वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा सव्यंवहारों की सारांशीकृत सूचना देते हैं तथा वित्त लेखाओं से टिप्पणियां सम्मिलित है। **खण्ड I** के **तेरह** विवरणों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के वर्ष के अन्त में विद्यमान संचयी आकड़ों तथा पिछले वर्ष के अन्त की स्थिति से तुलना को दर्शाता है।

2. **प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण :** यह विवरण सभी तीन भागों, अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते है, में वर्ष के दौरान राज्य सरकार की समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें एक अनुलग्नक शामिल है जो सरकार के रोकड़ शेष (निवेशों को शामिल करते हुए) को अतिरिक्त रूप में दर्शाता है। अनुलग्नक सरकार की अर्थोपाय स्थिति को भी विस्तृत रूप में दर्शाता हैं।

3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** यह विवरण राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों, उधार तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों के पुर्नभुगतान को सम्मिलित करता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड–II में विस्तृत विवरण 14, 17 तथा 18 के समतुल्य है।

4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि) :** वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर तक के सामान्य वर्णन से अलग यह विवरण गतिविधि की प्रकृति के अनुसार (व्यय का उद्देश्य) व्यय का विवरण देता है। यह विवरण खण्ड–II में विस्तृत विवरण 15,16,17 तथा 18 के समतुल्य है।

5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण:** यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के समतुल्य है।

6. **उधारों तथा अन्य दायित्वों का विवरण:** सरकार की उधारों में इसके द्वारा उगाये गए बाजार कर्जे (आन्तरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम समाहित हैं। 'अन्य दायित्वों ' में 'अल्प बचत, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधियां' तथा 'जमा' समाहित है। विवरण में ऋण सेवा पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है तथा खण्ड II मे विस्तृत विवरण 17 के समतुल्य है।

7. **सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ऋणी जैसे संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियां, स्वायत्तशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत ग्रहीता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिये गये सभी कर्जे तथा पेशगियों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के समतुल्य हैं।

8. **सरकार के निवेशों का विवरण:** यह विवरण संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूंजी में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के समतुल्य हैं।

9. **सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जे का मूल तथा ब्याज के पुर्नभुगतान पर दी गयी गारन्टियों का सार प्रस्तुत करता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के समतुल्य हैं।

10. **सरकार द्वारा दी गई सहायतार्थ अनुदान का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदान ग्रहीता जैसे, संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियां, स्वायत्तशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा वैयक्तिक को दिये गये समस्त सहायतार्थ अनुदान को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्त्ता संस्थाओं का विवरण उपलब्ध कराता है।

11. **दत्तमत तथा *प्रभारित* व्यय का विवरण :** यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आंकड़ों का विनियोग लेखो में प्रदर्शित सकल आंकड़ों के साथ मिलान करने में सहायता करता हैं।

12. **राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों एवं आवेदन का विवरण :** यह विवरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से चुकाने का अनुमान किया जाता है, जबकि वर्ष का पूंजीगत व्यय राजस्व अधिशेष, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के शुरू में रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित किया जाता है।

13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सांराश:** यह विवरण लेखों की सत्यता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 14,15,16,17,18 तथा 21 के समतुल्य हैं।

वित्त लेखों पर टिप्पणी तथा अर्थपूर्ण लेखा पद्धतिया

वित्त लेखों पर टिप्पणी प्रकटीकरण तथा विस्तारपुर्वक लेख प्रदान करता है जो अतिरिक्त सूचना/संव्यवहारो के लिये प्रासगिंक स्पष्टीकरण, संव्यवहारों का वर्ग, शेष इत्यादि प्रदान करने का आश्य से है जो वित्त लेखों के उपयोगकर्ता/हितधारक को सहायक होगा ।

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतिया बजट के आधार तथा वित्तीय रिपोर्ट, भारतीय सरकारी लेखा मानको की आवश्यकता, लेखों का प्रारूप, पूंजी एवं राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरण, पूर्णाक, आवधिक समायोजन इत्यादि सहित वित्त लेखो के खण्ड **I** में वित्त लेखों पर टिप्पणी के रूप में शामिल किये गये है ।

वित्त लेखे के खण्ड II में 2 भाग सम्मिलित है– भाग I में 9 सांराशीकृत विवरण तथा भाग II में 12 परिशिष्ट।

खण्ड II का भाग I

14. **लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड **I** में संक्षिप्त विवरण 3 के समतुल्य है। लघु शीर्ष स्तर पर राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे प्रदर्शित करने के अलावा यह विवरण भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान को समुह शीर्ष स्तर पर दर्शाता हैं।

15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण, जो खण्ड **I** में संक्षिप्त विवरण 4 के समतुल्य है, राज्य सरकार के राजस्व व्यय को दर्शाता है। *प्रभारित* एवं दत्तमत व्यय पृथक से प्रदर्शित किये जाते हैं।

16. **लघुशीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के समतुल्य है, राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा प्रगामी) को दर्शाता है। *प्रभारित* एवं दत्तमत व्यय को पृथक से प्रदर्शित किया जाता है पूंजीगत व्यय को लघुशीर्ष स्तर तक प्रस्तुत करने के अतिरिक्त महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में यह विवरण उपशीर्ष स्तर तक भी ब्यौरे दर्शाता है।

17. **उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 का समतुल्य है, राज्य सरकार द्वारा उगाये गये सभी ऋण (बाजार कर्जे, बंध पत्र, केन्द्रीय सरकार से कर्जे, वित्तीय संस्थाओं से कर्जे, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाये गये अर्थोपाय अग्रिम को शामिल करता है। यह विवरण तीन वर्गो में ऋण की सूचना को प्रस्तुत करता है: (क) व्यक्तिगत कर्जे के ब्यौरे; (ख) परिपक्व रूपरेखा अर्थात विभिन्न वर्षो में प्रत्येक वर्ग के ऋणों से सम्बन्धित देय राशि; (ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा; तथा बाजार कर्जो को दर्शाने वाला अनुबन्ध ।

18. **सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 का समतुल्य है।

19. **सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण हस्ती अनुसार निवेशों के ब्यौरे तथा वर्ष के दौरान विवरण 16 तथा 19 के बीच, यदि कोई हो, मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार अन्तर के ब्यौरे दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I में विवरण 8 के समतुल्य है।

20. **सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण सरकारी गारन्टियों के हस्ती अनुसार ब्यौरे दर्शाता है। यह विवरण खण्ड **I** में विवरण 9 के समतुल्य है।

21. **आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत अपूरित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा सव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अन्त में बकाया शेषों को लघु शीर्ष स्तर पर दर्शाता है।

22. **पृथक आरक्षित शेषों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण आरक्षित निधियों तथा जमाओं (लोक लेखा) से किये गये निवेश के ब्यौरे को दर्शाता है।

खण्ड II का भाग II

भाग II में वेतन, सहाय्य, सहायतार्थ अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं इत्यादि को सम्मिलित करते हुए विभिन्न मदों पर **बारह परिशिष्ट** सम्मिलित है। लेखाओं में ब्यौरे उपशीर्ष स्तर अथवा नीचे तक (अर्थात लघु शीर्ष स्तर से नीचे) प्रस्तुत किये जाते है तथा ऐसा सामान्यत: वित्त लेखों में नहीं दर्शाया जाता है। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड I एवं II में विषय सूची पर दिखायी गयी है। विवरणों तथा वित्त लेखों से टिप्पणीयां के साथ परिशिष्ट राज्य सरकार की वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं वितरण के साथ वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करता है।

ग. सुलभ मार्गदर्शन

नीचे दिया वर्ग खण्ड I में प्रकट संक्षिप्त विवरणों को खण्ड II में विस्तृत विवरणों एवं परिशिष्टों से मिलाता है (परिशिष्ट, जिनका संक्षिप्त विवरण के साथ सीधा मिलान नहीं है, को नीचे नहीं दिखाया गया है)।

मापदण्ड	सांराशीकृत विवरण (खण्ड I)	विस्तृत विवरण (खण्ड II)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियां (अनुदान प्राप्ति सहित), पूंजीगत प्राप्तियां	2,3	14	
राजस्व व्यय	2,4	15	I (संवेतन), II (सहाय्य)
सरकार द्वारा दी गई सहायतार्थ अनुदान	2,10	..	III (सहायतार्थ अनुदान)
पूंजीगत व्यय	1,2,4,5,12	16	I (संवेतन)
सरकार द्वारा दिए गए कर्जे तथा अग्रिम	1,2,7	18	
कर्ज की स्थिति/उधार	1,2,6	17	
सरकार का कम्पनियों, निगमों इत्यादि में निवेश	8	19	
रोकड़	1,2,12,13	..	
लोक लेखे में शेष तथा उसका निवेश	1,2,12,13	21,22	
गारन्टियां	9	20	
योजनाएं			IV (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं), V (आयोजनागत योजना व्यय)

संक्षिप्त विवरण

विवरण संख्या 1 –वित्तीय

सम्पत्तियां [1]	संदर्भ (क्र.सं.) लेखाओं से टिप्पणियां	संदर्भ (क्र.सं.) विवरण संख्या	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
			(₹ करोड़ में)	
रोकड़				
(i) खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	..	21	(-) 94.28	(-) 80.96
(ii) विभागीय शेष	..	21	0.75	0.77
(iii) स्थायी रोकड़ अग्रदाय	..	21	2.83	2.84
(iv) रोकड़ शेष निवेश	..	21	8,218.92	4,440.13
(v) भारतीय रिजर्व बैंक से जमा	पैरा सं. 5 (vii)	21	281.72	20.99
(vi) पृथक आरक्षित निधियों से निवेश [2]	..	21 एवं 22	6,259.15	2,103.74
पूंजीगत व्यय				
(i) निगमों, कम्पनियों आदि के अंशों में निवेश	..	5, 8 एवं 19	56,475.10	52,784.40
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय	..	5 एवं 16	1,85,707.95	1,65,278.47
आकस्मिकता निधि (अपूरित)	..	..	..	..
कर्ज तथा अग्रिम	..	7 एवं 18	8,213.06	9,965.41
विभागीय अधिकारियों की अग्रिम	..	21	3.17	3.17
उचन्त तथा विविध शेष [3]	पैरा सं. 5 (iii)	21	85.73	4.06
प्रेषण शेष	..	21	..	..
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य [4]	..	12	2,04,951.63	1,78,581.68
योग			**4,70,105.73**	**4,13,104.70**

1. सम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े संचयी हैं। कृपया 'लेखाओं से टिप्पणियां' खण्ड में टिप्पणी 1(v) भी देखें।
2. राज्य सरकार के अनुसार पृथक आरक्षित निधियों में से कम्पनियों की अंश पूंजी आदि में कोई निवेश नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने पृथक आरक्षित निधियों में से केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया ।

स्थिति का विवरण

दायित्व[1]	संदर्भ (क्र.सं.) लेखाओं से टिप्पणियां	संदर्भ (क्र.सं.) विवरण संख्या	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
			(₹ करोड़ में)	
उधार (लोक ऋण)				
(i) आन्तरिक ऋण	..	6 एवं 17	3,21,807.34	2,84,788.78
(ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम				
योजनेत्तर कर्ज	..	6 एवं 17	12.47	15.55
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	..	6 एवं 17	1,736.12	2,245.17
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	..	6 एवं 17	..	..
केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	..	6 एवं 17	3.05	3.05
विधानमंण्डल योजनाओं के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कर्ज	..	6 एवं 17	29,991.68	21,262.97
अन्य कर्ज	..	6 एवं 17	5.41	5.41
आकस्मिकता निधि (कॉरपस)	पैरा सं. 4	21	1,000.00	500.00
लोक लेखे पर दायित्व				
(i) अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	..	6, 17 एवं 21	58,786.37	56,325.69
(ii) जमायें	..	21 एवं 22	44,174.53	36,713.81
(iii) आरक्षित निधियां	पैरा सं. 5 (ii)	21 एवं 22	12,587.26	11,242.77
(iv) प्रेषण शेष	पैरा सं. 5 (iii)	21	1.51	1.50
(v) उचन्त तथा विविध शेष	..	..	..	..
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	..	..	**..**	**..**
पूर्णांक के कारण समायोजन प्रविष्टि	..	..	**(-) 0.01** @	**..**
योग			**4,70,105.73**	**4,13,104.70**

3. इस विवरण में पंक्ति मद ''उचन्त तथा विविध शेष'' में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा', 'विभागीय शेष' तथा 'स्थायी रोकड़ अग्रदाय' को सम्मिलित नहीं करता है जो अलग से ऊपर सम्मिलित है, यद्यपि बाद वाला इन लेखों में इस खण्ड के अन्य स्थान पर हिस्सा बनता है।

4. प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य चालू वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व घाटे से अलग है।

@ सम्पूर्ण योग राशि के पूर्णांक के मिलान के कारण समायोजन प्रविष्टि ।

विवरण संख्या 2– प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण

प्राप्तियां	2021-22	2020-21	संवितरण	2021-22	2020-21
	(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*	
			भाग I– समेकित निधि		
			अनुभाग– अ : राजस्व		
राजस्व प्राप्ति *(सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)*	**1,83,920.05**	**1,34,307.88**	**राजस्व व्यय** *(सन्दर्भ विवरण 4–क, 4–ख एवं 15)*	**2,09,790.01**	**1,78,309.41**
कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाही गयी) *(सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)*	74,807.98	60,283.44	**संवेतन** (क) *(सन्दर्भ विवरण 4–ख एवं परिशिष्ट–I)*	56,601.62	51,070.13
			सहाय्य (क) *(सन्दर्भ परिशिष्ट–II)*	23,363.92	14,828.49
			सहायतार्थ अनुदान *(सन्दर्भ विवरण 4–ख, 10 एवं परिशिष्ट– III)*	49,126.63	39,744.68
			सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)(क) व (ख)	41,908.48	34,071.30
			सहायतार्थ अनुदान (वेतन)	6,639.46	4,683.66
			पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान	578.69	989.72
			सामान्य सेवाएं *(सन्दर्भ विवरण 4 एवं 15)*		
करेत्तर राजस्व *(सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)*			ब्याज अदायगियां तथा ऋण शोधन *(सन्दर्भ विवरण 4–क, 4–ख एवं 15)*	28,100.46	25,201.81
ब्याज प्राप्तियां *(सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)*	1,628.18	2,693.15	पेंशन *(सन्दर्भ विवरण 4–क, 4–ख एवं 15)*	23,391.35	22,439.62
अन्य *(सन्दर्भ विवरण 3)*	17,126.79	10,959.87	अन्य *(सन्दर्भ विवरण 4–ख)*	2,297.47	1,818.44
योग *(सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)*	18,754.97	13,653.02	योग *(सन्दर्भ विवरण 4–क एवं 15)*	53,789.28	49,459.87
संघ करों/शुल्कों का हिस्सा *(सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)*	54,030.61	35,575.77	**सामाजिक सेवाएं** *(सन्दर्भ विवरण 4–क एवं 15)*	20,694.93 (ग)	18,781.30
केन्द्रीय सरकार से अनुदान *(सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)*	36,326.49	24,795.65	**आर्थिक सेवाएं** *(सन्दर्भ विवरण 4–क एवं 15)*	6,213.64	4,424.94
			स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन *(सन्दर्भ विवरण 4–क एवं 15)*	..	..
			पूर्णांक के कारण समायोजन प्रविष्टि	(–)0.01 *	..
राजस्व घाटा	**25,869.96**	**44,001.53**	***राजस्व अधिशेष***	**..**	**..**

(क) संवेतन तथा सहाय्य के सभी क्षेत्रों के आकड़ों को एक साथ जोड़कर एक समेकित आंकड़े के रूप में प्रदर्शित किया गया है । इस विवरण में ''सामाजिक'', ''सामान्य'' तथा ''आर्थिक'' सेवाएं क्षेत्रों के अन्तर्गत दिखाये गये व्यय में वेतन, सहाय्य तथा सहायतार्थ अनुदान पर किया गया व्यय सम्मिलित नहीं है (पाद टिप्पणी (ख) में व्याख्या की गई है) ।

(ख) (i) सरकार द्वारा सहायतार्थ अनुदान, सांविधिक निगमों, कम्पनियों, स्वायत्तशासी निकायों, स्थानीय निकायों, इत्यादि को दिया जाता है जिसे उपरोक्त में पंक्तिबद्ध मद की तरह सम्मिलित किया जाता है । यह अनुदान, करों की क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन एवं स्थानीय निकायों को शुल्क से भिन्न है जिसे अलग से पंक्तिबद्ध 'स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन' के रूप में दर्शाया गया है ।

(ii) इसमें लघुशीर्ष ''191,192,193,196,197 तथा 198'' के अंतर्गत हुआ व्यय भी सम्मिलित है (समर्पित विस्तृत शीर्ष 01–संवेतन, 12–सहायतार्थ अनुदान (गैर–संवेतन), 91–सहाय्य, 92–सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) तथा 93–पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान के अतिरिक्त) सिवाय पाँच विभागों का व्यय अर्थात प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास तथा कृषि। राज्य सरकार द्वारा इन पांच विभागों का प्रशासनिक नियंत्रण पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा चुका है, लेकिन इन विभागों का व्यय, बजाए इनको अनुदान जारी करने के, पूर्व की भांति कोषालयों के माध्यम से आहरित किया जा रहा है । 2021–22 के दौरान ₹ 2.64 करोड़ लघु शीर्ष 191 (₹ 0.80 करोड़), 192 (₹ 1.53 करोड़) तथा 196 (₹ 0.31 करोड़) के तहत वर्गीकृत किये गये।

(ग) इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर व्यय से सम्बन्धित ₹ 9,239.77 करोड़ सम्मिलित है जो ''सामान्य सेवाएं '' के अन्तर्गत दर्शाये गये सिविल पेंशन से अलग हैं।

* सम्पूर्ण योग राशि के पूर्णांक के मिलान के कारण समायोजन प्रविष्टि ।

विवरण संख्या 2– *(क्रमशः)*

प्राप्तियां	2021-22	2020-21	संवितरण	2021-22	2020-21
	(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*	
भाग I– समेकित निधि *(समाप्त)*					
अनुभाग– ब : पूंजी					
पूंजीगत प्राप्तियां *(सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)*	**31.42**	**14.08**	**पूंजीगत व्यय** *(सन्दर्भ विवरण 4–क, 4–ख एवं 16)*	**24,151.60** (क)	**15,270.49**
			सामान्य सेवाएं *(सन्दर्भ विवरण 4–क एवं 16)*	483.53	398.17
			सामाजिक सेवाएं *(सन्दर्भ विवरण 4–क एवं 16)*	10,951.02	7,641.58
			आर्थिक सेवाएं *(सन्दर्भ विवरण 4–क एवं 16)*	12,717.05	7,230.74
कर्जे तथा अग्रिमों की वसूलियां *(सन्दर्भ विवरण 3,7 एवं 18)*	**2,373.59**	**373.52**	**कर्जे तथा अग्रिमों का वितरण** *(सन्दर्भ विवरण 4–क, 7 एवं 18)*	**621.24**	**491.01**
			सामान्य सेवाएं *(सन्दर्भ विवरण 4–क, 7 एवं 18)*	..	..
			सामाजिक सेवाएं *(सन्दर्भ विवरण 4–क, 7 एवं 18)*	113.91	280.60
			आर्थिक सेवाएं *(सन्दर्भ विवरण 4–क, 7 एवं 18)*	507.33	210.41
			अन्य *(सन्दर्भ विवरण 4–क, 7 एवं 18)*	..	..
लोक ऋण प्राप्तियां *(सन्दर्भ विवरण 3,6 एवं 17)*	**1,01,363.31**	**89,964.01**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान** *(सन्दर्भ विवरण 4–क, 6 एवं 17)*	**56,128.18**	**41,022.99**
आंतरिक ऋण (बाजार कर्जे इत्यादि) *(सन्दर्भ विवरण 3,6 एवं 17)*	92,027.34 (ख)	82,827.84	**आंतरिक ऋण** (बाजार कर्जे इत्यादि) *(सन्दर्भ विवरण 4–क, 6 एवं 17)*	55,008.79 (ग)	40,116.47
भारत सरकार से कर्जे *(सन्दर्भ विवरण 3,6 एवं 17)*	9,335.97	7,136.17	**भारत सरकार से कर्जे** *(सन्दर्भ विवरण 4–क, 6 एवं 17)*	1,119.39	906.52
			आकस्मिकता निधि को अंतरण *(सन्दर्भ विवरण 21)*	**500.00**	**..**
पूर्णांक के कारण समायोजन प्रविष्टि	(–)0.01 *	..	**पूर्णांक के कारण समायोजन प्रविष्टि**	(–)0.01 *	..
कुल प्राप्तियां–समेकित निधि *(सन्दर्भ विवरण 3)*	**2,87,688.38**	**2,24,659.49**	**कुल व्यय–समेकित निधि** *(सन्दर्भ विवरण 4)*	**2,91,191.03**	**2,35,093.90**
समेकित निधि में घाटा	**3,502.65**	**10,434.41**	**समेकित निधि में अधिशेष**	..	..
भाग II - आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि *(सन्दर्भ विवरण 21)*	**500.00**	..	**आकस्मिकता निधि** *(सन्दर्भ विवरण 21)*	..	..

(क) इसमें संवेतन पर ₹ 83.91 करोड़ तथा स्थानीय निकायों को जारी किये गये ₹ 1,310.28 करोड़ का व्यय सम्मिलित है।

(ख) वर्ष 2021–22 के दौरान ''राष्ट्रीय अल्प बचत निधि'' के अन्तर्गत कर्ज प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) इसमें वर्ष 2021–22 के दौरान ''राष्ट्रीय अल्प बचत निधि'' के अन्तर्गत कर्ज पुनर्भुगतान से सम्बन्धित ₹ 1,584.76 करोड़ सम्मिलित है ।

* सम्पूर्ण योग राशि के पूर्णांक के मिलान के कारण समायोजन प्रविष्टि ।

विवरण संख्या 2–*(समाप्त)*

प्राप्तियां	2021-22	2020-21	संवितरण	2021-22	2020-21
	(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*	
भाग III– लोक लेखे (क)					
अल्प बचत *(सन्दर्भ विवरण 21)*	14,000.70	13,705.60	**अल्प बचत** *(सन्दर्भ विवरण 21)*	11,540.02	8,848.53
आरक्षित तथा निक्षेप निधियां *(सन्दर्भ विवरण 21)*	9,111.91	7,927.99	**आरक्षित तथा निक्षेप निधियां** *(सन्दर्भ विवरण 21)*	11,922.83	6,799.77
जमाएं *(सन्दर्भ विवरण 21)*	2,16,239.97	1,80,656.02	**जमाएं** *(सन्दर्भ विवरण 21)*	2,08,779.25	1,77,784.67
अग्रिम *(सन्दर्भ विवरण 21)*	0.01	0.04	**अग्रिम** *(सन्दर्भ विवरण 21)*	..	..
उचन्त तथा विविध *(सन्दर्भ विवरण 21)*	91,306.03	82,562.24	**उचन्त तथा विविध (ख)** *(सन्दर्भ विवरण 21)*	95,166.46	81,078.47
प्रेषण *(सन्दर्भ विवरण 21)*	13,993.47	7,750.02	**प्रेषण** *(सन्दर्भ विवरण 21)*	13,993.47	7,738.15
पूर्णांक के कारण समायोजन प्रविष्टि	(–)0.01 *	..	**पूर्णांक के कारण समायोजन प्रविष्टि**	(–)0.01 *	..
कुल प्राप्तियां–लोक लेखे *(सन्दर्भ विवरण 21)*	**3,44,652.10**	**2,92,601.91**	**कुल व्यय–लोक लेखे** *(सन्दर्भ विवरण 21)*	**3,41,402.04**	**2,82,249.59**
लोक लेखे में घाटा	..	..	**लोक लेखे में अधिशेष**	**3,250.06**	**10,352.32**
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	**(-) 59.97**	**22.12**	**अन्तिम रोकड़ शेष**	**187.45**	**(-) 59.97**
रोकड़ शेष में वृद्धि	**247.42**	..	**रोकड़ शेष में कमी**	..	**82.09**

(क) ब्यौरे के लिये कृपया खण्ड II में विवरण संख्या 21 देखें ।

(ख) ''उचन्त तथा विविध'' में 'अन्य लेखे' जैसे रोकड़ शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि सम्मिलित है । इन अन्य लेखों की वजह से आंकड़े अत्यधिक दिखाई दे सकते हैं । ब्यौरे के लिये कृपया खण्ड II में विवरण संख्या 21 देखें ।

* सम्पूर्ण योग राशि के पूर्णांक के मिलान के कारण समायोजन प्रविष्टि ।

विवरण संख्या 2 का अनुबन्ध

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	(₹ करोड़ में)	
(क) सामान्य रोकड़ शेष		
1. खजानों में रोकड़	0.05	0.05
2. रिजर्व बैंक में जमा	281.72 *	20.99
3. स्थानीय–मार्गस्थ प्रेषण	(-) 94.33	(-) 81.01
योग	187.44	(-) 59.97
रोकड़ शेष निवेश लेखा में हुए निवेश	8,218.92	4,440.13
योग (क)	8,406.36	4,380.16
(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
1. विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ यथा लोक निर्माण एवं वन विभाग के खण्डीय अधिकारी	0.75	0.77
2. विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिये स्थायी पेशगियां	2.83	2.84
3. पृथक आरक्षित निधियों में निवेश	6,259.15 #	2,103.74
योग (ख)	6,262.73	2,107.35
योग (क) और (ख)	14,669.09	6,487.51

रोकड़ व रोकड़ तुल्य : रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य के अन्तर्गत कोषालयों में रोकड़, भारतीय रिजर्व बैंक की जमा, अन्य बैंकों तथा मार्गस्थ प्रेषण जैसा कि ऊपर दिखाया गया, सम्मिलित हैं। शीर्ष 'रिजर्व बैंक की जमा' के अन्तर्गत शेष, वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के संयुक्त शेष को दर्शाता है । सम्पूर्ण रोकड़ स्थिति, कोषालयों में रोकड़ शेष, विभागीय तथा रोकड़ शेषों/आरक्षित निधियों इत्यादि में से निवेश को 'भारतीय रिजर्व बैंक की जमा' के शेष में जोड़ने पर ज्ञात होती है।

* इस अनुबन्ध के नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणी का पैरा (च) देखें।

\# इस अनुबन्ध के नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणी का पैरा (छ) देखें।

विवरण संख्या 2 का अनुबन्ध – *(क्रमशः)*

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

(क) **प्रतिदिन रोकड़ शेष** :– भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करार के अधीन, राज्य सरकार को 01–03–1999 से समस्त दिवसों को ₹ 2.34 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बैंक में बनाये रखना होगा । यदि यह शेष राशि अनुबन्ध के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी दिन नीचे आती है, तब कमी की पूर्ति समय–समय पर साधारण तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष लेकर की जाती हैं। 31 मार्च 2022 तक न्यूनतम रोकड़ शेष की इस सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

दैनिक रोकड़ शेष बनाये रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष को मंजूर करने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक उस दिन के लिये प्रतिवेदित लेन–देन (भारतीय रिजर्व बैंक काउण्टर पर, अंतर सरकार लेन–देन तथा खजाना लेन–देन एजेंसी बैंक द्वारा प्रतिवेदित) के साथ 14 दिवसीय कोषालय देयकों की धारिता का मूल्यांकन करता है। 14 दिवसीय कोषालय देयक की परिपक्वता पर यदि कोई हो, जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, उसे जोड़ा जाता है तथा आधिक्य शेष यदि कोई हो, न्यूनतम रोकड़ शेष को बनाये रखने के पश्चात उसे खजाना बिलों में पुनर्निवेशित किया जाता है। यदि निकाला गया कुल रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम होता है या जमा अवशेष में आता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषालय देयक परिपक्व नहीं हो रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिवसीय कोषालय देयक की धारिता की कटौती करती है और कमी को पूरा कर दिया जाता है। यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना देयक की धारिता नहीं है, राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/ विशेष अर्थापाय अग्रिम / अधिविकर्ष के लिये आवेदन करती है।

(ख) 17.04.2020 को राज्य सरकार को साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 2,608.00 करोड़ थी और वही 31 मार्च 2022 तक लागू रही। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने पर भी सहमत हो गयी। बैंक द्वारा समय–समय पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा संशोधित की गयी । विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल 2021 को ₹ 1,973.65 करोड़ तथा 31 मार्च 2022 को ₹ 6,662.81 करोड़ थी।

सीमा जहां तक सरकार ने 2021–22 के दौरान रिजर्व बैंक में न्यूनतम रोकड़ शेष का संधारण किया, वह नीचे दी गई है :–

रिजर्व बैंक में न्यूनतम रोकड़ शेष का विवरण	दिवसों की संख्या
उन दिनों की संख्या जब बिना कोई अग्रिम प्राप्त किये न्यूनतम शेष बनाये रखा गया	222
उन दिनों की संख्या जब विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने के उपरान्त न्यूनतम शेष बनाये रखा गया	137
उन दिनों की संख्या जब साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेने के उपरान्त न्यूनतम शेष बनाये रखा गया	6
उन दिनों की संख्या जब उपरोक्त अग्रिमों को प्राप्त करने के बाद न्यूनतम शेष में कमी थी, किन्तु कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया	शून्य
उन दिनों की संख्या जब ओवरड्राफ्ट लिये गये	शून्य

(i) ***विशेष अर्थोपाय अग्रिम :–*** 1 अप्रैल 2021 को विशेष अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत शेष शून्य था । वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से ₹ 37,629.57 करोड़ का विशेष अर्थोपाय अग्रिम 67 अवसरों में 143 दिनों के लिए लिया तथा ब्याज के रूप में ₹ 24.73 करोड़ चुकाये गये । वर्ष 2021–22 के अंत में शेष शून्य था।

(ii) ***साधारण अर्थोपाय अग्रिम*** **:–** 1 अप्रैल 2021 को साधारण अर्थोपाय अग्रिम का शेष शून्य था। वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से ₹ 912.84 करोड़ का सामान्य अर्थोपाय अग्रिम चार अवसरों में छः दिनों के लिए लिया तथा ब्याज के रूप में ₹ 0.29 करोड़ चुकाये गये । इन छः दिनों में राज्य सरकार द्वारा विशेष अर्थोपाय अग्रिम भी लिया गया था। वर्ष 2021–22 के अंत में शेष शून्य था।

(iii) ***अधिविकर्ष*** **:–** गत वर्ष अर्थात 2020–21 की समाप्ति पर शून्य अधिविकर्ष बकाया था। वर्ष 2021–22 के दौरान कोई अधिविकर्ष नहीं लिया गया। वर्ष 2021–22 के अन्त में भी शेष शून्य था।

31 मार्च 2006 तक अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष पर ब्याज की दर बैंक दर के अनुरूप देय थी। बैंक दर के विरूद्ध 1 अप्रैल 2006 से रेपो दर लागू की गयी। 27 मार्च 2020 से रेपो दर 4.40 *प्रतिशत* थी । यह आगे 2020–21 में संशोधित की गयी अर्थात् 22 मई 2020 से 4.00 *प्रतिशत* । उक्त सीमा 31 मार्च 2022 तक प्रचलित थी।

विवरण संख्या 2 का अनुबन्ध - *(समाप्त)*

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ– *(समाप्त)*

साधारण अर्थोपाय अग्रिम के संबंध में ब्याज की दर 90 दिन तक रेपो दर के समान तथा 90 दिन से अधिक के लिए रेपो दर से एक *प्रतिशत* अधिक देय है।

विशेष अर्थोपाय अग्रिमों पर लागू ब्याज दर 1 अप्रैल 2006 से प्रभावी रेपो दर से एक *प्रतिशत* कम भारित किया गया। यह अब तक लागू है।

अधिविकर्ष पर ब्याज की दर साधारण अर्थोपाय अग्रिम की 100 *प्रतिशत* सीमा तक रेपो दर से दो *प्रतिशत* अधिक है तथा साधारण अर्थोपाय अग्रिम की 100 *प्रतिशत* सीमा से अधिक पर रेपो दर से पांच *प्रतिशत* अधिक है।

2021–22 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान साधारण अर्थोपाय अग्रिमों, विशेष अर्थोपाय अग्रिमों और अधिविकर्षों पर भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान किया गया ब्याज निम्न प्रकार है :–

वर्ष	राशि *(₹ करोड़ में)*
2019-20	0.29
2020-21	13.85
2021-22	25.02

(ग) वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 95,202.87 करोड़ की राशि के भारत सरकार के कोषालय बिल 82 अवसरों में खरीदे गये तथा 176 अवसरों में ₹ 91,424.08 करोड़ पुन: बट्टे करवाये गये।

(घ) 31 मार्च 2022 को नकद शेष निवेश लेखे में हुए निवेशों का विश्लेषण निम्न प्रकार है :–

		राशि *(₹ करोड़ में)*
(i)	भारत सरकार के कोषालय बिल	8,218.75
(ii)	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	0.01
(iii)	राजस्थान सरकार की प्रतिभूतियां	0.03
(iv)	स्टर्लिंग प्रतिभूतियां	0.08
(v)	बैंकों के पास अल्पावधि जमा तथा अन्य लेखे	0.05
	योग	8,218.92

(ङ) वर्ष 2021–22 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के कोषालय बिलों की खरीद से रोकड़ शेष के निवेशों पर वसूल किया गया ब्याज ₹ 43.69 करोड़ था।

(च) 'रिजर्व बैंक के साथ जमा' के समक्ष शेष सरकारी लेखों के अनुसार शेष के द्योतक है जिसमें 15 अप्रैल 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किये गये अन्तर सरकार मौद्रिक परिशोधन शामिल है । लेखों में दर्शाये गये आंकड़े [₹ 281.72 करोड़ (नामे)] और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित [₹ 289.03 करोड़ (जमा)] के मध्य ₹ 7.31 करोड़ (नामे) का निवल अन्तर था। ₹ 7.25 करोड़ (नामे) का मिलान किया गया तथा समाशोधित किया गया । ₹ 0.06 करोड़ (नामे) का निवल अन्तर बकाया है तथा मिलान के अन्तर्गत है।

(छ) भारत सरकार की प्रतिभूतियों में राशि ₹ 170.55 करोड़ निवेशित किये गये। वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 6,088.60 करोड़ आपदा मोचन निधि (₹ 1,372.76 करोड़) तथा गारन्टी मोचन निधि (₹ 4,715.84 करोड़) से निवेशित किये गये। पृथक आरक्षित निधि में से किये गये निवेश का ब्यौरा, विवरण संख्या 22 में दिये गये हैं ।

विवरण संख्या 3 – प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

विवरण	वास्तविक 2021-22	वास्तविक 2020-21
	(₹ करोड़ में)	
I -समेकित निधि		
क. कर राजस्व		
क.1 स्वयं का कर राजस्व		
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	27,501.90	20,754.87
भू–राजस्व	631.48	279.32
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	6,491.91	5,297.27
राज्य उत्पाद शुल्क	11,807.34	9,853.00
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	20,605.40	17,479.04
माल तथा यात्रा पर कर	171.17	45.18
वाहन कर	4,758.92	4,368.17
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	222.45	62.96
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	11.21	1.23
विद्युत पर कर तथा शुल्क	2,606.19	2,142.39
अन्य (₹1 करोड़ से कम)	0.01	0.01
योग–क.1 स्वयं का कर राजस्व	74,807.98	60,283.44
क.2 कर के निवल आगम का भाग		
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी जी एस टी)	15,261.33	10,602.62
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई जी एस टी)	..	..
निगम कर	16,172.11	10,711.19
निगम कर से भिन्न आय पर कर	15,877.16	10,978.32
सम्पत्ति पर कर	3.37	..
सम्पदा शुल्क	3,863.52	1,910.39
संघ उत्पाद शुल्क	2,097.63	1,198.76
सेवा शुल्क	701.37	150.00
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	54.01	24.49
अन्य (₹1 करोड़ से कम)	0.11	..
योग–क. 2 कर के निवल आगम का भाग	54,030.61	35,575.77
योग–क. कर राजस्व	1,28,838.59	95,859.21

विवरण संख्या 3 – *(क्रमश:)*

विवरण	वास्तविक 2021-22	वास्तविक 2020-21
	(₹ करोड़ में)	
I -समेकित निधि– *(क्रमश:)*		
ख. करेत्तर राजस्व		
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	6,395.15	4,966.39
पेट्रोलियम	3,995.40	1,904.80
विविध सामान्य सेवाएं	2,591.41	747.01
ब्याज प्राप्तियां	1,628.18	2,693.15
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	700.98	805.34
पुलिस	532.37	192.54
श्रम एवं रोजगार	530.95	392.96
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	498.31	146.62
जलपूर्ति तथा सफाई	457.40	547.43
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	270.31	227.09
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	168.62	115.07
मुख्य सिंचाई	136.76	215.62
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूलियां	123.87	92.59
वानिकी एवं वन्य जीव	119.60	73.67
लोक निर्माण कार्य	108.88	92.98
लाभांश तथा लाभ	87.48	2.89
लोक सेवा आयोग	75.40	69.04
मध्यम सिंचाई	57.18	29.85
मछली पालन	41.35	52.00
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	40.93	25.04
सड़क एवं सेतु	38.80	31.83
बिजली	32.22	30.71
अन्य सामाजिक सेवाएं	21.83	16.23
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	17.50	25.13
लेखन सामग्री एवं मुद्रण	12.17	6.10
लघु सिंचाई	11.81	5.60
अन्य कृषि कार्यक्रम	11.56	11.24
फसल कृषि कर्म	11.42	10.47
पशु पालन	9.54	9.47
सहकारिता	9.40	95.75
आवास	7.49	7.79
शहरी विकास	3.96	3.93
उद्योग	2.27	0.75
अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.59	0.81
पर्यटन	1.07	0.64
ग्राम एवं लघु उद्योग	0.86	3.55

विवरण संख्या 3 – *(क्रमशः)*

विवरण	वास्तविक 2021-22	वास्तविक 2020-21
	(₹ करोड़ में)	
I -समेकित निधि–*(समाप्त)*		
ख. करेत्तर राजस्व – *(समाप्त)*		
जेल	0.55	0.59
परिवार कल्याण	0.22	0.13
सूचना एवं प्रसारण	0.10	0.21
भूमि सुधार	0.06	0.01
योग– ख. करेत्तर राजस्व	18,754.95	13,653.02
II – भारत सरकार से अनुदान		
ग. अनुदान		
केन्द्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान		
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
केन्द्रीय सहायता/हिस्सा	14,817.62	12,453.90
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं–केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	1.87	3.34
केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	148.40	141.81
घटाईये–वापसियां	(-) 2.64	(-) 3.62
वित्त आयोग अनुदान		
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	3,819.50	2,896.50
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,376.00	1,859.00
राज्य आपदा मोचन निधि हेतु सहायतार्थ अनुदान	1,184.80	1,481.00
राज्य आपदा शमन निधि हेतु सहायतार्थ अनुदान	296.20	..
स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु सहायतार्थ अनुदान	656.17	..
राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु सहायतार्थ अनुदान	9,878.00	..
अन्य स्थानान्तरण/विधानमण्डल वाले राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए अनुदान		
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	104.35	91.66
राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को अंशदान के लिए अनुदान (एन.डी.आर.एफ.)	..	68.65
विशेष सहायता	32.73	57.48
जी.एस.टी. के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति	3,746.34 (क)	5,632.84
अन्य अनुदान	267.14	113.09
योग–ग. अनुदान	36,326.48	24,795.65
योग–राजस्व प्राप्ति (क+ख+ग)	1,83,920.02	1,34,307.88

(क) समस्त राशि 2020–21 से सम्बन्धित है।

विवरण संख्या 3 – *(समाप्त)*

विवरण	वास्तविक 2021-22	वास्तविक 2020-21
	(₹ करोड़ में)	
III -पूंजी, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियां		
घ. पूंजीगत प्राप्तियां		
विनिवेश आगम	31.42	14.08
अन्य	..	..
योग– घ. पूंजीगत प्राप्तियां	31.42	14.08
ङ. लोक ऋण प्राप्तियां		
आंतरिक ऋण		
बाजार कर्ज	51,148.99	57,358.97
भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम	38,542.41	23,483.57
वित्तीय संस्थानों से कर्ज	2,320.64	1,914.90
अन्य कर्ज	15.30	70.40
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	..	0.83
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	..	(-) 0.05
केन्द्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	..	(-) 8.26
प्री–1984–85 कर्ज	..	0.01
राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज	9,335.97	7,143.64
योग – ङ. लोक ऋण प्राप्तियां	1,01,363.31	89,964.01
च. राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम (वसूलियां)*	2,373.59	373.52
योग–च. राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम (वसूलियां)	2,373.59	373.52
योग–समेकित निधि में प्राप्तियां (क+ख+ग+घ+ङ+च)	**2,87,688.34 @**	**2,24,659.49**

* ब्यौरे खण्ड 1 के विवरण संख्या 7 एवं खण्ड II के विवरण संख्या 18 में दिए गए हैं।

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (–) 0.04 करोड का अन्तर है ।

विवरण संख्या 4 - व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
		(₹ करोड़ में)		
क. सामान्य सेवाएं				
क.1 राज्य के अंग				
संसद/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	85.22	..	..	85.22
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	17.21	..	..	17.21
मंत्रि परिषद्	12.32	..	..	12.32
न्याय प्रशासन	1,324.92	..	..	1,324.92
चुनाव	121.03	..	..	121.03
योग क.1 राज्य के अंग	1,560.70	..	..	1,560.70
क.2 राजकोषीय सेवाएं				
भू–राजस्व	759.89	..	..	759.89
मुद्रांक एवं पंजीयन	191.64	..	..	191.64
राज्य उत्पाद शुल्क	158.68	..	..	158.68
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,243.85	..	..	1,243.85
वाहनों पर कर	161.86	..	..	161.86
राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण शुल्क	165.01	..	..	165.01
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	16.11	..	..	16.11
अन्य राजकोषीय सेवाएं	4.92	0.01	..	4.93
ब्याज अदायगियां *	28,100.46	..	..	28,100.46
योग क. 2 राजकोषीय सेवाएं	30,802.42	0.01	..	30,802.43
क.3 प्रशासनिक सेवाएं				
लोक सेवा आयोग	132.07	..	..	132.07
सचिवालय–सामान्य सेवाएं	250.51	..	..	250.51
जिला प्रशासन	573.42	..	..	573.42
खजाना तथा लेखा प्रशासन	364.44	..	..	364.44
पुलिस	7,067.37	227.51	..	7,294.88

* ब्याज अदायगियां राजकोषीय सेवाओं का हिस्सा नहीं हैं ।

विवरण संख्या 4 – *(क्रमशः)*

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – *(क्रमशः)*

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
		(₹ करोड़ में)		
क. सामान्य सेवाएं– *(समाप्त)*				
क.3 प्रशासनिक सेवाएं– *(समाप्त)*				
जेल	221.59	..	..	221.59
लेखन सामग्री तथा मुद्रण	29.35	..	..	29.35
लोक निर्माण कार्य	131.73	250.18	..	381.91
सर्तकता	6.47	..	..	6.47
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	314.84	5.83	..	320.67
योग क. 3 प्रशासनिक सेवाएं	9,091.79	483.52	..	9,575.31
क.4 पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं				
पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ	23,391.35	..	..	23,391.35
विविध सामान्य सेवाएं	560.13	..	..	560.13
योग क.4 पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	23,951.48	..	..	23,951.48
योग क. सामान्य सेवाएं	65,406.39	483.53	..	65,889.92
ख. सामाजिक सेवाएं				
ख.1 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति				
सामान्य शिक्षा	39,738.75	627.20 *	3.60	40,369.55
तकनीकी शिक्षा	365.51	..	..	365.51
खेलकूद तथा युवा सेवाएं	173.65	..	..	173.65
कला एवं संस्कृति	114.97	..	..	114.97
योग ख.1 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	40,392.88	627.20	3.60	41,023.68
ख.2 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	10,426.37	1,961.64	..	12,388.01
परिवार कल्याण	3,923.77	..	..	3,923.77
योग ख.2 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	14,350.14	1,961.64	..	16,311.78

* इसमें तकनीकी शिक्षा, खेलकूद तथा युवा सेवाएं तथा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 4 – *(क्रमशः)*

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – *(क्रमशः)*

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
		(₹ करोड़ में)		
ख. सामाजिक सेवाएं – *(क्रमशः)*				
ख.3 जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास				
जलपूर्ति तथा सफाई	4,072.35	4,917.78	..	8,990.13
आवास	72.92	42.73	..	115.65
शहरी विकास	6,470.86	3,067.98	10.31	9,549.15
योग ख.3 जलपूर्ति, सफाई , आवास तथा शहरी विकास	10,616.13	8,028.49	10.31	18,654.93
ख.4 सूचना तथा प्रसारण				
सूचना तथा प्रचार	146.57	1.19	..	147.76
योग ख.4 सूचना तथा प्रसारण	146.57	1.19	..	147.76
ख.5 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण				
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,785.58	187.48	..	1,973.06
योग ख.5 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	1,785.58	187.48	..	1,973.06
ख.6 श्रमिक तथा श्रम कल्याण				
श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	1,213.07	..	..	1,213.07
योग ख.6 श्रमिक तथा श्रम कल्याण	1,213.07	..	..	1,213.07
ख.7 समाज कल्याण तथा पोषण				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	12,079.02	3.14	100.00	12,182.16
पोषण	2,396.04	1.69	..	2,397.73
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	2,020.26	..	..	2,020.26
योग ख.7 समाज कल्याण तथा पोषण	16,495.32	4.83	100.00	16,600.15

विवरण संख्या 4 – *(क्रमशः)*

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – *(क्रमशः)*

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
		(₹ करोड़ में)		
ख. सामाजिक सेवाएं – *(समाप्त)*				
ख. 8 अन्य				
अन्य सामाजिक सेवाएं	19.15	140.18	..	159.33
सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	34.84	..	..	34.84
योग ख. 8 अन्य	53.99	140.18	..	194.17
योग ख. सामाजिक सेवाएं	85,053.68	10,951.01	113.91	96,118.60
ग. आर्थिक सेवाएं				
ग.1 कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया कलाप				
फसल कृषि–कर्म	4,460.66	96.17	103.44	4,660.27
मृदा तथा जल संरक्षण	61.78	..	..	61.78
पशु–पालन	1,717.49	93.84	..	1,811.33
डेयरी विकास	224.00	..	..	224.00
मछली पालन	15.62	0.56	..	16.18
वानिकी तथा वन्य प्राणी	706.79	325.68	..	1,032.48
खाद्य भडांरण एवं भाडांगार	..	..	40.00	40.00
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	250.70	34.51	..	285.21
सहकारिता	4,355.17	0.04	51.65	4,406.86
अन्य कृषि कार्यक्रम	299.25	..	..	299.25
योग ग.1 कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	12,091.46	550.80	195.09	12,837.35
ग.2 ग्राम विकास				
ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	879.20	..	..	879.20
ग्राम रोजगार	5,082.44	..	..	5,082.44
अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	10,502.45	1,000.65	..	11,503.10
योग ग.2 ग्राम विकास	16,464.09	1,000.65	..	17,464.74
ग.3 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.86	71.50	..	72.36
योग ग.3 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.86	71.50	..	72.36

विवरण संख्या 4 – *(क्रमश:)*

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – *(क्रमश:)*

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
		(₹ करोड़ में)		
ग. आर्थिक सेवाएं – *(क्रमश:)*				
ग.4 सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण				
मुख्य सिंचाई	1,716.34	2,820.89	..	4,537.23
मध्यम सिंचाई	261.10	202.68	..	463.78
लघु सिंचाई	159.05	445.37	..	604.42
सिंचित क्षेत्र विकास	21.78	100.39	..	122.17
बाढ़ नियंत्रण तथा निकास	..	8.45	..	8.45
योग ग.4 सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2,158.27	3,577.78	..	5,736.05
ग.5 ऊर्जा				
बिजली	22,644.27	1,145.88	33.27	23,823.42
पेट्रोलियम	1.74	867.10	..	868.84
नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा	1.49	128.46	..	129.95
योग ग.5 ऊर्जा	22,647.50	2,141.44	33.27	24,822.21
ग.6 उद्योग तथा खनिज				
ग्राम तथा लघु उद्योग	95.49	0.73	..	96.22
उद्योग	145.13	..	..	145.13
अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	199.32	0.11	..	199.43
उपभोक्ता उद्योग	..	..	0.40	0.40
उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	..	3.41	..	3.41
योग ग. 6 उद्योग तथा खनिज	439.94	4.25	0.40	444.59
ग.7 परिवहन				
सड़क तथा सेतु	2,991.23	4,161.86	..	7,153.09
सड़क परिवहन	782.28	648.87	0.15	1,431.30
अन्य परिवहन सेवाऐं	..	..	243.41	243.41
योग ग. 7 परिवहन	3,773.51	4,810.73	243.56	8,827.80

विवरण संख्या 4 – *(क्रमशः)*

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – *(समाप्त)*

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
		(₹ करोड़ में)		
ग. आर्थिक सेवाएं – *(समाप्त)*				
ग.9 विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	12.57	0.40	..	12.97
परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	4.96	..	..	4.96
योग ग. 9 विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	17.53	0.40	..	17.93
ग.10 सामान्य आर्थिक सेवाएं				
सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	39.72	..	..	39.72
पर्यटन	43.00	89.24	34.76	167.00
विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	..	..	0.25	0.25
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	597.70	..	..	597.70
सिविल पूर्ति	988.08	..	..	988.08
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	68.26	470.26	..	538.52
योग ग. 10 सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,736.76	559.50	35.01	2,331.27
योग ग. आर्थिक सेवाएं	59,329.92	12,717.05	507.33	72,554.30
घ. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान				
स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	0.04	..	..	0.04
योग घ. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	0.04	..	..	0.04
ङ. लोक ऋण				
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	..	..	55,008.79	55,008.79
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	..	..	1,119.39	1,119.39
योग ङ लोक ऋण	..	..	56,128.18	56,128.18
योग - समेकित निधि में व्यय (क+ख+ग+घ+ङ)	**2,09,790.03**	**24,151.59**	**56,749.42**	**2,90,691.04** *@

❊ इसमें आकस्मिकता निधि को विनियोजन से संबंधित ₹ 500.00 करोड़ सम्मिलित नही है ।

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) 0.02 करोड का अन्तर है ।

विवरण संख्या

ख . प्रकृति के

व्यय का उद्देश्य	2021-22		
	राजस्व	पूंजी	योग
	(₹ करोड़ में)		
संवेतन	56,601.62	83.91	56,685.53
सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	41,905.84	..	41,905.84
ब्याज/ लाभांश	28,101.27	..	28,101.27
सहाय्य	23,363.92	..	23,363.92
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	21,464.89#	..	21,464.89
मुख्य कार्य	..	12,696.17	12,696.17
पेंशन एवं उपदान	9,239.80*	..	9,239.80
निधि को स्थानान्तरण	6,839.23	..	6,839.23
सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	6,639.46	..	6,639.46
सड़क एवं पुल का निर्माण	..	5,676.49	5,676.49
पूंजीगत निवेश	..	3,722.12	3,722.12
विद्युत खर्च तथा जल खर्च	2,438.74	81.07	2,519.81
छात्रवृत्ति एवं वजीफा	1,942.92	..	1,942.92
अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान	1,926.47#	..	1,926.47
पूंजी लेखे पर ब्याज	1,508.48	..	1,508.48
उन्नयन एवं मानदेय पर व्यय	1,418.26	..	1,418.26
विभागों द्वारा विशिष्ठ सेवाओं पर व्यय	1,331.93	0.20	1,332.13
मरम्मत एवं रखरखाव	1,274.25	0.30	1,274.55
लघु कार्य	..	1,212.31	1,212.31
खाद्य सामग्री	1,035.10	..	1,035.10
कम्प्यूटराईजेशन तथा संबंधी संचार व्यय	632.53	388.14	1,020.67
जोड़िए–आनुपातिक व्यय	142.65	797.00	939.65
परिवहन, संग्रहण एवं वितरण व्यय	827.34	..	827.34
श्रम तथा रोजगार	811.87	0.01	811.88
सामग्री और प्रदाय	689.02	..	689.02
संविदा पर व्यय	683.66	0.32	683.98
मशीनरी तथा साज सामान/ औजार तथा संयत्र	221.61	420.67	642.28
पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान	578.69	..	578.69
मजदूरी	516.16	55.74	571.90
इनाम तथा क्षतिपूर्ति	3.87	514.47	518.34

यह आंकड़े पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (मुख्य शीर्ष 2071) से सम्बन्धित है ।

4 – *(क्रमशः)*

अनुसार व्यय

2020-21			2019-20		
राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*		
51,070.13	88.37	51,158.50	48,488.87	88.55	48,577.42
34,041.57	..	34,041.57	30,686.40	..	30,686.40
25,201.81	..	25,201.81	23,647.30	..	23,647.30
14,828.49	..	14,828.49	18,990.00	..	18,990.00
20,260.71	..	20,260.71	18,806.51	..	18,806.51
..	9,450.58	9,450.58	..	7,178.52	7,178.52
8,533.86	..	8,533.86	7,289.70	..	7,289.70
5,981.03	..	5,981.03	6,055.51	..	6,055.51
4,683.66	..	4,683.66	5,132.98	..	5,132.98
..	3,765.48	3,765.48	..	4,239.99	4,239.99
..	589.57	589.57	..	2,367.94	2,367.94
1,978.83	95.85	2,074.68	1,862.11	128.04	1,990.15
1,663.42	..	1,663.42	1,780.64	..	1,780.64
2,178.91	..	2,178.91	1,954.80	..	1,954.80
1,358.60	..	1,358.60	1,173.52	..	1,173.52
1,282.98	..	1,282.98	1,136.76	..	1,136.76
1,247.37	..	1,247.37	1,219.10	..	1,219.10
995.09	1.94	997.03	933.31	0.30	933.61
..	396.30	396.30	..	532.40	532.40
844.23	..	844.23	733.57	..	733.57
445.38	229.37	674.75	633.18	155.52	788.70
131.28	779.60	910.88	133.84	852.00	985.84
1,030.97	..	1,030.97	528.95	..	528.95
14.69	0.01	14.70	15.02	0.02	15.04
1,225.17	..	1,225.17	151.84	..	151.84
539.18	0.64	539.82	473.54	0.71	474.25
306.96	151.12	458.08	146.50	162.01	308.51
989.72	..	989.72	5,197.63	..	5,197.63
548.93	57.57	606.50	576.96	63.43	640.39
5.05	522.47	527.52	3.03	307.14	310.17

* इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर व्यय से सम्बन्धित ₹ 9,239.77 करोड़ तथा विशिष्ट और प्रशंसनीय सेवाओं के लिए पेंशन से सम्बन्धित ₹ 0.03 करोड़ सम्मिलित है ।

विवरण संख्या

ख . प्रकृति के

व्यय का उद्देश्य	2021-22 राजस्व	पूंजी	योग
	(₹ करोड़ में)		
कार्यालय व्यय	435.73	1.28	437.07
नहरें	..	258.23	258.23
वृत्तिक और विशिष्ठ सेवाएं	207.76	9.86	217.62
यात्रा व्यय	213.89	1.22	215.11
वानिकी	2.44	208.93	211.37
आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं उन्न्यन व्यय	..	192.53	192.53
भेषज और औषधिया	182.50	..	182.50
विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय	148.77	0.26	149.03
कार्य कलाप संबंधी वाहनों का संधारण	129.09	0.71	129.80
प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	120.56	0.22	120.78
चिकित्सा व्यय	119.43	0.81	120.24
पुस्तकालय एवं पत्र–पत्रिकाओं पर व्यय	119.15	..	119.15
वितरण व्यवस्था में सुधार	118.39	..	118.39
वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	92.51	0.10	92.61
वाहनों का किराया	87.59	1.51	89.10
निर्माण कार्य में राज्य हिस्सा	79.21	.. *	79.21
जल धाराएं तथा भूमिगत नालियां	..	72.40	72.40
विविध व्यय	49.44	..	49.44
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम	48.00	..	48.00
वाहनों का क्रय	21.51	25.63	47.14
कार्यकलाप वाहनों का चालू रखना एवं संधारण	39.85	0.04	39.89
डिक्री प्रभार	24.23	6.75	30.98
रसायनिक व्यय	28.94	..	28.94
किराया, दर और कर/ रायल्टियां	24.34	0.36	24.70
जैव चिकित्सा कचरा	17.67	..	17.67
बिस्तर एवं कपड़े	16.47	..	16.47
वापसी राशि पर देय ब्याज	12.11	..	12.11
लेखन सामग्री	11.28	..	11.28
छपाई व्यय	11.24	..	11.24

* ₹ 3,183 मात्र ।

4 – *(क्रमशः)*

अनुसार व्यय – ***(क्रमशः)***

2020-21			2019-20		
राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*		
380.26	1.52	381.78	323.80	1.68	325.48
..	56.22	56.22	..	69.76	69.76
94.02	5.50	99.52	105.03	4.04	109.07
186.63	0.94	187.57	224.62	1.37	225.99
2.55	72.36	74.91	1.61	66.56	68.17
..	92.67	92.67	..	152.58	152.58
160.65	..	160.65	164.55	..	164.55
138.64	0.32	138.96	116.91	0.47	117.38
96.13	0.86	96.99	122.35	0.87	123.22
92.68	0.30	92.98	80.12	0.34	80.46
77.57	0.99	78.56	74.29	0.49	74.78
54.82	..	54.82	67.60	..	67.60
74.40	..	74.40	78.86	..	78.86
83.72	0.12	83.84	30.36	0.13	30.49
80.95	1.20	82.15	80.96	0.93	81.89
81.87	0.01	81.88	83.22	..#	83.22
..	57.58	57.58	..	42.09	42.09
66.75	..*	66.75	64.62	..	64.62
45.00	..	45.00	43.00	..	43.00
5.23	31.54	36.77	13.31	38.77	52.08
29.38	0.04	29.42	30.99	0.05	31.04
11.10	0.12	11.22	21.05	0.10	21.15
20.60	..	20.60	20.17	..	20.17
21.87	0.47	22.34	36.90	0.44	37.34
15.38	..	15.38	10.54	..	10.54
22.64	..	22.64	12.25	..	12.25
0.87	..	0.87	5.26	..	5.26
9.43	..	9.43	8.32	..	8.32
6.00	..	6.00	7.65	..	7.65

* ₹ 7,012 मात्र ।

\# ₹ 8,561 मात्र ।

विवरण संख्या

ख . प्रकृति के

व्यय का उद्देश्य	2021-22 राजस्व	पूंजी	योग
	(₹ करोड़ में)		
विशेष क्रय	9.38	..	9.38
त्यौहार एवं प्रदर्शनी	9.18	..	9.18
मेस व्यवस्था	7.34	..	7.34
प्रकाशन	6.11	..	6.11
अनुसंधान मूल्यांकन	4.18	1.32	5.50
प्राकृतिक जल पर व्यय	4.86	..	4.86
सत्कार व्यय	3.39	..	3.39
गुप्त सेवा व्यय	3.05	..	3.05
स्कन्ध एवं भंडारण (विकलन)	1.12	0.22	1.34
सार्वजनिक निर्माण कार्य लेखा (विकलन)	1.00	0.10	1.10
प्रयोगशालाएं	1.05	..	1.05
शाखायें	..	0.98	0.98
अपलेखन/हानियाँ	..	..	..
घटाइये–शीर्ष:			
निधि से स्थानान्तरण	(-) 3,391.81	(-) 2,255.86	(-) 5,647.67
घटाइये–वसूलियां	(-) 1,368.20	(-) 21.62	(-) 1,389.82
स्कन्ध एवं संग्रहण (आंकलन)	(-) 1.05	(-) 2.52	(-) 3.57
सार्वजनिक निर्माण कार्य लेखा (आंकलन)	(-) 1.26	(-) 0.31	(-) 1.57
अन्य – ₹1 करोड़ से कम	..$	(-) 0.46	(-) 0.46
योग	**2,09,790.02**	**24,151.61**	**2,33,941.63** @

$ ₹ 9,783 मात्र ।

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) 0.02 करोड का अन्तर है ।

4 – *(समाप्त)*

अनुसार व्यय–*(समाप्त)*

2020-21			2019-20		
राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*		
8.70	..	8.70	7.65	..	7.65
8.15	..	8.15	26.39	..	26.39
6.64	..	6.64	9.23	..	9.23
4.15	..	4.15	8.37	..	8.37
2.69	0.90	3.59	5.20	..	5.20
5.21	..	5.21	4.50	..	4.50
2.65	..	2.65	5.29	..	5.29
2.79	..	2.79	3.66	..	3.66
0.84	0.16	1.00	0.93	0.48	1.41
1.18	0.15	1.33	0.89	0.28	1.17
0.86	..	0.86	1.20	..	1.20
..	3.26	3.26	..	3.51	3.51
..	..	..	136.18	..	136.18
(-) 3,685.96	(-) 1,136.10	(-) 4,822.06	(-) 2,063.26	(-) 1,524.39	(-) 3,587.65
(-) 1,293.98	(-) 48.66	(-) 1,342.64	(-) 1,239.44	(-) 215.56	(-) 1,455.00
(-) 0.81	(-) 0.55	(-) 1.36	(-) 0.97	(-) 2.35	(-) 3.32
(-) 0.86	(-) 0.30	(-) 1.16	(-) 0.65	(-) 1.16	(-) 1.81
..*	..	..	0.02	..#	0.02
1,78,309.41	**15,270.49**	**1,93,579.90**	**1,76,485.10**	**14,718.05**	**1,91,203.15**

* ₹ 8,890 मात्र ।

\# ₹ (-) 14,244 मात्र ।

विवरण संख्या 5– प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020–21 के दौरान व्यय	2020–21 तक का प्रगामी व्यय	2021–22 के दौरान व्यय	2021–22 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (–) प्रतिशत में
			(₹ करोड़ में)			
	क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
4047.	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.09	182.00	0.01	182.01	(+) 0.01
4055.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	163.95	1,643.42	227.51	1,870.93	(+) 13.84
4058.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	..	8.87	..	8.87	..
4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	229.06	3,725.93	250.18	3,976.11	(+) 6.71
4070.	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5.07	81.88	5.83	87.71	(+) 7.12
	योग–क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	398.17	5,642.10	483.53	6,125.63	(+) 8.57
	ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
	(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा					
4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1,280.49	4,649.13	627.20	5,276.33	(+) 13.49
	योग–(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा	1,280.49	4,649.13	627.20	5,276.33	(+) 13.49
	(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा					
4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	631.85	5,206.92	1,961.64	7,168.56	(+) 37.67
4211.	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	..	113.33	..	113.33	..
	योग–(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा	631.85	5,320.25	1,961.64	7,281.89	(+) 36.87

विवरण संख्या 5–*(क्रमशः)*

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020–21 के दौरान व्यय	2020–21 तक का प्रगामी व्यय	2021–22 के दौरान व्यय	2021–22 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (–) प्रतिशत में
			(₹ करोड़ में)			
ख . सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – ***(क्रमशः)***						
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा						
4215.	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,832.74	49,060.87	4,917.78	53,978.65	(+) 10.02
4216.	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	35.11	615.69	42.73	658.42	(+) 6.94
4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,483.67	14,142.04	3,067.98	17,210.02	(+) 21.69
	योग –(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	5,351.52	63,818.60	8,028.49	71,847.09	(+) 12.58
(घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा						
4220.	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	1.06	22.48	1.19	23.67	(+) 5.29
	योग –(घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा	1.06	22.48	1.19	23.67	(+) 5.29
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा						
4225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	253.24	3,467.93	187.48	3,655.41	(+) 5.41
	योग –(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा	253.24	3,467.93	187.48	3,655.41	(+) 5.41
(च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा						
4235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	14.58	278.73	3.14	281.87	(+) 1.13
4236.	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	4.87	327.94	1.69	329.63	(+) 0.52
	योग – (च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा	19.45	606.67	4.83	611.50	(+) 0.80

विवरण संख्या 5–*(क्रमश:)*

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020–21 के दौरान व्यय	2020–21 तक का प्रगामी व्यय	2021–22 के दौरान व्यय	2021–22 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (–) प्रतिशत में
			(₹ करोड़ में)			
ख . सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – ***(समाप्त)***						
(छ) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
4250.	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	103.97	928.91	140.18	1,069.09	(+) 15.09
	योग – (छ) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	103.97	928.91	140.18	1,069.09	(+) 15.09
	योग – ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	7,641.58	78,813.97	10,951.01	89,764.98	(+) 13.89
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा						
4401.	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	161.44	2,109.77	96.17	2,205.94	(+) 4.56
4402.	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	..	364.01	..	364.01	..
4403.	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	115.64	262.45	93.84	356.29	(+) 35.76
4404.	डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	..	7.47	..	7.47	..
4405.	मछली–पालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.94	18.22	0.56	18.78	(+) 3.07
4406.	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	126.38	2,206.75	325.68	2,532.43	(+) 14.76
4408.	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.46	..	0.46	..
4415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	..	16.00	34.51	50.51	(+) 215.69
4425.	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.03	472.49	0.04	460.84 (क)	(-) 2.47
4435.	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	..	46.90	..	46.90	..
	योग –(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा	404.43	5,504.52	550.80	6,043.63 (क)	(+) 9.79

(क) पूंजी विनिवेश के कारण राशि ₹ 11,69,02,785 वर्ष के अंत तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किया गया है ।

विवरण संख्या 5–*(क्रमश:)*

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020–21 के दौरान व्यय	2020–21 तक का प्रगामी व्यय	2021–22 के दौरान व्यय	2021–22 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (–) प्रतिशत में
			(₹ करोड़ में)			
	ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – *(क्रमश :)*					
	(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा					
4515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	239.15	7,078.89	1,000.65	8,079.54	(+) 14.14
	योग–(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा	239.15	7,078.89	1,000.65	8,079.54	(+) 14.14
	(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा					
4575.	अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	66.73	3,273.79	71.50	3,345.29	(+) 2.18
	योग –(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा	66.73	3,273.79	71.50	3,345.29	(+) 2.18
	(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा					
4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,878.99	19,189.42	2,820.89	22,010.31	(+) 14.70
4701.	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	231.06	2,715.87	202.68	2,918.55	(+) 7.46
4702.	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	372.02	5,753.57	445.37	6,198.94	(+) 7.74
4705.	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	84.95	2,537.55	100.39	2,618.58 (क)	(+) 3.19
4711.	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	19.15	401.41	8.45	409.86	(+) 2.11
	योग – (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	2,586.17	30,597.82	3,577.78	34,156.25 (क)	(+) 11.63
	(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा					
4801.	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	403.49	47,951.11	1,145.88	49,096.99	(+) 2.39
4802.	पैट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	186.22	631.81	867.10	1,498.91	(+) 137.24
4810.	नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	..	1.22	128.46	129.68	(+) 10529.51
	योग –(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	589.71	48,584.14	2,141.44	50,725.58	(+) 4.41

(क) पूंजी विनिवेश के कारण राशि ₹ 19,36,45,000 वर्ष के अंत तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किया गया है ।

विवरण संख्या 5–*(क्रमश:)*

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020–21 के दौरान व्यय	2020–21 तक का प्रगामी व्यय	2021–22 के दौरान व्यय	2021–22 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (–) प्रतिशत में
			(₹ करोड़ में)			
	ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – *(क्रमश :)*					
	(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा					
4851.	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.30	79.91	0.73	80.64	(+) 0.91
4852.	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.02	..	0.02	..
4853.	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	198.53	0.11	198.64	(+) 0.06
4857.	रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	1.15	..	1.15	..
4858.	इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.24	..	0.24	..
4860.	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	(-) 0.24	222.32	..	221.95 (क)	(-) 0.17
4875.	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.11	..	0.11	..
4885.	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	49.69	498.43	3.41	501.84	(+) 0.68
	योग –(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा	49.75	1,000.71	4.25	1,004.59 (क)	(+) 0.39
	(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा					
5002.	भारतीय रेल–वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय	..	.. *	..	.. *	..
5053.	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	..	4.49	..	4.49	..
5054.	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,004.93	32,940.91	4,161.86	37,102.77	(+) 12.63
5055.	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	..	613.17	648.87	1,262.04	(+) 105.82
	योग –(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा	3,004.93	33,558.57	4,810.73	38,369.30	(+) 14.34

(क) पूंजी विनिवेश के कारण राशि ₹ 37,00,000 वर्ष के अंत तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किया गया है । * मात्र ₹ 23,465।

विवरण संख्या 5–*(क्रमश:)*

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020–21 के दौरान व्यय	2020–21 तक का प्रगामी व्यय	2021–22 के दौरान व्यय	2021–22 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (–) प्रतिशत में
			(₹ करोड़ में)			
	ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – *(समाप्त)*					
	(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा					
5425.	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.28	22.70	0.40	23.10	(+) 1.76
	योग – (झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा	0.28	22.70	0.40	23.10	(+) 1.76
	(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
5452.	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	19.47	474.27	89.24	563.51	(+) 18.82
5465.	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	..	76.11	..	76.11	..
5475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	270.12	3,435.28	470.26	3,905.54	(+) 13.69
	योग –(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	289.59	3,985.66	559.50	4,545.16	(+) 14.04
	योग –ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	7,230.74	1,33,606.80	12,717.05	1,46,292.43 (क)	(+) 9.49
	कुल योग	**15,270.49**	**2,18,062.87**	**24,151.59**	**2,42,183.04** (क) एवं @	**(+) 11.06**

(क) पृष्ठ संख्या 28,29 तथा 30 पर पाद टिप्पणी (क) देखें।

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (–) 0.01 करोड का अन्तर है ।

विवरण संख्या 5–*(समाप्त)*

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. *पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिफल* :– निम्नलिखित योजनाओं के प्रोफार्मा लेखे विभागों द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं :–

विभाग तथा उनके उपक्रमों का नाम	वर्ष जब से लेखे बकाया हैं	अभ्युक्तियां
भू–जल विभाग		
(1) जोधपुर में पम्पिंग सैटों के क्रय और विक्रय की योजना	1975–76 से 1987–88 (नवम्बर, 1987 तक)	योजना दिसम्बर, 1987 से गैर–वाणिज्यिक घोषित कर दी गई लेकिन इस अवधि से पूर्व की लेखापरीक्षा से मुक्त नहीं किया गया। लेखे प्रतीक्षित हैं।
(2) राजस्थान भू–जल विभाग, जोधपुर	1974–75 से 1987–88 (नवम्बर 1987 तक)	योजना दिसम्बर, 1987 से गैर–वाणिज्यिक घोषित कर दी गई लेकिन इस अवधि से पूर्व की लेखापरीक्षा से मुक्त नहीं किया गया। लेखे प्रतीक्षित हैं।
लोक स्वास्थ्य तथा अभियांत्रिकी विभाग		
(1) राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज प्रबन्धन बोर्ड, जयपुर	2018–19	लेखे प्रतीक्षित हैं।

2. *सरकार के निवेश*:– वर्ष 2021-22 में सरकार ने सांविधिक निगम (₹ 849.88 करोड़), सरकारी कम्पनियों (₹ 1,758.63 करोड़), संयुक्त पूंजी कम्पनियों (₹ 1,093.84 करोड़) तथा सहकारी बैंकों और समितियों (₹ (-) 11.65 करोड़) की अंश पूंजी में ₹ 3,690.70 करोड़ (निवल) निवेश किये। ब्यौरे विवरण संख्या 19 में दिये गये हैं।

   2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के अंत में विभिन्न संस्थाओं की अंश पूंजी में सरकारी निवेश क्रमश: ₹ 52,208.91 करोड़ , ₹ 52,784.40 करोड़ तथा ₹ 56,475.10 करोड़ था। उनसे प्राप्त लाभांश और ब्याज क्रमश: ₹ 54.47 करोड़ (0.10*प्रतिशत*), ₹ 2.89 करोड़ (0.01 *प्रतिशत*) तथा ₹ 87.48 करोड़ (0.15 *प्रतिशत*) था। ब्यौरे विवरण संख्या 8 तथा 19 में दिये गये हैं।

3. कतिपय सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम परिशिष्ट संख्या –VIII में दिये गये हैं।

विवरण संख्या – 6 उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण

(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण

ऋण का स्वरूप	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2022 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ कमी (–) राशि	%	कुल दायित्व का प्रतिशत
			(₹ करोड़ में)				
क. लोक ऋण *							
6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण							
बाजार कर्ज	2,20,037.97	51,148.99	6,000.00	2,65,186.96	(+) 45,148.99	20.52	57.30
प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र	42,970.54	..	6,905.75	36,064.79	(-) 6,905.75	16.07	7.79
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	8,903.31	2,320.64	1,899.71	9,324.24	(+) 420.93	4.73	2.02
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	..	38,542.41 #	38,542.41 #	..	..	..	..
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	12,238.79	..	1,584.76	10,654.03	(-) 1,584.76	12.95	2.30
अन्य कर्ज	638.17	15.30	76.15	577.32	(-) 60.85	9.54	0.12
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम							
योजनेत्तर कर्ज	15.55	..	3.08	12.47	(-) 3.08	19.81	..
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज	2,245.17	..	509.05	1,736.12	(-) 509.05	22.67	0.38
केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिये कर्ज	3.05	..	..	3.05	..	..	..
1984–85 से पूर्व के कर्जे	5.41	..	..	5.41	..	..	..
राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज	21,262.97	9,335.97	607.25	29,991.69	(+) 8,728.72	41.05	6.48
योग–क. लोक ऋण	3,08,320.93	1,01,363.31	56,128.16	3,53,556.08	(+) 45,235.15	14.67	76.39

* विस्तृत लेखा खण्ड II के विवरण संख्या 17 में दिया गया है।

इसमें ₹ 912.84 करोड़ का साधारण अर्थोपाय अग्रिम तथा ₹ 37,629.57 करोड़ का विशेष अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित है।

विवरण संख्या 6 – *(क्रमशः)*

(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण –*(क्रमशः)*

ऋण का स्वरूप	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2022 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ कमी (–) राशि	%	कुल दायित्व का प्रतिशत
			(₹ करोड़ में)				
ख. अन्य दायित्व *							
लोक लेखे							
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	56,325.69	14,000.70	11,540.02	58,786.37	(+) 2,460.68	4.37	12.70
ब्याज वाली आरक्षित निधियां	4,528.64	2,247.63	3,431.81	3,344.46	(-) 1,184.18	26.15	0.72
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	4,610.39	6,864.29	8,491.03	2,983.65	(-) 1,626.74	35.28	0.65
ब्याज वाली जमा	11,270.35	6,031.55	3,850.73	13,451.17	(+) 2,180.82	19.35	2.90
बिना ब्याज वाली जमा	25,443.46	2,10,208.43	2,04,928.52	30,723.37	(+) 5,279.91	20.75	6.64
योग–ख अन्य दायित्व	1,02,178.53	2,39,352.60	2,32,242.11	1,09,289.02	(+) 7,110.49	6.96	23.61
कुल योग	**4,10,499.46**	**3,40,715.91**	**2,88,370.27**	**4,62,845.10** @	**(+) 52,345.64**	**12.75**	**100.00**

* विस्तृत लेखा खण्ड II के विवरण संख्या 21 में दिया गया है।

राज्य विधान मण्डल द्वारा ''राजस्थान राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2021'' पारित किया गया है । इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार कुल बकाया ऋण को वित्तीय वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 38.20 *प्रतिशत* तक सीमित रखेगी। 2021–22 के दौरान राज्य का वास्तविक ऋण (जी एस टी मुआवजे के बदले ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872.29 करोड़ को छोड़कर) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 37.70 *प्रतिशत* (आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ₹ 11,96,137 करोड़) था।

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) 0.03 करोड का अन्तर है ।

विवरण संख्या 6–*(क्रमशः)*

(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण –*(समाप्त)*

व्याख्यात्मक टिप्पणीयां

1. **परिशोधन व्यवस्था –**

   (क) *खुले बाजार से कर्जे* – वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है।

   (ख) *भारत सरकार से लिए गए कर्जे* – इन बॉण्डों और ऋणों के परिशोधन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

2. **अल्प बचत निधि से कर्जे –** डाकघरों में ''अल्प बचत योजनाएं'' तथा ''लोक भविष्य निधि'' में संग्रहित राशि में से कर्जे राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार में 3:1 के अनुपात में बांटे गये हैं। वर्ष 1999–2000 में लघु बचत संग्रहण में से कर्जे जारी करने के उद्देश्य से ''राष्ट्रीय लघु बचत निधि'' के नाम से एक अलग निधि की स्थापना की गयी। वर्ष 2021-22 के दौरान निधि से कर्ज नहीं लिया गया एवं वर्ष के दौरान ₹ 1,584.76 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। वर्ष के अंत में ₹ 10,654.03 करोड़ का शेष बकाया था जो 31 मार्च 2022 को राज्य सरकार के कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का 2.30 *प्रतिशत* था।

3. **भारत सरकार से लिए गए कर्जे तथा अग्रिम– *ऋण भार में वृद्धि* –** 2021–22 के दौरान भारत सरकार से लिए गये कर्ज तथा अग्रिम के शेष में ₹ 8,216.59 करोड़ से वृद्धि हुई जो मुख्यत: राज्य/विधानमंडल सहित संघ राज्य योजनाओं के लिए अधिक कर्जे प्राप्त होने के कारण रही।

   31 मार्च 2022 को भारत सरकार से प्राप्त कर्जे उसी तिथि को राज्य सरकार के कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के 6.86 *प्रतिशत* के संगठक रहा।

4. **राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण – *ब्याज वाले बाजार कर्ज* –** इनके अन्तर्गत खुले बाजार से लिये गये लम्बी अवधि के कर्जे और मुआवजे के भुगतान हेतु जारी किए बॉण्ड आते हैं।

   2021–22 के दौरान ₹ 51,149.00 करोड़ के अट्टावन ऋण लिये गये। ये ऋण 6.01 *प्रतिशत* से 7.65 *प्रतिशत* के बीच की ब्याज दर के थे तथा 2025 से 2046 में प्रतिदेय हैं।

   31 मार्च 2022 तक सरकार द्वारा लिये गये कर्जों एवं बकायों का ब्यौरा, विवरण संख्या 17 के अनुबंध में दिया गया हैं। बाजार कर्जों का बकाया शेष राज्य सरकार के कुल लोक ऋण लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का 57.30 *प्रतिशत* था।

   नितान्त अस्थायी प्रकृति के कोई उधार नहीं थे।

5. **अन्य कर्जे–** वित्तीय संस्थाओं से लिये गये कर्जे जैसे कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक (₹ 2,320.64 करोड़) से कर्जे हैं। ₹ 15.30 करोड़ का कर्ज राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड से लिया गया। ये कर्जे वर्ष के दौरान उधार के संघटक हैं। अन्य कर्जों का कुल बकाया शेष राज्य सरकार के लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का 9.93 *प्रतिशत* था।

6. **परिपक्व रूपरेखा**–लोक ऋणों की परिपक्व रूपरेखा, पुनर्भुगतान समयावधि तथा बकाया ऋणों के ब्याज दर, विवरण संख्या 17 में दी गई है।

7. **ऋण घटाने या उसके परिहार के लिए विनियोजन**–निक्षेप निधि अस्तित्व में नहीं है।

विवरण संख्या 6– *(क्रमश:)*

(ii) ऋण सेवा

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज:– 2020–21 तथा 2021–22 के दौरान बकाया सकल ऋण तथा अन्य दायित्वों और राजस्व से पूरित ब्याज प्रभार की कुल निवल राशि नीचे दर्शायी गयी हैं :–

		2021–22	2020–21	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) या कमी (–)
			(₹ करोड़ में)	
(i) वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण तथा अन्य दायित्व				
(क) लोक ऋण तथा अल्प बचत,भविष्य निधियों आदि पर		4,12,342.45	3,64,646.62	(+) 47,695.83
(ख) अन्य दायित्वों पर		50,502.65	45,852.84	(+) 4,649.80
	योग– (i)	4,62,845.10	4,10,499.46	(+) 52,345.63
(ii) सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज				
(क) लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर		27,426.83	24,851.58	(+) 2,575.25
(ख) अन्य दायित्वों पर आरक्षित निधियों सहित		626.21	350.23	(+) 275.98
	योग– (ii)	28,053.04	25,201.81	(+) 2,851.23
(iii) घटाइए				
(क) सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और उधारों पर प्राप्त ब्याज		55.21	1,253.20	(-) 1,197.99
(ख) रोकड़ शेषों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज		43.69	23.38	(+) 20.31
	योग – (iii)	98.90	1,276.58	(-) 1,177.68

विवरण संख्या 6–*(समाप्त)*

(ii) ऋण सेवा –*(समाप्त)*

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज–(समाप्त)

	2021–22	2020–21	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) या कमी (–)
		(₹ करोड़ में)	
(iv) ब्याज प्रभारों की निवल राशि (ii) - (iii)	27,954.14	23,925.23	(+) 4,028.91
(v) सकल ब्याज का प्रतिशत –मद (ii) का कुल राजस्व प्राप्तियों पर	15.25	18.76	(-) 3.51
(vi) निवल ब्याज का प्रतिशत –मद (iv) का कुल राजस्व प्राप्तियों पर	15.20	17.81	(-) 2.61

इनके अतिरिक्त ₹ 1,529.28 करोड़ के कुल कतिपय अन्य प्राप्तियां और समायोजन भी थे, जैसे वाणिज्यिक विभागों से प्राप्त ब्याज, राजस्व की बकाया पर ब्याज तथा 'विविध' खाते पर ब्याज। यदि इन्हें भी घटा दिया जाये तो, राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 26,424.86 करोड़ होगा, जो कि राजस्व का 14.37 *प्रतिशत* है।

वर्ष के दौरान सरकार ने विभिन्न उपक्रमों में निवेश पर ₹ 87.48 करोड़ लाभांश के रूप में भी प्राप्त किये।

विवरण संख्या 7– सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विवरण

खण्ड1: कर्जे तथा पेशगियों का सारांश: कर्जदार समूहवार

कर्जदार समूह	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान की गई	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये कर्ज तथा उधार	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि/ कमी	भुगतान योग्य बकाया ब्याज
			(₹ करोड़ में)				
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं	152.16	46.60	4.80	..	193.96	(+) 41.80	उपलब्ध नहीं
सरकारी कम्पनियां	5,914.96	68.43	1,123.01	..	4,860.38	(-) 1,054.58	उपलब्ध नहीं
नगर पालिकाएं/नगर परिषद/नगर निगम	192.56	..	2.44	..	190.12	(-) 2.44	उपलब्ध नहीं
आवासन मंडल	4.43	..	0.03	..	4.40	(-) 0.03	उपलब्ध नहीं
पंचायती राज संस्थाएं	1.81	..	..	..	1.81	..	उपलब्ध नहीं
शहरी विकास प्राधिकरण	1,231.23	10.31	364.49	..	877.05	(-) 354.18	उपलब्ध नहीं
सांविधिक निगम	634.28	0.15	630.37	..	4.06	(-) 630.22	उपलब्ध नहीं
सहकारी समितियां/सहकारी निगम/बैंक	748.78	51.65	18.78	..	781.65	(+) 32.87	उपलब्ध नहीं
अन्य	1,085.20	444.10	229.66	..	1,299.64	(+) 214.44	उपलब्ध नहीं
योग	**9,965.41**	**621.24**	**2,373.58**	**..**	**8,213.07** @	**(-) 1,752.34**	**उपलब्ध नहीं**

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) 0.01 करोड का अन्तर है ।

विवरण संख्या 7 – *(क्रमश:)*

खण्ड 2: कर्जे तथा पेशगियों का सारांश: खण्डवार *

कर्जदार समूह	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान की गई	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये कर्ज तथा उधार	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि/ कमी	भुगतान योग्य बकाया ब्याज
			(₹ करोड़ में)				
सामान्य सेवाएं	..	..	..	..	..	..	..
सामाजिक सेवाएं	2,205.62	113.91	653.01	..	1,666.52	(-) 539.10	उपलब्ध नहीं
आर्थिक सेवाएं	7,761.65	507.33	1,720.54	..	6,548.44	(-) 1,213.21	उपलब्ध नहीं
सरकारी कर्मचारी	(-) 2.18	..	0.05	..	(-) 2.23 (क)	(-) 0.05	उपलब्ध नहीं
विविध प्रयोजन	0.32	..	..	..	0.32	..	उपलब्ध नहीं
योग – कर्ज तथा उधार	**9,965.41**	**621.24**	**2,373.60**	**..**	**8,213.05** @	**(-) 1,752.36**	**उपलब्ध नहीं**

✲ ब्यौरे के लिये खण्ड II का विवरण संख्या 18 देखें।

(क) *ऋणात्मक* शेष विचाराधीन हैं।

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (–) 0.01 करोड का अन्तर है ।

विवरण संख्या –7 *(क्रमश:)*

खण्ड 3: ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	31 मार्च 2022 को बकाया राशि			शीघ्रतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च 2022 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		

सूचना उपलब्ध नहीं है

(क) **महालेखाकार कार्यालय द्वारा संधारित विस्तृत कर्ज लेखे :** कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) द्वारा कोई ऋण खाता संधारित नहीं किया जाता है।

(ख) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 1,181.97 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 138.07 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,350.09 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,043.72 करोड़) और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,061.41 करोड़) के मामले में मार्च 2022 के अन्त तक कुल ₹ 4,775.26 करोड़ कर्जे के बकाया थे ।

विवरण संख्या 7 –*(समाप्त)*

खण्ड 3: ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश –*(समाप्त)*

(ग) राज्य सरकार द्वारा संधारित विस्तृत कर्ज लेखे :– निश्चित श्रेणी के कर्जों (2021– 22 के अन्त तक कुल बकाया राशि ₹ 3,437.80 @ करोड़) के ब्यौरेवार लेखे राज्य सरकार के 26 नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं । सरकार के आदेशों के अधीन कर्जे की किश्तों और ब्याज की बकाया वसूली के ब्यौरे महालेखाकार को प्रति वर्ष जून तक भेजने के लिये नियंत्रक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है। विभिन्न विभागों द्वारा संधारित कर्जो से सम्बन्धित मूलधन तथा ब्याज के बीतकाल बकाया के विवरण का ब्यौंरा परिशिष्ट–VII के अधीन दिखाया गया है।

2021–22 के लिये देय 161 विवरणों में से 31 जुलाई 2022 तक केवल 67 विवरण प्राप्त हुए । इन विवरणों में 31 मार्च 2022 को ब्याज रहित ₹ 2,252.00 करोड़ वसूली के बकाया प्रकट हुए । विश्लेषण निम्न प्रकार है :–

क्रम संख्या		लेखा शीर्ष	31 मार्च 2022 को बकाया राशि	बकाया रही वसूलियां	
				मूलधन	ब्याज
				(₹ करोड़ में)	
1.	6217.	शहरी विकास के लिए कर्ज		827.56	827.56 ..
2.	6235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज		555.00	555.00 ..
3.	6245.	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज		0.63	0.63 ..
4.	6250.	अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज		1.38	1.38 ..
5.	6401.	फसल कृषि–कर्म के लिए कर्ज		20.02	20.02 ..
6.	6402.	भूमि एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज		0.08	0.08 ..
7.	6408.	खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज		0.01	0.01 ..
8.	6425.	सहकारिता के लिए कर्ज		778.10	778.10 ..
9.	6705.	कमान क्षेत्र के लिए कर्ज		0.09	0.09 ..
10.	6851.	ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज		1.76	1.76 ..
11.	6860.	उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज		13.96	13.96 ..
12.	6885.	उद्योगों तथा खनिजों के लिए अन्य कर्ज		26.61	26.61 ..
13.	7452.	पर्यटन के लिए कर्ज		26.76	26.76 ..
14.	7475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज		0.04	0.04 ..
		योग		**2,252.00**	**2,252.00 ..**

@ इसमें सरकारी कर्मचारियों को दिये गये कर्ज [₹(–) 2.23 करोड़)] शामिल है, जिनके विस्तृत लेखे राज्य सरकार के विभागीय अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं, किन्तु वसूलियों को अतिदेय नहीं बताया गया है ।

विवरण संख्या 8 – सरकार के निवेशों का विवरण

वर्ष 2021–22 तथा 2020–21 के लिए विभिन्न संस्थाओं की अंशपूंजी तथा ऋण–पत्रों में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश *

संस्था का नाम #	2021-22			2020-21		
	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज की प्राप्ति	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज की प्राप्ति
		(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*	
1. सांविधिक निगम	7	1,614.22	2.14	7	764.34	0.18
2. ग्रामीण बैंक	2	73.69	..	2	73.69	..
3. सरकारी कम्पनियां	44	52,012.52 (क)	83.05	44	50,253.97	2.29
4. संयुक्त पूंजी कम्पनियां, संयुक्त स्कंध कम्पनियां और साझेदारी संस्थाएं	36	2,198.66 (क)	..	34	1,104.74	..
5. सहकारी बैंक तथा समितियां	**	576.01	2.29	**	587.66	0.42
योग	**89**	**56,475.10**	**87.48**	**87**	**52,784.40**	**2.89**

* ब्यौरे के लिए खण्ड II का विवरण संख्या 19 का भाग 1 देखें।

\# सूचना का स्त्रोत : राज्य सरकार ।

** सहकारी बैंकों तथा समितियों की संख्या से संबंधित सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है (जुलाई 2022)।

(क) गुड्स एवं सर्विसेज नेटवर्क कंपनी में ₹ 0.08 करोड़ का निवेश सरकारी कंपनियों से संयुक्त उद्यम कंपनियों को प्रोफार्मा से स्थानांतरित किया गया है।

विवरण संख्या – 9 सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का विवरण

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जे आदि के पुर्नभुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दी गई गारन्टियां तथा 31 मार्च 2022 को विभिन्न क्षेत्रों में बकाया गारन्टियों का योग#

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि *	वर्ष 2021–22 के प्रारम्भ में बकाया *	वर्ष के दौरान बढ़त*	घटत* (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	वर्ष के दौरान याचिका		वर्ष 2021–22 के अन्त में बकाया *	गारन्टी कमीशन अथवा फीस		अन्य आवश्यक विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई		प्राप्त होने योग्य	प्राप्त	
				(₹ करोड़ में)						
वर्ग (1)										
ऊर्जा (5)	1,42,025.59	69,555.53	19,194.75	9,069.26	..	..	79,681.02	949.16	500.31 (क)	..
सहकारी समितियाँ (6)	7,229.66	2,791.29	2,350.14	4,000.76	..	..	1,140.67	4.46	4.46	..
सड़क तथा परिवहन (1)	4,621.48	2,944.73	600.00	324.91	..	..	3,219.82	60.09	60.09	..
राज्य वित्तीय निगम (2)	900.00	226.00	500.00	91.10	..	..	634.90	1.85	1.85	..
नगरीय विकास और आवासन (6)	9,728.56	4,408.16	387.62	543.30	..	..	4,252.48	12.85	12.85	..
अन्य कोई (4)	8,179.03	2,686.74	4,580.00	327.56	..	..	6,939.18	7.29	7.29	..
योग	**1,72,684.32**	**82,612.45**	**27,612.51**	**14,356.89**	**..**	**..**	**95,868.07** @	**1,035.70**	**586.85** (क)	**..**

\# सूचना का स्त्रोत : राज्य सरकार ।

* गारन्टी में ब्याज, यदि कोई हो,सम्मिलित है।

(क) ₹ 448.85 करोड़ वर्ष के दौरान बकाया है।

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (–) 0.01 करोड का अन्तर है ।

विवरण संख्या 10 – सरकार द्वारा दी गई सहायतार्थ अनुदान का विवरण

(i) वर्ष 2021–22 के दौरान सहायतार्थ–अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां			जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग
			(₹ करोड़ में)			
1. स्थानीय शहरी निकाय						
(i) नगर निगम	1,668.49	462.30	2,130.79	..	..	..
(ii) नगर पालिकाएं/नगर परिषदें	2,249.22	1,162.18	3,411.40	..	..	..
योग – स्थानीय शहरी निकाय	**3,917.71**	**1,624.48**	**5,542.19**	**..**	**..**	**..**
2. पंचायती राज संस्थाएं						
(i) जिला परिषदें	4,966.87	4,745.43	9,712.30	348.11	..	348.11
(ii) पंचायत समितियां	4,872.69	785.76	5,658.45	..	..	..
(iii) ग्राम पंचायतें	3,268.09	2,946.66	6,214.75	..	..	..
योग– पंचायती राज संस्थाएं	**13,107.65**	**8,477.85**	**21,585.50**	**348.11**	**..**	**348.11**
3. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम						
(i) सांविधिक निगम	721.70	0.89	722.59	..	..	..
(ii) सरकारी कम्पनियां	702.54	25.00	727.54	..	..	..
योग – सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	**1,424.24**	**25.89**	**1,450.13**	**..**	**..**	**..**

विवरण संख्या 10 – *(क्रमश:)*

(i) वर्ष 2021-22 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण-*(क्रमश:)*

अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां			जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग
			(₹ करोड़ में)			
4. गैर सरकारी संगठन						
अन्य	96.11	..	96.11	33.62	..	33.62
योग – गैर सरकारी संगठन	**96.11**	**..**	**96.11**	**33.62**	**..**	**33.62**
5. स्वायत्तशासी निकाय						
विश्वविद्यालय/ शैक्षिक संस्थाएं	1,377.87	15.94	1,393.81	19.34	..	19.34
योग – स्वायत्तशासी निकाय	**1,377.87**	**15.94**	**1,393.81**	**19.34**	**..**	**19.34**
6. सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं						
सहकारी संस्थाएं	4,492.68	..	4,492.68	20.50	..	20.50
योग – सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं	**4,492.68**	**..**	**4,492.68**	**20.50**	**..**	**20.50**
7. सांविधिक निकाय तथा विकास प्राधिकरण						
विकास प्राधिकरण	28.48	..	28.48	..	..	..
योग – सांविधिक निकाय तथा विकास प्राधिकरण	**28.48**	**..**	**28.48**	**..**	**..**	**..**

विवरण संख्या 10 – *(क्रमश:)*

(i) वर्ष 2021–22 के दौरान सहायतार्थ–अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण- *(क्रमश:)*

अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां			जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग
			(₹ करोड़ में)			
8. अन्य						
(i) राज्य विधान मंडल	0.24	..	0.24	..	..	..
(ii) बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,016.43	..	1,016.43	6.74	..	6.74
(iii) राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत संगहण प्रभार	10.40	..	10.40	..	..	..
(iv) सचिवालय–सामान्य सेवाएं	1.00	..	1.00	..	..	..
(v) कोषालय तथा लेखा प्रशासन	0.01	..	0.01	..	..	..
(vi) पुलिस	1.43	..	1.43	..	..	..
(vii) जेल	0.56	..	0.56	..	..	..
(viii) अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1.17	..	1.17	..	..	..
(ix) शिक्षा	1,181.37	975.58	2,156.95	..	..	..
(x) तकनीकी शिक्षा	1.78	..	1.78	..	..	..
(xi) खेल एवं युवा सेवाएं	136.39	..	136.39	..	..	..
(xii) कला एवं संस्कृति	39.01	..	39.01	1.21	..	1.21
(xiii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	1,507.34	31.89	1,539.23	..	..	..
(xiv) परिवार कल्याण	1,158.62	1,745.18	2,903.80	46.96	41.84	88.80
(xv) शहरी विकास	235.19	49.00	284.19	54.23	..	54.23
(xvi) सूचना एवं प्रचार	6.00	..	6.00	..	..	..
(xvii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	124.48	95.89	220.37	..	..	..

विवरण संख्या 10 – *(क्रमशः)*

(i) वर्ष 2021-22 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण- *(क्रमशः)*

अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां			जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग
			(₹ करोड़ में)			
8. अन्य - *(क्रमशः)*						
(xviii) श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	399.37	3.45	402.82	..	..	..
(xix) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	313.53	32.35	345.88	..	..	..
(xx) पोषण	98.64	3.57	102.21	..	..	..
(xxi) प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	301.06	870.47	1,171.53	..	..	..
(xxii) अन्य सामाजिक सेवाएं	0.67	..	0.67	..	..	..
(xxiii) फसल कृषि कर्म	2,814.06	61.39	2,875.45	..	..	..
(xxiv) पशु पालन	648.53	0.60	649.13	5.72	..	5.72
(xxv) मछली पालन	1.49	2.23	3.72	..	..	..
(xxvi) वन	215.47	..	215.47	0.05	..	0.05
(xxvii) सहकारिता	0.94	..	0.94	..	..	..
(xxviii) अन्य कृषि कार्यक्रम	275.76	12.08	287.84	..	..	..
(xxix) मुख्य सिंचाई	3.08	..	3.08	..	..	..
(xxx) मध्यम सिंचाई	6.71	..	6.71	0.02	..	0.02
(xxxi) ग्राम एवं लघु उद्योग	71.48	..	71.48	0.35	..	0.35
(xxxii) उद्योग	62.78	..	62.78	..	..	..
(xxxiii) सड़क परिवहन	13.99	..	13.99	..	..	..
(xxxiv) अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.11	..	0.11	..	..	..

विवरण संख्या 10 – *(क्रमश:)*

(i) वर्ष 2021–22 के दौरान सहायतार्थ–अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण- *(समाप्त)*

अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां			जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग
			(₹ करोड़ में)			
8. अन्य - *(समाप्त)*						
(xxxvi) पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	0.94	..	0.94	..	..	..
(xxxvii) सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	0.90	..	0.90	..	..	..
(xxxviii) पर्यटन	1.47	..	1.47	..	..	..
(xxxix) जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	1.59	..	1.59	..	..	..
(xxxix) अन्य सामान्य– आर्थिक सेवाएं	0.08	..	0.08	..	..	..
योग – अन्य	**10,654.07**	**3,883.68**	**14,537.75**	**115.28**	**41.84**	**157.12**
कुल योग	**35,098.81**	**14,027.84**	**49,126.65** @	**536.85**	**41.84**	**578.69**

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) 0.02 करोड का अन्तर है ।

विवरण संख्या 10 – *(समाप्त)*

(ii) पण्य में सहायतार्थ अनुदान के कुल मूल्य का ब्यौरा तथा पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायतार्थ अनुदान के मूल्य का विवरण*

ग्रांटी नाम/श्रेणी	पण्य सहायता अनुदान का कुल मूल्य	पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायतार्थ अनुदान का मूल्य
	(₹ करोड़ में)	
1. स्थानीय शहरी निकाय		
(i) नगर निगम	..	..
(ii) नगर पालिकाएं/नगर परिषद	..	..
2. पंचायती राज संस्थाएं		
(i) जिला परिषद	..	..
(ii) पंचायत समिति	..	..
(iii) ग्राम पंचायत	..	..
3. राजकीय क्षेत्र उपक्रम		
(i) सांविधिक निगम	..	..
(ii) सरकारी कम्पनियां	..	..
4. गैर सरकारी संगठन		
अन्य	..	..
5. स्वायत्तशाषी निकाय		
विश्वविद्यालय/ शैक्षिक संस्थाएं	..	..
6. सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं		
सहकारी संस्थाएं	..	..
7. सांविधिक निकाय तथा विकास प्राधिकरण		
विकास प्राधिकरण	..	..
8. अन्य		
अन्य	..	..
कुल योग	**..**	**..**

* राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया जाता है ।

विवरण संख्या 11– दत्तमत और *प्रभारित* व्यय का विवरण

विवरण	2021–22 के वास्तविक आंकड़े			2020–21 के वास्तविक आंकड़े		
	प्रभारित	दत्तमत	योग	*प्रभारित*	दत्तमत	योग
			(₹ करोड़ में)			
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	*28,359.36*	1,81,430.65	2,09,790.01	*25,415.49*	1,52,893.92	1,78,309.41
व्यय शीर्ष (पूंजी लेखा)	*6.75*	24,144.86	24,151.61	*0.12*	15,270.37	15,270.49
लोक ऋण, कर्ज तथा उधार के अंतर्गत संवितरण और आकस्मिकता निधि को अन्तरण #	*56,128.18*	1,121.24	57,249.42	*41,022.99*	491.01	41,514.00
योग	***84,494.29***	**2,06,696.75**	**2,91,191.04** @	***66,438.60***	**1,68,655.30**	**2,35,093.90**

आंकड़े निम्न प्रकार निकाले गये है :–

विवरण	2021–22 के वास्तविक आंकड़े			2020–21 के वास्तविक आंकड़े		
	प्रभारित	दत्तमत	योग	*प्रभारित*	दत्तमत	योग
			(₹ करोड़ में)			
ङ. लोक ऋण *						
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	*55,008.79*	..	55,008.79	*40,116.47*	..	40,116.47
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	*1,119.39*	..	1,119.39	*906.52*	..	906.52
च. कर्ज तथा उधार *						
सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	..	..	..	..	..	..
सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	..	113.91	113.91	..	280.60	280.60
आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	..	507.33	507.33	..	210.41	210.41
सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज	..	..	..		..	..
विभिन्न प्रयोजनो हेतु कर्ज	..	..	..	..	..	..
छ. अर्न्तराज्यीय समायोजन						
अर्न्तराज्यीय समायोजन	..	..	..	..	..	..
ज. आकस्मिकता निधि को अंतरण						
आकस्मिकता निधि को अंतरण	..	500.00	500.00	..	..	..
योग	***56,128.18***	**1,121.24**	**57,249.42**	***41,022.99***	**491.01**	**41,514.00**

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) 0.02 करोड का अन्तर है ।

* विस्तृत लेखे खण्ड II के विवरण संख्या क्रमश: 17 एवं 18 में दिये गये है ।

विवरण संख्या 11– *(समाप्त)*

विवरण	2021–22 के वास्तविक आंकड़े			2020–21 के वास्तविक आंकड़े		
	प्रभारित	दत्तमत	योग	*प्रभारित*	दत्तमत	योग
			(₹ करोड़ में)			

वर्ष 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान **कुल व्यय** पर ***प्रभारित* व्यय** तथा **दत्तमत व्यय** का *प्रतिशत* नीचे दिये अनुसार है :–

	कुल व्यय का *प्रतिशत*	
	प्रभारित	दत्तमत
2021-22	29.02	70.98
2020-21	28.26	71.74

विवरण संख्या12 – राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों एवं आवेदन का विवरण

विवरण	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष 2021–22 के दौरान	31 मार्च 2022 को
		(₹ करोड़ में)	
पूंजीगत तथा अन्य व्यय			
पूंजीगत व्यय–			
सामान्य सेवाएं	5,642.10	483.53	6,125.63
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	4,649.13	627.20	5,276.33
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	5,320.25	1,961.64	7,281.89
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	64,175.33	8,028.49	72,203.82 (क)
सूचना तथा प्रसारण	22.48	1.19	23.67
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	3,467.93	187.48	3,655.41
समाज कल्याण तथा पोषण	606.67	4.84	611.51
अन्य सामाजिक सेवाएं	928.91	140.18	1,069.09
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	5,504.52	550.79	6,043.62 (ख)
ग्राम विकास	7,078.89	1,000.65	8,079.54
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3,273.79	71.50	3,345.29
सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	30,606.72	3,588.92 (ग)	34,176.28 (घ)
ऊर्जा	48,584.14	2,141.44	50,725.58
उद्योग तथा खनिज	1,244.17	28.78 (ङ)	1,272.58 (च)
परिवहन	43,101.89	6,959.67 (छ)	50,061.57 (ज़)
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	22.70	0.40	23.10

(क) इसमें ₹ 356.73 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि (मुख्य शीर्ष 8115) से पूरित किया गया है।

(ख) पूंजी विनिवेश के कारण ₹ 11.69 करोड़ वर्ष के अंत में व्यय से प्रोफोर्मा द्वारा कम किये गये।

(ग) इसमें ₹ 11.13 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे मुख्य शीर्ष 4702–902 को *ऋण* नामे करते हुए जल संरक्षण सैस निधि (मुख्य शीर्ष 8229) से पूरित किया गया।

(घ) इसमें ₹ 20.04 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे जल संरक्षण सैस निधि (मुख्य शीर्ष 8229) से पूरित किया गया तथा पूंजी विनिवेश के कारण ₹ 19.36 करोड़ वर्ष के अंत में व्यय से प्रोफोर्मा द्वारा कम किये गये।

(ङ) इसमें ₹ 24.53 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे मुख्य शीर्ष 4853–01–902 को नामे करते हुए पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि (मुख्य शीर्ष 8229) से पूरित किया गया

(च) इसमें ₹ 267.99 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि (मुख्य शीर्ष 8229) से पूरित किया गया तथा पूंजी विनिवेश के कारण ₹ 0.37 करोड़ वर्ष के अंत में व्यय से प्रोफोर्मा द्वारा कम किये गये।

(छ) इसमें ₹ 2,148.94 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे क्रमश: शीर्ष 5054–03–902 (02), 5054-04-902 (01) तथा 5055–902 को *ऋण* नामे करते हुए राज्य सड़क तथा पुल निधि (मुख्य शीर्ष 8225) तथा राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (मुख्य शीर्ष 8229) से पूरित किया गया ।

(ज़) इसमें ₹ 11,692.26 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे राज्य सड़क तथा पुल निधि (मुख्य शीर्ष 8225), राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (मुख्य शीर्ष 8229) तथा केन्द्रीय सड़क निधि (मुख्य शीर्ष 8449) से पूरित किया गया ।

विवरण संख्या12 – *(क्रमशः)*

विवरण	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष 2021–22 के दौरान	31 मार्च 2022 को
		(₹ करोड़ में)	
पूंजीगत तथा अन्य व्यय – *(समाप्त)*			
पूंजीगत व्यय–– (समाप्त)			
सामान्य आर्थिक सेवाएं	3,985.66	559.50	4,545.16
योग–पूंजीगत व्यय	2,28,215.28	26,336.20	2,54,520.06
विभिन्न सेवाओं के लिये कर्ज तथा उधार			
सामान्य सेवाएं	..	..	..
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	11.19	(-) 1.20	9.99
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	11.26	(-) 4.96	6.31
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1,706.50	(-) 632.94	1,073.56
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	12.05	..	12.05
समाज कल्याण तथा पोषण	458.24	100.00	558.24
अन्य सामाजिक सेवाएं	6.38	..	6.38
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	1,392.11	159.55	1,551.66
ग्राम विकास	0.06	..	0.06
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	0.12	..	0.12
ऊर्जा	5,516.08	(-) 740.82	4,775.26
उद्योग तथा खनिज	43.75	0.22	43.97
परिवहन	749.24	(-) 599.66	149.58
सामान्य आर्थिक सेवाएं	60.29	(-) 32.49	27.80
सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को कर्ज	(-) 2.18	(-) 0.05	(-) 2.23(क)
विविध प्रयोजनों के लिए कर्ज	0.32	..	0.32
योग–विभिन्न सेवाओं के लिए कर्ज तथा उधार	9,965.41	(-) 1,752.35	8,213.06
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	..	500.00	..
योग–पूंजीगत तथा अन्य व्यय	**2,38,180.69**	**25,083.85**	**2,62,733.12**

(क) *ऋण* शेष जॉच के अधीन है।

विवरण संख्या12 – *(क्रमश:)*

विवरण	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष 2021–22 के दौरान	31 मार्च 2022 को
		(₹ करोड़ में)	
घटाएं–			
आकस्मिकता निधि से अंशदान	500.00	500.00	1,000.00
पूंजीगत प्राप्तियां	12.13	..	12.13
विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंशदान	199.84	31.42 (क)	231.26
विकास निधि, आरक्षित निधि आदि से अंशदान	10,152.41	2,184.61	12,337.02
पूंर्णाक के कारण समायोजन प्रविष्टि	..	..	(+) 0.01@
निवल–पूंजीगत तथा अन्य व्यय	**2,27,316.31**	**22,367.82**	**2,49,152.71**
निधियों के प्रधान स्त्रोत			
2021-22 के लिये राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (–)	..	25,869,96	..
जोड़िये–निवृत्ति/विनिवेश के कारण समायोजन*	(-) 199.84	..	(-) 231.26
ऋण–			
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	2,84,788.78	37,018.56	3,21,807.34
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	23,532.15	8,216.58	31,748.73
अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	56,325.69	2,460.67	58,786.36
योग–ऋण	3,64,646.62	47,695.81	4,12,342.43

(क) सहकारी समितियों/बैंकों इत्यादि में विनिवेश से प्राप्ति ।

@ सम्पूर्ण योग राशि के पूर्णांक के मिलान के कारण समायोजन प्रविष्टि ।

* पंक्ति मद में राशि विवरण को तुल्य करने के लिये सम्मिलित की गई है ।

विवरण संख्या12 – *(समाप्त)*

विवरण	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष 2021–22 के दौरान	31 मार्च 2022 को
		(₹ करोड़में)	
निधियों के प्रधान स्त्रोत–*(समाप्त)*			
अन्य दायित्व			
आरक्षित निधियां	9,139.03	(-) 2,810.92	6,328.11
जमा और पेशगियां	36,710.64	7,460.73	44,171.37
उचंत तथा विविध (सरकारी लेखों की संवृत राशि एवं रोकड़ शेष निवेश लेखा के बगैर)	(-) 7.67	(-) 81.64	(-) 89.31
प्रेषण	1.50	.. (क)	1.50
योग –अन्य दायित्व	45,843.50	4,568.17	50,411.67
योग–ऋण तथा अन्य दायित्व	**4,10,490.12**	**52,263.98**	**4,62,754.10**
घटाएं–रोकड़ शेष	(-) 59.97	247.41	187.44
घटाएं–निवेश	4,440.13	3,778.79	8,218.92
जोड़ें– 2021-22 के दौरान सरकारी लेखा की संवृत राशि	..	..	..
निधियों का निवल प्रावधान	**4,05,910.12**	**22,367.82**	**4,54,116.48** (ख)

(क) मात्र ₹ 25,108

(ख) ₹ 4,28,277.94 करोड़ (₹ 4,05,910.12 करोड़ + ₹ 22,367.82 करोड़) से ₹ 25,838.54 करोड़ का अंतर [राजस्व घाटे का निवल (₹ 25,869.96 करोड़) तथा निवृति/विनिवेश (₹ 31.42 करोड़) के कारण समायोजन] है। 31 मार्च 2022 को "पूंजी तथा अन्य व्यय" के निवल और उसके लिए "निधियों के प्रावधान" के निवल के बीच ₹ 2,04,963.76 करोड़ का अन्तर भी था, जो कि संचयी राजस्व घाटा और सरकारी लेखों को संवृत राशि का द्योतक हैं।

विवरण संख्या 13 - समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश

क. 31 मार्च 2022 को शेषों का सारांश निम्न प्रकार है :-

नामे शेष	सामान्य लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष
(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*
		समेकित निधि	
4,47,134.68*	**क से घ तथा ठ का भाग (मु.शी. 8680 केवल)**	**सरकारी लेखे**	
	ङ	**लोक ऋण**	3,53,556.07
8,213.06	**च**	**कर्ज तथा उधार**	
		आकस्मिकता निधि	1,000.00
		लोक लेखा	
	झ	**अल्प बचत, भविष्य निधि आदि**	58,786.37
	ञ	**आरक्षित निधि**	
		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	
		सकल शेष	4,717.21
1,372.76		निवेश	
		(ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां :	
		सकल शेष	7,870.04
4,886.39		निवेश	
	ट	**जमा तथा अग्रिम**	
		(i) ब्याज वाली जमा	13,451.18
		(ii) बिना ब्याज वाली जमा	30,723.36
3.17		(iii) अग्रिम	
	ठ	**उचन्त तथा विविध**	
8,218.92		निवेश	
89.31		अन्य मदें (निवल)	
	ड	**प्रेषण**	1.51
187.45 (क)	**ढ**	**रोकड़ शेष**	
(-) 0.01 #		पूंर्णाक के कारण समायोजन प्रविष्टि	(-) 0.01#
4,70,105.74 (ख)		**योग**	**4,70,105.74 (ख)**

* इस राशि को समझने के लिए कृपया नीचे पृष्ठ संख्या 57 पर 'ख' देखें ।

(क) रिजर्व बैंक की जमा, जो कि सरकार के रोकड़ शेष का संघटक है, में लेखो में दर्शायी गयी एवं रिजर्व बैंक द्वारा सूचित की गयी राशि मे अन्तर था। विस्तृत विवरण के लिए विवरण संख्या 2 के परिशिष्ट के पृष्ठ सं. 9 पर पाद टिप्पणी (च) देखें।

\# सम्पूर्ण योग राशि के पूर्णांक के मिलान के कारण समायोजन प्रविष्टि ।

विवरण संख्या 13 - *(समाप्त)*

ख. ***सरकारी लेखे*** :– सरकारी लेखों में अनुसरित बही खाता पद्धति के अधीन राजस्व, पूंजी तथा अन्य सरकारी लेन–देनों के अन्तर्गत पुस्तांकित राशियों की, जिनके शेषों को लेखे में वर्षानुवर्ष आगे नहीं ले जाया जाता, एक ही शीर्ष सरकारी लेखे को संवितरित किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत शेष, ऐसे समस्त लेन–देनों के संचित परिणाम द्योतक हैं ।

उसमें जोड़ने के बाद लोक ऋण, कर्जे और पेशगियां, अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि आरक्षित निधियां, जमा और पेशगियां उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखों के अतिरिक्त) प्रेषण और आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत रहे शेषों को जोड़ने से वर्ष के अन्त में रहने वाला अन्त रोकड़ शेष निकाला तथा सिद्ध किया जा सकता है ।

इस सारांश के अन्य शीर्षकों में सरकारी खाता बहियों में समाप्त लेखा शीर्षों के अन्तर्गत रहे ऐसे शेष जिनके सम्बन्ध में सरकार प्राप्त की हुई धन राशियों के चुकारे का दायित्व रखती है अथवा देय राशियों को वसूल करने का दावा रखती है तथा प्रेषण लेन–देनों के समायोजन के लिए खाता बहियों से खोले गये शीर्ष भी आते हैं ।

यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि इन शेष राशियों को सरकार की वितीय स्थिति का लेखा–जोखा नहीं माना जा सकता क्योंकि न तो इनमें राज्य की सम्पूर्ण भौतिक परिसम्पत्तियों जैसे – भूमि, भवनों संचार साधनों आदि को और न ही इनमें किसी प्रकार की देयताओं अथवा ऐसे बकाया दायित्वों को दिखाया जाता है जिनका लेखा सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली रोकड़ पर आधारित लेखा विधि के अंतर्गत नही रखा जाता ।

वर्ष के अन्त में सरकारी लेखे के नामे निवल राशि इस प्रकार निकाली गई है :–

नामे		विवरण	जमा
(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*
3,96,644.55	क.	1 अप्रैल 2021 को सरकारी लेखे में नामे राशि	
	ख.	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	1,83,920.05
	ग.	प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	31.42
2,09,790.01	घ.	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
24,151.60	ङ.	व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	
500.00	च.	आकस्मिकता निधि को अन्तरण	
(-) 0.01 @	छ.	31 मार्च 2022 को सरकारी लेखे में नामे राशि पूंर्णाक के कारण समायोजन प्रविष्टि	4,47,134.69
6,31,086.15		**योग**	**6,31,086.15**

(i) अनेक मामलों में विवरण ' आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण' (विवरण संख्या–21) में दिखाए गए अन्त शेषों एवं लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालयों में इस प्रयोजन के लिये संधारित पृथक–पृथक रजिस्टरों या अन्य अभिलेखों में दिखाये गए अन्त शेषों में असमाहित अन्तर है। इन अंसगतियों को दूर करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

(ii) संबंधित अधिकारियों को सत्यापन तथा स्वीकृति के लिए प्रति वर्ष शेष सूचित किए जाते हैं। काफी मामलों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(iii) जिन मामलों में विवरण/प्रलेख शेषों के मिलान के सम्बन्ध में प्रतीक्षित है उनका विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट VII खण्ड–II में दिया हैं ।

@ सम्पूर्ण योग राशि के पूर्णांक के मिलान के कारण समायोजन प्रविष्टि ।

वर्ष 2021–22 के लिए वित्त लेखाओं से टिप्पणियां

1. अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियों का सारांश

(i) प्रस्तुतीकरण इकाई :

ये लेखे राजस्थान सरकार के संव्यवहारों को प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान सरकार की प्राप्ति एवं व्यय के लेखे 41 जिला कोषालयों द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की समायोजन सूचना के आधार पर संकलित किये गये हैं। सार्वजनिक निर्माण तथा वन खण्डों से सम्बन्धित प्राप्ति तथा भुगतान को एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) के अधीन अप्रैल 2016 से कोषालयों के साथ जोड़ दिया गया है, इसलिये इन खण्डों के लेखे कोषालयों द्वारा संकलित एवं प्रस्तुत किये जाते हैं। वर्ष के अंत तक किसी भी लेखे को बाहर नहीं रखा गया है। वाउचर्स इस कार्यालय में इन्टरमिडियेट सर्वर के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं।

(ii) प्रस्तुतीकरण अवधि :

इन लेखों की प्रस्तुतीकरण अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 है।

(iii) प्रस्तुतीकरण मुद्रा:

राजस्थान सरकार के लेखे भारतीय रूपये (₹) में प्रस्तुत किये जाते हैं ।

(iv) लेखे का प्रारूप:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे उस प्रारूप में रखे जाते हैं जैसा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की राय पर राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द ''प्रारूप'' व्यापक अर्थ रखता है जिसमें न केवल वृहद रूप से निर्धारित प्रारूप जिनमें लेखे रखे जाने हैं, बल्कि लेखों के उपयुक्त शीर्षों के चयन के लिए आधार को जिसके अन्तर्गत संव्यवहार वर्गीकृत किये जाने हैं, सम्मिलित किया जा सके।

(v) बजट और वित्तीय प्रस्तुतीकरण के आधार:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के प्रावधानों के अनुसार, अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले अनुदान/विनियोग के रूप में एक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट कहा जाता है) विधानसभा को प्रस्तुत और उसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बजट को सकल आधार पर बिना वसूली और प्राप्तियों के प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें अन्यथा व्यय में कमी के लिए समायोजित करने की अनुमति होती है। बजट और लेखों के शीर्षो से संबंधित सभी अनुदानो/विनियोगो, जिनकी शेष राशि अग्रेषित नहीं की जाती है, वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाती है।

बजट और लेखे: राज्य के बजट और लेखे दोनों एक ही लेखा अवधि, रोकड आधारित लेखांकन और वर्गीकरण के एक समान आधार की अनुपालना करते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से लेखा महानियंत्रक द्वारा अधिसूचित के अनुसार मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के लघु शीर्षों के स्तर पर लेखे का वर्गीकरण किया जाता है। प्रत्येक राज्य में महालेखाकार (लेखा व हक.) के कार्यालय द्वारा सहमति के अनुसार लघु शीर्षो के नीचे वर्गीकरण की पालना की जाती है।

एक अलग बजट तुलना विवरण विनियोग लेखों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अनुदानों/विनियोगो की तुलना में वास्तविक संवितरण को प्रदर्शित करता है।

रोकड़ आधार: प्रस्तुतीकरण अवधि के दौरान, लेखे ऐसे पुस्तकीय समायोजन के अपवाद के साथ जो अधिकृत है, वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों और संवितरण को प्रदर्शित करते हैं। वित्त लेखों में प्राप्तियां और संवितरण, निवल वसूलियों, कटौतियों एवं वापसियों के पश्चात निवल आधार पर हैं।

पुस्तकीय समायोजन: पुस्तकीय समायोजन गैर-रोकड़ लेने देन हैं जो लेखों में समायोजन/निपटान के रूप में प्रकट होते हैं। इनमें से कुछ लेने-देन लेखा प्रदान करने वाली इकाइयों के स्तर पर होते है, जैसे, कोषालय, खण्ड आदि, वेतन से राजस्व प्राप्तियों/ऋणों/लोक लेखा में कटौती और वसूली के समायोजन के लिए समेकित निधि और लोक लेखा आदि में धन के हस्तांतरण के लिए 'शून्य' बिल ।

महालेखाकार (लेखा व हक.) के कार्यालय में भी पुस्तकीय समायोजन किया जाता है। इनमें, अन्यों के साथ, संचित निधि (जैसे, राज्य आपदा मोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, ऋण शोधन निधि, आदि) को नामे करके लोक लेखा में निधियों के सृजन और योगदान के लिए लोक लेखा में लेखे के जमा शीर्ष को जमा करते हुए एवं संचित निधि को नामे के द्वारा बुकिंग सम्मिलित है, सामान्य भविष्य निधि और राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन मुख्य शीर्ष 2049- ब्याज भुगतान को नामे करके और लोक लेखे में संबंधित मुख्य शीर्षों को जमा करना, केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की योजना के तहत ऋण माफी का समायोजन करना, आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति, आदि शामिल है।

पूंजी और राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरण : स्थायी प्रकृति की ठोस गणना योग्य परिसंपत्तियों (संगठन में उपयोग के लिए और व्यवसाय के सामान्य अवधि में बिक्री के लिए नहीं) या मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बढाने के उद्देश्य से किए गए महत्वपूर्ण व्यय को व्यापक रूप से पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। रखरखाव, मरम्मत, अद्यतन और कार्यकारी व्यय जो एक चालू क्रम में संपत्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, साथ ही साथ संगठन के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी व्ययों, स्थापना ओर प्रशासनिक व्ययों को सम्मलित करते हुए राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेखों में पूंजी और राजस्व व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं।

भौतिक और वित्तीय संपत्ति और देनदारियां: भौतिक संपत्ति और वित्तीय संपत्ति (जैसे निवेश, ऋण और सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम आदि) साथ ही देनदारियों जैसे ऋण आदि को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। भौतिक संपत्ति का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है और वित्तीय संपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है। भौतिक संपत्ति में होने वाली हानियों को भी उनके जीवन के अंत में व्यय या पहचान रूप में नहीं दिखाया जाता हैं।

सहायतार्थ अनुदान:- भारत सरकार के लेखा मानक (आई. जी. ए. एस. 2) की अनुपालना में सिवाय भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलो को छोडकर सहायतार्थ अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण, रोकड़ में सहायतार्थ अनुदान को संवितरण के समय राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी गयी है, भले ही इसमें अनुदान-ग्रहीता के द्वारा परिसंपत्तियों का सृजन सम्मिलित हो। सभी प्राप्त अनुदानों को राजस्व प्राप्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायतार्थ अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए विवरण वित्त लेखे के विवरण 10 और परिशिष्ट-।।। में दर्शाया गया है। वस्तु के रूप में दिए गए सहायतार्थ अनुदान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

ऋण तथा अग्रिम: आई.जी.ए.एस. 3 की अनुपालना में सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण वित्त लेखों के विवरण 7 और 18 में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2022 को विवरणों में दर्शाए गए अंतिम शेष महालेखाकार (लेखा व हक.) की पुस्तकों के अनुसार हैं।

सेवानिवृत्ति लाभ: प्रस्तुतीकरण अवधि के दौरान संवितरित सेवानिवृत्ति लाभों को लेखों में दर्शाया गया है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के प्रति सरकार की भविष्य की पेंशन देयता, जैसे अपने कर्मचारियों की अतीत और वर्तमान सेवा के लिए सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की देयता लेखों में शामिल नहीं है।

(vi) पूर्णांकन:

विवरणो में प्रस्तुत आंकड़े जो संबंधित विवरणों के अग्रभाग पर जैसे दर्शाए गए है, को ₹ लाख में और ₹ करोड़ में पूर्णांकित हैं।

क्रमश: खंड–। और खंड–।। में संक्षिप्त विवरण और विस्तृत विवरण के बीच, जहां कहीं भी ₹ 0.01/0.02 लाख/करोड़ का मामूली अंतर हो रहा है, पूर्णांकन के कारण है।

(vii) रोकड़ शेष:

लेखों में रिपोर्ट के रूप में रोकड़ शेष, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग के साथ राज्य सरकार के लेखों में दर्ज एक वर्ष के 31 मार्च के अंत में राज्य की शेष राशि है। रोकड़ शेष वर्ष के लिए राज्य के समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से जुड़े रोकड़ लेनदेन के बाद शेष राशि को दर्शाता है। पुस्तकीय समायोजन रोकड़ शेष को प्रभावित नहीं करते । वित्त लेखों में दर्शाया गया रोकड़ शेष भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तक के साथ मिलान के अधीन है। राजस्थान सरकार के लिए रोकड़ शेष इस नोट के पैरा 5 (**vii**) में दर्शाया गया है।

(viii) प्रतिबद्ध और आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण:

आई.जी.ए.एस. 1 की अनुपालना में आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है: आई.जी.ए.एस. 1 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार सरकारों द्वारा दी गई गारंटियां, क्षेत्र/वर्ग–वार गारंटियों का विवरण वित्त लेखे के विवरण 9 और 20 में दर्शाया गया है।

सरकार प्रतिबद्धता लेखांकन की पालना नहीं करती है और प्रतिबद्धताओं को ना तो दर्ज किया जाता है और नाही लेखों में मान्यता प्राप्त प्रतिबद्धता के प्रति दायित्व होता है, लेकिन यह वित्त लेखों के परिशिष्ट XII के तहत अपनी भविष्य की प्रतिबद्धताओं का खुलासा करता है।

(ix) पास–थ्रू लेनदेन:

राज्य द्वारा एकत्र की गई प्राप्तियों की प्रकृति में पास–थ्रू लेनदेन लेकिन राज्य सरकार द्वारा अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित की जाने वाली इस प्रकार की लेन देन को वित्त लेखों की टिप्पणियों में दर्शाया जाता है। इनमें राज्य कैम्पा निधि में वर्ष के संग्रह का 10 प्रतिशत वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में हस्तान्तरित करना शामिल हैं।

2. लेखांकन ढांचे का अनुपालन:

(i) बिना सलाह के नए उप शीर्षो को खोलना :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार राज्य के लेखों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सलाह के अनुसार रखा जाना चाहिए। वर्ष 2021–22 के दौरान, राजस्थान राज्य सरकार ने बजट में 360 नए उपशीर्ष (राजस्व अनुभाग के तहत 225, पूंजी अनुभाग के तहत 131 और लोक लेखा के तहत 4) नियंत्रक महालेखापरीक्षक की पूर्व सलाह लिए बिना खोले थे। यद्यपि, राज्य सरकार ने राज्य विधान मंडल द्वारा बजट तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगों को पारित किये जाने के बाद महालेखाकार (लेखा व हक.) से कार्योत्तर सहमति प्राप्त कर रही है। राज्य सरकार ने इन शीर्षों के तहत बजट प्रावधान उपलब्ध कराया तथा 2021–22 के दौरान इन शीर्षों में राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ₹ 8,392.99 करोड़ तथा पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 1,719.55 करोड़ का व्यय किया।

3. समेकित निधि:

(i) वस्तु एवं सेवा कर :

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 01 जुलाई 2017 से शुरू किया गया था । वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य का वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 2020-21 में ₹ 20,754.87 करोड़ की तुलना में ₹ 6,747.03 करोड़ (32.51 *प्रतिशत*) की वृद्धि दर्ज करते हुए, ₹ 27,501.90 करोड़ था। इसमें एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के अग्रिम विभाजन की राशि ₹ 1,426.17 करोड़ शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य ने केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के तहत राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा के रूप में ₹ 15,261.33 करोड़ प्राप्त किये । वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 42,763.23 करोड़ थी । 2021-22 के दौरान राज्य को जी.एस.टी. लागू होने की वजह से होने वाली राजस्व की हानि के कारण राजस्व प्राप्ति के रूप में ₹ 3,746.34 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई।

इसके अलावा, राज्य को जी.एस.टी. मुआवजे की एवज में केन्द्र सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में 2021-22 के दौरान ₹ 7,268.29 करोड़ ऋण (31 मार्च 2022 तक ₹ 11,872.29 करोड़ का कुल ऋण) प्राप्त हुआ, जिसे भारत सरकार के व्यय विभाग के निर्णय के अनुसार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

संबंधित आंकड़े वित्त लेखों के विवरण संख्या 14 और 17 में उपलब्ध है।

(ii) राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण :

वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान सरकार ने ₹ 1,044.21 करोड़ के व्यय को राजस्व अनुभाग के स्थान पर गलत तरीके से पूंजीगत अनुभाग के तहत दर्ज किया, जैसा कि व्यय के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है। राज्य के राजस्व घाटे पर गलत वर्गीकरण का प्रभाव पैरा 6 के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

इसमें वित्त लेखों के विवरण 16 का संदर्भ है।

(iii) नियंत्रण अधिकारियों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के मध्य व्यय तथा प्राप्तियों का अंकमिलान:

सभी नियंत्रक अधिकारियों को महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का मिलान करना आवश्यक है । वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा प्राप्तियों की राशि ₹ 2,87,688.38 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत*) और व्यय राशि ₹ 2,91,191.02 करोड़ (कुल व्यय का 100 *प्रतिशत*) का मिलान किया गया ।

इसकी तुलना में, अर्थात पिछले वर्ष राज्य सरकार द्वारा 2020-21 के दौरान ₹ 2,24,659.49 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत*) और ₹ 2,35,093.90 करोड़ (कुल व्यय का 100 *प्रतिशत*) की राशि का मिलान किया गया था।

(iv) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां तथा 800-अन्य व्यय के तहत लेखांकन:

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय केवल इस प्रयोजन हेतु संचालित किया जाना है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं हो। लघु शीर्ष 800 के सामान्य प्रयोग को निरूत्साहित किया जाना चाहिये क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है ।

वर्ष 2021-22 के दौरान, 46 मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 18,829.85 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,83,920.05 करोड़) का 10.24 *प्रतिशत*, 800-अन्य प्राप्तियां के अन्तर्गत लेखों मे वर्गीकृत किया गया । गत वर्ष के दौरान, 44 मुख्य लेखा शीर्षों में ₹ 5,965.54 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,34,307.88 करोड़) का 4.44 *प्रतिशत*, 800-अन्य प्राप्तियां के अन्तर्गत लेखों मे वर्गीकृत किया गया ।

इसमें वित्त लेखों के विवरण 14,15 तथा 16 का संदर्भ है।

(v) निजी निक्षेप (पी.डी.) खातों में निधियों का हस्तान्तरण:

नामित आहरण अधिकारियों को योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यय करने में पी.डी. खाते हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

2021-22 के दौरान इन पी.डी. खातों में ₹ 59,749.52 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। इसमें मार्च 2022 में हस्तांतरित ₹ 7,296.03 करोड़ शामिल है, जिसमें से मार्च 2022 के अंतिम कार्य दिवस पर ₹ 6.57 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे।

राज्य के नियमों में कोषालय एवं पी.डी. खातों के प्रशासक के बीच आंकड़ों के मिलान हेतु वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि, कोषालय निरीक्षण के दौरान, महालेखाकार (लेखा व हक.) कार्यालय के कोष निरीक्षण दल ने पी.डी. प्रशासकों द्वारा कोषालय में प्रस्तुत किए गए ऐसे अंक मिलान प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया।

31 मार्च 2022 को पी.डी. खातों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक शेष		वर्ष 2021-22 के दौरान जुड़े		2021-22 के दौरान बन्द/निकासी		31 मार्च 2022 को अन्तिम शेष	
प्रशासक की संख्या	राशि	प्रशासक की संख्या	राशि	प्रशासक की संख्या	राशि	प्रशासक की संख्या	राशि
1928	14,382.95	152	59,749.52	27	55,911.85	2053	18,220.62

संदर्भित आंकड़े वित्त लेखों के विवरण संख्या 21 में उपलब्ध है।

तुलनात्मक जानकारी के लिए 31 मार्च 2021 को पी.डी. खातों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष		वर्ष 2020-21 के दौरान जुड़े		2020-21 के दौरान बन्द/निकासी		31 मार्च 2021 को अन्तिम शेष	
प्रशासक की संख्या	राशि	प्रशासक की संख्या	राशि	प्रशासक की संख्या	राशि	प्रशासक की संख्या	राशि
1900	16,289.07	77	37,714.41	49	39,620.53	1928	14,382.95

(vi) असमायोजित सारांशीकृत आकस्मिक(ए.सी) बिल:

वित्तीय नियम (केन्द्रीय कोषागार नियमों के नियम 290) विनिर्दिष्ठ करते है कि सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं निकाला जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं हो। आकस्मिक परिस्थितियों में आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) सारांशीकृत (ए.सी.) बिलों के माध्यम से धनराशि निकालने के लिए अधिकृत हैं। राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 220 (1) के संदर्भ में, आहरण एवं वितरण अधिकारी को ए.सी. बिलों के आहरण से तीन महीने की अवधि के भीतर अन्तिम व्यय के समर्थन में वाउचर युक्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिल प्रस्तुत करने अपेक्षित है ।

वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 58.50 करोड़ की राशि के 505 ए.सी. बिल मे से, मार्च 2022 में ₹ 11.54 करोड़ (19.73 *प्रतिशत*) राशि के 32 ए.सी. बिल आहरित किये गए थे। ₹ 20.86 करोड़ की राशि से

सम्बन्धित कुल 79 ए.सी. बिलों के डीसीसी बिल 30 जून 2022 तक प्राप्त नहीं हुए। 30 जून 2022 को 31 मार्च 2022 तक आहरित असमायोजित ए.सी. बिलों, जिनका प्रस्तुतीकरण बकाया है, का विवरण नीचे दिया गया हैं :

वर्ष	असमायोजित ए.सी. बिलों की संख्या	राशि *(₹ करोड़ में)*
2020-21 तक	10	12.33
2021-22	79	20.86
योग	**89**	**33.19**

(vii) सहायतार्थ अनुदान के लिये प्राप्त नहीं हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.):

राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, 2012 के नियम 284 के अधीन, सहायतार्थ अनुदान के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) को अनुदान प्राप्तकर्त्ता द्वारा अनुदान स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को अनुदान प्राप्त होने की तिथि से 12 माह के भीतर या उसी उद्देश्य पर आगे अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की सीमा तक, एक जोखिम है कि वित्त लेखों में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंची हो।

वर्ष 2021-22 के दौरान, 2020-21 तक की अवधि के लिए बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित ₹ 2,539.99 करोड़ का निस्तारण किया गया। मार्च 2022 तक बकाया यू.सी. की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष *	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि *(₹ करोड़ में)*
2020-21 तक	198	278.17
2021-22 #	572	1,555.04
योग	**770**	**1,833.21**

* ऊपर उल्लेखित वर्ष ''देय वर्ष'' से संबंधित है जैसा कि वास्तविक आहरण के 12 महीने के बाद।

वर्ष के दौरान वृद्धि ₹ 4,445.31 करोड़ है जो 2022-23 में देय होगा ।

संदर्भ वित्त लेखों के विवरण संख्या 10 और परिशिष्ट III में है।

(viii) ब्याज का समायोजन:

श्रेणी ञ- आरक्षित निधियां (क- ब्याज वाली आरक्षित निधियां) तथा ट-जमा तथा अग्रिम (क- ब्याज वाली जमा) के तहत शेष राशि के संबंध में ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए सरकार उत्तरदायी है तथा इस उद्देश्य के लिए, मुख्य तथा लघु शीर्ष की सूची में विशिष्ट उप मुख्य शीर्ष प्रदान किए जाते है।

वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गई इन निधियों/जमाओं और ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

निधियां/जमाएं	1 अप्रैल 2021 को शेष	ब्याज की गणना के आधार	देय ब्याज	ब्याज का भुगतान	ब्याज का कम भुगतान
अन्य लेखे (निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना)	123.01	7.10 *प्रतिशत* (सामान्य भविष्य निधि में शेषों पर देय ब्याज दर)	8.73	शून्य	8.73

निधियां/जमाएं	1 अप्रैल 2021 को शेष	ब्याज की गणना के आधार	देय ब्याज	ब्याज का भुगतान	ब्याज का कम भुगतान
(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां (राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि)	1,430.38 (ब्याज के अतिरिक्त)	3.35 *प्रतिशत* (पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित)	47.92	40.56	7.36
(क) ब्याज वाली जमाएं (निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना)	0.49	7.10 *प्रतिशत* (सामान्य भविष्य निधि में शेषों पर देय ब्याज दर)	0.03	शून्य	0.03
योग			**56.68**	**40.56**	**16.12**

₹ 16.12 करोड़ ब्याज का भुगतान नहीं/कम करने के परिणामस्वरूप राजस्व तथा राजकोषीय घाटा ₹ 16.12 करोड़ से कम दर्शित रहा ।

संदर्भित आंकड़े वित्त लेखों के विवरण संख्या 15,21 एवं 22 में है।

(ix) सरकार द्वारा दी गयी गारन्टियां:

राजस्थान राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) नियम, 2005 (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया) के संबंध में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बकाया सरकारी गांरटी उस वित्तीय वर्ष में राज्य की संचित निधि की अनुमानित प्राप्तियों के 60 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होगी। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 95,868.08 करोड़ की संचयी राशि की गांरटी दी गई । जो कि वर्ष 2021-22 (₹ 2,46,909.44 करोड़) के लिए राज्य की समेकित निधि की अनुमानित प्राप्तियों का 38.83 *प्रतिशत* है तथा जो निर्धारित सीमा के अन्दर है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार को गांरटी कमीशन के ₹ 586.84 करोड़ प्राप्त हुए, जो कि 2021-22 के दौरान (₹ 95,868.08 करोड़) गारंटी राशि का 0.61 *प्रतिशत* है । राजस्थान राज्य अनुदान गांरटी विनियम 1970 के तहत सरकार गारंटी कमीशन के रूप में गारंटी राशि का न्यूनतम 0.01 *प्रतिशत* से 1.00 *प्रतिशत* वसूली करती है जो ₹ 1,035.69 करोड़ बनता है, जिसमें से ₹ 586.84 करोड़ ही प्राप्त हुए हैं ।

संदर्भित आकड़े वित्त लेखों के विवरण संख्या 9 ,14 एवं 20 में उपलब्ध है।

(x) पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण पर व्यय :

पर्यावरण के प्रति राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय को विभिन्न कार्यात्मक लेखा शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष स्तर तक वित्त लेखों में दर्शाया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान सरकार ने मुख्य शीर्ष 2040, 2041, 2217 तथा 3435 के तहत ₹ 107.05 करोड़ के बजट आवंटन के एवज में ₹ 8.41 करोड़ का व्यय किया। गत वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्थान सरकार ने मुख्य शीर्ष 2040, 2041, 2217 तथा 3435 के तहत ₹ 181.99 करोड़ के बजट आवंटन के एवज में ₹ 55.14 करोड़ का व्यय किया।

संदर्भ वित्त लेखों के विवरण संख्या 15 में है।

(xi) केन्द्रीय कर्जों का अपलेखन:

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आगे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने, फरवरी 2012 को, विभिन्न मंत्रालयों (वित्त मंत्रालय द्वारा स्वयं दिये गये अग्रिम के अलावा) द्वारा राज्य सरकार को 31 मार्च 2010 तक दिये गये केन्द्रीय योजना तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के सभी कर्जों को अपलिखित किया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को आदेशों की प्रभावी दिनांक (31 मार्च 2010) से मूलधन तथा ब्याज के अधिक पुर्नभुगतान तथा वित्त मंत्रालय को भविष्य में किये जाने वाले पुनर्भुगतान के विरूद्ध समायोजन की अनुमति दी गयी । राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 के अन्त तक ₹ 48.31 करोड़ (मूल ₹ 28.47 करोड़ तथा ब्याज ₹ 19.84 करोड़) का अधिक पुर्नभुगतान किया, उसमें से वित्त मंत्रालय ने अभी तक ₹ 39.54 करोड़ समायोजित किये गये। ₹ 8.77 करोड़ को समायोजित नहीं किया गया।

संदर्भ वित्त लेखों के विवरण संख्या 17 में है।

(xii) राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण:

राजस्थान के संबंध में , महालेखाकार (लेखा व हक.) द्वारा कोई ऋण खाता नहीं रखा जाता है।

(xiii) वचनबद्ध दायित्व:

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा उर्पाजन आधारित लेखांकन की ओर अग्रेषित होने के लिए कार्यवाही शुरू की गई। यद्यपि, जैसा कि परिवर्तनकाल चरणों में होता है, लेखांकन की उपार्जन आधारित प्रणाली में बदलाव के लिए, निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नकद लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में संलग्नित होने के लिए विवरणों के रूप में कुछ अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित है। राज्य सरकार को प्रतिबद्ध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उस सीमा तक वित्त लेखों के परिशिष्ट– XII में दर्शाई गई जानकारी सीमित हैं।

(xiv) एक मुश्त अनुदान छोड़कर केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (सीएसएस)/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) पर व्यय:

आयोजना/आयोजना भिन्न के विलय के परिणामस्वरूप जारी की गई केन्द्रीय सहायता को अब केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत केन्द्रीय सहायता /अंश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

31 मार्च 2022 को केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत कुल व्यय ₹ 43,506.35 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 35,010.95 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय ₹ 8,495.40 करोड़) दर्ज किया गया । जिसमें केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता तथा राज्य के हिस्से का व्यय सम्मिलित है।

संदर्भ वित्त लेखों के विवरण संख्या 15 एवं 16 में है।

(xv) राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण (राज्य बजट से बाहर की निधियां):

सीजीए के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार, 2021–22 के दौरान राज्य में व्यक्गित लाभार्थियों के द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के माध्यम से एवं कार्यकारी अभिकरणों द्वारा सीधे ₹ 16,351.42 करोड़ प्राप्त किये गये।

₹ 16,351.42 करोड़ की कुल राशि में से ₹ 16,150.62 करोड़ केन्द्रीय सहायता/ हिस्सा होने के कारण बिचौलियों (अर्थात पंजीकृत समितियों, स्थानीय निकायों आदि) को और ₹ 200.80 करोड़ सीधे लाभार्थियों को हस्तांतरित किया गया।

2020–21 की तुलना में कार्यकारी अभिकरणों को निधियों का सीधा हस्तांतरण (2020–21 में ₹ 13,628.16 करोड़ से 2021–22 में ₹ 16,150.62 करोड़) 18.51 *प्रतिशत* से बढ़ गया। विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट–VI में है।

(xvi) राज्य सरकार का ऑफ बजट दायित्व:

राज्य सरकार ने अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में ऑफ बजट दायित्व प्रदर्शित नहीं किये है ।

(xvii) एकल नोडल एजेंसी (एस एन ए) के बैंक खाते में पड़ी अव्ययित राशि:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निधियां राज्य सरकार द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है और इसकी प्राप्ति के 21 दिनों की अवधि के अन्दर प्राप्ति को संबंधित एस एन ए के खाते में हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है।

31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार द्वारा एस एन ए खातों में अव्ययित राशि उपलबध नहीं कराई गयी।

(xviii) अन्य:

(अ) राज्य भविष्य निधि और बीमा तथा पेंशन निधि से राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष को निधियों का हस्तांतरण:

वर्ष 2021-22 के दौरान, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय लेखा नियम के नियम-265 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार ने ₹ 1,500 करोड़ की दावा रहित राशि को लोक लेखे (मुख्य शीर्ष-8009 से ₹ 1,000 करोड़ तथा मुख्य शीर्ष 8011-105/107 से ₹ 500 करोड़) से समेकित निधि के अन्तर्गत राजस्व शीर्ष 0075-800- अन्य प्राप्तियां में सीधे हस्तान्तरित किया गया। यद्यपि, इस तरह का सीधा हस्तांतरण लेखो के मुख्य और लघु शीर्षो की सूची के मुख्य शीर्ष 8443-124 के नीचे टिप्पणी 15 उल्लंघन था क्योंकि दावा रहित शेष राशि को मुख्य शीर्ष 8443-124 के माध्यम से स्थानान्तरित की जानी थी तथा केन्द्र सरकार (प्राप्तियां और भुगतान) नियम-1983 के नियम 189 के तहत व्यपगत जमा के लिए निर्धारित देय प्रक्रिया का पालन करते हुए राजस्व शीर्ष को हस्तांतरित की जानी थी।

(ब) भारत सरकार से केन्द्रीय सड़क निधि में प्राप्त अनुदानों का गैर-हस्तांतरण:

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार को भारत सरकार से केन्द्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) के लिए ₹ 148.40 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ और राजस्व प्राप्तियों में क्रेडिट किया गया लेकिन इसे शीर्ष 8449 (सी आर एफ) में स्थानांतरित नहीं किया गया। इसी प्रकार, 2020-21 के दौरान भी, राज्य सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि में ₹ 141.81 करोड़ का हस्तांतरण नहीं किया, जिसके कारण 2021-22 के दौरान निधि से कोई व्यय नहीं किया गया।

4. आकस्मिकता निधि:

राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य की आकस्मिकता निधि में राशि के भुगतान तथा राशि की निकासी से जुड़े या सहायक सभी मामलों को विनियमित करने के लिए राजस्थान आकस्मिकता निधि नियम, 1957 बनाया । राजस्थान की आकस्मिकता निधि का कॉरपस ₹ 500.00 करोड़ था जिसको वर्ष के दौरान ₹ 500.00 करोड़ से बढाया गया। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया ।

31 मार्च 2022 तक, आकस्मिकता निधि में ₹ 1,000.00 करोड़ की शेष राशि थी।

संदर्भित आकड़े वित्त लेखों के विवरण संख्या 1 ,2 एवं 21 में उपलब्ध है।

5. लोक लेखे:

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली:

वर्ष 2021-22 के दौरान, एन.पी.एस., जो निर्धारित अंशदान पेंशन योजना है में कुल योगदान ₹ 4,494.83 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान: ₹ 2,568.36 करोड़ तथा सरकारी अंशदान: ₹ 1,926.47 करोड़) था। इस प्रकार एन.पी.एस. में सरकारी अंशदान ₹ 641.89 करोड़ से कम था। किये गये योगदान में से, सरकार ने केवल ₹ 3,828.15 करोड़ एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित किया जो ₹ 666.68 करोड़ कम था। इस प्रकार, कुल मिलाकर, अंशदान ₹ 1,308.57 करोड़ (₹ 641.89 करोड़ + ₹ 666.68 करोड़) कम था। राजस्व व्यय पर थोडे/कम अंशदान/स्थानांतरण का प्रभाव पैरा 6 के तहत दिया गया है। इसके अलावा, 01-04-2022 से राज्य सरकार ने नई पेंशन योजना को समाप्त कर दिया है तथा 01.04.2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है।

सरकार के अंशदान की विस्तृत सूचना वित्त लेखे के विवरण संख्या 15 में उपलब्ध है।

(ii) आरक्षित निधियां:

क. ब्याज वाली आरक्षित निधियां:

(अ) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ): राज्य आपदा मोचन निधि का निर्माण तथा प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार (मुख्य शीर्ष '8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां' जो ब्याज सहित अनुभाग के तहत हैं) केन्द्र तथा राज्य सरकारों को निधि में 75:25 के अनुपात में अंशदान किया जाना अपेक्षित है । वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 1,184.80 करोड़ प्राप्त किये। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 395.20 करोड़ हैं। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ. के तहत निधि में ₹ 1,580.00 करोड़ (केन्द्रीय हिस्सा ₹ 1,184.80 करोड़, राज्यांश ₹ 395.20 करोड़) हस्तांतरित किये । राज्य ने एन.डी.आर.एफ. के पेटे केन्द्र सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं की।

(ब) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में, राज्य सरकार को क्षतिपूरक वनरोपण करने के लिए उपयोगकर्त्ता अभिकरणों से प्राप्त राशियों के लिए राज्य के लोक लेखे में ब्याज वाले अनुभाग के तहत राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने उपयोगकर्त्ता अभिकरणों से शून्य राशि (*गत वर्ष में शून्य राशि*) प्राप्त की और राष्ट्रीय निधि (*गत वर्ष में शून्य राशि*) को कोई राशि प्रेषित नहीं की गयी। सरकार को राष्ट्रीय वनीकरण जमा से भी शून्य राशि (*पिछले वर्ष में शून्य राशि*) प्राप्त हुई । 31 मार्च 2022 तक राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि में कुल शेष ₹ 1,458.39 करोड़ था।

राज्य सरकार ने यह भी बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान कैम्पा निधि पर लागू ब्याज दर 3.35 *प्रतिशत* थी और वर्ष के दौरान अगस्त 2019 से जनवरी 2022 की अवधि के लिए ब्याज के रूप में ₹ 159.03 करोड़ निधि में जमा किये गये। फरवरी और मार्च 2022 से सम्बन्धित ₹ 7.43 करोड़ का ब्याज अभी भी स्थानांतरण के लिए बकाया है।

ख. बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां:

(अ) समेकित ऋण शोधन निधि: राजस्थान में कोई समेकित ऋण शोधन निधि मौजूद नहीं है।

(ब) गारंटी मोचन निधि: राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित गारंटी मोचन निधि गठित की। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि को संचालित करता है, के दिशा निर्देशों के अनुसार निधि के कॉरपस को बकाया गारन्टियों के 5 *प्रतिशत* के आवश्यक स्तर तक उत्तरोत्तर बढ़ाना है। वर्ष के दौरान सरकार ने ₹ 551.32 करोड़ का अंशदान दिया। 31 मार्च 2022 तक निधि का कुल संचय ₹ 6,072.44 करोड़ था जो बकाया गारंटियों का 7.35 प्रतिशत (31 मार्च 2021 को ₹ 5,454.32 करोड़) बनता है।

वित्त लेखों के विवरण 21 तथा 22 में निधि मे लेन–देन दर्शाया जाता है।

(iii) उचन्त तथा प्रेषण शेष:

वित्त लेखे में 'उचन्त तथा प्रेषण' शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष प्रतिबिंबित होते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष, विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से बकाया नामे तथा जमा शेषों को जोड़कर निकाला जाता है, 31 मार्च 2022 को तीन शीर्षो के तहत ₹ 84.79 करोड़ (31 मार्च 2021 को ₹ 156.71 करोड़) था ।

इन शीर्षों के अधीन बकाया शेषों का निस्तारण नही करने से राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों के शेषों (जो वर्ष दर वर्ष आगे ले जाये जाते है) एवं प्राप्ति/व्यय आंकड़ों की सटीकता को प्रभावित करता है।

(iv) भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर:

भारत सरकार ने कामगारों को लाभ प्रदान करने के लिए उपकर लगाने और एकत्र करने के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) लागू किया।

वर्ष 2021–22 के दौरान सरकार ने मुख्य शीर्ष 0230 के तहत श्रम उपकर के रूप में ₹ 500.87 करोड़ (2020–21: ₹ 367.55 करोड़) एकत्रित किए और भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को ₹ 367.55 करोड़ (2020–21: ₹ 357.56 करोड़) हस्तांतरित किए। 31 मार्च 2022 तक मुख्य शीर्ष 2230 के तहत अहस्तांतरित राशि ₹ 133.32 करोड़ (31 मार्च 2021 को ₹ 9.99 करोड़) थी।

(v) अन्य उपकर/शुल्क/अधिभार:

वर्ष 2021–22 के दौरान सरकार ने उपकर/शुल्क/अधिभार (श्रम उपकर के अलावा) के संग्रहण से ₹ 3,127.57 करोड़ *(2020–21 : ₹ 2,798.11 करोड़)* एकत्रित किए तथा निर्दिष्ट निधियों में ₹ 4,164.09 करोड़ हस्तांतरित किए।

(vi) प्रतिकूल शेष:

वर्ष के दौरान लेखों में प्रदर्शित ऋण शेष का विवरण नीचे दिया गया है: निधि में प्राप्तियों की तुलना में नगर परिषद/नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को पेंशन के अधिक भुगतान के कारण ऋण शेष है। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। अधिक भुगतान के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के नकद शेष में उस सीमा तक कमी आई ।

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	ऋण शेष
8011-106	बीमा एवं पेंशन निधि–अन्य बीमा एवं पेंशन निधियां	2,608.83

(viii) रोकड़ शेष :

महालेखाकार के रिकार्ड के अनुसार 31 मार्च 2022 तक रोकड़ शेष ₹ 281.72 करोड़ (नामे) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 289.03 करोड़ (जमा) था। मुख्य रूप से एजेंसी बैंको द्वारा आरबीआई को आंकड़ों की गलत रिपोर्टिंग और तीन कोषालयों से सत्यापित तिथिवार मासिक विवरण (वीडीएमएस) प्राप्त न होने के कारण ₹ 7.31 करोड़ (नामे) का शुद्ध अन्तर था। यद्यपि, जून 2022 के अंत तक ₹ 0.06 करोड़ (नामे) बकाया रहे। अंतर मिलान के अधीन है।

संदर्भित आकड़े वित्त लेखों के विवरण संख्या 21 में उपलब्ध है।

महालेखाकार के रिकार्ड के अनुसार 31 मार्च 2021 तक रोकड़ शेष ₹ 20.99 करोड़ (नामे) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 18.92 करोड़ (जमा) था। मुख्य रूप से एजेंसी बैंको द्वारा आरबीआई को आंकड़ों की गलत रिपोर्टिंग और तीन एजेंसी बैकों से सत्यापित तिथिवार मासिक विवरण (वीडीएमएस) प्राप्त न होने के कारण ₹ 2.07 करोड़ (जमा) का शुद्ध अन्तर था।

6. राजस्व व्यय पर प्रभाव:

राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण/सांविधिक प्रावधानों के गैर–अनुपालन का राज्य के वित्त पर प्रभाव, जैसा कि पिछले पैरा में बताया गया है, नीचे सारणीबद्ध है:–

(₹ करोड़ में)

अनुच्छेद संख्या	मद	अधिक दर्शाया गया राजस्व व्यय	कम दर्शाया गया राजस्व व्यय
3 (ii)	राजस्व तथा पूंजी व्यय के बीच गलत वर्गीकरण	..	1,044.21
3 (viii)	ब्याज वाली आरक्षित निधियां तथा जमाओं पर ब्याज जमा नहीं किया जाना	..	16.12
5 (i)	सरकार द्वारा एन.पी.एस. में कम अंशदान	..	641.89
5 (iv)	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर का कम हस्तांतरण	..	133.32
5 (v)	अन्य उपकर और अधिभार का अधिक हस्तान्तरण	1,036.52	..
योग (शुद्ध) प्रभाव (कम दर्शाया गया)		**..**	**799.02**

© भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
2022

www.cag.gov.in

सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

(खण्ड II)

2021-22

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

वित्त लेखे
(खण्ड II)

वर्ष 2021-2022 के लिए

राजस्थान सरकार

विषय सूची

विषय		पृष्ठ
	खण्ड I	
♦	विषय सूची	i-iii
♦	भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	iv-v
♦	वित्त लेखे का मार्गदर्शन	vii–xii
विवरण 1.	वित्तीय स्थिति का विवरण	2–3
विवरण 2.	प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण	4–6
	विवरण संख्या 2 का अनुबंध	7–9
विवरण 3.	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	10–13
विवरण 4.	व्यय का विवरण (समेकित निधि)	
	क: कार्यकलाप के अनुसार व्यय	14–19
	ख: प्रकृति के अनुसार व्यय	20–25
विवरण 5.	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण	26–32
विवरण 6.	उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण	
	(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण	33–35
	(ii) ऋण सेवा	36–37
विवरण 7.	सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विवरण	
	खण्ड: 1 कर्जे तथा पेशगियों का सारांश: कर्जदार समूहवार	38
	खण्ड: 2 कर्जे तथा पेशगियों का सारांश: खण्डवार	39
	खण्ड: 3 ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सांरांश	40–41
विवरण 8.	सरकार के निवेशों का विवरण	42
विवरण 9.	सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का विवरण	43
विवरण 10.	सरकार द्वारा दी गयी सहायतार्थ अनुदान का विवरण	
	(i) वर्ष 2021–22 के दौरान सहायतार्थ–अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण	44–48
	(ii) पण्य में सहायतार्थ अनुदान के कुल मूल्य का ब्यौरा तथा पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायतार्थ अनुदान के मूल्य का विवरण	49
विवरण 11.	दत्तमत तथा *प्रभारित* व्यय का विवरण	50–51
विवरण 12.	राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्त्रोतों एवं आवेदन का विवरण	52–55
विवरण 13.	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश	56–57
♦	वित्त लेखाओं से टिप्पणियाँ	58–69

विषय सूची – *(क्रमशः)*

पृष्ठ

खण्ड II

भाग I

विवरण 14.	लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण	72–122
विवरण 15.	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण	123–203
	विवरण संख्या 15 का अनुबंध	204–209
विवरण 16.	लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण	210–296
विवरण 17.	उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण	
	(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण	297–304
	(ख) परिपक्व रूपरेखा	305–307
	(ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा	308–309
	विवरण संख्या 17 का अनुबंध	310–334
विवरण 18.	सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण	
	मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण	335–380
	अन्य ऋणी संस्थाओं के बकाया पुर्नभुगतान	381
	अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण	382–385
विवरण 19.	सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण	
	खण्ड1: 2021–22 तक के निवेशों का विवरण	386–407
	खण्ड 2: वर्ष के दौरान मुख्य तथा लघु शीर्षवार निवेश का विवरण	408
विवरण 20.	सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का ब्यौरेवार विवरण	
	(क) वर्गवार गारन्टियों का विवरण	409
	(ख) गारन्टियों का विवरण	410–416
विवरण 21.	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण	417–428
	विवरण संख्या 21 का अनुबंध	429–435
विवरण 22.	पृथक आरक्षित शेषों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण	436–454

विषय सूची – *(समाप्त)*

पृष्ठ

खण्ड II – *(समाप्त)*
भाग II

परिशिष्ट I	संवेतन पर तुलनात्मक व्यय	456–476
परिशिष्ट II	सहाय्य पर तुलनात्मक व्यय	477–494
परिशिष्ट III	राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता/ सहायतार्थ अनुदान (संस्थावार तथा योजनावार)	495–542
परिशिष्ट IV	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे	543–545
परिशिष्ट V	आयोजनागत योजना व्यय	
	(क) केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)	546–581
	(ख) राज्य आयोजनागत योजनाएं	582–643
परिशिष्ट VI	राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण (राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियां) (गैर अंकेक्षित आंकड़े)	644–651
परिशिष्ट VII	शेषों की स्वीकृति तथा समाधान (विवरण संख्या 7 एवं 18 में दर्शाये अनुसार)	652
परिशिष्ट VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	653–657
परिशिष्ट IX	सरकार की वचनबद्धता– अधूरे पूंजी निर्माण कार्यो की सूची	658
परिशिष्ट X	संवेतन एवं गैर संवेतन भाग को पृथक करते हुए रखरखाव व्यय	659–678
परिशिष्ट XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं	679
परिशिष्ट XII	सरकार के वचनबद्ध दायित्व	680

भाग I

विवरण संख्या14– लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
	(₹ लाख में)		
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखे)			
क. कर राजस्व			
(वापसियों को लेखों में सम्मिलित करने के बाद आंकड़े निवल हैं)			
(क) वस्तु एवं सेवा कर			
0005. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर			
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	15,26,133.00	10,60,262.00	(+) 43.94
योग –0005	15,26,133.00	10,60,262.00	(+) 43.94
0006. राज्य वस्तु एवं सेवा कर			
101. कर	13,29,891.86	10,94,193.92	(+) 21.54
102. ब्याज	5,618.56	4,497.12	(+) 24.94
103. शास्ति	1,270.61	1,802.98	(-) 29.53
104. शुल्क	3,509.14	5,976.22	(-) 41.28
105. राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत आगत कर साख का प्रति उपयोग	10,49,075.52	6,95,370.86	(+) 50.87
106. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का बंटवारा–कर अंश का एस जी एस टी में हस्तान्तरण	2,17,932.16	1,10,524.74	(+) 97.18
107. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का बंटवारा–ब्याज अंश का एस जी एस टी में हस्तान्तरण	175.45	..	..
110. आई जी एस टी से अग्रिम बंटवारा	1,42,616.90	1,62,807.08	(-) 12.40
500. प्राप्तियां जिनका हस्तांतरण अन्य लघु शीर्ष में होना है	0.04	50.83	(-) 99.92
800. अन्य प्राप्तियां	100.02	262.94	(-) 61.96
योग –0006	27,50,190.26	20,75,486.69	(+) 32.51
योग–(क) वस्तु एवं सेवा कर	42,76,323.26	31,35,748.69	(+) 36.37

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
क. कर राजस्व –*(क्रमशः)*				
(ख) आय तथा व्यय पर कर				
0020. निगम कर				
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा		16,17,211.00	10,71,119.00	(+) 50.98
	योग –0020	16,17,211.00	10,71,119.00	(+) 50.98
0021. आय पर निगम कर से भिन्न कर				
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा		15,87,716.00	10,97,832.00	(+) 44.62
	योग–0021	15,87,716.00	10,97,832.00	(+) 44.62
0022. कृषि आय पर कर				
101. कर संग्रहण		0.19	0.04	(+) 375.00
	योग–0022	0.19	0.04	(+) 375.00
0028. आय तथा व्यय पर अन्य कर				
107. व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर		0.58	0.86	(-) 32.56
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा		11.00	..	..
	योग–0028	11.58	0.86	(+) 1246.51
	योग–(ख) आय तथा व्यय पर कर	32,04,938.77	21,68,951.90	(+) 47.76

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
क. कर राजस्व –*(क्रमशः)*				
(ग) सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर				
0029. भू–राजस्व				
101. भू –राजस्व/कर		30.48	37.65	(-) 19.04
103. भूमि पर पौरकर और उपकर		17.09	15.62	(+) 9.41
105. सरकारी सम्पदाओं की बिक्री से प्राप्तियां		41,390.90	10,669.65	(+) 287.93
107. परती भूमि की बिक्री से आगमन और भू–कर का प्रतिदान		305.38	290.16	(+) 5.25
800. अन्य प्राप्तियां		21,403.90 (क)	16,919.08	(+) 26.51
	योग–0029	63,147.75	27,932.16	(+) 126.08
0030. स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क				
01. स्टाम्प–न्यायिक				
101. स्टाम्प से उगाहा गया न्यायालय शुल्क		123.52	63.08	(+) 95.81
102. स्टाम्पों की बिक्री		5,427.53	4,599.95	(+) 17.99
800. अन्य प्राप्तियां		61.96	124.15	(-) 50.09
	योग –01	5,613.01	4,787.18	(+) 17.25
02. स्टाम्प – न्यायिकेतर				
102. स्टाम्पों की बिक्री		3,01,759.20	1,96,660.91	(+) 53.44
103. दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना		1,23,215.68	1,51,140.98	(-) 18.48

(क) इसमें (₹ 11,733.87 लाख) कृषि भूमि को आवासीय भूमि में रूपान्तरण करने बाबत् शुल्क सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
क. कर राजस्व –*(क्रमशः)*				
(ग) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर– (क्रमशः)				
0030. स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क – *(समाप्त)*				
02. स्टाम्प – न्यायिकेतर – ***(समाप्त)***				
800. अन्य प्राप्तियां		1,31,050.16 (क)	1,09,387.54	(+) 19.80
	योग –02	5,56,025.04	4,57,189.43	(+) 21.62
03. पंजीकरण शुल्क				
104. दस्तावेजों को पंजीकृत करने का शुल्क		79,715.43	60,320.36	(+) 32.15
800. अन्य प्राप्तियां		7,837.39	7,430.36	(+) 5.48
	योग–03	87,552.82	67,750.72	(+) 29.23
	योग–0030	6,49,190.87	5,29,727.33	(+) 22.55
0032. धन कर				
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा		337.00	..	..
	योग–0032	337.00	..	..
0035. कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर				
101. साधारण संग्रहण		2.30	24.58	(-) 90.64

(क) इसमें आधारभूत विकास के लिए स्टाम्प शुल्क पर अधिभार (₹ 41,857.54 लाख) , गो संवर्धन/संरक्षण के लिए स्टॉम्प शुल्क पर अधिभार (₹ 41,872.53 लाख) एवं प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से राहत के लिए अधिभार (₹ 41,794.16 लाख) सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
	(₹ लाख में)		
क. कर राजस्व – *(क्रमशः)*			
(ग) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर – (समाप्त)			
0035. कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर – *(समाप्त)*			
800. अन्य प्राप्तियां	22,243.17 (क)	6,271.45	(+) 254.67
योग–0035	22,245.47	6,296.03	(+) 253.33
योग–(ग) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	7,34,921.09	5,63,955.52	(+) 30.32
(घ) वस्तु और सेवा कर के अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर			
0037. सीमा शुल्क			
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	3,86,352.00	1,91,039.00	(+) 102.24
योग–0037	3,86,352.00	1,91,039.00	(+) 102.24
0038. संघ उत्पाद शुल्क			
01. शेयर करने योग्य शुल्क			
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	2,09,763.00	1,19,876.00	(+) 74.98
योग–0038	2,09,763.00	1,19,876.00	(+) 74.98
0039. राज्य उत्पाद शुल्क			
101. देशी स्पिरिट	5,33,568.57	3,98,086.91	(+) 34.03
103. यवरस (माल्ट लिकर)	2,05,338.11	1,45,574.05	(+) 41.05

(क) प्राप्तियां भूमि कर (₹ 22,230.37 लाख) से सम्बन्धित हैं।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22		वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)			
क. कर राजस्व – *(क्रमशः)*					
(घ) वस्तु और सेवा कर के अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर – (क्रमशः)					
0039. राज्य उत्पाद शुल्क – *(समाप्त)*					
105. विदेशी लिकर और स्पिरिट		3,92,666.94		3,53,292.53	(+) 11.14
106. वाणिज्यिक और विकृत स्पिरिट तथा औषध युक्त मदिरा		223.73		577.25	(-) 61.24
107. अल्कोहल, अफीम आदि सहित औषधीय और प्रसाधन निर्मिति		12.74		11.66	(+) 9.26
108. अफीम, गांजा और अन्य स्वापक		3,396.03		2,124.52	(+) 59.85
150. अर्थदण्ड और समपहरण		1,711.34		1,406.62	(+) 21.66
501. सेवाएं तथा सेवा शुल्क		6,366.80		11,168.96	(-) 43.00
800. अन्य प्राप्तियां		37,449.39	(क)	73,057.49	(-) 48.74
	योग–0039	11,80,733.65		9,85,299.99	(+) 19.83
0040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
101. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां		62,161.50		33,209.45	(+) 87.18
102. राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां		0.04		..	..
111. मूल्य संवर्धित कर (वैट) प्राप्तियां		18,23,567.39		15,57,891.36	(+) 17.05
800. अन्य प्राप्तियां		1,74,811.38	(ख)	1,56,802.74	(+) 11.48
	योग–0040	20,60,540.31		17,47,903.55	(+) 17.89

(क) इसमें उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर अधिभार (₹ 16,420.44 लाख) सम्मिलित हैं।

(ख) इसमें पेट्रोल तथा डीजल पर उपकर (₹ 1,26,024.91 लाख) तथा गो संरक्षण एवं संवर्द्धन (₹ 48,083.18 लाख) हेतु वेट पर अधिभार सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
क. कर राजस्व –*(क्रमशः)*				
(घ) वस्तु और सेवा कर के अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर –(क्रमशः)				
0041. वाहन कर				
102. राज्य मोटर यान कराधान अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियां		4,75,941.39	4,36,613.59	(+) 9.01
800. अन्य प्राप्तियां		(-) 49.87 (क)	203.70	..
	योग–0041	4,75,891.52	4,36,817.29	(+) 8.95
0042. माल तथा यात्री कर				
106. माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर		17,117.04	4,518.32	(+) 278.84
	योग–0042	17,117.04	4,518.32	(+) 278.84
0043. विद्युत कर तथा शुल्क				
101. विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर		2,04,045.89	1,93,723.67	(+) 5.33
103. सिनेमा के विद्युतीय निरीक्षण के लिए फीस		6.60	3.31	(+) 99.40
800. अन्य प्राप्तियां		56,566.32 (ख)	20,512.24	(+) 175.77
	योग–0043	2,60,618.81	2,14,239.22	(+) 21.65
0044. सेवा शुल्क				
800. अन्य प्राप्तियां		0.71	..	..
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा		70,137.00	15,000.00	(+) 367.58
	योग–0044	70,137.71	15,000.00	(+) 367.58

(क) *ऋण* आकड़े ₹ 285.88 लाख राजस्व की वापसी के कारण है।

(ख) इसमें शहरी उपकर (₹ 30,000.00 लाख) तथा जल संरक्षण उपकर (₹ 24,918.95 लाख) से प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
	(₹ लाख में)		
क. कर राजस्व – *(समाप्त)*			
(घ) वस्तु और सेवा कर के अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर – (समाप्त)			
0045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
101. मनोरंजन कर	1,060.79	9.33	(+) 11269.67
105. विलासिता कर	59.93	113.47	(-) 47.18
112. अन्य अधिनियम के तहत उपकर से प्राप्तियां	0.55	..	..
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	5,401.00	2,449.00	(+) 120.54
योग–0045	6,522.27	2,571.80	(+) 153.61
योग–(घ) वस्तु तथा सेवा कर के अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	46,67,676.31	37,17,265.17	(+) 25.57
योग –क. कर राजस्व	1,28,83,859.43	95,85,921.28	(+) 34.40

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22		वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)			
ख. करेतर राजस्व					
(ख) ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ					
0049. ब्याज प्राप्तियां					
04. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियां					
103. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज		1,50,967.85	(क)	1,37,112.31	(+) 10.11
107. कृषकों से ब्याज		1.23		1.00	(+) 23.00
110. नकद शेषों के निवेश पर उगाहा गया ब्याज		4,368.95		2,337.64	(+) 86.90
190. सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज		4,423.73		1,22,990.91	(-) 96.40
191. स्थानीय निकायों से ब्याज		3.33		5.27	(-) 36.81
195. सहकारी समितियों से ब्याज		441.37		911.94	(-) 51.60
800. अन्य प्राप्तियां		2,122.40	(ख)	3,274.51	(-) 35.18
801. अनुदान ग्राही से अव्यतित शेष पर ब्याज अथवा अन्य प्राप्तियां		489.83		2,681.61	(-) 81.73
900. *घटाईये*–वापसियां		(-) 0.49		(-) 0.16	(+) 206.25
	योग – 0049	1,62,818.20		2,69,315.03	(-) 39.54
0050. लाभांश तथा लाभ					
101. सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश		8,518.87		247.07	(+) 3347.96
200. अन्य निवेशों से लाभांश		229.09		42.08	(+) 444.42
	योग –0050	8,747.96		289.15	(+) 2925.41
	योग –(ख) ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ	1,71,566.16		2,69,604.18	(-) 36.36

(क) इसमें पूंजी लेखे पर ब्याज (₹ 1,50,848.27 लाख) का कल्पित समायोजन सम्मिलित है।

(ख) इसमें संसाधन विकास निधि के निवेश पर ब्याज (₹ 1,176.93 लाख) तथा शहरी निकायों से ए.डी.बी. योजना के तहत ब्याज (₹ 501.06 लाख) सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – *(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व				
(i) सामान्य सेवाएं				
0051. लोक सेवा आयोग				
105. राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क		7,512.72	6,900.68	(+) 8.87
800. अन्य प्राप्तियां		28.34	3.56	(+) 696.07
900. *घटाईये*–वापसियां		(-) 0.70	(-) 0.01	(+) 6900.00
	योग –0051	7,540.36	6,904.23	(+) 9.21
0055. पुलिस				
101. अन्य सरकारों को भेजी गयी पुलिस		28,564.87	3,737.51	(+) 664.28
102. अन्य दलों को भेजी गयीं पुलिस		14,489.36	12,288.19	(+) 17.91
103. फीस, अर्थदण्ड और समपरहण		125.33	145.34	(-) 13.77
104. शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां		583.07	557.57	(+) 4.57
105. राज्य मुख्यालय पुलिस की प्राप्तियां		6,841.40	0.09	..
800. अन्य प्राप्तियां		2,637.43	2,533.92	(+) 4.08
900. *घटाईये*–वापसियां		(-) 4.47	(-) 8.63	(-) 48.20
	योग–0055	53,236.99	19,253.99	(+) 176.50
0056. जेल				
102. जेल उत्पादों की बिक्री		..	0.01	(-) 100.00
800. अन्य प्राप्तियां		55.49	58.72	(-) 5.50

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – *(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(i) सामान्य सेवाएं – ***(क्रमशः)***				
0056. जेल – *(समाप्त)*				
900. *घटाईये*–वापसियां		(-) 0.05	..	..
	योग –0056	55.44	58.73	(-) 5.60
0058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण				
102. राज–पत्रों आदि की बिक्री		143.01	128.40	(+) 11.38
200. अन्य मुद्रणालय प्राप्तियां		108.15	99.92	(+) 8.24
800. अन्य प्राप्तियां		966.19	387.36	(+) 149.43
900. *घटाईये*–वापसियां		(-) 0.15	(-) 5.74	(-) 97.39
	योग–0058	1,217.20	609.94	(+) 99.56
0059. लोक निर्माण कार्य				
80. सामान्य				
011. किराया		159.28	94.10	(+) 69.27
102. मशीन और उपस्कर का भाड़ा		50.24	54.84	(-) 8.39
103. प्रतिशतता प्रभारों की वसूली		7,993.43	6,254.50	(+) 27.80
800. अन्य प्राप्तियां		2,685.49	2,895.46	(-) 7.25
900. *घटाईये*–वापसियां		(-) 0.25	(-) 1.17	(-) 78.63
	योग–0059	10,888.19	9,297.73	(+) 17.11

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – *(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(i) सामान्य सेवाएं – ***(क्रमशः)***				
0070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
01. न्याय प्रशासन				
102. अर्थ दण्ड और समपहरण		6,197.47	4,637.11	(+) 33.65
501. सेवाएं और सेवा शुल्क		67.09	58.83	(+) 14.04
800. अन्य प्राप्तियां		834.40	2,930.88	(-) 71.53
900. *घटाइये–* वापसियां		(-) 397.34	(-) 247.10	(+) 60.80
	योग–01	6,701.62	7,379.72	(-) 9.19
02. चुनाव				
101. चुनाव फार्मों और दस्तावेजों की बिक्री से आगम		2.24	2.60	(-) 13.85
104. शुल्क, अर्थदण्ड और समपहरण		2.57	9.50	(-) 72.95
800. अन्य प्राप्तियां		33,793.47	13.62	..
	योग–02	33,798.28	25.72	..
60. अन्य सेवाएं				
101. केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिये केन्द्र सरकार से प्राप्तियां		37.46	30.10	(+) 24.45
103. विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां		18.70	4.05	(+) 361.73
106. सिविल रक्षा		415.65	698.99	(-) 40.54
110. सरकारी लेखा परीक्षा के लिए शुल्क		1,184.73	1,006.59	(+) 17.70
113. प्रतिलिप्याधिकार शुल्क		0.01	..	..
114. मोटर गैराज आदि से प्राप्तियां		2,347.57	1,842.59	(+) 27.41

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व–*(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व– (क्रमशः)				
(i) सामान्य सेवाएं– ***(क्रमशः)***				
0070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं – *(समाप्त)*				
*60. अन्य सेवाएं– **(समाप्त)***				
115. अतिथि गृहों, सरकारी होस्टलों आदि से प्राप्तियां		964.60	646.78	(+) 49.14
118. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्तियां		40.77	26.29	(+) 55.08
121. आपदा प्रबन्धन के लिए व्यक्तियों/सस्थाओं से अनुदान/अंशदान		0.10	..	..
501. सेवाएं और सेवा शुल्क		261.03	237.03	(+) 10.13
800. अन्य प्राप्तियां		4,113.17 (क)	2,810.43	(+) 46.35
900. *घटाइये–* वापसियां		(-) 52.27	(-) 45.91	(+) 13.85
	योग –60	9,331.52	7,256.94	(+) 28.59
	योग–0070	49,831.42	14,662.38	(+) 239.86
0071. पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली				
01. सिविल				
101. अभिदान और अंशदान		3,951.54	4,718.13	(-) 16.25
800. अन्य प्राप्तियां		8,631.87 (ख)	4,541.77	(+) 90.06
900. *घटाइये–* वापसियां		(-) 196.39	(-) 1.20	(+) 16265.83
	योग –0071	12,387.02	9,258.70	(+) 33.79

(क) इसमें पासपोर्ट सेवाओं से सम्बन्धित भारत सरकार से प्राप्त ₹ 443.24 लाख, राजस्थान कृषि साख संचालन नियम, 1974 के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 1,741.70 लाख , जीवन बीमा निगम की वेतन बचत योजना से ₹ 100.20 लाख तथा नागर विमानन निदेशालय की ₹ 1,225.01 लाख की प्राप्तियां सम्मिलित है।

(ख) इसमें नई अंशदायी पेंशन योजना के तहत केन्द्रीय रिकॉर्ड एजेंसी से अंतिम निपटान के रूप में सकल प्राप्तियां (₹ 8,565.68 लाख) सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व–*(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(i) सामान्य सेवाएं– ***(समाप्त)***				
0075. विविध सामान्य सेवाएं				
101. अदावाकृत जमा राशि		7,790.30	4,098.60	(+) 90.07
105. भूमि और सम्पत्ति की बिक्री		5,287.49	4,720.14	(+) 12.02
108. गारन्टी फीस		58,683.82	43,963.79	(+) 33.48
791. विनिमय से लाभ		0.23	0.34	(-) 32.35
800. अन्य प्राप्तियां		1,89,498.90 (क)	23,152.66	(+) 718.48
900. *घटाइये* – वापसियां		(-) 2,119.56	(-) 1,234.57	(+) 71.68
	योग –0075	2,59,141.18	74,700.96	(+) 246.90
	योग–(i) सामान्य सेवाएं	3,94,297.80	1,34,746.66	(+) 192.62
(ii) सामाजिक सेवाएं				
0202. शिक्षा, खेल–कूद, कला तथा संस्कृति				
01. सामान्य शिक्षा				
101. प्रारम्भिक शिक्षा		4,074.68	3,108.40	(+) 31.09
102. माध्यमिक शिक्षा		2,871.57	3,076.15	(-) 6.65
103. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा		6,251.32	3,638.34	(+) 71.82
600. सामान्य		57.74	27.80	(+) 107.70
900. *घटाइये* – वापसियां		(-) 0.84	..	..
	योग–01	13,254.47	9,850.69	(+) 34.55

(क) इसमें (i) लोक लेखे में सामान्य भविष्य निधि के संबंध में कर्मचारियों की जमा राशि से ₹ 1,00,000.00 लाख का हस्तांतरण, (ii) लोक लेखे में सामान्य बीमा योजना– राज्य सरकार बीमा निधि से ₹ 30,000.00 लाख का हस्तांतरण, (iii) राजस्थान राज्य सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना– राज्य सरकार कर्मचारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लोक लेखा से ₹ 20,000.00 लाख का हस्तांतरण, (iv) नगर सुधार न्यासों द्वारा जमा नगरीय मूल्यांकन प्राप्तियां (₹ 6,679.50 लाख), (v) राजस्थान सरकार स्टॉक पर प्रीमियम (₹ 13,507.63 लाख), (vi) संविदा शुल्क से प्राप्ति (₹ 2,183.64 लाख) तथा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की अंश पूंजी के विनिवेश पर लाभ (₹ 2,933.00 लाख) सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व –*(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(ii) सामाजिक सेवाएं –*(क्रमशः)*				
0202. शिक्षा, खेल–कूद, कला तथा संस्कृति –*(समाप्त)*				
02. तकनीकी शिक्षा				
101. शिक्षण और अन्य शुल्क		80.61	171.94	(-) 53.12
800. अन्य प्राप्तियां		850.62	299.43	(+) 184.08
	योग–02	931.23	471.37	(+) 97.56
04. कला और संस्कृति				
101. अभिलेखागार और संग्रहालय		114.96	46.24	(+) 148.62
102. सार्वजनिक पुस्तकालय		2.66	2.56	(+) 3.91
800. अन्य प्राप्तियां		2,559.05 (क)	1,136.17	(+) 125.23
900. *घटाइये* – वापसियां		(-) 0.29	(-) 0.55	(-) 47.27
	योग–04	2,676.38	1,184.42	(+) 125.97
	योग–0202	16,862.08	11,506.48	(+) 46.54
0210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं				
020. अस्पताल और औषधालय सेवाओं के लिए रोगियों से प्राप्तियां		68.74	89.44	(-) 23.14
101. कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियां		20,115.11	18,148.05	(+) 10.84
107. औषधी निर्माण से प्राप्तियां		5.39	2.27	(+) 137.44

(क) इसमें आमेर विकास प्राधिकरण से संबंधित (₹ 2,409.62 लाख) प्राप्तियां सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व –*(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(ii) सामाजिक सेवाएं ***– (क्रमशः)***				
0210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य *– (समाप्त)*				
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ***– (समाप्त)***				
800. अन्य प्राप्तियां		565.37	834.62	(-) 32.26
900. *घटाइये* – वापसियां		(-) 1.23	..	..
	योग–01	20,753.38	19,074.38	(+) 8.80
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान				
101. आयुर्वेद		26.74	357.56	(-) 92.52
105. एलौपैथी		1,604.15	1,041.94	(+) 53.96
800. अन्य प्राप्तियां		6.24	6.06	(+) 2.97
	योग–03	1,637.13	1,405.56	(+) 16.48
04. लोक स्वास्थ्य				
105. सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं से प्राप्तियां		..	0.08	(-) 100.00
800. अन्य प्राप्तियां		4,640.85 (क)	2,229.30	(+) 108.18
900. *घटाइये* – वापसियां		..	(-) 0.09	(-) 100.00
	योग–04	4,640.85	2,229.29	(+) 108.18
	योग–0210	27,031.36	22,709.23	(+) 19.03

(क) इसमें *जन स्वास्थ्य बीमा योजना* के तहत (₹ 3,547.92 लाख) प्राप्ति सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व –*(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(ii) सामाजिक सेवाएं ***– (क्रमशः)***				
0211. परिवार कल्याण				
800. अन्य प्राप्तियां		21.93	13.48	(+) 62.69
	योग–0211	21.93	13.48	(+) 62.69
0215. जलपूर्ति तथा सफाई				
01. जलपूर्ति				
102. ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं से प्राप्तियां		3,996.51	4,251.30	(-) 5.99
103. शहरी जलपूर्ति योजनाओं से प्राप्तियां		33,030.48	41,952.62	(-) 21.27
501. सेवाएं और सेवा शुल्क		400.29	16.15	(+) 2378.58
800. अन्य प्राप्तियां		1,943.49	1,203.90	(+) 61.43
	योग–01	39,370.77	47,423.97	(-) 16.98
02. मल–जल और सफाई				
103. मल–जल योजनाओं से प्राप्तियां		2,139.69	2,403.06	(-) 10.96
800. अन्य प्राप्तियां		4,240.28	4,915.62	(-) 13.74
900. *घटाइये* – वापसियां		(-) 10.92	(-) 0.04	(+) 27200.00
	योग–02	6,369.05	7,318.64	(-) 12.97
	योग–0215	45,739.82	54,742.61	(-) 16.45

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व–*(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(ii) सामाजिक सेवाएं–***(क्रमशः)***				
0216. आवास				
01. सरकारी रिहायशी भवन				
106. साधारण पूल आवास		729.25	765.85	(-) 4.78
700. अन्य आवास		19.60	13.14	(+) 49.16
900. *घटाईये*–वापसियां		(-) 0.10	(-) 0.08	(+) 25.00
	योग–0216	748.75	778.91	(-) 3.87
0217. शहरी विकास				
02. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र				
800. अन्य प्राप्तियां		150.53	161.83	(-) 6.98
	योग–02	150.53	161.83	(-) 6.98
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं				
800. अन्य प्राप्तियां		245.87	231.29	(+) 6.30
	योग–60	245.87	231.29	(+) 6.30
	योग–0217	396.40	393.12	(+) 0.83

विवरण संख्या 14 –*(क्रमश:)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व–*(क्रमश:)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमश:)				
(ii) सामाजिक सेवाएं–*(क्रमश:)*				
0220. सूचना तथा प्रचार				
01. फिल्म				
800. अन्य प्राप्तियां		10.03	21.37	(-) 53.07
	योग–0220	10.03	21.37	(-) 53.07
0230. श्रम तथा रोजगार				
102. व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए शुल्क		0.69	0.22	(+) 213.64
103. वाष्प बायलरों के निरीक्षण के लिए शुल्क		314.08	260.42	(+) 20.61
104. फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत उगाहा गया शुल्क		1,444.58	1,460.27	(-) 1.07
106. ठेका श्रमिक के अन्तर्गत शुल्क (विनियमन और उन्मूलन नियम)		55.52	76.72	(-) 27.63
800. अन्य प्राप्तियां		51,279.75 (क)	37,498.48	(+) 36.75
	योग–0230	53,094.62	39,296.11	(+) 35.11
0235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
01. पुनर्वास				
200. अन्य पुनर्वास योजनाएं		0.38	6.60	(-) 94.24
800. अन्य प्राप्तियां		89.74	142.19	(-) 36.89
	योग–01	90.12	148.79	(-) 39.43

(क) इसमें भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतु उपकर से सम्बन्धित ₹ 50,087.19 लाख सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व–*(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(ii) सामाजिक सेवाएं–***(समाप्त)***				
0235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण –*(समाप्त)*				
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण				
800. अन्य प्राप्तियां		1,660.28 (क)	2,368.42	(-) 29.90
900. *घटाईयें*–वापसियां		..	(-) 3.97	(-) 100.00
	योग–60	1,660.28	2,364.45	(-) 29.78
	योग–0235	1,750.40	2,513.24	(-) 30.35
0250. अन्य सामाजिक सेवाएं				
102. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		1,728.37	1,315.86	(+) 31.35
800. अन्य प्राप्तियां		454.16 (ख)	307.19	(+) 47.84
	योग–0250	2,182.53	1,623.05	(+) 34.47
	योग–(ii) सामाजिक सेवाएं	1,47,837.92	1,33,597.60	(+) 10.66
(iii) आर्थिक सेवाएं				
0401. फसल कृषि–कर्म				
103. बीज		8.91	2.27	(+) 292.51
107. वनस्पति रक्षण सेवाओं से प्राप्तियां		0.33	..	..

(क) इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से पेंशन से संबंधित प्राप्तियां (₹ 1,244.29 लाख) सम्मिलित हैं।

(ख) इसमें धार्मिक एवं धमार्थ संस्थाओं से संबंधित प्राप्तियां (₹ 395.07 लाख) सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व–*(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(iii) आर्थिक सेवाएं– ***(क्रमशः)***				
0401. फसल कृषि–कर्म – *(समाप्त)*				
110. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अनुदान		..*	..	..
119. बागवानी और वनस्पति फसलों से प्राप्तियां		22.33	4.81	(+) 364.24
800. अन्य प्राप्तियां		1,110.87	1,039.51	(+) 6.86
	योग–0401	1,142.44	1,046.59	(+) 9.16
0403. पशुपालन				
102. मवेशी और भैंस पालन के विकास से प्राप्तियां		324.82	322.27	(+) 0.79
103. मुर्गी पालन के विकास से प्राप्तियां		0.06	0.17	(-) 64.71
104. भेड़ पालन और ऊन के विकास से प्राप्तियां		0.72	0.73	(-) 1.37
105. सूअर पालन के विकास से प्राप्तियां		..	3.21	(-) 100.00
108. अन्य पशुधन के विकास से प्राप्तियां		0.02	.. #	..
501. सेवाएं और सेवा शुल्क		501.05	563.21	(-) 11.04
800. अन्य प्राप्तियां		127.56	57.39	(+) 122.27
	योग–0403	954.23	946.98	(+) 0.77

* ₹ 50 मात्र ।

₹ 300 मात्र ।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व –*(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(iii) आर्थिक सेवाएं–***(क्रमशः)***				
0405. मछली पालन				
011. किराया		3,857.72	4,936.33	(-) 21.85
102. अनुज्ञापन शुल्क, अर्थ दण्ड आदि		28.53	57.27	(-) 50.18
103. मछली, मछली बीज आदि की बिक्री		9.27	22.16	(-) 58.17
800. अन्य प्राप्तियां		240.93	184.03	(+) 30.92
900. *घटाईये*–वापसियां		(-) 1.44	..	..
	योग–0405	4,135.01	5,199.79	(-) 20.48
0406. वानिकी तथा वन्य प्राणी				
01. वानिकी				
101. लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री		5,408.09	3,110.63	(+) 73.86
800. अन्य प्राप्तियां		4,012.40 (क)	2,826.88	(+) 41.94
900. *घटाईये*–वापसियां		..	(-) 11.80	(-) 100.00
	योग–01	9,420.49	5,925.71	(+) 58.98
02. पर्यावरणीय वानिकी और वन्य प्राणी				
111. प्राणी उद्यान		267.90	137.33	(+) 95.08
112. सार्वजनिक उद्यान		71.45	27.34	(+) 161.34

(क) इसमें गैर वन भूमि को वनारोपण के लिए अधिग्रहण करने हेतु क्षतिपूर्ति तथा जुर्माना एवं जब्त प्राप्तियां (₹ 2,590.98 लाख) सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – ***(क्रमशः)***				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(iii) आर्थिक सेवाएं– ***(क्रमशः)***				
0406. वानिकी तथा वन्य प्राणी –*(समाप्त)*				
02. पर्यावरणीय वानिकी और वन्य प्राणी– ***(समाप्त)***				
800. अन्य प्राप्तियां		2,426.23 (क)	1,276.69	(+) 90.04
900. *घटाईये*–वापसियां		(-) 226.08	(-) 0.40	..
	योग–02	2,539.50	1,440.96	(+) 76.24
	योग–0406	11,959.99	7,366.67	(+) 62.35
0425. सहकारिता				
101. लेखापरीक्षा शुल्क		411.68	438.08	(-) 6.03
800. अन्य प्राप्तियां		528.03	9,137.31	(-) 94.22
900. *घटाईये*–वापसियां		..	(-) 0.20	(-) 100.00
	योग–0425	939.71	9,575.19	(-) 90.19
0435. अन्य कृषि कार्यक्रम				
104. मृदा और जल संरक्षण		8.28	23.07	(-) 64.11
800. अन्य प्राप्तियां		1,147.91 (ख)	1,100.65	(+) 4.29
	योग–0435	1,156.19	1,123.72	(+) 2.89

(क) इसमें बाघ परियोजना, रणथम्भोर तथा सरिस्का के माध्यम से पर्यटन तथा ईको डवलपमेन्ट से प्राप्तियां (₹ 2,414.96 लाख) सम्मिलित है।

(ख) इसमें राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्तियां (₹ 1,077.54 लाख) सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – *(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(iii) आर्थिक सेवाएं– ***(क्रमशः)***				
0506. भूमि सुधार				
101. जोत और काश्तकारी के विनियम/चकबन्दी से प्राप्तियां		5.63	1.02	(+) 451.96
	योग–0506	5.63	1.02	(+) 451.96
0515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम				
101. पंचायती राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां		32.12	94.30	(-) 65.94
800. अन्य प्राप्तियां		4,061.08	2,410.07	(+) 68.50
	योग–0515	4,093.20	2,504.37	(+) 63.44
0575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
60. अन्य				
101. क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से प्राप्तियां		159.32	81.32	(+) 95.92
	योग–0575	159.32	81.32	(+) 95.92
0700. मुख्य सिंचाई				
01. भाखरा बांध सिंचाई शाखा (वाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		293.15	684.40	(-) 57.17
102. घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		34.41	30.00	(+) 14.70
103. अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		0.56	1.70	(-) 67.06
104. नहर बागानों से विक्रय आगम		6.52	17.68	(-) 63.12
108. अप्रत्यक्ष प्राप्तियां		28.84	26.03	(+) 10.80

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – ***(क्रमशः)***				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(iii) आर्थिक सेवाएं– ***(क्रमशः)***				
0700. मुख्य सिंचाई– ***(क्रमशः)***				
01. भाखरा बांध सिंचाई शाखा (वाणिज्यिक) – ***(समाप्त)***				
800. अन्य प्राप्तियां		372.63	483.15	(-) 22.87
	योग–01	736.11	1,242.96	(-) 40.78
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		187.25	206.49	(-) 9.32
103. अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		1,189.33	908.11	(+) 30.97
108. अप्रत्यक्ष प्राप्तियां		1.93	3.44	(-) 43.90
800. अन्य प्राप्तियां		897.53	2,161.80	(-) 58.48
	योग–02	2,276.04	3,279.84	(-) 30.61
03. इंदिरा गांधी नहर (वाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री		4,528.64	1,782.08	(+) 154.12
800. अन्य प्राप्तियां		42.49	38.59	(+) 10.11
	योग–03	4,571.13	1,820.67	(+) 151.07
04. इंदिरा गांधी नहर (वाणिज्यिक स्टेज–I)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		386.47	1,083.29	(-) 64.32
102. घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		66.09	36.89	(+) 79.15

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व–*(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(iii) आर्थिक सेवाएं– ***(क्रमशः)***				
0700. मुख्य सिंचाई –*(क्रमशः)*				
*04. इंदिरा गांधी नहर (वाणिज्यिक स्टेज–I)– **(समाप्त:)***				
108. अप्रत्यक्ष प्राप्तियां		0.13	0.27	(-) 51.85
800. अन्य प्राप्तियां		2,029.60	367.41	(+) 452.41
	योग–04	2,482.29	1,487.86	(+) 66.84
05. गुड़गाँव नहर (वाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		0.51	0.57	(-) 10.53
	योग–05	0.51	0.57	(-) 10.53
06. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		11.04	16.20	(-) 31.85
800. अन्य प्राप्तियां		5.31	42.48	(-) 87.50
	योग–06	16.35	58.68	(-) 72.14
07. नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		57.81	55.59	(+) 3.99
800. अन्य प्राप्तियां		86.62	10,097.01	(-) 99.14
	योग–07	144.43	10,152.60	(-) 98.58
08. माही परियोजना (वाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		291.75	247.83	(+) 17.72
	योग–08	291.75	247.83	(+) 17.72

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व–*(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(iii) आर्थिक सेवाएं– ***(क्रमशः)***				
0700. मुख्य सिंचाई – *(समाप्त)*				
09. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		5.88	2.49	(+) 136.14
	योग–09	5.88	2.49	(+) 136.14
10. गंग नहर (वाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		259.65	653.66	(-) 60.28
102. घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		13.03	21.04	(-) 38.07
103. अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		96.39	33.45	(+) 188.16
104. नहर बागानों से विक्रय आगम		0.04	15.11	(-) 99.74
800. अन्य प्राप्तियां		48.62	12.98	(+) 274.58
	योग-10	417.73	736.24	(-) 43.26
80. सामान्य (वाणिज्यिक)				
800. अन्य प्राप्तियां		2,733.59 (क)	2,532.25	(+) 7.95
	योग–80	2,733.59	2,532.25	(+) 7.95
	योग–0700	13,675.81	21,561.99	(-) 36.57
0701. मध्यम सिंचाई				
01. गंग नहर				
800. अन्य प्राप्तियां		..	0.33	(-) 100.00
	योग–01	..	0.33	(-) 100.00

(क) इसमें स्थापना एवं मशीनी तथा उपकरणों से संबंधित प्रतिशत शुल्क की वसूली (₹ 2,733.17 लाख) सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – ***(क्रमशः)***				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(iii) आर्थिक सेवाएं– ***(क्रमशः)***				
0701. मध्यम सिंचाई				
02. जवाई नहर (वाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		25.75	44.83	(-) 42.56
102. घरेलू कार्य के लिए जल की बिक्री		8.71	24.67	(-) 64.69
800. अन्य प्राप्तियां		5.51	11.73	(-) 53.03
	योग–02	39.97	81.23	(-) 50.79
03. मेजा परियोजना (वाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		1.26	0.31	(+) 306.45
102. घरेलू कार्य के लिए जल की बिक्री		4.50	6.30	(-) 28.57
104. नहर बागानों से विक्रय आगम		..	0.09	(-) 100.00
800. अन्य प्राप्तियां		1.76	..	..
	योग–03	7.52	6.70	(+) 12.24
04. पारबती परियोजना (वाणिज्यिक)				
800. अन्य प्राप्तियां		0.12	0.21	(-) 42.86
	योग–04	0.12	0.21	(-) 42.86

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व –*(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(iii) आर्थिक सेवाएं– ***(क्रमशः)***				
0701. मध्यम सिंचाई –*(क्रमशः)*				
05. गुढ़ा परियोजना (वाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		0.20	1.46	(-) 86.30
	योग -05	0.20	1.46	(-) 86.30
06. मोरेल परियोजना (वाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		3.76	3.16	(+) 18.99
	योग–06	3.76	3.16	(+) 18.99
07. अलानिया परियोजना (वाणिज्यिक)				
800. अन्य प्राप्तियां		0.26	0.27	(-) 3.70
	योग–07	0.26	0.27	(-) 3.70
08. पश्चिमी बनास परियोजना (वाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		2.48	0.66	(+) 275.76
103. अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		35.52	8.93	(+) 297.76
800. अन्य प्राप्तियां		1.43	0.87	(+) 64.37
	योग–08	39.43	10.46	(+) 276.96

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व –*(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(iii) आर्थिक सेवाएं– ***(क्रमशः)***				
0701. मध्यम सिंचाई –*(क्रमशः)*				
09. बडगांव पाल परियोजना (वाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		0.51	0.90	(-) 43.33
	योग–09	0.51	0.90	(-) 43.33
10. ओराई परियोजना (वाणिज्यिक)				
800. अन्य प्राप्तियां		..	0.02	(-) 100.00
	योग–10	..	0.02	(-) 100.00
11. वेगन डाइवर्जन परियोजना (वाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		0.04	0.64	(-) 93.75
	योग–11	0.04	0.64	(-) 93.75
12. परवन लिफ्ट परियोजना (अवाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		3.21	8.95	(-) 64.13
	योग–12	3.21	8.95	(-) 64.13

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व –*(क्रमशः)*				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(iii) आर्थिक सेवाएं– ***(क्रमशः)***				
0701. मध्यम सिंचाई – *(समाप्त)*				
13. हरिश चन्द्र सागर परियोजना (अवाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		4.23	2.00	(+) 111.50
	योग–13	4.23	2.00	(+) 111.50
14. अन्य परियोजनायें (अवाणिज्यिक)				
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री		67.24	59.35	(+) 13.29
102. घरेलू कार्य के लिए जल की बिक्री		58.56	10.84	(+) 440.22
103. अन्य कार्य के लिए जल की बिक्री		5,052.20	2,238.35	(+) 125.71
104. नहर बागानों से विक्रय आगम		1.07	3.18	(-) 66.35
800. अन्य प्राप्तियां		90.20	22.08	(+) 308.51
	योग–14	5,269.27	2,333.80	(+) 125.78
80. सामान्य				
800. अन्य प्राप्तियां		349.63	534.71	(-) 34.61
	योग–80	349.63	534.71	(-) 34.61
	योग–0701	5,718.15	2,984.84	(+) 91.57

विवरण संख्या 14 –*(क्रमश:)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – ***(क्रमश:)***				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमश:)				
(iii) आर्थिक सेवाएं– ***(क्रमश:)***				
0702. लघु सिंचाई				
01. सतह जल				
800. अन्य प्राप्तियां		187.66	147.11	(+) 27.56
	योग–01	187.66	147.11	(+) 27.56
02. भू–जल				
101. ट्यूब वैलों से प्राप्तियां		962.61	352.40	(+) 173.16
800. अन्य प्राप्तियां		31.08	62.58	(-) 50.34
900. *घटाईये–* वापसियां		..	(-) 2.42	(-) 100.00
	योग–02	993.69	412.56	(+) 140.86
	योग–0702	1,181.35	559.67	(+) 111.08
0801. बिजली				
80. सामान्य				
800. अन्य प्राप्तियां		3,221.90 (क)	3,070.62	(+) 4.93
	योग–0801	3,221.90	3,070.62	(+) 4.93

(क) इसमें डिस्कॉम द्वारा संग्रहित कम्पाउडिंग शुल्क से सम्बन्धित ₹ 2,401.68 लाख तथा राजस्थान सरकार की अक्षय ऊर्जा उत्पादक संयुक्त उद्यम कंपनियों से ₹ 817.50 लाख की प्राप्तियां सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – ***(क्रमशः)***				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(iii) आर्थिक सेवाएं– ***(क्रमशः)***				
0802. पैट्रोलियम				
103. रायल्टी		3,99,539.90	1,90,480.82	(+) 109.75
800. अन्य प्राप्तियां		0.06	..	..
900. *घटाईये–* वापसियां		..	(-) 1.00	(-) 100.00
	योग–0802	3,99,539.96	1,90,479.82	(+) 109.75
0851. ग्राम तथा लघु उद्योग				
800. अन्य प्राप्तियां		86.25	355.30	(-) 75.72
	योग–0851	86.25	355.30	(-) 75.72
0852. उद्योग				
04. पेट्रो रसायनिक उद्योग				
800. अन्य प्राप्तियां		0.11	0.01	(+) 1000.00
	योग–04	0.11	0.01	(+) 1000.00
05. रसायनिक उद्योग				
800. अन्य प्राप्तियां		0.63	3.23	(-) 80.50
	योग–05	0.63	3.23	(-) 80.50

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – ***(क्रमशः)***				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(iii) आर्थिक सेवाएं– ***(क्रमशः)***				
0852. उद्योग – ***(समाप्त)***				
80. सामान्य				
800. अन्य प्राप्तियां		225.84	72.01	(+) 213.62
	योग–80	225.84	72.01	(+) 213.62
	योग–0852	226.58	75.25	(+) 201.10
0853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग				
102. खनिज रियायत शुल्क, किराया और स्वत्व शुल्क		6,26,824.96	4,85,936.60	(+) 28.99
800. अन्य प्राप्तियां		12,692.64 (क)	10,703.11	(+) 18.59
900. *घटाईये*– वापसियां		(-) 2.83	(-) 0.65	(+) 335.38
	योग–0853	6,39,514.77	4,96,639.06	(+) 28.77
1054. सड़क तथा सेतु				
102. सड़कों पर पथ–कर		3,771.08	3,062.72	(+) 23.13
800. अन्य प्राप्तियां		108.59	120.86	(-) 10.15
	योग–1054	3,879.67	3,183.58	(+) 21.87

(क) इसमें अवैध खनन और बजरी की आपूर्ति के कारण पर्यावरणीय हानि के कारण कंपाउंडिंग शुल्क ₹ 5,022.60 लाख सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – ***(समाप्त)***				
(ग) अन्य करेत्तर राजस्व – ***(समाप्त)***				
(iii) आर्थिक सेवाएं– ***(समाप्त)***				
1452. पर्यटन				
800. अन्य प्राप्तियां		107.28	64.52	(+) 66.27
	योग–1452	107.28	64.52	(+) 66.27
1475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं				
012. सांख्यिकी		1,492.58	26,572.92	(-) 94.38
106. बाटों और मापों के मुद्रांकन के लिए शुल्क		1,649.31	1,548.21	(+) 6.53
113. सीमित दायित्व साझेदारी		0.01	.. *	..
200. अन्य कारोबार उपक्रमों के विनिमय		1,031.76	1,041.21	(-) 0.91
800. अन्य प्राप्तियां		65,929.88 (क)	51,372.44	(+) 28.34
900. *घटाईये*– वापसियां		(-) 5.69	(-) 1.08	(+) 426.85
	योग–1475	70,097.85	80,533.70	(-) 12.96
	योग–(iii) आर्थिक सेवाएं	11,61,795.29	8,27,354.00	(+) 40.42
	योग–(ग) अन्य करेतर राजस्व	17,03,931.01	10,95,698.26	(+) 55.51
	योग–ख. करेतर राजस्व	18,75,497.17	13,65,302.44	(+) 37.37

* मात्र ₹ 100 ।

(क) इसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से प्राप्तियां (₹ 58,781.27 लाख) तथा पॉश मशीन के पेटे से प्राप्तियां (₹ 4,890.00 लाख) सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान				
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान				
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें				
101. केन्द्रीय सहायता/भाग				
(01) राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता				
[01] राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई)	सामान्य	6,370.00	11,095.00	(-) 42.59
	ज.जा.उ.यो.	1,051.00	2,101.00	(-) 49.98
	अ.जा.उ.यो.	1,359.00	2,717.00	(-) 49.98
[02] निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.)	सामान्य	21,718.94	15,542.70	(+) 39.74
	ज.जा.उ.यो.	5,097.61	2,682.61	(+) 90.02
	अ.जा.उ.यो.	5,559.96	4,700.76	(+) 18.28
[04] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)	सामान्य	1,91,187.28	1,52,774.99	(+) 25.14
	ज.जा.उ.यो.	24,369.91	21,834.12	(+) 11.61
	अ.जा.उ.यो.	55,873.03	42,834.41	(+) 30.44
[07] एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	सामान्य	22,270.91	31,469.60	(-) 29.23
	ज.जा.उ.यो.	2,785.07	3,583.00	(-) 22.27
	अ.जा.उ.यो.	3,200.40	9,937.00	(-) 67.79
[10] महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	सामान्य	1,99,000.00	82,516.45	(+) 141.16
[11] राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)	सामान्य	6,486.15	42,806.88	(-) 84.85
	ज.जा.उ.यो.	940.01	..	..
	अ.जा.उ.यो.	1,951.53	..	..
[12] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)	सामान्य	91,750.50	23,715.41	(+) 286.88
[13] राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	सामान्य	12,734.04	13,150.35	(-) 3.17
	ज.जा.उ.यो.	5,900.12	5,626.39	(+) 4.87
	अ.जा.उ.यो.	8,519.92	8,018.94	(+) 6.25

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – *(क्रमशः)*				
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – *(क्रमशः)*				
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें– (क्रमशः)				
101. केन्द्रीय सहायता/भाग – ***(क्रमशः)***				
(01) राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता – ***(क्रमशः)***				
[14] मिड डे मिल (एम डी एम)	सामान्य	40,670.94	46,455.87	(-) 12.45
	ज.जा.उ.यो.	6,710.22	10,457.81	(-) 35.84
	अ.जा.उ.यो.	5,724.95	14,186.37	(-) 59.64
[17] एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)	सामान्य	47,407.48	33,922.02	(+) 39.75
	ज.जा.उ.यो.	9,215.73	17,366.45	(-) 46.93
	अ.जा.उ.यो.	12,171.59	12,717.29	(-) 4.29
[20] सीमा क्षेत्र विकास योजना (बी.ए.डी.पी.)	सामान्य	1,938.50	..	..
[21] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	सामान्य	6,929.20	16,228.79	(-) 57.30
	ज.जा.उ.यो.	1,211.29	3,048.74	(-) 60.27
	अ.जा.उ.यो.	1,539.40	3,995.70	(-) 61.47
[22] राष्ट्रीय बागवानी मिशन	सामान्य	700.00	2,570.00	(-) 72.76
	ज.जा.उ.यो.	130.00	260.00	(-) 50.00
	अ.जा.उ.यो.	170.00	170.00	..
[23] राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन	सामान्य	2,755.98	1,153.36	(+) 138.95
	ज.जा.उ.यो.	666.03	256.31	(+) 159.85
	अ.जा.उ.यो.	883.36	243.91	(+) 262.17
[25] राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन	सामान्य	3,478.12	3,334.92	(+) 4.29
	ज.जा.उ.यो.	432.00	691.55	(-) 37.53
	अ.जा.उ.यो.	569.60	558.30	(+) 2.02
[27] राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	सामान्य	..	789.80	(-) 100.00
	ज.जा.उ.यो.	..	90.41	(-) 100.00
	अ.जा.उ.यो.	..	174.51	(-) 100.00

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – *(क्रमशः)*				
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – *(क्रमशः)*				
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें– (क्रमशः)				
101. केन्द्रीय सहायता/भाग – ***(क्रमशः)***				
(01) राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता – ***(क्रमशः)***				
[28] राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	सामान्य	225.00	..	..
[32] प्राकृतिक संसाधन एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण	सामान्य	127.21	97.15	(+) 30.94
[33] वन्य जीव हेतु समेकित विकास	सामान्य	433.17	27.02	(+) 1503.15
	ज.जा.उ.यो.	287.24	101.19	(+) 183.86
	अ.जा.उ.यो.	287.24	135.57	(+) 111.88
[34] बाघ परियोजना	सामान्य	588.74	807.11	(-) 27.06
	ज.जा.उ.यो.	168.21	75.29	(+) 123.42
	अ.जा.उ.यो.	84.10	126.49	(-) 33.51
[35] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा में मानव संसाधन	सामान्य	52,768.92	45,527.00	(+) 15.91
	ज.जा.उ.यो.	8,279.00	7,295.10	(+) 13.49
	अ.जा.उ.यो.	16,150.27	14,070.30	(+) 14.78
[36] राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं औषधीय पादपों हेतु मिशन	सामान्य	3,189.00	1,844.87	(+) 72.86
	ज.जा.उ.यो.	..	134.85	(-) 100.00
	अ.जा.उ.यो.	..	296.68	(-) 100.00
[38] राष्ट्रीय पुलिस एवं अन्य सुरक्षाबल आधुनिकीकरण योजना	सामान्य	1,353.00	1,353.00	..
[39] राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	सामान्य	2,966.88	2,877.28	(+) 3.11
	ज.जा.उ.यो.	174.28	169.02	(+) 3.11
	अ.जा.उ.यो.	911.95	884.40	(+) 3.12
[42] अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रोढ शिक्षा विकास सहायता	सामान्य	4,191.99	1,291.83	(+) 224.50
	ज.जा.उ.यो.	963.13	280.46	(+) 243.41
	अ.जा.उ.यो.	1,274.31	1,301.37	(-) 2.08

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – *(क्रमशः)*				
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – *(क्रमशः)*				
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें– (क्रमशः)				
101. केन्द्रीय सहायता/भाग – ***(क्रमशः)***				
(01) राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता – ***(क्रमशः)***				
[44] अल्पसंख्यक हेतु मदरसा एवं विशेष योग्यजन के लिए शिक्षा योजना	सामान्य	2,691.53	4.50	(+) 59711.78
[45] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	सामान्य	..	875.35	(-) 100.00
	ज.जा.उ.यो.	..	119.12	(-) 100.00
	अ.जा.उ.यो.	..	234.86	(-) 100.00
[46] कौशल विकास मिशन	सामान्य	..	2,626.80	(-) 100.00
[47] असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा मय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	सामान्य	110.00	..	..
[48] ग्राम न्यायालय सहित न्यायपालिका हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास	सामान्य	4,150.00	2,990.00	(+) 38.80
[49] अल्पसंख्यकों के लिए बहु आयामी विकास कार्यक्रम	सामान्य	2,461.32	4,180.09	(-) 41.12
[51] अनुसूचित जातियों के लिए विकास योजना	अ.जा.उ.यो.	15,453.85	36,998.06	(-) 58.23
[52] अन्य पिछड़ा वर्ग, धूमंतु तथा अर्द्ध घूमंतू जनजाति की विकास योजना	सामान्य	13,198.55	3,455.06	(+) 282.01
[54] प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी एम ए जी वाई)	अ.जा.उ.यो.	3,690.54	1,880.00	(+) 96.31
[59] अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा हेतु अम्ब्रेला योजना	सामान्य	7,224.71	8,662.66	(-) 16.60
	ज.जा.उ.यो.	20,900.55	29,660.82	(-) 29.53
[60] राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन मय इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	सामान्य	1,974.50	1,449.38	(+) 36.23
[61] एकीकृत बाल सुरक्षा कार्यक्रम (आई.सी.पी.एस.)	सामान्य	1,542.75	3,221.98	(-) 52.12

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – *(क्रमशः)*				
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – *(क्रमशः)*				
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें– (क्रमशः)				
101. केन्द्रीय सहायता/भाग – ***(क्रमशः)***				
(01) राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता – ***(क्रमशः)***				
[62] राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना	सामान्य	..	58.94	(-) 100.00
[64] राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	सामान्य	761.08	330.00	(+) 130.63
	ज.जा.उ.यो.	28.33	..	..
	अ.जा.उ.यो.	88.13	..	..
[67] प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	सामान्य	13,534.03	13,649.08	(-) 0.84
	ज.जा.उ.यो.	5,542.90	2,800.00	(+) 97.96
	अ.जा.उ.यो.	1,800.00	3,600.00	(-) 50.00
[69] प्रधानमंत्री आवास योजना	सामान्य	20,229.14	16.67	(+) 121250.57
	ज.जा.उ.यो.	1,220.31	..	..
	अ.जा.उ.यो.	5,688.10	..	..
[70] स्मार्ट सिटी योजना	सामान्य	63,700.00	14,700.00	(+) 333.33
[71] अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एवं अर्बन ट्रांसफारमेशन (अमृत योजना)	सामान्य	2,420.00	60,326.72	(-) 95.99
[73] प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	सामान्य	88,250.98	12,351.48	(+) 614.50
	ज.जा.उ.यो.	21,352.92	5,728.82	(+) 272.73
	अ.जा.उ.यो.	30,942.42	21,209.27	(+) 45.89
[74] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.)	सामान्य	1,018.00	2,160.00	(-) 52.87
[75] नील क्रान्ति	सामान्य	141.95	184.22	(-) 22.95
	ज.जा.उ.यो.	..	12.32	(-) 100.00
	अ.जा.उ.यो.	11.35	14.28	(-) 20.52

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – *(क्रमशः)*				
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – *(क्रमशः)*				
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें– (क्रमशः)				
101. केन्द्रीय सहायता/भाग – ***(समाप्त)***				
(01) राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता – ***(समाप्त)***				
[76] राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	सामान्य	..	971.60	(-) 100.00
	ज.जा.उ.यो.	700.00	113.00	(+) 519.47
	अ.जा.उ.यो.	1,027.40	213.50	(+) 381.22
[78] हाथी परियोजना	सामान्य	15.18	..	..
[82] समग्र शिक्षा	सामान्य	1,68,891.80	1,45,846.27	(+) 15.80
	ज.जा.उ.यो.	27,427.46	32,337.71	(-) 15.18
	अ.जा.उ.यो.	47,718.65	44,303.90	(+) 7.71
[83] जल जीवन मिशन	सामान्य	..	36,445.45	(-) 100.00
	ज.जा.उ.यो.	..	10,685.52	(-) 100.00
	अ.जा.उ.यो.	..	15,919.83	(-) 100.00
[84] पढना लिखाना अभियान	सामान्य	..	400.75	(-) 100.00
	ज.जा.उ.यो.	..	61.88	(-) 100.00
	अ.जा.उ.यो.	..	115.65	(-) 100.00
	योग– 101	14,81,761.84	12,45,390.24	(+) 18.98

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – *(क्रमशः)*				
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – *(क्रमशः)*				
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें– (समाप्त)				
102. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं–केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान				
(01) बाह्य सहायता–केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान				
[07] राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम		186.65	99.88	(+) 86.87
[08] सिटी बस सर्विस प्रोजेक्ट (आई बी आर डी)		0.40	233.86	(-) 99.83
	योग–102	187.05	333.74	(-) 43.95
104. केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान				
(01) केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता		14,840.30	14,180.90	(+) 4.65
	योग–104	14,840.30	14,180.90	(+) 4.65
900. *घटाईये*–वापसियां				
(01) अप्रयुक्त अनुदान/हिस्सों की वापसी		(-) 263.51	(-) 361.98	(-) 27.20
	योग–900	(-) 263.51	(-) 361.98	(-) 27.20
	योग–06	14,96,525.68	12,59,542.90	(+) 18.81

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – *(क्रमशः)*				
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – *(क्रमशः)*				
07. वित्त आयोग अनुदान				
102. ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान				
(01) ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए सहायता		3,81,950.00	2,89,650.00	(+) 31.87
	योग–102	3,81,950.00	2,89,650.00	(+) 31.87
103. शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान				
(01) शहरी स्थानीय निकायों के लिए सहायता		1,37,600.00	1,85,900.00	(-) 25.98
	योग–103	1,37,600.00	1,85,900.00	(-) 25.98
104. राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अनुदान				
(01) राज्य आपदा मोचन निधि के लिए सहायता		1,18,480.00	1,48,100.00	(-) 20.00
	योग–104	1,18,480.00	1,48,100.00	(-) 20.00
105. राज्य आपदा प्रशमन कोष के लिए अनुदान				
(01) राज्य आपदा प्रशासन कोष के लिए सहायता		29,620.00	..	..
	योग–105	29,620.00	..	..

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – *(क्रमशः)*				
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – *(क्रमशः)*				
07. वित्त आयोग अनुदान– (समाप्त)				
106. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान				
(01) राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता		65,617.10	..	..
	योग–106	65,617.10	..	..
800. अन्य अनुदान				
(01) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत अनुदान				
[01] राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु अनुदान		9,87,800.04	..	..
	योग–800	9,87,800.04	..	..
	योग–07	17,21,067.14	6,23,650.00	(+) 175.97
08. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान				
104. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अधीन अनुदान				
(05) जनजाति क्षेत्र उपयोजना हेतु केन्द्रीय सहायता		10,435.21	9,166.00	(+) 13.85
	योग–104	10,435.21	9,166.00	(+) 13.85

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – *(क्रमशः)*				
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – *(क्रमशः)*				
08. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान– (क्रमशः)				
106. राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) को अंशदान के लिए अनुदान				
(01) राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि हेतु सहायता		..	6,865.00	(-) 100.00
	योग–106	..	6,865.00	(-) 100.00
113. विशेष सहायता				
(02) केन्द्रीय योजनाओं हेतु विशेष सहायता				
[02] श्वेत कांति–पशुधन जनगणना एवं एकीकृत नमूना सर्वेक्षण		1,852.53	190.00	(+) 875.02
[03] होमगार्ड/पुलिस बलों हेतु पुनर्भरण सहायता		1,087.64	1,589.70	(-) 31.58
[04] अन्य विविध योजनाओं हेतु सहायता		35.74	3,867.77	(-) 99.08
[06] साइबर अपराध नियंत्रण के विरूद्ध महिलाओं तथा बच्चों को निर्भया निधि से सहायता		297.08	100.00	(+) 197.08
	योग–113	3,272.99	5,747.47	(-) 43.05
114. वस्तु एवं सेवा कर लागू करने से हुए राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति				
(01) जी. एस. टी .लागू करने से हुए राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति		3,74,633.99 (क)	5,63,284.26	(-) 33.49
	योग–114	3,74,633.99	5,63,284.26	(-) 33.49

(क) समस्त राशि 2020–21 से सम्बन्धित है।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान –*(समाप्त)*				
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान –*(समाप्त)*				
08. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान– (समाप्त)				
800. अन्य अनुदान				
(05) युद्धावश्यक सीमावर्ती सड़कें		26,713.66	11,308.90	(+) 136.22
	योग–800	26,713.66	11,308.90	(+) 136.22
	योग–08	4,15,055.85	5,96,371.63	(-) 30.40
	योग–1601	36,32,648.67	24,79,564.53	(+) 46.50
	योग–ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान	36,32,648.67	24,79,564.53	(+) 46.50
	योग – प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	**1,83,92,005.27**	**1,34,30,788.25**	**(+) 36.94**

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

शीर्ष		वास्तविक आंकड़े 2021–22	वास्तविक आंकड़े 2020–21	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(–)
		(₹ लाख में)		
प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)				
4000. विविध पूंजीगत प्राप्तियां				
01. सिविल				
105. सहकारी समितियां/बैंकों की पूंजी/विनिवेश की निवृत्ति		1,169.03	1,407.79	(-) 16.96
	योग–01	1,169.03	1,407.79	(-) 16.96
03. सरकार के इक्विटी होल्डिंग का विनिवेश				
190. सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों का विनिवेश		1,973.45	..	..
	योग–03	1,973.45	..	..
	योग–4000	3,142.48	1,407.79	(+) 123.22
	योग – प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	**3,142.48**	**1,407.79**	**(+) 123.22**
	कुल योग – प्राप्ति शीर्ष	**1,83,95,147.75 @**	**1,34,32,196.04**	**(+) 36.95**

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) 0.03 लाख का अन्तर है ।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. *राजस्व लेखे पर प्राप्ति* :– राज्य सरकार के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 49, 61,217.02 लाख की वृद्धि हुई । 2021–22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उत्थित राजस्व (₹ 93,56,295.60 लाख) 2020–21 में राजस्व (₹ 73,93,646.71 लाख) से ₹ 19,62,648.89 लाख अधिक था जो मुख्यत: राज्य वस्तु एवं सेवा कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, पेट्रोलियम, राज्य उत्पाद शुल्क, विविध सामान्य सेवाएं, अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग और स्टाम्पस और पंजीकरण शुल्क इत्यादि से अधिक प्राप्ति के कारण था। 2021–22 के दौरान भारत सरकार से कतिपय करों से निवल आगामों के हिस्से के रूप में प्राप्तियाँ (₹ 54,03,061.00 लाख) 2020–21 में प्राप्तियां (₹ 35,57,577.00 लाख) से ₹ 18,45,484.00 लाख अधिक था जो मुख्यत: निगम कर, आय पर निगम कर से भिन्न कर, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा सीमा शुल्क इत्यादि के कारण थी। भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्तियों में भी ₹ 11,53,084.14 लाख (2020–21 में ₹ 24,79,564.53 लाख से 2021–22 में ₹ 36,32,648.67 लाख) से वृद्धि हुइ ।

   वे लेखा शीर्ष जिनमें गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में सार्वभूत वृद्धि/कमी हुई, नीचे दिये गये है:–.

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
वृद्धि		
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायतार्थ अनुदान	11,53,084.14	गत वर्ष की तुलना में''केन्द्रीय प्रायोजित योजना'', ''वित्त आयोग अनुदानों '' के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण।
0006. राज्य वस्तु एवं सेवा कर	6,74,703.57	''राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर तथा कर का इनपुट टेक्स क्रेडिट क्रॉस यूटिलाइजेशन'' के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण।
0020. निगम कर	5,46,092.00	''राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा'' के अन्तर्गत गत वर्ष की तुलना में अधिक प्राप्ति के कारण।
0021. आय पर निगम कर से भिन्न कर	4,89,884.00	''राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा'' के अंतर्गत गत वर्ष की तुलना में अधिक प्राप्ति के कारण।
0005. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	4,65,871.00	''राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा'' के अंतर्गत गत वर्ष की तुलना में अधिक प्राप्ति के कारण।
0040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,12,636.76	गत वर्ष की तुलना में '' वैट'' तथा ''केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम'' में अधिक प्राप्ति के कारण।
0802. पेट्रोलियम	2,09,060.14	गत वर्ष की तुलना में रायल्टी से अधिक प्राप्ति के कारण।
0039. राज्य उत्पाद शुल्क	1,95,433.66	देशी शराब, जौ की शराब तथा विदेशी शराब की बिक्री से अधिक प्राप्ति के कारण ।
0037. सीमा शुल्क	1,95,313.00	''राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा'' के अंतर्गत गत वर्ष की तुलना में अधिक प्राप्ति के कारण।
0075. विविध सामान्य सेवाएं	1,84,440.22	मुख्य शीर्ष 8009 तथा 8011 से बुक हस्तान्तरण द्वारा ₹ 1,50,000.00 लाख जमा एवं मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड के विनिवेश पर लाभ से प्राप्ति एवं गारंटी शुल्क के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ–*(क्रमशः)*

1. *राजस्व लेखे पर प्राप्ति* – ***(क्रमशः)***

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
वृद्धि – (क्रमशः)		
0853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	1,42,875.71	खनिज रियायती शुल्क, किराया और रायल्टी की गत वर्ष की तुलना में अधिक प्राप्ति के कारण।
0030. स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,19,463.54	आधारभूत विकास एवं गौ संरक्षण तथा स्टाम्प की बिक्री के लिए स्टाम्प शुल्क पर अधिभार से अधिक प्राप्ति के कारण ।
0038. संघ उत्पाद शुल्क	89,887.00	''राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा'' के अंतर्गत गत वर्ष की तुलना में अधिक प्राप्ति के कारण।
0044. सेवा कर	55,137.71	''राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा'' के अंतर्गत गत वर्ष की तुलना में अधिक प्राप्ति के कारण।
0043. विद्युत कर तथा शुल्क	46,379.59	'' शहरी उपकर'' तथा ''जल संरक्षण उपकर'' के अन्तर्गत गत वर्ष की तुलना में अधिक प्राप्ति के कारण ।
0041. वाहन कर	39,074.23	राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत गत वर्ष की तुलना में कम प्राप्ति के कारण ।
0029. भू–राजस्व	35,215.59	सरकारी सम्पदा के विक्रय से गत वर्ष की तुलना में अधिक प्राप्ति के कारण।
0070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	35,169.04	विविध प्राप्तियों के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण।
0055. पुलिस	33,983.00	पुलिस की तैनाती के पुनर्भरण के सम्बन्ध में अधिक प्राप्ति के कारण।
0035. कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर	15,949.44	भूमि कर से गत वर्ष की तुलना में अधिक प्राप्ति के कारण।
0230. श्रम तथा रोजगार	13,798.51	भवन तथा अन्य निर्माण कार्य श्रमिकों के कल्याण के लिए उपकर के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण।
0042. माल तथा यात्री कर	12,598.72	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर के तहत अधिक प्राप्ति के कारण।
0050. लाभांश तथा लाभ	8,458.81	सार्वजनिक उपक्रमों से गत वर्ष की तुलना में अधिक लाभांश के कारण।
0202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	5,355.60	विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा तथा आमेर विकास प्राधिकरण से अधिक प्राप्ति के कारण।
0406. वानिकी तथा वन्य प्राणी	4,593.32	इमारती लकड़ी और उच्च वनोपजन की बिक्री एवं '' अन्य प्राप्तियों'' से अधिक प्राप्ति के कारण।
0210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4,322.13	'' कर्मचारी राज्य बीमा योजना'' तथा '' जन स्वास्थ्य योजना'' से अधिक प्राप्ति के कारण।

विवरण संख्या 14 –*(क्रमशः)*

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ–*(क्रमशः)*

1. *राजस्व लेखे पर प्राप्ति* – ***(समाप्त)***

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
वृद्धि – (समाप्त)		
0045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	3,950.47	'' मनोरंजन कर'' तथा '' राज्यों का समुनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा'' के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण ।
0071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान	3,128.32	''अन्य प्राप्तियां'' के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण।
0701. मध्यम सिंचाई	2,733.31	अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री तथा '' अन्य प्राप्तियों'' के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण।
0059. लोक निमाण कार्य	1,590.46	प्रतिशत शुल्क की वसूली के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण ।
0515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	1,588.83	''अन्य प्राप्तियां'' के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण।
कमी –		
0049. ब्याज प्राप्तियाँ	1,06,496.83	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों से ब्याज की कम प्राप्ति के कारण।
1475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	10,435.85	सांख्यिकी के संबंध में कम प्राप्ति के कारण।
0215. जलपूर्ति तथा सफाई	9,002.79	शहरी जल प्रदाय योजनाओं से कम प्राप्ति के कारण।
0425. सहकारिता	8,635.48	मद ''अन्य प्राप्तियां'' के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण।
0700. मुख्य सिंचाई	7,886.18	'' अन्य प्राप्तियों '' के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण।
0405. मछली पालन	1,064.78	किराये से कम प्राप्ति के कारण ।

विवरण संख्या 14 –*(समाप्त)*

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ –*(समाप्त)*

2. *वर्ष के दौरान कराधान में परिवर्तन* :– बजट भाषण 2021–22 में की गयी उद्घोषणा के अनुसार बजट प्रस्ताव में कराधान उपाय में निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित थे –

(क) कर से कमी:–

(i) आवासीय तथा वाणिज्यिक भूमि के डी.एल.सी. दर की 10 *प्रतिशत* से कम करना।

(ii) मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस किफायती आवास के लिए 1 *प्रतिशत* से 0.5 *प्रतिशत* एवं एल.आई.जी. किफायती आवास के लिए 2 *प्रतिशत* से 1 *प्रतिशत* की कटौती।

(ख) कर में छूट :–

(i) ग्रामीण एवं अन्य श्रेणी के रूट पर चलने वाली नई पंजीकृत राज्य कैरिज बसों के संचालन पर मोटर वाहन अधिनियम में 3 वर्ष तक की 100 *प्रतिशत* की छूट।

विवरण संख्या 15–लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण

तिरछे अंक प्रभारित व्यय के द्योतक हैं

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
	(₹ लाख में)				
क. सामान्य सेवाएं					
(क) राज्य के अंग					
2011.संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल					
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल					
101. विधान सभा	*20.91* 4,627.84	..	4,648.75	4,060.95	(+) 14.47
103. विधान मण्डल सचिवालय	3,882.59	..	3,882.59	3,850.79	(+) 0.83
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 9.55	..	(-) 9.55	(-) 1.09	(+) 776.15
योग – 2011	*20.91* 8,500.88	..	8,521.79	7,910.65	(+) 7.73
2012. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक					
03. राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक					
090. सचिवालय	*811.74*	..	811.74	777.05	(+) 4.46
101. राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों की परिलब्धियां और भत्ते	*42.00*	..	42.00	30.45	(+) 37.93
102. विवेकाधीन अनुदान	*46.91*	..	46.91	49.84	(-) 5.88
103. पारिवारिक स्थापना	*684.60*	..	684.60	638.20	(+) 7.27
104. आतिथ्य भत्ता	*41.50*	..	41.50	37.99	(+) 9.24
105. चिकित्सा सुविधाएं	*14.49*	..	14.49	12.00	(+)20.75
106. मनोरंजन खर्च	*3.03*	..	3.03	2.00	(+) 51.50
107. संविदा भत्ते से व्यय	*31.00*	..	31.00	12.99	(+) 138.65
108. दौरा खर्च	*7.62*	..	7.62	2.51	(+) 203.59

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाएं – *(क्रमशः)*					
(क) राज्य के अंग – (क्रमशः)					
2012. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक– *(समाप्त)*					
*03. राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक– **(समाप्त)***					
110. राजकीय वाहन तथा मोटर कार	*37.95*	..	37.95	19.98	(+) 89.94
योग – 2012	*1,720.84*	..	1,720.84	1,583.01	(+) 8.71
2013. मंत्रि परिषद्					
101. मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन	407.70	..	407.70	393.12	(+) 3.71
102. आतिथ्य और अन्य भत्ते	4.33	..	4.33	39.14	(-) 88.94
104. मनोरंजन और सत्कार खर्च	329.24	..	329.24	254.82	(+) 29.20
105. मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	64.97	..	64.97	25.79	(+) 151.92
108. दौरा खर्च	32.68	..	32.68	25.14	(+) 29.99
800. अन्य व्यय	392.95 (क)	..	392.95	369.08	(+) 6.47
योग – 2013	1,231.87	..	1,231.87	1,107.09	(+) 11.27
2014. न्याय प्रशासन					
102. उच्च न्यायालय	*16,151.55*	..	16,151.55	14,105.13	(+) 14.51
105. सिविल और सेशन्स न्यायालय	89,655.78	416.64	90,072.42	80,792.14	(+) 11.49
110. महाप्रशासक और शासकीय न्यासी	29.27	..	29.27	21.54	(+) 35.89
114. विधि सलाहकार और परामर्शदाता	19,052.96	..	19,052.96	15,515.90	(+) 22.80
116. राज्य प्रशासनिक अधिकरण	2,651.79	..	2,651.79	2,321.68	(+) 14.22
117. परिवार न्यायालय	3,291.50	..	3,291.50	3,151.25	(+) 4.45

(क) मंत्रियों के लिए टेलीफोन (₹ 93.05 लाख) तथा वाहनों के संधारण (₹ 299.90 लाख) पर हुए व्यय ।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाएं –*(क्रमशः)*					
(क) राज्य के अंग –(समाप्त)					
2014. न्याय प्रशासन–*(समाप्त)*					
789. अनुसूचित जातियों हेतु विशिष्ट संघटक योजना	220.36	..	220.36	194.98	(+) 13.02
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	308.82	..	308.82	312.27	(-) 1.10
800. अन्य व्यय	758.93 (क)	..	758.93	216.93	(+) 249.85
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 45.91	..	(-) 45.91	(-) 32.14	(+) 42.84
योग–2014	*16,151.55* 1,15,923.50	416.64	1,32,491.69	1,16,599.68	(+) 13.63
2015. निर्वाचन					
102. निर्वाचन अधिकारी	*77.57* 5,482.72	..	5,560.29	5,170.43	(+) 7.54
103. निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण	4,770.96	..	4,770.96	4,117.73	(+) 15.86
105. संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार	534.90	..	534.90	966.81	(-) 44.67
106. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार	995.13	..	995.13	245.67	(+) 305.07
108. मतदाताओं को फोटो पहचान–पत्र जारी करना	242.70	..	242.70	66.96	(+) 262.46
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 1.44	..	(-) 1.44	(-) 0.39	(+) 269.23
योग–2015	*77.57* 12,024.97	..	12,102.54	10,567.21	(+) 14.53
योग –(क) राज्य के अंग	*17,970.87* 1,37,681.22	416.64	1,56,068.73	1,37,767.64	(+) 13.28

(क) समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के तहत किशोर न्याय बोर्ड पर किया गया व्यय।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाएं ***–(क्रमशः)***					
(ख) राजकोषीय सेवाएं					
(ii) संपत्ति, पूंजीगत तथा अन्य संव्यवहारों पर करों का संग्रहण					
2029. भू–राजस्व					
102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य	2,940.57	..	2,940.57	3,341.78	(-) 12.01
103. भू–अभिलेख	*5.09* 73,050.54	..	73,055.63	67,615.38	(+) 8.05
105. भूतपूर्व जमींदारी सम्पदाओं का प्रबन्ध	16.89	..	16.89	19.03	(-) 11.25
800. अन्य व्यय	..	..	..	78.80	(-) 100.00
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 24.36	..	(-) 24.36	(-) 133.61	(-) 81.77
योग – 2029	*5.09* 75,983.64	..	75,988.73	70,921.38	(+) 7.15
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण					
01. स्टाम्प–न्यायिक					
001. निदेशन तथा प्रशासन	44.94	..	44.94	33.01	(+) 36.14
101. स्टाम्पों की लागत	58.70	..	58.70	605.94	(-) 90.31
102. स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	54.97	..	54.97	46.00	(+) 19.50
योग – 01	158.61	..	158.61	684.95	(-) 76.84
02. स्टाम्प–न्यायिकेत्तर					
001. निदेशन तथा प्रशासन	56.17	..	56.17	41.21	(+) 36.30
101. स्टाम्पों की लागत	7,566.47	..	7,566.47	6,102.91	(+) 23.98
102. स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	4,897.22	..	4,897.22	2,150.12	(+) 127.76
योग –02	12,519.86	..	12,519.86	8,294.24	(+) 50.95

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाएं – *(क्रमशः)*					
(ख) राजकोषीय सेवाएं – (क्रमशः)					
(ii) संपत्ति, पूंजीगत तथा अन्य संव्यवहारों पर करों का संग्रहण – ***(समाप्त)***					
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण– *(समाप्त)*					
03. पंजीकरण					
001. निदेशन तथा प्रशासन	*22.59* 6,462.90	..	6,485.49	5,319.55	(+) 21.92
योग – 03	*22.59* 6,462.90	..	6,485.49	5,319.55	(+) 21.92
योग – 2030	*22.59* 19,141.37	..	19,163.96	14,298.74	(+) 34.03
योग (ii) संपत्ति, पूंजीगत तथा अन्य संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	*27.68* 95,125.01	..	95,152.69	85,220.12	(+) 11.66
(iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण					
2039. राज्य उत्पाद शुल्क					
001. निदेशन तथा प्रशासन	*0.62* 15,872.44	..	15,873.06	15,209.54	(+) 4.36
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 5.03	..	(-) 5.03	(-) 5.61	(-) 10.34
योग– 2039	*0.62* 15,867.41	..	15,868.03	15,203.93	(+) 4.37

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21	वर्ष के दौरान
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग	के लिए वास्तविक	प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाएं – *(क्रमश :)*					
(ख) राजकोषीय सेवाएं– (क्रमशः)					
(iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण – *(क्रमशः)*					
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
001. निदेशन तथा प्रशासन	3,698.36	..	3,698.36	3,216.49	(+) 14.98
101. संग्रहण प्रभार	6,475.18	..	6,475.18	6,375.47	(+) 1.56
789. अनुसूचित जातियों हेतु विशिष्ट संघटक योजना	7,900.00	..	7,900.00	6,432.00	(+) 22.82
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	6,400.00	..	6,400.00	5,287.00	(+) 21.05
797. आरक्षित निधि/जमा लेखा को अन्तरण	19,637.23 (क)	..	19,637.23	26,884.18	(-) 26.96
800. अन्य व्यय	87,343.35 (ख)	..	87,343.35	91,238.38	(-) 4.27
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 7,068.80	..	(-) 7,068.80	(-) 1,888.66	(+) 274.28
योग – 2040	1,24,385.32	..	1,24,385.32	1,37,544.86	(-) 9.57
2041. वाहन कर					
001. निदेशन तथा प्रशासन	*0.50* 1,309.91	..	1,310.41	1,155.92	(+) 13.37
101. संग्रहण प्रभार	9,411.59	..	9,411.59	7,985.81	(+) 17.85
102. मोटर वाहनों का निरीक्षण	4,644.36	..	4,644.36	4,157.11	(+) 11.72
789. अनुसूचित जातियों हेतु विशिष्ट संघटक योजना	455.11	..	455.11	371.20	(+) 22.61
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	308.59	..	308.59	224.79	(+) 37.28

(क) जल संरक्षण उपकर शीर्ष "8229–200(11) जल संरक्षण उपकर निधि" को हस्तांतरित।

(ख) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के अंतर्गत (मजदूरी/रोजगार अनुदान ₹ 104.74 लाख, ब्याज अनुदान ₹ 185.69 लाख, निवेश सहाय्य ₹ 61,109.28 लाख, रोजगार सृजन सहाय्य ₹ 960.65 लाख, निवेश सहाय्य आर.आइ.पी.एस.–2014 ₹ 8,835.85 लाख तथा रोजगार सृजन सहाय्य आर.आइ.पी.एस.–2014 ₹ 672.89 लाख), राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी उद्योग विभाग के अन्तर्गत (विशेष प्रोत्साहन पैकेज ₹ 8,500.00 लाख, ब्याज अनुदान ₹ 6,500.00 लाख तथा शून्य तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिए पूंजीगत अनुदान ₹ 200.00 लाख) और उद्योग विभाग की राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 (शून्य तरल अपशिष्ट के लिए पूंजीगत अनुदान अपशिष्ट उपचार संयंत्र ₹ 274.25 लाख) भी शामिल है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाएं – *(क्रमशः)*					
(ख) राजकोषीय सेवाएं – (क्रमशः)					
(iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण– ***(समाप्त)***					
2041. वाहन कर– *(समाप्त)*					
800. अन्य व्यय	56.28	..	56.28	67.77	(-) 16.95
0.50 योग – 2041	16,185.84	..	16,186.34	13,962.60	(+) 15.93
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार					
001. निदेशन एवं प्रशासन	6,818.21	..	6,818.21	6,049.79	(+) 12.70
101. संग्रहण प्रभार	8,642.36	..	8,642.36	7,570.15	(+) 14.16
800. अन्य व्यय	1,040.06 (क)	..	1,040.06	7.37	(+) 14012.08
योग – 2043	16,500.63	..	16,500.63	13,627.31	(+) 21.09
2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क					
101. संग्रहण प्रभार–मनोरंजन कर	5.01	..	5.01	0.05	(+) 9920.00
103. संग्रहण प्रभार–विद्युत् शुल्क	1,605.88	..	1,605.88	1,642.84	(-) 2.25
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	..	..	..	(-) 0.10	(-) 100.00
योग – 2045	1,610.89	..	1,610.89	1,642.79	(-) 1.94
1.12 योग – (iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	1,74,550.09	..	1,74,551.21	1,81,981.49	(-) 4.08

(क) इसमें निवेश सहाय्य (आर आई पी एस–2019) लेखे के ₹ 996.44 लाख शामिल है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाएं – *(क्रमशः)*					
(ख) राजकोषीय सेवाएं – (समाप्त)					
(iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं					
2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं					
800. अन्य व्यय	491.60 (क)	..	491.60	426.56	(+) 15.25
योग – 2047	491.60	..	491.60	426.56	(+) 15.25
योग – (iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं	491.60	..	491.60	426.56	(+) 15.25
योग– (ख) राजकोषीय सेवाएं	*28.80* 2,70,166.70	..	2,70,195.50	2,67,628.17	(+) 0.96
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन					
2049. ब्याज अदायगियां					
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज					
101. बाजार कर्जों पर ब्याज	*17,50,393.86*	..	17,50,393.86	14,29,542.20	(+) 22.44
123. राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	*1,19,141.40*	..	1,19,141.40	1,34,693.89	(-) 11.55
200. अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज	*4,00,841.96* (ख)	..	4,00,841.96	4,63,188.51	(-) 13.46
305. ऋण प्रबन्ध	*4,822.94*	..	4,822.94	5,581.18	(-) 13.59
योग – 01	*22,75,200.16*	..	22,75,200.16	20,33,005.78	(+) 11.91

(क) व्यय राजस्व आसूचना विभाग से संबंधित है।

(ख) इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये विशेष आहरण सुविधाएं एवं सामान्य आर्थोपाय अग्रिम के कारण चुकाये गये ब्याज के ₹ 2,502.33 लाख सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाएं – *(क्रमशः)*						
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन– (क्रमशः)						
2049. ब्याज अदायगियां – *(क्रमशः)*						
03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज						
104. राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज		*2,69,113.39*	..	2,69,113.39	2,59,662.70	(+) 3.64
108. बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज		*1,72,348.77*	..	1,72,348.77	1,53,405.04	(+) 12.35
117. निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज		*60.46*	..	60.46	123.96	(-) 51.23
	योग– 03	*4,41,522.62*	..	4,41,522.62	4,13,191.70	(+) 6.86
04. केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज						
101. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज		*23,318.28*	..	23,318.28	29,136.89	(-) 19.97
104. योजनेत्तर योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज		*177.92*	..	177.92	221.53	(-) 19.69
109. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत समेकित आयोजना कर्जो पर ब्याज		*7,287.13*	..	7,287.13	9,602.40	(-) 24.11
	योग – 04	*30,783.33*	..	30,783.33	38,960.82	(-) 20.99
05. आरक्षित निधियों पर ब्याज						
105. सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज		*32,802.78* (क)	..	32,802.78	14,367.20	(+) 128.32
	योग - 05	*32,802.78*	..	32,802.78	14,367.20	(+) 128.32

(क) यह राज्य आपदा मोच निधि (वर्ष 2020–21 की अन्तिम छः माही ₹ 8,545.11 लाख तथा वर्ष 2021–22 की प्रथम छः माही ₹ 8,354.57 लाख) तथा राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (₹ 15,903.10 लाख) की अनिवेशित राशि पर ब्याज से संबंधित है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21	वर्ष के दौरान
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग	के लिए वास्तविक	प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाएं – *(क्रमशः)*					
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन – (समाप्त)					
2049. ब्याज अदायगियां – *(समाप्त)*					
60. अन्य दायित्वों पर ब्याज					
101. जमाओं पर ब्याज	*27,501.27*	..	27,501.27	17,189.21	(+) 59.99
701. विविध	*2,317.12*	..	2,317.12	3,466.52	(-) 33.16
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	*(-) 81.16*	..	(-) 81.16	..	..
योग – 60	*29,737.23*	..	29,737.23	20,655.73	(+) 43.97
योग – 2049	*28,10,046.12*	..	28,10,046.12	25,20,181.23	(+) 11.50
योग–(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन	*28,10,046.12*	..	28,10,046.12	25,20,181.23	(+) 11.50
(घ) प्रशासनिक सेवाएं					
2051. लोक सेवा आयोग					
102. राज्य लोक सेवा आयोग	*4,755.65*	..	4,755.65	3,829.58	(+) 24.18
103. कर्मचारी चयन आयोग	8,453.81	..	8,453.81	1,526.39	(+) 453.84
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	*(-) 2.38*	..	(-) 2.38	..	..
योग – 2051	*4,753.27* 8,453.81	..	13,207.08	5,355.97	(+) 146.59
2052. सचिवालय – सामान्य सेवाएं					
090. सचिवालय	21,313.80	..	21,313.80	19,483.21	(+) 9.40
092. अन्य कार्यालय	409.86	..	409.86	389.30	(+) 5.28
099. राजस्व बोर्ड	3,330.10	..	3,330.10	3,118.59	(+) 6.78
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 2.61	..	(-) 2.61	(-) 6.08	(-) 57.07
योग– 2052	25,051.15	..	25,051.15	22,985.02	(+) 8.99

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाएं – *(क्रमशः)*					
(घ) प्रशासनिक सेवाएं – (क्रमशः)					
2053. जिला प्रशासन					
093. जिला स्थापनाएं	15,904.28	..	15,904.28	14,444.70	(+) 10.10
094. अन्य स्थापनाएं	*1.17* 39,329.16	..	39,330.33	36,216.16	(+) 8.60
101. आयुक्त	1,555.00	..	1,555.00	1,401.34	(+) 10.97
800. अन्य व्यय	569.80 (क)	..	569.80	521.60	(+) 9.24
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 17.61	..	(-) 17.61	(-) 19.79	(-) 11.02
योग – 2053	*1.17* 57,340.63	..	57,341.80	52,564.01	(+) 9.09
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन					
095. लेखा तथा खजाना निदेशालय	2,678.49	..	2,678.49	2,138.08	(+) 25.28
097. खजाना स्थापना	23,432.01	..	23,432.01	16,586.25	(+) 41.27
098. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा	4,336.66	..	4,336.66	4,200.51	(+) 3.24
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	1.11	..	1.11	..	..
800. अन्य व्यय	*0.15* 5,998.04 (ख)	..	5,998.19	4,635.59	(+) 29.39
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 2.95	..	(-) 2.95	(-) 1.90	(+) 55.26
योग – 2054	*0.15* 36,443.36	..	36,443.51	27,558.53	(+) 32.24

(क) गुड गर्वनेंस प्रणाली पर व्यय है।

(ख) व्यय पेंशन तथा पेंशनर्स कल्याण विभाग (₹ 2,342.01 लाख), निरीक्षण विभाग (₹ 1,515.46 लाख) तथा राजस्थान में सुदृढ़ सार्वजनिक वित्त प्रबंधन परियोजना (₹ 2,140.72 लाख) के संस्थापन पर हुआ।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाएं – *(क्रमशः)*					
(घ) प्रशासनिक सेवाएं – (क्रमशः)					
2055. पुलिस					
001. निदेशन तथा प्रशासन	4,762.74	..	4,762.74	4,166.88	(+) 14.30
003. शिक्षा और प्रशिक्षण	14,320.72	..	14,320.72	13,090.00	(+) 9.40
004. शोध	28.38	..	28.38	27.56	(+) 2.98
101. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता	38,704.46	604.68	39,309.14	35,522.03	(+) 10.66
104. विशेष पुलिस	1,14,721.54	..	1,14,721.54	1,02,044.66	(+) 12.42
109. जिला पुलिस	*61.83* 5,08,949.21	..	5,09,011.04	4,51,888.72	(+) 12.64
111. रेलवे पुलिस	8,789.91	..	8,789.91	8,061.47	(+) 9.04
113. पुलिस कर्मियों का कल्याण	1,611.62	..	1,611.62	1,582.89	(+) 1.82
114. बेतार तथा कम्प्यूटर	9,234.48	..	9,234.48	8,220.54	(+) 12.33
115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण	141.94	263.74	405.68	459.75	(-) 11.76
116. न्यायालयिक विज्ञान	4,041.45	8.98	4,050.43	3,051.21	(+) 32.75
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	25.00	..	25.00	..	..
800. अन्य व्यय	973.53 (क)	..	973.53	268.47	(+) 262.62
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 507.50	..	(-) 507.50	(-) 23.38	(+) 2070.66
योग – 2055	*61.83* 7,05,797.48	877.40	7,06,736.71	6,28,360.80	(+) 12.47

(क) पुलिस विकास निधि (₹ 923.54 लाख) एवं अन्य विभागों को पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति (₹ 49.99 लाख) पर व्यय ।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाएं – *(क्रमशः)*					
(घ) प्रशासनिक सेवाएं – (क्रमशः)					
2056. जेल					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,070.49	..	1,070.49	1,064.63	(+) 0.55
101. जेल	20,262.30	100.00	20,362.30	17,744.46	(+) 14.75
102. जेल उत्पाद	85.08	..	85.08	90.15	(-) 5.62
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	9.30	..	9.30	..	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	7.16	..	7.16	..	..
800. अन्य व्यय	624.29 (क)	..	624.29	443.47	(+) 40.77
योग – 2056	22,058.62	100.00	22,158.62	19,342.71	(+) 14.56
2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण					
001. निदेशन तथा प्रशासन	204.56	..	204.56	201.22	(+) 1.66
103. सरकारी मुद्रणालय	2,472.40	..	2,472.40	2,402.54	(+) 2.91
104. अन्य साधनों से मुद्रण की लागत	259.47	..	259.47	79.96	(+) 224.50
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 0.99	..	(-) 0.99	(-) 4.88	(-) 79.71
योग – 2058	2,935.44	..	2,935.44	2,678.84	(+) 9.58
2059. लोक निर्माण–कार्य					
01. कार्यालय भवन					
053. रखरखाव तथा मरम्मत	20.16	..	20.16	..	..
योग – 01	20.16	..	20.16	..	..

(क) जेल प्रशिक्षण विद्यालय (₹ 158.36 लाख), किशोर सुधार गृह (₹ 32.83 लाख) तथा महिला बन्दी सुधार गृह (₹ 433.10 लाख) पर व्यय ।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाएं – *(क्रमशः)*					
(घ) प्रशासनिक सेवाएं – (क्रमशः)					
2059. लोक निर्माण–कार्य – *(समाप्त)*					
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	*157.87* 7,179.75	..	7,337.62	7,553.39	(-) 2.86
004. योजना तथा अनुसंधान	2,078.54	..	2,078.54	1,972.90	(+) 5.35
052. मशीनरी तथा उपस्कर	(-) 5,643.25 (क)	..	(-) 5,643.25	(-) 5,251.74	(+) 7.45
053. रखरखाव तथा मरम्मत	9,380.21	..	9,380.21	8,104.75	(+) 15.74
योग – 80	*157.87* 12,995.25	..	13,153.12	12,379.30	(+) 6.25
योग – 2059	*157.87* 13,015.41	..	13,173.28	12,379.30	(+) 6.41
2062. सर्तकता					
103. लोकायुक्त/उप लोकायुक्त	647.31	..	647.31	544.17	(+) 18.95
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 0.21	..	(-) 0.21	(-) 0.15	(+) 40.00
योग – 2062	647.10	..	647.10	544.02	(+) 18.95
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं					
003. प्रशिक्षण	2,349.03	..	2,349.03	2,655.33	(-) 11.54
106. सिविल रक्षा	2,459.54	..	2,459.54	2,268.39	(+) 8.43
107. होमगार्ड	6,335.92	2,664.70	9,000.62	7,882.03	(+) 14.19
114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव	12,177.98	..	12,177.98	10,993.80	(+) 10.77
115. अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि	5,504.52	..	5,504.52	5,229.83	(+) 5.25

(क) *ऋण* व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाएं – *(क्रमशः)*					
(घ) प्रशासनिक सेवाएं – (समाप्त)					
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं– *(समाप्त)*					
800. अन्य व्यय	0.14	..	0.14	2.46	(-) 94.31
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 8.29	..	(-) 8.29	(-) 8.65	(-) 4.16
योग– 2070	28,818.84	2,664.70	31,483.54	29,023.19	(+) 8.48
योग – (घ) प्रशासनिक सेवाएं	*4,974.29* 9,00,561.84	3,642.10	9,09,178.23	8,00,792.39	(+) 13.53
(ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं					
2071. पेंशन तथा अन्य सेवा–निवृत्ति हित लाभ					
01. सिविल					
101. अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते	11,04,483.39 (क)	..	11,04,483.39	10,43,219.33	(+) 5.87
102. पेंशन का सारांशीकृत मूल्य	1,99,161.49	..	1,99,161.49	2,11,582.81	(-) 5.87
104. उपदान	2,91,025.05	..	2,91,025.05	2,69,721.45	(+) 7.90
105. परिवार पेंशन	3,15,934.33 (क)	..	3,15,934.33	2,89,188.52	(+) 9.25
106. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में पेंशन सम्बन्धी प्रभार	*820.57*	..	820.57	720.69	(+) 13.86
108. भविष्य निधि के लिए अंशदान	9.24	..	9.24	13.91	(-) 33.57
110. स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन	63,368.24 (क)	..	63,368.24	60,977.21	(+) 3.92
111. विधायकों को पेंशन	3,171.82 (क)	..	3,171.82	3,292.55	(-) 3.67
115. अवकाश नगदीकरण लाभ	1,56,722.65	..	1,56,722.65	1,40,781.94	(+) 11.32

(क) राज्य सरकार द्वारा सूचित की गयी पेंशनरों की संख्या कोष्ठक मे दी गयी है: शीर्ष 2071-01-101 **(2,91,998)**,105 **(1,49,250)**, 106 **(896)**, 110 **(31,105)** तथा 111 **(562)**।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाएं – *(समाप्त)*					
(ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं – (समाप्त)					
2071. पेंशन तथा अन्य सेवा–निवृत्ति हित लाभ – *(समाप्त)*					
01. सिविल **– *(समाप्त)***					
117. निर्धारित अंशदान पेंशन योजना में सरकारी अंशदान	1,92,646.81	..	1,92,646.81	2,17,891.16	(-) 11.59
200. अन्य पेंशन	11,687.33	..	11,687.33	6,481.67	(+) 80.31
800. अन्य व्यय	104.95 (क)	..	104.95	91.10	(+) 15.20
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 1.05	..	(-) 1.05	..	..
योग–2071	*820.57* 23,38,314.25	..	23,39,134.82	22,43,962.34	(+) 4.24
2075. विविध सामान्य सेवाएं					
104. विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार	798.99	..	798.99	199.60	(+) 300.30
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को/से अन्तरण	55,131.77 (ख)	..	55,131.77	43,733.58	(+) 26.06
800. अन्य व्यय	82.57 (ग)	..	82.57	118.82	(-) 30.51
योग–2075	56,013.33	..	56,013.33	44,052.00	(+) 27.15
योग–(ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	*820.57* 23,94,327.58	..	23,95,148.15	22,88,014.34	(+) 4.68
योग – क. सामान्य सेवाएं	*28,33,840.65* 37,02,737.34	4,058.74	65,40,636.73	60,14,383.77	(+) 8.75

(क) यह पेंशनरी हित लाभों के भुगतान में हुई देरी पर ब्याज के भुगतान पर व्यय से संबंधित है।

(ख) गारन्टी फीस मुख्य शीर्ष "8235–117 गारन्टी मोचन निधि" को हस्तान्तरित की गई ।

(ग) इसमें जनानी डयोढी (₹ 27.31 लाख) तथा पूर्व शासकों के आश्रितों एवं परिवारों को भत्ता (₹ 53.83 लाख) से संबंधित व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक				वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग	2020–21 के लिए वास्तविक	
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति					
2202. सामान्य शिक्षा					
01. प्रारंभिक शिक्षा					
001. निदेशन तथा प्रशासन	4,252.00	3,888.00	8,140.00	8,647.81	(-) 5.87
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय	34,210.31	..	34,210.31	31,726.10	(+) 7.83
102. अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	22.24	..	22.24	87.77	(-)74.66
103. प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता	8,068.00	..	8,068.00	7,030.00	(+) 14.77
104. निरीक्षण	648.16	..	648.16	502.87	(+) 28.89
105. अनौपचारिक शिक्षा	73.12	..	73.12	64.56	(+) 13.26
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन	2,464.99	..	2,464.99	2,519.92	(-) 2.18
112. विद्यालयों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम	32,230.57	31,690.48	63,921.05	62,068.19	(+) 2.99
113. समग्र शिक्षा	6,53,579.12	1,56,972.35	8,10,551.47	7,11,902.10	(+) 13.86
196. जिला परिषद /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	3,915.56	..	3,915.56	3,614.71	(+) 8.32
197. ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	*54.82* 5,23,447.23	..	5,23,502.05	3,44,207.21	(+) 52.09
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	13,835.22	11,596.66	25,431.88	30,698.79	(-) 17.16
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	30,236.51	10,392.96	40,629.47	40,436.57	(+) 0.48
800. अन्य व्यय	24,545.42	12,572.42	37,117.84 (क)	35,612.06	(+) 4.23
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 92.96	..	(-) 92.96	(-) 182.00	(-) 48.92
योग – 01	*54.82* 13,31,435.49	2,27,112.87	15,58,603.18	12,78,936.66	(+) 21.87

(क) इसमें मदरसा स्कूल (₹ 6,830.00 लाख) तथा मदरसा बोर्ड (₹ 205.00 लाख), आर.टी.ई. के अन्तर्गत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति (₹ 30,053.95 लाख) एवं विधवा तथा परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना (₹ 28.89 लाख) हेतु जारी सहायतार्थ अनुदान पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21	वर्ष के दौरान
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग	के लिए वास्तविक	प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं *–(क्रमशः)*						
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति –(क्रमशः)						
2202. सामान्य शिक्षा *–(क्रमशः)*						
02. माध्यमिक शिक्षा						
001. निदेशन तथा प्रशासन		10,377.67	..	10,377.67	9,748.59	(+) 6.45
101. निरीक्षण		*361.01* 4,580.95	..	4,941.96	4,401.48	(+) 12.28
107. छात्रवृत्तियां		12,779.72	12,329.24	25,108.96	22,020.77	(+) 14.02
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय		18,95,562.55	..	18,95,562.55	17,01,365.88	(+) 11.41
110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता		3,113.78	..	3,113.78	4,056.78	(-) 23.25
113. समग्र शिक्षा		79,071.02	25,074.45	1,04,145.47	1,00,350.73	(+) 3.78
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना		79,042.73	..	79,042.73	64,369.30	(+) 22.80
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना		1,12,268.44	..	1,12,268.44	99,231.44	(+) 13.14
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां		(-) 328.20	..	(-) 328.20	(-) 659.20	(-) 50.21
	योग – 02	*361.01* 21,96,468.66	37,403.69	22,34,233.36	20,04,885.77	(+) 11.44
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा						
001. निदेशन तथा प्रशासन		1,829.52	..	1,829.52	1,676.65	(+) 9.12
102. विश्वविद्यालयों को सहायता		31,881.00	..	31,881.00	29,690.28	(+) 7.38
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान		*28.08* 96,569.48	349.37	96,946.93	90,517.84	(+) 7.10
107. छात्रवृत्तियां		1,439.45	..	1,439.45	1,312.66	(+) 9.66

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं *–(क्रमशः)*					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति –(क्रमशः)					
2202. सामान्य शिक्षा *–(क्रमशः)*					
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा ***–(समाप्त)***					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,563.42	87.96	3,651.38	3,552.92	(+) 2.77
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	8,033.64	62.92	8,096.56	7,392.83	(+) 9.52
800. अन्य व्यय	214.68 (क)	..	214.68	18.95	(+) 1032.88
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 18.26	..	(-) 18.26	(-) 10.37	(+) 76.08
	28.08				
योग – 03	1,43,512.93	500.25	1,44,041.26	1,34,151.76	(+) 7.37
04. प्रौढ़ शिक्षा					
	4.60				
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	966.25	..	970.85	1,450.85	(-) 33.08
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2.98	..	2.98	195.71	(-) 98.48
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	60.23	..	60.23	163.51	(-) 63.16
800. अन्य व्यय	6.90	..	6.90	6.99	(-) 1.29
	4.60				
योग – 04	1,036.36	..	1,040.96	1,817.06	(-) 42.71
05. भाषा विकास					
001. निदेशन तथा प्रशासन	169.28	..	169.28	170.74	(-) 0.86
102. आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन	331.89	..	331.89	259.07	(+) 28.11
	0.83				
103. संस्कृत शिक्षा	30,727.59	..	30,728.42	25,721.20	(+) 19.47
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,715.80	..	1,715.80	1,441.62	(+) 19.02
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	1,713.00	..	1,713.00	1,243.26	(+) 37.78

(क) राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पर आई.सी.टी. के माध्यम से (₹ 14.68 लाख) एवं महाविद्यालय शिक्षा विभाग की नवीन/अभिनव योजनाओं (₹ 200.00 लाख) पर व्यय ।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं *–(क्रमशः)*					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति –(क्रमशः)					
2202. सामान्य शिक्षा *–(समाप्त)*					
05. भाषा विकास–(समाप्त)					
800. अन्य व्यय	242.00 (क)	..	242.00	235.00	(+) 2.98
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 23.55	..	(-) 23.55	(-) 18.03	(+) 30.56
योग – 05	*0.83* 34,876.01	..	34,876.84	29,052.86	(+) 20.05
80. सामान्य					
003. प्रशिक्षण	799.66	..	799.66	1,611.70	(-) 50.38
004. अनुसंधान	130.37	..	130.37	66.61	(+) 95.72
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	64.41	..	64.41	60.44	(+) 6.57
800. अन्य व्यय	96.63 (ख)	..	96.63	101.25	(-) 4.57
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 12.14	..	(-) 12.14	(-) 2.32	(+) 423.28
योग – 80	1,078.93	..	1,078.93	1,837.68	(-) 41.29
योग– 2202	*449.34* 37,08,408.38	2,65,016.81	39,73,874.53	34,50,681.79	(+) 15.16
2203. तकनीकी शिक्षा					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,848.14	..	1,848.14	1,404.92	(+) 31.55
102. तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को सहायता	470.00	..	470.00	380.00	(+) 23.68
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता	6,194.61	..	6,194.61	1,424.92	(+) 334.73

(क) राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी को अनुदान ।

(ख) अराजकीय शिक्षण संस्थान एजेन्सी पर व्यय ।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं *–(क्रमशः)*					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति –(क्रमशः)					
2203. तकनीकी शिक्षा *–(समाप्त)*					
105. बहुशिल्प (पॉलीटेक्निक)	*68.15* 27,101.22	..	27,169.37	17,512.59	(+) 55.14
107. छात्रवृत्तियां	155.33	..	155.33	166.87	(-) 6.92
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	70.13	..	70.13	123.80	(-) 43.35
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	648.26	..	648.26	319.43	(+) 102.94
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 5.07	..	(-) 5.07	..	..
योग – 2203	*68.15* 36,482.62	..	36,550.77	21,332.53	(+) 71.34
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं					
101. व्यायाम शिक्षा	7,898.87	..	7,898.87	1,607.56	(+) 391.36
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम	4,043.49	..	4,043.49	3,876.00	(+) 4.32
104. खेल–कूद	4,350.72	..	4,350.72	2,935.00	(+) 48.24
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	604.65	..	604.65	262.74	(+) 130.13
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	467.19	..	467.19	160.00	(+) 191.99
योग – 2204	17,364.92	..	17,364.92	8,841.30	(+) 96.41
2205. कला एवं संस्कृति					
001. निदेशन तथा प्रशासन	0.77	..	0.77	..	..
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन	4,387.63	..	4,387.63	5,289.01	(-) 17.04
103. पुरातत्व विज्ञान	*0.91* 3,344.10	..	3,345.01	2,163.37	(+) 54.62

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं *–(क्रमशः)*					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति –(समाप्त)					
2205. कला एवं संस्कृति *–(समाप्त)*					
104. अभिलेखागार	645.01	9.50	654.51	682.44	(-) 4.09
105. सार्वजनिक पुस्तकालय	1,083.19	..	1,083.19	1,097.51	(-) 1.30
107. संग्रहालय	795.25	..	795.25	761.61	(+) 4.42
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	833.35	..	833.35	..	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	397.73	..	397.73	170.54	(+) 133.22
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	..	..	..	(-) 1.60	(-) 100.00
योग – 2205	*0.91* 11,487.03	9.50	11,497.44	10,162.88	(+) 13.13
योग – (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	*518.40* 37,73,742.95	2,65,026.31	40,39,287.66	34,91,018.50	(+) 15.71
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण					
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य					
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी					
001. निदेशन तथा प्रशासन	*12.76* 5,096.30	..	5,109.06	4,988.02	(+) 2.43
102. कर्मचारी राज्य बीमा योजना	*0.22* 18,664.42	..	18,664.64	17,197.84	(+) 8.53
110. अस्पताल तथा औषधालय	2,19,543.87	..	2,19,543.87	1,98,157.68	(+) 10.79
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	9,314.05	..	9,314.05	8,736.52	(+) 6.61
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	15,429.66	..	15,429.66	14,266.11	(+) 8.16

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं ***–(क्रमशः)***					
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण –(क्रमशः)					
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य ***–(क्रमशः)***					
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी ***–(समाप्त)***					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,860.88	..	1,860.88	981.33	(+) 89.63
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	16,286.45	..	16,286.45	13,756.40	(+)18.39
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 66.76	..	(-) 66.76	(-) 27.92	(+) 139.11
	12.98				
योग – 01	2,86,128.87	..	2,86,141.85	2,58,055.98	(+) 10.88
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं –अन्य चिकित्सा पद्धतियां					
	14.63				
101. आयुर्वेद	22,319.98	..	22,334.61	20,257.18	(+) 10.26
102. होम्योपैथी	2,730.99	..	2,730.99	2,487.50	(+) 9.79
103. यूनानी	2,170.02	..	2,170.02	1,846.39	(+) 17.53
200. अन्य पद्धतियां	700.98	..	700.98	667.52	(+) 5.01
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,759.51	..	1,759.51	1,530.12	(+) 14.99
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	4,369.42	..	4,369.42	4,209.88	(+) 3.79
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 3.14	..	(-) 3.14	(-) 6.73	(-) 53.34
	14.63				
योग – 02	34,047.76	..	34,062.39	30,991.86	(+) 9.91

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं *–(क्रमशः)*					
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण – (क्रमशः)					
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य *–(क्रमशः)*					
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी					
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2,556.17	..	2,556.17	2,639.35	(-) 3.15
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,06,646.41	..	1,06,646.41	89,444.61	(+) 19.23
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	1,11,903.38	..	1,11,903.38	1,04,739.83	(+) 6.84
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	9,217.84	..	9,217.84	5,940.09	(+) 55.18
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	329.90	..	329.90	444.75	(-) 25.82
योग – 03	2,30,653.70	..	2,30,653.70	2,03,208.63	(+) 13.51
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं –अन्य चिकित्सा पद्धतियां					
101. आयुर्वेद	58,974.71	..	58,974.71	57,009.46	(+) 3.45
102. होम्योपैथी	1,262.56	..	1,262.56	1,176.59	(+) 7.31
103. यूनानी	1,096.21	..	1,096.21	855.91	(+) 28.08
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	621.20	(-) 100.00
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	1,071.86	..	1,071.86	1,450.42	(-) 26.10
800. अन्य व्यय	2,126.00	3,189.00	5,315.00 (क)	2,779.42	(+) 91.23
योग – 04	64,531.34	3,189.00	67,720.34	63,893.00	(+) 5.99
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान					
001. निदेशन तथा प्रशासन	401.34	..	401.34	384.07	(+) 4.50
105. एलोपैथी	1,09,996.63	..	1,09,996.63	1,00,198.76	(+) 9.78

(क) व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं *–(क्रमशः)*					
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण – (क्रमशः)					
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य *–(क्रमशः)*					
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान ***–(समाप्त)***					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	32,511.50	..	32,511.50	29,248.96	(+) 11.15
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	11,337.68	..	11,337.68	10,938.95	(+) 3.65
800. अन्य व्यय	15,880.59 (क)	..	15,880.59	13,928.34	(+) 14.02
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 64.38	..	(-) 64.38	(-) 11.31	(+) 469.23
योग – 05	1,70,063.36	..	1,70,063.36	1,54,687.77	(+) 9.94
06. लोक स्वास्थ्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	489.47	..	489.47	521.42	(-) 6.13
003. प्रशिक्षण	354.04	..	354.04	338.23	(+) 4.67
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण	26,108.63	..	26,108.63	22,708.50	(+) 14.97
102. खाद्य अपमिश्रण का निवारण	88.92	..	88.92	85.28	(+) 4.27
104. औषध नियंत्रण	2,927.14	..	2,927.14	2,478.57	(+) 18.10
107. लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	536.07	..	536.07	456.36	(+) 17.47
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	36,900.00	..	36,900.00	29,322.97	(+) 25.84
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	11,750.96	..	11,750.96	10,509.11	(+) 11.82

(क) नि:शुल्क जांच योजना (₹ 11,211.43 लाख) एवं नि:शुल्क दवा योजना (₹ 4,669.16 लाख) पर व्यय ।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं *–(क्रमशः)*					
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण – (क्रमशः)					
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य *–(समाप्त)*					
06. लोक स्वास्थ्य –(समाप्त)					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	41,569.98	..	41,569.98	24,257.31	(+) 71.37
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	32,002.96	..	32,002.96	18,642.65	(+) 71.67
800. अन्य व्यय	1,01,267.12 (क)	..	1,01,267.12	19,001.69	(+) 432.94
योग – 06	2,53,995.29	..	2,53,995.29	1,28,322.09	(+) 97.94
योग – 2210	*27.61* 10,39,420.32	3,189.00	10,42,636.93	8,39,159.33	(+) 24.25
2211. परिवार कल्याण					
001. निदेशन तथा प्रशासन	490.23	701.11	1,191.34	1,003.36	(+) 18.74
003. प्रशिक्षण	106.37	1,890.36	1,996.73	2,635.80	(-) 24.25
102. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	2,634.41	2,615.55	5,249.96	5,913.87	(-) 11.23
104. परिवहन	*16.11* 34.43	..	50.54	40.14	(+) 25.91
105. क्षतिपूर्ति	2,518.88	..	2,518.88	3,066.16	(-) 17.85
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	8,061.23	4,197.95	12,259.18	11,188.31	(+) 9.57
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	6,276.92	68,505.43	74,782.35	70,532.53	(+) 6.03

(क) जन स्वास्थ्य बीमा योजना (₹ 1,00,899.21 लाख), निरोगी राजस्थान (₹ 350.00 लाख) तथा जनता क्लिनिक (₹ 17.91 लाख) पर व्यय ।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं *–(क्रमशः)*					
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण – (समाप्त)					
2211. परिवार कल्याण *–(समाप्त)*					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	23,450.16	32,222.97	55,673.13	52,290.18	(+) 6.47
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	15,875.04	23,652.09	39,527.13	37,532.71	(+) 5.31
800. अन्य व्यय	78,808.67	1,20,399.00	1,99,207.67 (क)	1,75,453.17	(+) 13.54
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 80.21	..	(-) 80.21	(-) 1.33	(+) 5930.83
	16.11				
योग – 2211	1,38,176.13	2,54,184.46	3,92,376.70	3,59,654.90	(+) 9.10
	43.72				
योग–(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	11,77,596.45	2,57,373.46	14,35,013.63	11,98,814.23	(+) 19.70
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास					
2215.जलपूर्ति तथा सफाई					
01. जलपूर्ति					
003. प्रशिक्षण	191.49	..	191.49	164.44	(+) 16.45
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम	1,60,354.95	..	1,60,354.95	1,50,311.50	(+) 6.68
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम	2,12,057.00	..	2,12,057.00	1,65,994.69	(+) 27.75
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 11.01	..	(-) 11.01	(-) 8.92	(+) 23.43
योग – 01	3,72,592.43	..	3,72,592.43	3,16,461.71	(+) 17.74

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 1,97,316.00 लाख) तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (₹ 1,891.67 लाख) पर व्यय ।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं *–(क्रमशः)*						
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास–(क्रमशः)						
2215. जलपूर्ति तथा सफाई *–(समाप्त)*						
02. मल–जल तथा सफाई						
001. निदेशन तथा प्रशासन		*75.66* 34,193.00	..	34,268.66	32,143.05	(+) 6.61
005. सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल		130.46	78.81	209.27	252.03	(-) 16.97
107. मल–जल सेवाएं		165.99	..	165.99	163.83	(+) 1.32
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता		..	..	..	660.00	(-) 100.00
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां		(-) 1.14	..	(-) 1.14	..	..
	योग –02	*75.66* 34,488.31	78.81	34,642.78	33,218.91	(+) 4.29
	योग – 2215	*75.66* 4,07,080.74	78.81	4,07,235.21	3,49,680.62	(+) 16.46
2216. आवास						
05. सामान्य पूल आवास						
053. रखरखाव एवं मरम्मत		7,086.60	..	7,086.60	5,634.88	(+) 25.76
800. अन्य व्यय		205.66 (क)	..	205.66	150.85	(+) 36.33
	योग – 05	7,292.26	..	7,292.26	5,785.73	(+) 26.04
	योग – 2216	7,292.26	..	7,292.26	5,785.73	(+) 26.04

(क) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से उपकरणों पर व्यय ।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं ***–(क्रमशः)***					
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास –(क्रमशः)					
2217. शहरी विकास					
05. अन्य शहरी विकास योजना					
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	15,646.55	89.27	15,735.82	10,865.21	(+) 44.83
800. अन्य व्यय	18,000.00	4,900.00	22,900.00 (क)	21,500.00	(+) 6.51
योग – 05	33,646.55	4,989.27	38,635.82	32,365.21	(+) 19.37
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,193.89	..	1,193.89	1,086.90	(+) 9.84
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता	1,66,076.20	45,026.93	2,11,103.13	2,00,855.37	(+) 5.10
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	2,23,201.13	1,13,539.56	3,36,740.69	3,12,899.18	(+) 7.62
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	13.21	..	13.21	13.19	(+) 0.15
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण	1,02,987.33 (ख)	..	1,02,987.33	73,137.23	(+) 40.81
800. अन्य व्यय	7,481.57 (ग)	..	7,481.57	13,111.89	(-) 42.94

(क) स्मार्ट सिटी योजना पर व्यय ।

(ख) ₹ 30,000.00 लाख का शहरी उपकर तथा ₹ 72,987.33 लाख के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए स्टाम्प शुल्क पर अधिभार क्रमशः शीर्ष ''8229–200(10) राजस्थान शहरी विकास निधि'' तथा 8229–200(13) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को हस्तांतरित किया गया।

(ग) नगर तथा देशी आयोजना संगठन (₹ 1,312.88 लाख), राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (₹ 5,423.29 लाख), मास्टर प्लान तथा अन्य योजनाएं (₹ 87.39 लाख), राजस्थान झील विकास प्राधिकरण (₹ 45.63 लाख), राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (₹ 562.38 लाख) पर व्यय तथा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग को (₹ 50.00 लाख) का अनुदान सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं *–(क्रमशः)*					
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास – (समाप्त)					
2217. शहरी विकास *–(समाप्त)*					
80. सामान्य ***–(समाप्त)***					
902. *घटाइये*–राजस्थान शहरी विकास निधि से राशि की पूर्ति	(-) 51,069.84	..	(-) 51,069.84	(-) 35,247.29	(+) 44.89
योग - 80	4,49,883.49	1,58,566.49	6,08,449.98	5,65,856.47	(+) 7.53
योग – 2217	4,83,530.04	1,63,555.76	6,47,085.80	5,98,221.68	(+) 8.17
योग–(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	*75.66* 8,97,903.04	1,63,634.57	10,61,613.27	9,53,688.03	(+) 11.32
(घ) सूचना तथा प्रसारण					
2220. **सूचना तथा प्रचार**					
60. अन्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	11,937.71	..	11,937.71	12,075.71	(-) 1.14
102. सूचना केन्द्र	1,427.17	..	1,427.17	1,429.35	(-) 0.15
106. क्षेत्र प्रचार	822.55	..	822.55	717.73	(+) 14.60
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	263.50	..	263.50	263.50	..

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं *–(क्रमशः)*					
(घ) सूचना तथा प्रसारण –(समाप्त)					
2220. सूचना तथा प्रचार *–(समाप्त)*					
60. अन्य –(समाप्त)					
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	206.50	..	206.50	239.77	(-) 13.88
योग – 2220	14,657.43	..	14,657.43	14,726.06	(-) 0.47
योग – (घ) सूचना तथा प्रसारण	14,657.43	..	14,657.43	14,726.06	(-) 0.47
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण					
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण					
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,755.65	..	1,755.65	1,746.45	(+) 0.53
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	*4.93* 33,885.53	5,747.62	39,638.08	32,026.38	(+) 23.77
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	20,399.50	21,891.05	42,290.55	40,037.72	(+) 5.63
793. अनुसूचित जातियों की घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	..	2,071.06	2,071.06	..	..
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 1.82	..	(-) 1.82	(-) 3.40	(-) 46.47
योग – 01	*4.93* 56,038.86	29,709.73	85,753.52	73,807.15	(+) 16.19

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं–*(क्रमशः)*						
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–(क्रमशः)						
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण–*(क्रमशः)*						
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण						
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता		13,072.17	1,276.05	14,348.22	13,124.65	(+) 9.32
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना		24,545.54	24,288.12	48,833.66	45,888.90	(+) 6.42
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां		(-) 0.03	..	(-) 0.03	..	..
	योग – 02	37,617.68	25,564.17	63,181.85	59,013.55	(+) 7.06
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता		1,931.50	..	1,931.50	227.00	(+) 750.88
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता		16,589.62	..	16,589.62	13,815.04	(+) 20.08
277. शिक्षा		2,251.27	2,527.68	4,778.95	5,979.97	(-) 20.08
800. अन्य व्यय		80.58	..	80.58	75.16	(+) 7.21
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां		(-) 0.37	..	(-) 0.37	(-) 0.05	(+) 640.00
	योग – 03	20,852.60	2,527.68	23,380.28	20,097.12	(+) 16.34
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण						
001. निदेशन तथा प्रशासन		1,746.98	..	1,746.98	1,478.26	(+) 18.18
102. आर्थिक विकास		..	5.59	5.59	6.70	(-) 16.57
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता		3,305.23	..	3,305.23	225.31	(+) 1366.97

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं – *(क्रमशः)*					
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण – (समाप्त)					
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण –*(समाप्त)*					
*04. अल्पसंख्यकों का कल्याण–**(समाप्त)***					
277. शिक्षा	826.20	58.37	884.57	224.56	(+) 293.91
800. अन्य व्यय	299.64 (क)	..	299.64	299.41	(+) 0.08
योग – 04	6,178.05	63.96	6,242.01	2,234.24	(+) 179.38
योग – 2225	*4.93* 1,20,687.19	57,865.54	1,78,557.66	1,55,152.06	(+) 15.09
योग – (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	*4.93* 1,20,687.19	57,865.54	1,78,557.66	1,55,152.06	(+) 15.09
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण					
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास					
01. श्रम					
001. निदेशन तथा प्रशासन	557.59	..	557.59	534.06	(+) 4.41
101. औद्योगिक सम्बन्ध	2,586.14	..	2,586.14	2,473.48	(+) 4.55

(क) इसमें राजस्थान वक्फ बोर्ड (₹ 250.00 लाख), हज कमेटी (₹ 26.64 लाख) तथा वक्फ विकास परिषद (₹ 23.00 लाख) से सम्बन्धित अनुदान तथा व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं – *(क्रमशः)*					
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण – (क्रमशः)					
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास – *(क्रमशः)*					
01. श्रम –(समाप्त)					
102. कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा	1,227.35	..	1,227.35	1,143.33	(+) 7.35
103. सामान्य श्रम कल्याण	36,757.37 (क)	..	36,757.37	41,286.21	(-) 10.97
112. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	40.00	19.80	59.80	10.00	(+) 498.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2.31	..	2.31	2.19	(+) 5.48
796. जन जातीय क्षेत्र उप–योजना	36.66	..	36.66	31.56	(+) 16.16
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 0.12	..	(-) 0.12	..	..
योग – 01	41,207.30	19.80	41,227.10	45,480.83	(-) 9.35
02. रोजगार सेवाएं					
001. निदेशन तथा प्रशासन	589.70	..	589.70	485.19	(+) 21.54
101. रोजगार सेवाएं	1,502.13	29.57	1,531.70	1,466.73	(+) 4.43
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	3,030.00	345.00	3,375.00	4,486.00	(-) 24.77
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	8,277.13	..	8,277.13	6,765.14	(+) 22.35
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	7,301.55	..	7,301.55	5,486.06	(+) 33.09
800. अन्य व्यय	41,732.78 (ख)	..	41,732.78	35,240.27	(+) 18.42
योग – 02	62,433.29	374.57	62,807.86	53,929.39	(+) 16.46

(क) इसमें राजस्थान भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के निजी निक्षेप खाते में स्थानान्तरित ₹ 36,755.12 लाख सम्मिलित है ।

(ख) इसमें मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना (₹ 41,725.81 लाख) पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं – *(क्रमशः)*					
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण – (समाप्त)					
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास – *(समाप्त)*					
03. प्रशिक्षण					
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	15,498.89	..	15,498.89	13,019.92	(+) 19.04
101. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	293.86	..	293.86	231.41	(+) 26.99
102. प्रशिक्षु प्रशिक्षण	383.48	..	383.48	381.43	(+) 0.54
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	346.07	..	346.07	176.70	(+) 95.85
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	597.42	..	597.42	462.61	(+) 29.14
800. अन्य व्यय	152.00 (क)	..	152.00	135.00	(+) 12.59
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	..	..	..	(-) 1.80	(-) 100.00
योग – 03	17,271.72	..	17,271.72	14,405.27	(+) 19.90
योग – 2230	1,20,912.31	394.37	1,21,306.68	1,13,815.49	(+) 6.58
योग – (च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण	1,20,912.31	394.37	1,21,306.68	1,13,815.49	(+) 6.58
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण					
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण					
02. समाज कल्याण					
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	14,960.15	1.66	14,961.81	2,993.40	(+) 399.83
102. बाल कल्याण	2,398.34	3,150.00	5,548.34	6,479.21	(-) 14.37
103. महिला कल्याण	1,236.14	1,547.97	2,784.11	1,220.77	(+) 128.06
104. वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण	3,893.13	..	3,893.13	3,724.75	(+) 4.52
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	..	..	..	773.15	(-) 100.00

(क) आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय राजस्थान को अनुदान ।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं – *(क्रमशः)*					
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण – (क्रमशः)					
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण– *(क्रमशः)*					
*02. समाज कल्याण– **(समाप्त)***					
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	81,336.53	134.91	81,471.44	69,876.02	(+) 16.59
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	2,525.95	..	2,525.95	2,082.25	(+) 21.31
200. अन्य कार्यक्रम	10,542.77 (क)	..	10,542.77	8,101.62	(+) 30.13
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	532.47	..	532.47	525.04	(+) 1.42
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	299.74	..	299.74	260.08	(+) 15.25
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 0.15	..	(-) 0.15	(-) 1.08	(-) 86.11
योग – 02	1,17,725.07	4,834.54	1,22,559.61	96,035.21	(+) 27.62
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम					
102. समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन	111.73	..	111.73	111.95	(-) 0.20
104. निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना–सरकारी भविष्य निधि	*1.00* 3,624.40	..	3,625.40	3,652.79	(-) 0.75
107. स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना	1,280.43 (ख)	..	1,280.43	1,055.63	(+) 21.30
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	9,42,146.52	44,548.13	9,86,694.65 (ग)	8,50,813.41	(+) 15.97
200. अन्य कार्यक्रम	86,407.30 (घ)	..	86,407.30	6,846.75	(+) 1162.02

(क) इसमें सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना आपदा, पशु दुर्घटना आदि के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से अनुदान (₹ 9,800.00 लाख) तथा राज्य सूचना आयोग को अनुदान (₹ 610.00 लाख) सम्मिलित है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा सूचित पेंशनरों की संख्या **232** ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा सूचित पेंशनरों की संख्या जो कोष्ठक में दी गई है : वृद्धावस्था पेंशनर्स (**61,87,427**), विधवा एवं एकल नारी पेंशनर्स (**21,19,461**), विशेष योग्यजन्य पेंशनर्स (**6,28,779**) और कृषक वृद्धजन पेंशनर्स (2,57,334)।

(घ) इसमें नाविकों, सैनिकों और वायु सैनिकों के बोर्ड (₹ 4,089.05 लाख), पीड़ित मुआवजा योजना (₹ 1,813.41 लाख), दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को राहत (₹ 351.96 लाख), राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान (₹ 548.10 लाख) के लिए व्यय तथा कारगिल पैकेज (₹ 1,600.00 लाख) एवं कार्मिक कल्याण योजनाओं (₹ 77,675.37 लाख) के तहत शरीद परिवारों के लिए सहायता सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं – *(क्रमशः)*						
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण – (क्रमशः)						
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण – *(समाप्त)*						
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम– ***(समाप्त)***						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना		225.35	..	225.35	..	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना		476.08	..	476.08	..	..
800. अन्य व्यय		6,560.94 (क)	..	6,560.94	6,310.10	(+) 3.98
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां		(-) 39.72	..	(-) 39.72	(-) 50.25	(-) 20.96
	योग – 60	*1.00* 10,40,793.03	44,548.13	10,85,342.16	8,68,740.38	(+) 24.93
	योग – 2235	*1.00* 11,58,518.10	49,382.67	12,07,901.77	9,64,775.59	(+) 25.20
2236. पोषण						
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण						
101. विशेष पोषण कार्यक्रम		30,853.34	23,587.17	54,440.51	45,490.73	(+) 19.67
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता		1,275.51	180.29	1,455.80	1,333.31	(+) 9.19
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता		88,248.53	30,916.38	1,19,164.91	1,18,647.80	(+) 0.44
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना		23,282.25	22,806.65	46,088.90	38,553.11	(+) 19.55
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना		9,541.54	8,375.29	17,916.83	14,917.35	(+) 20.11
	योग – 02	1,53,201.17	85,865.78	2,39,066.95	2,18,942.30	(+) 9.19

(क) इसमें 01.04.2004 को तथा बाद में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिये मेडिक्लेम (₹ 4,819.10 लाख) तथा नयी अंशदायी पेंशन योजना (₹ 1,741.84 लाख) पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं – *(क्रमशः)*					
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण – (क्रमशः)					
2236. पोषण – *(समाप्त)*					
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	536.76	..	536.76	471.51	(+) 13.84
योग – 80	536.76	..	536.76	471.51	(+) 13.84
योग – 2236	1,53,737.93	85,865.78	2,39,603.71	2,19,413.81	(+) 9.20
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत					
01. सूखा					
102. पीने के पानी की पूर्ति	104.12	312.35	416.47	937.08	(-) 55.56
104. चारे की पूर्ति	243.83	731.48	975.31	1,201.23	(-) 18.81
800. अन्य व्यय	18,365.22	58,122.45	76,487.67 (क)	36,067.07	(+) 112.07
योग – 01	18,713.17	59,166.28	77,879.45	38,205.38	(+) 103.84
02. बाढ़, चक्रवात आदि					
101. आनुग्रहिक राहत	1,768.37	5,700.85	7,469.22	7.46	..
102. पीने के पानी की पूर्ति	1.20	3.59	4.79	..	..
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	1,537.84	4,581.40	6,119.24	11,758.15	(-) 47.96

(क) इसमें अग्नि सहायता (₹ 795.34 लाख), सर्च रेस्क्यू तथा संचार के लिए डिवाइस तथा उपकरणों का क्रय (₹ 1,902.89 लाख), कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लीज फसलों के लिये लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि आदान अनुदान (₹ 21,350.42 लाख), लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न के लिये कृषि आदान अनुदान (₹ 51,703.62 लाख), प्रशिक्षण (₹ 283.33 लाख) तथा आपदा प्रबंधन योजनाओं की योजना (₹ 369.60 लाख) पर व्यय सम्मिलित है ।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं – *(क्रमशः)*					
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण – (क्रमशः)					
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत– *(क्रमशः)*					
*02. बाढ़, चक्रवात आदि– **(समाप्त)***					
107. खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुन: स्थापना	0.33	1.00	1.33	12.80	(-) 89.61
111. शोकार्त परिवारों को अनुग्रह पूर्वक अदायगी	41.02	131.05	172.07	160.00	(+) 7.54
113. घर की मरम्मत / पुनर्निमाण के लिए सहायता	605.23	1,766.92	2,372.15	245.02	(+) 868.14
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता	5,910.95	22,720.21	28,631.16	47,189.84	(-) 39.33
117. पशुधन के क्रय हेतु किसानों को सहायता	8.51	23.75	32.26	22.62	(+) 42.62
122. खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण–कार्यों की मरम्मत तथा पुन: स्थापना	196.29	588.88	785.17	739.19	(+) 6.22
282. लोक स्वास्थ्य	16,209.45	49,062.27	65,271.72	1,12,640.65	(-) 42.05
योग – 02	26,279.19	84,579.92	1,10,859.11	1,72,775.73	(-)35.84
05. राज्य आपदा मोचन निधि					
101. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को अन्तरण– *राज्य आपदा मोचन निधि*	49,400.00	1,48,100.00	1,97,500.00	2,82,825.00	(-) 30.17
901. *घटाइये* – राज्य आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि	(-) 44,992.34	(-) 1,43,746.20	(-) 1,88,738.54	(क) (-) 2,10,981.11	(-) 10.54
योग – 05	4,407.66	4,353.80	8,761.46	71,843.89	(-) 87.80

(क) इसमें विभिन्न कोषालयों तथा उपकोषालय द्वारा जमा कराये गये गत वर्ष के ₹ 1,069.79 लाख सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं–*(क्रमशः)*					
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण–(समाप्त)					
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–*(समाप्त)*					
80. सामान्य					
800. अन्य व्यय	4,508.22	18.05	4,526.27 (क)	795.98	(+) 468.64
योग – 80	4,508.22	18.05	4,526.27	795.98	(+) 468.64
योग – 2245	53,908.24	1,48,118.05	2,02,026.29	2,83,620.98	(-) 28.77
योग – (छ) समाज कल्याण तथा पोषण	*1.00* 13,66,164.27	2,83,366.50	16,49,531.77	14,67,810.38	(+) 12.38
(ज) अन्य					
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं					
101. धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान	26.00	..	26.00	26.00	..
102. धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन	*2.31* 1,820.39	..	1,822.70	1,728.92	(+) 5.42
103. पवित्र स्थानों, मन्दिरों आदि का रख–रखाव	47.87	..	47.87	25.36	(+) 88.76

(क) इसमें निदेशन तथा प्रशासन (₹ 867.83 लाख) तथा अन्य सहायता (₹ 3,640.40 लाख) पर व्यय सम्मिलित है ।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाएं–*(समाप्त)*					
(ज) अन्य –(समाप्त)					
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं–*(समाप्त)*					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	17.81	(-) 100.00
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	9.88	(-) 100.00
800. अन्य व्यय	18.27 (क)	..	18.27	896.11	(-) 97.96
योग –2250	*2.31* 1,912.53	..	1,914.84	2,704.08	(-) 29.19
2251. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं					
090. सचिवालय	3,483.72	..	3,483.72	3,230.69	(+) 7.83
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 0.19	..	(-) 0.19	..	..
योग – 2251	3,483.53	..	3,483.53	3,230.69	(+) 7.83
योग –(ज) अन्य	*2.31* 5,396.06	..	5,398.37	5,934.77	(-) 9.04
योग – ख. सामाजिक सेवाएं	*646.02* 74,77,059.70	10,27,660.75	85,05,366.47	74,00,959.52	(+) 14.92

(क) इसमें तीर्थयात्रा योजना (₹ 17.80 लाख) तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिरो के पुनरूद्धार के लिए सहायता (₹ 0.47 लाख) पर व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक				वर्ष के दौरान
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग	2020–21 के लिए वास्तविक	प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	(₹ लाख में)				
ग. आर्थिक सेवाएं					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप					
2401. फसल कृषि–कर्म					
001. निदेशन तथा प्रशासन	*1.00* 4,566.52	..	4,567.52	4,273.98	(+) 6.87
102. खाद्यान्न फसलें	76.43	568.69	645.12	1,651.59	(-) 60.94
103. बीज	781.43	..	781.43	718.95	(+) 8.69
105. खाद तथा उर्वरक	1,528.36	..	1,528.36	1,271.93	(+) 20.16
107. वनस्पति रक्षण	1,368.85	..	1,368.85	1,241.61	(+) 10.25
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण	3,384.28	1,309.84	4,694.12	5,853.10	(-) 19.80
110. फसल बीमा	1,95,860.87	..	1,95,860.87	1,47,008.14	(+) 33.23
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें	*0.50* 30,866.93	11,419.16	42,286.59	30,072.55	(+) 40.62
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	26,068.25	25,312.19	51,380.44	48,063.35	(+) 6.90
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	30,096.81	..	30,096.81	29,395.23	(+) 2.39
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	53,753.09	5,538.33	59,291.42	54,457.04	(+) 8.88
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	42,476.43	5,214.53	47,690.96	48,977.98	(-) 2.63
800. अन्य व्यय	1,872.63	4,018.44	5,891.07 (क)	32,020.76	(-) 81.60
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 17.80	..	(-) 17.80	(-) 29.96	(-) 40.59
योग – 2401	*1.50* 3,92,683.08	53,381.18	4,46,065.76	4,04,976.25	(+) 10.15

(क) इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (₹ 4,401.61 लाख) तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (₹ 1,371.92 लाख) पर व्यय सम्मिलित है ।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं *–(क्रमशः)*					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप–(क्रमशः)					
2402. मृदा तथा जल संरक्षण					
001. निदेशन तथा प्रशासन	906.60	..	906.60	754.71	(+) 20.13
102. मृदा–संरक्षण	273.38	..	273.38	255.29	(+) 7.09
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	*25.90* 4,880.68	..	4,906.58	5,159.83	(-) 4.91
796. जनजाति क्षेत्र उप–योजना	97.79	..	97.79	95.73	(+) 2.15
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 6.72	..	(-) 6.72	(-) 0.16	(+) 4100.00
योग – 2402	*25.90* 6,151.73	..	6,177.63	6,265.40	(-) 1.40
2403. पशुपालन					
001. निदेशन तथा प्रशासन	73,448.96	4.84	73,453.80	70,330.79	(+) 4.44
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य	15,394.90	243.22	15,638.12	14,453.59	(+) 8.20
102. पशु तथा भैंस विकास	34,583.38	96.85	34,680.23	25,458.16	(+) 36.22
107. चारा तथा चारागाह विकास	3.40	4.95	8.35	7.07	(+) 18.10
109. विस्तार तथा प्रशिक्षण	33.88	49.46	83.34	2.18	(+) 3722.94
113. प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी	200.44	224.47	424.91	590.76	(-) 28.07
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	28,268.22	145.48	28,413.70	25,030.09	(+) 13.52
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	17,340.65	116.11	17,456.76	22,219.18	(-) 21.43
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण	64,714.00 (क)	..	64,714.00	59,911.73	(+) 8.02

(क) गाय के संबर्धन/संरक्षण हेतु स्टाम्प शुल्क पर अधिभार मुख्य शीर्ष ''8229–104 (02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि'' को हस्तांतरित।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं –*(क्रमशः)*					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप –(क्रमशः)					
2403. पशुपालन –*(समाप्त)*					
902. *घटाईये*–राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि से प्रतिपूर्ति	(-) 63,102.13	..	(-) 63,102.13	(-) 57,401.45	(+) 9.93
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 22.17	..	(-) 22.17	(-) 5.79	(+) 282.90
योग – 2403	1,70,863.53	885.38	1,71,748.91	1,60,596.31	(+) 6.94
2404. डेयरी विकास					
195. सहकारी समितियों को सहायता	7,840.00	..	7,840.00	5,279.63	(+) 48.50
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	7,280.00	..	7,280.00	4,875.00	(+) 49.33
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	7,280.00	..	7,280.00	4,875.00	(+) 49.33
योग – 2404	22,400.00	..	22,400.00	15,029.63	(+) 49.04
2405. मछली पालन					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,148.26	..	1,148.26	1,160.00	(-) 1.01
101. अन्तर्देशीय मछली पालन	137.44	191.05	328.49	147.96	(+) 122.01
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	14.72	16.06	30.78	12.79	(+) 140.66
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	36.77	16.57	53.34	31.27	(+) 70.58
800. अन्य व्यय	1.26	..	1.26	0.26	(+) 384.62
योग – 2405	1,338.45	223.68	1,562.13	1,352.28	(+) 15.52
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी					
01. वानिकी					
001. निदेशन तथा प्रशासन	*28.61* 50,259.87	..	50,288.48	50,077.25	(+) 0.42

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं –*(क्रमशः)*						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप –(क्रमशः)						
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी –*(क्रमशः)*						
01. वानिकी ***–(समाप्त)***						
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		2,505.90	22.73	2,528.63	2,676.37	(-) 5.52
102. सामाजिक तथा फार्म वानिकी		629.56	..	629.56	555.23	(+) 13.39
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता		707.33	..	707.33	915.98	(-) 22.78
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना		1,206.00	..	1,206.00	1,130.52	(+) 6.68
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना		1,583.62	..	1,583.62	1,699.69	(-) 6.83
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां		(-) 16.03	..	(-) 16.03	(-) 2.47	(+) 548.99
	योग – 01	*28.61* 56,876.25	22.73	56,927.59	57,052.57	(-) 0.22
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव						
110. वन्य जीव परिरक्षण		9,907.22	1,645.07	11,552.29	9,087.03	(+) 27.13
111. चिड़ियाघर		106.16	..	106.16	97.54	(+) 8.84
112. सार्वजनिक उद्यान		2,104.84	..	2,104.84	2,185.36	(-) 3.68
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां		(-) 3.43	..	(-) 3.43	(-) 2.53	(+) 35.57
	योग – 02	12,114.79	1,645.07	13,759.86	11,367.40	(+) 21.05
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास						
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एस.सी. ए.)		13,051.11	..	13,051.11	14,179.86	(-) 7.96
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना		3,206.40	..	3,206.40	2,199.62	(+) 45.77
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना		1,978.61	..	1,978.61	2,264.85	(-) 12.64

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं–*(क्रमशः)*						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप –(क्रमशः)						
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी–*(समाप्त)*						
*04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास–**(समाप्त)***						
902. *घटाईये*–राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष से पुनर्भुगतान		(-) 18,236.12	..	(-) 18,236.12	(-) 18,644.33	(-) 2.19
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां		(-) 8.39	..	(-) 8.39	..	..
	योग – 04	(-) 8.39	..	(-) 8.39	..	..
	योग – 2406	*28.61* 68,982.65	1,667.80	70,679.06	68,419.97	(+) 3.30
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा						
01. फसल कृषि–कर्म						
004. अनुसंधान		2,134.68	..	2,134.68	2,146.17	(-) 0.54
277. शिक्षा		21,827.20	..	21,827.20	23,083.95	(-) 5.44
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना		213.00	..	213.00	394.00	(-) 45.94
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना		708.00	..	708.00	818.84	(-) 13.54
	योग – 01	24,882.88	..	24,882.88	26,442.96	(-) 5.90
03. पशु–पालन						
120. अन्य संस्थाओं को सहायता		135.00	..	135.00	141.00	(-) 4.26
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना		30.00	..	30.00	37.00	(-) 18.92
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना		22.50	..	22.50	28.00	(-) 19.64
	योग – 03	187.50	..	187.50	206.00	(-) 8.98
	योग – 2415	25,070.38	..	25,070.38	26,648.96	(-) 5.92

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं–*(क्रमशः)*					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप –(क्रमशः)					
2425. सहकारिता					
001. निदेशन तथा प्रशासन	5,774.83	..	5,774.83	5,693.53	(+) 1.43
003. प्रशिक्षण	94.39	..	94.39	63.39	(+) 48.90
101. सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा	2,425.25	..	2,425.25	2,362.43	(+) 2.66
105. सूचना एवं प्रचार	137.77	..	137.77	150.04	(-) 8.18
107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता	2,59,596.87	..	2,59,596.87	3,55,909.12	(-) 27.06
108. अन्य सहकारी समितियों को सहायता	18.84	23.57	42.41	39.15	(+) 8.33
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	67,479.71	..	67,479.71	86,326.78	(-) 21.83
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	53,765.19	..	53,765.19	66,086.08	(-) 18.64
800. अन्य व्यय	46,201.00 (क)	..	46,201.00	..	..
योग – 2425	4,35,493.85	23.57	4,35,517.42	5,16,630.52	(-) 15.70
2435. अन्य कृषि कार्यक्रम					
01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,066.92	..	1,066.92	1,067.83	(-) 0.09
101. विपणन सुविधाये	26,991.00	..	26,991.00	4,000.00	(+) 574.78
102. श्रेणीबद्ध करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं	74.87	..	74.87	59.43	(+) 25.98
योग – 01	28,132.79	..	28,132.79	5,127.26	(+) 448.69

(क) व्यय सहकारी समितियों के अच्छे ऋणी उधारकर्ताओं को ब्याज अनुदान से संबंधित है ।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं–*(क्रमशः)*					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप –(समाप्त)					
2435. अन्य कृषि कार्यक्रम *–(समाप्त)*					
60. अन्य					
800. अन्य व्यय	585.03	1,207.54	1,792.57 (क)	..	..
योग – 2435	28,717.82	1,207.54	29,925.36	5,127.26	(+) 483.65
योग – (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	*56.01* 11,51,701.49	57,389.15	12,09,146.65	12,05,046.58	(+) 0.34
(ख) ग्राम विकास					
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम					
05. बंजर भूमि विकास					
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	47,612.90	7,934.32	55,547.22	93,202.54	(-) 40.40
902. *घटाइये* –जल संरक्षण उपकर निधि से राशि की प्रतिपूर्ति	(-) 30,200.00	..	(-) 30,200.00	(-) 26,177.31	(+) 15.37
योग – 05	17,412.90	7,934.32	25,347.22	67,025.23	(-) 62.18
06. स्वरोजगार कार्यक्रम					
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	26,121.65	36,451.31	62,572.96	28,676.36	(+) 118.20
योग – 06	26,121.65	36,451.31	62,572.96	28,676.36	(+) 118.20
योग – 2501	43,534.55	44,385.63	87,920.18	95,701.59	(-) 8.13
2505. ग्राम रोजगार					
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम					
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	93,697.55	1,40,546.32	2,34,243.87	2,63,036.61	(-) 10.95
योग –01	93,697.55	1,40,546.32	2,34,243.87	2,63,036.61	(-) 10.95

(क) व्यय प्रधान मंत्री सूक्ष्म उर्वरक उद्योग उन्नयन योजना से संबंधित है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं–*(क्रमशः)*					
(ख) ग्राम विकास –(समाप्त)					
2505. ग्राम रोजगार–*(समाप्त)*					
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम					
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	75,000.00	1,99,000.00	2,74,000.00	1,94,274.27	(+) 41.04
योग – 02	75,000.00	1,99,000.00	2,74,000.00	1,94,274.27	(+)41.04
योग – 2505	1,68,697.55	3,39,546.32	5,08,243.87	4,57,310.88	(+) 11.14
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम					
001. निदेशन तथा प्रशासन	3,006.22	..	3,006.22	2,820.98	(+) 6.57
003. प्रशिक्षण	521.78	..	521.78	464.13	(+) 12.42
101. पंचायती राज	4,410.21	..	4,410.21	..	..
104. डी.आर.डी.ए. प्रशासन	539.05	..	539.05	500.19	(+)7.77
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	85,085.96	58,806.75	1,43,892.71	77,303.60	(+) 86.14
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	1,88,175.34	78,575.98	2,66,751.32	1,57,763.69	(+) 69.08
198. ग्राम पंचायतों को सहायता	3,26,809.17	2,94,666.43	6,21,475.60	3,64,949.24	(+) 70.29
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,167.41	..	1,167.41	..	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	907.98	..	907.98	..	..
800. अन्य व्यय	7,572.36 (क)	..	7,572.36	17,838.98	(-) 57.55
योग – 2515	6,18,195.48	4,32,049.16	10,50,244.64	6,21,640.81	(+) 68.95
योग –(ख) ग्राम विकास	8,30,427.58	8,15,981.11	16,46,408.69	11,74,653.28	(+) 40.16

(क) पंचायत चुनाव (₹ 5,468.50 लाख), राज्य निर्वाचन आयोग (₹ 432.28 लाख), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 21.58 लाख) तथा जिला नवाचार निधि योजना (₹ 1,650.00 लाख) पर व्यय ।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं –*(क्रमशः)*					
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम					
2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम					
01. डांग जिले					
101. डांग जिलों का विकास	53.92	..	53.92	51.71	(+) 4.27
योग - 01	53.92	..	53.92	51.71	(+) 4.27
02. पिछड़े क्षेत्र					
102. मेवात क्षेत्र का विकास	0.10	..	0.10	..	..
105. मगरा क्षेत्र का विकास	13.14	..	13.14	22.78	(-) 42.32
योग – 02	13.24	..	13.24	22.78	(-) 41.88
06. सीमा क्षेत्र विकास					
800. अन्य व्यय	..	18.95	18.95	2.88	(+) 557.99
योग – 06	..	18.95	18.95	2.88	(+) 557.99
योग – 2575	67.16	18.95	86.11	77.37	(+) 11.30
योग– (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	67.16	18.95	86.11	77.37	(+) 11.30

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं –*(क्रमशः)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण						
2700. मुख्य सिंचाई						
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन		3,232.23	..	3,232.23	3,303.70	(-) 2.16
052. मशीनरी तथा उपस्कर		1.96	..	1.96	5.13	(-) 61.79
101. रखरखाव एवं मरम्मत		875.26	..	875.26	1,684.96	(-) 48.06
799. उचन्त		(-) 19.31	..	(-) 19.31	34.39	..
800. अन्य व्यय		721.45	..	721.45 *	717.27	(+) 0.58
	योग – 01	4,811.59	..	4,811.59	5,745.45	(-) 16.25
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन		1,229.65	..	1,229.65	1,240.18	(-) 0.85
101. रखरखाव एवं मरम्मत		769.68	..	769.68	1,131.25	(-) 31.96
800. अन्य व्यय		5,721.50	..	5,721.50 *	4,932.71	(+) 15.99
	योग – 02	7,720.83	..	7,720.83	7,304.14	(+) 5.70
03. ब्यास परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन		7,921.29	..	7,921.29	8,187.22	(-) 3.25
101. रखरखाव एवं मरम्मत		1,392.96	..	1,392.96	1,279.02	(+) 8.91
	योग – 03	9,314.25	..	9,314.25	9,466.24	(-) 1.61

✻ यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं–*(क्रमशः)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण–(क्रमशः)						
2700. मुख्य सिंचाई–*(क्रमशः)*						
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन		*0.48* | 6,372.56	..	6,373.04	8,144.60	(-) 21.75
052. मशीनरी तथा उपस्कर		..	..	..	0.25	(-) 100.00
101. रखरखाव एवं मरम्मत		4,583.97	..	4,583.97	5,213.05	(-) 12.07
800. अन्य व्यय		44,639.37	..	44,639.37 *	45,066.73	(-) 0.95
	योग – 04	*0.48* | 55,595.90	..	55,596.38	58,424.63	(-) 4.84
05. इन्दिरा गांधी नहर फीडर (पंजाब हिस्सा)(मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग (नहरें) पंजाब/मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन		665.45	..	665.45	796.18	(-) 16.42
101. रखरखाव एवं मरम्मत		1,281.00	..	1,281.00	903.62	(+) 41.76
800. अन्य व्यय		2,984.45	..	2,984.45 *	1,409.45	(+) 111.75
	योग – 05	4,930.90	..	4,930.90	3,109.25	(+) 58.59
06. गुड़गाँव नहर (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		77.51	..	77.51	132.94	(-) 41.70
	योग – 06	77.51	..	77.51	132.94	(-) 41.70

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं –*(क्रमशः)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)						
2700. मुख्य सिंचाई –*(क्रमशः)*						
07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक)						
800. अन्य व्यय		89.03	..	89.03 *	85.18	(+) 4.52
	योग – 07	89.03	..	89.03	85.18	(+) 4.52
22. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		86.39	..	86.39	160.29	(-) 46.10
	योग – 22	86.39	..	86.39	160.29	(-) 46.10
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		1,242.25	..	1,242.25	..	..
800. अन्य व्यय		21,447.02	..	21,447.02 *	20,979.40	(+) 2.23
	योग – 24	22,689.27	..	22,689.27	20,979.40	(+) 8.15
25. नोहर फीडर परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		108.76	..	108.76	294.44	(-) 63.06
800. अन्य व्यय		460.86	..	460.86 *	460.86	..
	योग – 25	569.62	..	569.62	755.30	(-) 24.58

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं –*(क्रमशः)*					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)					
2700. मुख्य सिंचाई –*(क्रमशः)*					
26. सिद्धमुख परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	59.88	..	59.88	137.51	(-) 56.45
800. अन्य व्यय	1,955.97	..	1,955.97 *	1,946.56	(+) 0.48
योग – 26	2,015.85	..	2,015.85	2,084.07	(-) 3.27
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)					
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	8,761.82	..	8,761.82 (क)	8,691.65	(+) 0.81
योग – 27	8,761.82	..	8,761.82	8,691.65	(+) 0.81
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)					
001. निदेशन तथा प्रशासन	883.38	..	883.38	1,160.40	(-) 23.87
800. अन्य व्यय	3,875.09	..	3,875.09 *	3,840.21	(+) 0.91
योग – 28	4,758.47	..	4,758.47	5,000.61	(-) 4.84

(क) इसमें पूंजी लेखे पर ब्याज का कल्पित समायोजन से संबंधित ₹ 7,579.17 लाख सम्मिलित है।

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं –*(क्रमशः)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)						
2700. मुख्य सिंचाई –*(क्रमशः)*						
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)						
001. निदेशन तथा प्रशासन		590.07	..	590.07	536.36	(+) 10.01
101. रखरखाव एवं मरम्मत		730.58	..	730.58	936.05	(-) 21.95
800. अन्य व्यय		5,011.12	..	5,011.12 *	5,009.98	(+) 0.02
	योग – 31	6,331.77	..	6,331.77	6,482.39	(-) 2.32
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)						
800. अन्य व्यय		29,627.75	..	29,627.75 *	23,859.32	(+) 24.18
	योग – 32	29,627.75	..	29,627.75	23,859.32	(+) 24.18
33. काली सिन्ध परियोजना (वाणिज्यिक)						
800. अन्य व्यय		0.05	..	0.05 *	0.04	(+) 25.00
	योग – 33	0.05	..	0.05	0.04	(+) 25.00
34. परियोजना का पुर्नजीविकरण, उन्नयन, आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण (वाणिज्यिक)						
800. अन्य व्यय		550.76	..	550.76 *	435.72	(+) 26.40
	योग – 34	550.76	..	550.76	435.72	(+) 26.40

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक				वर्ष के दौरान
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग	2020–21 के लिए वास्तविक	प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं *–(क्रमशः)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)						
2700. मुख्य सिंचाई *–(समाप्त)*						
35. धौलपुर लिफ्ट						
800. अन्य व्यय		2,917.79	..	2,917.79 *	2,200.45	(+) 32.60
	योग – 35	2,917.79	..	2,917.79	2,200.45	(+) 32.60
36. जयसमन्द ई आर एम						
800. अन्य व्यय		564.39	..	564.39 *	433.65	(+) 30.15
	योग – 36	564.39	..	564.39	433.65	(+) 30.15
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना						
800. अन्य व्यय		3,168.27	..	3,168.27 *	1,210.69	(+) 161.69
	योग – 39	3,168.27	..	3,168.27	1,210.69	(+) 161.69
80. सामान्य						
001. निदेशन तथा प्रशासन		308.00	..	308.00	288.00	(+) 6.94
800. अन्य व्यय		6,743.79	..	6,743.79 (क)	4,655.62	(+) 44.85
	योग – 80	7,051.79	..	7,051.79	4,943.62	(+) 42.64
	योग –2700	*0.48* 1,71,634.00	..	1,71,634.48	1,61,505.03	(+) 6.27

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

(क) इसमें पूंजी लेखे पर ब्याज का कल्पित समायोजन से संबंधित ₹ 6,742.79 लाख सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं –*(क्रमशः)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)						
2701. मध्यम सिंचाई						
01. जवाई नहर (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		62.27	..	62.27	85.83	(-) 27.45
	योग – 01	62.27	..	62.27	85.83	(-) 27.45
02. मेजा परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		107.71	..	107.71	161.70	(-) 33.39
800. अन्य व्यय		389.13	..	389.13 *	..	..
	योग – 02	496.84	..	496.84	161.70	(+) 207.26
03. पारबती परियोजना (धौलपुर) (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		360.53	..	360.53	421.86	(-) 14.54
800. अन्य व्यय		597.80	..	597.80 *	552.69	(+) 8.16
	योग – 03	958.33	..	958.33	974.55	(-) 1.66
04. गुढ़ा परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		44.48	..	44.48	52.14	(-) 14.69
	योग – 04	44.48	..	44.48	52.14	(-) 14.69

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)				
ग. आर्थिक सेवाएं –*(क्रमशः)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)						
2701. मध्यम सिंचाई –*(क्रमशः)*						
05. मोरेल परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		62.05	..	62.05	56.07	(+) 10.67
	योग – 05	62.05	..	62.05	56.07	(+) 10.67
06. अलनिया परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		60.55	..	60.55	110.59	(-) 45.26
	योग – 06	60.55	..	60.55	110.59	(-) 45.26
07. पश्चिमी बनास परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		20.28	..	20.28	16.32	(+) 24.26
	योग – 07	20.28	..	20.28	16.32	(+) 24.26
08. वल्लभ नगर परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		14.17	..	14.17	26.23	(-) 45.98
	योग – 08	14.17	..	14.17	26.23	(-) 45.98
09. बड़गाँव पाल परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		19.03	..	19.03	20.15	(-) 5.56
	योग – 09	19.03	..	19.03	20.15	(-) 5.56

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं ***–(क्रमशः)***						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)						
2701. मध्यम सिंचाई ***–(क्रमशः)***						
10. ओराई सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		33.54	..	33.54	35.69	(-) 6.02
	योग – 10	33.54	..	33.54	35.69	(-) 6.02
23. पांचना परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव और मरम्मत		460.14	..	460.14	388.88	(+) 18.32
	योग – 23	460.14	..	460.14	388.88	(+) 18.32
24. सोम कमला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		92.39	..	92.39	176.79	(-) 47.74
800. अन्य व्यय		30.12	..	30.12 *	..	..
	योग – 24	122.51	..	122.51	176.79	(-) 30.70
27. वागन डाइवर्शन परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		21.94	..	21.94	39.23	(-) 44.07
	योग – 27	21.94	..	21.94	39.23	(-) 44.07

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं –*(क्रमशः)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)						
2701. मध्यम सिंचाई – *(क्रमशः)*						
30. भीम सागर परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		21.85	..	21.85	42.01	(-) 47.99
	योग – 30	21.85	..	21.85	42.01	(-) 47.99
31. कोठारी परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		23.26	..	23.26	35.69	(-) 34.83
	योग – 31	23.26	..	23.26	35.69	(-) 34.83
33. बस्सी परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		57.27	..	57.27	89.45	(-) 35.98
	योग – 33	57.27	..	57.27	89.45	(-) 35.98
35. छापी परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		53.18	..	53.18	62.73	(-) 15.22
	योग – 35	53.18	..	53.18	62.73	(-) 15.22

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं *–(क्रमशः)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)						
2701. मध्यम सिंचाई *–(क्रमशः)*						
38. सावनभादों परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		51.30	..	51.30	73.78	(-) 30.47
	योग – 38	51.30	..	51.30	73.78	(-) 30.47
40. सुकली परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		98.32	..	98.32	90.49	(+) 8.65
	योग – 40	98.32	..	98.32	90.49	(+) 8.65
41. *बांदिसेंदरा परियोजना (वाणिज्यिक)*						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		38.31	..	38.31	51.72	(-) 25.93
	योग – 41	38.31	..	38.31	51.72	(-) 25.93
43. *चंवली परियोजना (वाणिज्यिक)*						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		27.93	..	27.93	38.56	(-) 27.57
	योग – 43	27.93	..	27.93	38.56	(-) 27.57

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं *–(क्रमशः)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)						
2701. मध्यम *सिंचाई –(क्रमशः)*						
44. गंभीरी परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		275.56	..	275.56	312.04	(-) 11.69
	योग – 44	275.56	..	275.56	312.04	(-) 11.69
45. जयसंमद परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		0.13	..	0.13	0.56	(-) 76.79
	योग – 45	0.13	..	0.13	0.56	(-) 76.79
48. उदय सागर परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		59.62	..	59.62	103.69	(-) 42.50
	योग – 48	59.62	..	59.62	103.69	(-) 42.50
60. बेथलि परियोजना (वाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		54.99	..	54.99	72.94	(-) 24.61
	योग– 60	54.99	..	54.99	72.94	(-) 24.61

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं *–(क्रमशः)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)						
2701. मध्यम सिंचाई *–(क्रमशः)*						
62. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)						
800. अन्य व्यय		2,392.24	..	2,392.24 *	2,214.82	(+) 8.01
	योग– 62	2,392.24	..	2,392.24	2,214.82	(+) 8.01
63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)						
800. अन्य व्यय		1,908.97	..	1,908.97 *	1,763.95	(+) 8.22
	योग– 63	1,908.97	..	1,908.97	1,763.95	(+) 8.22
64. परवन लिफ्ट (अवाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		195.94	..	195.94	310.41	(-) 36.88
	योग– 64	195.94	..	195.94	310.41	(-) 36.88
65. हरिशचन्द्र सागर (अवाणिज्यिक)						
101. रखरखाव एवं मरम्मत		18.49	..	18.49	20.31	(-) 8.96
	योग– 65	18.49	..	18.49	20.31	(-) 8.96

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं ***–(क्रमशः)***						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)						
2701. मध्यम सिंचाई ***–(क्रमशः)***						
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)						
800. अन्य व्यय		1,341.30	..	1,341.30 *	1,247.28	(+) 7.54
	योग– 66	1,341.30	..	1,341.30	1,247.28	(+) 7.54
67. लहासी परियोजना (वाणिज्यिक)						
800. अन्य व्यय		1,270.17	..	1,270.17 *	1,235.51	(+) 2.81
	योग – 67	1,270.17	..	1,270.17	1,235.51	(+) 2.81
68. मनोहर थाना परियोजना (वाणिज्यिक)						
800. अन्य व्यय		4.83	..	4.83 *	..	..
	योग – 68	4.83	..	4.83	..	..
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)						
800. अन्य व्यय		2,299.63	..	2,299.63 *	2,195.02	(+) 4.77
	योग – 69	2,299.63	..	2,299.63	2,195.02	(+) 4.77
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)						
800. अन्य व्यय		1,608.32	..	1,608.32 *	1,457.19	(+) 10.37
	योग– 72	1,608.32	..	1,608.32	1,457.19	(+) 10.37

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं *–(क्रमशः)*					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई *–(क्रमशः)*					
73. हाथियां देय परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	943.04	..	943.04 *	465.13	(+) 102.75
योग– 73	943.04	..	943.04	465.13	(+) 102.75
74. अंधेरी परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	5.87	..	5.87 *	5.75	(+) 2.09
योग– 74	5.87	..	5.87	5.75	(+) 2.09
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	*1,346.46* 3,384.92	..	4,731.38	811.72	(+) 482.88
002. आंकड़ा संग्रहण	..	146.45	146.45	180.63	(-) 18.92
003. प्रशिक्षण	532.37	..	532.37	447.00	(+) 19.10
004. अनुसंधान	170.80	..	170.80	161.84	(+) 5.54
005. सर्वेक्षण	2,074.96	..	2,074.96	2,019.25	(+) 2.76
006. परामर्शदात्री	1,172.81	..	1,172.81	1,108.95	(+) 5.76
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	347.63	..	347.63	308.24	(+) 12.78
197. ब्लाक पंचायतों /मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	52.70	..	52.70	11.72	(+) 349.66

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं *–(क्रमशः)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)						
2701. मध्यम सिंचाई *–(समाप्त)*						
*80. सामान्य–**(समाप्त)***						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना		138.23	..	138.23	217.95	(-) 36.58
800. अन्य व्यय		1,630.46 (क)	..	1,630.46	1,606.54	(+) 1.49
911. *घटाइये*–अधिक भुगतान की वसूलियां		(-) 14.55	..	(-) 14.55	(-) 5.50	(+) 164.55
		1,346.46				
	योग– 80	9,490.33	146.45	10,983.24	6,868.34	(+) 59.91
		1,346.46				
	योग– 2701	24,616.98	146.45	26,109.89	20,901.54	(+) 24.92
2702. लघु सिंचाई						
01. सतही जल						
001. निदेशन तथा प्रशासन		364.72	..	364.72	..	..
197. ब्लाक पंचायतों /मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता		483.53	..	483.53	631.25	(-) 23.40
800. अन्य व्यय		6,976.48	28.26	7,004.74 (ख)	7,882.30	(-) 11.13
	योग– 01	7,824.73	28.26	7,852.99	8,513.55	(-) 7.76

(क) उपनिवेशन योजनाओं पर व्यय।

(ख) इसमें अन्य सिंचाई निर्माण कार्य (₹ 3,955.33 लाख), लिफ्ट सिंचाई योजना (₹ 312.83 लाख), राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम (₹ 28.26 लाख), जल उपभोक्ता फोरम (₹ 171.87 लाख) तथा राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (₹ 2,534.47 लाख) पर व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं *–(क्रमशः)*					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(समाप्त)					
2702. लघु सिंचाई *–(समाप्त)*					
02. भू–जल					
005. अन्वेषण	1,912.79	..	1,912.79	1,720.79	(+) 11.16
योग– 02	1,912.79	..	1,912.79	1,720.79	(+) 11.16
03. रखरखाव					
103. ट्यूब वैल्स	6,139.00	..	6,139.00	5,059.51	(+) 21.34
योग – 03	6,139.00	..	6,139.00	5,059.51	(+) 21.34
योग – 2702	15,876.52	28.26	15,904.78	15,293.85	(+) 3.99
2705. कमान क्षेत्र विकास					
101. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास	324.18	..	324.18	301.32	(+) 7.59
102. चम्बल क्षेत्र का विकास	1,225.92	..	1,225.92	1,098.98	(+) 11.55
107. गंग नहर परियोजना	446.62	..	446.62	404.73	(+) 10.35
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	181.60	..	181.60	178.57	(+) 1.70
योग – 2705	2,178.32	..	2,178.32	1,983.60	(+) 9.82
योग –(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	*1,346.94* 2,14,305.82	174.71	2,15,827.47	1,99,684.02	(+) 8.08

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं *–(क्रमशः)*						
(ङ) ऊर्जा						
2801. बिजली						
80. सामान्य						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता		13,62,875.05	..	13,62,875.05	8,81,572.61	(+) 54.60
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना		5,63,818.65	..	5,63,818.65	3,45,856.65	(+) 63.02
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना		3,37,733.70	..	3,37,733.70	1,98,996.08	(+) 69.72
	योग – 2801	22,64,427.40	..	22,64,427.40	14,26,425.34	(+) 58.75
2802. पैट्रोलियम						
01. कच्चे तेल तथा गैस की खोज तथा उत्पादन						
001. निदेशन तथा प्रशासन		168.58	..	168.58	109.32	(+) 54.21
	योग – 01	168.58	..	168.58	109.32	(+) 54.21
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन						
101. तेल का परिष्करण		5.61	..	5.61	1.74	(+) 222.41
	योग – 02	5.61	..	5.61	1.74	(+) 222.41
	योग – 2802	174.19	..	174.19	111.06	(+) 56.84

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं –*(क्रमशः)*					
(ङ) ऊर्जा –(समाप्त)					
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा					
001. निदेशन तथा प्रशासन	149.01	..	149.01	133.75	(+) 11.40
योग–2810	149.01	..	149.01	133.75	(+) 11.40
योग –(ङ) ऊर्जा	22,64,750.60	..	22,64,750.60	14,26,670.15	(+) 58.74
(च) उद्योग तथा खनिज					
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग					
001. निदेशन तथा प्रशासन	58.10	..	58.10	43.89	(+) 32.38
102. लघु उद्योग	3,996.71	..	3,996.71	562.91	(+) 610.01
103. हथकरघा उद्योग	27.57	..	27.57	49.26	(-) 44.05
104. हस्तशिल्प उद्योग	25.29	..	25.29	39.81	(-) 36.47
105. खादी तथा ग्रामोद्योग	2,095.00	..	2,095.00	4,638.50	(-) 54.83
111. शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार योजना	131.99	..	131.99	236.83	(-) 44.27
200. अन्य ग्रामोद्योग	4.00	..	4.00	1.44	(+) 177.78

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं –*(क्रमशः)*						
(च) उद्योग तथा खनिज –(क्रमशः)						
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग –*(समाप्त)*						
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना		1,838.37	..	1,838.37	161.51	(+) 1038.24
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना		1,371.61	..	1,371.61	112.39	(+) 1120.40
	योग – 2851	9,548.64	..	9,548.64	5,846.54	(+) 63.32
2852. उद्योग						
08. उपभोक्ता उद्योग						
600. अन्य		24.60	..	24.60	17.28	(+) 42.36
	योग – 08	24.60	..	24.60	17.28	(+) 42.36
80. सामान्य						
001. निदेशन तथा प्रशासन		5,026.00	..	5,026.00	4,839.79	(+) 3.85
003. औद्योगिक शिक्षा–अनुसंधान तथा प्रशिक्षण		12.06	..	12.06	0.10	(+) 11960.00
102. औद्योगिक उत्पादकता		5,017.01	..	5,017.01	2,511.71	(+) 99.74
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता		..	2,500.00	2,500.00	..	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना		1,123.74	..	1,123.74	276.94	(+) 305.77
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना		810.08	..	810.08	161.95	(+) 400.20
	योग – 80	11,988.89	2,500.00	14,488.89	7,790.49	(+) 85.98
	योग – 2852	12,013.49	2,500.00	14,513.49	7,807.77	(+) 85.89

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं –*(क्रमशः)*					
(च) उद्योग तथा खनिज –(समाप्त)					
2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग					
02. खानों का विनियमन तथा विकास					
001. निदेशन तथा प्रशासन	*1.83* 14,409.32	..	14,411.15	12,554.25	(+) 14.79
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	349.67	..	349.67	350.20	(-) 0.15
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	299.35	..	299.35	294.00	(+) 1.82
797. आरक्षित निधि/जमा लेखा को अन्तरण	4,883.00	..	4,883.00	..	..
800. अन्य व्यय	23.84	..	23.84	25.72	(-) 7.31
902. *घटाइये*–खनन क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से प्रतिपूर्ति	(-) 23.84	..	(-) 23.84	(-) 25.72	(-) 7.31
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 10.75	..	(-) 10.75	(-) 5.81	(+) 85.03
योग – 2853	*1.83* 19,930.59	..	19,932.42	13,192.64	(+) 51.09
योग –(च) उद्योग तथा खनिज	*1.83* 41,492.72	2,500.00	43,994.55	26,846.95	(+) 63.87
(छ) परिवहन					
3054. सड़क तथा सेतु					
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें					
337. सड़क निर्माण–कार्य	..	26,691.50	26,691.50	9,643.88	(+) 176.77
योग –02	..	26,691.50	26,691.50	9,643.88	(+) 176.77

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति		वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं –*(क्रमशः)*						
(छ) परिवहन–(क्रमशः)						
3054. सड़क तथा सेतु–*(समाप्त)*						
03. राजकीय राजमार्ग						
337. सड़क निर्माण–कार्य		*40.67* (-) 421.90 (क)	..	(-) 381.23	1,596.16	..
	योग – 03	*40.67* (-) 421.90	..	(-) 381.23	1,596.16	..
04. जिला तथा अन्य सड़कें						
338. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना		1,000.00	..	1,000.00	..	..
800. अन्य व्यय		41,237.80	425.00	41,662.80 (ख)	33,477.65	(+) 24.45
	योग – 04	42,237.80	425.00	42,662.80	33,477.65	(+) 27.44
80. सामान्य						
107. रेल सुरक्षा निर्माण कार्य		848.19	..	848.19	299.99	(+)182.74
797. आरक्षित निधि/जमा लेखा को अन्तरण		2,29,070.00	..	2,29,070.00 (ग)	1,01,146.00	(+) 126.47
800. अन्य व्यय		231.44 (घ)	..	231.44	236.74	(-) 2.24
	योग – 80	2,30,149.63	..	2,30,149.63	1,01,682.73	(+) 126.34
	योग – 3054	*40.67* 2,71,965.53	27,116.50	2,99,122.70	1,46,400.42	(+) 104.32

(क) *ऋण* व्यय व्यय से अधिक प्राप्ति और वसूली के कारण है।

(ख) जिला सड़कों (₹ 5,254.23 लाख), ग्रामीण सड़कों (₹ 35,429.77 लाख) तथा महानगरीय सड़कों (₹ 978.79 लाख) के संधारण और पुनर्निर्माण पर व्यय।

(ग) लोक लेखे के अंतर्गत '' राज्य सड़क विकास निधि'' को अंतरण।

(घ) इसमें ''रोड़ कट की मरम्मत'' पर (₹ 197.85 लाख) व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं –*(क्रमशः)*					
(छ) परिवहन –(समाप्त)					
3055.सड़क परिवहन					
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	66,900.00	..	66,900.00	28,859.91	(+) 131.81
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	21.00	..	21.00	6,524.84	(-) 99.68
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	16.00	..	16.00	4,928.53	(-) 99.68
797. आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण	10,000.00 (क)	..	10,000.00	10,465.55	(-) 4.45
800. अन्य व्यय	7,337.80 (ख)	..	7,337.80	27,309.88	(-) 73.13
902. *घटाइये–* समर्पित सड़क सुरक्षा निधि एवं राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि प्रतिपूर्ति	(-) 6,046.86 (ग)	..	(-) 6,046.86	(-) 38,763.25	(-) 84.40
योग – 3055	78,227.94	..	78,227.94	39,325.46	(+) 98.92
3075. अन्य परिवहन सेवाऐं					
60. अन्य					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	150.00	(-) 100.00
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	150.00	(-) 100.00
800. अन्य व्यय	..	..	..	200.00	(-) 100.00
योग – 60	..	..	..	500.00	(-) 100.00
योग – 3075	..	..	..	500.00	(-) 100.00
योग –(छ) परिवहन	*40.67* 3,50,193.47	27,116.50	3,77,350.64	1,86,225.88	(+) 102.63

(क) मुख्य शीर्ष ''8229–200 (12) '' समर्पित सड़क सुरक्षा निधि में स्थानांतरण ।

(ख) ''राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि'' (₹ 1,414.18 लाख) तथा ''समर्पित सड़क सुरक्षा निधि'' (₹ 5,923.62 लाख) से सम्बन्धित व्यय।

(ग) इसमें समर्पित सड़क सुरक्षा निधि (₹ 5,923.62 लाख) एवं राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि'' (₹ 123.24 लाख) से प्रतिपूर्ति सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं –*(क्रमशः)*					
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण					
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान					
01. भारतीय सर्वेक्षण					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	3.00	(-) 100.00
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	4.00	(-) 100.00
800. अन्य व्यय	1,116.32	140.89	1,257.21 (क)	1,293.56	(-) 2.81
योग – 3425	1,116.32	140.89	1,257.21	1,300.56	(-) 3.33
3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण					
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भवन					
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय	490.20	..	490.20	311.39	(+) 57.42
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	5.38	..	5.38	6.94	(-) 22.48
योग – 3435	495.58	..	495.58	318.33	(+) 55.68
योग –(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	1,611.90	140.89	1,752.79	1,618.89	(+) 8.27
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाएं					
3451. सचिवालय – आर्थिक सेवाएं					
090. सचिवालय	3,972.53	..	3,972.53	3,823.88	(+) 3.89
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 0.22	..	(-) 0.22	(-) 2.28	(-) 90.35
योग – 3451	3,972.31	..	3,972.31	3,821.60	(+) 3.94

(क) इसमें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (₹ 981.25 लाख), विज्ञान, संचार तथा लोकप्रियकरण (₹ 247.80 लाख) पर व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं *–(क्रमशः)*					
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
3452. पर्यटन					
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,523.28	..	1,523.28	1,472.37	(+) 3.46
003. प्रशिक्षण	69.00	..	69.00	..	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	186.23	..	186.23	151.82	(+) 22.66
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	43.46	..	43.46	76.94	(-) 43.51
800. अन्य व्यय	2,478.48 (क)	..	2,478.48	959.57	(+) 158.29
योग – 3452	4,300.45	..	4,300.45	2,660.70	(+) 61.63
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी					
01. जनगणना					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	495.60	(-) 100.00
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	330.40	(-) 100.00
800. अन्य व्यय	..	..	..	1,591.70	(-) 100.00
योग – 01	..	..	..	2,417.70	(-) 100.00
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी					
001. निदेशन तथा प्रशासन	634.15	..	634.15	580.58	(+) 9.23
201. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	..	29.44	29.44	14.60	(+) 101.64

(क) इसमें पर्यटक सूचना तथा प्रचार पर व्यय (₹ 1,292.41 लाख) तथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम को सहायतार्थ अनुदान (₹ 1,030.00 लाख) सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं –*(क्रमशः)*					
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–*(समाप्त)*					
*02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–**(समाप्त)***					
	0.25				
203. कम्प्यूटर सेवाएं	33,164.63	2.45	33,167.33	27,830.69	(+) 19.18
205. राज्य सांख्यिकी अभिकरण	7,799.99	..	7,799.99	6,664.20	(+) 17.04
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	10,300.61	..	10,300.61	9,313.66	(+) 10.60
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	7,640.76	..	7,640.76	6,829.09	(+) 11.89
800. अन्य व्यय	197.87 (क)	..	197.87	255.11	(-) 22.44
	0.25				
योग – 02	59,738.01	31.89	59,770.15	51,487.93	(+) 16.09
	0.25				
योग – 3454	59,738.01	31.89	59,770.15	53,905.63	(+) 10.88
3456. सिविल पूर्ति					
	3.87				
001. निदेशन तथा प्रशासन	6,941.52	..	6,945.39	6,672.39	(+) 4.09
102. सिविल पूर्ति योजना	31,038.65	28,291.54	59,330.19	51,835.37	(+) 14.46
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	9,967.63	8,120.01	18,087.64	40,370.79	(-) 55.20
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	7,776.32	6,668.41	14,444.73	28,854.86	(-) 49.94
911. *घटाईये*–अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 0.34	..	(-) 0.34	..	..
	3.87				
योग – 3456	55,723.78	43,079.96	98,807.61	1,27,733.41	(-) 22.65

(क) पुर्नमूल्यांकन संगठन (₹ 7.53 लाख) तथा योजना (जन शक्ति) विभाग (₹ 190.34 लाख) पर व्यय ।

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाएं *–(समाप्त)*					
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाएं –(समाप्त)					
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं					
106. भार और माप का विनियमन	267.76	..	267.76	291.85	(-) 8.25
108. शहरी उन्मुख रोजगार कार्यक्रम	66.05	105.41	171.46	168.15	(+) 1.97
191. नगर निगम को सहायता	772.92	1,203.11	1,976.03	1,916.64	(+) 3.10
192. नगरपालिका/नगर परिषदों को सहायता	1,720.49	2,678.15	4,398.64	4,266.05	(+) 3.11
201. भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर)	9.65	..	9.65	3.35	(+) 188.06
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1.42	..	1.42	..	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	1.08	..	1.08	..	..
योग – 3475	2,839.37	3,986.67	6,826.04	6,646.04	(+) 2.71
योग–(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाएं	*4.12* 1,26,573.92	47,098.52	1,73,676.56	1,94,767.38	(-) 10.83
योग – ग. आर्थिक सेवाएं	*1,449.57* 49,81,124.66	9,50,419.83	59,32,994.06	44,15,590.50	(+) 34.36

विवरण संख्या 15– *(क्रमशः)*

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक			2020–21 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
		(₹ लाख में)			
घ. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान					
3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन					
101. भू – राजस्व	3.71	..	3.71	6.95	(-) 46.62
योग – 3604	3.71	..	3.71	6.95	(-) 46.62
योग–घ. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	3.71	..	3.71	6.95	(-) 46.62
योग – व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	***28,35,936.24*** **1,61,60,925.41**	**19,82,139.32**	**2,09,79,000.97** **(क) एवं @**	**1,78,30,940.74**	**(+) 17.66**

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) 0.11 लाख का अन्तर है ।

(क) इसमें सम्मिलित है :

(i) "01-**संवेतन**" मद के भुगतान पर किया गया ₹ 56,60,162.06 लाख का व्यय (कुल राजस्व व्यय का 26.98%)। नियंत्रक अधिकारी द्वारा मुख्य शीर्षवार किये गये संवेतन के भुगतान का विवरण इसी खण्ड के परिशिष्ट I में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने विस्तृत शीर्ष "02– **मजदूरी**" द्वारा ₹ 51,615.83 लाख की मजदूरी भी वितरित की ।

(ii) ₹ 49,12,662.87 लाख का सहायतार्थ अनुदान [सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) ₹ 41,90,583.84 लाख, सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) ₹ 6,63,946.11 लाख, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान ₹ 57,868.68 लाख तथा ₹ 264.24 लाख की अन्य निधियां पंचायती राज संस्थाओं को अन्य मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु शीर्ष 191, 192 तथा 196 के द्वारा जारी की गयी] स्थानीय निकायों, स्वायतशाषी निकायों तथा अन्य संस्थाओं को जारी किया गया। सहायतार्थ अनुदान का ब्यौरा विवरण संख्या 10 तथा परिशिष्ट III में दिया गया हैं ।

(iii) सहाय्य पर ₹ 23,36,391.54 लाख का व्यय विस्तृत शीर्ष "91 सहाय्य" के माध्यम से हुआ। राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहाय्य का नियंत्रण अधिकारी वार उपशीर्ष/समूह शीर्ष स्तर तक का ब्यौरा इस खण्ड के परिशिष्ट II में दर्शाया गया है।

विवरण संख्या 15 - *(क्रमश:)*

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. *राजस्व लेखा पर व्यय* :– वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 2,09,79,000.97 लाख) गत वर्ष (₹1,78,30,940.74 लाख) की तुलना में ₹ 31,48,060.23 लाख से बढ़ा। वृद्धि/कमी मुख्यत: निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत थी :–

	लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
		(₹ लाख में)	
वृद्धि			
2801.	बिजली	8,38,002.06	गत वर्ष की तुलना में ऊर्जा कम्पनियों को अधिक सहायता के कारण।
2202.	सामान्य शिक्षा	5,23,192.74	समग्र शिक्षा एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों पर अधिक व्यय के कारण गत वर्ष की तुलना में ब्लॉक पंचायतों/ मध्य स्तरीय पंचायतों को अधिक सहायता ।
2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	4,28,603.83	जिला परिषदों/जिला स्तर पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को अधिक सहायता के कारण।
2049.	ब्याज अदायगियां	2,89,864.89	गत वर्ष की तुलना में बाजार कर्जों तथा जमा राशि पर ब्याज के अधिक भुगतान के कारण।
2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,43,126.18	गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं कार्मिक कल्याण योजना पर बढ़े हुए व्यय के कारण।
2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2,03,477.60	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जन स्वास्थ्य बीमा योजना पर अधिक व्यय के कारण।
3054.	सड़क तथा सेतु	1,52,722.28	सामरिक और सीमावर्ती सड़कों पर अधिक व्यय, गत वर्ष की तुलना में राज्य सड़क निधि को राशि के अधिक हस्तान्तरण होने के कारण।
2055.	पुलिस	78,375.91	गत वर्ष की तुलना में विशेष पुलिस तथा जिला पुलिस पर अधिक व्यय के कारण।
2215.	जलपूर्ति तथा सफाई	57,554.59	गत वर्ष की तुलना में ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रमों पर अधिक व्यय के कारण।
2505.	ग्राम रोजगार	50,932.99	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना पर अधिक व्यय के कारण ।
2401.	फसल कृषि कर्म	41,089.51	गत वर्ष की तुलना में फसल बीमा पर अधिक व्यय के कारण।
3055.	सड़क परिवहन	38,902.48	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अधिक सहायता के कारण।
2435.	अन्य कृषि कार्यक्रम	24,798.10	राजस्थान राज्य कृषि विपणन मण्डल को अधिक सहायता के कारण।
2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	23,405.60	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण पर अधिक व्यय के कारण।
2014.	न्याय प्रशासन	15,892.01	सिविल और सत्र न्यायालयों और कानूनी सलाहकारों और काउंसलर्स पर अधिक व्यय के कारण।

विवरण संख्या 15 - *(क्रमशः)*

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - *(क्रमशः)*

1. *राजस्व लेखा पर व्यय :-**(क्रमशः)***

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
वृद्धि -(क्रमशः)		
2203. तकनीकी शिक्षा	15,218.24	गैर-सरकारी तकनीकी महाविद्यालयों और संस्थानों तथा पॉलीटेक्नीक को अधिक सहायता के कारण।
2075. विविध सामान्य सेवाएं	11,961.33	गत वर्ष की तुलना में गारंटी रिडेम्पशन फंड को गारंटी फीस के अधिक अंतरण के कारण।
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन	8,884.98	गत वर्ष की तुलना में कोषालय संस्थापन पर अधिक व्यय के कारण।
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं	8,523.62	गत वर्ष की तुलना में शारीरिक शिक्षा पर अधिक व्यय तथा राजस्थान खेल परिषद् को अनुदान के कारण।
2051. लोक सेवा आयोग	7,851.11	राजस्थान अधीनस्थ तथा मंत्रालयिक कर्मचारी चयन बोर्ड पर अधिक व्यय के कारण।
2404. डेरी विकास	7,370.37	मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को अधिक अनुदान के कारण।
2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	6,739.78	खनन क्षेत्र निधि में पर्यावरण सुधार को हस्तान्तरण राशि के कारण।
2852. उद्योग	6,705.72	एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना पर अधिक व्यय तथा आर.आई. आई. सी.ओ. को अधिक सहायता।
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	5,864.52	गत वर्ष की तुलना में कम्प्यूटर सेवाओं के अन्तर्गत पर अधिक व्यय के कारण।
2701. मध्यम सिंचाई	5,208.35	गत वर्ष की तुलना में निदेशन तथा प्रशासन पर अधिक व्यय तथा पूंजीगत लेखे पर ब्याज के अधिक समायोजन के कारण।
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण	4,865.22	गत वर्ष की तुलना में गैर न्यायिक स्टाम्पों की लागत तथा स्टांम्पो की बिक्री पर खर्च में वृद्धि पर बढ़े हुए व्यय के कारण।
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग	3,702.10	गत वर्ष की तुलना में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पर अधिक व्यय के कारण।
2056. जेल	2,815.91	गत वर्ष की तुलना में जेल पर अधिक व्यय के कारण।
2041. वाहन कर	2,223.74	गत वर्ष की तुलना में संग्रह शुल्क पर अधिक व्यय के कारण।
3452. पर्यटन	1,639.75	गत वर्ष की तुलना में पर्यटन सूचना तथा प्रचार पर अधिक व्यय तथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम को अनुदान के कारण।
2015. चुनाव	1,535.33	चुनावों के संचालन और मतदाता सूचि की तैयारी और छपाई के शुल्क के तहत अधिक व्यय के कारण।
2216. आवास	1,506.53	सरकारी आवासों की मरम्मत एवं रख रखाव पर अधिक व्यय के कारण।
2205. कला एवं संस्कृति	1,334.56	गत वर्ष की तुलना में कला तथा संस्कृति के उन्नयन पर अधिक व्यय के कारण।

विवरण संख्या 15 - *(समाप्त)*

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - *(समाप्त)*

1. *राजस्व लेखा पर व्यय :-**(समाप्त)***

	लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
		(₹ लाख में)	
कमी			
2245.	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	81,594.69	गत वर्ष की तुलना में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार पर कम व्यय तथा कृर्षि आदानों की खारीद के लिए किसानों को कम सहायता के कारण।
2425.	सहकारिता	81,113.10	गत वर्ष की तुलना में ऋण सहकारी समितियो को कम सहायता के कारण ।
3456.	सिविल पूर्ति	28,925.80	गत वर्ष की तुलना में अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र उप-योजना हेतु विशिष्ठ संघटक योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पर कम व्यय के कारण।
2040.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	13,159.54	गत वर्ष की तुलना में राजस्थान निवेश संवर्धन नीति पर कम व्यय तथा जल संरक्षण उपकर कोष में राशि के कम हस्तान्तरण के कारण।

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध

बजट के अनुसार योजना संख्या	योजनाएं जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी	पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी योजनाओं के लिए जारी राशि (पूंजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	मुख्य शीर्ष 1601-06-101(01) "राज्य आयोजना व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता" के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूंजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	इन योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता से हुआ व्यय (पूंजीगत व्यय सम्मिलित है)	घाटा/आधिक्य	राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता को सम्मिलित करते हुए कुल व्यय (पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित है)
		(₹ लाख में)				
01.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	8,780.00	8,780.00	8,556.26	(-) 223.74	14,260.43
02.	निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.)	32,376.51	32,376.51	41,033.91	8,657.40	50,318.81
03.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.)	..	..	7,369.48	7,369.48	78,720.61
04.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)	2,86,261.85	2,71,430.22	2,79,397.83	7,967.61	4,37,370.99
07.	एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	28,256.38	28,256.38	7,934.32	(-) 20,322.06	13,223.86
10.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	1,99,000.00	1,99,000.00	1,99,000.00	..	2,74,021.58
11.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)	9,377.69	9,377.69	44,568.13	35,190.44	44,568.13
12.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)	91,750.50	91,750.50	1,06,939.07	15,188.57	1,79,231.38
13.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	27,154.08	27,154.08	37,184.06	10,029.98	64,462.00
14.	मिड डे मील (एम.डी.एम.)	53,106.11	53,106.11	48,292.56	(-) 4,813.55	97,616.02

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध– *(क्रमशः)*

बजट के अनुसार योजना संख्या	योजनाएं जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी	पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी योजनाओं के लिए जारी राशि (पूंजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	मुख्य शीर्ष 1601-06-101(01) "राज्य आयोजना व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता" के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूंजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	इन योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता से हुआ व्यय (पूंजीगत व्यय सम्मिलित है)	घाटा/आधिक्य	राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता को सम्मिलित करते हुए कुल व्यय (पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित है)
		(₹ लाख में)				
17.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)	68,264.63	68,794.80	85,403.32	16,608.52	2,19,569.52
18.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)	..	..	8,481.39	8,481.39	42,305.74
20.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)	1,938.50	1,938.50	1,907.45	(-) 31.05	3,199.78
21.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	9,679.89	9,679.89	17,195.47	7,515.58	28,218.52
22.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1,000.00	1,000.00	2,827.95	1,827.95	4,709.56
23.	राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन	4,305.37	4,305.37	21,957.27	17,651.90	36,608.42
25.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन	4,479.72	4,479.72	5,344.94	865.22	9,125.15
27.	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	..	..	408.11	408.11	665.85
28.	राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	225.00	225.00	252.80	27.80	422.00
32.	प्राकृतिक संसाधनों और परिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण	127.21	127.21	127.21	..	210.21

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध– *(क्रमशः)*

बजट के अनुसार योजना संख्या	योजनाएं जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी	पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी योजनाओं के लिए जारी राशि (पूंजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	मुख्य शीर्ष 1601–06–101(01) "राज्य आयोजना व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता" के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूंजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	इन योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता से हुआ व्यय (पूंजीगत व्यय सम्मिलित है)	घाटा/आधिक्य	राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता को सम्मिलित करते हुए कुल व्यय (पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित है)
		(₹ लाख में)				
33.	वन्य जीव आवास हेतु समेकित विकास	1,007.65	1,007.65	1,140.27	132.62	2,669.90
34.	बाघ परियोजना	841.05	841.05	1,237.42	396.37	4,489.94
35.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	77,198.19	77,198.19	42,723.10	(-) 34,475.09	1,22,999.29
36.	राष्ट्रीय आयुष मिशन मय औषधीय पादपों हेतु मिशन	3,189.00	3,189.00	..	(-) 3,189.00	..
38.	पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय योजना	1,353.00	1,353.00	2,751.22	1,398.22	26,545.25
39.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	4,053.11	4,053.11	3,986.67	(-) 66.44	6,540.65
42.	शिक्षण विकास हेतु प्रोत्साहन मय अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रौढ़ शिक्षा	6,429.43	6,429.43	..	(-) 6,429.43	..
44.	अल्पसंख्यकों हेतु मदरसों एवं विशेष योग्यजनों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु योजना	2,691.53	2,691.53	..	(-) 2,691.53	6,830.00
45.	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	..	..	1,407.28	1,407.28	2,677.17
46.	कौशल विकास मिशन	..	..	1,289.00	1,289.00	1,819.00
47.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा से असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा	..	110.00	19.80	(-) 90.20	59.80

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध– *(क्रमशः)*

बजट के अनुसार योजना संख्या	योजनाएं जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी	पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी योजनाओं के लिए जारी राशि (पूंजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	मुख्य शीर्ष 1601–06–101(01) "राज्य आयोजना व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता" के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूंजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	इन योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता से हुआ व्यय (पूंजीगत व्यय सम्मिलित है)	घाटा/आधिक्य	राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता को सम्मिलित करते हुए कुल व्यय (पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित है)
		(₹ लाख में)				
48.	ग्राम न्यायालय सहित न्यायपालिका हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास	4,150.00	4,150.00	4,332.93	182.93	7,766.76
49.	अल्पसंख्यकों के लिए बहु आयामी विकास कार्यक्रम	2,461.32	2,461.32	58.37	(-) 2,402.95	58.37
51.	अनुसूचित जातियों के विकास हेतु योजना	19,144.39	15,453.85	28,770.89	13,317.04	57,511.18
52.	अन्य पिछड़ा वर्ग, डिनोटिफाइड घूमंतू तथा अर्द्ध घूमंतू जनजाति के विकास हेतु योजना	13,198.55	13,198.55	5,747.24	(-) 7,451.31	10,879.00
54.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.)	..	3,690.54	3,682.84	(-) 7.70	3,682.84
59.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा हेतु अम्ब्रेला योजना	28,125.26	28,125.26	25,391.81	(-) 2,733.45	36,538.51
60.	राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन मय इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	1,974.50	1,974.50	34.73	(-) 1,939.77	57.27
61.	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (आई.सी.पी.एस.)	1,542.75	1,542.75	3,150.00	1,607.25	4,973.20
62.	किशोर लड़कियों के अधिकारों के लिए राजीव गांधी योजना	..	..	564.21	564.21	1,107.56
64.	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	877.54	877.54	..	(-) 877.54	..
66.	अन्य योजनाएं	..	..	40,272.49	40,272.49	9,02,112.36

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध– *(क्रमशः)*

बजट के अनुसार योजना संख्या	योजनाएं जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी	पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी योजनाओं के लिए जारी राशि (पूंजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	मुख्य शीर्ष 1601–06–101(01) "राज्य आयोजना व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता" के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूंजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	इन योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता से हुआ व्यय (पूंजीगत व्यय सम्मिलित है)	घाटा/आधिक्य	राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता को सम्मिलित करते हुए कुल व्यय (पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित है)
		(₹ लाख में)				
67.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	16,115.93	20,876.93	3,459.24	(-) 17,417.69	12,482.77
68.	स्व घरों के लिए संचार योजना	..	..	62.27	62.27	112.26
69.	प्रधानमंत्री आवास योजना	27,137.55	27,137.55	1,262.20	(-) 25,875.35	1,262.20
70.	स्मार्ट सिटी योजना	63,700.00	63,700.00	63,700.00	..	1,17,700.00
71.	अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना)	2,420.00	2,420.00	..	(-) 2,420.00	21,755.23
73.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1,40,546.32	1,40,546.32	1,40,546.32	..	2,34,243.87
74.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.)	1,018.00	1,018.00	1,018.00	..	1,696.67
75.	नील क्रान्ति	153.30	153.30	251.68	98.38	434.07
76.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	1,727.40	1,727.40	1,727.40	..	2,879.00
77.	उज्जवला योजना	..	..	23.10	23.10	35.09

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध– *(समाप्त)*

बजट के अनुसार योजना संख्या	योजनाएं जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी	पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी योजनाओं के लिए जारी राशि (पूंजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	मुख्य शीर्ष 1601–06–101(01) "राज्य आयोजना व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता" के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूंजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	इन योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता से हुआ व्यय (पूंजीगत व्यय सम्मिलित है)	घाटा/आधिक्य	राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता को सम्मिलित करते हुए कुल व्यय (पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित है)
		(₹ लाख में)				
78.	हाथी परियोजना	15.18	15.18	22.20	7.02	37.00
82	एकीकृत शिक्षा	2,40,582.13	2,44,037.91	1,95,436.38	(-) 48,601.53	9,37,308.82
83	जल जीवन मिशन	..	..	70,703.69	70,703.69	2,22,541.50
	योग	**14,87,736.52**	**14,81,761.84**	**15,68,954.28**	**87,192.44**	**43,50,635.09**

विवरण संख्या 16 – लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण

तिरछे अंक प्रभारित व्यय के द्योतक हैं

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
039. राज्य उत्पाद शुल्क	..	..	..	..	12.69	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	8.25	8.25 *	(-) 100.00
800. अन्य व्यय	0.86	..	0.86	0.96	18,179.39	(-) 10.42
योग – 4047	0.86	..	0.86	9.21	18,200.33	(-) 90.66
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	100.00 (क)	..
207. राज्य पुलिस	12,069.09	1,594.69	13,663.78	7,964.35	49,692.00	(+) 71.56
210. अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण	170.00	..	170.00 (ख)	..	170.00	..
211. पुलिस आवास	5,267.70	..	5,267.70	4,934.08	1,02,466.84	(+) 6.76
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,850.00	..	1,850.00	1,592.88	17,518.28	(+) 16.14
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	1,800.00	..	1,800.00	1,903.44	17,146.35	(-) 5.43
योग - 4055	21,156.79	1,594.69	22,751.48	16,394.75	1,87,093.47	(+) 38.77
4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय						
103. सरकारी मुद्रणालय	..	..	..	..	887.38	..
योग – 4058	..	..	..	..	887.38	..

* यह वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क में राज्य की हिस्सेदारी से सम्बन्धित है।

(क) राजस्थान पुलिस हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कापोरेशन लिमिटेड में निवेश।

(ख) यह राजस्व शीर्ष के तहत जारी अनुदान के बजाय पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दंड न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर (एक स्वायत्त निकाय) को निधियां जारी करके पूंजी शीर्ष के तहत प्रत्यक्ष व्यय को डेबिट करने से संबंधित है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा *–(क्रमशः)*						
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय						
80. सामान्य						
001. निदेशन तथा प्रशासन	770.51	38.45	808.96	1,350.89	25,878.56	(-) 40.12
योग – 001	770.51	38.45	808.96	1,350.89	25,878.56	(-) 40.12
051. निर्माण						
(01) सामान्य भवन (भू–राजस्व)	1,717.35	..	1,717.35	1,496.09	44,419.57	(+) 14.79
(02) सामान्य भवन (अन्य प्रशासनिक सेवाएं– सामान्य प्रशासनिक भवन)	4,695.79	..	4,695.79	815.79	29,156.80	(+) 475.61
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)	5,959.70	2,459.56	8,419.26	8,435.63	95,393.25	(-) 0.19
(04) सामान्य भवन (जेल)	567.10	..	567.10	382.83	21,301.86	(+) 48.13
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)	4,113.95	..	4,113.95	3,285.98	57,908.18	(+) 25.20
(06) सामान्य भवन (पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत बनने वाले भवन)	75.00	150.00	225.00	158.20	7,039.63	(+) 42.23
(07) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)	105.80	..	105.80	14.84	1,293.55	(+) 612.94
(08) सामान्य भवन (गृह अभियोजन भवन)	51.90	..	51.90	192.87	1,154.06	(-) 73.09
(12) सामान्य भवन (लेखन सामग्री तथा मुद्रण)	..	..	..	..	118.75	..
(13) सामान्य भवन (स्टाम्प तथा पंजीकरण विभाग)	162.10	..	162.10	135.18	4,034.68	(+) 19.91
(15) सामान्य भवन (राज्य आबकारी)	58.50	..	58.50	264.12	6,024.85	(-) 77.85
(16) सामान्य भवन (सार्वजनिक निर्माण विभाग)	8.84	..	8.84	96.24	2,711.77	(-) 90.81
(19) सामान्य भवन (जिला स्तर पर प्रशासनिक सुधार)	..	..	..	..	131.29	..

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमशः)*						
*80. सामान्य–**(क्रमशः)***						
051. निर्माण–***(क्रमशः)***						
(20) सामान्य भवन (राजस्थान लोक सेवा आयोग के भवन का निर्माण)	..	..	..	..	359.18	..
(22) सामान्य भवन (वाणिज्यिक कर विभाग)	614.55	..	614.55	1,097.54	12,493.92	(-) 44.01
(23) सामान्य भवन (योजना भवन का निर्माण)	..	..	..	..	690.88	..
(25) सामान्य भवन (मुख्य निरीक्षक कारखाना बॉयलर्स)	3.07	..	3.07	..	105.20	..
(26) सामान्य भवन (रोजगार कार्यालय)	..	..	..	1.60	259.93	(-) 100.00
(27) सामान्य भवन (विधान सभा भवन का निर्माण)	16.42	..	16.42	314.23	9,684.69	(-) 94.77
(29) सामान्य भवन (यातायात भवनों का निर्माण)	52.65	..	52.65	87.90	5,349.28	(-) 40.10
(30) सामान्य भवन (राजभवन में निर्माण)	68.66	..	68.66	281.42	2,351.15	(-) 75.60
(31) सामान्य भवन (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	..	..	..	..	2,246.51	..
(33) दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किये गये प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भवनों का निर्माण	..	..	..	..	1,314.61	..
(34) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत बनने वाले भवनों का निर्माण	..	..	..	..	1,939.30	..
(35) सामान्य भवन (चुनाव विभाग के माध्यम से)	..	..	..	..	2,760.26	..
(36) कार्मिक (सचिवालय) विभाग के निर्माण कार्य	194.51	..	194.51	173.63	6,118.59	(+) 12.03
(38) स्थानीय निकाय विभाग	..	..	..	..	316.59	..
(40) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	..	..	..	..	919.37	..
(42) सामान्य भवन (निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग)	73.10	..	73.10	240.62	3,972.34	(-) 69.62
(44) सामान्य भवन (राज्य सूचना आयोग)	..	..	..	..	470.00	..

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
80. सामान्य–(क्रमश:)						
051. निर्माण–***(समाप्त)***						
(46) सामान्य भवन (पेंशन विभाग के लिए भवन)	34.46	..	34.46	6.07	666.05	(+) 467.71
(47) सामान्य भवन (राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए भवन)	90.42	..	90.42	..	245.81	..
(48) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किये गये न्यायिक भवन का निर्माण	..	..	..	..	3,928.66	..
(49) खान एवं भूगर्भ विभाग, उदयपुर	..	..	..	..	245.76	..
(51) तेरहवें वित्त आयोग के तहत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में निर्माण कार्य	..	..	..	..	308.51	..
(52) सामान्य भवन (भू–प्रबन्ध विभाग)	..	..	..	0.58	288.50	(-) 100.00
(54) निदेशालय गोपालन मे निर्माण कार्य	..	..	..	..	577.89	..
(55) सामान्य भवन (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला)	38.61	..	38.61	79.84	2,759.12	(-) 51.64
(56) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का आधुनिकीकरण	19.09	..	19.09	33.42	409.66	(-) 42.88
(57) राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का भवन निर्माण	..	..	..	..	750.00	..
(58) सामान्य भवन (राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	439.02	..	439.02	386.58	1,002.58	(+) 13.57
(59) सामान्य भवन (निर्वाचन विभाग के लिए)	128.41	..	128.41	10.88	1,809.78	(+) 1080.24
अन्य निर्माण कार्य प्रत्येक ₹1 करोड़ और कम लागत का	69.04	..	69.04	39.55	6,888.27 (क)	(+) 74.56
योग – 051	19,358.04	2,609.56	21,967.60	18,031.63	3,41,920.63	(+) 21.83

(क) इसमें कार्यों की लागत का विचार किए बिना, अप्रचलित लेखा मदों पर व्यय से संबंधित ₹ 65,41,78,765 सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमशः)*						
*80. सामान्य–**(क्रमशः)***						
052. मशीनरी तथा उपस्कर	132.53	6.99	139.52	245.61	4,747.85	(-) 43.19
योग – 052	132.53	6.99	139.52	245.61	4,747.85	(-) 43.19
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश						
(01) रियल एस्टेट डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड	..	..	..	..	200.00	..
योग – 190	..	..	..	..	200.00	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(01) सामान्य भवन (जेल विभाग)	39.31	..	39.31	19.92	327.29	(+) 97.34
(03) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)	258.43	..	258.43	387.76	2,601.84	(-) 33.35
(04) सामान्य भवन (भू–राजस्व)	302.78	..	302.78	215.78	3,981.23	(+) 40.32
(05) सामान्य भवन (सार्वजनिक निर्माण विभाग)	2.92	..	2.92	13.28	188.07	(-) 78.01
(06) सामान्य भवन (परिवहन विभाग)	20.02	..	20.02	53.91	389.33	(-) 62.86
अन्य निर्माण कार्य प्रत्येक ₹1 करोड़ और कम लागत का	..	..	..	..	117.13	..
योग – 789	623.46	..	623.46	690.65	7,604.89	(-) 9.73

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–*(समाप्त)*						
*80. सामान्य–**(समाप्त)***						
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना						
(01) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)	..	..	..	..	138.20	..
(02) सामान्य भवन (कोष एवं लेखा विभाग)	3.91	..	3.91	5.22	532.05	(-) 25.10
(03) सामान्य भवन (जेल विभाग)	902.71	..	902.71	26.55	1,760.58	(+) 3300.04
(04) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)	275.00	..	275.00	236.27	1,922.47	(+) 16.39
(05) न्यायिक भवन (जनजातिय क्षेत्र उपयोजना)	50.71	49.98	100.69	2,105.57	6,268.77	(-) 95.22
(06) सामान्य भवन (आबकारी विभाग)	4.48	..	4.48	25.13	961.51	(-) 82.17
(07) सामान्य भवन (भू–राजस्व)	179.25	..	179.25	152.61	5,168.49	(+) 17.46
(08) सामान्य भवन (सार्वजनिक निर्माण विभाग)	2.72	..	2.72	9.87	141.49	(-) 72.44
(09) सामान्य भवन (परिवहन विभाग)	9.76	..	9.76	26.32	201.71	(-) 62.92
अन्य व्यय जो लागत् का विचार किए बिना, अप्रचलित लेखा मदों से संबंधित है।	..	..	..	..	158.43	..
योग – 796	1,428.54	49.98	1,478.52	2,587.54	17,253.70	(-) 42.86
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	5.40	..
योग – 800	..	..	..	..	5.40	..
योग – 80	22,313.08	2,704.98	25,018.06	22,906.32	3,97,611.03	(+) 9.22
योग – 4059	22,313.08	2,704.98	25,018.06	22,906.32	3,97,611.03	(+) 9.22

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा –*(समाप्त)*						
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
003. प्रशिक्षण	582.70	..	582.70	507.56	8,365.04	(+) 14.80
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	406.00	..
योग – 4070	582.70	..	582.70	507.56	8,771.04	(+) 14.80
योग – क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	44,053.43	4,299.67	48,353.10	39,817.84	6,12,563.25	(+) 21.44
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा						
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय						
01. सामान्य शिक्षा						
201. प्रारम्भिक शिक्षा	161.33	242.00	403.33	28,133.21	84,770.37	(-) 98.57
202. माध्यमिक शिक्षा	19,653.06	12,513.95	32,167.01	60,506.36	1,95,573.76	(-) 46.84
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	6,216.19	510.31	6,726.50 (क)	5,710.63	47,293.67	(+) 17.79
204. प्रौढ़ शिक्षा	..	..	..	..	2.88	..
205. भाषा विकास	262.00	..	262.00	148.93	528.72	(+) 75.92
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	4,480.52	4,135.51	8,616.03	18,043.29	61,088.13	(-) 52.25
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	3,311.71	3,159.26	6,470.97	13,874.91	47,991.58	(-) 53.36
योग – 01	34,084.81	20,561.03	54,645.84	1,26,417.33	4,37,249.11	(-) 56.77

(क) इसमें राजस्व शीर्ष के तहत जारी अनुदान के बजाय पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए हरिदेव जोशी जनसंपर्क एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जयपुर और डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (एक स्वायत्त निकाय) को निधियां जारी करके पूंजी शीर्ष के तहत प्रत्यक्ष व्यय को डेबिट करने से संबंधित ₹ 1,250.00 लाख सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –*(क्रमश:)*						
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
02. तकनीकी शिक्षा						
104. बहुशिल्प	798.00	139.46	937.46	1,012.52	41,260.87	(-) 7.41
105. इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान	238.00	..	238.00	..	238.00	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	72.03	25.82	97.85	200.88	3,015.64	(-) 51.29
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	30.23	12.67	42.90	..	2,897.00	..
योग – 02	1,138.26	177.95	1,316.21	1,213.40	47,411.51	(+) 8.47
03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं						
102. खेलकूद स्टेडिया	2,906.65	..	2,906.65	140.77	15,636.22	(+) 1964.82
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	794.00	..	794.00	..	3,132.78	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	650.00	..	650.00	30.00	2,685.80	(+) 2066.67
800. अन्य व्यय	87.81	..	87.81	..	220.02	..
योग – 03	4,438.46	..	4,438.46	170.77	21,674.82	(+) 2499.09
04. कला तथा संस्कृति						
101. ललित कला शिक्षा	..	..	..	..	607.76	..
104. अभिलेखागार	57.07	..	57.07	..	561.71	..
105. सार्वजनिक पुस्तकालय	..	..	..	..	621.68	..
106. संग्रहालय	93.52	..	93.52	44.92	15,965.17	(+) 108.19
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	70.00	..	70.00 (क)	..	224.66	..

(क) यह राजस्व शीर्ष के तहत जारी अनुदान के बजाय पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए राजस्थान विरासत संरक्षण और संवर्धन प्राधिकरण (एक स्वायत्त निकाय) को निधियां जारी करके पूंजी शीर्ष के तहत प्रत्यक्ष व्यय को डेबिट करने से संबंधित हैं।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा–(समाप्त)						
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–*(समाप्त)*						
*04. कला तथा संस्कृति –**(समाप्त)***						
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	120.00	..	120.00 (क)	..	239.68	..
800. अन्य व्यय	1,978.59	..	1,978.59 (ख)	202.84	3,076.19	(+) 875.44
योग – 04	2,319.18	..	2,319.18	247.76	21,296.85	(+) 836.06
योग – 4202	41,980.71	20,738.98	62,719.69	1,28,049.26	5,27,632.29	(-) 51.02
योग – (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा	41,980.71	20,738.98	62,719.69	1,28,049.26	5,27,632.29	(-) 51.02
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा						
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय						
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं						
102. कर्मचारी राज्य बीमा योजना	..	..	..	..	155.19	..
110. अस्पताल तथा औषधालय	2,035.10	852.12	2,887.22	1,606.77	59,049.18	(+) 79.69
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,199.52	42.00	3,241.52	3,643.00	12,797.58	(-) 11.02

(क) यह राजस्व शीर्ष के तहत जारी अनुदान के बजाय पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए राजस्थान विरासत संरक्षण और संवर्धन प्राधिकरण (एक स्वायत्त निकाय) को निधियां जारी करके पूंजी शीर्ष के तहत प्रत्यक्ष व्यय को डेबिट करने से संबंधित है।

(ख) (i) अरबी और फारसी शोध संस्थान (₹ 207.59 लाख) तथा (ii) राजस्थान विरासत संरक्षण और संवर्धन प्राधिकरण (₹ 1,615.00 लाख) तथा आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण (₹ 156.00 लाख) को राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत निधियाँ जारी करने के बजाय पूंजीगत परिसम्पत्तियो के निर्माण पर व्यय को डेबिट करने से संबंधित है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा *–(क्रमश:)*						
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा –(क्रमश:)						
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय *–(क्रमश:)*						
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ***–(समाप्त)***						
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	35.91	5.25	41.16	95.00	1,867.41	(-) 56.67
800. अन्य व्यय	..	54,644.00	54,644.00 (क)	..	55,583.91	..
योग –01	5,270.53	55,543.37	60,813.90	5,344.77	1,29,453.27	(+) 1037.82
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं						
101. स्वास्थ्य उप–केन्द्र	..	..	..	..	6,529.18	..
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	..	..	..	..	9,022.96	..
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	36.80	..	36.80	179.34	6,649.16	(-) 79.48
110. अस्पताल तथा औषधालय	14,083.00	21,125.00	35,208.00	..	35,208.00	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,014.46	..	3,014.46	4,017.03	28,199.17	(-) 24.96
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	3,782.00	..	3,782.00	4,567.00	25,859.32	(-) 17.19
800. अन्य व्यय	7,796.00	..	7,796.00 (ख)	7,533.00	71,748.74	(+) 3.49
योग –02	28,712.26	21,125.00	49,837.26	16,296.37	1,83,216.53	(+) 205.82
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	777.34	..
101. आयुर्वेद	953.00	..	953.00	0.79	1,721.28	..
105. एलोपैथी	22,856.22	25,957.20	48,813.42 (ग)	20,391.65	3,10,996.82	(+) 139.38

(क) केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के अन्तर्गत जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण एवं स्थापना पर व्यय।

(ख) नाबार्ड ऋण के द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण पर व्यय ।

(ग) इसमें ₹ 1,800.00 लाख राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर (एक स्वायत्त निकाय) को राजस्व शीर्ष के तहत जारी अनुदान के बजाय पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु शीर्ष के तहत प्रत्यक्ष व्यय को डेबिट शामिल है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–*(समाप्त)*						
*03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–**(समाप्त)***						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	8,607.08	8,732.62	17,339.70	9,984.26	42,931.10	(+) 73.67
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	10,373.72	8,033.28	18,407.00	11,167.54	47,100.07	(+) 64.83
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	160.00	..
योग –03	42,790.02	42,723.10	85,513.12	41,544.24	4,03,686.61	(+) 105.84
80. सामान्य						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	500.00 (क)	..
योग –80	..	..	..	..	500.00	..
योग –4210	76,772.81	1,19,391.47	1,96,164.28	63,185.38	7,16,856.41	(+) 210.46
4211. परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय						
101. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा	..	..	..	..	2,869.19	..
102. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	..	..	..	..	78.70	..

(क) राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा–(समाप्त)						
4211. परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–*(समाप्त)*						
103. मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य	..	..	..	..	1,214.50	..
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	7,170.80	..
योग –4211	..	..	..	..	11,333.19	..
योग –(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा	76,772.81	1,19,391.47	1,96,164.28	63,185.38	7,28,189.60	(+) 210.46
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा						
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय						
01. जलपूर्ति						
003. प्रशिक्षण	..	..	..	..	99.12	..
101. शहरी जलपूर्ति	48,112.40	..	48,112.40	53,419.70	10,11,426.39	(-) 9.94
102. ग्रामीण जलपूर्ति	2,46,274.49	52,717.93	2,98,992.42	2,13,987.33	32,34,933.55 (क)	(+) 39.72
घटाइये–शीर्ष 8235 के अंतर्गत आरक्षित निधि से पूरित व्यय	..	..	..	..	(-) 20,871.19	..
शुद्ध –102	2,46,274.49	52,717.93	2,98,992.42	2,13,987.33	32,14,062.36	(+) 39.72

(क) इसमें राजस्थान जलपूर्ति तथा मल–जल निगम, जयपुर में निवेश (₹ 7,800) सम्मिलित है ।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय –*(समाप्त)*						
*01. जलपूर्ति–**(समाप्त)***						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	68,891.43	15,147.57	84,039.00	66,078.23	6,66,373.64	(+) 27.18
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	50,547.00	10,128.86	60,675.86	49,821.99	5,05,428.73	(+) 21.79
799. उचंत	(-) 41.64	..	(-) 41.64 (क)	(-) 33.91	6,574.43	(+) 22.80
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	8.48	..
902. *घटाइये–* मूल्य ह्रास आरक्षित निधि से पूरित राशि–जलदाय विभाग	..	..	..	..	(-)14,802.01	..
योग –01	4,13,783.68	77,994.36	4,91,778.04	3,83,273.34	53,89,171.14	(+) 28.31
02. मल–जल तथा सफाई						
106. मल–जल सेवाएं	..	..	..	..	8,693.48	..
योग –02	..	..	..	..	8,693.48	..
योग –4215	4,13,783.68	77,994.36	4,91,778.04	3,83,273.34	53,97,864.62	(+) 28.31
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय						
01. सरकारी रिहायशी भवन						
106. साधारण पूल आवास	727.89	..	727.89	917.89	26,747.21	(-) 20.70

(क) ऋण आंकड़े, व्यय पर प्राप्तियां तथा वसूलियां अधिक होने के कारण हैं।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय –*(समाप्त)*						
*01. सरकारी रिहायशी भवन–**(समाप्त)***						
107. पुलिस आवास	..	..	..	..	18,123.59	..
700. अन्य आवास	2,131.57	1,402.70	3,534.27	2,325.26	19,387.04	(+) 51.99
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	6.83	4.06	10.89	267.68	1,427.26	(-) 95.93
योग –01	2,866.29	1,406.76	4,273.05	3,510.83	65,685.10	(+) 21.71
02. शहरी आवास						
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	55.15	..
योग –02	..	..	..	..	55.15	..
80. सामान्य						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	99.60 (क)	..
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	2.30	..
योग–80	..	..	..	..	101.90	..
योग–4216	2,866.29	1,406.76	4,273.05	3,510.83	65,842.15	(+) 21.71

(क) राजस्थान राज्य आवासीय सहकारी समितियों (₹ 62.85 लाख) तथा आवासीय सहकारी समितियों (₹ 36.75 लाख) में निवेश।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय						
02. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	1,250.00 (क)	..
योग–02	..	..	..	..	1,250.00	..
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	3,300.00 (ख)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	4,246.00	..	4,246.00 *	13,773.08	64,141.68	(-) 69.17
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	3,210.51	..	3,210.51 *	10,423.04	48,405.73	(-) 69.20
800. अन्य व्यय	16,357.08	..	16,357.08 *	53,060.75	5,47,044.90	(-) 69.17
योग – 03	23,813.59	..	23,813.59	77,256.87	6,62,892.31	(-) 69.18
04. गंदी बस्तियों का विकास						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	..	11,882.57	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	..	8,920.37	..
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	78,006.56	..
योग – 04	..	..	..	..	98,809.50	..

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड में निवेश।

(ख) राजस्थान शहरी ढांचागत वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश।

* स्थानीय निकायों इत्यादि को जारी निधियां।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा –(समाप्त)						
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय –*(समाप्त)*						
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं						
050. भूमि	*621.51* 1,09,873.21	..	1,10,494.72	71,110.17	6,02,883.91	(+) 55.39
051. निर्माण	51,357.58	58,800.00	1,10,157.58 (क)	..	1,10,359.62	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	63,890.02	..	63,890.02	..	2,46,364.56 (ख)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,820.11	..	3,820.11	..	3,820.11	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	2,860.79	..	2,860.79	..	2,860.79	..
902. *घटाइये–*	(-) 8,238.48	..	(-) 8,238.48	..	(-) 8,238.48	..
योग – 60	*621.51* 2,23,563.23	58,800.00	2,82,984.74	71,110.17	9,58,050.51	(+) 297.95
योग –4217	*621.51* 2,47,376.82	58,800.00	3,06,798.33 (ग)	1,48,367.04	17,21,002.32	(+) 106.78
योग – (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	*621.51* 6,64,026.79	1,38,201.12	8,02,849.42	5,35,151.21	71,84,709.09	(+) 50.02

(क) इसमें चार स्मार्ट सिटी अजमेर (₹ 23,700.00 लाख), जयपुर (₹ 23,700.00 लाख), उदयपुर (₹ 23,700.00 लाख) तथा कोटा (₹ 23,700 लाख) (कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत सीमित कंपनियां) को राजस्व शीर्ष के तहत पूंजीगत संपत्ति के निमार्ण के लिए अनुदान जारी करने के बजाय पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत सीधे व्यय को नामे ₹ 94,800.00 लाख सम्मिलित है।

(क) जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,75,800.00 लाख), राजस्थान शहरी पेयजल, मल जल और ढांचागत लिमिटेड (₹ 27,679.56 लाख), अजमेर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड (₹ 6,480.00 लाख), जयपुर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड (₹ 10,000.00 लाख), उदयपुर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड (₹ 10,000.00 लाख), कोटा स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड (₹ 16.68 लाख) तथा जयपुर सिटी परिवन सेवाएं लिमिटेड (₹ 9,865.00 लाख) में निवेश ।

(ग) इसमें संवेतन (₹ 1,030.08 लाख), यात्रा व्यय (₹ 7.17 लाख) तथा कार्यालय व्यय (₹ 6,480.00 लाख) पर व्यय शामिल है ।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा						
4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय						
60. अन्य						
101. भवन	..	..	..	25.64	1,828.05	(-) 100.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	9.00	..	9.00	9.00	27.00	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	75.85	..	75.85	37.94	410.32	(+) 99.92
800. अन्य व्यय	34.00	..	34.00	34.00	102.00	..
योग –4220	118.85	..	118.85	106.58	2,367.37	(+) 11.51
योग – (घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा	118.85	..	118.85	106.58	2,367.37	(+) 11.51
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा						
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय						
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	842.12 (क)	..
277. शिक्षा	..	..	..	..	553.66	..

(क) इसमें ₹ 401.46 लाख राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
*01. अनुसूचित जातियों का कल्याण–**(समाप्त)***						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	493.77	..	493.77	728.16	27,452.53 (क)	(-) 32.19
योग – 01	493.77	..	493.77	728.16	28,848.31	(-) 32.19
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	417.00 (ख)	..
277. शिक्षा	..	..	..	..	5,377.25	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	2,304.69	7,443.44	9,748.13	15,187.98	2,56,758.70 (ग)	(-) 35.82
योग – 02	2,304.69	7,443.44	9,748.13	15,187.98	2,62,552.95	(-) 35.82
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	471.00 (घ)	..
277. शिक्षा	88.51	..	88.51	10.00	1,599.63	(+) 785.10

(क) इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड (₹ 780.89 लाख) तथा राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास सहकारी निगम लिमिटेड (₹ 267.66 लाख) में निवेश सम्मिलित है ।

(ख) जनजातीय सहकारी समितियों के अन्तर्गत राजस संघ में निवेश ।

(ग) इसमें जनजातीय सहकारी समितियों के अन्तर्गत सहकारिता में निवेश (₹ 21.75 लाख) सम्मिलित है।

(घ) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 260.00 लाख) तथा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 211.00 लाख) में निवेश ।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
		(₹ लाख में)				
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा–(समाप्त)						
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–*(समाप्त)*						
*03. पिछड़े वर्गों का कल्याण–**(समाप्त)***						
800. अन्य व्यय	4,603.26	..	4,603.26	3,982.60	37,458.92 (क)	(+) 15.58
योग – 03	4,691.77	..	4,691.77	3,992.60	39,529.55	(+) 17.51
04 अल्पसंख्यकों का कल्याण						
102. आर्थिक विकास	1,631.46	2,013.76	3,645.22	5,409.36	31,211.17	(-) 32.61
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	1,171.33 (ख)	..
800. अन्य व्यय	169.09	..	169.09 (ग)	5.71	1,411.39	(+) 2861.30
योग – 04	1,800.55	2,013.76	3,814.31	5,415.07	33,793.89	(-) 29.56
80. सामान्य						
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	815.90	..
योग – 80	..	..	..	..	815.90	..
योग –4225	9,290.78	9,457.20	18,747.98	25,323.81	3,65,540.60	(-) 25.97
योग – (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा	9,290.78	9,457.20	18,747.98	25,323.81	3,65,540.60	(-) 25.97

(क) व्यय देवनारायण योजना के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित है।

(ख) राष्ट्रीय अल्प संख्यक वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड में निवेश।

(ग) निदेशालय अल्प संख्यक मामलात के माध्यम से छात्रावास भवन के निर्माण पर व्यय ।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा						
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय						
01. पुनर्वास						
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	(-) 28.17 (क)	..
योग – 01	..	..	..	..	(-) 28.17	..
02. समाज कल्याण						
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	..	..	..	..	485.71	..
102. बाल कल्याण	..	..	..	2.26	3,993.65	(-) 100.00
103. महिला कल्याण	24.79	..	24.79	213.34	7,924.93	(-) 88.38
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	590.44 (ख)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	..	434.43	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	..	359.19	..
800. अन्य व्यय	160.00	..	160.00 (ग)	1,098.78	11,152.96	(-) 85.44
योग – 02	184.79	..	184.79	1,314.38	24,941.31	(-) 85.94
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	500.00 (घ)	..

(क) *ऋण* आंकड़े, व्यय पर प्राप्तियां तथा वसूलियां अधिक होने के कारण हैं।

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 390.44 लाख) तथा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 200.00 लाख) में निवेश ।

(ग) रेबारी एवं अन्य माइग्रेटरी समुदाय के बच्चों के लिये आवासीय विद्यालयों के निर्माण पर व्यय ।

(घ) राजस्थान एक्स सर्विस मेन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर में निवेश ।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा –(समाप्त)						
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय *–(समाप्त)*						
*60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–**(समाप्त)***						
200. अन्य कार्यक्रम	..	..	..	..	692.36	..
800. अन्य व्यय	129.58	..	129.58 (क)	143.58	2,081.49	(-) 9.75
योग – 60	129.58	..	129.58	143.58	3,273.85	(-) 9.75
योग –4235	314.37	..	314.37	1,457.96	28,186.99	(-) 78.44
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय						
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	11.53	17.29	28.82	65.01	2,918.69	(-) 55.67
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	8.84	13.24	22.08	65.48	2,364.39	(-) 66.28
800. अन्य व्यय	47.24	71.22	118.46	356.22	27,680.59	(-) 66.75
योग –4236	67.61	101.75	169.36	486.71	32,963.67	(-) 65.20
योग – (च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा	381.98	101.75	483.73	1,944.67	61,150.66	(-) 75.13

(क) युद्ध विधवाओं के लिए छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्रों के निर्माण एवं सैनिक विश्राम गृह के निर्माण पर व्यय।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(समाप्त)*						
(छ) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
201. श्रम	20.97	..	20.97	31.27	656.60 (क)	(-) 32.94
203. रोजगार	10,821.49	944.00	11,765.49	7,339.24	73,318.68	(+) 60.31
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	652.06	..	652.06	1,539.06	15,199.44	(-) 57.63
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	1,313.07	..	1,313.07	1,409.25	10,327.99	(-) 6.82
800. अन्य व्यय	266.63	..	266.63	77.66	7,406.43	(+) 243.33
योग –4250	13,074.22	944.00	14,018.22	10,396.48	1,06,909.14	(+) 34.84
योग – (छ) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा	13,074.22	944.00	14,018.22	10,396.48	1,06,909.14	(+) 34.84
योग – ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	*621.51* 8,05,646.14	2,88,834.52	10,95,102.17	7,64,157.39	89,76,498.75	(+) 43.31
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा						
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	6.83	..
103. बीज	..	20.00	20.00	..	114.42	..
104. कृषि फार्म	..	..	..	..	57.19 (ख)	..

(क) इसमें श्रम ठेका सहकारी समितियों में निवेश के ₹ 6,13,333 (शुद्ध) सम्मिलित हैं।

(ख) इसमें कृषि सहकारी समितियों के अंतर्गत सहकारी समितियों में ₹ 83,695 का निवेश सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा– *(क्रमश:)*						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा – (क्रमश:)						
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय – *(समाप्त)*						
105. खाद तथा उर्वरक	..	..	..	..	933.47	..
108. वाणिज्यिक फसलें	..	..	..	..	84.79	..
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें	113.13	..	113.13	16.98	858.71	(+) 566.25
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	968.62 (क)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	819.71	1,144.02	1,963.73	3,012.90	24,700.32	(-) 34.82
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	564.28	777.99	1,342.27	2,319.65	20,980.21	(-) 42.13
800. अन्य व्यय	2,659.83	3,517.95	6,177.78 (ख)	10,794.45	1,71,889.84	(-) 42.77
योग –4401	4,156.95	5,459.96	9,616.91	16,143.98	2,20,594.40	(-) 40.43
4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय						
102. मृदा संरक्षण	..	..	..	..	31,913.94	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	..	543.22	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	..	3,943.56	..
योग –4402	..	..	..	..	36,400.72	..

(क) इसमें (i) राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर (₹ 4,12,96,700), राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,10,00,000) तथा राजस्थान मिशन ऑन स्किल एण्ड लिवलीहुड कम्पनी लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,00,000) में निवेश, (ii) वर्ष 1990–91 में निवेश के रूप में गलत दिखाये गये ₹ 9,97,436 को सहायतार्थ अनुदान में प्रोफोर्मा द्वारा सुधार, (iii) ₹ 10 राजस्थान सरकार के पक्ष में केन्द्र सरकार अंश विनिवेश हेतु स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित तथा (iv) ₹ 30,68,459 अन्य कार्यों से सम्बन्धित शामिल है ।

(ख) इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (₹ 58,63,24.383) तथा राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना (₹ 65,47,753) पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा– *(क्रमश:)*						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा– (क्रमश:)						
4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय						
101. पशु–चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य	4,769.95	1,916.16	6,686.11 (क)	6,664.05	26,863.25	(+) 0.33
102. पशु तथा भैंस विकास	..	..	..	..	125.93	..
103. कुक्कुट विकास	..	..	..	..	82.89	..
104. भेड़ तथा ऊन विकास	..	..	..	..	52.43	..
105. सूअर बाड़ा–विकास	..	..	..	..	6.51	..
106. अन्य पशुधन विकास	..	..	..	..	11.82	..
107. चारा तथा चारागाह विकास	..	..	..	..	20.41	..
109. विस्तार तथा प्रशिक्षण	..	..	..	..	35.28	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,697.50	..	1,697.50	3,200.00	5,497.50	(-) 46.95
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	1,000.00	..	1,000.00	1,700.00	2,932.20	(-) 41.18
योग –4403	7,467.45	1,916.16	9,383.61	11,564.05	35,628.22	(-) 18.86
4404. डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय						
102. डेरी विकास परियोजनाएं	..	..	..	..	676.91 (ख)	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	69.99 (ग)	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	..	(-) 0.02 (घ)	..
योग –4404	..	..	..	..	746.88	..

(क) इसमें राजस्व शीर्ष के तहत जारी अनुदानों के बजाय पूंजीगजत संपत्ति के सृजन के लिए पशु चिकित्सा अस्पतालों तथा औषधालयों (एक स्वायत्त निकाय) को निधि जारी करके पूंजीगत शीर्ष के तहत प्रत्यक्ष व्यय को डेबिट करके क्रमश: ₹ 292.00 लाख तथा ₹ 697.50 लाख सम्मिलित है।

(ख) इसमें डेयरी सहकारी समितियों (₹ 6,31,17,620) तथा राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹15,69,000) में निवेश सम्मिलित है।

(ग) राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन को अनुदान। (घ) *ऋण* आंकड़े, व्यय पर प्राप्तियां तथा वसूलियां अधिक होने के कारण हैं।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4405. मछली–पालन पर पूंजीगत परिव्यय						
101. अन्तर्देशीय मछली–पालन	28.00	28.00	56.00	94.00	1,610.30	(-) 40.43
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	..	267.90	..
योग –4405	28.00	28.00	56.00	94.00	1,878.20	(-) 40.43
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय						
01. वानिकी						
070. संचार तथा भवन	..	..	..	69.92	4,775.52	(-) 100.00
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण	12,169.86	104.48	12,274.34	3,243.92	37,864.44	(+) 278.38
102. समाज तथा फार्म वानिकी	6,801.12	..	6,801.12	2,860.72	98,962.51	(+) 137.74
105. वन उत्पाद	..	..	..	..	665.58	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	16.75 (क)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	4,702.23	..	4,702.23	2,454.64	29,913.58	(+) 91.56
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	2,690.16	..	2,690.16	1,372.50	35,875.68	(+) 96.00
800. अन्य व्यय	3,225.96	..	3,225.96 (ख)	714.31	21,475.01	(+) 351.62
योग – 01	29,589.33	104.48	29,693.81	10,716.01	2,29,549.07	(+) 177.10

(क) राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश।

(ख) कृषि वानिकी विद्या तथा बडे पौधों की तैयारी से संबंधित व्यय।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय –*(समाप्त)*						
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव						
110. वन्य जीव	1,004.99	754.82	1,759.81	1,029.54	12,407.29	(+) 70.93
111. चिड़ियाघर	83.94	..	83.94	95.24	2,258.48	(-) 11.86
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	559.13	..	559.13	518.74	3,818.26	(+) 7.79
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	..	126.63	..
800. अन्य व्यय	471.78	..	471.78 (क)	278.74	5,083.90	(+) 69.25
योग – 02	2,119.84	754.82	2,874.66	1,922.26	23,694.56	(+) 49.55
योग –4406	31,709.17	859.30	32,568.47	12,638.27	2,53,243.63	(+) 157.70
4408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय						
01. खाद्य						
101. अधिप्राप्ति तथा पूर्ति – निवल व्यय	..	..	..	..	(-) 1,435.17 (ख)	..
योग –01	..	..	..	..	(-) 1,435.17	..
02. भंडारण तथा भांडागार						
101. ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम	..	..	..	..	1,068.56 (ग)	..

(क) पर्यावरण वृक्षारोपण तथा स्मार्ट ग्रीन सिटी से संबंधित व्यय।

(ख) *ऋण* आंकड़े, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

(ग) भांडागार तथा विपणन सहकारी समितियों के अंतर्गत सहकारी समितियों में गोदाम हेतु निवेश।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय–*(समाप्त)*						
*02. भंडारण तथा भांडागार–**(समाप्त)***						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	412.63 (क)	..
योग –02	..	..	..	..	1,481.19	..
योग –4408	..	..	..	..	46.02	..
4415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय						
01. फसल कृषि–कर्म						
004. अनुसंधान	181.50	..	181.50 (ख)	..	326.73	..
277. शिक्षा	3,229.00	..	3,229.00 (ग)	..	4,471.06	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	40.00	..	40.00 (घ)	..	40.00	..
योग – 01	3,450.50	..	3,450.50	..	4,837.79	..

(क) अन्य सहकारी समितियों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भांडागार निगम, जयपुर (₹ 392.63 लाख) तथा राजस्थान राज्य सहकारी व्यापारिक संगठन (₹ 20.00 लाख) में निवेश।

(ख) यह स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (एक स्वायत्त निकाय) को राजस्व शीर्ष के तहत जारी अनुदान के बजाय पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए निधि जारी करके पूंजी शीर्ष के तहत प्रत्यक्ष व्यय को नामे करने से संबंधित है।

(ग) यह स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (₹ 284.00 लाख), श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (₹ 1,435.00 लाख), कृषि विश्वविद्यालय, कोटा (₹ 300.00 लाख) तथा कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर (₹ 1,210.00 लाख) (एक स्वायत्त निकाय) को राजस्व शीर्ष के तहत जारी अनुदान के बजाय पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए निधि जारी करके पूंजी शीर्ष के तहत प्रत्यक्ष व्यय को नामे करने से संबंधित है।

(घ) यह श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (एक स्वायत्त निकाय) को राजस्व शीर्ष के तहत जारी अनुदान के बजाय पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए निधि जारी करके पूंजी शीर्ष के तहत प्रत्यक्ष व्यय को नामे करने से संबंधित है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय–*(समाप्त)*						
03. पशु–पालन						
277. शिक्षा	..	..	..	..	1,94.77	..
योग – 03	..	..	..	..	1,94.77	..
06. वानिकी						
004. अनुसंधान	..	..	..	..	17.85	..
योग – 06	..	..	..	..	17.85	..
योग – 4415	3,450.50	..	3,450.50	..	5,050.41	..
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय						
003. प्रशिक्षण	..	..	..	..	56.24	..
योग –003	..	..	..	..	56.24	..
107. क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश						
(01) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी समितियों के हिस्सों का क्रय	..	..	..	..	7,286.86 (क)	..
(02) पुनर्स्थापन योजना के अन्तर्गत निवेश	..	..	..	..	8,40.00 (क)	..
(05) नवगठित क्रय–विक्रय सहकारी समितियों में निवेश	..	..	..	..	150.00 (ख)	..

(क) क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश।

(ख) भाण्डागार एवं विपणन सहकारी समितियों में निवेश।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा– *(क्रमशः)*						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमशः)*						
107. क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश–***(समाप्त)***						
लेखों के शीर्षों से संबंधित अन्य निवेश जो कार्य की लागत के बावजूद परिचालन में नही है	..	..	..	..	1,857.57 (क)	..
योग –107	..	..	..	..	10,134.43	..
108. अन्य सहकारी समितियों में निवेश						
(01) संसाधन सहकारी समितियों में निवेश	..	..	..	..	525.74 (ख)	..
(03) महिला सहकारी समितियों के लिये निवेश	..	..	..	..	111.97	..
(05) विशेष केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य बहुल समितियों में निवेश	..	..	..	..	201.53	..
(09) स्पिन फेड में निवेश	..	..	..	..	3,891.13	..

(क) ऋण सहकारी समितियों के अन्तर्गत सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों में निवेश।

(ख) प्रसंस्करण सहकारी समितियों में निवेश।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा– ***(क्रमशः)***						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमशः)*						
108. अन्य सहकारी समितियों में निवेश–***(समाप्त)***						
अन्य सहकारी समितियां – अन्य निवेश प्रत्येक ₹ 1 करोड़ और कम लागत का	..	..	..	..	4,355.04 (क)	..
योग – 108	..	..	..	..	9,085.41	..
195. सहकारिता में निवेश						
(01) क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश	..	..	..	..	13,067.00	..
(03) अन्य सहकारी समितियों में निवेश	3.00	..	3.00	2.10	8,500.62 (ख)	(+) 42.86

(क) इसमें अप्रचलित लेखा मदों से सम्बन्धित राशि ₹ 43,54,47,624 (आवास सहकारी समितियों के तहत ₹ 64,95,444 तथा प्रसंस्करण सहकारी समितियों के तहत ₹ 42,89,52,180) का निवेश सम्मिलित है तथा अन्य सहकारी समितियों के तहत दिव्यांग जन की सहकारी समितियों में (₹ 56,000) निवेश भी शामिल है।

(ख) इसमें महिला सहकारी समितियों (₹ 39.95 लाख), अन्य सहकारी समितियों के तहत सूक्ष्म सहकारिता विकास (₹ 7,410.67 लाख), उपभोक्ता सहकारी समितियों के तहत सहकारी उपभोक्ता भंडार (₹ 50.00 लाख) तथा राजस्थान सहकारी वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड (₹1,000.00 लाख) में निवेश शामिल है । पूंजी विनिवेश के कारण ₹ 7,85,84,053 वर्ष के अन्त तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किये गये।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा– *(क्रमश:)*						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
195. सहकारिता में निवेश ***–(समाप्त)***						
(05) जनजातियों के लिए सहकारी समितियों में निवेश	0.30	..	0.30	0.30	2,931.52 (क)	..
प्रत्येक निवेश ₹ 1 करोड़ और कम लागत का	0.30	..	0.30	0.30	52.35 (ख)	..
योग – 195	3.60	..	3.60	2.70	24,551.49	(+) 33.33
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना						
(01) सहकारी समितियों के अंश का क्रय	..	..	..	..	1,25.00 (ग)	..
योग – 789	..	..	..	..	1,25.00	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना						
(01) सहकारी समितियों के अंश का क्रय	..	..	..	..	9,13.53 (ग)	..
(02) अंश क्रय के लिए सहकारी समितियों में निवेश	..	..	..	..	2,64.58 (ग)	..
(03) समग्र सहकारिता विकास हेतु निवेश	..	..	..	..	2,45.10 (ग)	..
(04) पुर्नस्थापना पूंजी योजना के अंतर्गत निवेश	..	..	..	..	1,20.00 (ग)	..
अन्य निवेश प्रत्येक ₹ 1 करोड़ और कम लागत का	..	..	..	..	5,10.62 (घ)	..
योग – 796	..	..	..	..	20,53.83	..

(क) इसमें महिला सहकारी समितियों में (₹ 8.55 लाख) तथा अन्य सहकारी समितियों के तहत सूक्ष्म सहकारिता विकास में (₹ 2,922.97 लाख) का निवेश सम्मिलित है। पूंजी विनिवेश के कारण ₹ 3,81,98,732 वर्ष के अन्त तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किये गये।

(ख) भांडागार तथा विपणन सहकारी समितियों के तहत क्रय विक्रय सहकारी समितियों (₹ 45.00 लाख) तथा महिला सहकारी समितियों (₹ 7.35 लाख) में निवेश।

(ग) जनजातीय क्षेत्र उप–योजना के तहत सहकारी समितियों में निवेश।

(घ) इसमें जनजातीय क्षेत्र उप–योजना के तहत सहकारी समितियों में राशि ₹ 4,86,47,593 का निवेश, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत (₹ 11,29,000) तथा महिला सहकारी समितियों (₹ 12,85,000) में निवेश सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा– *(क्रमशः)*						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा–(समाप्त)						
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय–*(समाप्त)*						
800. अन्य व्यय						
अन्य निवेश प्रत्येक ₹ 1 करोड़ और कम लागत का	..	..	..	..	77.16 (क)	..
योग – 800	..	..	..	..	77.16	..
योग –4425	3.60	..	3.60	2.70	46,083.56	(+) 33.33
4435. अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण						
101. विपणन सुविधाएं	..	..	..	..	188.00	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	4,176.78 (ख)	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	..	325.05 (ग)	..
योग –4435	..	..	..	..	4,689.83	..
योग – (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा	46,815.67	8,263.42	55,079.09	40,443.00	6,04,361.87	(+) 36.19

(क) अन्य सहकारी समितियों के तहत सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण (₹ 78,936) तथा कार्य योजना (₹ 76,37,200) में निवेश। पूंजीगत विनिवेश के कारण वर्ष के अंत तक ₹ 1,20,000 प्रोफार्मा के रूप में व्यय से कम किये गये ।

(ख) ग्रामीण विपणन गोदामों (₹ 7,93,31,515), राजस्थान राज्य क्रय–विक्रय संघ, जयपुर (₹ 4,27,31,430) तथा भांडागार तथा विपणन समितियों के तहत सहकारी समितियां (₹ 6,33,15,358), राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,23,00,000) तथा प्रसंस्करण सहकारी समितियों के तहत तिलम संघ (₹ 22,00,00,000) में निवेश ।

(ग) जनजातीय क्षेत्र उप–योजना के तहत विपणन समितियों (₹ 37.40 लाख) तथा अन्य समितियों (₹ 287.65 लाख) में निवेश।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
		(₹ लाख में)				
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा						
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय						
101. पंचायती राज						
(01) जवाहर रोजगार योजना	..	..	..	..	23,842.59	..
(02) सुनिश्चित रोजगार योजना	..	..	..	..	12,965.27	..
(03) अपना गांव अपना काम योजना	..	..	..	..	4,602.28	..
(04) निर्बन्ध जिला योजना	..	..	..	..	4,426.10	..
(05) बत्तीस जिले बत्तीस काम	..	..	..	..	6,265.50	..
(06) सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (राज्यांश)	..	..	..	..	5,175.81	..
(07) ग्रामीण विकास केन्द्रों हेतु जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	..	..	..	..	1,303.15	..
(11) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	68,000.00	..	68,000.00 #	14,994.00	4,29,987.10	(+) 353.51
(12) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	..	..	..	..	18,473.01	..
(14) गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	..	..	..	..	9,286.22	..
(15) राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम	..	..	..	..	334.55	..
(16) स्वविवेक जिला विकास योजना	9.70	..	9.70	9.70	5,151.13	..
(18) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	..	..	..	..	2,500.00	..
(19) ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना	..	..	..	..	11,328.00	..
(20) गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना	..	..	..	1,020.00	26,907.51	(-) 100.00
योग –101	68,009.70	..	68,009.70	16,023.70	5,62,548.22	(+) 324.43

यह जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गई निधियां दर्शाता है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा –(क्रमश:)						
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
102. सामुदायिक विकास	..	..	..	..	794.60	..
योग –102	..	..	..	..	794.60	..
103. ग्राम विकास	50.00	..	50.00 *	239.75	8,572.34	(-) 79.14
योग –103	50.00	..	50.00	239.75	8,572.34	(-) 79.14
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(01) सुनिश्चित रोजगार योजना	..	..	..	..	1,221.16	..
(02) जवाहर रोजगार योजना	..	..	..	..	1,468.40	..
(03) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	..	..	..	..	5,249.01	..
(04) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	18,000.00	..	18,000.00 #	3,969.00	99,993.35	(+) 353.51
(05) गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	..	..	..	..	2,202.76	..
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	..	..	..	..	1,666.75	..

* पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु जारी की गयी निधियां ।

यह जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमशः)*						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना–***(समाप्त)***						
(07) सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (राज्यांश)	..	..	..	..	390.77	..
(09) स्व विवेक जिला विकास योजना	3.00	..	3.00	3.00	924.38	..
(10) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से	..	..	..	63.00	1,753.71	(-) 100.00
(11) ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना	..	..	..	..	2,407.99	..
(13) गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	..	..	..	270.00	6,983.88	(-) 100.00
योग – 789	18,003.00	..	18,003.00	4,305.00	1,24,262.16	(+) 318.19
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना						
(01) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत	..	..	..	..	3,747.96	..
(02) सुनिश्चित रोजगार योजना	..	..	..	..	1,289.55	..
(03) अपना गांव अपना काम योजना	..	..	..	..	680.29	..
(04) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	..	..	..	..	2,837.94	..
(05) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	14,000.00	..	14,000.00 #	3,087.00	74,328.75	(+) 353.51
(06) सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (राज्यांश)	..	..	..	..	2,359.67	..

यह जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा –(समाप्त)						
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–*(समाप्त)*						
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–***(समाप्त)***						
(07) गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	..	..	..	..	1,446.95	..
(08) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	..	..	..	..	4,275.70	..
(10) स्व विवेक जिला विकास योजना	2.30	..	2.30	2.30	683.55	..
(11) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से	..	..	..	47.25	1,665.95	(-) 100.00
(12) ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना	..	..	..	..	1,764.00	..
(13) गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	..	..	..	210.00	5,299.96	(-) 100.00
योग – 796	14,002.30	..	14,002.30	3,346.55	1,00,380.27	(+) 318.41
800. अन्य व्यय						
(04) विश्व बैंक की सहायता के तहत जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना हेतु	..	..	..	..	11,396.14	..
योग – 800	..	..	..	..	11,396.14	..
योग –4515	1,00,065.00	..	1,00,065.00	23,915.00	8,07,953.73	(+) 318.42
योग – (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा	1,00,065.00	..	1,00,065.00	23,915.00	8,07,953.73	(+) 318.42

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा						
4575. अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. डांग जिले						
101. डांग क्षेत्र का विकास	151.00	..	151.00	..	24,889.86	..
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	57.00	..	57.00	..	6,115.78	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	44.00	..	44.00	..	4,539.63	..
योग –01	252.00	..	252.00	..	35,545.27	..
02. पिछड़े क्षेत्र						
102. मेवात क्षेत्र का विकास	566.50	..	566.50	130.00	25,297.63	(+) 335.77
103. मगरा क्षेत्र का विकास	797.50	..	797.50#	204.00	22,977.15	(+) 290.93
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	490.00	182.00	672.00#	737.00	15,752.93	(-) 8.82
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	379.00	138.00	517.00#	561.00	11,671.86	(-) 7.84
800. अन्य व्यय	465.67	698.00	1,163.67#	2,472.00	14,007.05	(-) 52.93
योग –02	2,698.67	1,018.00	3,716.67	4,104.00	89,706.62	(-) 9.44
03. जनजातीय क्षेत्र						
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	1,180.00	..
योग –03	..	..	..	..	1,180.00	..

यह जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा –(समाप्त)						
4575. अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय –*(समाप्त)*						
06. सीमा क्षेत्र विकास						
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ठ संघटक योजना	232.63	340.00	572.63#	470.00	30,741.58	(+) 21.84
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	181.00	264.50	445.50#	365.00	21,287.63	(+) 22.05
800. अन्य व्यय	878.70	1,284.00	2,162.70#	1,733.70	1,27,084.12	(+) 24.74
योग –06	1,292.33	1,888.50	3,180.83	2,568.70	1,79,113.33	(+) 23.83
60. अन्य						
277. शिक्षा	..	..	..	..	4,332.93	..
287. श्रम और रोजगार	..	..	..	..	134.01	..
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	24,515.87	..
योग –60	..	..	..	..	28,982.81	..
योग –4575	4,243.00	2,906.50	7,149.50	6,672.70	3,34,528.03	(+) 7.15
योग – (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा	4,243.00	2,906.50	7,149.50	6,672.70	3,34,528.03	(+) 7.15

यह जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
01. भाखड़ा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	97.61	..	97.61	139.95	9,840.68	(-) 30.25
052. मशीनरी तथा उपस्कर	(-) 0.11 (क)	..	(-) 0.11	..	(-) 1.03 (क)	..
799. उचंत	(-) 18.57 (क)	..	(-) 18.57	(-) 6.82	(-) 77.74 (क)	(+) 172.29
योग –01	78.93	..	78.93	133.13	9,761.91	(-) 40.71
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	17,222.62	..	17,222.62	3,702.12	96,702.51	(+) 365.21
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,929.66	..	3,929.66	695.68	6,830.37	(+) 464.87
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	2,912.94	..	2,912.94	554.06	5,742.83	(+) 425.74
799. उचंत	..	..	..	..	(-) 86.13 (क)	..
योग –02	24,065.22	..	24,065.22	4,951.86	1,09,189.58	(+) 385.98
03. ब्यास परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	15,847.33	..
योग –03	..	..	..	..	15,847.33	..

(क) *ऋण* व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा –(क्रमश:)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)						
	36.02					
001. निदेशन तथा प्रशासन	27,959.90	..	27,995.92	24,731.38	5,94,207.19 (क)	(+) 13.20
052. मशीनरी तथा उपस्कर	(-) 45.80	..	(-) 45.80 (ख)	1.98	(-) 652.68 (ख)	(-) 2413.13
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	7,622.77	..	7,622.77	5,814.63	51,261.40	(+) 31.10
799. उचंत	(-) 191.09	..	(-) 191.09 (ख)	(-) 12.93	(-) 6,904.02 (ख)	(+) 1377.88
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	20,598.60	..
	36.02					
योग –04	35,345.78	..	35,381.80	30,535.06	6,58,510.49	(+) 15.87
05. इंदिरा गांधी फीडर (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	22,639.23	..	22,639.23	7,200.00	42,098.97	(+) 214.43
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	10,360.77	..	10,360.77	1,800.00	14,193.71	(+) 475.60
योग –05	33,000.00	..	33,000.00	9,000.00	56,292.68	(+) 266.67

(क) इसमें उपनिवेशन पर (₹ 2,02,30,183), विश्व खाद्य कार्यक्रम (₹ 26,82,481), राजस्थान भूमि विकास निगम से वसूली योग्य फार्म डवलपमेंट पर (₹ 7,47,28,985) तथा पूंजीकृत ब्याज (₹ 6,18,00,000) का व्यय सम्मिलित है।

(ख) *ऋण* व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
06. गुड़गांव नहर (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	26.63	4,560.41	(-) 100.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	..	103.98	..
योग –06	..	..	..	26.63	4,664.39	(-) 100.00
07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	34.00	..	34.00	37.40	976.52	(-) 9.09
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	9.00	..	9.00	9.90	144.36	(-) 9.09
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	7.00	..	7.00	7.70	92.30	(-) 9.09
योग –07	50.00	..	50.00	55.00	1,213.18	(-) 9.09
22. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	..	14,181.39	..
योग –22	..	..	..	..	14,181.39	..
23. ओखला–वेयर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	20.00	..
योग –23	..	..	..	..	20.00	..

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	2,027.02	2,254.56	4,281.58	3,661.69	2,45,675.27	(+) 16.93
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	1,582.11	1,582.11	1,428.33	27,918.41	(+) 10.77
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	720.92	720.92	845.78	15,794.40	(-) 14.76
799. उचंत	..	..	..	..	(-) 96.86 (क)	..
योग –24	2,027.02	4,557.59	6,584.61	5,935.80	2,89,291.22	(+) 10.93
25. नोहर फीडर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	6,144.86	..
योग –25	..	..	..	..	6,144.86	..
26. सिद्धमुख परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	105.68	..	105.68	133.47	26,126.54	(-) 20.82
योग –26	105.68	..	105.68	133.47	26,126.54	(-) 20.82
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	562.15	..	562.15	1,949.01	1,01,336.58	(-) 71.16
योग –27	562.15	..	562.15	1,949.01	1,01,336.58	(-) 71.16

(क) *ऋण* व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	352.54	..	352.54	409.52	48,094.52	(-) 13.91
052. मशीनरी तथा उपस्कर	..	..	..	..	(-) 82.54 (क)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	73.98	..	73.98	100.88	1,031.58	(-) 26.67
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	..	132.82	..
799. उचंत	..	..	..	..	2,707.22	..
योग –28	426.52	..	426.52	510.40	51,883.60	(-) 16.43
29. इंदिरा लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	3,661.97	..
योग –29	..	..	..	..	3,661.97	..
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से						
001. निदेशन तथा प्रशासन	28.25	..	28.25	30.32	62,354.02	(-) 6.83
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	..	4,462.95	..
योग –31	28.25	..	28.25	30.32	66,816.97	(-) 6.83

(क) *ऋण* व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	56,287.61	..	56,287.61	68,227.00	2,85,521.39	(-) 17.50
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	8,262.78	..	8,262.78	12,931.37	91,904.99	(-) 36.10
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	12,213.03	..	12,213.03	8,116.18	63,241.96	(+) 50.48
योग –32	76,763.42	..	76,763.42	89,274.55	4,40,668.34	(-) 14.01
33. काली सिन्ध परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	0.61	..
योग –33	..	..	..	..	0.61	..
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	11,701.35	..	11,701.35	3,349.98	30,593.01	(+) 249.30
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,491.05	..	2,491.05	886.75	9,872.43	(+) 180.92
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	1,671.56	..	1,671.56	699.97	6,057.68	(+) 138.80
योग –34	15,863.96	..	15,863.96	4,936.70	46,523.12	(+) 221.35

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
37. परियोजना का पुर्नजीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/ नवीनीकरण (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,591.46	..	1,591.46	762.50	5,945.14	(+) 108.72
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	471.90	..	471.90	114.39	1,184.62	(+) 312.54
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	352.19	..	352.19	127.56	1,654.32	(+) 176.10
योग –37	2,415.55	..	2,415.55	1,004.45	8,784.08	(+) 140.48
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	25,907.10	..	25,907.10	11,163.89	41,044.56	(+) 132.06
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	7,770.74	..	7,770.74	4,172.24	13,579.85	(+) 86.25
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	5,648.88	..	5,648.88	3,188.08	10,106.96	(+) 77.19
योग –39	39,326.72	..	39,326.72	18,524.21	64,731.37	(+) 112.30
40. जयसमन्द परियोजना का पुर्नजीविकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	465.22	..	465.22	1,979.28	7,435.46	(-) 76.50
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	124.14	..	124.14	498.40	1,943.66	(-) 75.09
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	288.66	..	288.66	419.32	1,729.36	(-) 31.16
योग –40	878.02	..	878.02	2,897.00	11,108.48	(-) 69.69

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(समाप्त)*						
80. सामान्य						
001. निदेशन तथा प्रशासन	32,458.09	..	32,458.09	12,441.21	83,348.69	(+) 160.89
003. प्रशिक्षण	..	..	..	..	83.99	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	7,928.94	..	7,928.94	3,169.73	27,712.41	(+) 150.15
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	6,171.45	..	6,171.45	2,390.68	18,013.17	(+) 158.15
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	85,114.08	..
योग –80	46,558.48	..	46,558.48	18,001.62	2,14,272.34	(+) 158.63
योग –4700	*36.02* 2,77,495.70	4,557.59	2,82,089.31 (क)	1,87,899.21	22,01,031.03	(+) 50.13
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
01. जवाई नहर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	697.36	..
योग –01	..	..	..	..	697.36	..
02. मेजा सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,272.02	..	1,272.02	..	5,826.76	..
योग –02	1,272.02	..	1,272.02	..	5,826.76	..

(क) इसमें संवेतन (₹ 4,547.97 लाख), मजदूरी (₹ 4,686.03 लाख), यात्रा व्यय (₹ 84.60 लाख) तथा कार्यालय व्यय (₹ 54.87 लाख) पर खर्चा शामिल है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय *–(क्रमश:)*						
03. पारबती परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	808.99	..	808.99	393.98	8,380.57	(+) 105.34
योग –03	808.99	..	808.99	393.98	8,380.57	(+) 105.34
04. गुढ़ा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	163.29	..
योग –04	..	..	..	..	163.29	..
05. मोरेल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	235.54	..
योग –05	..	..	..	..	235.54	..
06. अलनिया परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	195.06	..
योग –06	..	..	..	..	195.06	..

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
07. पश्चिमी बनास परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	67.03	..
योग –07	..	..	..	..	67.03	..
08. बल्लभ नगर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	86.37	..
योग –08	..	..	..	..	86.37	..
09. बड़गांव परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	76.02	..
योग –09	..	..	..	..	76.02	..
10. ओराई सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	63.42	..
योग –10	..	..	..	..	63.42	..

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा– *(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
11. जैंतपुरा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	182.16	..
योग –11	..	..	..	..	182.16	..
12. गोपालपुरा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	252.18	..
योग –12	..	..	..	..	252.18	..
21. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	7.09	..
योग –21	..	..	..	..	7.09	..
23. पांचना परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	12,421.45	..
799. उचंत	..	..	..	..	(-) 43.42 (क)	..
योग –23	..	..	..	..	12,378.03	..

(क) *ऋण* व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा– *(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
24. सोम कमला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	262.30	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	..	219.81	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	803.11	..	803.11	..	22,148.12	..
योग –24	803.11	..	803.11	..	22,630.23	..
25. डाया परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	140.06	..
योग –25	..	..	..	..	140.06	..
26. झाडोल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	93.64	..
योग –26	..	..	..	..	93.64	..
27. वागन डाइवर्शन परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	1,396.62	..
योग –27	..	..	..	..	1,396.62	..

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा– ***(क्रमश:)***						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
28. लसाडिया परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	765.91	..
योग –28	..	..	..	..	765.91	..
29. सोम कागदर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	3,098.65	..
योग –29	..	..	..	..	3,098.65	..
30. भीम सागर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	2,394.13	..
योग –30	..	..	..	..	2,394.13	..
31. कोठारी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	1,119.79	..
योग –31	..	..	..	..	1,119.79	..

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमशः)*						
32. गोसुन्दा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	99.21	..
योग –32	..	..	..	..	99.21	..
33. बस्सी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	1,163.34	..
योग –33	..	..	..	..	1,163.34	..
34. खारी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	968.92	..
योग –34	..	..	..	..	968.92	..
35. छापी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	10,704.84	..
योग –35	..	..	..	..	10,704.84	..
37. बिलास परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	2,188.89	..
योग –37	..	..	..	..	2,188.89	..

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
38. सावन भादों परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	4,106.18	..
799. उचंत	..	..	..	..	(-) 25.06 (क)	..
योग –38	..	..	..	..	4,081.12	..
40. सुकली परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	4,448.76	..
योग –40	..	..	..	..	4,448.76	..
41. बांदी सेंदरा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	3,366.63	..
योग –41	..	..	..	..	3,366.63	..
42. कानोता परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	1.60	..
योग –42	..	..	..	..	1.60	..

(क) *ऋण* व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है ।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमशः)*						
43. चंवली परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	10,203.64	..
799. उचंत	..	..	..	..	(-) 32.91 (क)	..
योग –43	..	..	..	..	10,170.73	..
44. गंभीरी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	1,466.18	..
योग –44	..	..	..	..	1,466.18	..
45. जय समन्द परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	1,458.62	..
योग –45	..	..	..	..	1,458.62	..
46. माषी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	61.16	..
योग –46	..	..	..	..	61.16	..

(क) *ऋण* व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है ।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
47. गलवा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	1,791.95	..
योग –47	..	..	..	..	1,791.95	..
49. छापरवाड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	2.84	..
योग –49	..	..	..	..	2.84	..
50. कालख परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	0.96	..
योग –50	..	..	..	..	0.96	..
53. पारबती परियोजना (कोटा) (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	7.00	..
योग –53	..	..	..	..	7.00	..
55. टैंक परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	28.44	..
योग –55	..	..	..	..	28.44	..

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
56. कालीसिल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	29.54	..
योग –56	..	..	..	..	29.54	..
57. मातृ कुण्डिया परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	323.95	..
योग –57	..	..	..	..	323.95	..
58. नारायण सागर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	61.55	..
योग –58	..	..	..	..	61.55	..
59. अन्य परियोजनाएं (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	338.38	..
योग –59	..	..	..	..	338.38	..
60. बेथली परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	5,213.61	..
योग –60	..	..	..	..	5,213.61	..

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार		2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
				(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा– ***(क्रमश:)***							
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)							
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*							
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/ उन्नयन/आधुनिकीकरण/ नवीनीकरण (वाणिज्यिक)							
001. निदेशन तथा प्रशासन		2,358.61	..	2,358.61	1,199.37	24,521.09	(+) 96.65
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना		607.05	..	607.05	319.19	5,625.85	(+) 90.18
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना		510.11	..	510.11	247.03	4,104.93	(+) 106.50
	योग –62	3,475.77	..	3,475.77	1,765.59	34,251.87	(+) 96.86
63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)							
001. निदेशन तथा प्रशासन		1,088.66	..	1,088.66	2,085.53	22,755.77	(-) 47.80
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना		95.28	..	95.28	440.18	2,077.56	(-) 78.35
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना		59.80	..	59.80	367.20	1,279.12	(-) 83.71
	योग –63	1,243.74	..	1,243.74	2,892.91	26,112.45	(-) 57.01
64. परवन लिफ्ट योजना (अवाणिज्यिक)							
001. निदेशन तथा प्रशासन		..	..	..	..	3,986.38	..
	योग –64	..	..	..	..	3,986.38	..

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा– *(क्रमशः)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमशः)*						
65. हरिशचन्द्र सागर परियोजना (अवाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	1,213.20	..
योग –65	..	..	..	..	1,213.20	..
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	447.50	..	447.50	1,339.21	14,744.93	(-) 66.58
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	90.26	..	90.26	354.70	2,075.62	(-) 74.55
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	70.00	..	70.00	275.58	1,352.20	(-) 74.60
योग –66	607.76	..	607.76	1,969.49	18,172.75	(-) 69.14
67. लहसी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	190.55	..	190.55	470.34	14,587.92	(-) 59.49
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	44.71	..	44.71	120.78	1,488.19	(-) 62.98
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	35.00	..	35.00	97.85	1,032.70	(-) 64.23
योग –67	270.26	..	270.26	688.97	17,108.81	(-) 60.77
68. मनोहर थाना परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	40.12	..
योग –68	..	..	..	..	40.12	..

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	571.58	..	571.58	1,470.75	20,921.69	(-) 61.14
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	112.52	..	112.52	425.13	5,881.35	(-) 73.53
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	5.22	..	5.22	209.62	5,053.29	(-) 97.51
योग –69	689.32	..	689.32	2,105.50	31,856.33	(-) 67.26
71. पीपलाद परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	6,576.87	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	..	328.31	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	..	88.00	..
योग –71	..	..	..	..	6,993.18	..
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	2,252.16	..	2,252.16	870.99	18,720.23	(+) 158.57
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	494.58	..	494.58	230.56	2,850.14	(+) 114.51
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	303.50	..	303.50	181.92	1,598.44	(+) 66.83
योग –72	3,050.24	..	3,050.24	1,283.47	23,168.81	(+) 137.66

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–*(समाप्त)*						
73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	3,349.06	..	3,349.06	11,359.44	14,861.53	(-) 70.52
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	714.62	..	714.62	591.07	1,341.18	(+) 20.90
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	341.91	..	341.91	52.03	421.94	(+) 557.14
योग –73	4,405.59	..	4,405.59	12,002.54	16,624.65	(-) 63.29
74. अंधेरी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	3.37	8.80	(-) 100.00
योग –74	..	..	..	3.37	8.80	(-) 100.00
80. सामान्य						
002. आंकड़ा संग्रहण	..	..	..	..	27.33	..
005. सर्वेक्षण तथा अन्वेषण	..	..	..	..	13.84	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	542.46	..	542.46	..	542.46	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	678.06	..	678.06	..	678.06	..
800. अन्य व्यय	2,421.13	..	2,421.13 (क)	..	2,828.46	..
योग –80	3,641.65	..	3,641.65	..	4,090.15	..
योग –4701	20,268.45	..	20,268.45 (ख)	23,105.82	2,91,855.63	(-) 12.28

(क) बांध पुर्नवास और सुधार परियोजना पर व्यय ।
(ख) इसमें संवेतन (₹ 273.59 लाख), मजदूरी (₹ 5.84 लाख), यात्रा व्यय (₹ 3.21 लाख) तथा कार्यालय व्यय (₹ 8.86 लाख) पर खर्चा शामिल है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
101. सतही जल	30,407.32	..	30,407.32	23,382.43	3,13,880.67	(+) 30.04
102. भू–जल	59.65	..	59.65	40.65	3,304.86 (क)	(+) 46.74
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	7,597.25	..	7,597.25	6,428.45	70,462.97	(+) 18.18
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	7,604.88	..	7,604.88	8,239.93	1,47,644.00	(-) 7.71
800. अन्य व्यय	..	(-) 19.00 (ख)	(-) 19.00	1.00	86,604.58	..
902. *घटाईये* – जल संरक्षण उपकर निधि से पूरित व्यय	(-) 1,113.37	..	(-) 1,113.37	(-) 890.53	(-) 2,003.90	(+) 25.02
योग –4702	44,555.73	(-) 19.00	44,536.73 (ग)	37,201.93	6,19,893.18	(+) 19.72
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय						
101. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास	23.30	..	23.30	32.47	1,19,327.99 (घ)	(-) 28.24
102. चम्बल क्षेत्र का विकास	487.79	..	487.79	505.28	25,953.91 (ड)	(-) 3.46
103. भाखड़ा और गंग क्षेत्र का विकास	235.24	..	235.24	50.91	8,499.26	(+) 362.07
104. माही बजाज सागर	..	..	..	..	393.93	..
105. सिद्धमुख नोहर परियोजना	711.66	..	711.66	6.17	14,046.85	(+) 11434.20
106. बीसलपुर क्षेत्र का विकास	..	..	..	267.01	12,047.05	(-) 100.00

(क) इसमें राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (नलकूप निगम), जयपुर (₹ 1,27,00,000) में निवेश सम्मिलित है। (ख) *ऋण* व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है ।

(ग) इसमें संवेतन (₹ 297.15 लाख), मजदूरी (₹ 432.53 लाख), यात्रा व्यय (₹ 1.07 लाख) तथा कार्यालय व्यय (₹ 15.84 लाख) पर खर्चा शामिल है।
(घ) पूंजी विनिवेश के कारण वर्ष के अन्त तक व्यय से ₹ 19,36,45,000 प्रोफॉर्मा कम किये गये ।
(ड) इसमें राजस्थान राज्य मण्डी विकास निगम, जयपुर (₹ 0.65 लाख) में निवेश सम्मिलित है ।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(समाप्त)						
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय *–(समाप्त)*						
	17.18					
107. गंग नहर परियोजना	4,017.15	3,515.77	7,550.10	6,424.95	52,281.41	(+) 17.51
108. भाखड़ा सिंचाई परियोजना	36.04	..	36.04	626.44	11,998.01	(-) 94.25
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	587.00	408.02	995.02	536.86	15,943.73	(+) 85.34
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	44.39	1,365.47	(-) 100.00
	17.18					
योग –4705	6,098.18	3,923.79	10,039.15 (क)	8,494.48	2,61,857.61	(+) 18.18
4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
01. बाढ़ नियंत्रण						
001. निदेशन तथा प्रशासन	41.06	..	41.06	43.99	1,201.32	(-) 6.66
052. मशीनरी एवं उपस्कर	..	..	..	..	3.32	..
103. सिविल निर्माण कार्य	621.08	..	621.08	1,522.95	36,501.02	(-) 59.22
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	183.22	..	183.22	348.27	3,204.06	(-) 47.39
799. उचंत	..	..	..	..	77.18	..
योग –4711	845.36	..	845.36 (ख)	1,915.21	40,986.90	(-) 55.86
	53.20					
योग – (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	3,49,263.42	8,462.38	3,57,779.00	2,58,616.65	34,15,624.35	(+) 38.34

(क) इसमें संवेतन (₹ 2,203.13 लाख), मजदूरी (₹ 411.05 लाख), यात्रा व्यय (₹ 25.38 लाख) तथा कार्यालय व्यय (₹ 31.28 लाख) पर व्यय शामिल है।

(ख) इसमें संवेतन (₹ 38.75 लाख), मजदूरी (₹ 38.36 लाख), यात्रा व्यय (₹ 1.00 लाख) तथा कार्यालय व्यय (₹ 0.80 लाख) पर व्यय शामिल है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा						
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
02. ताप विद्युत शक्ति उत्पादन						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	45.00 (क)	..
योग –02	..	..	..	..	45.00	..
04. डीजल / गैस शक्ति उत्पादन						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	5.00 (क)	..
योग –04	..	..	..	..	5.00	..
06. ग्रामीण विद्युतीकरण						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	66.25 (ख)	..
योग –06	..	..	..	..	66.25	..

(क) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड), जयपुर में निवेश।

(ख) इसमें अन्य सहकारी समितियों के अंतर्गत आबूरोड़ इलेक्ट्रीसिटी एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, आबूरोड़ (₹1.25 लाख) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति लिमिटेड, टोडाभीम (₹ 30.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय –*(क्रमशः)*						
80. सामान्य						
101. राज्य विद्युत् बोर्ड में निवेश	..	..	..	..	5.00 (क)	..
योग –101	..	..	..	..	5.00	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश						
(01) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर में विनियोजन (राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड)	..	..	..	..	200.00	..
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	10,472.00	..	10,472.00	2,262.72	8,58,492.46	(+) 362.81
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन	6,800.00	..	6,800.00	..	3,74,127.01	..
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	22,196.44	..	22,196.44	7,814.56	5,01,333.70	(+) 184.04
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	14,917.62	..	14,917.62	10,130.28	4,58,000.37	(+) 47.26
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	20,134.09	..	20,134.09	7,229.76	4,59,644.42	(+) 178.49
(07) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर में विनियोजन (मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट–ई.ए.पी.)	..	..	..	..	435.68	..
(08) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर में विनियोजन	..	..	..	..	493.43	..

(क) राजस्थान राज्य विद्युत् निगम, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय –*(क्रमश:)*						
80. सामान्य –(क्रमश:)						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश–***(समाप्त)***						
(09) राजस्थान राज्य पावर वित्त निगम लिमिटेड, जयपुर	5,000.00	..	5,000.00	..	14,000.00	..
(10) उदय योजना के अन्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	..	3,04,322.67	..
(11) उदय योजना के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	..	2,77,805.89	..
(12) उदय योजना के अन्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	..	2,77,069.12	..
(13) राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में पूंजी विनियोजन	..	..	..	..	3,451.49	..
(14) राजस्थान राज्य विद्युत् वितरण वित्त निगम लिमिटेड में पूंजी विनियोजन	..	..	..	..	2.75	..
(15) उदय योजना के अन्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	56,790.25	..
(16) उदय योजना के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	55,635.29	..
(17) उदय योजना के अन्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	66,786.34	..
योग –190	79,520.15	..	79,520.15	27,437.32	37,08,590.87	(+) 189.82

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
80. सामान्य –(क्रमश:)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	2,772.00	..	2,772.00	642.32	1,23,112.86	(+) 331.56
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन	1,800.00	..	1,800.00	..	63,558.20	..
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	5,875.53	..	5,875.53	1,740.00	80,185.35	(+) 237.67
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	3,948.78	..	3,948.78	2,681.28	76,677.04	(+) 47.27
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	5,329.61	..	5,329.61	1,913.76	66,273.86	(+) 178.49
(07) उदय योजनान्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	..	89,892.05	..
(08) उदय योजनान्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	..	82,026.11	..
(09) उदय योजनान्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	..	81,709.08	..
(10) राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में पूंजी विनियोजन	..	..	..	..	881.01	..
(11) राजस्थान राज्य विद्युत् वितरण वित्त निगम लिमिटेड में पूंजी विनियोजन	..	..	..	..	1.50	..
(12) उदय योजनान्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	17,205.67	..
(13) उदय योजनान्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	16,855.79	..

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–*(क्रमश:)*						
80. सामान्य –(क्रमश:)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना–***(समाप्त)***						
(14) उदय योजनान्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	20,234.13	..
योग –789	19,725.92	..	19,725.92	6,977.36	7,18,612.65	(+) 182.71
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना						
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	2,156.00	..	2,156.00	422.96	78,917.68	(+) 409.74
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन	1,400.00	..	1,400.00	..	41,418.56	..
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	4,569.85	..	4,569.85	1,937.44	53,160.45	(+) 135.87
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	3,071.27	..	3,071.27	2,085.44	49,847.39	(+) 47.27
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	4,145.25	..	4,145.25	1,488.48	44,145.26	(+) 178.49
(07) उदय योजनान्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	..	62,930.38	..
(08) उदय योजनान्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	..	57,457.50	..
(09) उदय योजनान्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	..	57,336.20	..
(10) राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में पूंजी विनियोजन	..	..	..	..	667.50	..

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–*(समाप्त)*						
80. सामान्य –(समाप्त)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–***(समाप्त)***						
(11) राजस्थान राज्य विद्युत् वितरण वित्त निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	..	0.75	..
(12) उदय योजनान्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	11,564.08	..
(13) उदय योजनान्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	11,328.92	..
(14) उदय योजनान्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	13,599.53	..
योग –796	15,342.37	..	15,342.37	5,934.32	4,82,374.20	(+) 158.54
योग –80	1,14,588.44	..	1,14,588.44	40,349.00	49,09,582.72	(+) 183.99
योग –4801	1,14,588.44	..	1,14,588.44	40,349.00	49,09,698.97	(+) 183.99
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय						
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों मे निवेश	86,710.00	..	86,710.00	18,621.95	1,49,891.30 (क)	(+) 365.63
योग - 4802	86,710.00	..	86,710.00	18,621.95	1,49,891.30	(+) 365.63

(क) एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में निवेश

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा–(समाप्त)						
4810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय						
102. सौर ऊर्जा	..	..	..	..	115.00 (क)	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों मे निवेश	12,845.73	..	12,845.73	..	12,853.23 (ख)	..
योग – 4810	12,845.73	..	12,845.73	..	12,968.23	..
योग –(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	2,14,144.17	..	2,14,144.17	58,970.95	50,72,558.50	(+) 263.14
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा						
4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
101. औद्योगिक क्षेत्र	..	..	..	..	185.26	..
102. लघु उद्योग	..	..	..	..	521.89 (ग)	..
103. हथकरघा उद्योग	..	..	..	..	1,077.19 (घ)	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	4,140.98 (ङ)	..

(क) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड), जयपुर में निवेश।

(ख) सूर्या ऊर्जा कम्पनी राजस्थान लिमिटेड (₹ 6,496.87 लाख), एस्सल सूर्या ऊर्जा कम्पनी राजस्थान लिमिटेड (₹ 2,328.07 लाख) तथा अडाणी नवीनीकरण ऊर्जा पार्क लिमिटेड (₹ 4,028.29 लाख) में निवेश।

(ग) इसमें राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,11,88,700) में निवेश सम्मिलित है।

(घ) इसमें बुनकर संघ (₹ 65,60,000), राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,60,00,000) तथा राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,50,000) में निवेश सम्मिलित है।

(ङ) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 150.00 लाख) तथा राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 3,990.98 लाख) में निवेश।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा –(क्रमश:)						
4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय *–(समाप्त)*						
200. अन्य ग्रामोद्योग	72.53	..	72.53	30.00	2,125.70	(+) 141.77
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	..	12.61	..
योग –4851	72.53	..	72.53	30.00	8,063.63	(+) 141.77
4852. लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. खनन						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	1.62 (क)	..
योग –4852	..	..	..	..	1.62	..
4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास						
004. अनुसंधान तथा विकास	1,814.17	..	1,814.17	..	28,993.91 (ख)	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	3,181.97 (ग)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	388.06	..	388.06	..	4,428.84	..

(क) इसमें टाटा स्टील लिमिटेड (₹ 0.25 लाख), राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (₹ 0.09 लाख) तथा संबद्ध लौह और इस्पात उद्योग (₹ 1.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) इसमें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 30.50 लाख) तथा मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता (₹ 25.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ग) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,523.50 लाख) तथा राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,378.66 लाख) में निवेश सम्मिलित है ।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा –(क्रमश:)						
4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय –*(समाप्त)*						
*01. खनिज अन्वेषण तथा विकास–**(समाप्त)***						
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	261.89	..	261.89	..	10,661.69 (क)	..
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	1.95	..
902. *घटाईये* – खनिज क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से पूरित राशि	(-) 2,453.21	..	(-) 2,453.21	..	(-) 26,798.55	..
योग –01	10.91	..	10.91	..	20,469.81	..
60. अन्य खनन तथा धातुकर्म उद्योग						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	10.00 (ख)	..
काम की लागत के बावजूद संचालन में नहीं लेखा शीर्षों से संबंधित अन्य व्यय	..	..	..	..	(-) 616.34 (ग)	..
योग –60	..	..	..	..	(-) 606.34	..
योग –4853	10.91	..	10.91	..	19,863.47	..
4857. रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. रसायन तथा पेस्टीसाईड उद्योग						
004. अनुसंधान तथा विकास	..	..	..	..	115.59	..
योग –4857	..	..	..	..	115.59	..

(क) इसमें राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,660.79 लाख) तथा राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 244.25 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश ।

(ग) *ऋण* व्यय, झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट योजना से सम्बन्धित प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है ।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4858. इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. विद्युत् इंजीनियरी उद्योग						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	7.50 (क)	..
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	16.40 (ख)	..
योग –4858	..	..	..	..	23.90	..
4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. वस्त्रोद्योग						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	3,239.87 (ग)	..
योग –01	..	..	..	..	3,239.87	..

(क) जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर में निवेश ।

(ख) इसमें मान इण्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर तथा ओरियन्टल पॉवर केबल्स लिमिटेड, कोटा में क्रमशः ₹ 15,00,000 तथा ₹ 3,66,500 की राशि का निवेश सम्मिलित है । इसमें अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड से सम्बन्धित ₹ 2,26,250 के *ऋण* आंकड़े भी सम्मिलित है, जो जांच के अधीन है ।

(ग) विभिन्न सहकारी स्पिनिंग मिल्स (₹ 31,47,34,900), मेवाड़ टैक्सटाईल्स मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा (₹ 13,00,000), नेशनल टेक्सटाईल्स कॉरपोरेशन, नई दिल्ली (₹ 45,85,000), जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर (₹ 17,45,800), आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़, अजमेर (₹ 16,00,000) तथा कॉटन प्रेस कम्पनी, मदनगंज, किशनगढ़ (₹ 20,833) में निवेश । पूंजीगत विनिवेश के कारण वर्ष के अन्त तक व्यय में से ₹ 37,00,000 प्रोफॉर्मा कम किये गये ।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा –(क्रमश:)						
4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय–*(समाप्त)*						
04. चीनी						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	(-) 24.50	18,707.68 (क)	(-) 100.00
योग –04	..	..	..	(-) 24.50	18,707.68	(-) 100.00
60. अन्य						
214. प्रसाधन उपक्रम	..	..	..	..	7.60 (ख)	..
218. नमक	..	..	..	..	123.08 (ग)	..
600. अन्य	..	..	..	..	116.62 (घ)	..
योग –60	..	..	..	..	247.30	..
योग –4860	..	..	..	(-) 24.50	22,194.85	(-) 100.00

(क) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,80,51,80,136) तथा प्रसंस्करण सहकारी समितियों के तहत सहकारी समितियों (₹ 6,55,88,000) में निवेश।

(ख) हाईटेक प्रैसीसन ग्लास कम्पनी लिमिटेड, जयपुर में निवेश जिसका राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर में विलय कर दिया गया है।

(ग) इसमें सांभर साल्ट लिमिटेड (₹ 40,00,000) में निवेश सम्मिलित है।

(घ) इसमें जयपुर उद्योग लिमिटेड,सवाई माधोपुर (₹ 75,00,000), स्टोन वेअर पाइप एण्ड सेनिटरी फिटिंग्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जयपुर (₹ 12,500), औद्योगिक सहकारी समितियों (₹ 4,76,013) तथा रामपुर उद्योग (₹ 6,960) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा –(क्रमश:)						
4875. अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
60. अन्य उद्योग						
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	11.40 (क)	..
योग –4875	..	..	..	..	11.40	..
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय						
01. औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	12,627.70 (ख)	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	..	1,805.50 (ग)	..
योग –01	..	..	..	..	14,433.20	..
60. अन्य						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	(-) 6.99 (घ)	..	(-) 6.99	1,499.09	1,976.38	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	955.97	1,603.05	(-) 100.00

(क) राजस्थान परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड), नई दिल्ली (₹ 10,00,000), श्री उदयभान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, धौलपुर (₹ 1,30,000) तथा न्यूज पेपर लिमिटेड, इलाहाबाद (₹ 10,000) में निवेश ।

(ख) राजस्थान वित्त निगम, जयपुर में निवेश। (ग)इसमें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,599.50 लाख) तथा राजस्थान वित्त निगम, जयपुर (₹ 203.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(घ) *ऋण* आंकड़े भूमि अधिग्रहण के लिए अवार्ड और मुआवजे की जमा राशि के कारण है ।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा–(समाप्त)						
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय *–(समाप्त)*						
60. अन्य –(समाप्त)						
800. अन्य व्यय	348.49	..	348.49 (ख)	2,514.77	32,172.32 (b)	(-) 86.14
योग –60	341.50	..	341.50	4,969.83	35,751.75	(-) 93.13
योग –4885	341.50	..	341.50	4,969.83	50,184.95	(-) 93.13
योग –(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा	424.94	..	424.94	4,975.33	1,00,459.41	(-) 91.46
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा						
5002. भारतीय रेल–वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय						
02. यातायात सुविधाएं						
200. अन्य यातायात सुविधाएं	..	..	..	..	0.24 (ग)	..
योग –5002	..	..	..	..	0.24	..

(क) इसमें केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान से संबंधित व्यय सम्मिलित है ।

(ख) इसमें अप्रचलित लेखा शीर्षों से सम्बन्धित ₹ 3,29,74,867 सम्मिलित है जिसमें परियोजना विकास निगम (₹ 75.00 लाख) तथा अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड (₹ 1.65 लाख) सम्मिलित है इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 17,738.58 लाख), परियोजना विकास निगम (₹ 24.00 लाख) तथा राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ (₹ 50.00 लाख) में निवेश भी सम्मिलित है ।

(ग) सेन्ट्रल प्रोविन्सेज रेलवे कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई (₹ 7,600), फुतवाह इस्लामपुर लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता (₹ 9,500) तथा छापरमुख सिलीघाट रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता (₹ 6,365) में निवेश।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
5053. नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय						
01. हवाई सेवाएं						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	449.27 (क)	..
योग–5053	..	..	..	..	449.27	..
5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय						
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें						
337. सड़क निर्माण कार्य	..	22.16	22.16	1,665.01	87,376.32	(-) 98.67
योग –337	..	22.16	22.16	1,665.01	87,376.32	(-) 98.67
योग –02	..	22.16	22.16	1,665.01	87,376.32	(-) 98.67
03. राज्य राजमार्ग						
337. सड़क निर्माण कार्य	1,23,937.74	16,868.82	1,40,806.56	1,32,649.36	11,31,342.06	(+) 6.15
घटाइये– शीर्ष 8449 से स्थानान्तरित केन्द्रीय सड़क निधि	..	..	..	..	(-) 3,05,847.34	..
घटाइये– शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि	..	..	..	..	(-) 1,36,844.09	..
निवल – 337	1,23,937.74	16,868.82	1,40,806.56	1,32,649.36	6,88,650.63	(+) 6.15

(क) राजस्थान राज्य नागरिक विमानन निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार		2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)				
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*							
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)							
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –*(क्रमश:)*							
*03. राज्य राजमार्ग–**(क्रमश:)***							
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना		28,975.45	3,831.30	32,806.75	31,068.37	2,05,526.71	(+) 5.60
घटाइये– शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि		..	..	..	..	(-) 14,575.20	..
घटाइये– शीर्ष 8449 से स्थानान्तरित केन्द्रीय सड़क निधि		..	..	..	..	(-) 52,545.54	..
	निवल – 789	28,975.45	3,831.30	32,806.75	31,068.37	1,38,405.97	(+) 5.60
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना		21,499.53	4,604.43	26,103.96	22,254.89	1,39,899.66	(+) 17.30
घटाइये– शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि		..	..	..	..	(-) 13,296.11	..
घटाइये– शीर्ष 8449 से स्थानान्तरित केन्द्रीय सड़क निधि		..	..	..	..	(-) 29,117.96	..
	निवल – 796	21,499.53	4,604.43	26,103.96	22,254.89	97,485.59	(+) 17.30
799. उचंत		..	..	..	..	592.13	..
	योग –799	..	..	..	..	592.13	..

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*						
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)						
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –*(क्रमश:)*						
*03. राज्य राजमार्ग–**(समाप्त)***						
902. घटाईये						
(01) केन्द्रीय सड़क निधि से प्रतिपूर्ति	..	..	..	(-) 14,079.09	(-) 46,952.68	(-) 100.00
(02) राज्य सड़क विकास निधि से प्रतिपूर्ति	(-) 80,953.92	..	(-) 80,953.92	(-) 39,761.29	(-) 1,64,064.63	(+) 103.60
योग –902	(-) 80,953.92	..	(-) 80,953.92	(-) 53,840.38	(-) 2,11,017.31	(+) 50.36
योग –03	93,458.80	25,304.55	1,18,763.35	1,32,132.24	7,14,117.01	(-) 10.12
04. जिला तथा अन्य सड़कें						
337. सड़क निर्माण कार्य	35,433.95	..	35,433.95	14,694.14	59,865.22	(+) 141.14
योग – 337	35,433.95	..	35,433.95	14,694.14	59,865.22	(+) 141.14
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	46,886.35	18,991.51	65,877.86	34,521.71	4,26,783.19	(+) 90.83
घटाइये– शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि	..	..	..	..	(-) 18,039.81	..
निवल – 789	46,886.35	18,991.51	65,877.86	34,521.71	4,08,743.38	(+) 90.83

विवरण संख्या 16 – *(क्रमश:)*

व्यय के प्रकार		2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
				(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमश:)*							
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा–(क्रमश:)							
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –*(क्रमश:)*							
*04. जिला तथा अन्य सड़कें–**(समाप्त)***							
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना		37,297.43	14,358.05	51,655.48	25,706.49	3,45,100.76	(+) 100.94
घटाइये– शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि		..	..	..	..	(-) 11,796.02	..
	निवल –796	37,297.43	14,358.05	51,655.48	25,706.49	3,33,304.74	(+) 100.94
800. अन्य व्यय		1,55,221.89	73,164.51	2,28,386.40	1,24,077.82	21,14,227.51	(+) 84.07
घटाइये– शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि		..	..	..	..	(-) 1,09,767.19	..
	निवल – 800	1,55,221.89	73,164.51	2,28,386.40	1,24,077.82	20,04,460.32	(+) 84.07
902. *घटाईये*							
(01) राज्य सड़क विकास निधि से प्रतिपूर्ति		(-) 1,08,516.82	..	(-) 1,08,516.82	(-) 59,307.27	(-) 2,39,001.16	(+) 82.97
	योग –902	(-) 1,08,516.82	..	(-) 1,08,516.82	(-) 59,307.27	(-) 2,39,001.16	(+) 82.97
	योग –04	1,66,322.80	1,06,514.07	2,72,836.87	1,39,692.89	(+) 25,67,372.50	(+) 95.31

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
		(₹ लाख में)				
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –*(क्रमशः)*						
05. सड़कें						
337. सड़क निर्माण कार्य	..	..	..	50.19	16,302.83	(-) 100.00
योग –337	..	..	..	50.19	16,302.83	(-) 100.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	..	27.62	..
योग –789	..	..	..	..	27.62	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	..	62.70	..
योग –796	..	..	..	..	62.70	..
योग –05	..	..	..	50.19	16,393.15	(-) 100.00
80. सामान्य						
001. निदेशन तथा प्रशासन	20,785.05	..	20,785.05	22,805.95	2,52,330.29	(-) 8.86
योग –001	20,785.05	..	20,785.05	22,805.95	2,52,330.29	(-) 8.86

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –*(समाप्त)*						
*80. सामान्य–**(समाप्त)***						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	23,750.00 (क)	..
योग –190	..	..	..	..	23,750.00	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	..	..	..	..	675.02	..
योग –796	..	..	..	..	675.02	..
800. अन्य व्यय	3,778.20	..	3,778.20	4,146.54	48,262.90	(-) 8.88
योग –800	3,778.20	..	3,778.20	4,146.54	48,262.90	(-) 8.88
योग –80	24,563.25	..	24,563.25	26,952.49	3,25,018.21	(-) 8.86
योग –5054	2,84,344.85	1,31,840.78	4,16,185.63	3,00,492.82	37,10,277.19	(+) 38.50

(क) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,00,00,00,000) एवं सड़क आधारभूत विकास कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,37,49,99,970) में निवेश।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा–(समाप्त)						
5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय						
050. भूमि तथा भवन	1,586.45	..	1,586.45	462.10	3,576.60	(+) 243.31
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	86,924.08	..	86,924.08	..	1,48,205.51 (क)	..
800. अन्य व्यय	1,800.00	..	1,800.00	..	1,800.00	..
902. घटाईये:– समर्पित सड़क सुरक्षा निधि से पूरित राशि	(-) 25,423.40	..	(-) 25,423.40	(-) 462.10	(-) 27,378.26	(+) 5,401.71
योग –5055	64,887.13	..	64,887.13	..	1,26,203.85	..
योग –(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा	3,49,231.98	1,31,840.78	4,81,072.76	3,00,492.82	38,36,930.55	(+) 60.09
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा						
5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय						
800. अन्य व्यय	40.21	..	40.21	28.09	2,310.35	(+) 43.15
योग –5425	40.21	..	40.21	28.09	2,310.35	(+) 43.15
योग –(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा	40.21	..	40.21	28.09	2,310.35	(+) 43.15

(क) इसमें राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जयपुर (₹ 14,80,87,58,023), राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण (₹ 50,00,000), कोटा परिवहन कम्पनी लिमिटेड, कोटा (₹ 2,00,000), बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, बूंदी (₹ 12,423) तथा झालावाड़ परिवहन सर्विस लिमिटेड, झालावाड़ (₹ 10,000) में निवेश सम्मिलित है ।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–*(क्रमशः)*						
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय						
80. सामान्य						
105. पर्यटन यातायात	..	..	..	..	475.00	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	6,750.00	..	6,750.00	..	9,087.04 (क)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	658.81	..	658.81	698.97	4,418.36	(-) 5.75
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	699.27	..	699.27	288.58	4,960.45 (ख)	(+) 142.31
800. अन्य व्यय	816.03 (ग)	..	816.03	959.62	37,410.15	(-) 14.96
योग – 5452	8,924.11	..	8,924.11	1,947.17	56,351.00	(+) 358.31
5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश						
01. सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश	..	..	..	..	7,369.39 (घ)	..
योग –01	..	..	..	..	7,369.39	..

(क) इसमें राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 7,862.61 लाख) तथा राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,055.00 लाख) मे निवेश सम्मिलित हैं।

(ख) इसमें राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 81.76 लाख) में निवेश सम्मिलित हैं ।

(ग) इसमें पर्यटन स्थलों के विकास (₹ 655.72 लाख) तथा ग्रामीण पर्यटन (₹ 160.31 लाख) पर व्यय सम्मिलित हैं ।

(घ) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर (₹ 27,29,32,330) तथा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर (₹ 46,40,07,150) में निवेश ।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय			2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – *(क्रमशः)*						
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा– (क्रमशः)						
5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश– *(समाप्त)*						
02. व्यापारिक संस्थाओं में निवेश						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	241.79 (क)	..
योग –02	..	..	..	..	241.79	..
योग –5465	..	..	..	..	7,611.18	..
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
101. भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर)	..	..	..	..	129.84	..
102. नागरिक आपूर्ति	19.55	..	19.55	84.21	1,942.20 (ख)	(-) 76.78
103. कृषि भूमि के लिए भूमि सीमा	..	..	..	..	216.07	..
107. जनगणना	..	..	..	50.00	50.00	(-) 100.00
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	500.00	..	500.00	..	6,060.00 (ग)	..
202. जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन हो जाने पर भूमिधारियों को मुआवजा	..	..	..	..	4,616.91(घ)	..

(क) राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, जयपुर, (₹ 41.79 लाख) तथा राजस्थान राज्य बीवरेज निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,00.00 लाख) में निवेश ।

(ख) इसमें उपभोक्ता सहकारी समितियों के अन्तर्गत उपभोक्ता सहकारी भण्डार [₹ 6,63,39,670 (निवल)] में निवेश सम्मिलित है ।

(ग) राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर (₹ 60.00 लाख), राजस्थान वित्तीय सेवा वितरण लिमिटेड (₹ 500.00 लाख), राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,000.00 लाख) तथा राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर (₹ 500.00 लाख) में निवेश ।

(घ) इसमें उपभोक्ता सहकारी समितियों के अन्तर्गत उपभोक्ता सहकारी भण्डार [₹ 4,13,42,880 (निवल)] में निवेश सम्मिलित है ।

विवरण संख्या 16 – *(क्रमशः)*

व्यय के प्रकार	2021–22 के दौरान व्यय: राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग	2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
			(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – *(समाप्त)*						
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा– (समाप्त)						
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय– *(समाप्त)*						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	8,523.04	..	8,523.04	3,787.12	69,112.41	(+) 125.05
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	6,660.48	..	6,660.48	3,063.52	52,473.39(क)	(+) 117.41
800. अन्य व्यय	31,323.14	..	31,323.14 (ख)	20,026.79	2,55,952.97	(+) 56.41
योग –5475	47,026.21	..	47,026.21	27,011.64	3,90,553.79	(+) 74.10
योग –(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	55,950.32	..	55,950.32	28,958.81	4,54,515.97	(+) 93.21
योग – ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	*53.20* 11,20,178.71	1,51,473.08	12,71,704.99	7,23,073.35	1,46,29,242.76	(+) 75.87
कुल योग	***674.71*** **19,69,878.28**	**4,44,607.27**	**24,15,160.26 (ग) एवं @**	**15,27,048.58**	**2,42,18,304.76(घ)**	**(+) 58.16**

(क) इसमें जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत विभिन्न समितियां (₹ 10.40 लाख) तथा कमजोर उपभोक्ता सहकारी भंडारों (₹ 4.50 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) इसमें सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग पर ₹ 30,425.15 लाख तथा राजस्थान जन आधार योजना पर ₹ 855.00 लाख का व्यय सम्मिलित है।

(ग) इसमें स्थानीय निकायों को जारी निधियों से संबंधित ₹ 1,31,028.10 लाख का व्यय सम्मिलित है।

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (–) 0.05 लाख का अन्तर है ।

(घ) देखिये पाद टिप्पणी (ख)पृष्ठ क्रमांक 239, (क) पृष्ठ क्रमांक 240 , (क) पृष्ठ क्रमांक 241, (घ) पृष्ठ क्रमांक 270 एवं (ग)पृष्ठ क्रमांक 281 ।

विवरण संख्या 16 - *(क्रमश:)*

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. *पूंजीगत लेखा पर व्यय* :– वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय (₹24,15,160.26 लाख) गत वर्ष (₹15,27,048.58 लाख) की तुलना में ₹ 8,88,111.68 लाख से बढ़ा । कमी/वृद्धि मुख्यत: निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत थी :–

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
वृद्धि		
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,58,431.29	मुख्यत: अनुदानों को जारी किये जाने के बजाय स्मार्ट सिटीज के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय में दर्ज किये जाने।
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	1,32,978.90	जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना एवं सुदृढीकरण पर व्यय के कारण।
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,15,692.81	केन्द्रीय सडक निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति नही होने के कारण।
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,08,504.70	गत वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण जल प्रदाय परियोजनाओं में कार्यो के अधिक निष्पादन के कारण।
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	94,190.10	गत वर्ष की तुलना में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत अधिक व्यय होने के कारण।
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	76,150.00	गत वर्ष की तुलना में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला परिषदों को अधिक निधियाँ जारी किये जाने के कारण।
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	74,239.44	गत वर्ष की तुलना में विद्युत कम्पनियों में अधिक निवेश के कारण।
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	68,088.05	गत वर्ष की तुलना में एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में अधिक निवेश के कारण ।
5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	64,887.13	राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम में निवेश के कारण ।
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	20,014.57	गत वर्ष की तुलना में सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर अधिक व्यय के कारण।
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	19,930.20	गत वर्ष की तुलना में वानिकी कार्यों पर अधिक व्यय के कारण ।
4810. नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	12,845.73	गत वर्ष की तुलना में ऊर्जा कम्पनियों में निवेश के कारण ।
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	7,334.80	सतही जल की विभिन्न परियोजनाओं पर अधिक व्यय के कारण।
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	6,976.94	राजस्थान पर्यटन विकास निगम तथा राजस्थान राज्य होटल निगम में निवेश के कारण।
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	6,356.73	गत वर्ष की तुलना में पुलिस आधुनिकीकरण पर अधिक व्यय के कारण।
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,621.74	गत वर्ष की तुलना में निर्माण कार्यो पर अधिक व्यय के कारण ।
4415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	3,450.50	राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत अनुदान जारी करने के बजाय विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय दर्ज किये जाने के कारण ।
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,544.67	गत वर्ष की तुलना में गंग नहर परियोजना पर अधिक व्यय के कारण ।
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	762.22	सरकारी आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण ।

विवरण संख्या 16 - *(समाप्त)*

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ –*(समाप्त)*

1. *पूंजीगत लेखा पर व्यय* ***–(समाप्त)***

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
कमी		
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	65,329.57	प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण।
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	6,575.83	गत वर्ष की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण।
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	6,527.07	गत वर्ष की तुलना में राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के तहत कम व्यय के कारण।
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	4,628.33	दिल्ली–मुम्बई इण्डिस्ट्रियल कोरिडोर पर व्यय नहीं होने के कारण ।
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,837.37	गत वर्ष की तुलना में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर कम व्यय के कारण।
4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	2,180.44	गत वर्ष की तुलना में पशु औषधालयों के निर्माण पर कम व्यय के कारण।
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1,143.59	चरवाहों के बच्चों के लिए विद्यालय भवन के कार्यों के कम निष्पादन के कारण।
4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,069.85	विभिन्न जिलों में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के कम निष्पादन के कारण।
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	317.35	आंगन बाड़ी भवन के निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण।

विवरण संख्या 17 –उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (–) ₹ में	निवल वृद्धि (+)/कमी (–) प्रतिशत में	ब्याज अदायगी
			(₹ लाख में)				
ङ लोक ऋण							
6003.राज्य सरकार का आंतरिक ऋण *							
101. बाजार कर्ज							
(02) बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज	5.11	(-) 0.94 (क)	..	4.17	(-) 0.94	18.40	..
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021–2025	57,09,110.00	..	6,00,000.00	51,09,110.00	(-) 6,00,000.00	10.51	4,57,815.84
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026–2030	1,05,33,782.00	1,50,000.00	..	1,06,83,782.00	(+) 1,50,000.00	1.42	8,27,846.05
(07) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2031–2035	14,54,800.00	33,10,000.00	..	47,64,800.00	(+) 33,10,000.00	227.52	1,59,453.50
(08) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2036–2040	2,50,000.00	1,50,000.00	..	4,00,000.00	(+) 1,50,000.00	60.00	24,810.00
(09) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026–2030 (द्वितीय)	22,56,100.00	12,04,900.00	..	34,61,000.00	(+) 12,04,900.00	53.41	1,62,268.46
(10) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021–2025 (द्वितीय)	10,00,000.00	1,00,000.00	..	11,00,000.00	(+) 1,00,000.00	10.00	56,615.00
(11) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2041–2050	5,75,000.00	2,00,000.00	..	7,75,000.00	(+) 2,00,000.00	34.78	46,322.50
(12) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2051–2060	2,25,000.00	..	..	2,25,000.00	..	..	15,262.50
योग – 101	2,20,03,797.11	51,14,899.06	6,00,000.00	2,65,18,696.17	(+) 45,14,899.06	20.52	17,50,393.85
103. भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	1,253.26	..	246.54	1,006.72	(-) 246.54	19.67	90.46
104. भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज	1,791.08	..	387.96	1,403.12	(-) 387.96	21.66	161.28
105. कृषि और ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से कर्ज	8,79,601.63	2,32,064.05	1,86,781.31	9,24,884.37	(+) 45,282.74	5.15	39,370.22
106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध–पत्र	42,97,053.80	..	6,90,574.90	36,06,478.90	(-) 6,90,574.90	16.07	3,53,537.82

* प्रत्येक कर्जों का ब्यौरा इस विवरण के अनुबन्ध में दिया गया है। (क) *ऋण आंकड़े* दावा नहीं किये गये शेषों को राजस्व प्राप्तियों को हस्तान्तरण करने के कारण है।

विवरण संख्या 17 – *(क्रमशः)*

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण–*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (–) ₹ में	प्रतिशत में	ब्याज अदायगी
			(₹ लाख में)				
ङ लोक ऋण–*(क्रमशः)*							
6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण–*(समाप्त)*							
108. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	7,684.59	..	2,555.64	5,128.95	(-) 2,555.64	33.26	873.86
109. अन्य संस्थाओं से कर्ज	63,817.02	1,530.00	7,615.25	57,731.77	(-) 6,085.25	9.54	4,305.99
110. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	..	38,54,241.00	38,54,241.00	..	..	..	2,502.33
111. केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	12,23,879.60	..	1,58,475.95	10,65,403.65	(-) 1,58,475.95	12.95	1,19,141.40
योग - 6003	2,84,78,878.09	92,02,734.11	55,00,878.55	3,21,80,733.65	(+) 37,01,855.56	13.00	22,70,377.21
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम							
01. योजनेत्तर कर्ज							
800. अन्य कर्ज							
(01) पुलिस–पुलिस दल का आधुनिकीकरण	1,429.80	..	253.33	1,176.47	(-) 253.33	17.72	177.92
(02) मल व्ययन और जल प्रदाय–नल जल प्रदाय योजनाएं	55.00	..	55.00	..	(-) 55.00	100.00	..
(03) विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्च शिक्षा– छात्रवृत्तियां	70.15	..	..	70.15	..	..	..
(05) सीमान्त क्षेत्रों में परिचय पत्रों के लिए कर्ज	.. *	..	..	.. *	..	..	..
योग – 800	1,554.95	..	308.33	1,246.62	(-) 308.33	19.83	177.92
योग - 01	1,554.95	..	308.33	1,246.62	(-) 308.33	19.83	177.92

* मात्र ₹ 61 ।

विवरण संख्या 17 – *(क्रमशः)*

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण–*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (–) ₹ में	प्रतिशत में	ब्याज अदायगी
				(₹ लाख में)				
ङ लोक ऋण–*(क्रमशः)*								
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम–*(क्रमशः)*								
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज								
101. एक मुश्त कर्ज								
(01) वर्ष 2006–07 तक आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्ज		52,961.93	..	12,499.57	40,462.36	(-) 12,499.57	23.60	23,318.28
(02) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु कर्ज		74,393.36	..	7,535.64	66,857.72	(-) 7,535.64	10.13	..
	योग- 101	1,27,355.29	..	20,035.21	1,07,320.08	(-) 20,035.21	15.73	23,318.28
105. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य आयोजना कर्ज		97,161.72	..	30,870.26	66,291.46	(-) 30,870.26	31.77	7,287.13
	योग - 105	97,161.72	..	30,870.26	66,291.46	(-) 30,870.26	31.77	7,287.13
	योग - 02	2,24,517.01	..	50,905.47	1,73,611.54	(-) 50,905.47	22.67	30,605.41
04. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज								
284. सामान्य (शहरी विकास) – अन्य उधार		301.71	..	..	301.71	..	..	..
	योग – 284	301.71	..	..	301.71	..	..	..
334. पारेषण और वितरण अन्य उधार		3.56	..	..	3.56	..	..	..
	योग – 334	3.56	..	..	3.56	..	..	..
	योग – 04	305.27	..	..	305.27	..	..	..

विवरण संख्या 17 – *(क्रमशः)*

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण–*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (–) ₹ में	प्रतिशत में	ब्याज अदायगी
			(₹ लाख में)				
ङ लोक ऋण–*(क्रमशः)*							
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम–*(क्रमशः)*							
07. 1984–85 पूर्व के कर्ज							
102. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कर्ज स्कीम							
(01) 1974 से पूर्व की उधार	211.37	..	..	211.37	..	..	..
योग – 102	211.37	..	..	211.37	..	..	..
105. लघु बचत कर्ज	33.59	..	..	33.59	..	..	..
योग – 105	33.59	..	..	33.59	..	..	..
107. 25 वर्ष तथा 30 वर्ष के कर्ज में पुन: समेकित किए गए 1979–80 पूर्व के समेकित कर्ज	296.34	..	..	296.34	..	..	..
योग – 107	296.34	..	..	296.34	..	..	.
योग – 07	541.30	..	..	541.30	..	..	..
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज							
101. एकमुश्त कर्ज							
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017–18 एवं इसके पश्चात के अन्य कर्ज	15,65,696.45	1,37,526.77	60,724.79	16,42,498.43	(+) 76,801.98	4.91	..
(03) पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना	1,00,200.00	69,241.00	..	1,69,441.00	(+) 69,241.00	69.10	..

विवरण संख्या 17 – *(क्रमश:)*

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण–*(क्रमश:)*

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (–) ₹ में	प्रतिशत में	ब्याज अदायगी
			(₹ लाख में)				
ङ लोक ऋण–*(समाप्त)*							
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम–*(समाप्त)*							
*09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज–**(समाप्त)***							
101. एकमुश्त कर्ज–***(समाप्त)***							
(04) जीएसटी क्षतिपूर्ति एवज में ऋण	4,60,400.00	7,26,829.00	..	11,87,229.00	(+) 7,26,829.00	157.87	..
योग – 101	21,26,296.45	9,33,596.77	60,724.79	29,99,168.43	(+) 8,72,871.98	41.05	..
योग – 09	21,26,296.45	9,33,596.77	60,724.79	29,99,168.43	(+) 8,72,871.98	41.05	..
योग – 6004	23,53,214.98	9,33,596.77	1,11,938.59	31,74,873.16	(+) 8,21,658.18	34.92	30,783.33
योग – ङ लोक ऋण	**3,08,32,093.07**	**1,01,36,330.88**	**56,12,817.14**	**3,53,55,606.81**	**(+) 45,23,513.74**	**14.67**	**23,01,160.54**
लोक लेखा *							
झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि							
(ख) राज्य भविष्य निधियां							
8009. राज्य भविष्य निधि	36,70,721.68	6,27,336.63	5,62,609.94	37,35,448.37	(+) 64,726.69	1.76	2,69,113.39
योग–(ख) राज्य भविष्य निधियां	36,70,721.68	6,27,336.63	5,62,609.94	37,35,448.37	(+) 64,726.69	1.76	2,69,113.39

* विस्तृत लेखा विवरण संख्या 21 में दिया गया है ।

विवरण संख्या 17 – *(क्रमशः)*

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण–*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (–) ₹ में	प्रतिशत में	ब्याज अदायगी
			(₹ लाख में)				
लोक लेखा (*क्रमशः*)							
झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि (*समाप्त*)							
(ग) अन्य लेखा							
8011. बीमा तथा पेंशन निधि	19,61,847.49	7,72,732.89	5,91,392.14	21,43,188.24	(+) 1,81,340.75	9.24	1,72,409.23
योग–(ग) अन्य लेखा	19,61,847.49	7,72,732.89	5,91,392.14	21,43,188.24	(+) 1,81,340.75	9.24	1,72,409.23
योग –झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	**56,32,569.17**	**14,00,069.52**	**11,54,002.08**	**58,78,636.61**	**(+) 2,46,067.44**	**4.37**	**4,41,522.62**
ञ. आरक्षित निधि							
(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां							
8115. मूल्य ह्रास /नवीकरण आरक्षित निधि	6,747.59	(-) 6,747.59 (क)	..	..	(-) 6,747.59	100.00	..
8121. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	4,46,115.69	2,31,510.35	3,43,180.61	3,34,445.43	(-) 1,11,670.26	25.03	32,802.78
योग – (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	4,52,863.28	2,24,762.76	3,43,180.61	3,34,445.43	(-) 1,18,417.85	26.15	32,802.78

(क) वर्ष के दौरान दो आरक्षित निधियों को बंद कर दिया गया और पूरी राशि राजस्व प्राप्ति शीर्ष 0075 में स्थानांतरित कर दी गई।

विवरण संख्या 17 – *(क्रमश:)*

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण–*(क्रमश:)*

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (–) ₹ में	प्रतिशत में	ब्याज अदायगी
			(₹ लाख में)				
लोक लेखा–*(क्रमश:)*							
ञ. आरक्षित निधि–*(समाप्त)*							
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां							
8225. सड़क तथा सेतु निधि	5,110.43	2,29,070.00	1,89,470.74	44,709.69	(+) 39,599.26	774.87	..
8229. विकास तथा कल्याण निधि	1,02,199.83	2,02,455.98	1,87,803.94	1,16,851.87	(+) 14,652.04	14.34	..
8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	3,53,729.08	2,54,902.61	4,71,827.97	1,36,803.72	(-) 2,16,925.36	61.33	..
योग – (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधिया	4,61,039.34	6,86,428.59	8,49,102.65	2,98,365.28	(-) 1,62,674.06	35.28	..
योग–ञ. आरक्षित निधि	**9,13,902.62**	**9,11,191.35**	**11,92,283.26**	**6,32,810.71**	**(-) 2,81,091.91**	**30.76**	**32,802.78**
ट. जमा तथा अग्रिम							
(क) ब्याज वाली जमा							
8338. स्थानीय निधियों की जमा	5,53,879.07	1,28,220.53	1,01,381.31	5,80,718.29	(+) 26,839.22	4.85	..
8342. अन्य जमा	5,73,156.53	4,74,934.14	2,83,691.43	7,64,399.24	(+) 1,91,242.71	33.37	..
योग– (क) ब्याज वाली जमा	11,27,035.60	6,03,154.67	3,85,072.74	13,45,117.53	(+) 2,18,081.93	19.35	29,818.39 *

* मुख्य शीर्ष वार ब्याज के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

विवरण संख्या 17 – *(क्रमशः)*

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण–*(समाप्त)*

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (–) ₹ में	निवल वृद्धि (+)/कमी (–) प्रतिशत में	ब्याज अदायगी
			(₹ लाख में)				
लोक लेखा–(समाप्त)							
ट. जमा तथा अग्रिम–*(समाप्त)*							
(ख) बिना ब्याज वाली जमा							
8443. सिविल जमा	19,48,325.59	62,34,231.76	58,23,361.63	23,59,195.72	(+) 4,10,870.13	21.09	..
8448. स्थानीय निधियों की जमा	5,93,107.34	96,63,868.90	95,46,756.74	7,10,219.50	(+) 1,17,112.16	19.75	..
8449. अन्य जमा	2,912.25	51,22,741.84	51,22,733.70	2,920.39	(+) 8.14	0.28	..
योग–(ख) बिना ब्याज वाली जमा	25,44,345.18	2,10,20,842.50	2,04,92,852.07	30,72,335.61	(+) 5,27,990.43	20.75	..
योग – ट. जमा	**36,71,380.78**	**2,16,23,997.17**	**2,08,77,924.81**	**44,17,453.14**	**(+) 7,46,072.36**	**20.32**	**29,818.39**
योग – लोक लेखा	**1,02,17,852.57**	**2,39,35,258.04**	**2,32,24,210.15**	**1,09,28,900.46**	**(+) 7,11,047.89**	**6.96**	**5,04,143.79**
कुल योग	**4,10,49,945.64**	**3,40,71,588.92**	**2,88,37,027.29**	**4,62,84,507.27** @	**(+) 52,34,561.63**	**12.75**	**28,05,304.33**

@ विवरण में दिखाये गये अन्तिम शेष तथा पूर्ण राशि की पूर्णांकन राशि में अन्तर नहीं हैं यद्धपि ''वर्ष के दौरान वृद्धिया तथा वर्ष के दौरान'' चुकारे के अधिन पूर्ण राशि के पूर्णांकन से (+) 0.01 का अन्तर प्रदर्शित हो रहा है।

विवरण संख्या 17 –*(क्रमशः)*

(ख) परिपक्व रूपरेखा, अर्थात् विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में भुगतान योग्य राशि

(i) घरेलू मुद्रा में भुगतान योग्य आंतरिक ऋणों की परिपक्व रूप रेखा

वर्ष	बाजार कर्ज (राजस्थान राज्य विकास ऋण अथवा राजस्थान सरकार स्टॉक)	कर्ज जहाँ से			क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	अर्थोपाय अग्रिम	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	अन्य संस्थाओं से कर्ज	योग
		जीवन बीमा निगम	सामान्य बीमा निगम	नाबार्ड						
					(₹ लाख में)					
2021-22 तक	4.17	..	..	..	..	..	..	..	..	4.17
2022-23	9,04,110.00	..	..	1,81,070.39	6,90,574.90	..	1,58,475.95	..	..	19,34,231.24
2023-24	17,00,000.00	..	..	1,74,340.30	6,90,574.90	..	1,58,475.95	..	..	27,23,391.15
2024-25	18,80,000.00	..	..	1,36,944.15	6,90,574.90	..	1,58,475.95	..	..	28,65,995.00
2025-26	25,80,000.00	..	..	1,42,938.63	6,90,577.90	..	1,36,474.35	..	..	35,49,990.88
2026-27	27,15,278.00	..	..	1,10,036.73	2,75,576.30	..	1,12,458.05	..	..	32,13,349.08
2027-28	27,08,400.00	..	..	86,728.54	27,000.00	..	99,266.00	..	..	29,21,394.54
2028-29	31,05,804.00	..	..	46,412.81	5,41,600.00	..	82,276.35	..	..	37,76,093.16
2029-30	26,14,200.00	..	..	46,412.81	..	..	61,648.80	..	..	27,22,261.61
2030-31	31,00,900.00	..	..	..	..	..	36,434.55	..	..	31,37,334.55
2031-32	32,60,000.00	..	..	..	..	..	18,172.70	..	..	33,78,172.70
2032-33	2,00,000.00	..	..	..	..	..	8,472.15	..	..	2,08,472.15
2033-34	1,50,000.00	..	..	..	..	..	7,948.65	..	..	57,948.65
2034-35	2,00,000.00	..	..	..	..	..	7,632.45	..	..	2,07,632.45

विवरण संख्या 17 –*(क्रमशः)*

(ख) परिपक्व रूपरेखा, अर्थात् विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में भुगतान योग्य राशि –*(क्रमशः)*

(i) घरेलू मुद्रा में भुगतान योग्य आंतरिक ऋणों की परिपक्व रूप रेखा–*(समाप्त)*

वर्ष	बाजार कर्ज (राजस्थान राज्य विकास ऋण अथवा राजस्थान सरकार स्टॉक)	कर्ज जहाँ से			क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	अर्थोपाय अग्रिम	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	अन्य संस्थाओं से कर्ज	योग
		जीवन बीमा निगम	सामान्य बीमा निगम	नाबार्ड						
					(₹ लाख में)					
2035-36	1,00,000.00	..	..	..	..	..	6,911.90	..	..	1,06,911.90
2036-37	1,50,000.00	..	..	..	..	..	4,899.95	..	..	1,54,899.95
2037-38	..	..	..	..	..	..	4,899.95	..	..	4,899.95
2038-39	1,50,000.00	..	..	..	..	..	2,479.95	..	..	1,52,479.95
2040-41	2,25,000.00	..	..	..	..	..	..	..	..	2,25,000.00
2041-42	1,50,000.00	..	..	..	..	..	..	..	..	1,50,000.00
2045-46	1,00,000.00	..	..	..	..	..	..	..	..	1,00,000.00
2046-47	50,000.00	..	..	..	..	..	..	..	..	50,000.00
2050-51	3,75,000.00	..	..	..	..	..	..	..	..	3,75,000.00
2055-56	1,00,000.00	..	..	..	..	..	..	..	..	1,00,000.00
*	..	1,006.72	1,403.12	..	..	..	..	5,128.95	57,731.77	65,270.56
योग	**2,65,18,696.17**	**1,006.72**	**1,403.12**	**9,24,884.36**	**36,06,478.90**	**..**	**10,65,403.65**	**5,128.95**	**57,731.77**	**3,21,80,733.64**

* सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 17 – *(क्रमशः)*

(ख) परिपक्व रूपरेखा, अर्थात् विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में भुगतान योग्य राशि – *(समाप्त)*

(ii) भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम की परिपक्व रूपरेखा

वर्ष	योजनेत्तर कर्ज	संघ/राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	केन्द्रीय रुप से प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	1984-85 से पूर्व के कर्ज	राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज	योग
			(₹ लाख में)				
2022-23	250.24	..	..	..	..	..	250.24
2023-24	247.14	..	..	..	..	..	247.14
2024-25	245.59	..	..	..	..	..	245.59
2025-26	245.59	..	..	..	..	..	245.59
2026-27	154.54	..	..	..	..	..	154.54
2027-28	32.34	..	..	..	..	..	32.34
2028-29	1.03	..	..	..	..	..	1.03
*	70.15	1,73,611.54	..	305.27	541.30	29,99,168.43	31,73,696.69
योग	**1,246.62**	**1,73,611.54**	**..**	305**.27**	**541.30**	**29,99,168.43**	**31,74,873.16**

* सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 17 - *(क्रमश:)*

(ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा

(i) राज्य सरकार का आंतरिक ऋण

ब्याज की दर (*प्रतिशत*)	ब्याज वाले बाजार कर्ज	क्षतिपूर्ति तथा अन्य बंध पत्र	भारत सरकार की राष्ट्रीय अल्पबचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	जीवन बीमा निगम	सामान्य बीमा निगम	नाबार्ड	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	अन्य	योग	योग में हिस्सा
				31 मार्च 2022 को बकाया राशि						
				(₹ लाख में)						
02.00 से 02.99	..	..	..	..	..	4,23,497.72	..	..	4,23,497.72	1.32
03.00 से 03.99	..	..	..	..	..	68,970.38	..	..	68,970.38	0.22
04.00 से 04.99	1,50,000.00	..	..	..	..	2,59,807.22	..	..	4,09,807.22	1.27
05.00 से 05.99	11,60,000.00	..	..	..	..	1,64,708.92	..	..	13,24,708.92	4.12
06.00 से 06.99	82,43,000.00	11,111.00	..	..	..	7,900.13	..	..	82,62,011.13	25.67
07.00 से 07.99	80,56,728.00	75,826.90	..	..	..	..	..	..	81,32,554.90	25.27
08.00 से 08.99	79,78,964.00	30,85,541.00	..	..	..	..	..	..	1,10,64,505.00	34.38
09.00 से 09.99	9,30,000.00	1,34,000.00	..	..	..	..	..	..	10,64,000.00	3.31
10.00 से 10.99	..	3,00,000.00	..	..	..	..	..	..	3,00,000.00	0.93
*	..	..	10,65,403.65	1,006.72	1,403.12	..	5,128.95	57,731.77	11,30,674.21	3.51
योग	**2,65,18,692.00** #	**36,06,478.90**	**10,65,403.65**	**1,006.72**	**1,403.12**	**9,24,884.37**	**5,128.95**	**57,731.77**	**3,21,80,729.48** #	**100.00**

* ब्याज की दर से सम्बन्धित सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

इसमें बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज से सम्बन्धित ₹ 4.17 लाख सम्मिलित नहीं है {शीर्ष 6003-101(02)}।

विवरण संख्या 17 – *(समाप्त)*

(ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा – *(समाप्त)*

(ii) भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

ब्याज की दर (*प्रतिशत*)	31 मार्च 2022 को बकाया राशि भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	योग में हिस्सा
	(₹ लाख में)	
9 से 9.99	1,73,611.53	5.47
12 से 12.99	1,246.62	0.04
*	30,00,015.01	94.49
योग	**31,74,873.16**	**100.00**

* ब्याज की दर से सम्बन्धित सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां		वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)			
ङ. लोक ऋण						
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण						
101. बाजार कर्ज						
(02) बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज						
कालातीत ऋण:						
[25] 11.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2001	01.09.1986	0.94	(-) 0.94	(क)	..	..
[26] 11.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2002	17.08.1987	1.00	..		..	1.00
[27] 13.50% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2003	15.07.1993	0.50	..		..	0.50
[28] 12.50% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2004	25.04.1994	0.20	..		..	0.20
[29] 14.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2005	22.05.1995	1.00	..		..	1.00
[30] 13.85% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2006	15.05.1996	0.60	..		..	0.60
[32] 13.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2007	20.07.1992	0.82	..		..	0.82
[37] 11.50% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2009	21.04.1999	0.05	..		..	0.05
	योग –(02)	5.11	(-) 0.94		..	4.17
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025						
[03] 8.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	21.09.2011	50,000.00	..		50,000.00	..
[04] 8.85% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	05.10.2011	50,000.00	..		50,000.00	..
[05] 9.06% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	12.10.2011	50,000.00	..		50,000.00	..
[06] 9.20% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	09.11.2011	50,000.00	..		50,000.00	..
[07] 9.02% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	07.12.2011	50,000.00	..		50,000.00	..

(क) *ऋण* आंकड़े दावा नहीं किये गये शेषों को राजस्व प्राप्तियों को हस्तान्तरण के कारण हैं।

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ.	**लोक ऋण –*(क्रमशः)***				
6003.	**राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –*(क्रमशः)***				
101.	बाजार कर्ज –*(क्रमशः)*				
(05)	ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025 –*(क्रमशः)*				
[08]	9.23% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	24.11.2011	38,300.00	..	38,300.00	..
[09]	8.88% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	21.12.2011	50,000.00	..	50,000.00	..
[10]	8.74% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	11.01.2012	61,700.00	..	61,700.00	..
[11]	9.24% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	30.03.2012	50,000.00	..	50,000.00	..
[12]	9.12% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	23.05.2012	50,000.00	..	..	50,000.00
[13]	8.87% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	06.06.2012	50,000.00	..	..	50,000.00
[14]	8.89% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	04.07.2012	50,000.00	..	..	50,000.00
[15]	8.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (प्रथम श्रृंखला)	18.07.2012	50,000.00	..	..	50,000.00
[16]	8.92% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (प्रथम श्रृंखला)	08.08.2012	50,000.00	..	..	50,000.00
[17]	8.92% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (द्वितीय श्रृंखला)	22.08.2012	50,000.00	..	..	50,000.00
[18]	8.91% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	05.09.2012	50,000.00	..	..	50,000.00
[19]	8.90% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (प्रथम श्रृंखला)	19.09.2012	50,000.00	..	..	50,000.00
[20]	8.85% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	03.10.2012	50,000.00	..	..	50,000.00
[21]	8.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (द्वितीय श्रृंखला)	17.10.2012	50,000.00	..	..	50,000.00
[22]	8.92% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (तृतीय श्रृंखला)	21.11.2012	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण –*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –*(क्रमशः)*					
101. बाजार कर्ज –*(क्रमशः)*					
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025 –*(क्रमशः)*					
[23] 8.90% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (द्वितीय श्रृंखला)	19.12.2012	50,000.00	..	..	50,000.00
[24] 8.56% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	23.01.2013	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[25] 8.52% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	20.03.2013	54,110.00	..	..	54,110.00
[26] 8.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	08.05.2013	50,000.00	..	..	50,000.00
[27] 7.58% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	22.05.2013	50,000.00	..	..	50,000.00
[28] 7.63% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	05.06.2013	50,000.00	..	..	50,000.00
[29] 7.74% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	19.06.2013	50,000.00	..	..	50,000.00
[30] 7.94% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	03.07.2013	50,000.00	..	..	50,000.00
[31] 9.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	01.08.2013	50,000.00	..	..	50,000.00
[32] 9.82% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	14.08.2013	50,000.00	..	..	50,000.00
[33] 9.70% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (प्रथम श्रृंखला)	28.08.2013	50,000.00	..	..	50,000.00
[34] 9.52% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	11.09.2013	50,000.00	..	..	50,000.00
[35] 9.70% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (द्वितीय श्रृंखला)	25.09.2013	50,000.00	..	..	50,000.00
[36] 9.25% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (प्रथम श्रृंखला)	09.10.2013	50,000.00	..	..	50,000.00
[37] 9.25% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (द्वितीय श्रृंखला)	23.10.2013	50,000.00	..	..	50,000.00
[38] 9.33% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (प्रथम श्रृंखला)	06.11.2013	50,000.00	..	..	50,000.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण –*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –*(क्रमशः)*					
101. बाजार कर्ज –*(क्रमशः)*					
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025 –*(क्रमशः)*					
[39] 9.40% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	20.11.2013	50,000.00	..	..	50,000.00
[40] 9.33% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (द्वितीय श्रृंखला)	04.12.2013	50,000.00	..	..	50,000.00
[41] 9.50% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	18.12.2013	50,000.00	..	..	50,000.00
[42] 9.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	26.03.2014	80,000.00	..	..	80,000.00
[43] 9.63% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	10.04.2014	50,000.00	..	..	50,000.00
[44] 9.38% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	23.04.2014	50,000.00	..	..	50,000.00
[45] 9.21% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	15.05.2014	50,000.00	..	..	50,000.00
[46] 9.11% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	28.05.2014	50,000.00	..	..	50,000.00
[47] 8.79% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	11.06.2014	50,000.00	..	..	50,000.00
[48] 8.97% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	25.06.2014	50,000.00	..	..	50,000.00
[49] 8.96% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	09.07.2014	50,000.00	..	..	50,000.00
[50] 8.94% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 (प्रथम श्रृंखला)	23.07.2014	50,000.00	..	..	50,000.00
[51] 9.03% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	13.08.2014	50,000.00	..	..	50,000.00
[52] 8.94% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 (द्वितीय श्रृंखला)	27.08.2014	50,000.00	..	..	50,000.00
[53] 8.99% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	10.09.2014	50,000.00	..	..	50,000.00
[54] 8.90% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	24.09.2014	50,000.00	..	..	50,000.00
[55] 8.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	16.10.2014	50,000.00	..	..	50,000.00
[56] 8.71% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	29.10.2014	50,000.00	..	..	50,000.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण –*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –*(क्रमशः)*					
101. बाजार कर्ज –*(क्रमशः)*					
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025 –*(क्रमशः)*					
[57] 8.42% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	12.11.2014	50,000.00	..	..	50,000.00
[58] 8.43% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	26.11.2014	50,000.00	..	..	50,000.00
[59] 8.16% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	10.12.2014	50,000.00	..	..	50,000.00
[60] 8.24% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	24.12.2014	50,000.00	..	..	50,000.00
[61] 8.12% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	14.01.2015	50,000.00	..	..	50,000.00
[62] 8.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (प्रथम श्रृंखला)	28.01.2015	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[63] 8.06% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	11.02.2015	75,000.00	..	..	75,000.00
[64] 8.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (द्वितीय श्रृंखला)	25.02.2015	75,000.00	..	..	75,000.00
[65] 8.02% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	25.03.2015	30,000.00	..	..	30,000.00
[66] 8.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (तृतीय श्रृंखला)	15.04.2015	50,000.00	..	..	50,000.00
[67] 8.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (चतुर्थ श्रृंखला)	29.04.2015	50,000.00	..	..	50,000.00
[68] 8.29% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (प्रथम श्रृंखला)	13.05.2015	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[69] 8.23% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (प्रथम श्रृंखला)	10.06.2015	50,000.00	..	..	50,000.00
[70] 8.20% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	24.06.2015	50,000.00	..	..	50,000.00
[71] 8.29% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (द्वितीय श्रृंखला)	29.07.2015	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण –*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –*(क्रमशः)*					
101. बाजार कर्ज –*(क्रमशः)*					
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025 –*(क्रमशः)*					
[72] 8.23% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (द्वितीय श्रृंखला)	09.09.2015	50,000.00	..	..	50,000.00
[73] 7.95% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	14.10.2015	75,000.00	..	..	75,000.00
[74] 7.99% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	28.10.2015	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[75] 8.14% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	13.11.2015	1,50,000.00	..	..	1,50,000.00
[76] 8.16% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	26.11.2015	75,000.00	..	..	75,000.00
[77] 8.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	23.05.2018	50,000.00	..	50,000.00	..
[78] 8.33% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	20.06.2018	1,00,000.00	..	1,00,000.00	..
[79] 6.92% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	04.09.2019	50,000.00	..	..	50,000.00
[80] 6.89% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	11.09.2019	50,000.00	..	..	50,000.00
[81] 6.82% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	18.09.2019	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[82] 6.64% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	25.09.2019	50,000.00	..	..	50,000.00
[83] 6.88% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	25.09.2019	50,000.00	..	..	50,000.00
[84] 6.83% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	25.09.2019	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[85] 7.00% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	25.09.2019	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[86] 6.56% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	30.10.2019	70,000.00	..	..	70,000.00
[87] 6.25% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	06.11.2019	50,000.00	..	..	50,000.00
[88] 6.78% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	13.11.2019	50,000.00	..	..	50,000.00
[89] 6.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	13.11.2019	25,000.00	..	..	25,000.00
[90] 6.87% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	27.11.2019	50,000.00	..	..	50,000.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण –*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –*(क्रमशः)*					
101. बाजार कर्ज –*(क्रमशः)*					
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025 –*(समाप्त)*					
[91] 6.80% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	01.01.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[92] 6.70% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	29.01.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[93] 6.64% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	05.02.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[94] 6.16% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	04.03.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[95] 6.03% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	11.03.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[96] 6.30% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	08.04.2020	1,50,000.00	..	..	1,50,000.00
[97] 5.38% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	27.05.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[98] 5.80% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	27.05.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
	योग –(05)	57,09,110.00	..	6,00,000.00	51,09,110.00
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030					
[01] 8.30% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	13.01.2016	2,00,000.00	..	..	2,00,000.00
[02] 8.38% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	27.01.2016	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[03] 8.48% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	10.02.2016	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[04] 8.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	24.02.2016	80,000.00	..	..	80,000.00
[05] 8.55% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	09.03.2016	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[06] 8.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	23.03.2016	1,50,000.00	..	..	1,50,000.00
[07] 7.98% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	20.04.2016	75,000.00	..	..	75,000.00
[08] 8.00% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	25.05.2016 07.08.2019	1,25,000.00	..	..	1,25,000.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध–*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण–*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–*(क्रमशः)*					
101. बाजार कर्ज–*(क्रमशः)*					
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030–*(क्रमशः)*					
[09] 8.07% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	15.06.2016	1,50,000.00	..	..	1,50,000.00
[10] 7.58% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	09.08.2016	50,000.00	50,000.00	..	1,00,000.00
[11] 7.57% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	24.08.2016	50,000.00	..	..	50,000.00
[12] 7.38% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	14.09.2016	2,00,000.00	..	..	2,00,000.00
[13] 7.17% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	28.09.2016	90,000.00	..	..	90,000.00
[14] 7.21% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	26.10.2016	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[15] 7.37% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	09.11.2016	50,000.00	..	..	50,000.00
[16] 6.82% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	23.11.2016	50,000.00	..	..	50,000.00
[17] 6.85% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	30.11.2016	50,000.00	..	..	50,000.00
[18] 7.06% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	14.12.2016	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[19] 7.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	11.01.2017	50,000.00	..	..	50,000.00
[20] 7.59% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	15.02.2017	50,000.00	..	..	50,000.00
[21] 7.73% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	01.03.2017	2,00,000.00	..	..	2,00,000.00
[22] 7.85% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	15.03.2017	2,00,000.00	..	..	2,00,000.00
[23] 7.61% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	29.03.2017	65,378.00	..	..	65,378.00
[24] 7.23% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	14.06.2017	2,00,000.00	..	..	2,00,000.00
[25] 7.22% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	28.06.2017	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[26] 7.51% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	24.05.2017	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[27] 7.40% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	13.09.2017	2,00,000.00	..	..	2,00,000.00
[28] 7.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	27.09.2017	2,50,000.00	..	..	2,50,000.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध–*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण–*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–*(क्रमशः)*					
101. बाजार कर्ज–*(क्रमशः)*					
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030–*(क्रमशः)*					
[29] 7.55% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	11.10.2017	50,000.00	..	..	50,000.00
[30] 7.64% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	01.11.2017	2,00,000.00	..	..	2,00,000.00
[31] 7.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027 (प्रथम श्रृंखला)	29.11.2017	50,000.00	1,00,000.00	..	1,50,000.00
[32] 7.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027 (द्वितीय श्रृंखला)	06.12.2017	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[33] 7.86% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	27.12.2017	2,00,000.00	..	..	2,00,000.00
[34] 7.88% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	24.01.2018	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[35] 8.07% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	31.01.2018	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[36] 8.28% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028 (प्रथम श्रृंखला)	21.02.2018	1,50,000.00	..	..	1,50,000.00
[37] 8.33% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	28.02.2018	1,50,000.00	..	..	1,50,000.00
[38] 8.13% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	27.03.2018	41,400.00	..	..	41,400.00
[39] 8.28% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028 (द्वितीय श्रृंखला)	14.03.2018	2,00,000.00	..	..	2,00,000.00
[40] 8.44% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	07.03.2018	2,00,000.00	..	..	2,00,000.00
[41] 7.98% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	11.04.2018	1,50,000.00	..	..	1,50,000.00
[42] 8.16% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	09.05.2018	1,50,000.00	..	..	1,50,000.00
[43] 8.40% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	05.06.2018	1,02,960.00	..	..	1,02,960.00
[44] 8.44% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	20.06.2018	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[45] 8.40% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	27.06.2018	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध–*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण–*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–*(क्रमशः)*					
101. बाजार कर्ज–*(क्रमशः)*					
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030–*(क्रमशः)*					
[46] 8.44% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	25.07.2018	50,000.00	..	..	50,000.00
[47] 8.54% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	04.07.2018	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[48] 8.57% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	11.07.2018	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[49] 8.43% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	07.08.2018	2,00,000.00	..	..	2,00,000.00
[50] 8.49% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	20.08.2018	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[51] 8.53% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	28.08.2018	50,000.00	..	..	50,000.00
[52] 8.63% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	03.09.2018	2,00,000.00	..	..	2,00,000.00
[53] 8.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	12.09.2018	2,00,000.00	..	..	2,00,000.00
[54] 8.76% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	26.09.2018	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[55] 8.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	03.10.2018	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[56] 8.57% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	31.10.2018	50,000.00	..	..	50,000.00
[57] 8.60% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	06.11.2018	2,00,000.00	..	..	2,00,000.00
[58] 8.55% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	20.11.2018	70,000.00	..	..	70,000.00
[59] 8.38% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	05.12.2018	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[60] 8.36% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	12.12.2018	50,000.00	..	..	50,000.00
[61] 8.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	26.12.2018	87,000.00	..	..	87,000.00
[62] 8.27% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	02.01.2019	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[63] 8.17% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	30.01.2019	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[64] 8.32% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	06.02.2019	1,25,600.00	..	..	1,25,600.00
[65] 8.44% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	27.02.2019	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध–*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण–*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–*(क्रमशः)*					
101. बाजार कर्ज–*(क्रमशः)*					
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030–*(क्रमशः)*					
[66] 8.41% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	06.03.2019	50,000.00	..	..	50,000.00
[67] 8.40% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	13.03.2019	1,82,244.00	..	..	1,82,244.00
[68] 8.12% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	10.04.2019	2,00,000.00	..	..	2,00,000.00
[69] 8.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	16.04.2019	2,00,000.00	..	..	2,00,000.00
[70] 8.07% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	08.05.2019	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[71] 8.01% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	27.07.2019	88,650.00	..	..	88,650.00
[72] 7.59% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	04.06.2019	1,50,000.00	..	..	1,50,000.00
[73] 7.61% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	12.06.2019	49,500.00	..	..	49,500.00
[74] 7.31% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	26.06.2019	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[75] 7.28% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	03.07.2019	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[76] 7.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	31.07.2019	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[77] 7.08% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	28.08.2019	1,50,000.00	..	..	1,50,000.00
[78] 7.13% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	04.09.2019	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[79] 7.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	09.10.2019	50,000.00	..	..	50,000.00
[80] 7.16% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	16.10.2019	50,000.00	..	..	50,000.00
[81] 7.18% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	04.12.2019	50,000.00	..	..	50,000.00
[82] 7.27% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	11.12.2019	50,000.00	..	..	50,000.00
[83] 7.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	01.01.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[84] 7.17% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	08.01.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[85] 7.27% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	15.01.2020	50,000.00	..	..	50,000.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध–*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण–*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–*(क्रमशः)*					
101. बाजार कर्ज–*(क्रमशः)*					
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030–*(समाप्त)*					
[86] 7.18% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	29.01.2020	25,000.00	..	..	25,000.00
[87] 7.14% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	05.02.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[88] 7.03% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	12.02.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[89] 6.97% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	26.02.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[90] 7.04% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	04.03.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[91] 6.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	11.03.2020	1,50,000.00	..	..	1,50,000.00
[92] 7.08% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	18.03.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[93] 7.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	24.03.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[94] 7.30% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	31.03.2020	51,050.00	..	..	51,050.00
[95] 7.90% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	08.04.2020	58,000.00	..	..	58,000.00
[96] 8.31% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	08.04.2020	67,000.00	..	..	67,000.00
[97] 6.71% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	06.05.2020	1,50,000.00	..	..	1,50,000.00
[98] 6.78% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	13.05.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
	योग -(06)	1,05,33,782.00	1,50,000.00	..	1,06,83,782.00
(07) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2031-2035					
[01] 7.22% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	26.07.2017	50,000.00	..	..	50,000.00
[02] 7.23% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	09.08.2017	50,000.00	..	..	50,000.00
[03] 7.31% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	26.06.2019	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ.	**लोक ऋण–*(क्रमशः)***				
6003.	**राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–*(क्रमशः)***				
101.	बाजार कर्ज–*(क्रमशः)*				
(07)	ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2031-2035–*(क्रमशः)*				
[04]	7.32% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2034	26.06.2019	2,00,000.00	..	..	2,00,000.00
[05]	7.88% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	31.03.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[06]	6.59% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	06.01.2021	60,000.00	..	..	60,000.00
[07]	6.61% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031 (प्रथम श्रृंखला)	13.01.2021	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[08]	6.61% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031 (द्वितीय श्रृंखला)	27.01.2021	50,000.00	..	..	50,000.00
[09]	6.85% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031 (द्वितीय श्रृंखला)	03.02.2021	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[10]	6.95% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031 (द्वितीय श्रृंखला)	10.02.2021	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[11]	7.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031 (द्वितीय श्रृंखला)	17.02.2021	1,50,000.00	..	..	1,50,000.00
[12]	7.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031 (प्रथम श्रृंखला)	03.03.2021	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[13]	7.13% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	10.03.2021	1,31,000.00	..	..	1,31,000.00
[14]	7.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031 (द्वितीय श्रृंखला)	17.03.2021	1,63,800.00	..	..	1,63,800.00
[15]	6.75% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	09.04.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[16]	6.78% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	16.04.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[17]	6.82% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	20.04.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[18]	6.78% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	05.05.2021	..	1,50,000.00	..	1,50,000.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध–*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष		वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
				(₹ लाख में)		
ङ.	**लोक ऋण–*(क्रमशः)***					
6003.	**राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–*(क्रमशः)***					
101.	बाजार कर्ज–*(क्रमशः)*					
(07)	ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2031-2035–*(क्रमशः)*					
[19]	6.77% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	12.05.2021	..	50,000.00	..	50,000.00
[20]	6.76% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	25.05.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[21]	6.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031 (प्रथम श्रृंखला)	02.06.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[22]	6.80% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	09.06.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[23]	6.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031 (द्वितीय श्रृंखला)	16.06.2021	..	75,000.00	..	75,000.00
[24]	6.90% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	23.06.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[25]	6.91% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	30.06.2021	..	50,000.00	..	50,000.00
[26]	6.97% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	07.07.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[27]	7.00% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	14.07.2021	..	60,000.00	..	60,000.00
[28]	6.91% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	01.09.2021	..	1,50,000.00	..	1,50,000.00
[29]	6.87% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	08.09.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[30]	6.77% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	22.09.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[31]	6.94% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2033	29.09.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[32]	6.91% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	06.10.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[33]	6.98% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	13.10.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[34]	6.96% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	27.10.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[35]	6.98% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	02.11.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[36]	6.92% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	10.11.2021	..	50,000.00	..	50,000.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण –*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –*(क्रमशः)*					
101. बाजार कर्ज –*(क्रमशः)*					
(07) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2031-2035 –*(समाप्त)*					
[37] 6.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	01.12.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[38] 7.03% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	29.12.2021	..	1,50,000.00	..	1,50,000.00
[39] 7.14% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	12.01.2022	..	1,50,000.00	..	1,50,000.00
[40] 7.24% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	25.01.2022	..	1,50,000.00	..	1,50,000.00
[41] 7.21% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	02.02.2022	..	75,000.00	..	75,000.00
[42] 7.24% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	09.02.2022	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[43] 7.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	16.02.2022	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[44] 7.17% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	02.03.2022	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[45] 7.22% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	16.03.2022	..	50,000.00	..	50,000.00
[46] 7.24% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	23.03.2022	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[47] 7.37% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2034	23.03.2022	..	50,000.00	..	50,000.00
[48] 7.29% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	30.03.2022	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
	योग -(07)	14,54,800.00	33,10,000.00	..	47,64,800.00
(08) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2036-2040					
[01] 8.25% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2038	23.05.2018	50,000.00	..	..	50,000.00
[02] 8.28% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2038	05.06.2018	50,000.00	..	..	50,000.00
[03] 8.35% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2038	27.06.2018	50,000.00	..	..	50,000.00
[04] 7.03% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2036	17.02.2021	50,000.00	..	..	50,000.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध–*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण–*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–*(क्रमशः)*					
101. बाजार कर्ज–*(क्रमशः)*					
(08) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2036-2040–*(समाप्त)*					
[05] 7.24% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2036	03.03.2021	50,000.00	..	..	50,000.00
[06] 7.04% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2036	23.06.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[07] 6.86% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2036	22.09.2021	..	50,000.00	..	50,000.00
	योग -(08)	2,50,000.00	1,50,000.00	..	4,00,000.00
(09) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030-द्वितीय					
[01] 6.49% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	27.05.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[02] 6.58% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	03.06.2020	75,000.00	..	..	75,000.00
[03] 6.57% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	10.06.2020	1,50,000.00	..	..	1,50,000.00
[04] 6.54% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	17.06.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[05] 6.59% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	24.06.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[06] 6.55% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	01.07.2020	75,000.00	..	..	75,000.00
[07] 6.20% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	29.07.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[08] 6.46% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	12.08.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[09] 6.50% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	19.08.2020	70,000.00	..	..	70,000.00
[10] 6.64% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	26.08.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[11] 6.46% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	02.09.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[12] 6.60% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	09.09.2020	75,000.00	..	..	75,000.00
[13] 6.67% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	16.09.2020	75,000.00	..	..	75,000.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध–*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण–*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–*(क्रमशः)*					
101. बाजार कर्ज–*(क्रमशः)*					
(09) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030-द्वितीय–*(क्रमशः)*					
[14] 6.72% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	23.09.2020	75,000.00	..	..	75,000.00
[15] 6.85% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	30.09.2020	25,000.00	..	..	25,000.00
[16] 6.92% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	07.10.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[17] 6.60% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	14.10.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[18] 6.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	28.10.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[19] 6.10% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	28.10.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[20] 6.75% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	04.11.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[21] 6.61% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	11.11.2020	76,100.00	..	..	76,100.00
[22] 6.54% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	18.11.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[23] 6.59% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	25.11.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[24] 6.62% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	02.12.2020	1,50,000.00	..	..	1,50,000.00
[25] 6.60% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	09.12.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[26] 6.60% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	30.12.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[27] 5.82% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	06.01.2021	60,000.00	..	..	60,000.00
[28] 6.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	03.02.2021	50,000.00	..	..	50,000.00
[29] 6.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	10.02.2021	50,000.00	..	..	50,000.00
[30] 6.13% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	12.05.2021	..	50,000.00	..	50,000.00
[31] 6.10% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	25.05.2021	..	50,000.00	..	50,000.00
[32] 6.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	16.06.2021	..	75,000.00	..	75,000.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध–*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण–*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–*(क्रमशः)*					
101. बाजार कर्ज–*(क्रमशः)*					
(09) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030-द्वितीय–*(समाप्त)*					
[33] 6.24% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	30.06.2021	..	50,000.00	..	50,000.00
[34] 6.29% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	14.07.2021	..	50,000.00	..	50,000.00
[35] 6.27% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	20.07.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[36] 6.23% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	22.09.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[37] 6.01% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	06.10.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[38] 6.34% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	27.10.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[39] 6.07% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	01.12.2021	..	50,000.00	..	50,000.00
[40] 6.29% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	29.12.2021	..	66,900.00	..	66,900.00
[41] 6.43% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	19.01.2022	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[42] 6.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	25.01.2022	..	50,000.00	..	50,000.00
[43] 6.20% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	02.02.2022	..	75,000.00	..	75,000.00
[44] 6.48% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	02.03.2022	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
[45] 7.13% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	30.03.2022	..	88,000.00	..	88,000.00
	योग -(09)	22,56,100.00	12,04,900.00	..	34,61,000.00
(10) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025- द्वितीय					
[01] 5.47% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	03.06.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[02] 5.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	03.06.2020	75,000.00	..	..	75,000.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण –*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –*(क्रमशः)*					
101. बाजार कर्ज –*(क्रमशः)*					
(10) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025- द्वितीय –*(समाप्त)*					
[03] 5.75% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	10.06.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[04] 4.89% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	17.06.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[05] 4.49% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	08.07.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[06] 4.54% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	29.07.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[07] 5.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	29.07.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[08] 5.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	08.07.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[09] 5.49% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	05.08.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[10] 5.39% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	12.08.2020	25,000.00	..	..	25,000.00
[11] 5.89% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	26.08.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[12] 5.30% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	30.09.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[13] 5.60% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	07.10.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[14] 5.35% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	16.12.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[15] 5.32% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	30.12.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[16] 5.39% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	27.01.2021	50,000.00	..	..	50,000.00
[17] 5.42% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	10.03.2021	50,000.00	..	..	50,000.00
[18] 5.93% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	10.03.2021	50,000.00	..	..	50,000.00
[19] 5.94% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	09.04.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
	योग -(10)	10,00,000.00	1,00,000.00	..	11,00,000.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण –*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –*(क्रमशः)*					
101. बाजार कर्ज –*(क्रमशः)*					
(11) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2041-2050					
[01] 6.70% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2050	24.06.2020	75,000.00	..	..	75,000.00
[02] 6.67% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2050	01.07.2020	75,000.00	..	..	75,000.00
[03] 6.55% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2050	15.07.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[04] 6.50% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2050	05.08.2020	50,000.00	..	..	50,000.00
[05] 6.62% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2041	27.01.2021	50,000.00	..	..	50,000.00
[06] 6.88% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2046	03.02.2021	50,000.00	..	..	50,000.00
[07] 6.96% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2041	10.02.2021	75,000.00	..	..	75,000.00
[08] 6.99% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2041	17.02.2021	50,000.00	..	..	50,000.00
[09] 7.22% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2041	24.02.2021	50,000.00	..	..	50,000.00
[10] 7.20% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2046	03.03.2021	50,000.00	..	..	50,000.00
[11] 7.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2041	02.06.2021	..	50,000.00	..	50,000.00
[12] 7.07% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2046	09.06.2021	..	50,000.00	..	50,000.00
[13] 7.13% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2041	30.06.2021	..	1,00,000.00	..	1,00,000.00
	योग -(11)	5,75,000.00	2,00,000.00	..	7,75,000.00
(12) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2051-2060					
[01] 6.55% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2055	15.07.2020	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[02] 6.97% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2051 (प्रथम श्रृंखला)	10.02.2021	75,000.00	..	..	75,000.00

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण–*(क्रमश:)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–*(क्रमश:)*					
101. बाजार कर्ज–***(समाप्त)***					
(12) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2051-2060–***(समाप्त)***					
[03] 6.97% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2051 (द्वितीय श्रृंखला)	17.02.2021	50,000.00	..	..	50,000.00
	योग -(12)	2,25,000.00	..	..	2,25,000.00
	योग -101	2,20,03,797.11	51,14,899.06	6,00,000.00	2,65,18,696.17
103. भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज		1,253.26	..	246.54	1,006.72
	योग –103	1,253.26	..	246.54	1,006.72
104. भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज		1,791.08	..	387.96	1,403.12
	योग –104	1,791.08	..	387.96	1,403.12
105. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज					
(02) ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत उधार		8,79,601.63	2,32,064.05	1,86,781.31	9,24,884.37
	योग –105	8,79,601.63	2,32,064.05	1,86,781.31	9,24,884.37

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध–*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण–*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–*(क्रमशः)*					
106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध–पत्र					
(03) विद्युत् वितरण निगम से बन्ध पत्रों का क्रय					
[01] 10.03% विशेष बॉण्डस, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2014	3,00,000.00	..	..	3,00,000.00
[02] 9.99% राजस्थान सरकार विशेष बॉण्डस, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2014	34,000.00	..	..	34,000.00
[03] 9.16% राजस्थान सरकार विशेष बॉण्डस, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित)	17.10.2014	1,00,000.00	..	..	1,00,000.00
[04] 8.45% राजस्थान सरकार विशेष बॉण्डस, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित)	15.01.2015	80,600.00	..	..	80,600.00
	योग -(03)	5,14,600.00	..	..	5,14,600.00
(04) उदय योजनान्तर्गत बॉण्ड्स का अधिग्रहण एवं नॉन एस.एल.आर. बॉण्ड्स का निर्गमन					
[03] 8.55% विशेष बॉण्डस, 2021 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	27,000.00	..	27,000.00	..
[04] 8.55% विशेष बॉण्डस, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	27,000.00	..	..	27,000.00
[05] 8.54% विशेष बॉण्डस, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	27,000.00	..	..	27,000.00
[06] 8.45% विशेष बॉण्डस, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	27,000.00	..	..	27,000.00
[07] 8.55% विशेष बॉण्डस, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	27,000.00	..	..	27,000.00
[08] 8.49% विशेष बॉण्डस, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	27,000.00	..	..	27,000.00
[09] 8.57% विशेष बॉण्डस, 2027 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	27,000.00	..	..	27,000.00
[10] 8.41% विशेष बॉण्डस, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	27,000.00	..	..	27,000.00
[15] 8.39% विशेष बॉण्डस, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	3,16,165.00	..	3,16,165.00	..

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध–*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण–*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–*(क्रमशः)*					
106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध–पत्र–*(क्रमशः)*					
(04) उदय योजनान्तर्गत बॉण्ड्स का अधिग्रहण एवं नॉन एस.एल.आर. बॉण्ड्स का निर्गमन–*(क्रमशः)*					
[16] 8.39% विशेष बॉण्डस, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	3,16,165.00	..	..	3,16,165.00
[17] 8.39% विशेष बॉण्डस, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	3,16,165.00	..	..	3,16,165.00
[18] 8.39% विशेष बॉण्डस, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	3,16,165.00	..	..	3,16,165.00
[19] 8.39% विशेष बॉण्डस, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	3,16,165.00	..	..	3,16,165.00
[24] 8.21% विशेष बॉण्डस, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	98,829.50	..	98,829.50	..
[25] 8.21% विशेष बॉण्डस, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	98,829.50	..	..	98,829.50
[26] 8.21% विशेष बॉण्डस, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	98,829.50	..	..	98,829.50
[27] 8.21% विशेष बॉण्डस, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	98,829.50	..	..	98,829.50
[28] 8.21% विशेष बॉण्डस, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	98,832.50	..	..	98,832.50
[32] 8.15% विशेष बॉण्डस, 2021 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	2,31,193.00	..	2,31,193.00	..
[33] 8.27% विशेष बॉण्डस, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	2,31,193.00	..	..	2,31,193.00
[34] 8.27% विशेष बॉण्डस, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	2,31,193.00	..	..	2,31,193.00
[35] 8.29% विशेष बॉण्डस, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	2,31,193.00	..	..	2,31,193.00
[36] 8.33% विशेष बॉण्डस, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	2,31,193.00	..	..	2,31,193.00
[37] 8.19% विशेष बॉण्डस, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	2,31,188.00	..	..	2,31,188.00
[44] 7.01% विशेष बॉण्डस, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	11,111.00	..	11,111.00	..
[45] 7.11% विशेष बॉण्डस, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	6,276.40	..	6,276.40	..
[46] 7.02% विशेष बॉण्डस, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	11,111.00	..	..	11,111.00
[47] 7.12% विशेष बॉण्डस, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	6,276.40	..	..	6,276.40

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –*(क्रमशः)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण –*(क्रमशः)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –*(क्रमशः)*					
106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध–पत्र –***(समाप्त)***					
(04) उदय योजनान्तर्गत बॉण्ड्स का अधिग्रहण एवं नॉन एस.एल.आर. बॉण्ड्स का निर्गमन –***(समाप्त)***					
[48] 7.15% विशेष बॉण्डस, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	11,111.00	..	..	11,111.00
[49] 7.25% विशेष बॉण्डस, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	6,276.40	..	..	6,276.40
[50] 7.29% विशेष बॉण्डस, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	11,111.00	..	..	11,111.00
[51] 7.39% विशेष बॉण्डस, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	6,276.40	..	..	6,276.40
[52] 6.98% विशेष बॉण्डस, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	11,111.00	..	..	11,111.00
[53] 7.08% विशेष बॉण्डस, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	6,276.40	..	..	6,276.40
[54] 7.30% विशेष बॉण्डस, 2027 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	11,112.00	..	..	11,112.00
[55] 7.40% विशेष बॉण्डस, 2027 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	6,276.30	..	..	6,276.30
	योग -(04)	37,82,453.80	..	6,90,574.90	30,91,878.90
	योग -106	42,97,053.80	..	6,90,574.90	36,06,478.90
108. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज		7,684.59	..	2,555.64	5,128.95
	योग –108	7,684.59	..	2,555.64	5,128.95
109. अन्य संस्थाओं से कर्ज					
(01) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से उधार		1.45	..	..	1.45
(04) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से उधार		38.51	..	..	38.51

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध–*(समाप्त)*

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2022 को शेष
			(₹ लाख में)		
ङ. लोक ऋण–*(समाप्त)*					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–*(समाप्त)*					
109. अन्य संस्थाओं से कर्ज–*(समाप्त)*					
(05) आवासन तथा शहरी विकास निगम से उधार		176.10	..	..	176.10
(08) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड		63,600.96	1,530.00	7,615.25	57,515.71
	योग –109	63,817.02	1,530.00	7,615.25	57,731.77
110. भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम					
(01) आर्थोपाय अग्रिम–प्रतिबद्ध		..	91,284.00	91,284.00	..
(02) विशेष आहरण सीमा		..	37,62,957.00	37,62,957.00	..
	योग –110	..	38,54,241.00	38,54,241.00	..
111. केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां					
(01) केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां		12,23,879.60	..	1,58,475.95	10,65,403.65
	योग –111	12,23,879.60	..	1,58,475.95	10,65,403.65
	योग – 6003	**2,84,78,878.09**	**92,02,734.11**	**55,00,878.55**	**3,21,80,733.65**

विवरण संख्या 18 – सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे									
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति									
6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज									
01. सामान्य शिक्षा									
202. माध्यमिक शिक्षा									
(01) सैनिक विद्यालय, चित्तौड़गढ को उधार	360.00	360.00	720.00	..	..	720.00	(+) 360.00	100.00	..
योग – (01)	360.00	360.00	720.00	..	..	720.00	(+) 360.00	100.00	..
योग - 202	360.00	360.00	720.00	..	..	720.00	(+) 360.00	100.00	..
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा									
(01) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां	95.37	..	95.37	..	..	95.37	..	..	..
योग – (01)	95.37	..	95.37	..	..	95.37	..	..	..
(02) विश्वविद्यालयों को उधार									
[01] जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को उधार	499.73	..	499.73	400.00	..	99.73	(-) 400.00	80.04	..
[02] मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,उदयपुर को उधार	160.00	..	160.00	80.00	..	80.00	(-) 80.00	50.00	..
योग – (02)	659.73	..	659.73	480.00	..	179.73	(-) 480.00	72.76	..
योग – 203	755.10	..	755.10	480.00	..	275.10	(-) 480.00	63.57	..
योग – 01	1,115.10	360.00	1,475.10	480.00	..	995.10	(-) 120.00	10.76	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमश:)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमश:)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे–*(क्रमश:)*									
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति–(समाप्त)									
6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज–*(समाप्त)*									
02. तकनीकी शिक्षा									
800. अन्य कर्ज									
(01) अध्ययन के लिये छात्रों को उधार	3.98	..	3.98	..	..	3.98	..	..	..
योग – 800	3.98	..	3.98	..	..	3.98	..	..	..
योग – 02	3.98	..	3.98	..	..	3.98	..	..	..
योग – 6202	1,119.08	360.00	1,479.08	480.00	..	999.08	(-) 120.00	10.72	..
योग – (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1,119.08	360.00	1,479.08	480.00	..	999.08	(-) 120.00	10.72	..
(ख) चिकित्सा एवं परिवार कल्याण									
6210. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज									
80. सामान्य									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के एवं अन्य उपक्रमों को कर्जे									
(01) राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को कर्जे	1,126.44	..	1,126.44	495.60	..	630.84	(-) 495.60	44.00	62.68
योग – 6210	1,126.44	..	1,126.44	495.60	..	630.84	(-) 495.60	44.00	62.68
योग – (ख) चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	1,126.44	..	1,126.44	495.60	..	630.84	(-) 495.60	44.00	62.68

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे–*(क्रमशः)*									
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास									
6215. जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज									
01. जलपूर्ति									
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज									
(01) नगरपालिकाओं को उधार–सीधे उधार	306.70	..	306.70	..	..	306.70	..	..	..
(02) नगरपालिकाओं को उधार – जीवन बीमा निगम से गारन्टेड उधार	3,459.99	..	3,459.99	..	..	3,459.99	..	..	0.28
योग – 192	3,766.69	..	3,766.69	..	..	3,766.69	..	..	0.28
योग – 01	3,766.69	..	3,766.69	..	..	3,766.69	..	..	0.28
02. मल–जल तथा सफाई									
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज	2.53	..	2.53	..	..	2.53	..	..	..
योग – 192	2.53	..	2.53	..	..	2.53	..	..	..
योग – 02	2.53	..	2.53	..	..	2.53	..	..	..
योग – 6215	3,769.22	..	3,769.22	..	..	3,769.22	..	..	0.28

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास–(क्रमशः)									
6216. आवास के लिए कर्ज									
02. शहरी आवास									
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज									
(01) नगर विकास न्यास/ नगर पालिकाओं को उधार	0.09	..	0.09	..	..	0.09	..	..	..
योग – 192	0.09	..	0.09	..	..	0.09	..	..	..
201. आवास बोर्डों को कर्ज									
(01) राजस्थान आवासन मण्डल	15.63	..	15.63	..	..	15.63	..	..	..
(02) राजस्थान आवास विकास एवं आधारभूत लिमिटेड	27,813.01	..	27,813.01	27,628.56	..	184.45	(-) 27,628.56	99.34	..
योग – 201	27,828.64	..	27,828.64	27,628.56	..	200.08	(-) 27,628.56	99.28	..
योग – 02	27,828.73	..	27,828.73	27,628.56	..	200.17	(-) 27,628.56	99.28	..
80. सामान्य									
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना									
(01) जनजातीय क्षेत्र में अल्प आय वर्ग आवास योजना	22.21	..	22.21	..	..	22.21	..	..	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे –*(क्रमशः)*									
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास –(क्रमशः)									
6216. आवास के लिए कर्ज–*(समाप्त)*									
*80. सामान्य–**(समाप्त)***									
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–***(समाप्त)***									
(02) जनजातीय क्षेत्र में मध्यम आय वर्ग आवास योजना	84.45	..	84.45	..	..	84.45	..	..	..
योग – 796	106.66	..	106.66	..	..	106.66	..	..	..
800. अन्य कर्ज									
(01) औद्योगिक आवास योजना	2.22	..	2.22	..	..	2.22	..	..	..
(02) निम्न आय वर्ग आवास योजना	(-) 0.21	..	(-) 0.21	(-) 0.21	(क) ..	..	(+) 0.21	100.00	2.53
(03) मध्यम आय वर्ग आवास योजना	303.53	..	303.53	3.20	..	300.33	(-) 3.20	1.05	4.48
(04) गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना	15.15	..	15.15	..	..	15.15	..	..	..
(05) मेहतरों के लिये आवास योजना	15.22	..	15.22	..	..	15.22	..	..	..
योग – 800	335.91	..	335.91	2.99	..	332.92	(-) 2.99	0.89	7.01
योग – 80	442.57	..	442.57	2.99	..	439.58	(-) 2.99	0.68	7.01
योग – 6216	28,271.30	..	28,271.30	27,631.55	..	639.75	(-) 27,631.55	97.74	7.01

(क) ऋण आंकड़े, गत वर्षों के गलत वर्गीकरण के निस्तारण के कारण हैं।

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे –*(क्रमशः)*									
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास –(क्रमशः)									
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज									
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास									
191. नगर निगम को उधार									
(01) नगर निगम को उधार– आर. यू. आई. डी. पी. फेज – I									
[01] नगर निगम, अजमेर	417.06	..	417.06	30.04	..	387.02	(-) 30.04	7.20	501.06
[02] नगर निगम, बीकानेर	124.87	..	124.87	8.99	..	115.88	(-) 8.99	7.20	..
[03] नगर निगम, जयपुर	709.05	..	709.05	51.07	..	657.98	(-) 51.07	7.20	..
[04] नगर निगम, जोधपुर	1,040.58	..	1,040.58	74.94	..	965.64	(-) 74.94	7.20	..
[05] नगर निगम, कोटा	1,101.93	..	1,101.93	79.37	..	1,022.56	(-) 79.37	7.20	..
योग -191	3,393.49	..	3,393.49	244.41	..	3,149.08	(-) 244.41	7.20	501.06
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज									
(01) आर. यू. आई. डी. पी.–फेज– II									
[01] नगर पालिका/नगर परिषद, अलवर	635.66	..	635.66	..	..	635.66	..	..	..
[02] नगर पालिका/नगर परिषद, भरतपुर	873.31	..	873.31	..	..	873.31	..	..	..
[03] नगर पालिका/नगर परिषद, धौलपुर	529.72	..	529.72	..	..	529.72	..	..	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे –*(क्रमशः)*									
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास –(क्रमशः)									
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज–*(क्रमशः)*									
*03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास–**(क्रमशः)***									
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज–***(समाप्त)***									
(01) आर. यू. आई. डी. पी.–फैज–II–***(समाप्त)***									
[04] नगर पालिका/नगर परिषद, सवाई माधोपुर	372.25	..	372.25	..	..	372.25	..	..	..
[05] नगर पालिका/नगर परिषद, करौली	127.75	..	127.75	..	..	127.75	..	..	..
[06] नगर पालिका/नगर परिषद, झालावाड़	242.01	..	242.01	..	..	242.01	..	..	..
[07] नगर पालिका/नगर परिषद, राजसमंद	1,039.43	..	1,039.43	..	..	1,039.43	..	..	..
[08] नगर पालिका/नगर परिषद, बांरा	171.04	..	171.04	..	..	171.04	..	..	..
[09] नगर पालिका/नगर परिषद, बूंदी	441.15	..	441.15	..	..	441.15	..	..	..
[10] नगर पालिका/नगर परिषद, चित्तौड़गढ़	148.05	..	148.05	..	..	148.05	..	..	..
[11] नगर पालिका/नगर परिषद, जैसलमेर	433.12	..	433.12	..	..	433.12	..	..	..
[12] नगर पालिका/नगर परिषद, बाड़मेर	171.47	..	171.47	..	..	171.47	..	..	..
[13] नगर पालिका/नगर परिषद, सीकर	3,123.23	..	3,123.23	..	..	3,123.23	..	..	..
[14] नगर पालिका/नगर परिषद, नागौर	286.96	..	286.96	..	..	286.96	..	..	..
[15] नगर पालिका/नगर परिषद, चूरू	2,636.46	..	2,636.46	..	..	2,636.46	..	..	..
योग –192	11,231.61	..	11,231.61	..	..	11,231.61	..	..	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे –*(क्रमशः)*									
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास –(क्रमशः)									
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज –*(क्रमशः)*									
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास–(क्रमशः)									
800. अन्य कर्ज									
(01) नगरपालिकाओं/स्थानीय निकायों को लघु एवं मध्यम कस्बे के विकास योजना के तहत उधार	41.90	..	41.90	..	..	41.90	..	..	3.33
योग -(01)	41.90	..	41.90	..	..	41.90	..	..	3.33
(02) राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर. यू. आई. डी. पी.) फेज–II									
[04] नगर सुधार न्यास, अलवर	0.01	..	0.01	..	..	0.01	..	..	..
[05] नगर सुधार न्यास, भरतपुर	0.01	..	0.01	..	..	0.01	..	..	..
योग -(02)	0.02	..	0.02	..	..	0.02	..	..	..
(03) राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर. यू. आई. डी. पी.) फेज–I									
[01] नगर सुधार न्यास, अजमेर	496.43	..	496.43	37.23	..	459.20	(-) 37.23	7.50	..
[03] जोधपुर विकास प्राधिकरण	1,649.63	..	1,649.63	..	..	1,649.63	..	..	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे –*(क्रमशः)*									
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास –(क्रमशः)									
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज –*(क्रमशः)*									
*03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास–**(समाप्त)***									
800. अन्य कर्ज ***–(समाप्त)***									
(03) राजस्थान शहरी आधारभुत विकास परियोजना (आर. यू. आई. डी. पी.–फेज– I) ***–(समाप्त)***									
[04] नगर सुधार न्यास, कोटा	2,090.38	..	2,090.38	150.57	..	1,939.81	(-) 150.57	7.20	..
योग –(03)	4,236.44	..	4,236.44	187.80	..	4,048.64	(-) 187.80	4.43	..
योग –800	4,278.36	..	4,278.36	187.80	..	4,090.56	(-) 187.80	4.39	3.33
योग –03	18,903.46	..	18,903.46	432.21	..	18,471.25	(-) 432.21	2.29	504.39
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(01) मेट्रो रेल परियोजना									
[01] जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को कर्ज	26,396.46	..	26,396.46	26,396.46	..	..	(-) 26,396.46	100.00	..
योग -(01)	26,396.46	..	26,396.46	26,396.46	..	..	(-) 26,396.46	100.00	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे –*(क्रमशः)*									
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास –(क्रमशः)									
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज –*(क्रमशः)*									
*60. अन्य शहरी विकास योजनाएं –**(क्रमशः)***									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज–***(समाप्त)***									
(02) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि									
[02] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	9,865.00	..	9,865.00	9,865.00	..	..	(-) 9,865.00	100.00	..
योग - (02)	9,865.00	..	9,865.00	9,865.00	..	..	(-) 9,865.00	100.00	..
(03) जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को कर्ज (फेज–। बी)									
[01] एशियन विकास बैंक से कर्ज	79,955.39	1,030.84	80,986.23	..	..	80,986.23	(+) 1,030.84	1.29	..
[02] राज्य सरकार का कर्ज	1,769.57	..	1,769.57	..	..	1,769.57	..	..	..
योग -(03)	81,724.96	1,030.84	82,755.80	..	..	82,755.80	(+) 1,030.84	1.26	..
योग - 190	1,17,986.42	1,030.84	1,19,017.26	36,261.46	..	82,755.80	(-) 35,230.62	29.86	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास –(समाप्त)									
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज *–(समाप्त)*									
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं ***–(समाप्त)***									
191. नगर निगमों को कर्ज									
(01) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि									
[01] नगर निगम, जोधपुर	819.00	..	819.00	..	..	819.00	..	..	..
योग - 191	819.00	..	819.00	..	..	819.00	..	..	..
800. अन्य कर्ज									
(02) नगर सुधार न्यास को उधार	0.10	..	0.10	..	..	0.10	..	..	..
(05) नगर सुधार न्यासों को कर्ज									
[01] नगर सुधार न्यास, अलवर	900.00	..	900.00	..	..	900.00	..	..	..
योग - 800	900.10	..	900.10	..	..	900.10	..	..	..
योग – 60	1,19,705.52	1,030.84	1,20,736.36	36,261.46	..	84,474.90	(-) 35,230.62	29.43	..
योग – 6217	1,38,608.98	1,030.84	1,39,639.82	36,693.67	..	1,02,946.15	(-) 35,662.83	25.73	504.39
योग – (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1,70,649.50	1,030.84	1,71,680.34	64,325.22	..	1,07,355.12	(-) 63,294.38	37.09	511.68

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे –*(क्रमशः)*									
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण									
6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज									
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण									
800. अन्य कर्ज									
(01) राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार	0.80	..	0.80	..	..	0.80	..	..	..
योग – 800	0.80	..	0.80	..	..	0.80	..	..	..
योग – 01	0.80	..	0.80	..	..	0.80	..	..	..
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण									
800. *अन्य कर्ज*									
(01) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार	284.98	..	284.98	..	..	284.98	..	..	..
(02) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार	249.58	..	249.58	..	..	249.58	..	..	..
योग – 800	534.56	..	534.56	..	..	534.56	..	..	..
योग – 03	534.56	..	534.56	..	..	534.56	..	..	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमश:)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमश:)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे –*(क्रमश:)*									
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण –(समाप्त)									
6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज–*(समाप्त)*									
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण									
800 अन्य कर्ज									
(01) राजस्थान अल्पसंख्यकों वित्त तथा विकास सहकारिता निगम को कर्ज	670.00	..	670.00	..	..	670.00	..	..	..
योग -800	670.00	..	670.00	..	..	670.00	..	..	..
योग -04	670.00	..	670.00	..	..	670.00	..	..	..
योग – 6225	1,205.36	..	1,205.36	..	..	1,205.36	..	..	..
योग – (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,205.36	..	1,205.36	..	..	1,205.36	..	..	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे –*(क्रमशः)*									
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण									
6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज									
02. समाज कल्याण									
800 अन्य कर्ज									
(01) बलवों से प्रभावित व्यक्तियों को कर्ज	5.81	..	5.81	..	..	5.81	..	..	..
(02) राजस्थान के राजनीतिक पीड़ितों को उधार तथा अग्रिम	.. *	..	.. *	..	..	.. *	..	..	..
(03) राज्य सरकार के पेंशनरों को अंतरंग चिकित्सा सुविधा योजना हेतु राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फण्ड को उधार	12,500.00	..	12,500.00	..	..	12,500.00	..	..	..
(04) पेंशनरों को अंतरंग चिकित्सा सुविधा योजना									
[01] राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फण्ड को उधार	33,000.00	10,000.00	43,000.00	..	..	43,000.00	(+) 10,000.00	30.30	..
योग – 800	45,505.81	10,000.00	55,505.81	..	..	55,505.81	(+) 10,000.00	21.98	..
योग – 02	45,505.81	10,000.00	55,505.81	..	..	55,505.81	(+) 10,000.00	21.98	..

* ₹ 96 मात्र ।

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण–(क्रमश :)									
6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज *–(समाप्त)*									
60. अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम									
800. अन्य कर्ज									
(01) भूमि धारकों तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों को उधार									
[01] जागीरदारों को उधार	10.83	..	10.83	..	..	10.83	..	..	..
योग – (01)	10.83	..	10.83	..	..	10.83	..	..	..
(02) अन्य कर्जे									
[01] जागीरदारों का पुनर्वास	1.51	..	1.51	..	..	1.51	..	..	..
[02] पाकिस्तान से आये विस्थापितों को उधार	190.13	..	190.13	0.08	..	190.05	(-) 0.08	0.04	..
[03] बर्मा से लौटे हुए विस्थापितों को उधार	3.06	..	3.06	..	..	3.06	..	..	..
[04] वृत्तिहीन स्वर्णकारों को तकावी अग्रिम	49.79	..	49.79	..	..	49.79	..	..	..
योग– (02)	244.49	..	244.49	0.08	..	244.41	(-) 0.08	0.03	..
योग – 800	255.32	..	255.32	0.08	..	255.24	(-) 0.08	0.03	..
योग – 60	255.32	..	255.32	0.08	..	255.24	(-) 0.08	0.03	..
योग – 6235	45,761.13	10,000.00	55,761.13	0.08	..	55,761.05	(+) 9,999.92	21.85	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमश:)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमश:)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे –*(क्रमश:)*									
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण– (समाप्त)									
6245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज									
01. सूखा									
800. अन्य कर्ज									
(02) कृषकों को उधार– दुर्भिक्ष अग्रिम	43.69	..	43.69	..	..	43.69	..	..	..
(03) सहायता आयुक्त के माध्यम द्वारा चारा आदि के लिए गौ सेवा संघ को उधार	5.44	..	5.44	..	..	5.44	..	..	..
(04) पशुपालन विभाग के माध्यम द्वारा चारा आदि के लिए गौ सेवा संघ को उधार	11.82	..	11.82	..	..	11.82	..	..	..
(05) नगरपालिकाओं /नगर विकास न्यास को उधार	0.04	..	0.04	..	..	0.04	..	..	..
(06) अन्य उधार	2.01	..	2.01	..	..	2.01	..	..	..
योग – 6245	63.00	..	63.00	..	..	63.00	..	..	..
योग – (छ) समाज कल्याण तथा पोषण	45,824.13	10,000.00	55,824.13	0.08	..	55,824.05	(+) 9,999.92	21.82	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(समाप्त)*									
(ज) अन्य									
6250. अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज									
60. अन्य									
800. अन्य कर्ज									
(05) वन श्रम सहकारी समितियों को उधार मुख्य वन संरक्षक के माध्यम द्वारा	0.05	..	0.05	..	..	0.05	..	..	..
(06) राज कौशल सोसायटी को उधार	137.64	..	137.64	..	..	137.64	..	..	..
(08) राजस्थान पर्यटन प्रशिक्षण सोसायटी, उदयपुर को उधार	500.00	..	500.00	..	..	500.00	..	..	..
योग– 800	637.69	..	637.69	..	..	637.69	..	..	..
योग – 6250	637.69	..	637.69	..	..	637.69	..	..	..
योग –(ज) अन्य	637.69	..	637.69	..	..	637.69	..	..	..
योग –2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे	**2,20,562.20**	**11,390.84**	**2,31,953.04**	**65,300.90**	**..**	**1,66,652.14**	**(-) 53,910.06**	**24.44**	**574.36**

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप									
6401. फसल कृषि – कर्म के लिए कर्ज									
103. बीज									
(01) पंचायती राज संस्थाओं को उधार	172.14	..	172.14	..	..	172.14	..	..	..
(02) राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को उधार	1,750.75	..	1,750.75	..	..	1,750.75	..	..	..
(03) राजस्थान बीज निगम को उधार	64.36	..	64.36	..	..	64.36	..	..	..
योग –103	1,987.25	..	1,987.25	..	..	1,987.25	..	..	..
105. खाद तथा उर्वरक									
(01) पंचायती राज संस्थाओं को उधार	.. *	..	.. *	..	..	.. *	..	..	..
योग–(01)	.. *	..	.. *	..	..	.. *	..	..	..
(02) नगर पालिकाओं को उधार									
[01] खाद्य परिवहन	0.03	..	0.03	..	..	0.03	..	..	..
[02] विशेष विकास कार्यक्रम	0.13	..	0.13	..	..	0.13	..	..	..
योग–(02)	0.16	..	0.16	..	..	0.16	..	..	..

* ₹ 112.07 मात्र ।

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे–*(क्रमशः)*									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप–(क्रमशः)									
6401. फसल कृषि – कर्म के लिए कर्ज–*(क्रमशः)*									
105. खाद तथा उर्वरक–***(समाप्त)***									
(03) जिला तथा अन्य स्थानीय निधि समितियों को उधार									
[01] स्थानीय खादों के संसाधनों का विकास	0.52	..	0.52	..	..	0.52	..	..	..
योग–(03)	0.52	..	0.52	..	..	0.52	..	..	..
योग – 105	0.68	..	0.68	..	..	0.68	..	..	..
195. कृषि सहकारिताओं को कर्ज									
(03) अन्य क्षेत्रों में स्थित कृषि सहकारी समितियों को उधार	0.14	..	0.14	..	..	0.14	..	..	..
योग – 195	0.14	..	0.14	..	..	0.14	..	..	..
800. अन्य कर्ज									
(02) कृषकों को उधार									
[01] तकावी अग्रिम (राजस्व विभाग के माध्यम द्वारा)	.. (क)	..	.. (क)	.. (ख)	..	..	.. (ग)	..	..
[04] भूमि विकास	.. *	..	.. *	..	..	.. *	..	..	..
[06] बैलों व ऊँटों के लिए उधार	.. #	..	.. #	..	..	.. #	..	..	..
योग– (02)	.. @	..	.. @	.. (क)	..	.. $	.. (ग)	..	..

(क) ₹ (–) 200 मात्र । (ख) ₹ (–) 200 मात्र जो गलत वर्गीकरण के निस्तारण के कारण है । (ग) ₹ 200 मात्र । * ₹ 128.63 मात्र । # ₹ 119.41 मात्र ।

@ ₹ 48.04 मात्र । $ ₹ 248.04 मात्र ।

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे –*(क्रमशः)*									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप–(क्रमशः)									
6401. फसल कृषि – कर्म के लिए कर्ज –*(क्रमशः)*									
800. अन्य कर्ज –***(क्रमशः)***									
(04) एकीकृत शुष्क कृषि भूमि के विकास हेतु उधार	14.31	..	14.31	..	..	14.31	..	..	..
योग– (04)	14.31	..	14.31	..	..	14.31	..	..	..
(06) कृषि विश्वविद्यालय को कर्ज									
[01] महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को उधार	3,666.11	..	3,666.11	..	..	3,666.11	..	..	..
[02] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को उधार	10,430.65	..	10,430.65	..	..	10,430.65	..	..	..
योग – (06)	14,096.76	..	14,096.76	..	..	14,096.76	..	..	..
(09) विश्वविद्यालय को कर्ज									
[01] महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को उधार	..	4,300.00	4,300.00	..	..	4,300.00	(+) 4,300.00	..	..
[02] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को उधार	17,268.00	5,844.00	23,112.00	..	..	23,112.00	(+) 5,844.00	33.84	..
योग – (09)	17,268.00	10,144.00	27,412.00	..	..	27,412.00	(+) 10,144.00	58.74	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप–(क्रमशः)									
6401. फसल कृषि – कर्म के लिए कर्ज *–(समाप्त)*									
800. अन्य कर्ज *–(समाप्त)*									
(10) कृषि उपज मण्डियों को उधार (नाबार्ड)									
[01] कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), उदयपुर को कर्ज	3,500.00	200.00	3,700.00	..	..	3,700.00	(+) 200.00	5.71	..
योग – (10)	3,500.00	200.00	3,700.00	..	..	3,700.00	(+) 200.00	5.71	..
योग – 800	34,879.07	10,344.00	45,223.07	..	..	45,223.07	(+) 10,344.00	29.66	..
योग– 6401	36,867.14	10,344.00	47,211.14	..	..	47,211.14	(+) 10,344.00	28.06	..
6402. मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज									
102. मृदा संरक्षण									
(02) कृषकों को उधार									
[01] कृषि विभाग के माध्यम द्वारा	7.60	..	7.60	0.02	..	7.58	(-) 0.02	0.26	..
योग – 6402	7.60	..	7.60	0.02	..	7.58	(-) 0.02	0.26	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप *–(क्रमशः)*									
6403. पशुपालन के लिए कर्ज									
102. पशु तथा भैंस विकास									
(02) गहन पशु विकास योजना	7.68	..	7.68	..	..	7.68	..	..	..
103. कुक्कुट विकास	0.01	..	0.01	..	..	0.01	..	..	..
104. भेड़ तथा ऊन विकास									
(01) भेड़ पालकों को उधार	0.02	..	0.02	..	..	0.02	..	..	..
योग – 6403	7.71	..	7.71	..	..	7.71	..	..	..
6404. डेयरी विकास के लिए कर्ज									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(01) दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों को उधार	309.71	..	309.71	..	..	309.71	..	..	..
(02) रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम– डेयरी इकाइयों की स्थापना	0.18	..	0.18	..	..	0.18	..	..	..
योग – 6404	309.89	..	309.89	..	..	309.89	..	..	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे–*(क्रमशः)*									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप–(क्रमशः)									
6405. मछली पालन के लिए कर्ज									
800. अन्य कर्ज									
(01) मत्स्य किसान विकास अभिकरण को कर्ज (निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से)	0.33	..	0.33	..	..	0.33	..	..	..
योग – 800	0.33	..	0.33	..	..	0.33	..	..	..
योग – 6405	0.33	..	0.33	..	..	0.33	..	..	..
6408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज									
02. भण्डारण तथा भाण्डागार									
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(01) गोदामों का निर्माण									
[01] राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को उधार	27,494.11	4,000.00	31,494.11	1,676.47	..	29,817.64	(+) 2,323.53	8.45	991.76
योग – 190	27,494.11	4,000.00	31,494.11	1,676.47	..	29,817.64	(+) 2,323.53	8.45	991.76
195. सहकारिताओं को कर्ज									
(01) ग्रामीण क्षेत्र में गोदाम निर्माण हेतु उद्धार	..	..	..	3.26	..	(-) 3.26 (क)	(-) 3.26	..	..
TOTAL - 195	..	..	..	3.26	..	(-) 3.26	(-) 3.26	..	..

(क) *ऋण* शेष जांच के अधीन हैं।

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे–*(क्रमशः)*									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप–(क्रमशः)									
6408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज–*(समाप्त)*									
*02. भण्डारण तथा भाण्डागार–**(समाप्त)***									
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना									
(01) गोदाम निर्माण हेतु उधार	2.54	..	2.54	..	..	2.54	..	..	..
योग – 796	2.54	..	2.54	..	..	2.54	..	..	..
800. अन्य कर्ज									
(03) ग्रामीण क्षेत्र में गोदाम निर्माण हेतु उधार	1.30	..	1.30	..	..	1.30	..	..	..
(04) यातायात वाहन क्रय हेतु उधार	0.75	..	0.75	..	..	0.75	..	..	..
योग – 800	2.05	..	2.05	..	..	2.05	..	..	..
योग – 02	27,498.70	4,000.00	31,498.70	1,679.73	..	29,818.97	(+) 2,320.27	8.44	991.76
योग – 6408	27,498.70	4,000.00	31,498.70	1,679.73	..	29,818.97	(+) 2,320.27	8.44	991.76
6425. सहकारिता के लिए कर्ज									
107. जमा सहकारी समितियों को कर्ज									
(02) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को उधार	(-) 3.13	5,000.00	4,996.87	600.61	..	4,396.26	(+) 4,399.39	..	..
(03) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों की खरीद									
[02] ए.आर.सी. की विशिष्ट योजनाओं के ऋणपत्र	896.67	..	896.67	241.20	..	655.47	(-) 241.20	26.90	85.42

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे–*(क्रमशः)*									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप–(क्रमशः)									
6425. सहकारिता के लिए कर्ज–*(क्रमशः)*									
107. जमा सहकारी समितियों को कर्ज–***(समाप्त)***									
(07) राजस्थान राज्य सहकारी सुदृढ़ीकरण कोष की स्थापना हेतु उधार	0.18	..	0.18	..	..	0.18	..	..	..
(09) आर्थिक दृष्टि से कमजोर सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण हेतु उधार	0.10	..	0.10	..	..	0.10	..	..	..
(10) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) को स्टेट रिवॉल्विंग फण्ड हेतु उधार									
[01] महिला सहकारी समितियों एवं कैम्पस को ऋण देने हेतु	600.00	..	600.00	..	..	600.00	..	..	..
योग – 107	1,493.82	5,000.00	6,493.82	841.81	..	5,652.01	(+) 4,158.19	278.36	85.42
108. अन्य सहकारी समितियों को कर्ज									
(01) विधायन इकाइयों को अवशोधित पूंजी हेतु उधार	109.87	..	109.87	..	..	109.87	..	..	..
(03) सहकारी खाद्य तेल मिलों को उधार	1,774.37	..	1,774.37	..	..	1,774.37	..	..	..
(04) समग्र सहकारिता विकास परियोजना हेतु उधार	2,984.21	..	2,984.21	735.27	..	2,248.94	(-) 735.27	24.64	..
(05) राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ (तिलम संघ) को उधार	5,166.82	..	5,166.82	..	..	5,166.82	..	..	..
(06) महिला सहकारी समितियों को उधार	0.69	..	0.69	..	..	0.69	..	..	..
(07) स्पिन फेड/कॉटन कॉम्पलैक्स को उधार	15,129.00	165.19	15,294.19	..	..	15,294.19	(+) 165.19	1.09	..
(08) राजस्थान सहकारी आवासन संघ को उधार	213.89	..	213.89	..	..	213.89	..	..	..
(10) राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ को उधार	25.00	..	25.00	..	..	25.00	..	..	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे – *(क्रमशः)*									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप–(समाप्त)									
6425. सहकारिता के लिए कर्ज–*(समाप्त)*									
108. अन्य सहकारी समितियों को कर्ज–***(समाप्त)***									
(11) अन्य सहकारी संस्थाओं को उधार									
[02] राजफेड को उधार	45,000.00	..	45,000.00	..	..	45,000.00	..	..	..
योग – 108	70,403.85	165.19	70,569.04	735.27	..	69,833.77	(-) 570.08	0.81	441.37 *
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना									
(06) समग्र सहकारिता विकास परियोजना हेतु उधार	2,583.32	..	2,583.32	289.57	..	2,293.75	(-) 289.57	11.21	..
योग–796	2,583.32	..	2,583.32	289.57	..	2,293.75	(-) 289.57	11.21	..
800. अन्य कर्ज									
(01) कार्य योजना	38.57	..	38.57	8.11	..	30.46	(-) 8.11	21.03	..
योग – 800	38.57	..	38.57	8.11	..	30.46	(-) 8.11	21.03	..
योग – 6425	74,519.56	5,165.19	79,684.75	1,874.76	..	77,809.99	(+) 3,290.43	4.42	526.79
योग – (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	1,39,210.93	19,509.19	1,58,720.12	3,554.51	..	1,55,165.61	(+) 15,954.68	11.46	1,518.55

* सहकारी समितियों वार ब्याज का विवरण उपलब्ध नहीं है।

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(ख) ग्राम विकास									
6506. भूमि सुधार के लिए कर्ज									
104. फालतू भूमि के आवंटियों के लिए कर्ज	5.96	..	5.96	..	..	5.96	..	..	..
योग – 6506	5.96	..	5.96	..	..	5.96	..	..	..
योग – (ख) ग्राम विकास	5.96	..	5.96	..	..	5.96	..	..	..
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण									
6705. कमान क्षेत्र विकास के लिए कर्ज									
800. अन्य कर्ज									
(01) मृदा संरक्षण	9.47	..	9.47	..	..	9.47	..	..	..
(02) विश्व खाद्य कार्यक्रम सं. 2600 के अन्तर्गत विस्थापितों को उधार	1.00	..	1.00	..	..	1.00	..	..	..
(04) अपेक्स केन्द्रीय सहकारी बैंकों की उनकी अवधिपार बकाया के संबंध में उधार	1.12	..	1.12	..	..	1.12	..	..	..
योग – 6705	11.59	..	11.59	..	..	11.59	..	..	..
योग – (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	11.59	..	11.59	..	..	11.59	..	..	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(ङ) ऊर्जा									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(02) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	48,921.54	..	48,921.54	1,208.53	..	47,713.01	(-) 1,208.53	2.47	..
[02] राजस्थान इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)	15,401.26	2,262.41	17,663.67	2,307.77	..	15,355.90	(-) 45.36	0.29	..
योग – (02)	64,322.80	2,262.41	66,585.21	3,516.30	..	63,068.91	(-) 1,253.89	1.95	..
(03) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[02] वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	91,808.52	..	91,808.52	2,751.31	..	89,057.21	(-) 2,751.31	3.00	494.29
योग – (03)	91,808.52	..	91,808.52	2,751.31	..	89,057.21	(-) 2,751.31	3.00	494.29

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(ङ) ऊर्जा–(क्रमशः)									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज *–(क्रमशः)*									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज ***–(समाप्त)***									
(04) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[02] वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	71,030.56	..	71,030.56	2,128.64	..	68,901.92	(-) 2,128.64	3.00	361.70
योग – (04)	71,030.56	..	71,030.56	2,128.64	..	68,901.92	(-) 2,128.64	3.00	361.70
(05) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[02] वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	72,205.78	..	72,205.78	2,163.86	..	70,041.92	(-) 2,163.86	3.00	375.23
योग – (05)	72,205.78	..	72,205.78	2,163.86	..	70,041.92	(-) 2,163.86	3.00	375.23
योग – 190	2,99,367.66	2,262.41	3,01,630.07	10,560.11	..	2,91,069.96	(-) 8,297.70	2.77	1,231.22

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(ङ) ऊर्जा–(क्रमशः)									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संगठक योजना									
(01) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[02] वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	24,091.10	..	24,091.10	725.17	..	23,365.93	(-) 725.17	3.01	..
योग – (01)	24,091.10	..	24,091.10	725.17	..	23,365.93	(-) 725.17	3.01	..
(02) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[02] वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	18,638.84	..	18,638.84	561.04	..	18,077.80	(-) 561.04	3.01	..
योग – (02)	18,638.84	..	18,638.84	561.04	..	18,077.80	(-) 561.04	3.01	..
(03) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[02] वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	18,947.23	..	18,947.23	570.32	..	18,376.91	(-) 570.32	3.01	..
योग – (03)	18,947.23	..	18,947.23	570.32	..	18,376.91	(-) 570.32	3.01	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे –*(क्रमशः)*									
(ङ) ऊर्जा–(क्रमशः)									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्जे –*(क्रमशः)*									
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संगठक योजना –***(समाप्त)***									
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	17,455.49	..	17,455.49	434.32	..	17,021.17	(-) 434.32	2.49	..
[02] राजस्थान इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)	8,046.63	598.87	8,645.50	1,174.13	..	7,471.37	(-) 575.26	7.15	..
योग – (04)	25,502.12	598.87	26,100.99	1,608.45	..	24,492.54	(-) 1,009.58	3.96	..
योग – 789	87,179.29	598.87	87,778.16	3,464.98	..	84,313.18	(-) 2,866.11	3.29	..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना									
(01) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[02] वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	18,486.20	..	18,486.20	560.05	..	17,926.15	(-) 560.05	3.03	..
योग – (01)	18,486.20	..	18,486.20	560.05	..	17,926.15	(-) 560.05	3.03	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(ङ) ऊर्जा–(क्रमशः)									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना ***–(समाप्त)***									
(02) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[02] वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	14,302.43	..	14,302.43	433.31	..	13,869.12	(-) 433.31	3.03	..
योग – (02)	14,302.43	..	14,302.43	433.31	..	13,869.12	(-) 433.31	3.03	..
(03) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[02] वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	14,539.06	..	14,539.06	440.48	..	14,098.58	(-) 440.48	3.03	..
योग – (03)	14,539.06	..	14,539.06	440.48	..	14,098.58	(-) 440.48	3.03	..
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	10,074.26	..	10,074.26	245.48	..	9,828.78	(-) 245.48	2.44	..
[02] राजस्थान इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)	3,951.90	465.79	4,417.69	566.82	..	3,850.87	(-) 101.03	2.56	..
योग – (04)	14,026.16	465.79	14,491.95	812.30	..	13,679.65	(-) 346.51	2.47	..
योग – 796	61,353.85	465.79	61,819.64	2,246.14	..	59,573.50	(-) 1,780.35	2.90	..

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(ङ) ऊर्जा–(क्रमशः)									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
800. विद्युत् बोर्डों के लिए अन्य कर्ज									
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार									
[02] अन्य उधार	2,451.39	..	2,451.39	689.21	..	1,762.18	(-) 689.21	28.12	..
[03] राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल की भारत सरकार के उपक्रमों की बकाया हेतु विशेष बॉण्ड्स (पॉवर बाण्ड्स)	14,751.28	..	14,751.28	..	..	14,751.28	..	..	..
[04] अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति हेतु उधार	8,791.91	..	8,791.91	8,791.91	..	..	(-) 8,791.91	100.00	..
[05] विभिन्न विद्युत् परियोजना (आयोजना ऋण) हेतु उधार	442.00	..	442.00	..	..	442.00	..	..	..
योग – (02)	26,436.58	..	26,436.58	9,481.12	..	16,955.46	(-) 9,481.12	35.86	168.95 *
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड को उधार									
[02] अन्य उधार	1.46	..	1.46	1.46	..	..	(-) 1.46	100.00	..
[03] विभिन्न विद्युत् परियोजना (आयोजना ऋण) हेतु उधार	13,807.00	..	13,807.00	..	..	13,807.00	..	..	..
योग – (03)	13,808.46	..	13,808.46	1.46	..	13,807.00	(-) 1.46	0.01	1,898.58 *

* ऋणवार ब्याज का विवरण उपलब्ध नहीं है।

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे –*(क्रमशः)*									
(ङ) ऊर्जा–(क्रमशः)									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्जे –*(क्रमशः)*									
800. विद्युत् बोर्डों के लिए अन्य कर्ज ***–(क्रमशः)***									
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम हेतु उधार	1,442.77	..	1,442.77	517.40	..	925.37	(-) 517.40	35.86	..
[02] अन्य उधार	4,961.21	..	4,961.21	1,227.06	..	3,734.15	(-) 1,227.06	24.73	..
[03] अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति हेतु उधार	18,900.82	..	18,900.82	18,900.82	..	..	(-) 18,900.82	100.00	..
योग – (04)	25,304.80	..	25,304.80	20,645.28	..	4,659.52	(-) 20,645.28	81.59	..
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम हेतु उधार	932.93	..	932.93	334.87	..	598.06	(-) 334.87	35.89	..
[02] अन्य उधार	3,855.77	..	3,855.77	930.69	..	2,925.08	(-) 930.69	24.14	..
[03] अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति हेतु उधार	14,173.76	..	14,173.76	14,173.76	..	..	(-) 14,173.76	100.00	..
योग – (05)	18,962.46	..	18,962.46	15,439.32	..	3,523.14	(-)15,439.32	81.42	..
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम हेतु उधार	751.95	..	751.95	273.07	..	478.88	(-) 273.07	36.31	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(ङ) ऊर्जा–(समाप्त)									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्जे *–(समाप्त)*									
800. विद्युत् बोर्डों के लिए अन्य कर्ज ***–(समाप्त)***									
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार ***–(समाप्त)***									
[02] अन्य उधार	4,266.72	..	4,266.72	1,121.53	..	3,145.19	(-) 1,121.53	26.29	..
[03] अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति हेतु उधार	14,175.86	..	14,175.86	14,175.86	..	..	(-) 14,175.86	100.00	..
योग – (06)	19,194.53	..	19,194.53	15,570.46	..	3,624.07	(-) 15,570.46	81.12	..
योग – 800	1,03,706.83	..	1,03,706.83	61,137.64	..	42,569.19	(-) 61,137.64	58.95	2,067.53
योग – 6801	5,51,607.63	3,327.07	5,54,934.70	77,408.87	..	4,77,525.83	(-) 74,081.80	13.43	3,298.75
योग – (ङ) ऊर्जा	5,51,607.63	3,327.07	5,54,934.70	77,408.87	..	4,77,525.83	(-) 74,081.80	13.43	3,298.75
(च) उद्योग तथा खनिज									
6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज									
102. लघु उद्योग									
(01) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को उधार	75.00	..	75.00	..	..	75.00	..	..	..
(02) कुटीर घरेलू उद्योगों के लिए– निदेशक, उद्योग विभाग के माध्यम द्वारा उधार	2.11	..	2.11	..	..	2.11	..	..	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे –*(क्रमशः)*									
(च) उद्योग तथा खनिज–(क्रमशः)									
6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज –*(क्रमशः)*									
102. लघु उद्योग –***(समाप्त)***									
(03) नई यूनिट की स्थापना हेतु शिक्षित बेरोजगारों को मार्जिन मनी हेतु उधार– निदेशक, उद्योग विभाग के माध्यम से	16.27	..	16.27	..	..	16.27	..	..	..
योग – 102	93.38	..	93.38	..	..	93.38	..	..	..
103. हाथकरघा उद्योग									
(06) राजस्थान राज्य बुनकर संघ को अग्रिम आयोजना सहायता के अन्तर्गत मार्जिन मनी हेतु उधार	0.52	..	0.52	..	..	0.52	..	..	..
योग – 103	0.52	..	0.52	..	..	0.52	..	..	..
109. सम्मिश्र ग्राम तथा लघु उद्योग सहकारी समितियां									
(01) हाथकरघा समितियां	38.65	..	38.65	..	..	38.65	..	..	..
(02) अनुसूचित जाति तथा जनजाति हथकरघा बुनकरों के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष पैकेज योजना	14.85	..	14.85	..	..	14.85	..	..	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे –*(क्रमशः)*									
(च) उद्योग तथा खनिज–(क्रमशः)									
6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज –*(समाप्त)*									
109. सम्मिश्र ग्राम तथा लघु उद्योग सहकारी समितियां –***(समाप्त)***									
(04) औद्योगिक सहकारी समितियों को उधार	2.33	..	2.33	..	..	2.33	..	..	..
योग– 109	55.83	..	55.83	..	..	55.83	..	..	..
200. अन्य ग्राम उद्योग									
(02) ग्राम औद्योगिकीकरण कार्यक्रम के लिए उधार	17.00	..	17.00	..	..	17.00	..	..	..
(03) बन्द इकाइयों को पुन:जीवित होने पर ऋण सुविधा	9.35	..	9.35	..	..	9.35	..	..	..
(04) बिक्री कर के एवज में ब्याज मुक्त ऋण	0.06	..	0.06	..	..	0.06	..	..	..
(05) वाणिज्य कर विभाग के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण	154.13	..	154.13	..	..	154.13	..	..	..
योग – 200	180.54	..	180.54	..	..	180.54	..	..	..
योग - 6851	330.27	..	330.27	..	..	330.27	..	..	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(च) उद्योग तथा खनिज–(क्रमशः)									
6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज									
01. वस्त्र उद्योग									
800. अन्य कर्ज									
(01) मेवाड़ टेक्सटाईल्स लिमिटेड को उधार	0.02	..	0.02	..	..	0.02	..	..	..
योग – (01)	0.02	..	0.02	..	..	0.02	..	..	..
योग – 800	0.02	..	0.02	..	..	0.02	..	..	..
योग – 01	0.02	..	0.02	..	..	0.02	..	..	..
04. चीनी									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(01) सरकारी कम्पनियों को उधार									
[01] मै. गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को उधार	10.54	..	10.54	..	..	10.54	..	..	..
योग – (01)	10.54	..	10.54	..	..	10.54	..	..	..
योग – 190	10.54	..	10.54	..	..	10.54	..	..	..
योग – 04	10.54	..	10.54	..	..	10.54	..	..	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(च) उद्योग तथा खनिज–(क्रमशः)									
6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज *–(समाप्त)*									
60. अन्य									
600. अन्य									
(01) सरकारी कम्पनियों को उधार									
[02] मै. जयपुर मैटल एवं इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर को उधार	1,265.95	..	1,265.95	..	..	1,265.95	..	..	..
योग – (01)	1,265.95	..	1,265.95	..	..	1,265.95	..	..	..
(02) संयुक्त स्टॉक कम्पनियां									
[01] जयपुर मैटल एवं इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर को कर्ज	90.00	40.00	130.00	..	..	130.00	(+) 40.00	44.44	..
योग – (02)	90.00	40.00	130.00	..	..	130.00	(+) 40.00	44.44	..
योग – 600	1,355.95	40.00	1,395.95	..	..	1,395.95	(+) 40.00	2.95	..
योग – 60	1,355.95	40.00	1,395.95	..	..	1,395.95	(+) 40.00	2.95	..
योग – 6860	1,366.51	40.00	1,406.51	..	..	1,406.51	(+) 40.00	2.93	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(च) उद्योग तथा खनिज – (क्रमशः)									
6885. उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज									
01. औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(01) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम लिमिटेड को उधार	537.22	..	537.22	18.39	..	518.83	(-) 18.39	3.42	70.53
(02) राजस्थान वित्त निगम को उधार	126.27	..	126.27	..	..	126.27	..	..	..
योग – 01	663.49	..	663.49	18.39	..	645.10	(-) 18.39	2.77	70.53
02. पिछड़े क्षेत्रों का विकास									
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना									
(01) जनजातीय क्षेत्र में उद्योगों को उधार	9.04	..	9.04	..	..	9.04	..	..	..
(02) ग्रामीण कारीगरों को ऋण देने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को उधार	7.82	..	7.82	..	..	7.82	..	..	..
(03) राज्य अनुदान की एवज में ब्याज मुक्त ऋण	9.55	..	9.55	..	..	9.55	..	..	..
योग – 02.	26.41	..	26.41	..	..	26.41	..	..	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(च) उद्योग तथा खनिज –(समाप्त)									
6885. उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज *–(समाप्त)*									
60. अन्य									
800. अन्य कर्ज									
(01) उद्योग व उद्योगपतियों को उधार									
[01] सचिव, उद्योग विभाग के माध्यम द्वारा	27.37	..	27.37	..	..	27.37	..	..	..
[02] निदेशक, उद्योग विभाग के माध्यम द्वारा	1,336.02	..	1,336.02	..	..	1,336.02	..	..	3.60
[03] ग्रामीण कारीगरों को ऋण देने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को उधार	1.37	..	1.37	..	..	1.37	..	..	..
[04] राज्य अनुदान की एवज में ब्याज मुक्त उधार	46.66	..	46.66	..	..	46.66	..	..	..
[05] अन्य निजी कम्पनियों को उधार	577.62	..	577.62	..	..	577.62	..	..	..
योग – 60	1,989.04	..	1,989.04		..	1,989.04	..	..	3.60
योग – 6885	2,678.94	..	2,678.94	18.39	..	2,660.55	(-) 18.39	0.69	74.13
योग – (च) उद्योग तथा खनिज	4,375.72	40.00	4,415.72	18.39	..	4,397.33	(+) 21.61	0.49	74.13

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(छ) परिवहन									
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(01) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि									
[01] राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड	25,300.00	..	25,300.00	25,300.00	..	..*	(-) 25,300.00	100.00	..
(02) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को उधार	37,737.13	..	37,737.13	37,737.13	..	..	(-) 37,737.13	100.00	..
(06) राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण	264.96	15.00	279.96	..	..	279.96	(+) 15.00	5.66	..
योग - 7055	63,302.09	15.00	63,317.09	63,037.13	..	279.96	(-) 63,022.13	99.56	..
7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज									
01. सड़क तथा पुल									
800. अन्य कर्ज									
(01) युद्धावश्यक सड़कों के ठेकेदारों को उधार	0.82	..	0.82	..	..	0.82	..	..	..
योग – (01)	0.82	..	0.82	..	..	0.82	..	..	..

* ₹ (–) 200 मात्र जांच के अधीन हैं।

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण *–(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे *–(क्रमशः)*									
(छ) परिवहन–(समाप्त)									
7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज *–(समाप्त)*									
01. सड़क तथा पुल ***–(समाप्त)***									
800. अन्य कर्ज ***–(समाप्त)***									
(02) सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण हेतु कर्ज									
[01] राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी को कर्ज (रिडकोर)	4,168.00	..	4,168.00	..	..	4,168.00	..	..	..
[02] राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	7,453.69	24,340.98	31,794.67	21,285.13	..	10,509.54	(+) 3,055.85	41.00	..
योग – (02)	11,621.69	24,340.98	35,962.67	21,285.13	..	14,677.54	(+) 3,055.85	26.29	..
योग – 800	11,622.51	24,340.98	35,963.49	21,285.13	..	14,678.36	(+) 3,055.85	26.29	..
योग – 01	11,622.51	24,340.98	35,963.49	21,285.13	..	14,678.36	(+) 3,055.85	26.29	..
योग – 7075	11,622.51	24,340.98	35,963.49	21,285.13	..	14,678.36	(+) 3,055.85	26.29	..
योग – (छ) परिवहन	74,924.60	24,355.98	99,280.58	84,322.26	..	14,958.32	(-) 59,966.28	80.04	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे–*(क्रमशः)*									
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाएं									
7452. पर्यटन के लिए कर्ज									
60. अन्य									
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(04) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को उधार	4,950.00	3,476.00	8,426.00	5,750.00	..	2,676.00	(-) 2,274.00	45.94	..
(05) राजस्थान स्टेट होटल निगम लिमिटेड को उधार	1,000.00	..	1,000.00	1,000.00	..	..	(-) 1,000.00	100.00	..
योग - 7452	5,950.00	3,476.00	9,426.00	6,750.00	..	2,676.00	(-) 3,274.00	55.03	..
7453. विदेश व्यापार निर्यात संवर्धन के लिए कर्ज									
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(01) निर्यात संवर्धन हेतु कॉरपस फण्ड									
[01] राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद	75.00	25.00	100.00	..	..	100.00	(+) 25.00	33.33	..
योग - 7453	75.00	25.00	100.00	..	..	100.00	(+) 25.00	33.33	..
7475.अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज									
103. सिविल आपूर्ति									
(01) उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को उधार	2.00	..	2.00	..	..	2.00	..	..	..

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(क्रमशः)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
				(₹ लाख में)					
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे–*(समाप्त)*									
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाएं–(समाप्त)									
7475.अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज–*(समाप्त)*									
103. सिविल आपूर्ति–***(समाप्त)***									
(03) ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु उधार	2.15	..	2.15	..	..	2.15	..	..	..
(05) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय उपभोक्ता भण्डारों को उधार	0.07	..	0.07	..	..	0.07	..	..	..
योग – 103	4.22	..	4.22	..	..	4.22	..	..	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(01) राजस्थान राज्य नागरिक आपूर्ति कॉपोरेशन लिमिटेड को उधार	(-) 0.05	..	(-) 0.05	0.02	..	(-) 0.07 (क)	(-) 0.02	40.00	..
योग - 190	(-) 0.05	..	(-) 0.05	0.02	..	(-) 0.07	(-) 0.02	40.00	..
योग – 7475	4.17	..	4.17	0.02	..	4.15	(-) 0.02	0.48	..
योग – (ञ) सामान्य आर्थिक सेवाएँ	6,029.17	3,501.00	9,530.17	6,750.02	..	2,780.15	(-) 3,249.02	53.89	..
योग– 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे	**7,76,165.60**	**50,733.24**	**8,26,898.84**	**1,72,054.05**	**..**	**6,54,844.79**	**(-) 1,21,320.81**	**15.63**	**4,891.43**

(क) *ऋण* शेष जांच के अधीन हैं।

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण –*(समाप्त)*

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
					(₹ लाख में)				
4. सरकारी कर्मचारियों को कर्जे									
7610. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्जे									
201. भवन निर्माण अग्रिम	(-) 0.22	..	(-) 0.22	..	..	(-) 0.22 (क)	..	..	0.03
202. मोटर वाहन क्रय करने के लिए अग्रिम	(-) 257.12	..	(-) 257.12	3.67	..	(-) 260.79 (क)	(-) 3.67	1.43	45.91
203. अन्य वाहनों का क्रय करने के लिए अग्रिम	16.48	..	16.48	0.58	..	15.90	(-) 0.58	3.52	9.63
796. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	(-) 14.42	..	(-) 14.42	0.16	..	(-) 14.58 (क)	(-) 0.16	1.11	..
800. अन्य अग्रिम	36.67	..	36.67	0.15	..	36.52	(-) 0.15	0.41	..
योग– 7610	(-) 218.61	..	(-) 218.61	4.56	..	(-) 223.17	(-) 4.56	2.09	55.57
योग– 4. सरकारी कर्मचारियों को कर्जे	**(-) 218.61**	**..**	**(-) 218.61**	**4.56**	**..**	**(-) 223.17**	**(-) 4.56**	**2.09**	**55.57**
5. विविध उद्देश्यों के लिए कर्जे									
7615. विविध कर्ज									
200. विविध कर्ज	32.19	..	32.19	..	..	32.19	.. @	..	..
योग – 7615	32.19	..	32.19	..	..	32.19	..	..	..
योग–5. विविध उद्देश्यों के लिए कर्जेss	**32.19**	**..**	**32.19**	**..**	**..**	**32.19**	**..**	**..**	**..**
कुल योग	**9,96,541.38**	**62,124.08**	**10,58,665.46**	**2,37,359.51**	**..**	**8,21,305.95**	**(-) 1,75,235.43**	**17.58**	**5,521.36**

(क) *ऋण* शेष जांच के अधीन हैं।

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (–) 0.03 लाख का अन्तर है ।

विवरण संख्या 18 – *(क्रमश:)*

खण्ड 2: अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया पुनर्भुगतान

(₹ लाख में)

ऋणी संस्था	31 मार्च, 2022 को बकाया राशि			शीघ्रतम अवधि जिसमे बकाया संबंधित है	31 मार्च,2022 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	जोड़		
सूचना उपलब्ध नहीं है					

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण

वर्ष के दौरान दिये गये नये ऋण तथा अग्रिम : *

ऋणी इकाई	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि	नियम एवं शर्तें	
			ब्याज दर	अधिस्थगन अवधि, यदि कोई हो
		(₹ लाख में)		
सैनिक विद्यालय, चित्तोड़गढ	1	360.00	ब्याज मुक्त	उपलब्ध नहीं
जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	उपलब्ध नहीं	1,030.04	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा निधि	2	10,000.00	ब्याज मुक्त	शून्य
महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	1	4,300.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
स्वामी केश्वानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	12	5,844.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), उदयपुर	1	200.00	4.75	2 वर्ष
राजस्थान राज्य भाडांगार निगम	3	4,000.00	6.00	3 वर्ष
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक	1	5,000.00	6.40	उपलब्ध नहीं
स्पिन फेड/कॉटन कॉम्पलेक्स	2	165.19	10.00	शून्य
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2	3,327.07	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रीकल लिमिटेड, जयपुर	2	40.00	9.50	उपलब्ध नहीं

* इस कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार ।

विवरण संख्या 18 – *(क्रमशः)*

अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण– *(क्रमशः)*

वर्ष के दौरान दिये गये नये ऋण तथा अग्रिम – ***(समाप्त)***

ऋणी इकाई	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि	नियम एवं शर्तें	
			ब्याज दर	अधिस्थगन अवधि, यदि कोई हो
		(₹ लाख में)		
राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण	1	15.00	ब्याज मुक्त	1 वर्ष
राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम लिमिटेड	2	24,340.98	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	3	3,476.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद	1	25.00	ब्याज मुक्त	5 वर्ष
कुल योग		**62,124.08**		

विवरण संख्या 18 –*(क्रमशः)*

अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण–*(क्रमशः)*

ऋण और अग्रिमों से संबंधित असाधारण लेन–देन दर्शाने वाले प्रकटन:

1. निम्नलिखित ऋण के मामलों को ''स्थायी ऋण'' के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है ।

क्र.सं.	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति आदेश सं.	राशि *(₹ लाख में)*	ब्याज दर
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**

सूचना उपलब्ध नहीं है ।

2. निम्नलिखित ऋणों को स्वीकृति सरकार ने दे दी है जबकि निबंधन और शर्तें अभी निर्धारित की जानी है:

ऋणी संस्था	ऋणों की संख्या	कुल राशि *(₹ लाख में)*	शीघ्रतम अवधि जिससे ऋण संबंधित है
1.	**2.**	**3.**	**4.**

सूचना उपलब्ध नहीं है ।

विवरण संख्या 18 – *(समाप्त)*

अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण–*(समाप्त)*

ऋण और अग्रिमों से संबंधित असाधारण लेन–देन दर्शाने वाले प्रकटन: –*(समाप्त)*

3. वर्ष के दौरान ऋणी इकाईयों को जारी किये गये नवीन ऋण तथा अग्रिम जिनसे पूर्व ऋणों का पुर्नभुगतान बकाया है: *

ऋणी संस्थाओं का नाम	चालू वर्ष के दौरान वितरित ऋण		31 मार्च 2022 को बकाया राशि			बकाया की प्रारम्भिक अवधि	चालू वर्ष के दौरान वितरण के लिए कारण
	ब्याज दर	मूल	मूल	ब्याज	योग	जिससे बकाया संबधित है	
			(₹ लाख में)				
स्पिन फेड/कॉटन कॉम्पलेक्स	10.00	165.19	15,294.19	..	15,294.19	उपलब्ध नहीं	मजदूरों एवं कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान तथा कानूनी दायित्वों का भुगतान
जयपुर मेटल्स एवं इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, जयपुर	9.50	40.00	1,395.95	..	1,395.95	उपलब्ध नहीं	कंपनी की संपत्ति, बिजली, पानी और कानूनी मामले के लिए दिया गया ऋण की सुरक्षा पर व्यय

* इस कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार ।

विवरण संख्या 19 – सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण

क्र.सं	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण: प्रकार	निवेश का विवरण: हिस्सा/ऋण पत्र की संख्या	निवेश का विवरण: प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
I.	**सांविधिक निगम**									
	प्रचलित निगम									
01.	राजस्थान वित्त निगम, जयपुर	2013-14 तक	विशेष शेयरों का वर्ग	1,75,000	100	175.00	79.83	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 163.47 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है। वर्ष 2020–21 तक ₹ 11,480.44 लाख की संचित हानि थी ।
			इक्विटी	1,26,55,700	100	12,655.70				
						12,830.70				
02.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर	1998-99 तक	इक्विटी	3,92,630	100	392.63	50.00	196.32 (क)	..	लाभांश वर्ष 2021–22 का है। 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 8,715.81 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है।
03.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर	2014-15 तक	इक्विटी	(ख)	(ख)	2,610.00	95.80	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 4,32,413.22 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी है वर्ष 2020–21 तक ₹ 5,23,004.49 लाख की संचित हानि थी।
				(ख)	(ख)	58,603.50				
		2021–22		(ख)	(ख)	86,924.08 (ग)				
						1,48,137.58 (घ)				
04.	राजस्थान नॉलेज निगम लिमिटेड, जयपुर	2007-08	इक्विटी	6,00,000	10	60.00	30.00	18.00	..	लाभांश वर्ष 2021–22 का है। वर्ष 2009–10 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
	अप्रचलित निगम									
05.	राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर	1992-93 तक 2021–22	इक्विटी वापसी	1,81,145	1,000	1,936.45 (ड)	88.30	..	..	वर्ष के दौरान निगम को बंद कर दिया गया है और सरकारी निवेश का विनिवेश किया गया है।
						(-) 1,936.45				
						..				

\# सूचना का स्त्रोत : राज्य सरकार । (क) वास्तविक लाभांश ₹ 1,96,31,500 । (ख) इक्विटी शेयरों की, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार–बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(ग) वास्तविक निवेश ₹ 8,69,24,08,023 तथा इसमें राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण में ₹ 50,00,000 का निवेश सम्मिलित है । (घ) वास्तविक निवेश ₹ 14,81,37,58,023 ।

(ड) इसमें 31 मार्च 1978 तक भारत सरकार से प्राप्त अनुदान में से ₹ 125.00 लाख का निवेश सम्मिलित है ।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण: प्रकार	निवेश का विवरण: हिस्सा/ऋण पत्र की संख्या	निवेश का विवरण: प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
I.	**सांविधिक निगम–*(समाप्त)***					*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*		
	अप्रचलित निगम–*(समाप्त)*									
06.	राजस्थान राज्य मंडी विकास निगम, जयपुर	1977-78	(क)	(क)	(क)	0.65	..	..	..	निगम अभी बनाया नहीं गया है और राशि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पास रखी हुई है।
07.	राजस्थान जल प्रदाय और मल निकास निगम, जयपुर	1979-80	(क)	(क)	(क))	0.08 (ख)	..	..	..	सरकार द्वारा निगम को बंद करने के निर्णय के कारण ₹10.00 लाख के कुल निवेश में से ₹ 9,92,200 अप्रैल, 1980 में जमा करा दिये गये।
	योग– I					**1,61,421.64** (ग)		**214.32** (घ)	..	
II.	**ग्रामीण बैंक**									
08.	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर	2014-15 तक	इक्विटी	2,72,93,237	10	2,729.32 (ड)	15.00	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 4,491.47 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है।
09.	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर	2012-13 तक	इक्विटी	4,64,00,715	10	4,640.07 (च)	15.00	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 30,972.19 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है।
	योग – II					**7,369.39** (छ)				

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार–बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है। (ख) वास्तविक निवेश ₹ 7,800 । (ग) वास्तविक निवेश ₹ 16,14,21,63,823 ।

(घ) वास्तविक लाभांश ₹ 2,14,31,500 । (ड) राज्य सरकार का निवेश ₹ 27,29,32,330 परन्तु बैंक द्वारा ₹ 2,72,93,237 शेयर दिये गये जो जांच के अधीन है।

(च) वास्तविक निवेश ₹ 46,40,07,150 । (छ) वास्तविक निवेश ₹ 73,69,39,480 ।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण: प्रकार	निवेश का विवरण: हिस्सा/ऋण पत्र की संख्या	निवेश का विवरण: प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
III.	**सरकारी कम्पनियां**									
	प्रचलित कम्पनियां									
10.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर *	2018-19 तक 2020-21	इक्विटी	3,60,68,248	50	18,028.40 (क)	99.98	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 5,710.82 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया। वर्ष 2020–21 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
			पूर्वाधिकार	1,11,000	50	55.50				
			वापसी			(-) 24.50				
						18,059.40 (ख)				
11.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर	2010-11 तक	इक्विटी	6,64,387	100	664.39 (ग)	95.40	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 12.30 लाख शुद्ध लाभ दर्शाया गया। वर्ष 2020–21 तक ₹ 2,499.95 लाख की संचित हानि थी।
12.	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, जयपुर	2012-13 तक 2021–22	इक्विटी	21,622	1,000	216.22	100.00	..	..	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 195.91 लाख की शुद्ध हानी दर्शायी गयी। वर्ष 2017–18 तक ₹ 1,170.70 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2018–19 तथा उसके बाद के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
			(घ)	(घ)	(घ)	1,000.00				
						1,216.22				

* हाईटेक प्रेसिजन ग्लास लिमिटेड, जयपुर का विलय राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर में कर दिया गया है जैसा कि वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र सं. P.1(4)Fin. (Exp.-4 P1)/93-IV दिनांक 24.07.2014 द्वारा सूचित किया है। ₹ 7,60,000 के निवेश के विरूद्ध कम्पनी ने ₹ 7,59,950 की राशि के 15,199 अंश ₹ 50 की दर से जारी किये । यद्यपि, ₹ 50 की शेष अन्तर राशि के समायोजन से संबंधित मामला राज्य सरकार के साथ पत्राचाराधीन है।

(क) ₹ 1,80,28,40,136 के निवेश में ₹ 18,23,050 (पूर्ण प्रदत्त मूल्य) की कीमत के 36,461 शेयर सम्मिलित हैं जिन्हें ₹ 12,50,736 (बट्टे पर) में खरीदा गया परिणामस्वरूप कम्पनी लेखों के विरूद्ध राज्य लेखों में निवेश ₹ 5,72,314 से कम दिखाया गया।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 1,80,59,40,136। (ग) वास्तविक निवेश ₹ 6,64,38,700।

(घ) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार–बार प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण: प्रकार	निवेश का विवरण: हिस्सा/ऋण पत्र की संख्या	निवेश का विवरण: प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
III	**सरकारी कम्पनियां–**									
	<u>प्रचलित कम्पनियां</u>–*(क्रमशः)*									
13.	राजस्थान वित्त सेवाऐं वितरण लिमिटेड	2021-22	इक्विटी	50,00,000	10	500.00	..	..	..	..
14.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर	2008-09 तक	इक्विटी	21,01,858	1,000	19,368.58 (क)	100.00	4,203.72 (ड)	..	लाभांश वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 का है। 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 72,091.47 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।
15.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जयपुर	1993-94 तक	इक्विटी	6,17,32,900	10	6,173.29 (ख)	99.99	3,877.07 (च)	..	लाभांश वर्ष 2019–20 का है। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 20,854.37 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है। वर्ष 2020–21 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
		2002-03	इक्विटी	57,15,500	10	571.55 (ग)				
		2003-04	इक्विटी	1,01,10,000	10	1,011.00				
						7,755.84 (घ)				
16.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर	1998-99 तक	इक्विटी	5,68,250	100	568.25	83.37	63.30	..	लाभांश वर्ष 2020–21 का है। 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,386.90 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है।
			पूर्वाधिकार	64,750	100	64.75				
						633.00				

(क) वर्ष 2002–03 तथा 2004–05 में भारत सरकार द्वारा सीधे ही ₹ 1,650.00 लाख का निवेश रीको में किया गया जो राज्य लेखों में प्रदर्शित नहीं हुआ । रीको ने अपने लेखों में इस निवेश को राज्य सरकार के निवेश के रूप में शामिल किया है तथा राजस्थान के राज्यपाल के नाम से अंश जारी किये है। यद्यपि यह निवेश राज्य वित्त लेखों में प्रदर्शित नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा नगद व्यय नहीं किया गया है।

(ख) ₹ 61,73,29,634 के निवेश में ₹ 11,32,360 अंकित मूल्य के 1,13,226 अंश की ₹ 1,69,854 की प्रीमियम पर खरीद सम्मिलित है परिणामस्वरूप कम्पनी लेखों के विरूद्ध राज्य लेखों में ₹ 1,69,854 से निवेश अधिक दिखाया गया है। यद्यपि, राज्य सरकार की सूचना के अनुसार कम्पनी ने निवेश के विरूद्ध 1,30,158 अंश जारी किये है।

(ग) क्र.स. 50 पर टिप्पणी देखें। (घ) वास्तविक निवेश ₹ 77,55,84,634 । (ड) वास्तविक लाभांश ₹ 42,03,71,600 ।

(च) वास्तविक लाभांश ₹ 38,77,07,390 ।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण: प्रकार	निवेश का विवरण: हिस्सा/ऋण पत्र की संख्या	निवेश का विवरण: प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
III	**सरकारी कम्पनियां–*(क्रमशः)***									
	<u>प्रचलित कम्पनियां</u>–*(क्रमशः)*									
17.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर	2013-14 तक	इक्विटी	1,00,00,000	100	10,000.00	100.00	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 607.75 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।
18.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	2004-05 तक 2012-13 2021-22	इक्विटी (क) (क)	1,84,437 (क)	1,000 (क) (क)	1,844.37 350.00 5,750.00 7,944.37	100.00	..	..	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,009.15 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है। वर्ष 2017–18 तक ₹ 14,171.00 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2018–19 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
19.	राजस्थान परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, (राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड), नई दिल्ली	1957-58 तक	इक्विटी	1,000	1,000	10.00	0.33	1.06 (ख)	..	लाभांश वर्ष 2020–21 का है। वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
20.	सांभर साल्ट लिमिटेड, जयपुर	1961-62	इक्विटी	4,000	1,000	40.00	40.00	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 515.07 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।
21.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली	1975-76	इक्विटी	4,585	1,000	45.85	1.61	..	..	वर्ष 2003–04 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार–बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(ख) वास्तविक लाभांश ₹ 1,05,780 ।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण: प्रकार	निवेश का विवरण: हिस्सा/ऋण पत्र की संख्या	निवेश का विवरण: प्रत्येक हिस्सा/पत्रों का अंकित	निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
III	**सरकारी कम्पनियां–*(क्रमशः)***									
	<u>प्रचलित कम्पनियां</u>–*(क्रमशः)*									
22.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (ट्यूब वैल कॉरपोरेशन)	1992-93 तक	इक्विटी	1,27,000	100	127.00	100.00	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 4.21 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया। वर्ष 2020–21 तक ₹ 142.85 लाख की संचित हानि थी।
23.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	2013-14 तक	इक्विटी	4,55,098	1,000	4,550.98	98.80	..	..	वर्ष 2018–19 तक ₹ 5,132.81 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
24.	राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड	2020-21 तक	इक्विटी	10,45,12,30,000	10	10,45,123.00	100.00	..	..	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,97,567.71 लाख (कर से पहले) की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2021–22 तक ₹ 7,77,439.74 लाख की संचित हानि थी।
		2021-22	इक्विटी	15,40,00,000	10	15,400.00				
	जयपुर					10,60,523.00				
25.	राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर	2018-19 तक	इक्विटी	4,44,10,37,700	10	4,44,103.77	100.00	..	..	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 18,826.82 लाख (कर से पहले) की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2021–22 तक ₹ 1,38,652.00 लाख की संचित हानि थी।
		2019-20	इक्विटी	25,00,00,000	10	25,000.00				
		2021-22	(क)	(क)	(क)	10,000.00				
						4,79,103.77				

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण: प्रकार	निवेश का विवरण: हिस्सा/ऋण पत्र की संख्या	निवेश का विवरण: प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
III	**सरकारी कम्पनियां–*(क्रमशः)***									
	<u>प्रचलित कम्पनियां</u>–*(क्रमशः)*									
26.	जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	2020-21 तक	इक्विटी	11,44,74,27,800	10	11,44,742.78	100.00	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 66,074.89 लाख का शुद्ध हानि (कर से पहले) दर्शायी गयी । वर्ष 2020–21 तक ₹ 29,53,309.31 लाख की संचित हानि थी।
		2021-22	इक्विटी	32,64,18,200	10	32,641.82				
						11,77,384.60				
27.	जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	2020-21 तक	इक्विटी	10,63,69,66,300	10	10,63,696.63	100.00	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,73,167.91 लाख का शुद्ध हानि (कर से पहले) दर्शायी गयी । वर्ष 2020–21 तक ₹ 31,49,659.97 लाख की संचित हानि थी।
		2021-22	इक्विटी	21,93,76,700	10	21,937.67				
						10,85,634.30				
28.	अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	2020-21 तक	इक्विटी	10,57,18,89,900	10	10,57,188.99	100.00	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 17,572.71 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया। वर्ष 2020–21 तक ₹ 28,05,476.29 लाख की संचित हानि थी।
		2021-22	इक्विटी	29,60,89,500	10	29,608.95				
						10,86,797.94				
29.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर (राजस्थान राज्य पावर निगम लिमिटेड)	2006-07	इक्विटी	1,29,41,078	10	1,294.11 (क)	100.00	129.41 (ख़)	..	लाभांश वर्ष 2020–21 के लिए है। 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 4,515.66 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया।

(क़) वास्तविक निवेश ₹ 12,94,10,780 ।

(ख़) वास्तविक लाभांश ₹ 1,29,41,078 ।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
III	**सरकारी कम्पनियां – *(क्रमशः)***									
	<u>प्रचलित कम्पनियां</u> – *(क्रमशः)*									
30.	राजस्थान राज्य बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर	2004-05	इक्विटी	2,00,000	100	200.00	100.00	20.00	..	लाभांश वर्ष 2020–21 के लिए है। 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 3,084.53 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है।
31.	राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत लिमिटेड	2015-16 तक	इक्विटी	4,09,91,700	10	3,351.00 (क)	84.22	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 29.82 लाख का लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है । वर्ष 2020–21 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
		2021-22	इक्विटी	27,62,85,600	10	27,628.56				
						30,979.56				
32.	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	2012-13 तक	इक्विटी	41,100	1,000	411.00	100.00	..	..	वर्ष 2018–19 तक ₹ 595.49 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
33.	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	2011-12 तक	इक्विटी	26,000	1,000	260.00	100.00	..	..	सरकारी निवेश के वर्ष से लेखे प्रतीक्षित है (जुलाई 2022)।

(क) राजस्थान शहरी आधारभूत वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड तथा राजस्थान आवास विकास तथा आधारभूत लिमिटेड (रावित्र) का राज्य सरकार के निवेश क्रमश: ₹ 33,00,00,000 तथा ₹ 51,00,000 सहित राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत लिमिटेड में विलय कर दिया गया है। योजना के तहत कार्पोरेट मामलात मंत्रालय द्वारा विलय परिवर्तन अनुपात 1:15.67 अनुमोदित किया गया जिसके अनुसार रावित्र की अंश पूंजी ₹ 51,00,000 के एवज में आर.यू.आइ.एफ.डी.सी.ओ. द्वारा राज्य सरकार को 79,91,700 अंश जारी किये गयें। 74,81,700 अतिरिक्त अंशों के आंवटन के कारण राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकासी तथा आधारभूत लिमिटेड के लेखों में सरकारी निवेश के आंकड़ों की तुलना में राज्य लेखों में सरकारी निवेश ₹ 748.17 लाख से कम दिखाया गया है।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋ पत्रों का अंकित					
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
III.	**सरकारी कम्पनियां–*(क्रमशः)***									
	<u>प्रचलित कम्पनियां</u>–*(क्रमशः)*									
34.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2018-19	इक्विटी	2,34,266	1,000	2,342.66	1.30	..	..	वर्ष 2018–19 एवं आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
35.	राजस्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड	2005-06 तक	(क)	(क)	(क)	669.12	51.00	..	..	वर्ष 2005–06 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
36.	राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ	2005-06 तक	इक्विटी	1,00,000	50	115.60	71.34	..	..	वर्ष 2018–19 तक ₹ 845.79 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लेखे प्रतीक्षित है (जुलाई 2022)।
37.	राजस्थान राज्य नागरिक विमानन निगम लिमिटेड, जयपुर	2012-13	इक्विटी	44,92,700	10	449.27	100.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 3.60 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है। वर्ष 2020–21 तक ₹ 627.45 लाख की संचित हानि थी।
38.	राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, जयपुर	2010-11	इक्विटी	50,00,000	10	500.00	100.00	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,925.59 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार–बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋ पत्रों का अंकित					
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
III.	**सरकारी कम्पनियां–*(क्रमशः)***									
	<u>प्रचलित कम्पनियां</u>–*(क्रमशः)*									
39.	जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर	2013-14 तक	इक्विटी	1,49,40,354	1,000	1,49,403.54	88.19	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखो में ₹ 6,012.84 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2020–21 तक ₹ 38,822.98 लाख की संचित हानि थी।
		2021–22	इक्विटी	26,39,646	1,000	26,396.46				
						1,75,800.00				
40.	राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर	2010-11	इक्विटी	5,00,00,000	10	5,000.00	100.00	..	..	वर्ष 2017–18 तथा आगे के लेखे प्रतिक्षित है (जुलाई 2022)।
41.	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, जयपुर	2011-12	इक्विटी	5,00,000	100	500.00	100.00	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 935.97 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है।
42.	राजस्थान स्किल एंड लिवलीहुड विकास निगम, जयपुर	2011-12	इक्विटी	50,000	10	5.00	100.00	..	..	वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
43.	राजस्थान राज्य पावर वित्त निगम लिमिटेड, जयपुर	2013-14 तक	इक्विटी	9,00,000	1,000	9,000.00	100.00	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 217.52 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है।
		2021-22	इक्विटी	5,00,000	1,000	5,000.00				
						14,000.00				

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋ पत्रों का अंकित					
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
III.	**सरकारी कम्पनियां–*(क्रमशः)***									
	<u>प्रचलित कम्पनियां</u>–*(समाप्त)*									
44.	राजस्थान एक्स–सर्विस मैन निगम लिमिटेड, जयपुर	2012-13	इक्विटी	5,00,000	100	500.00	100.00	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 610.00 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है।
45.	राजस्थान पुलिस आधारभूत विकास निगम लिमिटेड	2015-16 तक	इक्विटी	1,00,000	100	100.00	100.00	10.00	..	वर्ष 2020–21 का लाभांश है। 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 187.54 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है।
46.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	2013-14	इक्विटी	(क)	(क)	1,250.00	12.50	..	..	वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लेखे प्रतीक्षित है (जुलाई 2022)।
47.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	इक्विटी	50,00,000	100	5,000.00	100.00	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 8.27 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।
	<u>अप्रचलित कम्पनियां</u>									
48.	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	1977-78 तक	इक्विटी पूर्वाधिकार	1,019 550	1,000 1,000	10.19 5.50 15.69	5.46	..	..	वर्ष 2015–16 तथा उसके बाद के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।

(क) इक्विटी शेयरों की संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण: प्रकार	हिस्सा/ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित	निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
III.	**सरकारी कम्पनियां–*(समाप्त)***									
	अप्रचलित कम्पनियां–*(समाप्त)*									
49.	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	2002-03 तक	इक्विटी	16,750	100	16.75	100.00	..	..	वर्ष 2004–05 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
50.	राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	1994-95 तक 2002-03	इक्विटी	16,33,000	100	1,633.00 (-) 571.55 1,061.45	..	..	..	कम्पनी का 19/02/2003 से राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जयपुर में विलय हो चुका है, जिसके पश्चात् इस कम्पनी ने ₹ 5,71,55,000 के 35:10 के शेयर विनिमय अनुपात में शेयर जारी किये। ₹ 10,61,45,000 की शेष राशि को आरक्षित पूंजी माना गया है तथा आर. एस. एम. एम. एल. द्वारा कम्पनी के लेखों में दर्शाया गया है।
51.	राजस्थान राज्य विद्युत् निगम, जयपुर	1997-98	इक्विटी	50,000	10	5.00	100.00	..	..	वर्ष 2003–04 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
52.	राजस्थान राज्य विद्युत् वितरण वित्त निगम लिमिटेड	2018-19	इक्विटी	(क)	(क)	5.00	100.00	..	..	निगम की स्थापना केबिनेट के आदेश सं. 2016 दिनांक 28.11.2016 से की गई एवं आदेश सं. 54/2018 दिनांक 20.3.2018 से बन्द किया गया।
	परिसमापन के तहत कम्पनियां									
53.	राजस्थान राज्य एग्रो उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर	1995-96 तक	इक्विटी	6,00,733	100	412.97 (ख)	68.74	..	..	दिनांक 09.08.2018 से कम्पनी परिसमापन के अन्तर्गत है।
	योग – III					**52,01,252.42** (ग)		**8,304.56** (घ)	**..**	

(क) इक्विटी शेयरों की संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 4,12,96,700। भारत सरकार द्वारा किया गया ₹ 1,87,77,600 (1,87,776 अंश) का एक निवेश 1995–96 में विनिवेश हुआ तथा राज्य सरकार को ₹ 1,000 की टोकन राशि के भुगतान के एवज में स्थानान्तरित किया गया परिणामस्वरूप राज्य लेखों में ₹ 1,87,77,600 के कुल निवेश के स्थान पर ₹ 1,000 का निवेश दिखाया गया।

(ग) वास्तविक निवेश ₹ 5,20,12,52,41,950। (घ) वास्तविक लाभांश ₹ 83,04,55,848।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण: प्रकार	निवेश का विवरण: हिस्सा/ऋण पत्र की संख्या	निवेश का विवरण: प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
IV.	**संयुक्त पूंजी कम्पनियां**									
54.	रियल एस्टेट विकास तथा निर्माण निगम राजस्थान लिमिटेड	2015-16	इक्विटी	20,00,000	10	200.00	50.00	..	..	वर्ष 2015–16 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
55.	सूर्या ऊर्जा कम्पनी राजस्थान लिमिटेड	2015-16	इक्विटी	25,000	10	2.50	50.00	..	..	वर्ष 2018–19 एवं आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
		2021–22	इक्विटी	(क)	(क)	6,494.37				
						6,496.87				
56.	एस्सेल सूर्या ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड	2015-16	इक्विटी	25,000	10	2.50	50.00	..	..	वर्ष 2018–19 तक ₹ 72.08 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
		2021–22	इक्विटी	(क)	(क)	2,325.57				
						2,328.07				
57.	अडानी अक्षय ऊर्जा पार्क लिमिटेड	2015-16	इक्विटी	25,000	10	2.50	50.00	..	..	वर्ष 2018–19 तक ₹ 562.95 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
		2021–22	इक्विटी	(क)	(क)	4,025.79				
						4,028.29				
58.	जयपुर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	इक्विटी	10,00,00,000	10	10,000.00	50.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 54.22 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है। वर्ष 2020–21 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
59.	उदयपुर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	इक्विटी	10,00,00,000	10	10,000.00	50.00	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों मे शुन्य लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है। वर्ष 2020–21 तक ₹ 14.11 लाख की संचित हानि थी।

(क) इक्विटी शेयरों की संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण: प्रकार	निवेश का विवरण: हिस्सा/ऋण पत्र की संख्या	निवेश का विवरण: प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
IV.	**संयुक्त पूंजी कम्पनियां–*(समाप्त)***									
60.	अजमेर स्मार्ट सिटी, योजना	2017-18	इक्विटी	6,48,00,000	10	6,480.00	50.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में शून्य लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है। वर्ष 2020–21 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
61.	कोटा स्मार्ट सिटी, योजना	2017-18	इक्विटी	6,54,00,000	10	6,540.00	50.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 0.36 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है। वर्ष 2020–21 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
62.	एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	2019-20 तक	इक्विटी	44,55,93,500	10	44,559.35 (क)	26.00	..	..	वर्ष 2018–19 तक ₹ 1,218.39 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
		2020-21	इक्विटी	18,62,21,950	10	18,621.95 (ख)				
		2021-22	इक्विटी	(ग)	(ग)	86,710.00				
						1,49,891.30 (घ)				
63.	परियोजना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	2006–07 तक	इक्विटी	9,90,000	10	99.00	50.00	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 315.70 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी है।
64.	राजस्थान सड़क ढांचागत विकास कम्पनी लिमिटेड, जयपुर	2014-15 तक	इक्विटी	13,74,99,997	10	13,750.00 (ड)	50.00	..	..	वर्ष 2018–19 तक ₹ 57,031.83 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
65.	वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क कम्पनी	2020-21	इक्विटी	(ग)	(ग)	8.25 (च)	1.61	..	..	
	योग – IV					**2,09,821.78** (छ)		**..**	**..**	

(क) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर, पूर्व में राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड, जयपुर में दर्ज वास्तविक निवेश ₹ 4,45,59,34,668 को सम्मलित करते हुए ₹ 1.30 लाख का निवेश एच.पी.सी.एल., राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में दर्शाया जा रहा है।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 1,86,21,95,230।

(ग) इक्विटी शेयरों की संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(घ) वास्तविक निवेश ₹ 14,98,91,29.898।

(ड) वास्तविक निवेश ₹ 1,37,49,99,970।

(च) वास्तविक निवेश ₹ 8,24,957।

(छ) वास्तविक निवेश ₹ 20,98,21,77,825।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण: प्रकार	निवेश का विवरण: हिस्सा/ऋण पत्र की संख्या	निवेश का विवरण: प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
V.	**संयुक्त स्टॉक कम्पनियां**									
	प्रचलित कम्पनियां									
66.	मान औद्योगिक निगम लिमिटेड, जयपुर	1951-52	इक्विटी संचयी पूर्वाधिकार	5,000 10,000	100 100	5.00 10.00 15.00	..	..	..	वर्ष 2004–05 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
67.	रामपुर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामपुर	1946-47	इक्विटी	300	10	0.07 (क)	..	..	..	वर्ष 2012–13 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
68.	टाटा स्टील लिमिटेड, मुम्बई (टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई)	1998-99 तक	पूर्वाधिकार/ बॉण्डस/ इक्विटी अंश	(ख)	(ख)	0.25 (ग)	..	0.01 (घ)	..	वर्ष 2011–12 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
69.	आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़, अजमेर	1980-81 तक	इक्विटी	1,60,000	10	16.00	..	..	..	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 31.96 लाख कि शुद्ध हानि दर्शायी गयी है। वर्ष 2020–21 तक ₹ 1,427.27 लाख की संचित हानि थी।
70.	ओरियन्टल पावर केबल्स लिमिटेड, कोटा	1962-63	इक्विटी	3,665	100	3.66 (च)	..	..	..	वर्ष 1984–85 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।

(क) ₹ 6,960 की राशि के ₹ 23.20 प्रति अंश की दर से 300 शेयर क्रय किये गये ।

(ख) इक्विटी शेयरों की संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(ग) पूर्वाधिकार/बॉण्डस/इक्विटी शेयरों में कुल निवेश ₹ 1,27,500, जिसमें 1907–08 से 1995–96 तक खरीदे गये 255 पूर्वाधिकार शेयर ₹ 158.08 प्रत्येक सम्मिलित है, में से ₹ 25,000 का शेष छोड़ते हुए वर्ष 1998–99 तक विभिन्न वर्षों में ₹ 1,02,500 की सीमा तक की राशि वापस प्राप्त हुई ।

(घ) वास्तविक लांभाश ₹ 675 ।

(च) वास्तविक निवेश ₹ 3,66,500 ।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण: प्रकार	निवेश का विवरण: हिस्सा/ऋण पत्र की संख्या	निवेश का विवरण: प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित	निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
V.	**संयुक्त स्टॉक कम्पनियां–(*क्रमशः*)**									
	प्रचलित कम्पनियां– (*समाप्त*)									
71.	एसोसिएटेड आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामगंज मंडी (कोटा)	1963-64	इक्विटी	1,000	100	1.00	..	..	..	31 दिसम्बर 1985 को समाप्त हुए वर्ष तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
72.	जयपुर सिटी परिवहन सेवाऐं लिमिटेड	2021-22	(क)	(क)	(क)	9,865.00	..	..	..	
	अप्रचलित कम्पनियां									
73.	मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता	1960-61	इक्विटी	2,50,000	10	25.00	..	..	..	लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
74.	अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड (केल्वीनेटर ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली में सम्मिलित)	1998–99 तक	इक्विटी	..	..	(–) 0.61 (ख)	..	..	..	30 जून 1988 को समाप्त हुए वर्ष तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
75.	न्यूज पेपर लिमिटेड, इलाहाबाद	1929-30	इक्विटी	1,000	10	0.10	..	..	..	वर्ष 2009–10 तथा इसके आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
76.	दी सेन्ट्रल प्रोविंसेज रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई	1910-11	इक्विटी	76	100	0.08 (ग)	..	..	..	वर्ष 2003–04 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
77.	जयपुर मैटल एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, जयपुर	1987-88	इक्विटी	7,500	100	7.50	..	. .	..	वर्ष 1996–97 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार प्रतीक्षित है। (ख) वास्तविक राशि ₹ 61,250 । अधिक वापसी से संबंधित मामले को निपटारे हेतु राज्य सरकार के पास भेजा जा चुका है ।

(ग) वास्तविक निवेश ₹ 7,600 ।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
V.	**संयुक्त स्टॉक कम्पनियां–** ***(क्रमशः)***									
	परिसमापन के तहत कम्पनियां									
78.	बूंदी विद्युत् आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड, बूंदी	1936-37	इक्विटी	(क)	10	0.12 (ख)	..	..	..	कम्पनी 1965–66 से परिसमापनाधीन है।
79.	झालावाड़ ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, झालावाड़	1946-47	इक्विटी	100	100	0.10	..	..	..	कम्पनी नवम्बर 1973 से परिसमापनाधीन है।
80.	स्टोन वेयर पाइप एण्ड सेनिटरी फिटिंग्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जयपुर	#	इक्विटी	1,250	10	0.12 (ग)	..	..	..	कम्पनी अगस्त 1961 से परिसमापनाधीन है।
81.	श्री उदयभान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, धौलपुर	1947-48	इक्विटी	13,000	10	1.30	..	..	..	कम्पनी जनवरी 1960 से परिसमापनाधीन है।
82.	आबू रोड़ इलैक्ट्रिसिटी एण्ड इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, आबू रोड़	1945-46	इक्विटी	1,250	100	1.25	..	..	..	कम्पनी परिसमापनाधीन है तथा वर्ष 1975–76 के दौरान पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा अधिग्रहण किया जा चुका है।
83.	कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड, कोटा	1946-47	इक्विटी	2,000	100	2.00	..	..	..	कम्पनी परिसमापनाधीन है।

(क) शेयर की राशि की वापसी के पश्चात् वास्तविक संख्या से संबंधित सूचना प्रतीक्षित है।

(ख) ₹ 41,410 के कुल निवेश में से राशि क्रमशः ₹ 20,705 तथा ₹ 8,282 वर्ष 1976–77 व 1977–78 में वापस प्राप्त हुई ।

\# सूचना जयपुर रियासत के शामिल होने से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित है । सरकारी अभिलेखों में निवेश का सही वर्ष उपलब्ध नहीं है ।

(ग) वास्तविक निवेश ₹ 12,500 ।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण: प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
V.	**संयुक्त स्टॉक कम्पनियां–(*समाप्त*)**									
	<u>परिसमापन के तहत कम्पनियां–</u>									
	(समाप्त)									
84.	जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर।	1943-44	इक्विटी	4,987	100	4.99 (क)	..	..	..	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
			पूर्वाधिकार	12,471	100	12.47 (क)				
						17.46 (क)				
85.	फुतवाह इस्लामपुर लाइट रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता	1927-28	इक्विटी	95	100	0.10 (ख)	..	..	..	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
86.	दी चपरमुख सिलीघाट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता	1990-91 तक	इक्विटी	95*	100	0.06 (ग)	..	..	..	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
87.	मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा	1996-97	पूर्वाधिकार	10,000	100	10.00	..	..	..	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
		तक	इक्विटी	40,000	100	40.00				
		2021–22	वापसी			(-) 37.00	..	..	..	
						13.00				
88.	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर	1948-49	संचयी पूर्वाधिकार	75,000	100	75.00	..	..	..	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
	योग –V					**10,014.56** (घ)		**0.01** (च)	**..**	

(क) वास्तविक निवेश क्रमशः ₹ 4,98,700, ₹ 12,47,100 तथा ₹ 17,45,800 ।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 9,500 ।

* 1990–91 में पूर्व में वापस किये गये शेयरों की संख्या राज्य सरकार से विवरण के अभाव में कम नही की जा सकी।

(ग) वास्तविक निवेश ₹ 6,365 ।

(घ) वास्तविक निवेश ₹ 1,00,43,56,398 ।

(च) वास्तविक लांभाश ₹ 675 ।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण: प्रकार	निवेश का विवरण: हिस्सा/ऋण पत्र की संख्या	निवेश का विवरण: प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
VI.	**साझेदारी व्यापार संस्थाएं**									
89.	कॉटन प्रेस कम्पनी, मदनगंज, किशनगढ़	1900-01	रुपये में 26 पैसे या कुल पूंजी का 25/96			0.21 (क)	..	..	..	वर्ष 2019–20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2022)।
	योग –VI					**0.21** (क)		**..**	**..**	
VII.	**सहकारी बैंकों/समितियों में निवेश** #									
01.	क्रेडिट–सहकारी समितियां *	2018-19 तक	(ख)	(ख)	(ख)	23,051.42 (ग)	..	141.33 (घ)	..	
02.	आवास सहकारी समितियां *	2013-14 तक	(ख)	(ख)	(ख)	164.55 (ड)	..	..	..	

(क) वास्तविक निवेश ₹ 20,833।

\# गत वर्षों में सहकारी समितियों में विनिवेश के गलत वर्गीकरण के कारण संबंधित सहकारी समितियों के तहत दर्शाने के लिए विभिन्न सहकारी समितियों के अन्तर्गत निवेश को पुनरीक्षित किया गया है।

* सहकारी बैंको तथा समितियों की संख्या से संबंधित सूचना राज्य सरकार से बार–बार माँगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(ख) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार–बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(ग) वास्तविक निवेश ₹ 2,30,51,42,395।

(घ) वास्तविक लाभांश ₹ 1,41,32,560।

(ड) वास्तविक निवेश ₹ 1,64,55,444।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
VII.	**सहकारी बैंकों/समितियों में निवेश –*(क्रमशः)***									
03.	श्रम सहकारी समितियां *	2011-12 तक	(क)	(क)	(क)	6.01 (ख)	..	..	..	
04.	कृषि सहकारी समितियां *	2014-15 तक	(क)	(क)	(क)	0.84 (ग)	..	..	..	
05.	भाण्डागार और विपणन सहकारी समितियां *	2014-15 तक	(क)	(क)	(क)	3,117.34 (घ)	..	72.56 (ड)	..	
06.	प्रक्रिया सहकारी समितियां *	2020-21 तक	(क)	(क)	(क)	7,671.14 (च)	..	..	..	
		2021-22	वापसी			(-) 1.20				
						7,669.94 (छ)				
07.	डेयरी सहकारी समितियां *	2015-16 तक	(क)	(क)	(क)	6,31.18 (ज)	..	..	..	
08.	सहकारी कताई मिलें *	2012-13 तक	(क)	(क)	(क)	7,038.48 (झ)	..	..	..	

* सहकारी बैंको तथा समितियों की संख्या से संबंधित सूचना राज्य सरकार से बार–बार माँगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार–बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 6,01,333 । (ग) वास्तविक निवेश ₹ 83,695 । (घ) वास्तविक निवेश ₹ 31,17,34,166 । (ड) वास्तविक लाभांश ₹ 72,56.154 ।

(च) वास्तविक निवेश ₹ 76,71,14,185 । (छ) वास्तविक निवेश ₹ 76,69,94,185 । (ज) वास्तविक निवेश ₹ 6,31,17,620 । (झ) वास्तविक निवेश ₹ 70,38,47,900 ।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(क्रमशः)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण: प्रकार	निवेश का विवरण: हिस्सा/ऋण पत्र की संख्या	निवेश का विवरण: प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान लाभ प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
VII.	**सहकारी बैंकों/समितियों में निवेश –*(क्रमशः)***									
09.	उपभोक्ता सहकारी समितियां *	2011-12 तक	(क)	(क)	(क)	1,126.83 (ख)	..	..	..	
10.	राजस्थान सहकारी वित्त और विकास निगम #	2013-14	(क)	(क)	(क)	1,000.00	..	..	..	
11.	औद्योगिक सहकारी समितियां *	2003-04 तक	(क)	(क)	(क)	4.76 (ग)	..	..	..	
12.	जनजातीय क्षेत्र उप–योजना के अन्तर्गत विविध समितियां*	2020-21 तक 2021-22	(क) वापसी	(क)	(क)	6,451.18 (घ) (-) 381.99 (ड) 6,069.19 (च)	..	..	..	

* सहकारी बैंकों और समितियों की संख्या के सम्बन्ध मे सूचना राज्य सरकार से बार–बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।

\# संस्था का प्रकार राज्य सरकार से प्रतीक्षित है ।

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार–बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 11,26,82,550 ।

(ग) वास्तविक निवेश ₹ 4,76,013 ।

(घ) वास्तविक निवेश ₹ 64,51,17.306 ।

(ड) वास्तविक वापसी ₹ 3,81,98,732 ।

(च) वास्तविक निवेश ₹ 60,69,18,574 ।

विवरण संख्या 19 – *(क्रमशः)*

खण्ड 1 : 2021–22 तक के निवेशों का विवरण–*(समाप्त)*

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण: प्रकार	निवेश का विवरण: हिस्सा/ऋण पत्र की संख्या	निवेश का विवरण: प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नही हुआ	अभ्युक्तियां
						(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		
VII	**सहकारी बैंकों/समितियों में निवेश –*(समाप्त)***									
13.	महिला सहकारी समितियां *	2020-21 तक	(क)	(क)	(क)	177.07	..	..	..	
		2021-22	(क)	(क)	(क)	3.60				
						180.67				
14.	अन्य सहकारी समितियां *	2020-21 तक	(क)	(क)	(क)	8,325.43 (ख)	..	15.20 (ग)	..	
		2021-22	वापसी			(-) 785.84 (घ)				
						7,539.59 (ड)				
	योग – VII					**57,600.80** (च)		**229.09** (छ)	..	
	कुल योग					**56,47,509.80** (ज)		**8,747.98** (झ) @	..	

* सहकारी बैंकों और समितियों की संख्या के सम्बन्ध मे सूचना राज्य सरकार से बार–बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार–बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 83,25,43,319 । (ग) वास्तविक लाभांश ₹ 15,19,536 । (घ) वास्तविक वापसी ₹ 7,85,84,053 । (ड) वास्तविक निवेश ₹ 75,39,59,266 ।

(च) वास्तविक निवेश ₹ 5,76,00,80,141 । (छ) वास्तविक लाभांश ₹ 2,29,08,250 । (ज) वास्तविक निवेश ₹ 5,64,75,09,80,450 ।

(झ) वास्तविक लाभांश ₹ 87,47,96,273 । पूर्ण राशि तथा पूर्णांकित राशि में अन्तर प्रत्येक राशि के स्वभाविक पूर्णाकन के कारण है।

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) 0.02 लाख का अंतर है ।

विवरण संख्या 19 – *(समाप्त)*

खण्ड 2 : वर्ष के दौरान मुख्य तथा लघु शीर्षवार निवेश का विवरण

(मात्र वही मामले सम्मिलित करने हैं जिनसे विवरण संख्या 19 में दर्शायी राशियां मिलान नहीं करती हैं)

विवरण संख्या 19 की क्रम संख्या	मुख्य / लघु शीर्ष	गत वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान निवेश	वर्ष के दौरान विनिवेश	वर्ष के अंत में निवेश	प्राप्त लाभांश/ ब्याज
		(₹ लाख में)				

शून्य

विवरण संख्या – 20 सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का ब्यौरेवार विवरण

क– वर्गवार गारन्टियों का विवरण #

वर्ग (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि*	वर्ष 2021–22 के प्रारम्भ में बकाया*	वर्ष के दौरान बढ़त*	घटत* (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	वर्ष के दौरान याचिका		वर्ष 2021–22 के अन्त में बकाया*	गारन्टी कमीशन अथवा फीस		अन्य आवश्यक विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई		प्राप्त होने योग्य	प्राप्त	
					(₹ लाख में)					
भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को मूलधन के पुर्नभुगतान एवं ब्याज के भुगतान, नगद जमा सुविधा, वित्तीय मौसमी कृषि कार्य तथा कम्पनियों, निगमों एवं सहकारी समितियों तथा बैंको को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए गारन्टी (485)	1,72,68,432.16	82,61,245.59	27,61,250.61	14,35,687.86	..	..	95,86,808.34	1,03,569.05	58,683.82 (क)	..
कुल योग–	**1,72,68,432.16**	**82,61,245.59**	**27,61,250.61**	**14,35,687.86**	**..**	**..**	**95,86,808.34**	**1,03,569.05**	**58,683.82**	**..**

\# सूचना का स्त्रोत : राज्य सरकार ।

* गारन्टी में ब्याज, यदि कोई हो, सम्मिलित है ।

(क) वर्ष के दौरान ₹ 44,885.23 लाख बकाया रहा।

विवरण संख्या – 20 *(क्रमशः)*

ख– प्रत्येक वर्गवार गारन्टियों के लिये क्षेत्रवार विवरण #

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि*	वर्ष 2021–22 के प्रारम्भ में बकाया*	वर्ष के दौरान बढ़त*	घटत* (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	वर्ष के दौरान याचिका		वर्ष 2021–22 के अन्त में बकाया *	गारन्टी कमीशन अथवा फीस		अन्य आवश्यक विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई		प्राप्त होने योग्य	प्राप्त	
					(₹ लाख में)					
वर्ग (1)										
ऊर्जा (5) *कर्जे/ओवरड्राफ्ट के पुर्नभुगतान, बॉण्ड/ऋण–पत्रों को जारी करके ली गई राशि और उन पर राष्ट्रीकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी*										
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (40)	11,94,287.21	6,33,481.83	1,43,273.00	1,50,128.28	..	..	6,26,626.55	5,567.61	5,567.61	..
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (35)	31,21,060.00	23,08,266.21	2,53,803.56	3,87,380.38	..	..	21,74,689.39	49,951.11	5,065.88 (क)	..
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (98)	38,31,129.99	13,38,020.17	5,15,024.66	1,36,003.23	..	..	17,17,041.60	12,901.38	12,901.38	..
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (107)	29,57,249.51	12,51,995.73	4,19,113.49	1,15,968.73	..	..	15,55,140.49	12,045.15	12,045.15	..
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (77)	30,98,831.81	14,23,788.95	5,88,260.22	1,17,445.39	..	..	18,94,603.78	14,450.83	14,450.83	..
योग–ऊर्जा	**1,42,02,558.52**	**69,55,552.89**	**19,19,474.93**	**9,06,926.01**	**..**	**..**	**79,68,101.81**	**94,916.08**	**50,030.85**	**..**
सहकारी समितियाँ (6)										
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (1) *कृषि एवं ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए गारन्टी*	2,00,000.00	1,00,000.00	..	1,00,000.00	..	..	..	..	..	..

\# सूचना का स्त्रोत : राज्य सरकार ।

* गारन्टी में ब्याज, यदि कोई हो, सम्मिलित है ।

विवरण में सभी इकाइयों के समक्ष कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटीयों की संख्या के द्योतक है।

(क) वर्ष के दौरान ₹ 44,885.23 लाख बकाया रहा।

विवरण संख्या – 20 *(क्रमशः)*

ख– प्रत्येक वर्गवार गारन्टियों के लिये क्षेत्रवार विवरण –*(क्रमशः)*

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि	वर्ष 2021–22 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान बढ़त	घटत (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	वर्ष के दौरान याचिका		वर्ष 2021–22 के अन्त में बकाया	गारन्टी कमीशन अथवा फीस		अन्य आवश्यक विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई		प्राप्त होने योग्य	प्राप्त	
					(₹ लाख में)					
सहकारी समितियाँ (6) –*(क्रमशः)*										
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (2) *कृषि एवं ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए गारन्टी*	1,60,000.00	95,215.25	11,420.00	21,131.04	..	..	85,504.21	91.89	91.89	..
राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ लिमिटेड (3) *राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी*	3,00,000.00	52,266.00	2,19,899.83	2,72,165.83	..	..	..	60.54	60.54	..
राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति वित्त तथा विकास सहकारी निगम लिमिटेड (12) *विभिन्न निगमों से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान के लिये गारन्टी*	34,400.11	20,144.95	3,093.85	2,925.18	..	..	20,313.62	191.60	191.60	..
राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (2) *राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए गारन्टी*	13,500.00	9,460.28	500.00	3,113.06	..	..	6,847.22	82.10	82.10	..

विवरण संख्या – 20 *(क्रमशः)*

ख– प्रत्येक वर्गवार गारन्टियों के लिये क्षेत्रवार विवरण –*(क्रमशः)*

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि	वर्ष 2021–22 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान बढ़त	घटत (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	वर्ष के दौरान याचिका		वर्ष 2021–22 के अन्त में बकाया	गारन्टी कमीशन अथवा फीस		अन्य आवश्यक विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई		प्राप्त होने योग्य	प्राप्त	
					(₹ लाख में)					
सहकारी समितियाँ (6) –*(समाप्त)*										
राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (2) *राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से प्राप्त कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए गारन्टी*	15,066.00	2,043.13	100.00	740.56	..	..	1,402.57	19.40	19.40	..
योग - सहकारी समितियाँ	**7,22,966.11**	**2,79,129.61**	**2,35,013.68**	**4,00,075.67**	**..**	**..**	**1,14,067.62**	**445.53**	**445.53**	**..**
सड़क तथा परिवहन (1)										
राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम लिमिटेड (13) *हुड़को से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान तथा नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी*	4,62,148.00	2,94,473.17	60,000.00	32,490.56	..	..	3,21,982.61	6,008.72	6,008.72	..
योग - सड़क तथा परिवहन	**4,62,148.00**	**2,94,473.17**	**60,000.00**	**32,490.56**	**..**	**..**	**3,21,982.61**	**6,008.72**	**6,008.72**	**..**

विवरण संख्या – 20 *(क्रमशः)*

ख– प्रत्येक वर्गवार गारन्टियों के लिये क्षेत्रवार विवरण –*(क्रमशः)*

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि	वर्ष 2021–22 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान बढ़त	घटत (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	वर्ष के दौरान याचिका		वर्ष 2021–22 के अन्त में बकाया	गारन्टी कमीशन अथवा फीस		अन्य आवश्यक विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई		प्राप्त होने योग्य	प्राप्त	
					(₹ लाख में)					
राज्य वित्तीय निगम (2)										
राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड (4) *कर्जे/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान, बॉण्ड/ऋण–पत्रों को जारी करके ली गई राशि और उन पर राष्ट्रीकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी*	40,000.00	22,600.00	..	9,110.00	..	..	13,490.00	184.00	184.00	..
राजस्थान राज्य विद्युत वित्त और वित्तीय सेवा निगम (1)	50,000.00	..	50,000.00	..	..	..	50,000.00	1.10	1.10	..
योग - राज्य वित्तीय निगम	**90,000.00**	**22,600.00**	**50,000.00**	**9,110.00**	**..**	**..**	**63,490.00**	**185.10**	**185.10**	**..**
नगरीय विकास एवं आवासन (6)										
राजस्थान नगरीय पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत निगम (4)	3,77,261.00	1,36,462.79	22,600.00	12,404.32	..	..	1,46,658.47	54.39	54.39	..
जयपुर विकास प्राधिकरण (8)	1,65,729.00	1,23,911.81	5,662.00	12,548.84	..	..	1,17,024.97	1,195.72	1,195.72	..
नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) (1)	10,000.00	..	8,000.00	179.00	..	..	7,821.00	35.00	35.00	..
नगर निगम जयपुर (हेरिटेज) (1)	10,000.00	..	2,500.00	..	..	..	2,500.00	..	..	..
नगर निगम भरतपुर (1)	15,000.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
विभिन्न जिला परिषदें (80) *ग्रामीण क्षेत्रों में इडब्ल्यूएस परिवारों के लिए रहने योग्य यूनिटों के निर्माण हेतु आवासन तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड से लिये गये कर्जों तथा उन पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी*	3,94,866.30	1,80,441.50	..	29,197.72	..	..	1,51,243.78	..	..	..
योग - नगरीय विकास एवं आवासन	**9,72,856.30**	**4,40,816.10**	**38,762.00**	**54,329.88**	**..**	**..**	**4,25,248.22**	**1,285.11**	**1,285.11**	**..**

विवरण संख्या – 20 *(क्रमशः)*

ख– प्रत्येक वर्गवार गारन्टियों के लिये क्षेत्रवार विवरण –*(क्रमशः)*

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि	वर्ष 2021–22 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान बढ़त	घटत (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	वर्ष के दौरान याचिका		वर्ष 2021–22 के अन्त में बकाया	गारन्टी कमीशन अथवा फीस		अन्य आवश्यक विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई		प्राप्त होने योग्य	प्राप्त	
				(₹ लाख में)						
अन्य कोई (4)										
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (1) *कर्जे/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान, बॉण्ड/ऋण–पत्रों को जारी करके ली गई राशि और उन पर खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई से नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी*	3,740.00	636.83	..	..	..	..	636.83	0.64	0.64	..
राजस्थान राज्य जलपूर्ति तथा मल निकासी निगम (09) *भारतीय जीवन बीमा निगम से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान तथा उन पर नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी*	4,06,663.23	536.99	4,00,000.00	140.34	..	..	4,00,396.65	5.34	5.34	..
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर (5) *राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर द्वारा जारी किये गये बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान तथा मूलधन के पुनर्भुगतान की गारन्टी*	1,57,500.00	67,500.00	58,000.00	29,588.72	..	..	95,911.28	722.53	722.53	..
राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड (3)	2,50,000.00	2,00,000.00	..	3,026.68	..	..	1,96,973.32	..	..	..
योग - अन्य कोई	**8,17,903.23**	**2,68,673.82**	**4,58,000.00**	**32,755.74**	**..**	**..**	**6,93,918.08**	**728.51**	**728.51**	**..**
कुल योग	**1,72,68,432.16**	**82,61,245.59**	**27,61,250.61**	**14,35,687.86**	**..**	**..**	**95,86,808.34**	**1,03,569.05**	**58,683.82**	**..**

विवरण संख्या – 20 *(क्रमशः)*

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

(क) गारन्टी मोचन निधि : राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 में गारन्टी मोचन निधि की स्थापना की गई थी । निधि का विस्तृत लेखा नीचे दर्शाया जा रहा हैं :–

			(₹ लाख में)
(i)		प्रारंम्भिक शेष	4,42,332.87 (क)
(ii)	जोड़िये–	वर्ष के दौरान निधि में राशि का हस्तान्तरण	55,131.77
(iii)		योग	4,97,464.63
(iv)	घटाइये–	याचिका की गई गारन्टी के चुकारे के लिए निधि से प्राप्त राशि	..
(v)		अन्तिम शेष	4,97,464.63 (ख)
(vi)		गारन्टी मोचन निधि में से निवेश की गई राशि	4,71,584.26

राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के दृष्टिगत कुछ मामलों में, संस्थाओं द्वारा गारन्टी कमीशन का भुगतान आवश्यक है। प्राप्त होने योग्य गारन्टी फीस ₹ 1,03,569.05 लाख के विरूद्ध ₹ 58,683.82 लाख की राशि शीर्ष ''0075–108'' के अन्तर्गत प्राप्त हुई । वर्ष के दौरान ₹ 3,789.60 लाख का शेष छोड़ते हुए ₹ 55,131.77 लाख (2020–21 से संबंधित ₹ 237.55 लाख सम्मिलित) निधि को हस्तान्तरित किये गये।

(ख) वर्ष 2021–22 के दौरान कोई गारन्टी याचिका नहीं की गई ।

1. मै. जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर को गारण्टी दी गई जो 30 जून 1988 को मांगी गई तथा राज्य सरकार को गारण्टी के ₹ 274.14 लाख तथा भुगतान होने की दिनांक तक 16.5 *प्रतिशत* वार्षिक दर से ब्याज देने को कहा गया। तद्नुसार राज्य सरकार ने बैंक को दिनाक 31 मार्च 1995 को ₹ 296.06 लाख का भुगतान किया। कम्पनी समापनाधीन है तथा प्रकरण न्यायालय में लम्बित है (जून 2022)।
2. मै. जयपुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लिमिटेड को गारण्टी दी गई जो 23 फरवरी 1984 को मांगी गई तथा राज्य सरकार को गारण्टी के ₹ 504.76 लाख तथा भुगतान होने की दिनांक तक 18 *प्रतिशत* वार्षिक दर से ब्याज देने को कहा गया। मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट के आदेशानुसार ₹ 504.76 लाख ऋण वसूली के अधिकरण को जमा कराये गये। गारन्टर से राशि वसूल करने के लिये मामला जयपुर जिला न्यायालय में अप्रैल 2003 में दायर किया गया (जून 2022)।
3. मै. मेवाड़ टैक्सटाईल्स मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा के पक्ष में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को दी गई ₹ 385.00 लाख की गारण्टी के विरूद्ध राज्य सरकार ने गारन्टी का सम्मान करने के लिये दिनांक 28 जनवरी 2002 को ₹ 372.41 लाख का ऋण स्वीकृत किया जिसमें से ₹ 207.41 लाख चार वित्तीय संस्थाओं को वर्ष 2001–02 में चुकाए गये। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा चुकाई गई राशि को बैंकों [आई सी आई सी आई बैंक (भूतपूर्व दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया] द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तथा वसूली वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई । कम्पनी का समापनाधीन प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है। समापनाधीन अधिकारी की नियुक्ति अभी की जानी है (जून 2022)।

(क) गारन्टी मोचन निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹ 1,03,098.56 लाख सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) गारन्टी मोचन निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹ 1,09,779.76 लाख सम्मिलित नहीं हैं।

विवरण संख्या 20–*(समाप्त)*

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ–*(समाप्त)*

4. राजस्थान राज्य हथकर्घा विकास निगम को दी गई गारन्टी की माँग वर्ष 2003–04 में की गई तथा राज्य सरकार को गारन्टी के ₹ 1.80 करोड़ तथा भुगतान होने की तिथि तक ब्याज देने को कहा गया। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य हथकर्घा विकास निगम को ₹ 1.08 करोड़ का ऋण स्वीकृत कर वर्ष 2003–04 के दौरान आई.सी.आई.सी.आई.बैंक को (भूतपूर्व दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड) को ₹ 1.08 करोड़ चुकाये। कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण निगम द्वारा पुनर्भुगतान नहीं किया गया (जून 2022)।

(ग) वर्ष 2021–22 के दौरान ''लेटर ऑफ कम्फर्ट '' जारी नहीं किये गये ।

(घ) राज्य सरकार के बजट दस्तावेज में गारण्टी का विवरण सम्मिलित है।

(ड) वर्तमान में वित्त (बजट) विभाग सरकार में गारण्टी के लिए ट्रेकिंग इकाई के रूप में कार्यरत है।

(च) वित्तीय विवरण में गारण्टी मोचन निधि का ब्यौरा सम्मिलित है।

विवरण संख्या 21 – आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण

लेखा शीर्ष		1 अप्रैल 2021 को आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2022 को अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (–) राशि	प्रतिशत
			(₹ लाख में)				
भाग II. आकस्मिकता निधि							
8000. आकस्मिकता निधि							
201. समेकित निधि से विनियोजन	जमा	50,000.00	50,000.00	..	जमा 1,00,000.00	(+) 50,000.00	100.00
योग – भाग II. आकस्मिकता निधि	**जमा**	**50,000.00**	**50,000.00**	**..**	**जमा 1,00,000.00**	(+) **50,000.00**	100.00
भाग III . लोक लेखा							
झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि							
(ख) राज्य भविष्य निधियां							
8009. राज्य भविष्य निधि							
01. सिविल							
101. सामान्य भविष्य निधि	जमा	34,67,766.32	6,11,894.51	5,61,836.42	जमा 35,17,824.41	(+) 50,058.09	1.44
102. अंशदायी भविष्य निधि	जमा	499.62	(-) 0.16 (क)	..	जमा 499.46	(-) 0.16	0.03
104. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि	जमा	5,529.40	1,413.52	773.52	जमा 6,169.40	(+) 640.00	11.57
योग – 01	जमा	34,73,795.34	6,13,307.87	5,62,609.94	जमा 35,24,493.27	(+) 50,697.93	1.46
02. रक्षा							
101. रक्षा बचत भविष्य निधि	जमा	0.24	..	..	जमा 0.24	..	..
योग – 02	जमा	0.24	..	..	जमा 0.24	..	..

(क) *ऋण* आकड़े जांच के अधीन हैं ।

विवरण संख्या 21 – *(क्रमशः)*

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2022 को अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (–) राशि	प्रतिशत
			(₹ लाख में)			
भाग III . लोक लेखा–*(क्रमशः)*						
झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि–*(समाप्त)*						
(ख) राज्य भविष्य निधियां–(समाप्त)						
8009. राज्य भविष्य निधि –*(समाप्त)*						
60. अन्य भविष्य निधियां						
101. कामगार अंशदायी भविष्य निधि	जमा 1,35,061.42	9,625.63	..	जमा 1,44,687.05	(+) 9,625.63	7.13
103. अन्य विविध भविष्य निधियां	जमा 61,864.68	4,403.13	..	जमा 66,267.81	(+) 4,403.13	7.12
योग – 60	जमा 1,96,926.10	14,028.76	..	जमा 2,10,954.86	(+) 14,028.76	7.12
योग – 8009	जमा 36,70,721.68	6,27,336.63	5,62,609.94	जमा 37,35,448.37	(+) 64,726.69	1.76
योग–(ख) राज्य भविष्य निधियां	जमा 36,70,721.68	6,27,336.63	5,62,609.94	जमा 37,35,448.37	(+) 64,726.69	1.76
(ग) अन्य लेखे						
8011. बीमा तथा पेंशन निधि						
105. राज्य सरकार बीमा निधि	जमा 21,45,621.52	5,69,689.16	3,18,103.66	जमा 23,97,207.02	(+) 2,51,585.50	11.73
106. अन्य बीमा तथा पेंशन निधियां	जमा(-) 2,06,185.44	1,97,630.29	2,52,328.18	जमा(-) 2,60,883.33(क)	(-) 54,697.89	26.53
107. राज्य सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना	जमा 22,411.41	5,413.43	20,960.30	जमा 6,864.54	(-) 15,546.87	69.37
योग – 8011	जमा 19,61,847.49	7,72,732.88	5,91,392.14	जमा 21,43,188.23	(+) 1,81,340.74	9.24
योग–(ग) अन्य लेखे	जमा 19,61,847.49	7,72,732.88	5,91,392.14	जमा 21,43,188.23	(+) 1,81,340.74	9.24
योग –झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	**जमा 56,32,569.17**	**14,00,069.51**	**11,54,002.08**	**जमा 58,78,636.60**	**(+) 2,46,067.43**	**4.37**

(क) *ऋण शेष* कोषालयों द्वारा प्राप्तियों की तुलना में अधिक भुगतान के कारण हैं।

विवरण संख्या 21 – *(क्रमशः)*

लेखा शीर्ष		1 अप्रैल 2021 को आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण		31 मार्च 2022 को अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (–) राशि	प्रतिशत
			(₹ लाख में)					
भाग III . लोक लेखा–*(क्रमशः)*								
ञ. आरक्षित निधि								
(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां								
8115. मूल्य ह्रास /नवीकरण आरक्षित निधि								
103. मूल्य ह्रास आरक्षित निधि–सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	जमा	6,747.59	(-) 6,747.59 (क)	..		..	(-) 6,747.59	100.00
योग - 8115	जमा	6,747.59	(-) 6,747.59	..		..	(-) 6,747.59	100.00
8121. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां								
122. राज्य आपदा मोचन निधि	जमा	2,97,943.68	1,36,607.25 (ख)	1,87,668.75	जमा	2,46,882.18	(-) 51,061.50	17.14
126. राज्य आपदा मोचन निधि–निवेश लेखा		..	..	1,37,275.74	नामे	1,37,275.74	(+) 1,37,275.74	..
129. राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि (एस सी ए एफ)	जमा	1,48,172.01	15,903.10 (ग)	18,236.12	जमा	1,45,838.99	(-) 2,333.02	1.57
130. राज्य आपदा मिटिगेशन निधि		..	79,000.00 (घ)	..	जमा	79,000.00	(+) 79,000.00	..
योग – 8121	जमा	4,46,115.69	2,31,510.35	3,43,180.61	जमा	3,34,445.43	(-) 1,11,670.26	25.03
योग – (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	जमा	4,52,863.28	2,24,762.76	3,43,180.61	जमा	3,34,445.43	(-) 1,18,417.85	26.15

(क) वर्ष के दौरान दो आरक्षित निधियां बन्द हुई तथा समस्त राशि राजस्व प्राप्ति शीर्ष 0075 को हस्तांतरित की गयी।

(ख) इसमें (i) राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत केन्द्र (₹ 1,18,480.00 लाख) तथा राज्य (₹ 39,520.00 लाख) दोनों का कुल अंशदान ₹ 1,58,000.00 लाख, (ii) राष्ट्रीय आपदा मिटिगेशन निधि में ₹ 39,500.00 लाख का हस्तान्तरण तथा (iii) राज्य सरकार द्वारा अनिवेशित रही राशि पर भुगतान किया गया ₹ 169.00 करोड़ का ब्याज तथा निवेशित राशि पर अर्जित ₹ 12.07 करोड़ का ब्याज सम्मिलित हैं।

(ग) जनवरी 2022 तक निवेश नहीं की गई राशि पर राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज।

(घ) इसमें केन्द्र (₹ 29,620.00 लाख) तथा राज्य (₹ 9,880.00 लाख) दोनों का कुल अंशदान ₹ 39,500.00 लाख तथा (ii) राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में ₹ 39,500.00 लाख का हस्तान्तरण सम्मिलित है।

विवरण संख्या 21 – *(क्रमशः)*

लेखा शीर्ष		1 अप्रैल 2021 को आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2022 को अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (–) राशि	प्रतिशत
				(₹ लाख में)			
भाग III लोक लेखा – *(क्रमशः)*							
ञ. आरक्षित निधि–*(समाप्त)*							
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां							
8225. सड़क तथा सेतु निधि							
02. राज्य सड़क तथा सेतु निधि							
101. राज्य सड़क तथा सेतु निधि	जमा	5,110.43	2,29,070.00	1,89,470.74	जमा 44,709.69	(+) 39,599.26	774.87
योग – 8225.	जमा	5,110.43	2,29,070.00	1,89,470.74	जमा 44,709.69	(+) 39,599.26	774.87
8229. विकास तथा कल्याण निधि							
104. पशुपालन प्रयोजनों के लिए विकास निधि	जमा	7,245.63	64,714.00	63,103.08	जमा 8,856.55	(+) 1,610.92	22.23
200. अन्य विकास तथा कल्याण निधि	जमा	94,954.20	1,37,741.98	1,24,700.86	जमा 1,07,995.32	(+) 13,041.12	13.73
योग – 8229	जमा	1,02,199.83	2,02,455.98	1,87,803.94	जमा 1,16,851.87	(+) 14,652.04	14.34
8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां							
117. गांरटी मोचन निधि	जमा	5,45,431.43	61,812.96	..	जमा 6,07,244.39	(+) 61,812.96	11.33
120. गांरटी मोचन निधि–निवेश लेखा	नामे	1,93,318.81	1,93,318.81	4,71,584.26	नामे 4,71,584.26	(+) 2,78,265.45	143.94
200. अन्य निधियां							
सकल	जमा	18,671.27	(-) 229.15 (क)	243.71	जमा 18,198.41	(-) 472.86	2.53
निवेश	नामे	17,054.81	..	..	नामे 17,054.81	..	..
निवल–200	जमा	1,616.46	(-) 229.15	243.71	जमा 1,143.60	(-) 472.86	29.25
योग – 8235.	जमा	3,53,729.08	2,54,902.62	4,71,827.97	जमा 1,36,803.73	(-) 2,16,925.35	61.33
योग – (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	जमा	4,61,039.34	6,86,428.60	8,49,102.65	जमा 2,98,365.29	(-) 1,62,674.05	35.28
योग–ञ. आरक्षित निधि	**जमा**	**9,13,902.62**	**9,11,191.36**	**11,92,283.26**	**जमा 6,32,810.72**	**(-) 2,81,091.90**	**30.76**

(क) *ऋण* आंकड़े राज्य सड़क विकास निधि के बंद होने और इसमें जमा ₹ 402.08 लाख की समस्त राशि शीर्ष 0075 में हस्तान्तरित होने के कारण है।

विवरण संख्या 21 – *(क्रमशः)*

लेखा शीर्ष		1 अप्रैल 2021 को आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण		31 मार्च 2022 को अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (–) राशि	प्रतिशत
				(₹ लाख में)				
भाग III. लोक लेखा – *(क्रमशः)*								
ट. जमा तथा अग्रिम								
(क) ब्याज वाली जमा								
8338. स्थानीय निधियों की जमा								
103. राज्य आवासन मण्डल की जमा	जमा	397.71	..	..	जमा	397.71	..	..
104. अन्य स्वायत्त निकायों की जमा	जमा	5,53,481.36	1,28,220.53	1,01,381.31	जमा	5,80,320.58	(+) 26,839.22	4.85
योग – 8338.	जमा	5,53,879.07	1,28,220.53	1,01,381.31	जमा	5,80,718.29	(+) 26,839.22	4.85
8342. अन्य जमा								
103. सरकारी कम्पनियों, निगमों आदि की जमा	जमा	2,98,311.91	57,911.32	91,141.30	जमा	2,65,081.93	(-) 33,229.98	11.14
117. सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना	जमा	49.08	68,696.63	244.24	जमा	68,501.47	(+) 68,452.39	1,39,471.05
120. विविध जमा	जमा	2,74,795.54	3,48,326.18	1,92,305.89	जमा	4,30,815.83	(+) 1,56,020.29	56.78
योग – 8342.	जमा	5,73,156.53	4,74,934.13	2,83,691.43	जमा	7,64,399.23	(+) 1,91,242.70	33.37
योग– (क) ब्याज वाली जमा	जमा	11,27,035.60	6,03,154.66	3,85,072.74	जमा	13,45,117.52	(+) 2,18,081.92	19.35
(ख) बिना ब्याज वाली जमा								
8443. सिविल जमा								
101. राजस्व जमा	जमा	4,517.95	(-) 79.03	(क) 399.38	जमा	4,039.54	(-) 478.41	10.59
103. प्रतिभूति जमा	जमा	62,527.64	32,750.58	21,649.59	जमा	73,628.63	(+) 11,100.99	17.75

(क) *ऋण* आंकड़े व्ययगत जमा को शीर्ष 0075 (₹ 121.82 लाख) में हस्तान्तरित करने के कारण है।

विवरण संख्या 21 – *(क्रमशः)*

लेखा शीर्ष		1 अप्रैल 2021 को आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण		31 मार्च 2022 को अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (–) राशि	प्रतिशत
				(₹ लाख में)				
भाग III. लोक लेखा – *(क्रमशः)*								
ट. जमा तथा अग्रिम – *(क्रमशः)*								
(ख) बिना ब्याज वाली जमा– (क्रमशः)								
8443. सिविल जमा–*(क्रमशः)*								
104. सिविल न्यायालय जमा	जमा	5,051.68	1,075.96	2,076.36	जमा	4,051.28	(-) 1,000.40	19.80
105. आपराधिक न्यायालय जमा	जमा	69.94	23.01	6.31	जमा	86.64	(+) 16.70	23.88
106. व्यक्तिगत जमा	जमा	14,38,295.11	59,74,952.00	55,91,185.26	जमा	18,22,061.85	(+) 3,83,766.74	26.68
108. लोक निर्माण कार्य जमा	जमा	4,15,626.80	1,92,456.70	1,85,270.07	जमा	4,22,813.43	(+) 7,186.63	1.73
109. वन जमा	जमा	1,659.76	1,160.19	1,251.09	जमा	1,568.86	(-) 90.90	5.48
111. अन्य विभागीय जमा	जमा	804.87	67.50	..	जमा	872.37	(+) 67.50	8.39
116. विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों के अधीन जमा	जमा	224.90	133.37	114.97	जमा	243.30	(+) 18.40	8.18
117. सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिये किये गये कार्य के लिये जमा	जमा	118.08	65.82	86.33	जमा	97.57	(-) 20.51	17.37
118. गैर – सरकारी निकायों के लिये किये गये कार्य के लिये सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्कों की जमा	जमा	0.01	..	..	जमा	0.01	..	..
119. कम्पनी परिसमापन लेखा	जमा	.. *	..	..	जमा	.. *	..	..
121. चुनावों के संबंध में जमा	जमा	31.02	0.08	..	जमा	31.10	(+) 0.08	0.26

* ₹ 373 मात्र।

विवरण संख्या 21 – *(क्रमशः)*

लेखा शीर्ष		1 अप्रैल 2021 को आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2022 को अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (–) राशि	प्रतिशत
			(₹ लाख में)				
भाग III. लोक लेखा – *(क्रमशः)*							
ट. जमा तथा अग्रिम – *(क्रमशः)*							
(ख) बिना ब्याज वाली जमा – (क्रमशः)							
8443. सिविल जमा–*(समाप्त)*							
123. शैक्षणिक संस्थाओं की जमा	जमा	17,715.00	27,110.98	16,772.36	जमा 28,053.62	(+) 10,338.62	58.36
800. अन्य जमा	जमा	1,682.83	4,514.61	4,549.92	जमा 1,647.52	(-) 35.31	2.10
योग – 8443.	जमा	19,48,325.59	62,34,231.77	58,23,361.64	जमा 23,59,195.72	(+) 4,10,870.13	21.09
8448. स्थानीय निधियों की जमा							
102. नगरपालिका संबंधी निधियां	जमा	2,41,990.99	4,66,210.32	4,49,233.53	जमा 2,58,967.78	(+) 16,976.79	7.02
107. राज्य विद्युत बोर्ड की कार्यकारी निधियां	जमा	5,410.30	85,97,846.29	85,82,407.29	जमा 20,849.30	(+) 15,439.00	285.36
109. पंचायत निकाय निधियां	जमा	2,91,469.34	4,96,835.23	4,16,205.29	जमा 3,72,099.28	(+) 80,629.94	27.66
110. शिक्षा निधियां	जमा	4,035.03	5,461.12	3,380.06	जमा 6,116.09	(+) 2,081.06	51.58
111. चिकित्सा तथा धर्मार्थ निधियां	जमा	206.34	133.94	143.69	जमा 196.59	(-) 9.75	4.72
120. अन्य निधियां	जमा	49,995.34	97,381.99	95,386.89	जमा 51,990.44	(+) 1,995.10	3.99
योग –8448.	जमा	5,93,107.34	96,63,868.89	95,46,756.75	जमा 7,10,219.48	(+) 1,17,112.14	19.75
8449. अन्य जमा							
103. केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	जमा	1,370.57	..	..	जमा 1,370.57	..	..
105. बाजार कर्ज की जमा राशि		..	51,14,900.00	51,14,900.00	..	..	..
120. विविध जमा	जमा	1,540.82	309.06	300.92	जमा 1,548.96	(+) 8.14	0.53

विवरण संख्या 21 – *(क्रमशः)*

लेखा शीर्ष		1 अप्रैल 2021 को आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण		31 मार्च 2022 को अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (–) राशि	प्रतिशत
				(₹ लाख में)				
भाग III. लोक लेखा – *(क्रमशः)*								
ट. जमा तथा अग्रिम – *(समाप्त)*								
(ख) बिना ब्याज वाली जमा – (समाप्त)								
8449. अन्य जमा – *(समाप्त)*								
123. राष्ट्रीय खनिज खनन ट्रस्ट जमा	जमा	0.86	7,532.78	7,532.78	जमा	0.86	..	..
योग– 8449	जमा	2,912.25	51,22,741.84	51,22,733.70	जमा	2,920.39	(+) 8.14	0.28
योग–(ख) बिना ब्याज वाली जमा	जमा	25,44,345.18	2,10,20,842.50	2,04,92,852.09	जमा	30,72,335.59	(+) 5,27,990.41	20.75
(ग) अग्रिम								
8550. सिविल अग्रिम								
101. वन अग्रिम	नामे	19.90	..	..	नामे	19.90	..	..
103. अन्य विभागीय अग्रिम	नामे	183.32	..	..	नामे	183.32	..	..
104. अन्य अग्रिम	नामे	114.34	0.94	..	नामे	113.40	(-) 0.94	0.82
योग– 8550	नामे	317.56	0.94	..	नामे	316.62	(-) 0.94	0.30
योग – (ग) अग्रिम	नामे	317.56	0.94	..	नामे	316.62	(-) 0.94	0.30
योग – ट. जमा तथा अग्रिम	**जमा**	**36,71,063.22**	**2,16,23,998.10**	**2,08,77,924.83**	**जमा**	**44,17,136.49**	**(+) 7,46,073.27**	**20.32**

विवरण संख्या 21 – *(क्रमशः)*

लेखा शीर्ष		1 अप्रैल 2021 को आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण		31 मार्च 2022 को अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (–) राशि	प्रतिशत
				(₹ लाख में)				
भाग III. लोक लेखा – *(क्रमशः)*								
ठ. उचन्त तथा विविध								
(ख) उचन्त								
8658. उचन्त लेखा								
101. वेतन तथा लेखा कार्यालय–उचन्त	नामे	13,572.25	175.15	(-) 3,992.95 (क)	नामे	9,404.15	(-) 4,168.10	30.71
102. उचन्त लेखा (सिविल)	जमा	10,480.53	(-) 1,124.62 (क)	(-) 627.68 (क)	जमा	9,983.59	(-) 496.94	4.74
106. दूरसंचार लेखा कार्यालय उचन्त	नामे	0.01	..	..	नामे	0.01	..	..
109. रिजर्व बैंक उचन्त–मुख्यालय	नामे	0.04	..	(-) 0.04 (क)	..	..	(-) 0.04	100.00
112. स्त्रोत स्तर पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचन्त	जमा	13,674.83	(-) 11,012.77 (क)	..	जमा	2,662.06	(-) 11,012.77	80.53
123. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	जमा	17.55	6.51	4.95	जमा	19.11	(+) 1.56	8.89
129. सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचन्त लेखा	नामे	350.35	..	..	नामे	350.35	..	..
139. वस्तु एवं सेवा कर– स्त्रौत पर कर की कटौती उचन्त	जमा	5,270.01	148.00	..	जमा	5,418.01	(+) 148.00	2.81
योग – 8658	जमा	15,520.27	(-) 11,807.73	(-) 4,615.72	जमा	8,328.26	(-) 7,192.01	46.34
योग– (ख) उचन्त	जमा	15,520.27	(-) 11,807.73	(-) 4,615.72	जमा	8,328.26	(-) 7,192.01	46.34
(ग) अन्य लेखा								
8671. विभागीय शेष								
101. सिविल	नामे	76.82	1.38	..*	नामे	75.44	(-) 1.38	1.80
योग – 8671	नामे	76.82	1.38	..	नामे	75.44	(-) 1.38	1.80
8672.स्थायी रोकड़ अग्रदाय								
101. सिविल	नामे	284.32	1.50	0.03	नामे	282.85	(-) 1.47	0.52
योग – 8672	नामे	284.32	1.50	0.03	नामे	282.85	(-) 1.47	0.52

(क) *ऋण* आंकड़े गत वर्ष की बकाया राशि के निस्तारण के कारण है।

* ₹ 10 मात्र ।

विवरण संख्या 21 – *(क्रमशः)*

लेखा शीर्ष		1 अप्रैल 2021 को आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण		31 मार्च 2022 को अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (–) राशि	प्रतिशत
				(₹ लाख में)				
भाग III. लोक लेखा – *(क्रमशः)*								
ठ. उचन्त तथा विविध–*(समाप्त)*								
(ग) अन्य लेखा– (समाप्त)								
8673. रोकड़ शेष निवेश लेखा								
101. रोकड़ शेष निवेश लेखा	नामे	4,44,012.68	91,42,408.00	95,20,287.00	नामे	8,21,891.68	(+) 3,77,879.00	85.11
योग – 8673	नामे	4,44,012.68	91,42,408.00	95,20,287.00	नामे	8,21,891.68	(+) 3,77,879.00	85.11
8674. सरकार द्वारा की गई प्रतिभूति जमा								
101. सरकार द्वारा की गई प्रतिभूति जमा	नामे	15,915.70	..	975.12	नामे	16,890.82	(+) 975.12	6.13
योग – 8674	नामे	15,915.70	..	975.12	नामे	16,890.82	(+) 975.12	6.13
योग – (ग) अन्य लेखा	नामे	4,60,289.52	91,42,410.88	95,21,262.15	नामे	8,39,140.79	(+) 3,78,851.27	82.31
(घ) विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे								
8679. अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गए लेखे								
105. पाकिस्तान	नामे	10.35	..	..	नामे	10.35	..	..
106. सिंगापुर	नामे	0.03	..	..	नामे	0.03	..	..
योग– 8679	नामे	10.38	..	..	नामे	10.38	..	..
योग–(घ) विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे	नामे	10.38	..	..	नामे	10.38	..	..
योग–ठ. उचन्त तथा विविध	**नामे**	**4,44,779.63**	**91,30,603.15**	**95,16,646.43**	**नामे**	**8,30,822.91**	**(+) 3,86,043.28**	**86.79**

विवरण संख्या 21 – *(क्रमश :)*

लेखा शीर्ष		1 अप्रैल 2021 को आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण		31 मार्च 2022 को अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (–) राशि	प्रतिशत
				(₹ लाख में)				
भाग III. लोक लेखा – *(समाप्त)*								
ड. प्रेषण– *(समाप्त)*								
(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण– (समाप्त)								
8782. उसी लेखाधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन– *(समाप्त)*								
101. खजानों तथा मुद्रा तिजोरियों के बीच नकद प्रेषण		..	13,99,314.36	13,99,314.36		..	..	..
102. लोक निर्माण प्रेषण	जमा	230.42	22.54	16.17	जमा	236.79	(+) 6.37	2.76
103. वन प्रेषण	जमा	8.69	0.75	12.81	नामे	3.37	(-) 12.06	138.78
108. अन्य विभागीय प्रेषण	नामे	2.73	..	..	नामे	2.73	..	..
129. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत अन्तरण	नामे	74.29	..	..	नामे	74.29	..	..
योग – 8782	जमा	162.09	13,99,337.65	13,99,343.34	जमा	156.40	(-) 5.69	3.51
योग– (क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	जमा	162.09	13,99,337.65	13,99,343.34	जमा	156.40	(-) 5.69	3.51
(ख) अन्त: सरकार समायोजन लेखा								
8793. अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा	नामे	11.64	9.78	3.83	नामे	5.69	(-) 5.95	51.12
योग – 8793	नामे	11.64	9.78	3.83	नामे	5.69	(-) 5.95	51.12
योग–(ख) अन्त: सरकार समायोजन लेखा	नामे	11.64	9.78	3.83	नामे	5.69	(-) 5.95	51.12
योग–ड. प्रेषण	**जमा**	**150.45**	**13,99,347.43**	**13,99,347.17**	**जमा**	**150.71**	**(+) 0.26**	**0.17**
योग – भाग III. लोक लेखा	**जमा**	**97,72,905.83**	**3,44,65,209.55**	**3,41,40,203.77**	**जमा**	**1,00,97,911.61 @**	**(+) 3,25,005.78**	**3.33**

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (–) 0.01 लाख का अन्तर ।

विवरण संख्या 21 – *(समाप्त)*

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को आदि शेष	31 मार्च 2022 को अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (–) राशि	निवल वृद्धि (+) कमी (–) प्रतिशत
		(₹ लाख में)		
ढ. रोकड़ शेष				
8999. रोकड़ शेष				
101. खजानों में रोकड़	5.54	5.54	..	..
102. रिजर्व बैंक में जमा	2,098.90	28,172.31 (क)	(+) 26,073.41	1242.24
104. स्थानीय मार्गस्थ प्रेषण	(-) 8,101.21	(-) 9,433.15 (ख)	(-) 1,331.94	16.44
योग–ढ़. रोकड़ शेष	**(-) 5,996.77**	**18,744.70**	**(+) 24,741.47**	**412.58**

(क) 'रिजर्व बैंक में जमा' के अन्तर्गत शेष सरकारी लेखों के अनुसार शेष को दर्शाता है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को 15 अप्रेल 2022 तक अन्तर शासकीय मौद्रिक निपटान एडवाइस सम्मिलित है। लेखों में दर्शाये गये [₹ 28,172.31 लाख (नामे)] और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित [₹ 28,903.49 लाख (जमा)] आंकड़ों के मध्य ₹ 731.18 लाख (नामे) का निवल अंतर था। ₹ 724.86 लाख (नामे) का अन्तर मिलान तथा समाशोधित किया गया । ₹ 6.32 लाख (जमा) का शुद्ध अन्तर मिलान के अधीन है।

(ख) 31 मार्च 2022 को असमायोजित रहे कोषालयों और रोकड़ तिजोरियों के मध्य प्रेषण को प्रदर्शित करता है।

विवरण संख्या 21 का अनुबन्ध – उचन्त तथा प्रेषण शेषों का विश्लेषण

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2022 को शेष नामे	जमा	संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
		(₹ लाख में)				
क.	**उचन्त शेष**					
8658.	**उचन्त लेखा**					
101.	**वेतन तथा लेखा कार्यालय उचन्त**					
	वेतन तथा लेखा कार्यालय केन्द्रीय पेंशन लेखाधिकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली					
	अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान	9,830.48	66.54	केन्द्र सरकार के पेंशनर्स पर व्यय	2016-17 से 2021-22	राज्य में रहने वाले पेंशनरों के लिए केन्द्रीय पेंशन का पुनर्भरण मंत्रालय द्वारा भुगतान योग्य है। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है ।
	अन्य भुगतान तथा प्राप्तियां	1.48	..	केन्द्र सरकार के अन्य विभागों पर व्यय	2016-17 एवं 2019-20	मंत्रालय द्वारा भुगतान योग्य है। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है ।
	सेवा में नियुक्त ए.आई.एस. अधिकारियो को एन.पी.एस. के तहत सेवा में मृत्यु/विकलांगता पर अतिरिक्त लाभ	3.42	..	केन्द्र सरकार के एन.पी.एस. पेंशनरों पर व्यय	2018-19	मंत्रालय द्वारा भुगतान योग्य है। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है ।
	वेतन तथा लेखा कार्यालय (एन एच), सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर (0550)	430.51	0.03	राष्ट्रीय राजमार्गो पर व्यय/प्राप्ति	2014-15 से 2018-19	राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यय का पुनर्भरण मंत्रालय द्वारा भुगतान योग्य है । वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	वेतन तथा लेखा कार्यालय निर्वाचन कार्यालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली (0726)	..	17.40	वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा आर. ओ. निर्वाचन विभाग में समायोजित जमा राशि	2016-17 से 2019-20	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में कमी होती। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
	वेतन तथा लेखा कार्यालय (विधिक मामले), विधि तथा न्याय मंत्रालय एवं भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (0533)	117.11	21.79	प्रावधायी निधि उचन्त शेष	2019-20 एवं 2021-22	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।

विवरण संख्या 21 का अनुबन्ध – *(क्रमशः)*

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2022 को शेष नामे	31 मार्च 2022 को शेष जमा	संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
			(₹ लाख में)			
	क. उचन्त शेष–*(क्रमशः)*					
	8658. उचन्त लेखा–*(क्रमशः)*					
	101. वेतन तथा लेखा कार्यालय उचन्त–*(समाप्त)*					
	वेतन तथा लेखा कार्यालय खनन मंत्रलाय, नई दिल्ली	..	873.23	रॉयल्टी पर प्राप्तियां	2018-19 से 2021-22	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में कमी होती। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
	1960 के पहले आर.आर. कर्जे (आवक) (1701)	..	(-) 0.02	1960 के पूर्व आर आर कर्जे	1960 से पूर्व	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	1960 के पहले आर.आर. कर्जे (आवक) (1702)	0.13	0.03	1960 के पूर्व आर आर कर्जे	1960 से पूर्व	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	योग 101 - वेतन तथा लेखा कार्यालय– उचन्त	**10,383.13**	**979.00**	**शुद्ध नामे**	**9,404.13**	
	102. उचन्त लेखा (सिविल)					
	रक्षा लेखा (05)					
	सी.डी.ए. (पेंशन) इलाहाबाद (1801)	6.79	..	रक्षा पेंशन के संदर्भ में व्यय	1979–80 से 2014-15 एवं 2021-22	राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति योग्य तथा दावों को पुनर्भरण हेतु चुना गया। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	सी.डी.ए. (एस सी) पुणे (1813)	33.88	..	भूमि अधिग्रहण पर व्यय	1977–78	राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति योग्य तथा दावों को पुनर्भरण हेतु चुना गया। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	अन्य अवर्गीकृत उचंत (07)					
	अन्य उचंत	..	0.01	उचंत	2021-22	राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य । वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
	असफल ई–भुगतान (15)					
	असफल लेन देन	..	9,993.50	व्यय शीर्ष में राशि डेबिट नहीं की गयी।	2021-22	राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य । वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।

विवरण संख्या 21 का अनुबन्ध – *(क्रमशः)*

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2022 को शेष नामे	जमा	संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
			(₹ लाख में)			
	क. उचन्त शेष –*(क्रमशः)*					
8658.	**उचन्त लेखा शेष –*(क्रमशः)***					
102.	**उचन्त लेखा (सिविल) –*(समाप्त)***					
	आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क (16)					
	सिविल विभाग	..	12.86	प्राप्तियां	2019-20 एवं 2020-21	राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य । वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
	निर्माण विभाग	..	17.63	प्राप्तियां	2019-20 एवं 2020-21	राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य । वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
	वन विभाग	..	0.26	प्राप्तियां	2019-20 एवं 2020-21	राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य । वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
	योग 102 - उचन्त लेखा (सिविल)	**40.67**	**10,024.26**	**शुद्ध जमा**	**9,983.59**	
106.	**दूर संचार लेखा कार्यालय उचन्त**	0.01	..	..	..	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	योग 106 - दूर संचार लेखा कार्यालय उचन्त	**0.01**	**..**	**शुद्ध नामे**	**0.01**	

विवरण संख्या 21 का अनुबन्ध – *(क्रमशः)*

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2022 को शेष नामे	31 मार्च 2022 को शेष जमा	संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
			(₹ लाख में)			
	क. उचन्त शेष –*(समाप्त)*					
	8658. उचन्त लेखा शेष –*(समाप्त)*					
	112. स्त्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) उचन्त	..	2,662.05	आयकर प्राप्ति	2018-19 से 2020-21	राज्य सरकार द्वारा स्त्रोत पर कर की कटौती को राज्य के अंतर्गत संग्रहित कर केन्द्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर को भुगतान योग्य। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
	योग 112 - स्त्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) उचन्त	**..**	**2,662.05**	**शुद्ध जमा**	**2,662.05**	
	123. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	..	19.11	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	2017-18 से 2021-22	राज्य में भारत सरकार के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का अंशदान राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
	योग 123 - अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	**..**	**19.11**	**शुद्ध जमा**	**19.11**	
	129. सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	..	(-) 350.35	उचन्त	1994 से पूर्व 2020–21 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडों से भंडार के क्रय के लेखागत समायोजन प्रतीक्षित हैं।
	योग 129 - सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	**..**	**(-) 350.35**	**शुद्ध जमा**	**(-) 350.35**	
	139. स्त्रोत पर कर कटौती (जी.एस.टी) उचंत	..	5,418.01	जी.एस.टी. (टी.डी.एस.) प्राप्तियां	2019-20 से 2021–22	राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य । वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
	योग 139 - स्त्रोत पर कर कटौती (जी.एस.टी) उचंत	**..**	**5,418.01**	**शुद्ध जमा**	**5,418.01**	
	योग 8658 उचन्त लेखा	**10,423.81**	**18,752.08**	**शुद्ध जमा**	**8,328.27**	
	योग क उचन्त लेखा	**10,423.81**	**18,752.08**	**शुद्ध जमा**	**8,328.27**	

विवरण संख्या 21 का अनुबन्ध – *(क्रमश:)*

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2022 को शेष नामे	जमा	संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
		(₹ लाख में)				
	ख. प्रेषण शेष					
8782.	**उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन**					
102.	**लोक निर्माण प्रेषण**					
	खजानों में प्रेषण	2.67	..	प्रेषण	2015-16 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। कोषालयों से प्रेषण की केवल पावती प्रतीक्षित है।
	लोक निर्माण कार्य चैक	..	2,886.05	प्रेषण	2015-16 तकं	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडों द्वारा जारी चैकों की कोषालयों से केवल पावती प्रतीक्षित है।
	अन्य प्रेषण					
	पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा समायोजनीय मदें	2,475.26	..	प्रेषण	2019-20 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित है।
	राजस्थान नहर परियोजना ऋण मदें	(-) 5.17	..	प्रेषण	2019-20 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित है।
	आई.जी.एन.पी. (आर सी पी) चैक	..	(-) 3.62	प्रेषण	2019-20 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित है।
	लोक निर्माण अधिकारियों के बीच लेन– देन	172.90	..	प्रेषण	1994 से पूर्व	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडों के मध्य केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित है।
	योग 102 - लोक निर्माण प्रेषण	**2,645.66**	**2,882.43**	**शुद्ध जमा**	**236.77**	

विवरण संख्या 21 का अनुबन्ध – *(क्रमश:)*

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2022 को शेष नामे	31 मार्च 2022 को शेष जमा	संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
		(₹ लाख में)				
	ख. प्रेषण शेष–*(क्रमश:)*					
	8782. उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन–*(समाप्त)*					
	103. वन प्रेषण					
	खजानों में प्रेषण	4.00	..	खण्ड द्वारा चालान का प्रेषण तथा खजाना अधिकारी द्वारा उनकी पावती	2015-16 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। कोषालयों से प्रेषण की केवल पावती प्रतीक्षित है।
	वन चैक	..	0.63	वन खण्ड द्वारा जारी चैक तथा खजाना अधिकारी द्वारा उनकी पावती	2015-16 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडें द्वारा जारी चैकों की कोषालयों से केवल पावती प्रतीक्षित है।
	योग 103 - वन प्रेषण	**4.00**	**0.63**	**शुद्ध नामे**	**3.37**	
	108. अन्य विभागीय प्रेषण	2.74	..	अन्य प्रेषण	1990 से पूर्व	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।
	योग 108 - अन्य विभागीय प्रेषण	**2.74**	**..**	**शुद्ध नामे**	**2.74**	
	129. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत अंतरण					
	सी. ए. ओ. द्वारा समायोजनीय मदें	74.29	..	प्रेषण	1994 से पूर्व	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।
	योग 129 - इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत अंतरण	**74.29**	**..**	**शुद्ध नामे**	**74.29**	
	योग 8782. उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन	**2,726.69**	**2,883.06**	**शुद्ध जमा**	**156.37**	

विवरण संख्या 21 का अनुबन्ध – *(समाप्त)*

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2022 को शेष नामे	जमा	संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
		(₹ लाख में)				
	ख. प्रेषण शेष–*(समाप्त)*					
8793.	**अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा**	5.69	..	अन्तर्राज्यीय लेन देन	2014-15 एवं 2015-16	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।
	योग 8793. अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा	**5.69**	**..**	**शुद्ध नामे**	**5.69**	
	योग ख प्रेषण शेष	**2,732.38**	**2,883.06**	**शुद्ध जमा**	**150.68**	
	वृहद योग	**13,156.19**	**21,635.14**	**शुद्ध जमा**	**8,478.95**	

विवरण संख्या 22 – पृथक् आरक्षित शेषों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
			(₹ लाख में)			
ञ. आरक्षित निधि						
(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां						
8115. मूल्यह्रास/ नवीकरण आरक्षित निधि						
103. मूल्यह्रास आरक्षित निधि –सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम						
(01) जलदाय विभाग	..	..	..	6,727.14	..	6,727.14
(07) झामर कोटरा रॉक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना	..	..	..	20.45	..	20.45
योग - 8115	..	..	..	6,747.59	..	6,747.59
8121. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां						
122. राज्य आपदा मोचन निधि						
(01) राजस्व लेखों से/को स्थानान्तरण	2,46,882.18	..	2,46,882.18	2,97,943.68	..	2,97,943.68
योग – 122	2,46,882.18	..	2,46,882.18	2,97,943.68	..	2,97,943.68
126. राज्य आपदा मोचन निधि–निवेश लेखा						
(01) प्रतिभूतियों का क्रय	(-) 1,37,275.74	1,37,275.74	..	..	..	..
योग – 126	(-) 1,37,275.74	1,37,275.74	..	..	..	..
129. राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि (एस.सी.ए.एफ.)						
(01) प्रतिकरात्मक वनरोपण	22,537.55	..	22,537.55	24,640.38	..	24,640.38
(02) जलागम क्षेत्र शोधन योजना	6,374.54	..	6,374.54	6,374.54	..	6,374.54
(03) समेकित वन्य जीव प्रबंधन योजना	12,255.52	..	12,255.52	12,812.83	..	12,812.83

विवरण संख्या 22– *(क्रमश:)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
			(₹ लाख में)			
ञ. आरक्षित निधि–(क्रमश:)						
(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां–(समाप्त)						
8121. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां *–(समाप्त)*						
129. राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि (एस.सी.ए.एफ.) ***–(समाप्त)***						
(04) वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	73,357.48	..	73,357.48	88,864.63	..	88,864.63
(05) ब्याज	21,015.16	..	21,015.16	5,134.18	..	5,134.18
(06) अन्य	10,298.74	..	10,298.74	10,345.45	..	10,345.45
योग – 129	1,45,838.99	..	1,45,838.99	1,48,172.01	..	1,48,172.01
130. राज्य आपदा शमन निधि						
(01) राज्य आपदा शमन निधि	79,000.00	..	79,000.00	..	..	..
योग - 130	79,000.00	..	79,000.00	..	..	..
योग – 8121	3,34,445.43	1,37,275.74	4,71,721.17	4,46,115.69	..	4,46,115.69
योग - (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	3,34,445.43	1,37,275.74	4,71,721.17	4,52,863.28	..	4,52,863.28
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां						
8225. सड़क तथा सेतु निधि						
02. राज्य सड़क तथा सेतु निधि						
101. राज्य सड़क तथा सेतु निधि	44,709.69	..	44,709.69	5,110.43	..	5,110.43
योग - 8225	44,709.69	..	44,709.69	5,110.43	..	5,110.43

विवरण संख्या 22– *(क्रमशः)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम		31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
		रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
				(₹ लाख में)			
ञ. आरक्षित निधि–*(क्रमशः)*							
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां–(क्रमशः)							
8229. विकास तथा कल्याण निधि							
104. पशुपालन प्रयोजनों के लिए विकास निधि							
(01) विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता से गहन अंडा तथा मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्रों के लिए निधि		..	..	..	0.95	..	0.95
(02) राजस्थान गौ संरक्षण और संवर्द्धन निधि		8,069.99	..	8,069.99	6,458.12	..	6,458.12
(03) राजस्थान गौ संरक्षण और संवर्द्धन निधि, आरक्षित निधि		786.56	..	786.56	786.56	..	786.56
	योग - 104	8,856.55	..	8,856.55	7,245.63	..	7,245.63
200. अन्य विकास तथा कल्याण निधि							
(01) मण्डी विकास निधि		4.82	..	4.82	4.67	..	4.67
(02) राजस्थान समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड निधि		15.81	..	15.81	19.13	..	19.13
(03) रूपान्तरित आबादी भूमि के विकास के लिए विशेष शुल्क (पैरिफेरल) की जमा		324.59	..	324.59	324.59	..	324.59
(04) राजस्थान कारागार कर्मचारी कल्याण एवं हितकारी निधि		63.22	..	63.22	53.48	..	53.48
(05) नगरीय नवीकरण निधि		2,181.39	..	2,181.39	2,095.54	..	2,095.54
(06) राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन निधि		0.01	..	0.01	0.01	..	0.01
(07) पर्यावरण खनिज क्षेत्र में सुधार तथा स्वास्थ्य निधि		10,331.12	..	10,331.12	7,925.17	..	7,925.17
(09) खनन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन निधि		6.77	..	6.77	6.31	..	6.31
(10) राजस्थान शहरी विकास निधि		206.10	..	206.10	196.43	..	196.43
(11) जल संरक्षण उपकर निधि		11,771.25	..	11,771.25	23,447.39	..	23,447.39

विवरण संख्या 22– *(क्रमश:)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम		31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
		रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
				(₹ लाख में)			
ञ. आरक्षित निधि–*(क्रमश:)*							
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां–(क्रमश:)							
8229. विकास तथा कल्याण निधि–*(समाप्त)*							
200. अन्य विकास तथा कल्याण निधि–*(समाप्त)*							
(12) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि		32,357.69	..	32,357.69	29,867.75	..	29,867.75
(13) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि		50,732.56	..	50,732.56	31,013.73	..	31,013.73
	योग – 200	1,07,995.33	..	1,07,995.33	94,954.20	..	94,954.20
	योग – 8229	1,16,851.88	..	1,16,851.88	1,02,199.83	..	1,02,199.83
8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां							
117. गारंटी मोचन निधि							
(01) राजकीय प्रतिभूति मुक्ति निधि		6,07,244.38	..	6,07,244.38	5,45,431.43	..	5,45,431.43
	योग - 117	6,07,244.38	..	6,07,244.38	5,45,431.43	..	5,45,431.43
120. गारन्टी मोचन निधि–निवेश लेखा							
(01) प्रतिभूतियों में निवेश		(-) 4,71,584.26	4,71,584.26	..	(-) 1,93,318.81	1,93,318.81	..
	योग - 120	(-) 4,71,584.26	4,71,584.26	..	(-) 1,93,318.81	1,93,318.81	..
200. अन्य निधियां							
(02) जलपूर्ति योजना पी एम सी, चूरू हेतु के. एफ. डब्ल्यू. जर्मनी से प्राप्त राशि का पूंजी लेखे से/को अंतरण		2.22	..	2.22	2.22	..	2.22
(03) राज्य सड़क विकास निधि		..	..	..	402.08	..	402.08
(04) संसाधन विकास निधि		1,033.64	17,054.81	18,088.45	1,033.64	17,054.81	18,088.45

विवरण संख्या 22– *(क्रमशः)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
			(₹ लाख में)			
ञ. आरक्षित निधि - *(समाप्त)*						
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां - (समाप्त)						
8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां- *(समाप्त)*						
200. अन्य निधियां ***–(समाप्त)***						
(06) राजस्थान फोरेस्ट्री एवं बायो–डायवर्सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त राशि	107.73	..	107.73	178.51	..	178.51
(08) राजस्थान राज्य निवेश निधि	0.01	..	0.01	0.01	..	0.01
योग – 200	1,143.60	17,054.81	18,198.41	1,616.46	17,054.81	18,671.27
योग - 8235	1,36,803.72	4,88,639.07	6,25,442.79	3,53,729.08	2,10,373.62	5,64,102.70
योग - (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	2,98,365.29	4,88,639.07	7,87,004.36	4,61,039.34	2,10,373.62	6,71,412.96
योग -ञ. आरक्षित निधियां	**6,32,810.72**	**6,25,914.81**	**12,58,725.53**	**9,13,902.62**	**2,10,373.62**	**11,24,276.24**
ट. जमा तथा अग्रिम						
(क) ब्याज वाली जमा						
8338. स्थानीय निधियों की जमा						
103. राज्य आवास बोर्ड की जमा	397.71	..	397.71	397.71	..	397.71
योग - 103	397.71	..	397.71	397.71	..	397.71
104. अन्य स्वायत्त निकायों की जमा						
(01) सामान्य प्रावधायी निधियों की जमा	60,120.99	..	60,120.99	59,221.88	..	59,221.88
(02) अंशदायी प्रावधायी निधियों की जमा	1,42,029.16	..	1,42,029.16	1,37,960.43	..	1,37,960.43
(03) उपदान (ग्रेच्यूटी) की जमा	14,588.25	..	14,588.25	9,794.76	..	9,794.76
(04) पेंशन निधियों की जमा	92,268.39	..	92,268.39	95,116.39	..	95,116.39

विवरण संख्या 22– *(क्रमश:)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
			(₹ लाख में)			
ट. जमा तथा अग्रिम–*(क्रमश:)*						
(क) ब्याज वाली जमा–(क्रमश:)						
8338. स्थानीय निधियों की जमां- *(समाप्त)*						
104. अन्य स्वायत्त निकायों की जमां- *(समाप्त)*						
(05) अन्य निधियों की जमा	2,71,221.81	..	2,71,221.81	2,51,295.92	..	2,51,295.92
(06) जोखिम निधि की जमा	91.98	..	91.98	91.98	..	91.98
योग - 104	5,80,320.58	..	5,80,320.58	5,53,481.36	..	5,53,481.36
योग - 8338	5,80,718.29	..	5,80,718.29	5,53,879.07	..	5,53,879.07
8342. अन्य जमा						
103. सरकारी कम्पनियों, निगमों आदि की जमा						
(03) राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज की जमा	0.14	..	0.14	0.14	..	0.14
(04) राजस्थान लघु उद्योग निगम की जमा	1.88	..	1.88	1.88	..	1.88
(05) राजस्थान भूमि विकास निगम की जमा	.. #	..	.. #	4,140.64	..	4,140.64
(07) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम की जमा	1,448.58	..	1,448.58	3,504.55	..	3,504.55
(08) राजस्थान स्टेट बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी की जमा	20.00	..	20.00	20.00	..	20.00
(09) राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की जमा	13,050.63	..	13,050.63	15,550.63	..	15,550.63
(10) राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जमा	850.84	..	850.84	10,480.27	..	10,480.27
(12) राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम की जमा	0.39	..	0.39	0.39	..	0.39
(13) राजस्थान पर्यटन विकास निगम की जमा	35.57	..	35.57	35.57	..	35.57
(14) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम की जमा	16,827.40	..	16,827.40	16,827.40	..	16,827.40

₹ 1 मात्र ।

विवरण संख्या 22– *(क्रमश:)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
			(₹ लाख में)			
ट. जमा तथा अग्रिम–*(क्रमश:)*						
(क) ब्याज वाली जमा–(क्रमश:)						
8342. अन्य जमा–*(क्रमश:)*						
103. सरकारी कम्पनियों, निगमों आदि की जमा- ***(क्रमश:)***						
(15) राजस्थान जल संसाधन विकास निगम की जमा	0.37	..	0.37	0.37	..	0.37
(17) राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की जमा	1.51	..	1.51	1.51	..	1.51
(18) राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल की जमा	58,526.68	..	58,526.68	58,526.68	..	58,526.68
(19) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जमा	.. #	..	.. #	.. #	..	.. #
(20) राजस्थान राज्य होटल निगम की जमा	0.06	..	0.06	0.06	..	0.06
(21) राजस्थान राज्य क्रय–विक्रय संघ की जमा	0.44	..	0.44	35,000.44	..	35,000.44
(24) राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धक मण्डल की जमा	10.30	..	10.30	10.30	..	10.30
(25) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	1,30,824.12	..	1,30,824.12	1,10,246.03	..	1,10,246.03
(29) अरावली	10.00	..	10.00	10.00	..	10.00
(33) इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	5.01	..	5.01	5.01	..	5.01
(35) जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड	0.02	..	0.02	17.05	..	17.05
(36) राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त निगम लिमिटेड	0.10	..	0.10	7,101.48	..	7,101.48
(40) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल	16,069.78	..	16,069.78	15,540.02	..	15,540.02
(41) राजस्थान स्टेट बीवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	5,000.00	..	5,000.00	5,000.00	..	5,000.00
(42) अन्य निगम/बोर्ड/मण्डल आदि की जमा	8,470.16	..	8,470.16	6,474.39	..	6,474.39

₹ 344 मात्र ।

विवरण संख्या 22– *(क्रमशः)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम		31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
		रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
				(₹ लाख में)			
ट. जमा तथा अग्रिम–*(क्रमशः)*							
(क) ब्याज वाली जमा–(क्रमशः)							
8342. अन्य जमा –*(क्रमशः)*							
103. सरकारी कम्पनियों, निगमों आदि की जमा- ***(समाप्त)***							
(43) राजकीय विश्वविद्यालय		13,927.96	..	13,927.96	9,817.10	..	9,817.10
	योग - 103	2,65,081.94	..	2,65,081.94	2,98,311.91	..	2,98,311.91
117. सरकारी कर्मचारी के लिए निर्धारित पेंशन योजना							
(01) अखिल भारतीय सेवा के लिए अनिवार्य–टीयर 1		53.80	..	53.80	48.98	..	48.98
(02) अखिल भारतीय सेवा के लिए वैकल्पिक–टीयर 2		0.10	..	0.10	0.10	..	0.10
(03) नवीन अंशदान पेंशन योजना राज्य सरकार		68,447.57	..	68,447.57	..	..	..
	योग – 117	68,501.47	..	68,501.47	49.08	..	49.08
120. विविध जमा							
(01) प्रन्यास निधि		12,126.56	..	12,126.56	10,508.87	..	10,508.87
(02) राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा सहायता निधि		3,612.15	..	3,612.15	6,148.19	..	6,148.19
(03) पत्रकार कल्याण निधि		2,263.54	..	2,263.54	2,078.72	..	2,078.72
(04) राजस्थान राज्य फसल बीमा निधि		13.36	..	13.36	13.36	..	13.36
(05) विश्व खाद्य कार्यक्रम की जमा		12.97	..	12.97	12.53	..	12.53
(06) प्रन्यास और विविध निधि विनियोजन लेखा		4,131.10	..	4,131.10	4,589.72	..	4,589.72
(11) गौ सेवा आयोग		2.78	..	2.78	2.71	..	2.71
(12) जिला बाल पुनर्स्थापन समिति		270.43	..	270.43	262.37	..	262.37
(13) राजस्थान मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष सोसायटी		0.02	..	0.02	0.02	..	0.02

विवरण संख्या 22– *(क्रमश:)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
			(₹ लाख में)			
ट. जमा तथा अग्रिम–*(क्रमश:)*						
(क) ब्याज वाली जमा–(क्रमश:)						
8342. अन्य जमा –*(क्रमश:)*						
120. विविध जमा–***(क्रमश:)***						
(14) राज्य महिला आयोग	8.38	..	8.38	8.96	..	8.96
(15) राजस्थान राज्य पुस्तकालय विकास समिति	4,904.98	..	4,904.98	4,715.91	..	4,715.91
(16) राजस्थान फाउन्डेशन	.. *	..	.. *	.. *	..	.. *
(19) कृषि उपज मण्डी समिति, झुन्झुनू	205.51	..	205.51	314.49	..	314.49
(20) कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर	17.02	..	17.02	39.84	..	39.84
(21) कृषि उपज मण्डी समिति, सांचोर (जालौर)	256.25	..	256.25	434.49	..	434.49
(22) कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर (भीलवाड़ा)	9.24	..	9.24	9.24	..	9.24
(23) कृषि उपज मण्डी समिति, भीनमाल	5.51	..	5.51	5.33	..	5.33
(24) कृषि उपज मण्डी समिति, जालौर	56.17	..	56.17	94.72	..	94.72
(25) कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीमाधोपुर	689.47	..	689.47	489.47	..	489.47
(27) कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर (फल तथा सब्जी)	858.20	..	858.20	1,041.42	..	1,041.42
(28) कृषि उपज मण्डी समिति, नवलगढ	9.04	..	9.04	1.64	..	1.64
(30) अल्प बचत विभाग	.. #	..	..#	..#	..	.. #
(32) राजकीय कुक्कुट शाला	61.59	..	61.59	58.35	..	58.35
(33) पुलिस कल्याण निधि	200.31	..	200.31	200.31	..	200.31
(35) रिटनन्द बलदेव शिक्षा फाउण्डेशन	100.00	..	100.00	100.00	..	100.00
(37) सिंघानियां फाउण्डेशन शिक्षा समिति पचेरी बड़ी (झुन्झुनू)	162.68	..	162.68	162.68	..	162.68
(38) जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय	200.00	..	200.00	200.00	..	200.00

* ₹ 151 मात्र ।

₹ 32 मात्र ।

विवरण संख्या 22– *(क्रमशः)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
			(₹ लाख में)			
ट. जमा तथा अग्रिम–*(क्रमशः)*						
(क) ब्याज वाली जमा– (क्रमशः)						
8342. अन्य जमा –*(क्रमशः)*						
120. विविध जमा–*(क्रमशः)*						
(39) राय फाउण्डेशन	1.80	..	1.80	1.80	..	1.80
(40) इण्डियन मेडिकल ट्रस्ट, जयपुर	116.23	..	116.23	112.29	..	112.29
(41) डा.एम.पी.खूटेटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र समिति	200.00	..	200.00	200.00	..	200.00
(42) मेवाड़ शिक्षा समिति, चित्तौड़गढ़	107.79	..	107.79	104.14	..	104.14
(43) श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टीबरेवाल निजी विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं	103.51	..	103.51	103.60	..	103.60
(44) भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर	200.01	..	200.01	200.01	..	200.01
(45) श्री पदमपत सिघानियां विश्वविद्यालय, उदयपुर	200.00	..	200.00	200.00	..	200.00
(46) ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जयपुर	100.00	..	100.00	100.00	..	100.00
(47) जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल शिक्षा समिति, दिल्ली	100.00	..	100.00	100.00	..	100.00
(48) सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर	200.00	..	200.00	200.00	..	200.00
(49) राफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना, अलवर	162.61	..	162.61	159.11	..	159.11
(50) जोधपुर निजी विश्वविद्यालय, जोधपुर	100.00	..	100.00	100.00	..	100.00
(51) कृषि उपज मण्डी समिति	6,534.93	..	6,534.93	5,087.05	..	5,087.05
(53) विश्वकर्मा अंशदायी पेंशन योजना	535.73	..	535.73	505.15	..	505.15
(54) निजी विश्वविद्यालय	8,434.51	..	8,434.51	8,096.84	..	8,096.84
(55) नगर विकास न्यास	819.45	..	819.45	810.00	..	810.00
(56) पंचायत समितियां	0.24	..	0.24	0.24	..	0.24
(57) अराजकीय मंदिरों की सम्पतियों से प्राप्त मुआवजा तथा अमानत राशि	12,463.74	..	12,463.74	8,135.23	..	8,135.23

विवरण संख्या 22– *(क्रमशः)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
			(₹ लाख में)			
ट. जमा तथा अग्रिम–*(क्रमशः)*						
(क) ब्याज वाली जमा– (समाप्त)						
8342. अन्य जमा –*(समाप्त)*						
120. विविध जमा–***(समाप्त)***						
(58) महाविद्यालय	206.18	..	206.18	206.18	..	206.18
(59) राजस्थान राज्य जैव विविधता मण्डल	71.20	..	71.20	98.62	..	98.62
(60) राज्य नवाचार परिषद्	100.00	..	100.00	100.00	..	100.00
(62) राजस्थान पर्यटक प्रशिक्षण समिति, उदयपुर	500.00	..	500.00	500.00	..	500.00
(63) राजस्थान पुलिस आवास तथा निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर	567.40	..	567.40	389.85	..	389.85
(65) डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फन्ड	3,44,327.04	..	3,44,327.04	1,37,253.22	..	1,37,253.22
(67) स्टेट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फन्ड	5,131.74	..	5,131.74	80,000.43	..	80,000.43
(68) राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट	5,039.81	..	5,039.81	538.44	..	538.44
(69) राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	14,314.64	..	14,314.64	..	..	..
योग - 120	4,30,815.82	..	4,30,815.82	2,74,795.54	..	2,74,795.54
योग - 8342	7,64,399.23	..	7,64,399.23	5,73,156.53	..	5,73,156.53
योग – (क) ब्याज वाली जमा	13,45,117.52	..	13,45,117.52	11,27,035.60	..	11,27,035.60
(ख) बिना ब्याज वाली जमा						
8443. सिविल जमा						
101. राजस्व जमा	4,039.54	..	4,039.54	4,517.95	..	4,517.95
योग - 101	4,039.54	..	4,039.54	4,517.95	..	4,517.95

विवरण संख्या 22– *(क्रमश:)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम		31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
		रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
				(₹ लाख में)			
ट. जमा तथा अग्रिम–*(क्रमश:)*							
(ख) बिना ब्याज वाली जमा–(क्रमश:)							
8443. सिविल जमा–*(क्रमश:)*							
103. प्रतिभूति जमा		73,628.63	..	73,628.63	62,527.64	..	62,527.64
	योग - 103	73,628.63	..	73,628.63	62,527.64	..	62,527.64
104. सिविल न्यायालय जमा		4,051.28	..	4,051.28	5,051.68	..	5,051.68
	योग - 104	4,051.28	..	4,051.28	5,051.68	..	5,051.68
105. आपराधिक न्यायालय जमा		86.64	..	86.64	69.94	..	69.94
	योग - 105	86.64	..	86.64	69.94	..	69.94
106. व्यक्तिगत जमा		18,22,061.85	..	18,22,061.85	14,38,295.11	..	14,38,295.11
	योग - 106	18,22,061.85	..	18,22,061.85	14,38,295.11	..	14,38,295.11
108. लोक निर्माण कार्य जमा		4,22,813.43	..	4,22,813.43	4,15,626.80	..	4,15,626.80
	योग - 108	4,22,813.43	..	4,22,813.43	4,15,626.80	..	4,15,626.80
109. वन जमा		1,568.86	..	1,568.86	1,659.76	..	1,659.76
	योग - 109	1,568.86	..	1,568.86	1,659.76	..	1,659.76

विवरण संख्या 22– *(क्रमशः)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम		31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
		रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
				(₹ लाख में)			
ट. जमा तथा अग्रिम–*(क्रमशः)*							
(ख) बिना ब्याज वाली जमा–(क्रमशः)							
8443. सिविल जमा–*(क्रमशः)*							
111. अन्य विभागीय जमा							
(01) उद्योग तथा रसद विभाग की जमा		29.41	..	29.41	29.41	..	29.41
(02) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जमा		511.84	..	511.84	511.84	..	511.84
(03) सहायता एवं पुनर्वास विभाग की जमा		0.25	..	0.25	0.02	..	0.02
(05) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्विकास प्राधिकरण जयपुर की जमा		330.87	..	330.87	263.60	..	263.60
	योग - 111	872.37	..	872.37	804.87	..	804.87
116. विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों के अधीन जमा							
(01) मिनीमम वेजेज एक्ट, 1948 के अधीन धारा 22–डी की जमा		153.64	..	153.64	138.13	..	138.13
(02) सेन्ट्रल लेबर रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन एक्ट, 1970 की जमा		89.66	..	89.66	86.77	..	86.77
	योग - 116	243.30	..	243.30	224.90	..	224.90
117. सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिए किये गये कार्य के लिये जमा		97.58	..	97.58	118.08	..	118.08
	योग - 117	97.58	..	97.58	118.08	..	118.08
118. गैर सरकारी निकायों के लिये किये गये कार्य के लिये सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्कों की जमा		0.01	..	0.01	0.01	..	0.01
	योग - 118	0.01	..	0.01	0.01	..	0.01

विवरण संख्या 22– *(क्रमशः)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम		31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
		रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
				(₹ लाख में)			
ट. जमा तथा अग्रिम–*(क्रमशः)*							
(ख) बिना ब्याज वाली जमा–(क्रमशः)							
8443. सिविल जमा–*(क्रमशः)*							
119. कम्पनी परिसमापन लेखा		.. *	..	.. *	.. *	..	.. *
	योग - 119	.. *	..	.. *	.. *	..	.. *
121. चुनावों के सम्बन्ध में जमा							
(01) राजस्थान विधान मण्डल के अभ्यर्थियों द्वारा किये गये जमा		25.46	..	25.46	25.46	..	25.46
(02) निर्वाचन याचिका के लिए किए गए जमा		3.95	..	3.95	3.88	..	3.88
(03) निर्वाचन अपील के लिए किए गए जमा		1.68	..	1.68	1.68	..	1.68
	योग - 121	31.09	..	31.09	31.02	..	31.02
123. शैक्षणिक संस्थाओं की जमा		28,053.62	..	28,053.62	17,715.00	..	17,715.00
	योग - 123	28,053.62	..	28,053.62	17,715.00	..	17,715.00
800. अन्य जमा							
(02) राजस्थान भूमि विकास निगम के जमा (मशीनों तथा उपक्रमों के आनुपातिक व्यय सहित)		..	..	..	49.79	..	49.79
(03) अन्य विविध निधियां		180.23	..	180.23	167.04	..	167.04
(04) ओ.एफ.डी. वर्क्स के अन्तर्गत कृषकों का अंशदान		1,465.98	..	1,465.98	1,465.98	..	1,465.98

* ₹ 373 मात्र ।

विवरण संख्या 22– *(क्रमशः)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम		31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
		रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
				(₹ लाख में)			
ट. जमा तथा अग्रिम–*(क्रमशः)*							
(ख) बिना ब्याज वाली जमा–(क्रमशः)							
8443. सिविल जमा–*(समाप्त)*							
800. अन्य जमा –***(समाप्त)***							
(05) विद्युत् कम्पनियां		..*	..	.. *	..*	..	..*
(06) जयपुर मेट्रो कॉर्पोरेशन		1.31	..	1.31	0.02	..	0.02
	योग - 800	1,647.52	..	1,647.52	1,682.83	..	1,682.83
	योग - 8443	23,59,195.72	..	23,59,195.72	19,48,325.59	..	19,48,325.59
8448. स्थानीय निधियों की जमा							
102. नगरपालिका सम्बन्धी निधियां		2,58,967.78	..	2,58,967.78	2,41,990.99	..	2,41,990.99
	योग - 102	2,58,967.78	..	2,58,967.78	2,41,990.99	..	2,41,990.99
107. राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधियां							
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम के खाते की प्राप्तियां		4,834.00	..	4,834.00	431.00	..	431.00
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड के खातों की प्राप्तियां		623.00	..	623.00	..	..	..
(08) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के खातों का वितरण (निवल)		34.30	..	34.30	0.30	..	0.30

* ₹ (–) 10 मात्र जांच के अधीन है।

विवरण संख्या 22– *(क्रमश:)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम		31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
		रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
				(₹ लाख में)			
ट. जमा तथा अग्रिम–*(क्रमश:)*							
(ख) बिना ब्याज वाली जमा–(क्रमश:)							
8448. स्थानीय निधियों की जमा–*(क्रमश:)*							
107. राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधियां–***(समाप्त)***							
(09) राज. राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड के खातों का वितरण (शुद्ध)		15,358.00	..	15,358.00	..	..	..
(11) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड के खातों का वितरण (निवल)		..	..	..	4,979.00	..	4,979.00
	योग – 107	20,849.30	..	20,849.30	5,410.30	..	5,410.30
109. पंचायत निकाय निधियां							
(01) ग्राम पंचायत निधि		(-) 0.77	..	(-) 0.77 (क)	(-) 0.60	..	(-) 0.60
(02) पंचायत समिति निधि		1,85,377.79	..	1,85,377.79	1,42,421.21	..	1,42,421.21
(03) जिला परिषद निधि		1,86,722.26	..	1,86,722.26	1,49,048.73	..	1,49,048.73
	योग - 109	3,72,099.28	..	3,72,099.28	2,91,469.34	..	2,91,469.34

(क) *ऋण* शेष जांच के अधीन है।

विवरण संख्या 22– *(क्रमशः)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम		31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
		रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
				(₹ लाख में)			
ट. जमा तथा अग्रिम–*(क्रमशः)*							
(ख) बिना ब्याज वाली जमा–(क्रमशः)							
8448. स्थानीय निधियों की जमा–*(समाप्त)*							
110. शिक्षा निधियां		6,116.10	..	6,116.10	4,035.03	..	4,035.03
	योग - 110	6,116.10	..	6,116.10	4,035.03	..	4,035.03
111. चिकित्सा तथा धर्मार्थ निधियां		196.60	..	196.60	206.34	..	206.34
	योग - 111	196.60	..	196.60	206.34	..	206.34
120. अन्य निधियां							
(02) मुख्यमंत्री सहायता निधि		0.28	..	0.28	0.28	..	0.28
(03) कृषि उपज मण्डी निधि		19,273.60	..	19,273.60	25,489.95	..	25,489.95
(04) नगर सुधार न्यास की जमा		2,748.03	..	2,748.03	1,582.41	..	1,582.41
(05) राजस्थान मुख्यमंत्री बाल कल्याण कोष		28,532.28	..	28,532.28	21,558.16	..	21,558.16
(06) प्राकृतिक आपदा निधि		1.10	..	1.10	1.10	..	1.10
(07) राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष		1,083.46	..	1,083.46	1,025.77	..	1,025.77
(08) कर्मकार प्रतिकार क्षतिपूर्ति		58.29	..	58.29	45.10	..	45.10
(09) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान निधि		293.37	..	293.37	292.57	..	292.57
	योग - 120	51,990.41	..	51,990.41	49,995.34	..	49,995.34
	योग - 8448	7,10,219.47	..	7,10,219.47	5,93,107.34	..	5,93,107.34

विवरण संख्या 22– *(क्रमश:)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम		31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
		रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
				(₹ लाख में)			
ट. जमा तथा अग्रिम–*(क्रमश:)*							
(ख) बिना ब्याज वाली जमा – (क्रमश:)							
8449. अन्य जमा							
103. केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान		1,370.57	..	1,370.57	1,370.57	..	1,370.57
	योग - 103	1,370.57	..	1,370.57	1,370.57	..	1,370.57
120. विविध जमा							
(01) प्रन्यास और अन्य विविध निधियां (राजस्थान)		46.44	..	46.44	46.44	..	46.44
(04) विदेशों में दुर्घटना ग्रस्त भारतीय परिवारों को मुआवजे व अन्य बकाया भुगतानों की जमा		75.75	..	75.75	66.84	..	66.84
(10) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने हेतु भारत सरकार से जमा राशि		1,426.78	..	1,426.78	1,427.54	..	1,427.54
	योग - 120	1,548.97	..	1,548.97	1,540.82	..	1,540.82

विवरण संख्या 22– *(समाप्त)*

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2022 को शेष			1 अप्रैल 2021 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
			(₹ लाख में)			
ट. जमा तथा अग्रिम–*(समाप्त)*						
(ख) बिना ब्याज वाली जमा – (समाप्त)						
8449. अन्य जमा–*(समाप्त)*						
120. विविध जमा–***(समाप्त)***						
123. राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास जमा						
(01) खनिज न्यास जमा	0.86	..	0.86	0.86	..	0.86
योग - 123	0.86	..	0.86	0.86	..	0.86
योग - 8449	2,920.40	..	2,920.40	2,912.25	..	2,912.25
योग - (ख) बिना ब्याज वाली जमा	30,72,335.59	..	30,72,335.59	25,44,345.18	..	25,44,345.18
योग - ट. जमा तथा अग्रिम	**44,17,453.11**	**..**	**44,17,453.11**	**36,71,380.78**	**..**	**36,71,380.78**
योग – पृथक् आरक्षित निधियां	**50,50,263.83**	**6,25,914.81**	**56,76,178.64 @**	**45,85,283.40**	**2,10,373.62**	**47,95,657.02**

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (-) 0.03 लाख का अंतर है।

भाग II

(परिशिष्ट)

परिशिष्ट संख्या I - संवेतन पर तुलनात्मक व्यय*

तिरछे अंक प्रभारित खर्च के द्योतक हैं

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)					
सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर	2011.	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	*18.00* 6,475.06	..	6,493.06	*18.00* 5,972.81	..	5,990.81
शासन सचिव, प्रमुख **राज्यपाल सचिवालय राजस्थान,जयपुर**	2012.	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	*1,130.63*	..	1,130.63	*1,075.35*	..	1,075.35
	2075.	विविध सामान्य सेवाएं	10.98	..	10.98	9.64	..	9.64
		राज्यपाल सचिवालय के संवेतन पर कुल व्यय	*1,130.63* 10.98	..	1,141.61	*1,075.35* 9.64	..	1,084.99
शासन सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग (ग्रुप-4), जयपुर	2013.	मंत्रि परिषद्	407.70	..	407.70	393.12	..	393.12
	2052.	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	406.91	..	406.91	395.52	..	395.52
	2053.	जिला प्रशासन	..	(क)	..	..	..	..
	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	6,406.17	..	6,406.17	6,061.26	..	6,061.26
		सामान्य प्रशासनिक विभाग (ग्रुप-4) के संवेतन पर कुल व्यय	7,220.78	..	7,220.78	6,849.90	..	6,849.90
महा पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	2014.	न्याय प्रशासन	*11,794.14* 83,246.61	..	95,040.75	*11,053.24* 76,497.25	..	87,550.49

* आंकड़े लेखों के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष ''01-संवेतन'' में दर्ज व्यय को प्रदर्शित करते हैं ।

(क) (-) ₹ 200.00 मात्र ।

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)					
निदेशक, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर	2014.	न्याय प्रशासन	3,286.57	..	3,286.57	4,098.66	..	4,098.66
निदेशक, गृह (अभियोजन) विभाग, जयपुर	2014.	न्याय प्रशासन	9,867.46	..	9,867.46	9,303.99	..	9,303.99
उपशासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर	2014.	न्याय प्रशासन	2,023.85	..	2,023.85	1,777.44	..	1,777.44
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग,जयपुर	2015.	निर्वाचन	5,241.64	..	5,241.64	4,984.37	..	4,984.37
आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग,जयपुर	2029.	भू-राजस्व	2,785.23	..	2,785.23	3,218.72	..	3,218.72
पंजीयक, राजस्व मण्डल,अजमेर	2029.	भू-राजस्व	69,773.46	..	69,773.46	64,553.91	..	64,553.91
	2052.	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	2,930.61	..	2,930.61	2,773.03	..	2,773.03
	2053.	जिला प्रशासन	51,849.05	..	51,849.05	48,760.53	..	48,760.53
		राजस्व मण्डल के संवेतन पर कुल व्यय	1,24,553.12	..	1,24,553.12	1,16,087.47	..	1,16,087.47
निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर	2029.	भू-राजस्व	686.18	..	686.18	591.56	..	591.56

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)					
संयुक्त निदेशक (ओ.एस.डी.), कृषि गणना, जयपुर	2029.	भू-राजस्व	..	..	..	..	75.35	75.35
	2701.	मध्यम सिंचाई	..	48.78	48.78	..	42.50	42.50
		कृषि गणना के संवेतन पर कुल व्यय	..	48.78	48.78	..	117.85	117.85
महानिरीक्षक, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, अजमेर	2030.	स्टाम्प तथा पंजीकरण	5,455.62	..	5,455.62	4,821.32	..	4,821.32
आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर	2039.	राज्य उत्पाद शुल्क	13,539.09	..	13,539.09	12,834.89	..	12,834.89
आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	2040.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	19,668.16	..	19,668.16	18,796.11	..	18,796.11
आयुक्त, परिवहन विभाग,जयपुर	2041.	वाहन कर	9,323.31	..	9,323.31	8,546.98	..	8,546.98
	3055.	सड़क परिवहन	66.10	..	66.10	55.79	..	55.79
		परिवहन विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	9,389.41	..	9,389.41	8,602.77	..	8,602.77
सदस्य, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण,जयपुर	2041.	वाहन कर	51.37	..	51.37	35.99	..	35.99

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)					
मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर	2045.	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	585.88	..	585.88	575.37	..	575.37
निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर	2054.	खजाना तथा लेखा प्रशासन	15,772.08	..	15,772.08	15,307.23	..	15,307.23
वित्तीय सलाहकार, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	2705.	सिंचित क्षेत्र विकास	863.53	..	863.53	817.44	..	817.44
	4705.	सिंचित क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	904.81	898.89	1,803.70	1,731.12	..	1,731.12
		सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संवेतन पर कुल व्यय	1,768.34	898.89	2,667.23	2,548.56	..	2,548.56
निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	2055.	पुलिस	2,419.56	..	2,419.56	2,049.93	..	2,049.93
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण	346.20	..	346.20	328.86	..	328.86
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी	34,124.40	160.99	34,285.39	33,210.40	132.49	33,342.89
		वन विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	34,470.60	160.99	34,631.59	33,539.26	132.49	33,671.75
निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर	2054.	खजाना तथा लेखा प्रशासन	2,081.59	..	2,081.59	2,023.33	..	2,023.33

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
					(₹ लाख में)			
निदेशक, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग, जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	10,161.35	..	10,161.35	10,189.83	..	10,189.83
प्रमुख शासन सचिव, राज्य उपक्रम विभाग, जयपुर	2852.	उद्योग	133.42	..	133.42	117.48	..	117.48
मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	2215.	जलपूर्ति तथा सफाई	1,55,893.24	78.17	1,55,971.41	1,52,727.43	91.61	1,52,819.04
सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	2051.	लोक सेवा आयोग	*1,846.65*	..	1,846.65	*1,627.63*	..	1,627.63
शासन सचिव, कार्मिक विभाग (ग्रुप-1), जयपुर	2014.	न्याय प्रशासन	5.57	..	5.57	4.91	..	4.91
	2052.	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	17,214.21	..	17,214.21	15,829.20	..	15,829.20
	2251.	सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	3,435.20	..	3,435.20	3,203.99	..	3,203.99
	3451.	सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3,647.20	..	3,647.20	3,562.43	..	3,562.43
		कार्मिक विभाग (ग्रुप-1) के संवेतन पर कुल व्यय	24,302.18	..	24,302.18	22,600.53	..	22,600.53
पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील न्यायाधिकरण, जयपुर	2052.	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	347.63	..	347.63	320.00	..	320.00
निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर	3454.	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13,947.81	..	13,947.81	12,115.37	..	12,115.37

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
					(₹ लाख में)			
निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर	2054.	खजाना तथा लेखा प्रशासन	3,963.50	..	3,963.50	3,844.14	..	3,844.14
निदेशक, एच.सी.एम. राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान,जयपुर	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,824.16	..	1,824.16	2,116.39	..	2,116.39
निदेशक, निरीक्षण विभाग,जयपुर	2054.	खजाना तथा लेखा प्रशासन	1,445.04	..	1,445.04	1,393.07	..	1,393.07
महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग,जयपुर	2055.	पुलिस	6,35,190.59	..	6,35,190.59	5,66,847.87	..	5,66,847.87
महानिदेशक, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर	2055.	पुलिस	8,680.82	..	8,680.82	7,977.97	..	7,977.97
महानिदेशक कारागार, कारागार विभाग, जयपुर	2056.	जेल	15,816.26	..	15,816.26	14,013.16	..	14,013.16
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर	2058.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	2,031.46	..	2,031.46	2,165.26	..	2,165.26
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (भवन एवं पथ) जयपुर	2059.	लोक निर्माण कार्य	34,547.78	..	34,547.78	33,672.31	..	33,672.31
	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	144.20	..	144.20	117.81	..	117.81
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी	1,261.86	..	1,261.86	1,199.56	..	1,199.56
	सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) के संवेतन पर कुल व्यय		35,953.84	..	35,953.84	34,989.68	..	34,989.68

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)					
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर	2202.	सामान्य शिक्षा	8,66,440.86	1,23,921.42	9,90,362.28	7,22,001.55	1,15,257.89	8,37,259.44
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	14.30	..	14.30	13.08	..	13.08
		प्राथमिक शिक्षा विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	8,66,455.16	1,23,921.42	9,90,376.58	7,22,014.63	1,15,257.89	8,37,272.52
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर	2202.	सामान्य शिक्षा	20,83,303.22	7,322.88	20,90,626.10	18,94,555.34	5,193.30	18,99,748.64
	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	846.19	..	846.19	807.88	..	807.88
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,000.29	..	1,000.29	907.79	..	907.79
		माध्यमिक शिक्षा विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	20,85,149.70	7,322.88	20,92,472.58	18,96,271.01	5,193.30	19,01,464.31
आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर	2401.	फसल कृषि-कर्म	46,283.61	953.38	47,236.99	44,684.68	783.85	45,468.53
निदेशक, पशुपालन विभाग,जयपुर	2403.	पशु-पालन	88,775.24	197.97	88,973.21	85,075.49	166.87	85,242.36
आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	12,438.74	..	12,438.74	11,437.76	..	11,437.76
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3,052.42	..	3,052.42	2,403.98	..	2,403.98
		सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	15,491.16	..	15,491.16	13,841.74	..	13,841.74

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
					(₹ लाख में)			
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, जयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4,02,728.86	..	4,02,728.86	3,57,542.34	370.82	3,57,913.16
निदेशक, आयुर्वेद विभाग,अजमेर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	81,497.96	..	81,497.96	78,301.92	..	78,301.92
निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर	2205.	कला एवं संस्कृति	1,611.97	..	1,611.97	1,555.31	..	1,555.31
निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग,जयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	51,341.28	..	51,341.28	45,044.64	..	45,044.64
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	99,696.25	..	99,696.25	95,839.35	..	95,839.35
निदेशक, उद्यान विभाग,जयपुर	2401.	फसल कृषि-कर्म	5,514.97	..	5,514.97	5,286.31	..	5,286.31
सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर	2062.	सतर्कता	615.71	..	615.71	533.39	..	533.39
निदेशक, सिविल रक्षा एवं गृह सुरक्षा विभाग, जयपुर	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2,185.11	1,218.30	3,403.41	2,062.69	1,257.35	3,320.04

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)					
आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर	2851.	ग्राम तथा लघु उद्योग	57.14	..	57.14	43.72	..	43.72
	2852.	उद्योग	4,243.61	..	4,243.61	4,176.01	..	4,176.01
		उद्योग विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	4,300.75	..	4,300.75	4,219.73	..	4,219.73
परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर	2217.	शहरी विकास	461.38	..	461.38	429.68	..	429.68
	4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,030.08	..	1,030.08	1,222.36	..	1,222.36
		राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर के संवेतन पर कुल व्यय	1,491.46	..	1,491.46	1,652.04	..	1,652.04
निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग,जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,065.83	..	1,065.83	1,017.48	..	1,017.48
निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	963.36	..	963.36	783.56	..	783.56
निदेशक, भाषा विभाग,जयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	149.31	..	149.31	154.57	..	154.57
	2205.	कला एवं संस्कृति	1,040.65	..	1,040.65	1,066.17	..	1,066.17
		भाषा विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	1,189.96	..	1,189.96	1,220.74	..	1,220.74

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)					
पीठासीन अधिकारी, गैर राजकीय शिक्षण संस्थान अभिकरण, जयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	92.18	..	92.18	92.40	..	92.40
निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर	2203.	तकनीकी शिक्षा	28,987.31	..	28,987.31	18,652.96	..	18,652.96
	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	13,801.97	..	13,801.97	12,209.34	..	12,209.34
		तकनीकी शिक्षा विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	42,789.28	..	42,789.28	30,862.30	..	30,862.30
निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय,जयपुर	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	2,470.46	..	2,470.46	2,416.73	..	2,416.73
निदेशक, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान,जोधपुर	2205.	कला एवं संस्कृति	202.44	..	202.44	185.76	..	185.76
निदेशक, मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान,टोंक	2205.	कला एवं संस्कृति	191.41	..	191.41	211.33	..	211.33
निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर	2205.	कला एवं संस्कृति	528.47	..	528.47	566.42	..	566.42
निदेशक, पर्यटन विभाग,जयपुर	3452.	पर्यटन	1,161.26	..	1,161.26	1,115.92	..	1,115.92
प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	18,383.43	..	18,383.43	18,107.04	..	18,107.04

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)					
प्राचार्य, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	71,080.60	..	71,080.60	66,185.92	..	66,185.92
प्राचार्य, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	19,689.91	..	19,689.91	18,058.28	..	18,058.28
प्राचार्य, डॉ. सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	30,296.15	..	30,296.15	27,419.73	..	27,419.73
प्राचार्य, रविन्द्र नाथ मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	24,912.99	..	24,912.99	23,478.46	..	23,478.46
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (ई.एस.आई.),जयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	12,680.88	..	12,680.88	11,770.17	..	11,770.17
प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय आयुर्वेदिक कॉलेज, उदयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,238.69	..	1,238.69	1,223.45	..	1,223.45
निदेशक, भ्रमणशील चिकित्सा इकाई,जयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,476.79	..	1,476.79	1,323.38	..	1,323.38
प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, कोटा	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	20,557.35	..	20,557.35	18,722.54	..	18,722.54
निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,जयपुर	2211.	परिवार कल्याण	17,876.19	79,666.96	97,543.15	14,267.85	76,430.11	90,697.96

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)					
निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग,जयपुर	2217.	शहरी विकास	1,102.96	..	1,102.96	1,031.34	..	1,031.34
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	52.56	88.67	141.23	54.72	82.85	137.57
		स्थानीय निकाय विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	1,155.52	88.67	1,244.19	1,086.06	82.85	1,168.91
निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर	2515.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,224.97	..	3,224.97	3,049.92	..	3,049.92
आयुक्त, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	5,214.26	..	5,214.26	4,434.88	..	4,434.88
	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों ,अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	3,465.81	..	3,465.81	3,004.71	1,374.89	4,379.60
		जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	8,680.07	..	8,680.07	7,439.59	1,374.89	8,814.48
आयुक्त श्रम विभाग, जयपुर	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	2,957.98	..	2,957.98	2,844.58	..	2,844.58
मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर	2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	388.78	..	388.78	333.77	..	333.77

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
					(₹ लाख में)			
मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जयपुर	2217.	शहरी विकास	1,255.30	..	1,255.30	1,290.48	..	1,290.48
निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, जयपुर	2220.	सूचना तथा प्रचार	2,343.13	..	2,343.13	2,249.53	..	2,249.53
मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर विभाग, जयपुर	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	1,133.50	..	1,133.50	1,055.68	..	1,055.68
सचिव, राजस्थान बिक्री कर बोर्ड, अजमेर	2040.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	381.72	..	381.72	357.90	..	357.90
निदेशक, रोजगार विभाग, जयपुर	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	1,973.71	..	1,973.71	1,838.42	..	1,838.42
उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) जयपुर	2210.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	342.44	..	342.44	327.74	..	327.74
शासन सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, जयपुर	2245.	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	819.90	..	819.90	728.18	..	728.18
निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर	2236.	पोषण	21,172.99	3,488.68	24,661.67	18,645.88	3,231.87	21,877.75

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
					(₹ लाख में)			
सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3,159.74	..	3,159.74	2,797.39	..	2,797.39
निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर	3454.	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	7,050.91	..	7,050.91	6,343.66	..	6,343.66
शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर	2515.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	529.16	..	529.16	496.00	..	496.00
	2575.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	62.44	..	62.44	68.51	..	68.51
		ग्रामीण विकास विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	591.60	..	591.60	564.51	..	564.51
आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	2250.	अन्य सामाजिक सेवाएं	1,266.65	..	1,266.65	1,272.00	..	1,272.00
	3604.	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	3.71	..	3.71	2.91	..	2.91
		देवस्थान विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	1,270.36	..	1,270.36	1,274.91	..	1,274.91

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
					(₹ लाख में)			
मुख्य अभियंता, भू-जल विभाग,जोधपुर	2702.	लघु सिंचाई	5,135.58	..	5,135.58	4,955.99	..	4,955.99
निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर	3425.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	770.02	137.86	907.88	730.23	179.92	910.15
पीठासीन अधिकारी, वक्फ बोर्ड,जयपुर	2250.	अन्य सामाजिक सेवाएं	103.51	..	103.51	104.17	..	104.17
निदेशक, जल संग्रहण तथा मृदा संरक्षण विभाग, जयपुर	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण	5,751.56	..	5,751.56	5,883.04	..	5,883.04
निदेशक, मत्स्य पालन विभाग,जयपुर	2405.	मछली पालन	1,060.74	..	1,060.74	1,083.29	11.74	1,095.03
मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	2700.	मुख्य सिंचाई	1,371.69	..	1,371.69	1,297.48	..	1,297.48
	2701.	मध्यम सिंचाई	16,477.88	..	16,477.88	15,022.23	..	15,022.23
	4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	..	..	..	587.75	..	587.75
	4701.	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	197.90	..	197.90	163.99	..	163.99
	4702.	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	297.15	..	297.15	274.24	..	274.24
		जल संसाधन विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	18,344.62	..	18,344.62	17,345.69	..	17,345.69

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)					
आयुक्त, खाद्य एवं सिविल पूर्ति विभाग, जयपुर	3456.	सिविल पूर्ति	6,467.56	..	6,467.56	6,090.33	..	6,090.33
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	237.92	..	237.92	246.68	..	246.68
		खाद्य एवं सिविल पूर्ति विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	6,705.48	..	6,705.48	6,337.01	..	6,337.01
पंजीयक, सहकारी विभाग,जयपुर	2425.	सहकारिता	7,999.10	23.47	8,022.57	7,943.30	21.32	7,964.62
निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर	2435.	अन्य कृषि कार्यक्रम	1,051.32	..	1,051.32	1,067.18	..	1,067.18
क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा	2700.	मुख्य सिंचाई	889.09	..	889.09	905.46	..	905.46
	2705.	कमान क्षेत्र विकास	1,092.50	..	1,092.50	1,000.82	..	1,000.82
	4705.	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	399.44	..	399.44	399.52	..	399.52
		सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	2,381.03	..	2,381.03	2,305.80	..	2,305.80

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)					
मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग, हनुमानगढ़	2700.	मुख्य सिंचाई	5,954.64	..	5,954.64	6,096.93	..	6,096.93
	2701.	मध्यम सिंचाई	998.29	..	998.29	987.59	..	987.59
	4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	132.69	..	132.69	121.97	..	121.97
	4711.	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	38.75	..	38.75	42.63	..	42.63
		जल संसाधन (उत्तर) विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	7,124.37	..	7,124.37	7,249.12	..	7,249.12
वित्तीय सलाहकार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान अंतर्राज्य नियंत्रण मंडल (सिंचाई व विद्युत),कोटा	2700.	मुख्य सिंचाई	64.20	..	64.20	97.68	..	97.68
अतिरिक्त मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	2700.	मुख्य सिंचाई	2,293.97	..	2,293.97	2,273.77	..	2,273.77
	4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,569.59	..	2,569.59	2,565.48	..	2,565.48
		इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संवेतन पर कुल व्यय	4,863.56	..	4,863.56	4,839.25	..	4,839.25
आयुक्त उपनिवेशन विभाग, बीकानेर	2701.	मध्यम सिंचाई	1,533.32	..	1,533.32	1,518.76	..	1,518.76

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)					
वित्तीय सलाहकार (प्री-चैक सेट अप), इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	330.57	..	330.57	360.70	..	360.70
निदेशक, आयोजना (जन शक्ति) विभाग, जयपुर	3454.	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	171.65	..	171.65	236.69	..	236.69
उप सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, जयपुर	3451.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	120.59	..	120.59	143.81	..	143.81
निदेशक, खान एवं भूगर्भ विभाग, उदयपुर	2853.	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	10,038.54	..	10,038.54	9,396.03	..	9,396.03
निदेशक, पेट्रोलियम विभाग, जयपुर	2802.	पेट्रोलियम	161.53	..	161.53	104.67	..	104.67
निदेशक, पर्यावरण विभाग, जयपुर	3435.	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	123.73	.	123.73	107.00	..	107.00
निदेशक, मूल्यांकन संगठन, जयपुर	3454.	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	620.05	..	620.05	570.62	..	570.62
सचिव, इंदिरा गांधी नहर मंडल, जयपुर	4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	493.77	..	493.77	477.54	..	477.54
निदेशक, राजस्व आसूचना विभाग, जयपुर	2047.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	411.38	..	411.38	359.83	..	359.83

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
					(₹ लाख में)			
मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर	4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,021.34	..	1,021.34	889.38	..	889.38
निदेशक, होम्योपैथी विभाग, जयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4,367.96	..	4,367.96	4,018.19	..	4,018.19
निदेशक, यूनानी विभाग, जयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3,406.18	..	3,406.18	2,834.43	..	2,834.43
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, एस.डब्लू.आर.पी.डी., जयपुर	2702.	लघु सिंचाई	357.04	..	357.04	339.00	..	339.00
	4701.	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	75.69	..	75.69	..	..	..
		एस.डब्लू.आर.पी.डी. विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	432.73	..	432.73	339.00	..	339.00
निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,214.82	10.18	2,225.00	1,907.65	8.94	1,916.59
मुख्य अभियंता, गुण नियंत्रण तथा ई.ए.पी. जल संसाधन विभाग, जयपुर	2702.	लघु सिंचाई	546.69	..	546.69	543.34	..	543.34
निदेशालय, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	808.54	..	808.54	721.12	..	721.12
निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर	2225.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,511.83	..	1,511.83	1,275.66	..	1,275.66
निदेशक, नागरिक विमानन विभाग, जयपुर	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	85.56	..	85.56	95.22	..	95.22

परिशिष्ट संख्या I -*(क्रमश:)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
					(₹ लाख में)			
निदेशक, लोक सेवाएं, जयपुर	2053.	जिला प्रशासन	468.97	..	468.97	476.39	..	476.39
उप सचिव , अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर	2225.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	4.26	..	4.26	12.37	..	12.37
			373.46	..	373.46	343.10	..	343.10
निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग,जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	614.36	..	614.36	449.31	..	449.31
सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड,जयपुर	2051.	लोक सेवा आयोग	289.14	..	289.14	289.96	..	289.96
गौ सेवा राजस्थान, जयपुर	2403.	पशुपालन						
अतिरिक्त मुख्य सचिव, देहली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर, जयपुर	2852.	उद्योग	169.19	..	169.19	204.33	..	204.33
निदेशक, पी.एम.यू.आयोजना विभाग, जयपुर	3451.	सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	..	..	..	2.44	..	2.44
निदेशक, नागरिक सुरक्षा,जयपुर	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	967.55	..	967.55	934.85	..	934.85
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायो-फ्यूल प्राधिकरण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर	2810.	नवीन तथा नवीकरण ऊर्जा	85.38	..	85.38	71.43	..	71.43
आयुक्त, मिड डे मील, जयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	..	113.76	113.76	..	105.08	105.08
संयुक्त सचिव (ई.ए.डी.) एस.पी.एफ.एम.,पी.एम.यू. सचिवालय, जयपुर	2054.	कोष एवं लेखा प्रशासन	39.82	..	39.82	28.91	..	28.91

परिशिष्ट संख्या I -*(समाप्त)*

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े			2020-21 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
					(₹ लाख में)			
ड्रग नियंत्रक संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग जयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2,485.03	..	2,485.03	1,474.92	..	1,474.92
		संवेतन पर कुल व्यय (राजस्व)	***14,789.42*** **54,27,941.17**	**2,17,431.47**	**56,60,162.06**	***13,774.22*** **48,88,420.40**	**2,04,818.75**	**51,07,013.37**
		संवेतन पर कुल व्यय (पूंजीगत)	**7,491.78**	**898.89**	**8,390.67**	**8,836.68**	**..**	**8,836.68**
		संवेतन पर कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत)	***14,789.42*** **54,35,432.95**	**2,18,330.36**	**56,68,552.73**	***13,774.22*** **48,97,257.08**	**2,04,818.75**	**51,15,850.05**

परिशिष्ट संख्या II - सहाय्य पर तुलनात्मक व्यय

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	2020-21 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
		(₹ लाख में)				
स्पष्ट सहाय्य *						
उप सचिव, उद्योग (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर						
2852. उद्योग						
80. सामान्य						
102. औद्योगिक उत्पादकता						
(25) राजस्थान वित्त निगम						
[01] युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना	625.00	..	625.00	675.00	..	675.00
उद्योग (ग्रुप-1) विभाग को कुल सहाय्य	625.00	..	625.00	675.00	..	675.00
निदेशक, वित्त विभाग, जयपुर						
2801. बिजली						
80. सामान्य						
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता						
(32) ब्याज अनुदान						
[02] राजस्थान विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड	..	..	..	1,898.46	..	1,898.46
योग- (32)	..	..	..	1,898.46	..	1,898.46
(41) उदय योजना के अन्तर्गत वितरण निगमों को सहायता						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	..	..	..	.. (क)	..	..
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	..	..	..	(-) 0.01	..	(-) 0.01
योग- (41)	..	..	..	(-) 0.01	..	(-) 0.01

* आंकड़े लेखों में सहाय्य शीर्ष ''91 सहाय्य '' के अंतर्गत पुस्तांकित व्यय के द्योतक है।

(क) ₹ 400 मात्र ।

परिशिष्ट संख्या II - *(क्रमशः)*

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	2020-21 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
		(₹ लाख में)				
स्पष्ट सहाय्य *-(क्रमशः)*						
निदेशक, **वित्त विभाग, जयपुर** *-(क्रमशः)*						
2801. बिजली *-(क्रमशः)*						
80. सामान्य ***(क्रमशः)***						
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता- ***(क्रमशः)***						
(43) विद्युत् दरें नहीं बढाने हेतु अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	3,63,298.13	..	3,63,298.13	2,42,670.83	..	2,42,670.83
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	5,30,059.67	..	5,30,059.67	3,49,940.35	..	3,49,940.35
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	2,95,000.48	..	2,95,000.48	1,84,667.07	..	1,84,667.07
योग- (43)	11,88,358.28	..	11,88,358.28	7,77,278.25	..	7,77,278.25
(44) विद्युत् शुल्क के प्रति अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	40,145.84	..	40,145.84	34,000.00	..	34,000.00
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	25,757.86	..	25,757.86	27,665.12	..	27,665.12
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	36,153.59	..	36,153.59	34,512.04	..	34,512.04
योग- (44)	1,02,057.29	..	1,02,057.29	96,177.16	..	96,177.16
(45) विद्युत् चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरूद्ध अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	1,166.02	..	1,166.02	1,251.04	..	1,251.04
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	168.78	..	168.78	266.32	..	266.32
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	298.34	..	298.34	569.24	..	569.24
योग- (45)	1,633.14	..	1,633.14	2,086.60	..	2,086.60

परिशिष्ट संख्या II - *(क्रमशः)*

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2021–22 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	2020–21 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
		(₹ लाख में)				
स्पष्ट सहाय्य ***–(क्रमशः)***						
निदेशक, **वित्त विभाग, जयपुर** ***–(क्रमशः)***						
2801. बिजली ***–(क्रमशः)***						
80. सामान्य ***–(क्रमशः)***						
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता– ***(क्रमशः)***						
(46) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को सहायता						
[01] बकाया अनुदान का भुगतान	1,020.00	..	1,020.00	1,020.00	..	1,020.00
योग– (46)	1,020.00	..	1,020.00	1,020.00	..	1,020.00
(47) विद्युत निगमों को ब्याज अनुदान हेतु सहायता						
[02] राजस्थान राजय विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	1,898.46	..	1,898.46	..	..	..
योग– (47)	1,898.46	..	1,898.46	..	..	..
(49) ग्रिड से जुडे हुये पम्प सेटों के सौर ऊर्जीकरण हेतु कुसुम योजना के अन्तर्गत सहायता						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	..	..	..	1,391.00	..	1,391.00
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	247.00	..	247.00	..	..	..
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	926.16	..	926.16	386.00	..	386.00
योग– (49)	1,173.16	..	1,173.16	1,777.00	..	1,777.00

परिशिष्ट संख्या II - *(क्रमशः)*

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण		2021–22 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	2020–21 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)				
स्पष्ट सहाय्य ***–(क्रमशः)***							
निदेशक, **वित्त विभाग, जयपुर** ***–(क्रमशः)***							
2801. बिजली ***–(क्रमशः)***							
80. सामान्य ***–(क्रमशः)***							
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता– ***(समाप्त)***							
(50) कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत् दरों में राहत प्रदान करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के माध्यम से सहायता							
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड		4,531.54	..	4,531.54	1,335.14	..	1,335.14
	योग– (50)	4,531.54	..	4,531.54	1,335.14	..	1,335.14
(54) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान		17,179.50	..	17,179.50	..	..	..
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड		45,023.68	..	45,023.68	..	..	..
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	योग– (54)	62,203.18	..	62,203.18	..	..	..
	योग - 190	13,62,875.05	..	13,62,875.05	8,81,572.60	..	8,81,572.60
789. अनुसूचित जातियो के लिए विशिष्ट संघटक योजना							
(02) विद्युत् दरें नहीं बढाने हेतु अनुदान							
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता		1,51,374.23	..	1,51,374.23	1,02,179.57	..	1,02,179.57
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता		2,20,890.28	..	2,20,890.28	1,43,219.51	..	1,43,219.51
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता		1,22,916.86	..	1,22,916.86	74,176.58	..	74,176.58
	योग– (02)	4,95,181.37	..	4,95,181.37	3,19,575.66	..	3,19,575.66

परिशिष्ट संख्या II - *(क्रमशः)*

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	2020-21 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
		(₹ लाख में)				
स्पष्ट सहाय्य ***-(क्रमशः)***						
निदेशक, **वित्त विभाग, जयपुर** ***-(क्रमशः)***						
2801. बिजली ***-(क्रमशः)***						
80. सामान्य ***-(क्रमशः)***						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना ***-(क्रमशः)***						
(03) विद्युत् शुल्क के प्रति अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	10,626.84	..	10,626.84	9,000.00	..	9,000.00
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	6,818.26	..	6,818.26	7,323.12	..	7,323.12
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	9,570.08	..	9,570.08	9,135.54	..	9,135.54
योग- (03)	27,015.18	..	27,015.18	25,458.66	..	25,458.66
(04) विद्युत् चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरूद्ध अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	308.66	..	308.66	331.16	..	331.16
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	44.68	..	44.68	70.50	..	70.50
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	78.97	..	78.97	150.67	..	150.67
योग- (04)	432.31	..	432.31	552.33	..	552.33
(05) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को सहायता						
[01] बकाया अनुदान का भुगतान	270.00	..	270.00	270.00	..	270.00
योग- (05)	270.00	..	270.00	270.00	..	270.00

परिशिष्ट संख्या II - *(क्रमशः)*

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2021–22 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	2020–21 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)			
स्पष्ट सहाय्य ***–(क्रमशः)***						
निदेशक, **वित्त विभाग, जयपुर** ***–(क्रमशः)***						
2801. बिजली ***–(क्रमशः)***						
80. सामान्य ***–(क्रमशः)***						
789. अनुसूचित जातियो के लिए विशिष्ट संघटक योजना ***–(समाप्त)***						
(06) ग्रिड से जुड़े हुये पम्प सेटो के सौर ऊर्जीकरण हेतु कुसुम योजना के अन्तर्गत सहायता						
[03] अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	245.16	..	245.16	..	..	..
योग– (06)	245.16	..	245.16	..	..	..
(07) कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत् दरों में राहत प्रदान करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के माध्यम से सहायता						
[03] अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	1,199.53	..	1,199.53	..	..	..
योग– (07)	1,199.53	..	1,199.53	..	..	..
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	10,902.38	..	10,902.38	..	..	..
[02] जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	28,572.72	..	28,572.72	..	..	..
योग– (11)	39,475.10	..	39,475.10	..	..	..
योग– 789	5,63,818.65	..	5,63,818.65	3,45,856.65	..	3,45,856.65

परिशिष्ट संख्या II - *(क्रमशः)*

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2021–22 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	2020–21 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)			
स्पष्ट सहाय्य ***–(क्रमशः)***						
निदेशक, **वित्त विभाग, जयपुर** ***–(क्रमशः)***						
2801. बिजली ***–(क्रमशः)***						
80. सामान्य ***–(क्रमशः)***						
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना						
(02) विद्युत् दरें नहीं बढाने हेतु अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	90,824.53	..	90,824.53	56,136.11	..	56,136.11
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	1,32,534.17	..	1,32,534.17	80,281.84	..	80,281.84
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	73,750.12	..	73,750.12	42,137.34	..	42,137.34
योग– (02)	2,97,108.82	..	2,97,108.82	1,78,555.29	..	1,78,555.29
(03) विद्युत् शुल्क के प्रति अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	8,265.32	..	8,265.32	7,000.00	..	7,000.00
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	5,303.08	..	5,303.08	5,695.76	..	5,695.76
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	7,443.39	..	7,443.39	7,105.42	..	7,105.42
योग– (03)	21,011.79	..	21,011.79	19,801.18	..	19,801.18
(04) विद्युत् चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरूद्ध अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	240.05	..	240.05	257.56	..	257.56
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	34.76	..	34.76	54.84	..	54.84
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	61.42	..	61.42	117.21	..	117.21
योग– (04)	336.23	..	336.23	429.61	..	429.61

परिशिष्ट संख्या II - *(क्रमशः)*

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2021–22 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	2020–21 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)			
स्पष्ट सहाय्य ***–(क्रमशः)***						
निदेशक, **वित्त विभाग, जयपुर** ***–(क्रमशः)***						
2801. बिजली ***–(क्रमशः)***						
80. सामान्य ***–(क्रमशः)***						
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना ***–(क्रमशः)***						
(05) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को सहायता						
[01] बकाया अनुदान का भुगतान	210.00	..	210.00	210.00	..	210.00
योग– (05)	210.00	..	210.00	210.00	..	210.00
(06) ग्रिड से जुड़े हुये पम्प सेटो के सौर ऊर्जीकरण हेतु कुसुम योजना के अन्तर्गत सहायता						
[03] अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	190.68	..	190.68	..	..	..
योग– –(06)	190.68	..	190.68	..	..	..
(07) कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत् दरों में राहत प्रदान करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के माध्यम से सहायता						
[03] अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	932.96	..	932.96	..	..	..
योग– (07)	932.96	..	932.96	..	..	..

परिशिष्ट संख्या II - *(क्रमशः)*

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2021–22 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	2020–21 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)			
स्पष्ट सहाय्य *–(क्रमशः)*						
निदेशक, **वित्त विभाग, जयपुर *–(समाप्त)***						
2801. बिजली *–(समाप्त)*						
80. सामान्य –(समाप्त)						
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना *–(समाप्त)*						
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	4,955.62	..	4,955.62	..	..	..
[02] जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	12,987.60	..	12,987.60	..	..	..
योग– (11)	17,943.22	..	17,943.22	..	..	..
योग– 796	3,37,733.70	..	3,37,733.70	1,98,996.08	..	1,98,996.08
वित्त विभाग को कुल सहाय्य	22,64,427.40	..	22,64,427.40	14,26,425.33	..	14,26,425.33
आयुक्त,उद्यान विभाग, जयपुर						
2401. फसल कृषि–कर्म						
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें						
(02) बागवानी का विकास	..	..	..	49.48	..	49.48

परिशिष्ट संख्या II - *(क्रमशः)*

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2021–22 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	2020–21 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)			
स्पष्ट सहाय्य *–(क्रमशः)*						
आयुक्त,उद्यान विभाग, जयपुर *–(क्रमशः)*						
2401. फसल कृषि–कर्म *–(क्रमशः)*						
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें *–(समाप्त)*						
(25) राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1,092.79	1,643.16	2,735.95	1,601.42	2,402.14	4,003.56
(26) प्रवाह सिंचाई से बूंद–बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना– सूक्ष्म सिंचाई)	6,398.46	9,598.70	15,997.16	4,980.56	7,470.84	12,451.40
(29) फल बगीचों की स्थापना हेतु सहायता	4.57	..	4.57	4.56	..	4.56
(30) उद्यान फसलों की प्रदर्शनी हेतु सहायता	21.58	..	21.58	18.02	..	18.02
(31) सयंत्र सुरक्षा कार्य हेतु सहायता	1.50	..	1.50	5.08	..	5.08
(32) ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त अनुदान	..	..	..	448.20	..	448.20
(33) अभिनव कार्यक्रम हेतु सहायता	3.67	..	3.67	2.80	..	2.80
(36) सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान	..	..	..	6,001.04	..	6,001.04
(37) आटोमेशन पर सहायता	304.33	..	304.33	121.42	..	121.42
(46) पी.एम. कुसुम कंपोनेंट बी हेतु सहायता						
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से	14,624.89	..	14,624.89	..	..	..
(47) सुक्ष्म सिंचाई हेतु अतिरिक्त अनुदान						
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से	2,222.45	..	2,222.45	..	..	..
योग– 119	24,674.24	11,241.86	35,916.10	13,232.58	9,872.98	23,105.56
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ठ संघठक योजना						
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से						
[04] राष्ट्रीय बागवानी मिशन	572.13	858.27	1,430.40	308.83	463.24	772.07
[05] प्रवाह सिंचाई से बूंद–बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना– सूक्ष्म सिंचाई)	2,399.99	3,599.99	5,999.98	467.95	701.93	1,169.88

परिशिष्ट संख्या II - *(क्रमशः)*

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2021–22 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	2020–21 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)			
स्पष्ट सहाय्य *–(क्रमशः)*						
आयुक्त,उद्यान विभाग, जयपुर *–(क्रमशः)*						
2401. फसल कृषि–कर्म *–(क्रमशः)*						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ठ संघठक योजना ***–(समाप्त)***						
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से ***–(समाप्त)***						
[07] फल बगीचों की स्थापना हेतु सहायता	0.79	..	0.79	0.79	..	0.79
[08] उद्यान फसलों की प्रदर्शनी हेतु सहायता	5.51	..	5.51	4.85	..	4.85
[09] संयंत्र सुरक्षा कार्य हेतु सहायता	0.39	..	0.39	1.33	..	1.33
[10] ग्रीन हाऊस पर अतिरिक्त सहायता	..	..	..	195.43	..	195.43
[11] अभिनव कार्यक्रम हेतु सहायता	1.97	..	1.97	1.23	..	1.23
[12] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त सहायता	..	..	..	679.18	..	679.18
[13] आटोमेशन पर सहायता	6.67	..	6.67	5.61	..	5.61
योग - 02	2,987.45	4,458.26	7,445.71	1,665.20	1,165.17	2,830.37
(14) पी.एम. कुसुम कंपोनेंट बी हेतु सहायता						
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से	2,399.58	..	2,399.58	..	..	..
योग - (14)	2,399.58	..	2,399.58	..	..	..
(15) सूक्ष्म सिचाई हेतु अतिरिक्त अनुदान						
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से	211.96	..	211.96	..	..	..
योग - (15)	211.96	..	211.96	..	..	..
योग - 789	5,598.99	4,458.26	10,057.25	1,665.20	1,165.17	2,830.37

परिशिष्ट संख्या II - *(क्रमशः)*

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2021–22 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	2020–21 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)			
स्पष्ट सहाय्य *–(क्रमशः)*						
आयुक्त,उद्यान विभाग, जयपुर *–(क्रमशः)*						
2401. फसल कृषि–कर्म *–(क्रमशः)*						
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना						
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से						
[03] राष्ट्रीय बागवानी मिशन	168.49	254.20	422.69	333.26	499.89	833.15
[04] प्रवाह सिंचाई से बूंद–बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु सहायता (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–सूक्ष्म सिंचाई)	2,399.82	3,599.63	5,999.45	603.85	905.78	1,509.63
[06] फल बगीचे की स्थापना हेतु सहायता	0.23	..	0.23	0.66	..	0.66
[07] उद्यान फसलों की प्रदर्शनी हेतु सहायता	3.89	..	3.89	3.29	..	3.29
[08] संयंत्र सुरक्षा कार्य हेतु सहायता	0.27	..	0.27	0.79	..	0.79
[09] ग्रीन हाऊस पर अतिरिक्त सहायता	..	..	..	115.54	..	115.54
[10] अभिनव कार्यक्रम हेतु सहायता	0.90	..	0.90	0.21	..	0.21
[11] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त सहायता	..	..	..	841.46	..	841.46
[12] आटोमेशन पर सहायता	15.79	..	15.79	9.83	..	9.83
योग– (51)	2,589.39	3,853.83	6,443.22	1,908.89	1,405.67	3,314.56
(80) पी.एम. कुसुम कंपोनेंट बी हेतु सहायता						
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से	2,549.38	..	2,549.38	..	..	..
योग– (80)	2,549.38	..	2,549.38	..	..	..

परिशिष्ट संख्या II - *(क्रमशः)*

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2021–22 के वास्तविक आंकड़े			2020–21 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)			
स्पष्ट सहाय्य *–(क्रमशः)*						
आयुक्त,उद्यान विभाग, जयपुर *–(समाप्त)*						
2401. फसल कृषि–कर्म *–(समाप्त)*						
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना ***–(समाप्त)***						
(81) सूक्ष्म सिचाई हेतु अतिरिक्त अनुदान						
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से	164.13	..	164.13	..	..	..
योग– (81)	164.13	..	164.13	..	..	..
योग– 796	5,302.90	3,853.83	9,156.73	1,908.89	1,405.67	3,314.56
उद्यान विभाग को कुल सहाय्य	35,576.13	19,553.95	55,130.08	16,806.67	12,443.82	29,250.49
आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर						
2851. ग्रामीण तथा लघु उद्योग						
111. बेरोजगार शिक्षित युवाओं हेतु रोजगार योजना						
(03) उद्यम् स्थापना, विस्तार, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण						
[01] मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हेतु सहायता	4.32	..	4.32	11.50	..	11.50
योग – (03)	4.32	..	4.32	11.50	..	11.50
योग – 111	4.32	..	4.32	11.50	..	11.50

परिशिष्ट संख्या II - *(क्रमशः)*

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2021–22 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	2020–21 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
		(₹ लाख में)				
स्पष्ट सहाय्य *–(क्रमशः)*						
आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर– *(क्रमशः)*						
2851. ग्रामीण तथा लघु उद्योग– *(क्रमशः)*						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(22) उद्यम स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण						
[01] मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हेतु सहायता	..	..	..	2.89	..	2.89
योग – (22)	..	..	..	2.89	..	2.89
(30) खादी की बिक्री पर रिबेट						
[01] खादी बस्त्रों की बिक्री पर रिबेट हेतु अनुदान	600.00	..	600.00	..	..	..
योग – (30)	600.00	..	600.00	..	..	..
योग – 789	600.00	..	600.00	2.89	..	2.89
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना						
(22) उद्यम स्थापना, विस्तार, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण						
[01] मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हेतु सहायता	..	..	..	1.60	..	1.60
योग –(22)	..	..	..	1.60	..	1.60

परिशिष्ट संख्या II - *(क्रमशः)*

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2021–22 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	2020–21 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)			
स्पष्ट सहाय्य *–(क्रमशः)*						
आयुक्त,उद्यान विभाग, जयपुर *–(समाप्त)*						
2401. फसल कृषि–कर्म *–(समाप्त)*						
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना ***–(समाप्त)***						
(29) खादी की बिक्री पर रिबेट						
[01] खादी बस्त्रों की बिक्री पर रिबेट हेतु अनुदान	400.00	..	400.00	..	..	..
योग – (29)	400.00	..	400.00	..	..	..
योग –796	400.00	..	400.00	1.60	..	1.60
उद्योग विभाग को कुल सहाय्य	1,004.32	..	1,004.32	15.99	..	15.99
उप सचिव, उद्योग (ग्रुप–II) विभाग, जयपुर						
2851. ग्रामीण तथा लघु उद्योग						
105. खादी तथा ग्रामोद्योग						
(03) खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट हेतु सहायता–प्रतिबद्ध	..	..	..	2,000.00	..	2,000.00
योग – (03)	1,000.00	..	1,000.00	..	..	..
(07) खादी की बिक्री पर रिबेट	..	..	..	2,000.00	..	2,000.00
[01] खादी बस्त्रों की बिक्री पर रिबेट हेतु अनुदान	1,000.00	..	1,000.00	..	..	..
योग – (07)	..	..	..	2,000.00.	..	2,000.00
उद्योग विभाग (ग्रुप–II) को कुल सहाय्य	1,000.00	..	1,000.00	2,000.00	..	2,000.00

परिशिष्ट संख्या II - *(क्रमशः)*

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	2020-21 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
		(₹ लाख में)				
स्पष्ट सहाय्य *-(क्रमशः)*						
आयुक्त, **खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर**						
3456. नागरिक आपूर्ति						
102. नागरिक आपूर्ति योजना						
(07) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना						
[01] अन्त्योदय परिवार अन्न योजना	4,885.14	..	4,885.14	9,467.17	..	9,467.17
योग-102	4,885.14	..	4,885.14	9,467.17	..	9,467.17
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना						
[02] अन्त्योदय परिवार अन्न योजना	4,005.99	..	4,005.99	6,854.54	..	6,854.54
योग 789	4,005.99	..	4,005.99	6,854.54	..	6,854.54
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना						
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना						
[02] अन्त्योदय परिवार अन्न योजना	2,473.23	..	2,473.23	4,768.70	..	4,768.70
योग 796	2,473.23	..	2,473.23	4,768.70	..	4,768.70
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को कुल सहाय्य	11,364.36	..	11,364.36	21,090.41	..	21,090.41

परिशिष्ट संख्या II - *(क्रमशः)*

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2021–22 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	2020–21 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
		(₹ लाख में)				
स्पष्ट सहाय्य *–(क्रमशः)*						
निदेशक, **महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर**						
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण						
02. समाज कल्याण						
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता						
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना						
[01] महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग	146.56	..	146.56	110.20	..	110.20
योग 196	146.56	..	146.56	110.20	..	110.20
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(03) इंदिरा महिला शक्ति योजना						
[01] महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग	36.00	..	36.00	..	..	..
योग 789	36.00	..	36.00	..	..	..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना						
(15) इंदिरा महिला शक्ति योजना						
[01] महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग	28.00	..	28.00	..	..	..
योग 796	28.00	..	28.00	..	..	..
महिला अधिकारिता विभाग को कुल सहाय्य	210.56	..	210.56	110.20	..	110.20

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2021-22 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	2020-21 के वास्तविक आंकड़े राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
			(₹ लाख में)			
स्पष्ट सहाय्य *-(समाप्त)*						
मुख्य अभियान्ता, गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता जल संसाधन विभाग, जयपुर						
2702. लघु सिंचाई						
01. सतही जल						
800. अन्य व्यय						
(09) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर डब्ल्यू एस एल आई पी)						
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) के माध्यम से	1,932.76	..	1,932.76	1,813.44	..	1,813.44
गुण नियंत्रण एवं वाह्य सहायता जल संसाधन विभाग को कुल सहाय्य	1,932.76	..	1,932.76	1,813.44	..	1,813.44
निदेशक, नागरिक विमानन, जयपुर						
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं						
114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव						
(06) नागरिक विमानन निदेशालय						
[01] नागरिक विमानन निदेशालय-प्रतिबद्ध	..	..	..	1,468.39	..	1,468.39
(07) क्षेत्रीय उड़ान सम्पर्क योजना						
[01] सेवा प्रदाताओं को सहायता	697.09	..	697.09	..	..	..
नागरिक विमानन को कुल सहाय्य	697.09	..	697.09	1,468.39	..	1,468.39
कुल स्पष्ट सहाय्य	**23,16,837.62**	**19,553.95**	**23,36,391.57 @**	**14,70,405.43**	**12,443.82**	**14,82,849.25**

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) 0.03 लाख का अन्तर है ।

परिशिष्ट संख्या III –राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता/ सहायतार्थ अनुदान
(संस्थावार तथा योजनावार)

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
नगर निगम										
	चुंगी प्रतिपूर्ति	सामान्य	79,296.89	..	79,296.89	..	72,088.07	..	72,088.07	..
		अ.जा.उ.यो.	20,583.25	..	20,583.25	..	18,712.05	..	18,712.05	..
		ज.जा.उ.यो.	15,561.54	..	15,561.54	..	14,146.86	..	14,146.86	..
	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान	सामान्य	..	24,111.44	24,111.44	..	..	24,111.44	24,111.44	..
		अ.जा.उ.यो.	..	6,258.64	6,258.64	..	..	6,258.65	6,258.65	..
		ज.जा.उ.यो.	..	4,731.74	4,731.74	..	..	4,731.73	4,731.73	..
	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान	सामान्य	22,586.24	..	22,586.24	..	32,523.12	..	32,523.12	..
		अ.जा.उ.यो.	5,862.76	..	5,862.76	..	8,442.09	..	8,442.09	..
		ज.जा.उ.यो.	4,432.42	..	4,432.42	..	6,382.47	..	6,382.47	..
	राजस्थान शहरी विकास निधि के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी	सामान्य	10,715.64	..	10,715.64	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	2,781.48	..	2,781.48	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	2,102.88	..	2,102.88	..	..	..	..	..
	गैर मिलियन प्लस शहरों के लिए जलापूर्ति तथा ठोस अपष्ठि प्रबंधन के लिए बाध्य अनुदान	के.वि.आ.(सा.)	..	2,087.31	2,087.31	..	..	..	..	..
		के.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	..	541.80	541.80	..	..	..	..	..
		के.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	..	409.63	409.63	..	..	..	..	..
	शहरी स्वास्थ्य और स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अनुदान	के.वि.आ.(सा.)	..	2,072.15	2,072.15	..	..	..	..	..
		के.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	..	537.87	537.87	..	..	..	..	..
		के.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	..	406.65	406.65	..	..	..	..	..
	गैर मिलियन प्लस शहरों के लिए अप्रतिबंधित अनुदान	के.वि.आ.(सा.)	..	1,391.55	1,391.55	..	..	..	..	..
		के.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	..	361.21	361.21	..	..	..	..	..
		के.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	..	273.08	273.08	..	..	..	..	..

* इस परिशिष्ट में निम्नलिखित संकेत चिन्हों का प्रयोग उनके विस्तृत स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है :–

1. ज.जा.उ.यो. - जनजातीय उप–योजना
2. अ.जा.उ.यो. - अनुसूचित जाति उप–योजना
3. वि.आ.(सा.)– वित्त आयोग (सामान्य)
4. रा.वि.आ.(सा.) – राज्य वित्त आयोग (सामान्य)
5. रा.वि.आ.(ज.जा.उ.यो.) – राज्य वित्त आयोग (जनजातीय उप–योजना)
6. रा.वि.आ.(अ.जा.उ.यो.) - राज्य वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उप–योजना)
7. ई.ए.पी- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
नगर पालिकाएं/नगर परिषद –*(क्रमश:)*										
	राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत निष्पादन हेतु प्रोत्साहन अनुदान	सामान्य	1,388.74	..	1,388.74	..	975.97	..	975.97	..
		अ.जा.उ.यो.	360.48	..	360.48	..	253.33	..	253.33	..
		ज.जा.उ.यो.	272.53	..	272.53	..	191.54	..	191.54	..
	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	सामान्य	530.95	826.45	1,357.40	..	526.62	789.92	1,316.54	..
		अ.जा.उ.यो.	137.79	214.47	352.26	..	136.69	205.04	341.73	..
		ज.जा.उ.यो.	104.18	162.19	266.37	..	103.35	155.02	258.37	..
	स्वच्छ भारत अभियान	सामान्य	..	979.30	979.30	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	..	254.19	254.19	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	..	192.18	192.18	..	..	..	..	..
	प्रधानमंत्री आवास योजना	सामान्य	..	224.20	224.20	..	..	11.45	11.45	..
		अ.जा.उ.यो.	..	58.20	58.20	..	..	2.97	2.97	..
		ज.जा.उ.यो.	..	44.00	44.00	..	..	2.25	2.25	..
	चुनावों के लिए वित्तीय रूप से कमजोर नगर निगमों को विशेष अनुदान	सामान्य	79.97	..	79.97	..	1,314.33	..	1,314.33	..
	सार्वजनिक रोशनी के बिजली बिलों का भुगतान	सामान्य	..	..	..	..	5,385.03	..	5,385.03	..
	अन्नपूर्णा योजना	सामान्य	..	..	..	..	1,111.15	..	1,111.15	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	287.59	..	287.59	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	217.94	..	217.94	..
	सीवरेज लाइनों की सफाई	सामान्य	..	..	..	..	900.50	..	900.50	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	233.50	..	233.50	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	176.67	..	176.67	..
	सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट	सामान्य	..	..	..	..	900.50	..	900.50	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	233.50	..	233.50	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	176.67	..	176.67	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
नगर निगम–(*समाप्त*)										
जोधपुर विकास प्राधिकरण	अनुदान	सामान्य	..	..	..	..	584.00	..	584.00	..
	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	सामान्य	..	..	..	..	343.33	..	343.33	343.33
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	89.17	..	89.17	89.17
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	67.50	..	67.50	67.50
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	35.30	63.05	98.35	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	9.15	16.37	25.52	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	6.93	12.37	19.30	..	..	..	..	..
		योग–नगर निगम	1,66,849.12	46,230.04	2,13,079.16	..	1,66,503.54	36,268.47	2,02,772.01	500.00
नगर पालिकाएं/नगर परिषद										
	चूंगी प्रतिपूर्ति	सामान्य	78,168.07	..	78,168.07	..	71,061.88	..	71,061.88	..
		अ.जा.उ.यो.	20,290.24	..	20,290.24	..	18,445.68	..	18,445.68	..
		ज.जा.उ.यो.	15,340.01	..	15,340.01	..	13,945.46	..	13,945.46	..
	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान	रा.वि.आ.(सा.)	59,748.40	..	59,748.40	..	81,803.14	..	81,803.14	..
		रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	15,509.02	..	15,509.02	..	21,233.81	..	21,233.81	..
		रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	11,725.26	..	11,725.26	..	16,053.38	..	16,053.38	..
	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान	सामान्य	..	39,735.92	39,735.92	..	..	39,735.92	39,735.92	..
		अ.जा.उ.यो.	..	10,314.34	10,314.34	..	..	10,314.34	10,314.34	..
		ज.जा.उ.यो.	..	7,797.92	7,797.92	..	..	7,797.92	7,797.92	..
	गैर मिलियन प्लस शहरों के लिए जलापूर्ति तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बाध्य अनुदान	के.वि.आ.(सा.)	..	18,128.16	18,128.16	..	..	..	..	..
		के.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	..	4,705.57	4,705.57	..	..	..	..	..
		के.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	..	3,557.53	3,557.53	..	..	..	..	..
	गैर मिलियन प्लस शहरों के लिए अप्रतिबंधित अनुदान	के.वि.आ.(सा.)	..	12,085.43	12,085.43	..	..	..	..	..
		के.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	..	3,137.04	3,137.04	..	..	..	..	..
		के.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	..	2,371.69	2,371.69	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
नगर पालिकाएं/नगर परिषद –*(क्रमश:)*										
	राजस्थान शहरी विकास निधि के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी	सामान्य	9,891.36	..	9,891.36	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	2,567.52	..	2,567.52	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	1,941.12	..	1,941.12	..	..	..	..	..
	शहरी स्वास्थ्य और स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अनुदान	के.वि.आ.(सा.)	..	5,242.65	5,242.65	..	..	..	..	..
		के.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	..	1,360.84	1,360.84	..	..	..	..	..
		के.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	..	1,028.84	1,028.84	..	..	..	..	..
	राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत निष्पादन हेतु प्रोत्साहन अनुदान	रा.वि.आ.(सा.)	3,673.71	..	3,673.71	..	2,886.67	..	2,886.67	..
		रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	953.59	..	953.59	..	749.28	..	749.28	..
		रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	720.95	..	720.95	..	566.48	..	566.48	..
	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	सामान्य	1,181.79	1,839.60	3,021.39	..	1,172.15	1,758.21	2,930.36	..
		अ.जा.उ.यो.	306.77	477.50	784.27	..	304.26	456.38	760.64	..
		ज.जा.उ.यो.	231.93	361.05	592.98	..	230.02	345.03	575.05	..
	स्वच्छ भारत अभियान	सामान्य	..	2,306.83	2,306.83	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	..	598.79	598.79	..	..	..	..	..
	शहरी ट्रस्टों की जलपूर्ति योजनाओं का संचालन और रखरखाव	सामान्य	1,677.41	..	1,677.41	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	435.41	..	435.41	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	329.18	..	329.18	..	..	..	..	..
	प्रधानमंत्री आवास योजना	सामान्य	..	..	..	..	3.37	10.10	13.47	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	0.87	2.62	3.49	..
		ज.जा.उ.यो.	..	935.80	935.80	..	0.66	1.98	2.64	..
	प्राथमिक स्वास्थ्य नर्सिंग सुविधाएं के लिए डायग्नोस्टिक बेसिक संरचना के लिए सहायता	के.वि.आ.(सा.)	..	159.51	159.51	..	..	..	..	..
		के.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	..	41.40	41.40	..	..	..	..	..
		के.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	..	31.30	31.30	..	..	..	..	..
	चुनावों के लिए वित्तीय रूप से कमजोर नगरपालिकाएं/नगर परिषदों को विशेष अनुदान	सामान्य	152.86	..	152.86	..	1,651.20	..	1,651.20	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमशः)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
नगर पालिकाएं/नगर परिषद –*(क्रमशः)*										
	शहरी ट्रस्टों की जलपूर्ति योजनाओं का संचालन और रखरखाव	सामान्य	..	..	..	..	8,442.65	..	8,442.65	..
	सार्वजनिक रोशनी के बिजली बिलों का भुगतान	सामान्य	..	..	..	..	8,257.50	..	8,257.50	..
	अन्नपूर्णा योजना	सामान्य	..	..	..	..	2,573.34	..	2,573.34	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	673.09	..	673.09	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	509.17	..	509.17	..
	सीवरेज लाइनों की सफाई	सामान्य	..	..	..	..	2,122.82	..	2,122.82	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	550.25	..	550.25	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	416.26	..	416.26	..
	सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट	सामान्य	..	..	..	..	2,122.82	..	2,122.82	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	550.25	..	550.25	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	416.26	..	416.26	..
	सीवरेज योजनाओं का रखरखाव	सामान्य	..	..	..	..	660.00	..	660.00	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	52.93	..	52.93	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	13.72	..	13.72	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	10.37	..	10.37	..	..	..	..	..
	योग–नगर पालिकाएं/नगर परिषद		2,24,921.62	1,16,217.71	3,41,139.33	..	2,57,402.72	60,422.50	3,17,825.22	..
जिला परिषद										
	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	सामान्य	46,500.00	1,23,380.00	1,69,880.00	..	27,409.46	93,431.30	1,20,840.76	..
		अ.जा.उ.यो.	16,500.00	43,780.00	60,280.00	..	9,840.80	32,673.03	42,513.83	..
		ज.जा.उ.यो.	12,000.00	31,840.00	43,840.00	..	7,156.94	23,762.74	30,919.68	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
जिला परिषद–*(क्रमश:)*										
	प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण	सामान्य	43,666.59	65,499.88	1,09,166.47	..	80,675.90	12,351.48	93,027.38	..
		अ.जा.उ.यो.	20,628.28	30,942.42	51,570.70	..	39,926.08	21,209.27	61,135.35	..
		ज.जा.उ.यो.	29,402.68	44,104.02	73,506.70	..	1,03,145.06	5,728.82	1,08,873.88	..
	कोविड–19 के तहत जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता (गैर पेंशनभोगी)	सामान्य	39,600.00	..	39,600.00	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	15,180.00	..	15,180.00	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	11,220.00	..	11,220.00	..	..	..	..	..
	अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना के अन्तर्गत सहायता	सामान्य	32,875.36	..	32,875.36	..	34,599.78	..	34,599.78	..
		अ.जा.उ.यो.	13,754.80	..	13,754.80	..	13,582.26	..	13,582.26	..
		ज.जा.उ.यो.	8,123.08	..	8,123.08	..	8,401.22	..	8,401.22	..
	स्वच्छ भारत अभियान - ग्रामीण	सामान्य	5,556.13	22,668.77	28,224.90	..	..	15,542.70	15,542.70	..
		अ.जा.उ.यो.	2,553.43	6,713.17	9,266.60	..	..	2,682.61	2,682.61	..
		ज.जा.उ.यो.	1,175.34	7,320.68	8,496.02	..	..	4,700.76	4,700.76	..
	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	सामान्य	9,221.08	12,703.84	21,924.92	..	4,191.59	6,808.41	11,000.00	..
		अ.जा.उ.यो.	5,532.66	7,622.31	13,154.97	..	2,515.55	4,084.45	6,600.00	..
		ज.जा.उ.यो.	3,688.43	5,081.54	8,769.97	..	1,677.04	2,722.96	4,400.00	..
	ग्रामीण बी.पी.एल.आवास	सामान्य	29,596.49	..	29,596.49	19,402.65	19,277.81	..	19,277.81	10,538.79
		अ.जा.उ.यो.	7,777.13	..	7,777.13	5,098.47	5,065.62	..	5,065.62	2,769.30
		ज.जा.उ.यो.	5,832.93	..	5,832.93	3,823.90	3,799.24	..	3,799.24	2,076.99
	जल सरंक्षण उपकर कोष से राजीव गांधी जल आरक्षित योजना	सामान्य	30,200.00	..	30,200.00	..	26,177.31	..	26,177.31	..
	राज्य वित्त आयोग की अनुशंषा के अन्तर्गत सहायता	रा.वि.आ.(सा.)	16,675.92	..	16,675.92	..	4,949.49	..	4,949.49	..
		रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	4,361.44	..	4,361.44	..	1,324.96	..	1,324.96	..
		रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	3,271.07	..	3,271.07	..	959.72	..	959.72	..
	केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान	सामान्य	..	13,456.15	13,456.15	..	..	6,295.72	6,295.72	..
		अ.जा.उ.यो.	..	3,535.90	3,535.90	..	..	1,654.35	1,654.35	..
		ज.जा.उ.यो.	..	2,651.93	2,651.93	..	..	1,240.75	1,240.75	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
जिला परिषद–*(क्रमश:)*										
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन	सामान्य	4,932.48	7,398.72	12,331.20	..	6,473.89	9,710.84	16,184.73	..
		अ.जा.उ.यो.	1,340.47	2,010.71	3,351.18	..	1,648.26	2,472.39	4,120.65	..
		ज.जा.उ.यो.	1,366.47	2,049.71	3,416.18	..	973.69	1,460.54	2,434.23	..
	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	सामान्य	3,238.27	4,857.41	8,095.68	..	1,094.00	..	1,094.00	..
		अ.जा.उ.यो.	1,942.96	2,914.44	4,857.40	..	656.40	..	656.40	..
		ज.जा.उ.यो.	1,295.31	1,942.96	3,238.27	..	437.60	..	437.60	..
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– वाटर शेड कम्पोनेट	सामान्य	4,468.20	6,702.30	11,170.50	..	16,671.07	25,006.60	41,677.67	..
		अ.जा.उ.यो.	790.04	1,185.07	1,975.11	..	5,875.99	8,814.00	14,689.99	..
		ज.जा.उ.यो.	31.30	46.95	78.25	..	2,388.66	3,583.00	5,971.66	..
	नागरिक सुरक्षा के लिए सहायता	अ.जा.उ.यो.	5,136.32	5,122.55	10,258.87	..	3,229.68	3,208.65	6,438.33	..
		ज.जा.उ.यो.	1,272.00	1,275.59	2,547.59	..	883.28	884.07	1,767.35	..
	जल सरंक्षण उपकर कोष से राजीव गांधी जल आरक्षित योजना	सामान्य	8,571.53	..	8,571.53	..	3,175.79	..	3,175.79	..
		अ.जा.उ.यो.	1,820.00	..	1,820.00	..	660.67	..	660.67	..
		ज.जा.उ.यो.	1,731.83	..	1,731.83	..	849.45	..	849.45	..
	परम्परागत कृषि विकास योजना	सामान्य	2,231.50	3,347.25	5,578.75	..	232.58	348.86	581.44	..
		अ.जा.उ.यो.	419.17	628.76	1,047.93	..	49.57	74.36	123.93	..
		ज.जा.उ.यो.	567.52	851.28	1,418.80	..	13.06	19.60	32.66	..
	स्थापना के लिए तदर्थ सहायता	सामान्य	6,517.24	..	6,517.24	..	..	..	..	..
	महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना	सामान्य	4,410.21	..	4,410.21	4,410.21	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	1,167.41	..	1,167.41	1,167.41	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	907.98	..	907.98	907.98	..	..	..	..
	सहयोग योजना के अन्तर्गत सहायता	सामान्य	2,195.44	..	2,195.44	..	1,595.76	..	1,595.76	..
		अ.जा.उ.यो.	1,496.55	..	1,496.55	..	842.33	..	842.33	..
		ज.जा.उ.यो.	1,081.07	..	1,081.07	..	548.89	..	548.89	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
जिला परिषद–*(क्रमश:)*										
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-पोष्टिक अनाज	सामान्य	1,117.41	1,676.10	2,793.51	..	419.22	628.82	1,048.04	..
		अ.जा.उ.यो.	296.00	444.00	740.00	..	78.28	117.41	195.69	..
		ज.जा.उ.यो.	208.00	312.00	520.00	..	53.13	79.70	132.83	..
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन–कृषि विस्तार	सामान्य	872.09	1,056.41	1,928.50	..	1,295.68	1,517.66	2,813.34	..
		अ.जा.उ.यो.	313.62	382.19	695.81	..	363.46	433.54	797.00	..
		ज.जा.उ.यो.	223.88	278.05	501.93	..	228.60	272.58	501.18	..
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन कृषि अभियांत्रिकी	सामान्य	864.14	1,296.22	2,160.36	..	888.12	1,332.19	2,220.31	..
		अ.जा.उ.यो.	197.80	296.71	494.51	..	53.56	80.33	133.89	..
		ज.जा.उ.यो.	138.00	207.00	345.00	..	79.75	119.62	199.37	..
	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	सामान्य	..	..	..	..	647.73	971.60	1,619.33	..
		अ.जा.उ.यो.	684.93	1,027.40	1,712.33	..	100.33	150.50	250.83	..
		ज.जा.उ.यो.	466.67	700.00	1,166.67	..	75.34	113.00	188.34	..
	राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक संशोधित परियोजना	सामान्य	573.81	664.42	1,238.23	..	1,000.00	1,235.52	2,235.52	..
		अ.जा.उ.यो.	255.70	265.75	521.45	..	398.98	635.51	1,034.49	..
		ज.जा.उ.यो.	318.11	398.64	716.75	..	600.00	600.00	1,200.00	..
	अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि	अ.जा.उ.यो.	1,845.00	625.00	2,470.00	..	1,750.00	605.00	2,355.00	..
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–तिलहन	सामान्य	562.98	844.46	1,407.44	..	973.82	1,460.71	2,434.53	..
		अ.जा.उ.यो.	213.33	319.99	533.32	..	188.89	283.33	472.22	..
		ज.जा.उ.यो.	88.00	132.00	220.00	..	155.40	233.09	388.49	..
	समाज कल्याण हेतु संयुक्त सहायता के लिए अनुदान	सामान्य	1,967.09	..	1,967.09	..	97.71	..	97.71	..
		ज.जा.उ.यो.	20.00	..	20.00	..	14.83	..	14.83	..
स्वैच्छिक अभिकरण	शारीरिक तथा विमंदित क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता	सामान्य	1,798.79	..	1,798.79	..	1,501.69	..	1,501.69	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
जिला परिषद–*(क्रमश:)*										
	जिला नवाचार निधि योजना	सामान्य	825.00	..	825.00	..	412.50	..	412.50	..
		अ.जा.उ.यो.	495.00	..	495.00	..	247.50	..	247.50	..
		ज.जा.उ.यो.	330.00	..	330.00	..	165.00	..	165.00	..
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	स्थापना व्यय के लिए अनुदान (राज्य हिस्सा)	सामान्य	424.20	491.48	915.68	..	543.89	713.62	1,257.51	..
		अ.जा.उ.यो.	105.62	132.12	237.74	..	182.86	212.80	395.66	..
		ज.जा.उ.यो.	87.42	109.15	196.57	..	142.22	206.70	348.92	..
	नवजीवन योजना	सामान्य	199.05	..	199.05	..	436.12	..	436.12	..
		अ.जा.उ.यो.	978.30	..	978.30	..	287.75	..	287.75	..
		ज.जा.उ.यो.	16.00	..	16.00	..	15.89	..	15.89	..
शिक्षा विभाग	देवनाराण गुरूकुल योजना	सामान्य	1,079.58	..	1,079.58	..	85.75	..	85.75	..
	पंचायती राज संस्थान में स्थानांतरित कर्मचारी का स्थापना व्यय	सामान्य	1,054.96	..	1,054.96	..	..	..	..	..
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटा अनाज	सामान्य	227.19	340.78	567.97	..	179.03	268.55	447.58	..
		अ.जा.उ.यो.	82.75	124.13	206.88	..	30.31	45.47	75.78	..
		ज.जा.उ.यो.	44.57	66.85	111.42	..	12.57	18.86	31.43	..
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूं	सामान्य	132.91	199.37	332.28	..	388.81	583.22	972.03	..
		अ.जा.उ.यो.	155.78	233.67	389.45	..	38.81	58.21	97.02	..
		ज.जा.उ.यो.	23.55	35.33	58.88	..	45.75	68.63	114.38	..
उच्च शिक्षा विभाग	बालिकाओं के लिए देवनारायण स्कूटी वितरण तथा प्रोत्साहन राशि योजना	सामान्य	749.75	..	749.75	..	152.22	..	152.22	..
	सामूहिक विवाह अनुदान योजना	सामान्य	562.95	..	562.95	..	688.35	..	688.35	..
		अ.जा.उ.यो.	32.19	..	32.19	..	145.52	..	145.52	..
		ज.जा.उ.यो.	29.17	..	29.17	..	78.92	..	78.92	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
जिला परिषद–*(क्रमश:)*										
	बीज विकास	सामान्य	278.04	..	278.04	..	89.82	..	89.82	..
		अ.जा.उ.यो.	102.82	..	102.82	..	32.43	..	32.43	..
		ज.जा.उ.यो.	87.06	..	87.06	..	27.03	..	27.03	..
	अनुसूचित जन जाति छात्रावासों का संचालन	सामान्य	155.72	..	155.72	..	53.98	..	53.98	..
	अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन	सामान्य	157.35	..	157.35	..	51.32	..	51.32	..
	अन्य पिछड़े वर्गों छात्रावासों का संचालन	सामान्य	1.16	..	1.16	..	..	..	..	..
	टिकाऊ खेती मिशन रेन फेड क्षेत्र विकास	सामान्य	62.55	93.84	156.39	..	175.47	263.20	438.67	..
		अ.जा.उ.यो.	35.98	53.97	89.95	..	42.02	63.04	105.06	..
		ज.जा.उ.यो.	22.80	34.19	56.99	..	34.70	52.04	86.74	..
स्वयं सहायता संस्था	स्वयं सहायता संस्थाओं के माध्यम से वृद्धावस्था आश्रम की स्थापना तथा संचालन	सामान्य	201.60	..	201.60	..	159.99	..	159.99	..
	सम्बल गांवों का विकास	सामान्य	193.00	..	193.00	..	..	..	..	..
	स्थापना के लिए तदर्थ सहायता	सामान्य	170.00	..	170.00	..	..	..	..	..
	विकंलागों के विवाह के लिए कैम्प	सामान्य	147.75	..	147.75	..	129.50	..	129.50	..
		ज.जा.उ.यो.	1.00	..	1.00	..	13.50	..	13.50	..
महिला सुरक्षा तथा सम्पर्क केन्द्र	समाज कल्याण के लिए अनुदान	सामान्य	102.31	..	102.31	..	73.95	..	73.95	..
		अ.जा.उ.यो.	14.96	..	14.96	..	15.92	..	15.92	..
		ज.जा.उ.यो.	13.86	..	13.86	..	13.77	..	13.77	..
	गाड़िया लुहारों के लिए एकीकृत परियोजना	सामान्य	109.10	..	109.10	..	199.35	..	199.35	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22 राज्य निधि व्यय	2021-22 केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	2021-22 योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21 राज्य निधि व्यय	2020-21 केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	2020-21 योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
						(₹ लाख में)				
जिला परिषद्- *(समाप्त)*										
	सतत् कृषि मिशन–मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	सामान्य	3.35	5.03	8.38	..	56.99	85.49	142.48	..
		अ.जा.उ.यो.	0.36	0.54	0.90	..	6.69	10.02	16.71	..
		ज.जा.उ.यो.	0.88	1.34	2.22	..	7.12	10.67	17.79	..
	कीट तथा बीमारियों का नष्टीकरण	सामान्य	4.37	..	4.37	..	97.65	..	97.65	..
		अ.जा.उ.यो.	0.42	..	0.42	..	8.54	..	8.54	..
		ज.जा.उ.यो.	0.25	..	0.25	..	2.17	..	2.17	..
	स्थापना के लिए तदर्थ सहायता	सामान्य	..	..	..	..	5,749.29	..	5,749.29	..
	अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ स्टाफ	सामान्य	..	..	..	..	915.98	..	915.98	..
	जल प्रबन्धन	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	389.82	..	389.82	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	367.29	..	367.29	..
	संस्थापना व्यय के लिए अनुदान–मध्यम सिंचाइ	सामान्य	..	..	..	..	308.24	..	308.24	..
	प्रशिक्षण	सामान्य	..	..	..	..	133.00	..	133.00	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाए	सामान्य	293.00	58.91	351.91	..	212.30	89.75	302.05	..
		अ.जा.उ.यो.	23.52	1.79	25.31	..	12.48	3.82	16.30	..
		ज.जा.उ.यो.	18.74	(-) 0.02 (क)	18.72	..	25.65	13.95	39.60	..
		योग– जिला परिषद	4,96,687.35	4,74,543.12	9,71,230.47	34,810.62	4,67,626.70	3,04,110.41	7,71,737.11	15,385.08
पंचायत समितियां										
	प्राथमिक विद्यालयों के लिए अनुदान	सामान्य	2,73,547.10	..	2,73,547.10	..	1,47,249.68	..	1,47,249.68	..
		ज.जा.उ.यो.	25,009.92	..	25,009.92	..	12,109.90	..	12,109.90	..
	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान	रा.वि.आ.(सा.)	66,489.00	..	66,489.00	..	19,779.98	..	19,779.98	..
		रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	17,389.32	..	17,389.32	..	5,197.64	..	5,197.64	..
		रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	13,041.99	..	13,041.99	..	3,898.23	..	3,898.23	..

(क) *ऋण* राशि गत वर्षों की बकाया राशि के जमा कराने के कारण है।

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
पंचायत समितियां-*(समाप्त)*										
	स्थापना के लिए तदर्थ सहायता	सामान्य	82,405.03	..	82,405.03		82,167.83	..	82,167.83	..
	केन्द्रिय वित्त आयोग की सिफारिश के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान	सामान्य	..	53,824.55	53,824.55	..	..	26,454.70	26,454.70	..
		अ.जा.उ.यो.	..	14,143.68	14,143.68	..	..	6,951.60	6,951.60	..
		ज.जा.उ.यो.	..	10,607.75	10,607.75	..	..	5,213.70	5,213.70	..
	हैंण्ड पम्प श्रमिकों तथा फिटर्स के लिए तदर्थ सहायता	सामान्य	8,850.00	..	8,850.00	..	..	..	..	..
	पंचायती राज संस्थान में स्थानांतरित कर्मचारी का स्थापना व्यय	सामान्य	536.23	..	536.23	..	..	..	..	..
	हैंण्ड पम्प श्रमिकों तथा फिटर्स के लिए तदर्थ सहायता	सामान्य	..	..	..	..	8,100.00	..	8,100.00	..
	सिंचाई निर्माण कार्यों का संस्थापन व्यय	सामान्य	..	..	..	..	641.44	..	641.44	..
	एक करोड़ से कम योजनाए	सामान्य	..	..	..	..	1.53	..	1.53	..
		योग– पंचायत समितियां	4,87,268.59	78,575.98	5,65,844.57	..	2,79,146.23	38,620.00	3,17,766.23	..
ग्राम पंचायत										
	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान	रा.वि.आ.(सा.)	2,17,329.00	..	2,17,329.00	..	1,49,215.86	..	1,49,215.86	..
		रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	57,213.00	..	57,213.00	..	39,209.81	..	39,209.81	..
		रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	52,193.13	..	52,193.13	..	29,407.35	..	29,407.35	..
	केन्द्रिय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान	सामान्य	..	2,01,842.10	2,01,842.10	..	..	99,205.12	99,205.12	..
		अ.जा.उ.यो.	..	53,038.80	53,038.80	..	..	26,068.50	26,068.50	..
		ज.जा.उ.यो.	..	39,779.10	39,779.10	..	..	19,551.38	19,551.38	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
ग्राम पंचायत-*(समाप्त)*										
	चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य बुनियादी अनुदान	सामान्य	..	4.44	4.44	..	..	1,520.67	1,520.67	..
		अ.जा.उ.यो.	..	1.14	1.14	..	..	407.69	407.69	..
		ज.जा.उ.यो.	..	0.85	0.85	..	..	299.56	299.56	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	74.04	..	74.04	..	63.30	..	63.30	..
		योग–ग्राम पंचायत	3,26,809.17	2,94,666.43	6,21,475.60	..	2,17,896.32	1,47,052.92	3,64,949.24	..
सांविधिक निगम										
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	अन्य सहायता	सामान्य	41,400.00	..	41,400.00	..	20,870.00	..	20,870.00	870.00
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त/रियायती यात्राओं की राशि के पुनर्भुगतान के लिए अनुदान	सामान्य	25,500.00	..	25,500.00	..	7,989.91	..	7,989.91	..
जयपुर सिटी परिवहन सेवाएं लिमिटेड	शहरी विकास योजना - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	सामान्य	2,569.00	..	2,569.00	..	2,060.70	..	2,060.70	..
		अ.जा.उ.यो.	666.84	..	666.84	..	534.90	..	534.90	..
		ज.जा.उ.यो.	504.16	..	504.16	..	404.40	..	404.40	..
कोटा सिटी परिवहन सेवाएं लिमिटेड	राजस्थान परिवहन–आधारभूत विकास निधि	सामान्य	422.44	..	422.44	..	137.38	..	137.38	..
		अ.जा.उ.यो.	109.66	..	109.66	..	35.66	..	35.66	..
		ज.जा.उ.यो.	82.90	..	82.90	..	26.96	..	26.96	..
अजमेर सिटी परिवहन सेवाएं लिमिटेड	राजस्थान परिवहन–आधारभूत विकास निधि	सामान्य	303.30	..	303.30	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	78.73	..	78.73	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	59.52	..	59.52	..	..	..	..	..
उदयपुर सिटी परिवहन सेवाएं लिमिटेड	राजस्थान परिवहन–आधारभूत विकास निधि	सामान्य	240.42	..	240.42	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	62.40	..	62.40	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	47.18	..	47.18	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
सांविधिक निगम-*(समाप्त)*										
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	सामान्य	86.24	..	86.24	..	25,135.63	..	25,135.63	..
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	शहरी विकास योजना - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	अ.जा.उ.यो.	21.00	..	21.00	..	6,524.84	..	6,524.84	..
		ज.जा.उ.यो.	16.00	..	16.00	..	4,928.53	..	4,928.53	..
जयपुर सिटी परिवहन सेवाएं लिमिटेड	वैश्विक प्रर्यावरण सुविधा	सामान्य	..	89.27	89.27	..	..	128.23	128.23	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाए	सामान्य	..	..	..	..	25.40	..	25.40	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	6.59	..	6.59	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	4.99	..	4.99	..
		योग– सांविधिक निगम	72,169.79	89.27	72,259.06	..	68,685.89	128.23	68,814.12	870.00
सरकारी कम्पनियाँ										
राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम	नि:शुल्क दवा वितरण योजना	सामान्य	36,900.00	..	36,900.00	..	29,322.97	..	29,322.97	..
		अ.जा.उ.यो.	9,020.00	..	9,020.00	..	9,494.40	..	9,494.40	..
		ज.जा.उ.यो.	7,700.00	..	7,700.00	..	7,453.65	..	7,453.65	..
जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	सामान्य	10,500.00	..	10,500.00	..	7,500.00	..	7,500.00	..
राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास सहकारी निगम	अल्पसंख्यकों का कल्याण	सामान्य	3,219.23	..	3,219.23	..	170.31	..	170.31	..
रिको	रिको औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी के औद्योगिक प्रयास प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन	सामान्य	..	2,500.00	2,500.00	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
सरकारी कम्पनियाँ-*(समाप्त)*										
राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग	अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	सामान्य	1,796.50	..	1,796.50	..	95.00	..	95.00	..
राजस्थान पर्यटन विकास निगम	अनुदान	सामान्य	1,030.00	..	1,030.00	..	..	..	..	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	81.35	..	81.35	..	48.00	..	48.00	..
		अ.जा.उ.यो.	5.60	..	5.60	..	15.00	..	15.00	..
		ज.जा.उ.यो.	1.00	..	1.00	..	2.00	..	2.00	..
	योग– सरकारी कम्पनियाँ		70,253.68	2,500.00	72,753.68	..	54,101.33	..	54,101.33	..
गैर सरकारी संगठन										
गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय सैनिक विद्यालय, झुन्झूनु	माध्यमिक शिक्षा	सामान्य	2,366.15	..	2,366.15	2,241.15	3,575.00	..	3,575.00	3,400.00
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	1,445.00	..	1,445.00	75.00	..	..	..	..
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	1,386.00	..	1,386.00	50.00	600.00	..	600.00	50.00
माणिक्य लाल वर्मा टैक्सटाईल संस्था, भीलवाड़ा	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	921.00	..	921.00	56.00	514.20	..	514.20	44.20
गैर सरकारी **शैक्षणिक संस्थाएं**	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	852.61	..	852.61	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
गैर सरकारी संगठन-*(समाप्त)*										
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	717.00	..	717.00	410.00	100.00	..	100.00	100.00
गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय सैनिक विद्यालय,चित्तौडगढ	माध्यमिक शिक्षा	सामान्य	675.00	..	675.00	400.00	100.00	..	100.00	100.00
महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर	माध्यमिक शिक्षा	सामान्य	512.00	..	512.00	..	50.00	..	50.00	50.00
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	261.00	..	261.00	..	66.66	..	66.66	66.66
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	66.67	..	66.67	66.67
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	66.67	..	66.67	66.67
संस्कृत अकादमी	भाषा विकास के लिए अनुदान	सामान्य	151.40	..	151.40	..	119.28	..	119.28	..
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा	तकनीकी शिक्षा	ज.जा.उ.यो.	129.00	..	129.00	30.00	..	..	..	..
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाड़मेर	भाषा विकास के लिए अनुदान	सामान्य	100.00	..	100.00	100.00	..	..	..	..
गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय अन्य विद्यालय	माध्यमिक शिक्षा	सामान्य	72.63	..	72.63	..	131.78	..	131.78	..
गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय सैनिक विद्यालय	माध्यमिक शिक्षा	सामान्य	..	..	..	..	250.00	..	250.00	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाए	सामान्य	22.24	..	22.24	..	87.77	..	87.77	..
	योग–गैर सरकारी संगठन		9,611.03	..	9,611.03	3,362.15	5,728.03	..	5,728.03	3,944.20

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं										
राजकीय माध्यमिक विद्यालय	मॉडल स्कूल	सामान्य	21,470.00	..	21,470.00	..	15,828.00	..	15,828.00	..
		अ.जा.उ.यो.	5,260.00	..	5,260.00	..	4,200.00	..	4,200.00	..
		ज.जा.उ.यो.	3,970.00	..	3,970.00	..	3,169.16	..	3,169.16	..
राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसायटी	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–एलौपेथी	सामान्य	11,556.53	..	11,556.53	831.53	8,395.90	615.60	9,011.50	1,174.00
		अ.जा.उ.यो.	3,300.00	..	3,300.00	..	2,450.00	..	2,450.00	..
		ज.जा.उ.यो.	2,475.00	..	2,475.00	..	1,812.50	..	1,812.50	..
राजस्थान विश्वविद्यालय	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	12,500.00	..	12,500.00	..	11,000.00	..	11,000.00	..
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	12,400.00	..	12,400.00	..	11,800.00	..	11,800.00	..
झालावाड़ अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज सोसायटी	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–एलौपेथी	सामान्य	7,462.75	..	7,462.75	..	5,475.00	..	5,475.00	..
		अ.जा.उ.यो.	1,965.61	..	1,965.61	28.49	1,928.71	..	1,928.71	78.71
		ज.जा.उ.यो.	1,464.53	..	1,464.53	..	2,420.00	..	2,420.00	..
पशुपालन विश्वविद्यालय	पशु पालन के लिए अनुदान	सामान्य	4,335.00	..	4,335.00	75.00	4,001.00	..	4,001.00	130.00
		अ.जा.उ.यो.	2,512.50	..	2,512.50	232.50	2,355.00	..	2,355.00	370.00
		ज.जा.उ.यो.	1,805.00	..	1,805.00	..	1,544.00	..	1,544.00	..
महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	कृषि शिक्षा	सामान्य	7,429.00	..	7,429.00	..	6,805.00	..	6,805.00	100.00
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	200.00	..	200.00	200.00
मदरसा विद्यालय	प्राथमिक शिक्षा	सामान्य	6,830.00	..	6,830.00	150.00	6,480.00	..	6,480.00	100.00
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि	कृषि शिक्षा	सामान्य	5,352.00	..	5,352.00	..	5,783.37	..	5,783.37	152.21
विश्वविद्यालय,जोबनेर		ज.जा.उ.यो.	347.00	..	347.00	40.00	457.84	..	457.84	23.00
मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	5,500.00	..	5,500.00	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमशः)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - *(क्रमशः)*										
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	कृषि शिक्षा	सामान्य	4,493.70	..	4,493.70	88.00	5,592.50	..	5,592.50	..
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	शहरी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेद	सामान्य	1,900.00	..	1,900.00	30.00	1,792.50	..	1,792.50	220.00
		अ.जा.उ.यो.	560.00	..	560.00	..	490.00	..	490.00	100.00
		ज.जा.उ.यो.	420.00	..	420.00	..	430.00	..	430.00	80.00
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	कृषि शिक्षा	सामान्य	2,540.00	..	2,540.00	210.00	2,913.08	..	2,913.08	780.00
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	कृषि शिक्षा	सामान्य	2,012.50	..	2,012.50	112.50	1,990.00	..	1,990.00	118.00
महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	कृषि अनुसंधान	सामान्य	917.50	..	917.50	..	928.00	..	928.00	..
		अ.जा.उ.यो.	213.00	..	213.00	..	194.00	..	194.00	..
		ज.जा.उ.यो.	361.00	..	361.00	..	361.00	..	361.00	..
राजस्थान राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर	प्राथमिक शिक्षा के तहत एकीकृत शिक्षा	सामान्य	546.82	330.24	877.06	..	755.45	520.00	1,275.45	..
		अ.जा.उ.यो.	139.18	86.89	226.07	..	191.91	150.00	341.91	..
		ज.जा.उ.यो.	106.85	79.35	186.20	..	152.45	105.00	257.45	..
राजकीय महाविद्यालय एवं संस्थान	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	सामान्य	251.78	349.37	601.15	..	227.03	322.30	549.33	..
		अ.जा.उ.यो.	58.64	87.96	146.60	..	54.00	81.00	135.00	..
		ज.जा.उ.यो.	41.94	62.92	104.86	..	38.56	57.83	96.39	..
हरि देव जोशी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	727.00	..	727.00	..	665.00	..	665.00	..
सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा तथा आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर	शिक्षा एवं प्रशिक्षण	सामान्य	605.00	..	605.00	..	500.00	..	500.00	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमशः)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - *(क्रमशः)*										
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर	कृषि अनुसंधान	सामान्य	515.98	..	515.98	..	607.75	..	607.75	..
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	कृषि अनुसंधान	सामान्य	481.80	..	481.80	60.50	398.50	..	398.50	..
संस्कृत विश्वविद्यालय	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	428.00	..	428.00	..	416.53	..	416.53	36.53
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	86.00	129.00	215.00	..	47.35	71.02	118.37	..
		अ.जा.उ.यो.	34.00	51.00	85.00	..	12.64	18.95	31.59	..
बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	259.00	..	259.00	..	180.00	..	180.00	..
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी	भाषा विकास– भारतीय भाषा में साहित्य	सामान्य	242.00	..	242.00	..	235.00	..	235.00	..
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	40.00	60.00	100.00	..	105.60	158.40	264.00	..
		अ.जा.उ.यो.	30.00	45.00	75.00	..	40.80	61.20	102.00	..
		ज.जा.उ.यो.	20.00	30.00	50.00	..	31.20	46.80	78.00	..
राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय,बीकानेर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	68.00	102.00	170.00	..	30.00	45.00	75.00	..
		अ.जा.उ.यो.	12.00	18.00	30.00	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	8.00	12.00	20.00	..	..	..	..	..
अध्यापक शिक्षण महाविद्यालय	माध्यमिक शिक्षा के तहत एकीकृत शिक्षा	सामान्य	145.00	..	145.00	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	38.00	..	38.00	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	29.07	..	29.07	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमशः)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - *(क्रमशः)*										
एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर	विश्विद्यालय को उच्च शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	198.00	..	198.00	..	..	..	..	..
महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	पशु पालन के लिए अनुदान	सामान्य	135.00	..	135.00	..	141.00	..	141.00	..
		अ.जा.उ.यो.	30.00	..	30.00	..	37.00	..	37.00	..
		ज.जा.उ.यो.	22.50	..	22.50	..	28.00	..	28.00	..
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	कृषि अनुसंधान	सामान्य	160.00	..	160.00	..	160.00	..	160.00	..
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	136.00	..	136.00	..	200.00	..	200.00	..
साहित्य अकादमी	आधुनिक भारतीय भाषा तथा साहित्य का संवर्धन–भाषा विकास	सामान्य	130.80	..	130.80	..	62.17	..	62.17	..
डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	128.00	..	128.00	..	420.00	..	420.00	30.00
गोविन्द गुरू जनजाति विश्वविद्यालय	अनुदान	ज.जा.उ.यो.	125.00	..	125.00	..	171.00	..	171.00	100.00
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	32.00	48.00	80.00	..	80.00	120.00	200.00	..
		अ.जा.उ.यो.	6.00	9.00	15.00	..	14.80	22.20	37.00	..
		ज.जा.उ.यो.	4.00	6.00	10.00	..	12.00	18.00	30.00	..
महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	28.00	42.00	70.00	..	55.84	83.76	139.60	..
		अ.जा.उ.यो.	4.00	6.00	10.00	..	27.20	40.80	68.00	..
		ज.जा.उ.यो.	2.00	3.00	5.00	..	32.00	48.00	80.00	

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22 राज्य निधि व्यय	2021-22 केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	2021-22 योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21 राज्य निधि व्यय	2020-21 केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	2020-21 योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
						(₹ लाख में)				
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - *(समाप्त)*										
सुखाड़िया विश्वविद्यालय	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	..	..	..	..	4,800.00	..	4,800.00	..
झालावाड़ अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज सोसायटी	यू.जी.सीटों में वृद्धि	सामान्य	..	..	..	..	190.65	1,560.96	1,751.61	1,751.61
खुला विश्वविद्यालय, कोटा	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	..	..	..	..	225.00	..	225.00	..
मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	..	..	..	..	187.50	..	187.50	..
शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	..	..	..	..	142.50	..	142.50	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	373.49	27.00	400.49	75.00	385.17	12.80	397.97	33.75
		अ.जा.उ.यो.	6.00	9.00	15.00	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..
	योग–विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं		1,37,787.47	1,593.73	1,39,381.20	1,933.52	1,22,858.16	4,159.62	1,27,017.78	5,577.81
सहकारी संस्थाएं										
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक)	कृषि ऋण माफी योजना	सामान्य	2,29,400.00	..	2,29,400.00	..	3,16,200.00	..	3,16,200.00	..
		अ.जा.उ.यो.	55,700.00	..	55,700.00	..	76,728.00	..	76,728.00	..
		ज.जा.उ.यो.	42,614.00	..	42,614.00	..	58,800.00	..	58,800.00	..
सहकारी संस्थाए	सहकारी समितियों के अच्छे देनदारों को ब्याज अनुदान	सामान्य	46,201.00	..	46,201.00	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	6,491.00	..	6,491.00	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	6,439.00	..	6,439.00	..	..	..	..	..
क्रेड़िट सहकारी समितियां	ब्याज भुगतान के लिए सहायता	सामान्य	28,549.34	..	28,549.34	..	38,800.00	..	38,800.00	..
		अ.जा.उ.यो.	4,911.93	..	4,911.93	..	9,400.00	..	9,400.00	..
		ज.जा.उ.यो.	4,494.11	..	4,494.11	..	7,125.00	..	7,125.00	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22 राज्य निधि व्यय	2021-22 केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	2021-22 योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21 राज्य निधि व्यय	2020-21 केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	2020-21 योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
						(₹ लाख में)				
सहकारी संस्थाएं–*(समाप्त)*										
राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ	मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना	सामान्य	7,840.00	..	7,840.00	..	5,250.00	..	5,250.00	..
		अ.जा.उ.यो.	7,280.00	..	7,280.00	..	4,875.00	..	4,875.00	..
		ज.जा.उ.यो.	7,280.00	..	7,280.00	..	4,875.00	..	4,875.00	..
ग्राम सेवा सहकारी समितियां	अनुदान	सामान्य	1,260.00	..	1,260.00	1,260.00	420.00	..	420.00	420.00
		अ.जा.उ.यो.	324.00	..	324.00	324.00	96.00	..	96.00	96.00
		ज.जा.उ.यो.	216.00	..	216.00	216.00	84.00	..	84.00	84.00
क्रय–विक्रय सहकारी समितियां	अनुदान	सामान्य	200.00	..	200.00	200.00	325.00	..	325.00	325.00
		अ.जा.उ.यो.	50.00	..	50.00	50.00	100.00	..	100.00	100.00
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	75.00	..	75.00	75.00
राजफैड	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु अनुदान	सामान्य	..	..	..	..	640.00	960.00	1,600.00	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	12.54	..	12.54	..	11.94	29.63	41.57	..
		अ.जा.उ.यो.	2.78	..	2.78	..	2.78	..	2.78	..
		ज.जा.उ.यो.	2.08	..	2.08	..	2.08	..	2.08	..
		योग–सहकारी संस्थाएं	4,49,267.78	..	4,49,267.78	2,050.00	5,23,809.80	989.63	5,24,799.43	1,100.00
विकास प्राधिकरण										
राजस्थान अ.जा./ज.जा. विकास निगम	अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए अनुदान	अ.जा.उ.यो.	2,550.00	..	2,550.00	..	1,000.00	..	1,000.00	..
राजस्थापन वक्फ बोर्ड	अल्पसंख्यकों का कल्याण	सामान्य	250.00	..	250.00	..	250.00	..	250.00	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	48.00	..	48.00	..	27.61	..	27.61	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	8.89	8.89	..
		योग–विकास प्राधिकरण	2,848.00	..	2,848.00	..	1,277.61	8.89	1,286.50	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
राज्य विधान सभा										
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	23.51	..	23.51	..	23.07	..	23.07	..
		योग–राज्य विधान सभा	23.51	..	23.51	..	23.07	..	23.07	..
बिक्री, व्यापार आदि पर कर										
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति–निवेश सहाय्य	सामान्य	61,109.28	..	61,109.28	..	67,954.13	..	67,954.13	..
उद्योग विभाग	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति–विशेष प्रोत्साहन पैकेज	सामान्य	8,500.00	..	8,500.00	..	5,786.00	..	5,786.00	..
		अ.जा.उ.यो.	4,300.00	..	4,300.00	..	2,982.00	..	2,982.00	..
		ज.जा.उ.यो.	3,400.00	..	3,400.00	..	2,532.00	..	2,532.00	..
उद्योग विभाग	राजस्थान निवेश संवर्द्धन योजना– ब्याज अनुदान	सामान्य	6,500.00	..	6,500.00	..	6,700.00	..	6,700.00	..
		अ.जा.उ.यो.	3,500.00	..	3,500.00	..	3,450.00	..	3,450.00	..
		ज.जा.उ.यो.	2,900.00	..	2,900.00	..	2,755.00	..	2,755.00	..
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति–निवेश सहाय्य (आर आई पी एस–2014)	सामान्य	8,835.85	..	8,835.85	..	7,205.25	..	7,205.25	..
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति–रोजगार सर्जन सहाय्य	सामान्य	960.65	..	960.65	..	1,522.11	..	1,522.11	..
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति–रोजगार सर्जन सहाय्य (आर आई पी एस–2014)	सामान्य	672.89	..	672.89	..	586.64	..	586.64	..
उद्योग विभाग	राजस्थान निवेश संवर्द्धन योजना–पूंजीगत अनुदान–स्कीम 2019	सामान्य	274.25	..	274.25	274.25	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	100.00	..	100.00	100.00	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	100.00	..	100.00	100.00	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
बिक्री, व्यापार आदि पर कर - *(समाप्त)*										
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन योजना–जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वेस्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट	सामान्य	200.00	..	200.00	200.00	100.00	..	100.00	100.00
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति–ब्याज अनुदान	सामान्य	185.69	..	185.69	..	1,111.52	..	1,111.52	..
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति–मजदूरी/रोजगार अनुदान	सामान्य	104.74	..	104.74	..	262.73	..	262.73	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाए	सामान्य	..	..	..	..	10.00	..	10.00	..
	योग–बिक्री, व्यापार आदि पर कर.		1,01,643.35	..	1,01,643.35	674.25	1,02,957.38	..	1,02,957.38	100.00
राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क										
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति–निवेश सहाय्य (आर आई पी एस–2019)	सामान्य	996.44	..	996.44	..	..	..	..	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	43.62	..	43.62	..	7.37	..	7.37	..
	योग - राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क		1,040.06	..	1,040.06	..	7.37	..	7.37	..
सचिवालय–सामान्य सेवाए										
बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति, नई दिल्ली	अनुदान	सामान्य	100.00	..	100.00	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
सचिवालय–सामान्य सेवाएं *(समाप्त)*										
	एक करोड़ से कम योजनाएं									
		सामान्य	..	..	..	..	50.00	..	50.00	..
	योग–सचिवालय–सामान्य सेवाएं		100.00	..	100.00	..	50.00	..	50.00	..
कोष एवं लेखा प्रशासन										
	एक करोड़ से कम योजनाएं									
		सामान्य	1.11	..	1.11	..	..	..	..	..
	योग– कोष एवं लेखा प्रशासन		1.11	..	1.11	..	..	..	..	..
पुलिस										
	पुलिस विभाग के कार्मिकों कल्याण									
		सामान्य	118.17	..	118.17	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	25.00	..	25.00	..	..	..	..	..
	पुलिस विभाग के कार्मिकों का विशेष अनुदान–पुलिस कर्मियों का कल्याण	सामान्य	..	..	..	..	126.90	..	126.90	..
		योग– पुलिस	143.17	..	143.17	..	126.90	..	126.90	..
जेल										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	39.24	..	39.24	..	47.15	..	47.15	..
		अ.जा.उ.यो.	9.30	..	9.30	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	7.16	..	7.16	..	..	..	..	..
		योग–जेल	55.70	..	55.70	..	47.15	..	47.15	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	116.80	..	116.80	..	100.09	..	100.09	..
		योग–अन्य प्रशासनिक सेवाएं	116.80	..	116.80	..	100.09	..	100.09	..
विविध सामान्य सेवाए										
	एक करोड़ से कम योजनाए	सामान्य	..	..	..	..	25.32	..	25.32	..
		योग–विविध सामान्य सेवाए	..	..	..	..	25.32	..	25.32	..
शिक्षा										
	विद्यालयों में राष्ट्रीय मिड डे मिल	सामान्य	32,230.57	30,958.60	63,189.17	..	22,402.09	35,822.00	58,224.09	..
	कार्यक्रम	अ.जा.उ.यो.	9,120.36	8,420.90	17,541.26	..	5,160.66	11,066.57	16,227.23	..
		ज.जा.उ.यो.	7,972.53	7,872.50	15,845.03	..	4,522.34	8,384.61	12,906.95	..
	प्राथमिक शिक्षा के तहत एकीकृत	सामान्य	18,992.51	17,642.39	36,634.90	..	17,970.00	33,515.06	51,485.06	..
	शिक्षा पर सामान्य व्यय	अ.जा.उ.यो.	5,403.73	5,051.81	10,455.54	..	4,770.00	9,562.78	14,332.78	..
		ज.जा.उ.यो.	3,715.44	3,417.88	7,133.32	..	3,623.56	7,377.51	11,001.07	..
	माध्यमिक शिक्षा के	सामान्य	11,667.21	12,255.82	23,923.03	..	8,254.26	18,216.78	26,471.04	..
	तहत समग्र शिक्षा	अ.जा.उ.यो.	3,028.73	3,153.09	6,181.82	..	2,023.34	4,532.46	6,555.80	..
		ज.जा.उ.यो.	2,274.44	2,342.66	4,617.10	..	1,504.73	3,359.27	4,864.00	..
	प्राथमिक शिक्षा के तहत	सामान्य	2,842.00	4,263.00	7,105.00	..	..	..	..	..
	एकीकृत स्टार प्रोजेक्ट	अ.जा.उ.यो.	867.58	1,301.37	2,168.95	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	585.00	878.00	1,463.00	..	..	..	..	..
	माँ बाड़ी केन्द्र का संचालन	ज.जा.उ.यो.	9,125.71	..	9,125.71	..	8,652.50	..	8,652.50	..
शिक्षा कर्मी बोर्ड	प्राथमिक शिक्षा	सामान्य	8,068.00	..	8,068.00	..	7,030.00	..	7,030.00	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
शिक्षा– *(समाप्त)*										
	जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत महाविद्यालय के छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	2,038.29	..	2,038.29	..	1,301.30	..	1,301.30	..
मदरसा बोर्ड	प्राथमिक शिक्षा	सामान्य	205.00	..	205.00	..	181.00	..	181.00	..
शिक्षा कर्मी बोर्ड	राजस्थान दूध पोषण कार्यक्रम (मिड डे मिल)	सामान्य	..	..	..	..	3,250.00	..	3,250.00	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	1,000.00	..	1,000.00	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	750.00	..	750.00	..
	पढना लिखना अभियान	सामान्य	..	..	..	..	267.16	400.75	667.91	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	77.10	115.66	192.76	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	41.25	61.88	103.13	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	..	..	..	..	0.50	..	0.50	..
		योग–शिक्षा	1,18,137.10	97,558.02	2,15,695.12	..	92,781.79	1,32,415.33	2,25,197.12	..
तकनीकी शिक्षा										
विद्या भवन, ग्रामीण संस्थान पोलिटेक्निक सोसायटी, उदयपुर	पोलिटेक्निक महाविद्यालय को अनुदान	सामान्य	177.67	..	177.67	..	..	..	..	..
		योग - तकनीकी शिक्षा	177.67	..	177.67	..	..	..	..	..
खेल और युवा सेवाए										
	शारीरिक शिक्षा–विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम	सामान्य	7,009.61	..	7,009.61	..	763.59	..	763.59	..
राजस्थान खेल परिषद्	अनुदान	सामान्य	4,350.72	..	4,350.72	..	2,935.00	..	2,935.00	..
		अ.जा.उ.यो.	537.65	..	537.65	..	240.00	..	240.00	..
		ज.जा.उ.यो.	430.19	..	430.19	..	160.00	..	160.00	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22 राज्य निधि व्यय	2021-22 केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	2021-22 योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21 राज्य निधि व्यय	2020-21 केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	2020-21 योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
						(₹ लाख में)				
खेल और युवा सेवाए– *(समाप्त)*										
राजस्थान भारत स्काउट एवं गाइड	छात्रों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम	सामान्य	1,206.58	..	1,206.58	..	1,072.25	..	1,072.25	..
		अ.जा.उ.यो.	67.00	..	67.00	..	22.74	..	22.74	..
		ज.जा.उ.यो.	37.00	..	37.00	..	..	..	..	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	..	..	..	..	17.18	..	17.18	..
	योग–खेल कूद तथा युवा सेवाएं		13,638.75	..	13,638.75	..	5,210.76	..	5,210.76	..
कला एवं संस्कृति										
आमेर विकास तथा प्रबंध प्राधिकरण	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	2,293.25	..	2,293.25	64.42	2,239.33	..	2,239.33	323.40
जवाहर कला केन्द्र	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	389.48	..	389.48	..	389.99	..	389.99	10.00
रवीन्द्र मंच	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	231.00	..	231.00	55.00	178.00	..	178.00	33.00
राजस्थान धरोहर संरक्षण तथा प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	203.75	..	203.75	..	1,389.00	..	1,389.00	1,200.00
भारत लोक कला मण्डल	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	188.50	..	188.50	1.25	163.10	..	163.10	4.00
ललित कला अकादमी	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	173.19	..	173.19	..	173.37	..	173.37	..
कत्थक केन्द्र	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	146.25	..	146.25	..	122.71	..	122.71	..
संगीत नाटक अकादमी	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	145.00	..	145.00	..	132.53	..	132.53	..
स्वायत्तशाषी निकायों तथा स्वेच्छिक अभिकरण	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	100.00	..	100.00	..	28.56	..	28.56	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	30.39	..	30.39	..	6.39	..	6.39	..
	योग–कला एवं संस्कृति		3,900.81	..	3,900.81	120.67	4,822.98	..	4,822.98	1,570.40

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य										
	लोक स्वास्थ्य बीमा योजना	सामान्य	1,00,899.21	..	1,00,899.21	..	19,000.00	..	19,000.00	..
		अ.जा.उ.यो.	25,876.87	..	25,876.87	..	9,000.00	..	9,000.00	..
		ज.जा.उ.यो.	19,563.66	..	19,563.66	..	7,000.00	..	7,000.00	..
आयुर्वेद विभाग	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	सामान्य	2,126.00	3,189.00	5,315.00	..	1,042.44	1,736.98	2,779.42	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	270.58	350.62	621.20	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	204.58	188.80	393.38	..
सामान्य अस्पताल	अनुदान	सामान्य	1,199.59	..	1,199.59	..	1,146.80	..	1,146.80	..
	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथी पी.पी.पी. मोड पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन	सामान्य	469.11	..	469.11	..	674.72	..	674.72	..
		अ.जा.उ.यो.	270.14	..	270.14	..	537.35	..	537.35	..
		ज.जा.उ.यो.	329.90	..	329.90	..	444.75	..	444.75	..
	राज्य कर्मचारी बीमा योजना–क्षतिपूर्ति (लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री के कर्मचारियों सहित)	सामान्य	..	..	..	..	1,445.66	..	1,445.66	..
	योग–चिकित्सा तथा स्वास्थ्य		1,50,734.48	3,189.00	1,53,923.48	..	40,766.88	2,276.40	43,043.28	..
परिवार कल्याण										
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	सामान्य	74,664.00	1,13,183.00	1,87,847.00	6,088.00	46,327.82	1,18,416.35	1,64,744.17	36,653.94
		अ.जा.उ.यो.	20,973.00	29,537.00	50,510.00	1,580.00	18,007.00	30,248.59	48,255.59	10,896.00
		ज.जा.उ.यो.	14,139.00	21,323.00	35,462.00	1,195.00	13,530.00	20,890.00	34,420.00	7,309.33
	राज्यवार आपातकालीन एम्बुलेन्स सेवा योजना– एन.आर.एच.एम.	सामान्य	3,388.00	6,081.00	9,469.00	..	2,290.00	4,358.00	6,648.00	..
		अ.जा.उ.यो.	871.00	1,575.00	2,446.00	..	668.00	1,491.00	2,159.00	..
		ज.जा.उ.यो.	741.00	1,190.00	1,931.00	..	502.00	1,128.00	1,630.00	..
	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	सामान्य	756.67	1,135.00	1,891.67	16.67	1,624.00	2,437.00	4,061.00	1,016.00
		अ.जा.उ.यो.	148.00	222.00	370.00	..	422.00	632.00	1,054.00	263.00
		ज.जा.उ.यो.	181.00	271.50	452.50	..	318.00	477.00	795.00	200.00
	योग– परिवार कल्याण		1,15,861.67	1,74,517.50	2,90,379.17	8,879.67	83,688.82	1,80,077.94	2,63,766.76	56,338.27

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
जलपूर्ति तथा सफाई										
राजस्थान प्रदूषित जल नियंत्रण बोर्ड एवं राहत	वाटर सेस अनुदान	सामान्य	..	..	..	..	1,207.00	..	1,207.00	..
	योग– **जलपूर्ति तथा सफाई**		..	..	..	..	1,207.00	..	1,207.00	..
शहरी विकास										
	उदयपुर स्मार्ट सिटी	सामान्य	9,000.00	..	9,000.00	..	..	11,700.00	11,700.00	..
	कोटा स्मार्ट सिटी	सामान्य	3,000.00	4,900.00	7,900.00	..	..	..	..	..
	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	सामान्य	5,423.29	..	5,423.29	5,423.29	10,867.20	..	10,867.20	10,867.20
	अजमेर स्मार्ट सिटी	सामान्य	3,000.00	..	3,000.00	..	..	4,900.00	4,900.00	..
	जयपुर स्मार्ट सिटी	सामान्य	3,000.00	..	3,000.00	..	..	4,900.00	4,900.00	..
राजस्थान झील विकास प्राधिकरण	अनुदान	सामान्य	45.63	..	45.63	..	385.60	..	385.60	350.60
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	50.00	..	50.00	..	..	..	..	..
		योग–शहरी विकास	23,518.92	4,900.00	28,418.92	5,423.29	11,252.80	21,500.00	32,752.80	11,217.80
सूचना एवं प्रचार										
	वरिष्ठ स्वीकृत पत्रकार पेंशन (पुरस्कार) योजना	सामान्य	600.00	..	600.00	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
सूचना एवं प्रचार – *(समाप्त)*										
	निदेशन तथा प्रशासन के लिए अनुदान	सामान्य	..	..	..	..	200.00	..	200.00	..
		योग– सूचना एवं प्रचार	600.00	..	600.00		200.00	..	200.00	..
अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण										
	जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया विकास हेतु एकीकृत परियोजना	ज.जा.उ.यो.	4,447.47	..	4,447.47	..	2,699.30	..	2,699.30	..
	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	अ.जा.उ.यो.	..	3,674.85	3,674.85	..	..	14,643.50	14,643.50	..
	अनुसूचित जाति उप–योजना हेतु अनुदान	सामान्य	..	2,071.06	2,071.06	..	..	..	..	..
	जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य के लिए सहायता	ज.जा.उ.यो.	1,909.77	..	1,909.77	..	1,786.48	..	1,786.48	..
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत चल रही योजनाएं– जनजातियों केविकास के लिए अन्य विविध कार्यक्रम	ज.जा.उ.यो.	..	1,860.45	1,860.45	..	..	..	..	..
	कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना	सामान्य	450.00	..	450.00	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	1,040.00	..	1,040.00	..	..	..	..	..
	जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया विकास हेतु माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	870.48	..	870.48	..	749.66	..	749.66	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमशः)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण *–(क्रमशः)*										
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत चल रही योजना– सहरिया विकास की सी सी डी योजनाओं के तहत माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	..	645.21	645.21	..	..	704.20	704.20	..
	अनुसूचित जनजाति विकास निधि के तहत चिकित्सा, स्वास्थ्य, डेयरी, पशु पालन, कृषि– बागवानी कुसुम, कौशल उन्नयन आदि कार्यक्रम	ज.जा.उ.यो.	600.00	..	600.00	..	..	..	..	..
	विशेष योजना (टी. डब्ल्यू.एफ.) कार्यक्रम के अन्तर्गत माडा क्षेत्र विकास के लिए मॉ बाड़ी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	599.61	..	599.61	..	546.38	..	546.38	..
	इलेक्ट्रिक/डीजल पंप सेट, कुएं का विद्युतीकरण, पीवीसी पाइप लाइन तथा ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट के वितरण के लिए सहायता	ज.जा.उ.यो.	..	589.66	589.66	..	..	..	..	..
	अनुसूचित जनजाति कल्याण निधि के तहत स्वरोजगार के लिए अनुदान	ज.जा.उ.यो.	500.00	..	500.00	..	1,958.90	..	1,958.90	..
	प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत अनुसूचित जनजाति किसानों को सहायता	ज.जा.उ.यो.	..	500.00	500.00	..	..	800.00	800.00	..
	अनुप्रति योजना	सामान्य	92.56	..	92.56	..	0.92	..	0.92	..
		अ.जा.उ.यो.	117.05	..	117.05	..	11.20	..	11.20	..
		ज.जा.उ.यो.	90.10	..	90.10	..	20.65	..	20.65	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण *–(क्रमश:)*										
	जन जाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया विकास हेतु महाविद्यालय स्तरीय छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	248.60	..	248.60	..	100.00	..	100.00	..
	जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत एकीकृत खेरवा विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	199.90	..	199.90	..	196.72	..	196.72	..
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत संचालित –प्रशासनिक खर्चे, प्रशिक्षण, देख–रेख तथा एम.आई.एस.	ज.जा.उ.यो.	..	175.00	175.00	..	..	120.00	120.00	..
	अनुसूचित जनजाति कल्याण निधि के तहत अन्य कार्यक्रम	ज.जा.उ.यो.	150.00	..	150.00	..	..	..	..	..
	विशेष योजना (टी.डब्ल्यू.एफ.) कार्यक्रम के अन्तर्गत माडा क्षेत्र विकास के लिए महाविद्यालय स्तरीय छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	146.15	..	146.15	..	100.33	..	100.33	..
राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा आयोग	अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	सामान्य	135.00	..	135.00	..	132.00	..	132.00	..
अम्बेडकर पीठ	अनुदान	अ.जा.उ.यो.	116.00	..	116.00	..	142.06	..	142.06	..
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत चल रही योजना– सहरिया विकास की सी सी डी योजनाओं के तहत सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी को मानदेय	ज.जा.उ.यो.	..	61.00	61.00	..	..	100.00	100.00	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण *–(क्रमश:)*										
	कृषि विकास तथा उपकरण	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	1,030.50	1,030.50	..
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनायें– जनजाति लड़कों तथा लड़कियों के लिए कोचिग	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	1,000.00	1,000.00	..
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति निगम	ऋण माफी के लिए अनुदान	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	629.00	..	629.00	..
	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित जाति क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	439.00	439.00	..
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनायें–परियोजना निर्माण	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	319.00	319.00	..
	पशुपालन परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	301.10	301.10	..
	कौशल विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	300.00	300.00	..
	स्व–रोजगार हेतु सहायता	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	250.00	250.00	..
	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में बागवानी विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	222.00	222.00	..
	माडा के अंतर्गत कृषि विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	200.00	200.00	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण *–(समाप्त)*										
	माडा तथा सहरिया क्षेत्रों के अलावा अनुसूचित जनजाति हेतु कृषि विकास परियोजनाए	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	190.00	190.00	..
	माडा तथा सहरिया क्षेत्रों के अलावा अनुसूचित जनजाति हेतु स्व–रोजगार हेतु सहायता	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	125.00	125.00	..
	माडा के अंतर्गत स्व–रोजगार हेतु सहायता	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	125.00	125.00	..
	माडा तथा सहरिया क्षेत्रों के अलावा अनुसूचित जनजाति हेतु पशुपालन परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	120.30	120.30	..
	माडा के अंतर्गत कौशल विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	100.00	100.00	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाए	सामान्य	202.60	..	202.60	..	134.92	..	134.92	..
		अ.जा.उ.यो.	65.48	..	65.48	..	42.17	..	42.17	..
		ज.जा.उ.यो.	467.25	12.15	479.40	..	296.48	346.30	642.78	..
	योग– अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		12,448.02	9,589.38	22,037.40	..	9,547.17	21,435.90	30,983.07	..
श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास										
भवन तथा अन्य निर्माण श्रम कल्याण मण्डल, राजस्थान	श्रम कल्याण	सामान्य	36,755.12	..	36,755.12	..	41,281.86	..	41,281.86	..
राजस्थान कौशल तथा आजीविका मिशन निगम	कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम	सामान्य	1,717.00	..	1,717.00	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	446.00	..	446.00	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	337.00	..	337.00	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22 राज्य निधि व्यय	2021-22 केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	2021-22 योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21 राज्य निधि व्यय	2020-21 केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	2020-21 योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
						(₹ लाख में)				
श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास –*(समाप्त)*										
राजस्थान कौशल तथा आजीविका मिशन	संकल्प योजना	सामान्य	404.84	258.06	662.90	..	376.37	951.16	1,327.53	..
		अ.जा.उ.यो.	82.45	57.27	139.72	..	90.92	211.09	302.01	..
		ज.जा.उ.यो.	42.71	29.67	72.38	..	47.11	109.35	156.46	..
राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय	प्रशिक्षण के लिए अनुदान	सामान्य	152.00	..	152.00	..	135.00	..	135.00	..
राजस्थान कौशल तथा आजीविका मिशन	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	सामान्य	..	..	..	..	..	824.00	824.00	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	214.00	214.00	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	162.00	162.00	..
	योग–श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास		39,937.12	345.00	40,282.12	..	41,931.26	2,471.60	44,402.86	..
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण										
	राज्य दिव्यांग कल्याण निधि के तहत संचालित योजनाएं	सामान्य	11,500.00	..	11,500.00	..	..	..	..	..
	मुख्यमंत्री सहायता कोष से सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/आपदा, पशु दुर्घटना आदि के लिए सहायता	सामान्य	9,800.00	..	9,800.00	..	8,000.00	..	8,000.00	..
	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना	सामान्य	1,823.20	3,150.00	4,973.20	..	1,999.00	4,001.00	6,000.00	..
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	पीड़ित मुआवजा योजना	सामान्य	1,813.42	..	1,813.42	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	225.35	..	225.35	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	476.08	..	476.08	..	..	..	..	..
	मानसिक विमंदित पुर्नवास गृहों का संचालन	सामान्य	1,633.68	..	1,633.68	..	1,169.26	..	1,169.26	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण *–(क्रमश:)*										
	कारगिल पैकेज के अन्तर्गत शहीदों को सहायता	सामान्य	1,600.00	..	1,600.00	..	..	..	..	..
राज्य सूचना आयोग	समाज कल्याण	सामान्य	610.00	..	610.00	..	348.00	..	348.00	..
राज्य मानवाधिकार आयोग	अनुदान	सामान्य	548.10	..	548.10	..	..	..	..	..
	दंगा प्रभावित लोगों को सहायता	सामान्य	351.96	..	351.96	..	..	..	..	..
	विशेष योग्यजनों के लिए स्वरोगजगार योजना	सामान्य	283.43	..	283.43	..	470.43	..	470.43	..
राज्य महिला आयोग	महिला कल्याण के लिए अनुदान	सामान्य	250.00	..	250.00	..	230.00	..	230.00	..
	राज्य सरकार के पेंशनरों चिकित्सा सुविधाएँ	सामान्य	111.73	..	111.73	..	..	..	..	..
	निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से कल्याण विस्तारित योजना	सामान्य	119.00	..	119.00	..	65.00	..	65.00	..
	स्वाधार गृह संचालन योजना	सामान्य	49.99	62.27	112.26	..	26.74	74.73	101.47	..
	राज्य कानून सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रभावितों तथा उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति	सामान्य	..	..	..	..	2,240.81	..	2,240.81	..
राज्य मानवाधिकार आयोग	समाज कल्याण	सामान्य	..	..	..	..	425.15	..	425.15	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण *–(समाप्त)*										
	कारगिल पैकेज के अन्तर्गत शहीदों को सहायता	सामान्य	..	..	..	..	200.00	..	200.00	..
	दंगा प्रभावित लोगों को सहायता	सामान्य	..	..	..	..	191.26	..	191.26	..
	चिकित्सा सुविधा योजना के तहत राज्य पेंशनरों को अनुदान	सामान्य	..	..	..	..	111.95	..	111.95	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	156.85	23.10	179.95	..	132.91	43.43	176.34	..
	योग–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		31,352.79	3,235.37	34,588.16	..	15,610.51	4,119.16	19,729.67	..
पोषण										
	प्रधान मंत्री मातृत्व वंदन योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)	सामान्य	6,979.18	238.68	7,217.86	..	5,440.00	..	5,440.00	..
		अ.जा.उ.यो.	1,345.33	..	1,345.33	..	1,260.00	..	1,260.00	..
		ज.जा.उ.यो.	1,400.00	..	1,400.00	..	1,300.00	..	1,300.00	..
	एकीकृत बाल विकास योजना	सामान्य	139.02	118.46	257.48	..	248.82	226.92	475.74	..
		योग–पोषण	9,863.53	357.14	10,220.67	..	8,248.82	226.92	8,475.74	..
प्राकृतिक आपदाओं पर राहत										
	छोटे तथा मध्यम कृषकों के अतिरिक्त कृषि आवक अनुदान	सामान्य	12,843.90	38,859.72	51,703.62	..	1,291.54	11,048.34	12,339.88	..
	छोटे तथा मध्यम कृषकों के लिए कृषि फसल, बागवानी फसल तथा वार्षिक लीज फसल हेतु कृषि आवक अनुदान	सामान्य	4,850.74	16,499.69	21,350.43	..	(-) 23.04	6,335.54	6,312.50	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
प्राकृतिक आपदाओं पर राहत –*(क्रमश:)*										
	छोटे तथा मध्यम कृषकों को बाढ़ द्वारा फसल हानि हेतु कृषि आवक अनुदान	सामान्य	3,450.65	13,352.35	16,803.00	..	(-) 2.20	21,641.83	21,639.63	..
	अन्य मदों के लिए अनुग्रह राशि	सामान्य	1,714.38	5,545.63	7,260.01	..	..	..	..	..
	छोटे तथा मध्यम कृषकों को अतिरिक्त बाढ़ द्वारा फसल हानि हेतु कृषि आवक अनुदान	सामान्य	1,410.20	5,722.78	7,132.98	..	..	7,841.95	7,841.95	..
	एस.डी.आर.एफ.के अलावा योजनाएं	सामान्य	3,640.40	..	3,640.40	..	..	..	..	..
	छोटे तथा मध्यम कृषकों को ओलावृष्टि द्वारा फसल हानि हेतु कृषि आवक अनुदान	सामान्य	747.92	2,525.58	3,273.50	..	(-) 11.46	9,568.15	9,556.69	..
	छोटे तथा मध्यम कृषकों के अतिरिक्त ओलावृष्टि द्वारा फसल हानि हेतु कृषि आवक अनुदान	सामान्य	280.45	1,051.22	1,331.67	..	(-) 11.32	5,174.46	5,163.14	..
	पशु शिविर/गौशाला	सामान्य	243.83	731.48	975.31	..	160.52	560.69	721.21	..
	बाढ़ से पूर्ण क्षतिग्रस्त हुये कच्चे घरों के लिए सहायता	सामान्य	248.79	682.05	930.84	..	7.21	21.64	28.85	..
	बाढ़ से आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए सहायता	सामान्य	218.45	662.72	881.17	..	14.10	44.84	58.94	..
	अग्नि सहायता	सामान्य	199.81	595.52	795.33	..	78.19	236.34	314.53	..
	अत्यधिक क्षतिग्रस्त कच्चे मकान के लिए सहायता	सामान्य	101.35	310.82	412.17	..	24.26	72.92	97.18	..
	कपड़े तथा बर्तन के लिए मुआवजा राहत	सामान्य	49.61	142.08	191.69	..	0.49	1.43	1.92	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
प्राकृतिक आपदाओं पर राहत–*(समाप्त)*										
	शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान	सामान्य	41.02	131.05	172.07	..	40.00	120.00	160.00	..
	कीट आक्रमण पर व्यय	सामान्य	21.73	68.29	90.02	..	112.91	2,162.13	2,275.04	..
	शीतलहर द्वारा फसल के नुकसान के लिए लघु और सीमांत किसानों को कृषि आवक अनुदान	सामान्य	..	..	..	..	1.57	431.93	433.50	..
	शीतलहर द्वारा फसल के नुकसान के लिए लघु और सीमांत किसानों के अतिरिक्त कृषि आवक अनुदान	सामान्य	..	..	..	..	..	295.19	295.19	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	43.22	166.27	209.49	..	51.09	65.93	117.02	..
	योग–प्राकृतिक आपदाओं पर राहत		30,106.45	87,047.25	1,17,153.70	..	1,733.86	65,623.31	67,357.17	..
अन्य सामाजिक सेवाएं										
	वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना	सामान्य	17.79	..	17.79	..	628.87	..	628.87	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	17.81	..	17.81	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	9.88	..	9.88	..
जनजातिय क्षेत्र के मंदिर	न्यासों द्वारा संचालित मंदिरों के पुर्नरूद्धार हेतु सहायता	सामान्य	0.47	..	0.47	0.47	238.24	..	238.24	238.24
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	48.27	..	48.27	..	60.12	..	60.12	..
	योग–अन्य सामाजिक सेवाए		66.53	..	66.53	0.47	954.92	..	954.92	238.24

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
फसल कृषि–कर्म										
	फसल बीमा	सामान्य	1,95,196.70	..	1,95,196.70	..	1,46,454.81	..	1,46,454.81	..
		अ.जा.उ.यो.	47,404.90	..	47,404.90	..	46,811.85	..	46,811.85	..
		ज.जा.उ.यो.	36,250.80	..	36,250.80	..	40,516.10	..	40,516.10	..
कृषि विभाग	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	सामान्य	..	1,359.12	1,359.12	..	7,439.31	2,747.14	10,186.45	..
		अ.जा.उ.यो.	219.60	592.47	812.07	..	353.68	530.53	884.21	..
		ज.जा.उ.यो.	380.16	998.05	1,378.21	..	365.58	548.36	913.94	..
कृषि विभाग	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग के माध्यम से	सामान्य	935.51	1,403.26	2,338.77	..	3,003.83	4,505.75	7,509.58	..
		अ.जा.उ.यो.	52.26	78.39	130.65	..	736.68	1,105.02	1,841.70	..
		ज.जा.उ.यो.	47.59	71.39	118.98	..	814.34	1,221.77	2,036.11	..
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–तिलहन	सामान्य	40.00	514.05	554.05	..	636.55	954.82	1,591.37	..
		अ.जा.उ.यो.	31.96	165.59	197.55	..	144.53	216.80	361.33	..
		ज.जा.उ.यो.	34.01	140.23	174.24	..	135.80	203.70	339.50	..
उद्यान विभाग	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उद्यान विभाग के माध्यम से	सामान्य	224.16	336.24	560.40	..	399.12	598.69	997.81	..
		अ.जा.उ.यो.	21.37	32.05	53.42	..	70.97	106.45	177.42	..
		ज.जा.उ.यो.	33.91	50.87	84.78	..	42.65	63.97	106.62	..
पशु पालन विभाग	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	73.72	110.58	184.30	..	65.77	98.66	164.43	..
		अ.जा.उ.यो.	17.54	26.30	43.84	..	22.96	34.43	57.39	..
		ज.जा.उ.यो.	0.52	0.78	1.30	..	38.49	57.74	96.23	..
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन–बीज तथा बीजारोपण सामग्री	सामान्य	49.40	74.10	123.50	..	575.77	..	575.77	..
		अ.जा.उ.यो.	11.98	17.97	29.95	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	26.82	40.23	67.05	..	0.38	..	0.38	..
	कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण	सामान्य	200.00	..	200.00	..	..	..	..	..
गोपालन विभाग	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	18.83	28.24	47.07	..	73.24	109.85	183.09	..
		अ.जा.उ.यो.	13.20	19.80	33.00	..	1.87	2.80	4.67	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमशः)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
फसल कृषि–कर्म–*(समाप्त)*										
	राजस्थान कृषि	सामान्य	49.00	..	49.00	..	2,578.32	..	2,578.32	365.90
	प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	448.51	..	448.51	75.73
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	597.94	..	597.94	113.12
	शून्य लागत आधारित कृषि	सामान्य	9.22	..	9.22	..	109.47	..	109.47	..
		अ.जा.उ.यो.	0.10	..	0.10	..	29.13	..	29.13	..
		ज.जा.उ.यो.	0.62	..	0.62	..	26.01	..	26.01	..
	नवाचार कार्यक्रम/मिनीकिट वितरण	सामान्य	4.41	..	4.41	..	74.10	..	74.10	..
		अ.जा.उ.यो.	(-) 0.01 (क)	..	(-) 0.01	..	39.88	..	39.88	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	43.81	..	43.81	..
	जल प्रबन्धन	सामान्य	..	..	..	..	6,409.40	..	6,409.40	..
	बूँद–बूँद सिंचाई राज्य योजना	सामान्य	..	..	..	..	1,085.71	..	1,085.71	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	210.77	..	210.77	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	230.68	..	230.68	..
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी	सामान्य	..	..	..	..	320.00	480.00	800.00	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	48.77	65.84	114.61	..	93.05	124.57	217.62	..
		अ.जा.उ.यो.	5.70	8.30	14.00	..	4.49	6.74	11.23	..
		ज.जा.उ.यो.	3.25	4.75	8.00	..	2.70	4.05	6.75	..
		योग–फसल कृषि कर्म	2,81,406.00	6,138.60	2,87,544.60	..	2,61,008.25	13,721.84	2,74,730.09	554.75
पशुपालन										
गौशाला	पशु तथा भैंस विकास	सामान्य	33,218.30	..	33,218.30	572.41	23,607.01	..	23,607.01	826.81
		अ.जा.उ.यो.	17,955.02	..	17,955.02	..	16,498.01	..	16,498.01	..
		ज.जा.उ.यो.	11,880.02	..	11,880.02	..	17,270.19	..	17,270.19	..

(क) *ऋण* राशि गत वर्षों की बकाया राशि के जमा कराने के कारण है।

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
पशु पालन विभाग–*(समाप्त)*										
स्वयं सहायता समूह	पशु प्रजनन सुधार योजना	सामान्य	804.94	..	804.94	..	1,107.33	..	1,107.33	..
		अ.जा.उ.यो.	430.69	..	430.69	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	404.67	..	404.67	..	440.95	..	440.95	..
	पशु तथा भैंस विकास गौ संरक्षण एवं विकास	सामान्य	118.82	..	118.82	..	89.36	..	89.36	..
	कुक्कुट विकास	सामान्य	10.00	15.00	25.00	..	40.00	60.00	100.00	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	3.40	4.95	8.35	..	52.82	4.25	57.07	..
		ज.जा.उ.यो.	26.88	40.33	67.21	..	..	..	..	..
		योग–पशुपालन	64,852.74	60.28	64,913.02	572.41	59,105.67	64.25	59,169.92	826.81
मछली पालन										
	नील कांति: मत्स्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन	सामान्य	127.15	190.72	317.87	..	18.25	101.02	119.27	..
		अ.जा.उ.यो.	10.71	16.06	26.77	..	3.90	5.86	9.76	..
		ज.जा.उ.यो.	11.04	16.57	27.61	..	3.49	5.24	8.73	..
		योग–मछली पालन	148.90	223.35	372.25	..	25.64	112.12	137.76	..
वन										
	वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य	सामान्य	10,322.14	..	10,322.14	..	11,480.87	..	11,480.87	..
		अ.जा.उ.यो.	3,206.40	..	3,206.40	..	2,199.62	..	2,199.62	..
		ज.जा.उ.यो.	1,978.61	..	1,978.61	..	2,264.85	..	2,264.85	..
	प्रतिकात्मक वनारोपण	सामान्य	2,102.83	..	2,102.83	..	2,339.14	..	2,339.14	..
	बाघ परियोजना, रणथम्भौर	सामान्य	1,800.00	..	1,800.00	..	500.00	..	500.00	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
वन - *(समाप्त)*										
	प्राप्त बाह्य सहायता	ई.ए.पी. (सा.)	617.39	..	617.39	4.88	548.41	..	548.41	7.69
	राजस्थान वानिकी और जैव विविधता	ई.ए.पी. (अ.जा.उ.यो.)	248.93	..	248.93	..	333.95	..	333.95	141.00
	परियोजना फेज–II के लिए	ई.ए.पी. (ज.जा.उ.यो.)	192.40	..	192.40	..	322.33	..	322.33	..
	एकीकृत वन्य जीवन प्रबंधन योजना	सामान्य	557.30	..	557.30	..	353.64	..	353.64	..
	ईको पर्यटन का विकास	सामान्य	399.93	..	399.93	..	180.61	..	180.61	..
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	120.83	..	120.83	..	116.20	..	116.20	..
		योग–वन	21,546.76	..	21,546.76	4.88	20,639.62	..	20,639.62	148.69
सहकारिता										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	94.39	..	94.39	..	63.40	..	63.40	..
		योग - सहकारिता	94.39	..	94.39	..	63.40	..	63.40	..
अन्य कृषि कार्यक्रम										
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर	विकास योजना के लिए सहायता	सामान्य	26,991.00	..	26,991.00	..	4,000.00	..	4,000.00	..
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर	पी.एम.एफ.एम. ई.	सामान्य	585.03	1,207.54	1,792.57	..	..	..	..	..
		योग– अन्य कृषि कार्यक्रम	27,576.03	1,207.54	28,783.57	..	4,000.00	..	4,000.00	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22 राज्य निधि व्यय	2021-22 केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	2021-22 योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21 राज्य निधि व्यय	2020-21 केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	2020-21 योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
						(₹ लाख में)				
मुख्य सिंचाई										
राजस्थान नदी घाटी तथा जल संसाधन योजना प्राधिकरण	मुख्य सिंचाई	सामान्य	308.00	..	308.00	..	288.00	..	288.00	..
		योग–मुख्य सिंचाई	308.00	..	308.00	..	288.00	..	288.00	..
मध्यम सिंचाई										
सिंचाई प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र	प्रशिक्षण	सामान्य	366.37	..	366.37	2.00	366.00	..	366.00	1.00
		अ.जा.उ.यो.	72.23	..	72.23	..	99.45	..	99.45	..
सिंचाई प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर	प्रशिक्षण	सामान्य	166.00	..	166.00	..	81.00	..	81.00	..
		अ.जा.उ.यो.	66.00	..	66.00	..	118.50	..	118.50	..
		योग–मध्यम सिंचाई	670.60	..	670.60	2.00	664.95	..	664.95	1.00
ग्राम एवं लघु उद्योग										
	मुख्य मंत्री लघु स्तर उद्योग प्रोत्साहन योजना	सामान्य	3,703.40	..	3,703.40	..	292.07	..	292.07	..
		अ.जा.उ.यो.	740.10	..	740.10	..	2.23	..	2.23	..
		ज.जा.उ.यो.	608.38	..	608.38	..	1.24	..	1.24	..
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	मुख्य मंत्री लघु स्तर उद्योग प्रोत्साहन योजना	सामान्य	645.00	..	645.00	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	279.00	..	279.00	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	201.00	..	201.00	..	..	..	..	..
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	खादी ग्रामोद्योग के लिए अनुदान	सामान्य	450.00	..	450.00	..	2,638.50	..	2,638.50	..
		अ.जा.उ.यो.	150.00	..	150.00	..	75.00	..	75.00	..
		ज.जा.उ.यो.	150.00	..	150.00	..	88.00	..	88.00	..
	भामाशाह रोजगार सृजन योजना	सामान्य	127.67	..	127.67	..	225.33	..	225.33	..
		अ.जा.उ.यो.	14.84	..	14.84	..	25.14	..	25.14	..
		ज.जा.उ.यो.	6.00	..	6.00	..	16.07	..	16.07	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22 राज्य निधि व्यय	2021-22 केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	2021-22 योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21 राज्य निधि व्यय	2020-21 केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	2020-21 योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
						(₹ लाख में)				
ग्राम एवं लघु उद्योग- *(समाप्त)*										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	72.12	..	72.12	34.76	102.36	..	102.36	99.00
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	0.15	..	0.15	..
		योग–ग्राम एवं लघु उद्योग	7,147.51	..	7,147.51	34.76	3,466.09	..	3,466.09	99.00
उद्योग										
	एकीकृत प्रक्रिया विभाग योजना	सामान्य	2,350.00	..	2,350.00	..	800.00	..	800.00	..
		अ.जा.उ.यो.	1,100.00	..	1,100.00	..	250.00	..	250.00	..
		ज.जा.उ.यो.	800.00	..	800.00	..	150.00	..	150.00	..
निवेश संवर्द्धन ब्यूरो	उद्योग उत्पादकता	सामान्य	1,775.00	..	1,775.00	..	940.00	..	940.00	..
राजस्थान फाउंडेशन	उद्योग उत्पादकता	सामान्य	120.00	..	120.00	..	..	..	..	..
ग्रामीण गैर–कृषि विकास अभिकरण	उद्योग उत्पादकता	सामान्य	82.00	..	82.00	..	94.00	..	94.00	..
		अ.जा.उ.यो.	10.00	..	10.00	..	15.00	..	15.00	..
		ज.जा.उ.यो.	8.00	..	8.00	..	11.00	..	11.00	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	32.56	..	32.56	..	..	..	..	..
		योग–उद्योग	6,277.56	..	6,277.56	..	2,260.00	..	2,260.00	..
सड़क परिवहन										
	पर्यावरण और प्रदूषण प्रबंधन	सामान्य	1,327.94	..	1,327.94	..	..	..	..	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	71.11	..	71.11	..	..	..	..	..
		योग–सड़क परिवहन	1,399.05	..	1,399.05	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या III –*(क्रमश:)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
अन्य परिवहन सेवाएं										
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम	क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम, दिल्ली,गुडगांव, रेवाडी, अलवर कोरिडोर	सामान्य	..	..	..	..	200.00	..	200.00	200.00
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	150.00	..	150.00	150.00
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	150.00	..	150.00	150.00
	योग– अन्य परिवहन सेवाएं		..	..	..	..	500.00	..	500.00	500.00
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	10.60	..	10.60	..	64.89	..	64.89	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	3.00	..	3.00	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	4.00	..	4.00	..
	योग–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान		10.60	..	10.60	..	71.89	..	71.89	..
परिस्थितिकी तथा पर्यावरण										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	94.00	..	94.00	..	61.00	..	61.00	..
	योग–परिस्थितिकी तथा पर्यावरण		94.00	..	94.00	..	61.00	..	61.00	..
सचिवालय–आर्थिक सेवाएं										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	90.27	..	90.27	..	58.75	..	58.75	..
	योग–सचिवालय–आर्थिक सेवाएं		90.27	..	90.27	..	58.75	..	58.75	

परिशिष्ट संख्या III –*(समाप्त)*

प्राप्तकर्त्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2021-22			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
						(₹ लाख में)				
पर्यटन										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	147.30	..	147.30	..	114.00	..	114.00	..
		योग–पर्यटन	147.30	..	147.30	..	114.00	..	114.00	..
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी										
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	राजस्थान जन आधार योजना	सामान्य	159.41	..	159.41	..	..	..	..	..
	योग - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी		159.41	..	159.41	..	..	..	..	..
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	5.48	..	5.48	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	1.42	..	1.42	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	1.08	..	1.08	..	..	..	..	..
	योग - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		7.98	..	7.98	..	..	..	..	..
देवस्थान										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	..	..	..	..	4.03	..	4.03	..
		योग–देवस्थान	..	..	..	..	4.03	..	4.03	..
		कुल योग	**35,09,878.24**	**14,02,784.71**	**49,12,662.95** @	**57,868.69**	**29,38,662.47**	**10,35,805.44**	**39,74,467.91**	**98,972.05**

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) 0.08 लाख का अन्तर है ।

परिशिष्ट संख्या IV – बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे*

सहायता अभिकरण	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि						राशि चुकाई गई		व्यय #	
					वर्ष के दौरान			वर्ष तक						
		अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग	वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक
								(₹ लाख में)						
विश्व बैंक	जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम *(परियोजना पूर्ण)*	..	57,300.00	57,300.00	..	..	..	13,652.81	31,856.57	45,509.38	528.42	28,631.81	..	65,363.47
विश्व बैंक	राजस्थान उर्जा क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना *(परियोजना पूर्ण)*	उ. न.	उ. न.	उ. न.	..	..	..	..	117.60	117.60	7.84	70.56	..	..
विश्व बैंक	राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना योजना	..	97,000.00	97,000.00	..	..	..	17,328.65	40,726.34	58,054.99	1,116.24	31,395.28	..	83,425.06
विश्व बैंक	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	..	47,258.00	47,258.00	..	..	..	10,829.72	25,269.36	36,099.08	1,172.72	16,127.68	..	45,566.37
के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी	ग्रामीण जल पूर्ति योजना फेज–I	..	42,965.00	42,965.00	..	..	..	9,720.57	22,189.53	31,910.10	2.44	22,189.53	..	39,710.29
जापान अन्तराष्ट्रीय सहकारिता अभिकरण (जे.आई.सी.ए)	राजस्थान वानिकी तथा बायोडायर्वसिटी परियोजना फेज–II	..	44,214.00	44,214.00	..	..	..	4,330.80	10,045.20	14,376.00	371.41	7,571.09	1,058.72	89,696.50
जे.आई.सी.ए.	बीसलपुर जयपुर जलपूर्ति योजना	..	46,300.00	46,300.00	..	..	..	10,938.61	25,523.37	36,461.98	1,366.44	15,750.78	62.28	48,476.68
जे.आई.सी.ए.	राजस्थान लघु सिंचाई विकास योजना	..	61,229.00	61,229.00	..	..	..	9,124.78	21,290.90	30,415.68	1,241.78	6,365.69	..	18,979.78
एशियन विकास बैंक	राजस्थान शहरी आधारभूत योजना फेज–I	..	1,77,500.00	1,77,500.00	..	..	..	32,583.66	80,566.48	1,13,150.14	1,675.70	62,991.35	(-) 1,094.60	1,99,240.30
के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी	आवासीय विद्यालय वंचित समूह योजना	..	8,328.00	8,328.00	..	..	..	2,035.20	4,748.80	6,784.00	52.66	4,382.67	..	8,039.18
विश्व बैंक	लोक वित्त प्रबंधन तथा प्रोक्योरमेंट इन राजस्थान (बैंक टू बैंक)	..	14,146.00	14,146.00	..	5,006.02	5,006.02	151.21	8,010.69	8,161.90	..	..	2,140.72	7,192.09

* राज्य सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित। # व्यय लेखों पर आधारित हैं तथा इसमें राज्यांश भी सम्मिलित हैं। उ. न. इस परिशिष्ट में ''सूचना उपलब्ध नहीं है '' के लिए उपयोग किया गया है ।

परिशिष्ट संख्या IV – *(क्रमश:)*

सहायता अभिकरण	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि						राशि चुकाई गई		व्यय	
					वर्ष के दौरान			वर्ष तक						
		अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग	वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक
								(₹ लाख में)						
ई.सी.	क्षेत्रीय नीति सहयोग कार्यक्रम राज्य सहभागिता (बैंक टू बैंक)	..	45,000.00	45,000.00	..	..	..	41,883.32	..	41,883.32	..	..	9.26	27,179.05
विश्व बैंक	पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन (बैंक टू बैंक)	..	29,100.00	29,100.00	..	..	..	297.98	15,876.52	16,174.50	623.93	2,135.30	..	15,997.23
विश्व बैंक	राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना	..	76,990.00	76,990.00	..	..	..	..	69,116.39	69,116.39	2,005.27	17,100.85	..	64,760.00
आई. डी. ए.	राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना	..	54,500.00	54,500.00	..	..	..	..	39,935.77	39,935.77	1,264.36	14,377.55	114.48	56,370.57
ए.एफ.डी.	जोधपुर शहरी जलपूर्ति योजना का पुर्नगठन	..	35,061.00	35,061.00	..	..	..	..	38,137.87	38,137.87	2,789.40	12,245.34	3,669.74	55,857.55
ए.डी.बी.	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश परियोजना ट्रांच-I,II एवं III	..	1,76,200.00	1,76,200.00	..	..	..	..	1,12,670.04	1,12,670.04	5,767.25	30,825.02	75,448.88	3,17,083.28
जे.आई.सी.ए.	नागौर लिफ्ट केनाल पेय जलपूर्ति परियोजना फेज -II	उ. न.	उ. न.	उ. न.	..	..	..	..	9,083.99	9,083.99	..	..	27,032.93	1,98,453.39
जे.आई.सी.ए.	राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना	उ. न.	उ. न.	उ. न.	..	..	..	..	3,529.32	3,529.32	114.48	1,250.12	..	..
जे.आई.सी.ए.	राजस्थान वानिकी विकास योजना	..	88,480.00	88,480.00	..	1,537.82	1,537.82	..	88,596.98	88,596.98	3,378.48	3,378.48	..	10,991.08
ए.डी.बी.	जयपुर मैट्रों रेल लाइन फेज–1 बी परियोजना	..	96,900.00	96,900.00	..	..	..	..	80,986.23	80,986.23	..	..	1,030.84	89,821.68
विश्व बैंक	राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना	..	96,000.00	96,000.00	..	..	..	..	77,509.82	77,509.82	2,947.83	15,497.00	252.38	92,485.94
ए.डी.बी.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा ट्रांसमिशन निवेश कार्यक्रम	..	90,000.00	90,000.00	..	..	..	..	80,978.59	80,978.59	1,888.33	6,415.63	..	80,553.33
केएफडब्ल्यू जर्मनी	ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर इन्फ्रा ट्रांसमिशन सौलर परियोजना	31,756.00	47,634.00	79,390.00	..	5,667.28	5,667.28	..	38,995.28	38,995.28	4,048.72	9,976.93	3,327.07	36,655.07

परिशिष्ट संख्या IV – *(समाप्त)*

सहायता अभिकरण	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि						राशि चुकाई गई		व्यय	
					वर्ष के दौरान			वर्ष तक						
		अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग	वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक
								(₹ लाख में)						
विश्व बैंक	डिस्काम, राजस्थान को वित्तीय स्थिरता सुधार हेतु सहायता	उ. न.	उ. न.	उ. न.	..	..	..	..	3,44,049.72	3,44,049.72	10,334.17	10,334.17	..	1,76,195.91
ए.डी.बी.	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास परियोजना	1,200.00	3,00,000.00	3,01,200.00	186.65	..	186.65	1,252.25	2,43,356.14	2,44,608.39	21,377.38	56,647.77	36,651.45	1,03,177.75
जे.आई.सी.ए.	राजस्थान ग्रामीण जलपूर्ति एवं फ्लोराइड उन्मूलन परियोजना,नागौर	..	2,21,200.00	2,21,200.00	..	29,876.57	29,876.57	..	2,11,262.50	2,11,262.50	..	..	..	..
ए.डी.बी.	राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना– I	..	1,43,000.00	1,43,000.00	..	4,854.01	4,854.01	..	1,29,424.38	1,29,424.38	..	..	57,506.10	1,74,336.52
ए.डी.बी.	राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना– II	..	..	..	..	28,272.36	28,272.36	..	80,837.10	80,837.10	..	..	15,315.39	71,009.76
जे.आई.सी.ए.	राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना	..	90,884.00	90,884.00	..	8,434.99	8,434.99	..	39,032.07	39,032.07	4,185.20	4,185.20	14,447.71	45,399.93
एन.डी.बी.	राजस्थान मरू क्षेत्र जल पुर्नगठन कार्यक्रम	..	66,940.00	66,940.00	..	16,278.61	16,278.61	..	72,704.58	72,704.58	..	..	46,558.48	95,588.71
विश्व बैंक	सिटी बस सर्विस परियोजना	उ. न.	उ. न.	उ. न.	0.40	..	0.40	616.61	..	616.61	..	..	..	168.84
ए.डी.बी.	राजस्थान माध्यमिक टाउनशिप विकास सेक्टर परियोजना	उ. न.	उ. न.	उ. न.	..	36,684.43	36,684.43	..	41,859.12	41,859.12	..	..	..	..
विश्व बैंक	बांध पुनर्वास तथा सुधार परियोजना	उ. न.	उ. न.	उ. न.	..	914.68	914.68	..	914.68	914.68	..	..	3,641.65	3,641.65
	योग	**32,956.00**	**22,54,129.00**	**22,87,085.00**	**187.05**	**1,37,526.77**	**1,37,713.82**	**1,54,746.17**	**20,89,201.93**	**22,43,948.10**	**68,260.45**	**3,79,845.80**	**2,87,173.48**	**23,21,416.96**

परिशिष्ट संख्या V- आयोजनागत योजना व्यय

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)@

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22*			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी #	व्यय: भारत सरकार का हिस्सा	व्यय: राज्य हिस्सा	व्यय: योग	भारत सरकार द्वारा जारी #	व्यय: भारत सरकार का हिस्सा	व्यय: राज्य हिस्सा	व्यय: योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
					(₹ लाख में)								
	लड़कों के लिए माध्यमिक विद्यालय	सामान्य	..	5,42,794.30	5,42,794.30	..	..	5,42,719.77	5,42,719.77	..	..	4,74,420.35	4,74,420.35
		ज.जा.उ.यो.	..	47,595.66	47,595.66	..	..	47,585.22	47,585.22	..	..	42,022.13	42,022.13
		अ.जा.उ.यो.	..	73,787.81	73,787.81	..	..	73,783.38	73,783.38	..	..	63,161.72	63,161.72
	लड़कियों के लिए माध्यमिक विद्यालय	सामान्य	..	69,989.73	69,989.73	..	..	69,987.57	69,987.57	..	..	60,736.96	60,736.96
		ज.जा.उ.यो.	..	3,641.25	3,641.25	..	..	3,641.00	3,641.00	..	..	3,227.17	3,227.17
	तकनीकी शिक्षा, पॉलिटेक्निक भवन	सामान्य	139.45	5.00	144.45	..	139.46	5.00	144.46	..	266.52	..	266.52
		ज.जा.उ.यो.	12.67	2.46	15.13	..	12.67	2.46	15.13	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	25.82	58.00	83.82	..	25.82	58.00	83.82	..	109.42	..	109.42
	रवीन्द्र रंगमंच जयपुर को कला तथा संस्कृति के प्रचार के लिए अनुदान	सामान्य	..	231.00	231.00	..	..	231.00	231.00	..	..	33.00	33.00
	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं,(एलोपैथी)- मुख्यालय का निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	..	517.37	517.37	..	..	517.37	517.37	..	..	687.20	687.20
	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी)- अन्य अस्पताल तथा औषधालय (सामान्य अस्पताल)	सामान्य	..	11,711.30	11,711.30	..	..	11,699.78	11,699.78	..	..	8,654.46	8,654.46
		ज.जा.उ.यो.	..	1,349.11	1,349.11	..	..	1,348.89	1,348.89	..	..	1,181.35	1,181.35
		अ.जा.उ.यो.	..	1,686.76	1,686.76	..	..	1,679.71	1,679.71	..	..	833.02	833.02
	आयुर्वेदिकअनुसंधान- आयुर्वेदिक फार्मेसी	सामान्य	..	190.45	190.45	..	..	197.79	197.79	..	..	196.56	196.56
	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेद- राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जोधपुर को अनुदान	सामान्य	..	2,803.00	2,803.00	..	..	2,803.00	2,803.00	..	..	1,457.50	1,457.50
		ज.जा.उ.यो.	..	629.00	629.00	..	..	629.00	629.00	..	..	430.00	430.00
		अ.जा.उ.यो.	..	838.00	838.00	..	..	838.00	838.00	..	..	490.00	490.00
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)	सामान्य	..	60.32	60.32	..	..	60.27	60.27	..	..	78.19	78.19
		ज.जा.उ.यो.	..	26.38	26.38	..	..	26.34	26.34	..	..	33.25	33.25

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
					(₹ लाख में)								
	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	सामान्य	1,302.95	878.70	2,181.65	1,938.50	1,302.95	878.70	2,181.65	..	2.88	1,733.70	1,736.58
		ज.जा.उ.यो.	264.50	181.00	445.50	..	264.50	181.00	445.50	..	..	365.00	365.00
		अ.जा.उ.यो.	340.00	232.63	572.63	..	340.00	232.63	572.63	..	..	470.00	470.00
	सिंचाई–चम्बल दांयी मुख्य नहर	सामान्य	..	10,224.80	10,224.80	..	..	10,620.03	10,620.03	..	..	2,939.61	2,939.61
		ज.जा.उ.यो.	..	1,746.29	1,746.29	..	..	1,746.29	1,746.29	..	..	423.78	423.78
		अ.जा.उ.यो.	..	2,342.48	2,342.48	..	..	2,342.48	2,342.48	..	..	523.33	523.33
	सिंचाई–नर्मदा परियोजना (ए.आई.बी.पी.)	सामान्य	2,349.19	2,352.67	4,701.86	..	2,254.56	2,027.02	4,281.58	..	2,837.21	824.48	3,661.69
		ज.जा.उ.यो.	786.13	..	786.13	..	720.92	..	720.92	..	845.78	..	845.78
		अ.जा.उ.यो.	1,740.49	..	1,740.49	..	1,582.11	..	1,582.11	..	1,428.36	(-) 0.03	1,428.33
	कमान क्षेत्र विकास–गंगनहर	सामान्य	..	52.12	52.12	..	..	44.85	44.85	..	..	2,408.08	2,408.08
		अ.जा.उ.यो.	..	1.13	1.13	..	..	0.92	0.92	..	..	110.74	110.74
	लधु सिंचाई गणना	सामान्य	96.52	..	96.52	..	96.47	..	96.47	..	137.63	..	137.63
	सिंचाई प्रशिक्षण - सिंचाई प्रबन्ध और प्रशिक्षण केन्द्र	सामान्य	..	532.37	532.37	..	..	532.37	532.37	..	..	447.00	447.00
		अ.जा.उ.यो.	..	138.23	138.23	..	..	138.23	138.23	..	..	217.95	217.95
स्वीकार्य शोध तथा मृदा सर्वेक्षण	स्वीकार्य शोध तथा मृदा सर्वेक्षण स्टेज– ।।–इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास	सामान्य	..	29.96	29.96	..	..	29.95	29.95	..	..	12.22	12.22
		अ.जा.उ.यो.	..	136.75	136.75	..	..	136.66	136.66	..	..	137.29	137.29
	चम्बल क्षेत्र का विकास	सामान्य	..	487.84	487.84	..	..	487.79	487.79	..	..	505.27	505.27
	भाखड़ा तथा गंग एरिया का विकास–अमर सिंह जसाना परियोजना	सामान्य	..	235.24	235.24	..	..	235.24	235.24	..	..	50.92	50.92
		अ.जा.उ.यो.	..	28.35	28.35	..	..	28.35	28.35	..	..	..	..
	सिद्धमुख नोहर परियोजना क्षेत्र का विकास	सामान्य	..	711.94	711.94	..	..	711.66	711.66	..	..	6.17	6.17
		अ.जा.उ.यो.	..	142.14	142.14	..	..	141.96	141.96	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
					(₹ लाख में)								
ग्रामीण जलपूर्ति योजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	उम्मेद सागर–धावा समदरी जलपूर्ति परियोजना (नाबार्ड)(ग्रामीण)	सामान्य	..	354.04	354.04	..	..	354.04	354.04	..	..	240.00	240.00
ग्रामीण जलपूर्ति योजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	कोलायत नोखा जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)	सामान्य	..	42.00	42.00	..	..	42.00	42.00	..	..	251.05	251.05
		अ.जा.उ.यो.	..	24.90	24.90	..	..	24.84	24.84	..	..	106.57	106.57
ग्रामीण जलपूर्ति योजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना, अजमेर– पीसागन (ग्रामीण)	सामान्य	..	102.98	102.98	..	..	102.98	102.98	..	..	213.45	213.45
		ज.जा.उ.यो.	..	19.81	19.81	..	..	19.81	19.81	..	..	43.28	43.28
		अ.जा.उ.यो.	..	26.70	26.70	..	..	26.70	26.70	..	..	58.97	58.97
	देवनिया–शेरगढ़– छाबा जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)	सामान्य	..	21.12	21.12	..	..	21.12	21.12	..	..	645.33	645.33
ग्रामीण जलपूर्ति योजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	तींवरी–मथानिया–औसियां–बावड़ी–भोपालगढ़ जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण) (नाबार्ड)	सामान्य	..	161.23	161.23	..	..	161.23	161.23	..	..	208.63	208.63
		अ.जा.उ.यो.	..	29.94	29.94	..	..	29.94	29.94	..	..	59.59	59.59
	रेवा–झालावाड़ जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)	सामान्य	..	1.74	1.74	..	..	1.74	1.74	..	..	93.88	93.88
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	21.47	21.47
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	30.30	30.30
	नर्मदा–गुढ़ामालानी जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)	सामान्य	440.96	..	440.96	..	440.96	..	440.96	..	4.37	..	4.37
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	0.07	..	0.07
		अ.जा.उ.यो.	45.38	..	45.38	..	45.38	..	45.38	..	0.08	..	0.08
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	सामान्य	9,359.14	..	9,359.14	1,807.53	9,304.48	..	9,304.48	8,287.12	7,950.15	..	7,950.15
		ज.जा.उ.यो.	3,820.35	..	3,820.35	275.68	3,798.93	..	3,798.93	..	3,356.77	..	3,356.77
		अ.जा.उ.यो.	3,851.23	..	3,851.23	500.45	3,827.80	..	3,827.80	..	3,414.96	..	3,414.96
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना	सामान्य	566.39	..	566.39	165.19	562.23	..	562.23	1,375.10	669.33	..	669.33
		ज.जा.उ.यो.	199.62	..	199.62	14.95	197.53	..	197.53	..	210.15	..	210.15
		अ.जा.उ.यो.	217.80	..	217.80	27.83	216.26	..	216.26	..	258.61	..	258.61

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
					(₹ लाख में)								
ग्राम न्यायालय	ग्राम न्यायालय	सामान्य	..	1,132.03	1,132.03	..	..	1,131.97	1,131.97	..	..	1,162.04	1,162.04
		ज.जा.उ.यो.	..	308.81	308.81	..	..	308.82	308.82	..	..	312.27	312.27
		अ.जा.उ.यो.	..	220.36	220.36	..	..	220.36	220.36	..	..	194.98	194.98
	उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए योजना (आर एम एस ए)	सामान्य	..	21,470.00	21,470.00	..	..	21,470.00	21,470.00	..	..	16,770.99	16,770.99
		ज.जा.उ.यो.	..	3,970.00	3,970.00	..	..	3,970.00	3,970.00	..	..	3,331.74	3,331.74
		अ.जा.उ.यो.	..	5,260.00	5,260.00	..	..	5,260.00	5,260.00	..	..	4,417.50	4,417.50
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	राज्यव्यापी आपातकालीन एम्बुलेन्स सेवाएं (एन.आर.एच.एम.) (ई एम आर आई)	सामान्य	6,081.00	3,388.00	9,469.00	..	6,081.00	3,388.00	9,469.00	..	4,358.00	2,290.00	6,648.00
		ज.जा.उ.यो.	1,190.00	741.00	1,931.00	..	1,190.00	741.00	1,931.00	..	1,128.00	502.00	1,630.00
		अ.जा.उ.यो.	1,575.00	871.00	2,446.00	..	1,575.00	871.00	2,446.00	..	1,491.00	668.00	2,159.00
	मेट्रो रेल परियोजना	सामान्य	..	26,396.46	26,396.46	..	..	26,396.46	26,396.46	..	..	..	..
	विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना	सामान्य	..	293.86	293.86	..	..	293.86	293.86	..	..	231.40	231.40
	राजीव गांधी सशक्तिकरण की किशोर लड़कियां योजना (सबला)	सामान्य	564.21	543.35	1,107.56	..	564.21	543.35	1,107.56	58.94	518.05	515.73	1,033.78
	अभिवृद्धि सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत सूखा क्षेत्र मे लघु सिंचाई निर्माण कार्य (ए आई बी पी)	सामान्य	..	41.35	41.35	..	..	40.42	40.42	..	..	33.63	33.63
		ज.जा.उ.यो.	..	109.33	109.33	..	..	49.93	49.93	..	..	133.72	133.72
.		अ.जा.उ.यो.	..	1.39	1.39	..	..	1.36	1.36	..	..	7.39	7.39
लोक निर्माण	होम गार्ड तथा नागरिक सुरक्षा भवन	सामान्य	..	730.99	730.99	..	..	732.06	732.06	..	..	400.00	400.00
	लोक निर्माण - न्यायालय भवन	ज.जा.उ.यो.	49.98	50.71	100.69	..	49.98	50.71	100.69	..	1,256.61	848.95	2,105.56

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
									(₹ लाख में)				
	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की बस्तिया से सेवा केन्द्रों का सम्पर्क	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	200.00	..	200.00
	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण तथा पुनरूद्धार	ज.जा.उ.यो.	660.00	..	660.00	..	660.00	..	660.00	..	1,600.00	..	1,600.00
	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत सडकों और पुलिया का निर्माण	ज.जा.उ.यो.	1,754.87	..	1,754.87	..	1,754.87	..	1,754.87	..	..	..	..
	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1)के अन्तर्गत खेल छात्रावास का निर्माण तथा पुनरूद्धार	ज.जा.उ.यो.	250.00	..	250.00	..	250.00	..	250.00	..	..	..	..
	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालय (सभी क्षेत्र) की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण	ज.जा.उ.यो.	685.15	..	685.15	..	685.15	..	685.15	..	3,017.00	..	3,017.00
	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत राजकीय शिक्षण संस्थान में अतिरिक्त कमरें का निर्माण	ज.जा.उ.यो.	212.50	..	212.50	..	212.50	..	212.50	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
					(₹ लाख में)								
भाखड़ा नहर परियोजना का विकास		सामान्य	..	38.12	38.12	..	..	36.04	36.04	..	..	626.43	626.43
		अ.जा.उ.यो.	..	0.77	0.77	..	..	0.77	0.77	..	..	14.61	14.61
विशेष केन्द्रीय सहायतार्थ के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र मे अनुसूचित जनजाति बस्तियों से सेवा केन्द्रों का जुडाव		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	1,175.05	..	1,175.05
न्यायिक भवन का निर्माण		सामान्य	2,459.56	2,301.83	4,761.39	..	2,459.56	2,301.83	4,761.39	..	3,143.66	2,545.21	5,688.87
सी.सी.डी. योजना के अन्तर्गत सहरिया के विकास हेतु सहरिया के लिए माँ बाडी केन्द्रों का संचालन		ज.जा.उ.यो.	645.21	..	645.21	..	645.21	..	645.21	..	704.20	..	704.20
सी.सी.डी. योजना के अन्तर्गत सहरिया के विकास हेतु स्वास्थ्य कर्मी को मानदेय		ज.जा.उ.यो.	61.00	..	61.00	..	61.00	..	61.00	..	100.00	..	100.00
ए.डब्ल्यू.सी. का कमोन्नयन तथा रखरखाव (आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत पालना गृह के निर्माण सहित)		सामान्य	71.22	47.24	118.46	..	71.22	47.24	118.46	..	182.02	121.34	303.36
		ज.जा.उ.यो.	13.24	8.84	22.08	..	13.24	8.84	22.08	..	39.29	26.19	65.48
		अ.जा.उ.यो.	17.29	11.53	28.82	..	17.29	11.53	28.82	..	39.01	26.00	65.01
महिला कल्याण मिशन ग्राम्य शक्ति		सामान्य	1,453.00	..	1,453.00	..	1,453.00	..	1,453.00	..	..	..	..
लक्षित लोक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण		सामान्य	..	2,978.53	2,978.53	..	..	2,978.53	2,978.53	..	481.54	303.56	785.10
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	233.01	184.56	417.57
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	321.04	254.28	575.32
जवाई-पाली-जोधपुर परियोजना फेज -II (क्लस्टर परियोजना) (ग्रामीण)		सामान्य	..	82.42	82.42	..	..	82.42	82.42	..	..	99.55	99.55
		ज.जा.उ.यो.	..	16.24	16.24	..	..	16.24	16.24	..	..	18.82	18.82
		अ.जा.उ.यो.	..	21.35	21.35	..	..	21.35	21.35	..	..	25.65	25.65

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
									(₹ लाख में)				
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–(ऐलोपैथी) निदेशालय	सामान्य	23,010.00	14,808.47	37,818.47	..	23,010.00	14,808.47	37,818.47	..	7,056.48	4,704.32	11,760.80
	ज.जा.उ.यो.	5,310.00	3,540.00	8,850.00	..	5,310.00	3,540.00	8,850.00	..	1,800.00	1,200.00	3,000.00
चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत नये चिकित्सा महाविद्यालय	अ.जा.उ.यो.	7,080.00	4,720.00	11,800.00	..	7,080.00	4,720.00	11,800.00	..	2,400.00	1,600.00	4,000.00
जवाई क्लस्टर परियोजना-II (ग्रामीण)	सामान्य	1,388.44	77.62	1,466.06	..	1,388.44	77.62	1,466.06	..	1,175.76	403.60	1,579.36
	ज.जा.उ.यो.	262.85	15.14	277.99	..	262.85	15.14	277.99	..	277.75	28.57	306.32
	अ.जा.उ.यो.	431.36	20.02	451.38	..	431.36	20.02	451.38	..	345.43	41.39	386.82
बीसलपुर–दूदू परियोजना–चाकसू, फागी तथा बस्सी (ग्रामीण)	सामान्य	257.06	213.76	470.82	..	257.06	213.76	470.82	..	230.28	83.28	313.56
	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	63.73	15.19	78.92
	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	83.12	21.53	104.65
बांसवाड़ा जलपूर्ति परियोजना(ग्रामीण)	सामान्य	..	53.77	53.77	..	..	53.77	53.77	..	60.90	89.39	150.29
	ज.जा.उ.यो.	..	6.75	6.75	..	..	6.75	6.75	..	213.11	0.27	213.38
	अ.जा.उ.यो.	..	8.90	8.90	..	..	8.90	8.90	..	489.75	0.39	490.14
नर्मदा एफ.आर. क्लस्टर परियोजना(ग्रामीण)	सामान्य	1,526.50	..	1,526.50	..	1,526.50	..	1,526.50	..	1,782.34	2,066.89	3,849.23
	ज.जा.उ.यो.	422.50	..	422.50	..	422.50	..	422.50	..	468.22	608.42	1,076.64
	अ.जा.उ.यो.	551.00	..	551.00	..	551.00	..	551.00	..	613.71	825.61	1,439.32
विशेष योग्यजन के लिए रेम्प तथा लिफ्ट इत्यादि का निर्माण	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	860.82	..	860.82
राजीव गांधी लिफ्ट केनाल से घटोर, कानासर और बाप जलपूर्ति परियोजना(ग्रामीण)	सामान्य	..	43.40	43.40	..	..	43.40	43.40	..	..	84.11	84.11
	ज.जा.उ.यो.	..	8.53	8.53	..	..	8.53	8.53	..	..	14.19	14.19
	अ.जा.उ.यो.	..	11.26	11.26	..	..	11.26	11.26	..	..	19.51	19.51
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	सामान्य	2,771.46	1,773.31	4,544.77	2,966.88	2,771.46	1,773.31	4,544.77	2,877.28	2,649.35	1,765.70	4,415.05
	ज.जा.उ.यो.	523.24	336.11	859.35	174.28	523.24	336.11	859.35	169.02	500.05	333.37	833.42
	अ.जा.उ.यो.	691.97	444.56	1,136.53	911.95	691.97	444.56	1,136.53	884.40	661.42	440.95	1,102.37
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	सामान्य	28,259.65	28,432.64	56,692.29	..	28,259.64	28,432.64	56,692.28	..	20,659.08	30,683.61	51,342.69
	ज.जा.उ.यो.	6,668.40	7,776.32	14,444.72	..	6,668.41	7,776.32	14,444.73	..	13,646.82	14,790.47	28,437.29
	अ.जा.उ.यो.	8,120.01	9,967.63	18,087.64	..	8,120.01	9,967.63	18,087.64	..	18,787.82	21,007.65	39,795.47

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
							(₹ लाख में)						
कृषि विस्तार तथा तकनीकी का राष्ट्रीय मिशन (कृषि अभियांत्रिकी)		सामान्य	1,304.40	869.60	2,174.00	..	1,304.40	869.60	2,174.00	1,389.60	1,813.36	1,208.90	3,022.26
		ज.जा.उ.यो.	207.00	138.00	345.00	..	207.00	138.00	345.00	325.00	119.62	79.75	199.37
		अ.जा.उ.यो.	296.70	197.80	494.50	..	296.71	197.80	494.51	75.00	80.33	53.56	133.89
टिकाऊ कृषि राष्ट्रीय मिशन (बारानी क्षेत्र विकास)		सामान्य	95.63	63.76	159.39	..	95.64	63.75	159.39	206.10	267.75	178.50	446.25
		ज.जा.उ.यो.	34.19	22.79	56.98	..	34.19	22.80	56.99	40.50	52.04	34.69	86.73
		अ.जा.उ.यो.	53.97	35.98	89.95	..	53.97	35.98	89.95	53.40	63.04	42.02	105.06
टिकाऊ कृषि राष्ट्रीय मिशन (मृदा रक्षण प्रबंध)		सामान्य	28.98	19.61	48.59	..	29.01	19.33	48.34	929.84	744.85	496.55	1,241.40
		ज.जा.उ.यो.	6.23	4.15	10.38	..	6.23	4.14	10.37	212.53	81.99	54.67	136.66
		अ.जा.उ.यो.	1.94	1.29	3.23	..	1.95	1.30	3.25	185.97	49.01	32.68	81.69
कम्प्यूटर सेवाएं-राजनेट		सामान्य	..	8,400.00	8,400.00	..	..	8,400.00	8,400.00	..	..	7,400.00	7,400.00
		ज.जा.उ.यो.	..	2,600.00	2,600.00	..	..	2,600.00	2,600.00	..	..	2,250.00	2,250.00
		अ.जा.उ.यो.	..	3,000.00	3,000.00	..	..	3,000.00	3,000.00	..	..	2,850.00	2,850.00
पोस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेन्ट रोग नियंत्रण कार्यक्रम		सामान्य	47.17	30.73	77.90	..	47.17	30.73	77.90	..	3.88	2.58	6.46
		ज.जा.उ.यो.	26.90	18.17	45.07	..	26.90	18.17	45.07	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	18.33	12.79	31.12	..	18.33	12.79	31.12	..	..	..	..
जेलों में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा		सामान्य	100.00	350.93	450.93	..	100.00	350.92	450.92	..	165.95	76.22	242.17
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-सामुदायिक झालावाड़ अस्पताल तथा चिकित्सा महाविद्यालय समिति को सहायतार्थ अनुदान		सामान्य	..	7,462.75	7,462.75	..	..	7,462.75	7,462.75	..	..	4,340.00	4,340.00
		ज.जा.उ.यो.	..	1,464.53	1,464.53	..	..	1,464.53	1,464.53	..	..	2,420.00	2,420.00
		अ.जा.उ.यो.	..	1,965.61	1,965.61	..	..	1,965.61	1,965.61	..	..	1,928.71	1,928.71
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत टी ए डी भवनों के अतिरिक्त अन्य निर्माण तथा पुनरूद्धार		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	475.00	..	475.00

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
									(₹ लाख में)				
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना		सामान्य	1,368.72	3.20	1,371.92	11,561.00	1,368.72	3.20	1,371.92	13,600.00	2,747.14	7,439.31	10,186.45
		ज.जा.उ.यो.	998.06	380.16	1,378.22	1,400.00	998.05	380.16	1,378.21	2,800.00	548.36	365.58	913.94
		अ.जा.उ.यो.	592.47	219.60	812.07	1,800.00	592.47	219.60	812.07	3,600.00	530.53	353.68	884.21
शहरी परिवर्तन एवं कायाकल्प के लिए अटल मिशन		सामान्य	..	14,943.67	14,943.67	2,420.00	..	14,943.67	14,943.67	60,326.72	41,438.43	9,229.88	50,668.31
		ज.जा.उ.यो.	..	2,932.60	2,932.60	..	..	2,932.60	2,932.60	..	8,132.04	1,811.30	9,943.34
		अ.जा.उ.यो.	..	3,878.96	3,878.96	..	..	3,878.96	3,878.96	..	10,756.25	2,395.82	13,152.07
प्रधानमंत्री आवास योजना		सामान्य	224.20	..	224.20	20,229.14	224.20	..	224.20	16.67	21.55	3.37	24.92
		ज.जा.उ.यो.	979.80	..	979.80	1,220.31	979.80	..	979.80	..	4.23	0.66	4.89
		अ.जा.उ.यो.	58.20	..	58.20	5,688.10	58.20	..	58.20	..	5.59	0.88	6.47
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड घटक		सामान्य	6,702.30	4,468.20	11,170.50	22,270.91	6,702.30	4,468.20	11,170.50	31,469.60	25,006.60	16,671.07	41,677.67
		ज.जा.उ.यो.	46.95	31.30	78.25	2,785.07	46.95	31.30	78.25	3,583.00	3,583.00	2,388.66	5,971.66
		अ.जा.उ.यो.	1,185.07	790.04	1,975.11	3,200.40	1,185.07	790.04	1,975.11	9,937.00	8,814.00	5,875.99	14,689.99
पीने के पानी के लिए नर्बदा नहर पी.एच.ई.डी. की हिस्सा लागत (ग्रामीण)		सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2,067.34	2,067.34
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	323.84	323.84
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	535.65	535.65
महिला कल्याण- सुधार गृह का संचालन		सामान्य	62.27	49.99	112.26	..	62.27	49.99	112.26	..	74.73	26.74	101.47
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)		सामान्य	22,668.77	5,556.13	28,224.90	16,934.94	22,668.77	5,556.13	28,224.90	15,542.70	15,542.70	..	15,542.70
		ज.जा.उ.यो.	7,320.68	1,175.34	8,496.02	5,097.61	7,320.68	1,175.34	8,496.02	2,682.61	4,700.76	..	4,700.76
		अ.जा.उ.यो.	6,713.17	2,553.43	9,266.60	5,559.96	6,713.17	2,553.43	9,266.60	4,700.76	2,682.61	..	2,682.61
जिला एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर		सामान्य	416.64	19.44	436.08	..	416.64	19.44	436.08	..	214.47	34.00	248.47

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
					(₹ लाख में)								
सिंचाई–चौ कुम्भा राम आर्य लिफ्ट (नोहर सांवा लिफ्ट) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.		सामान्य	..	1,152.89	1,152.89	..	..	1,152.89	1,152.89	..	..	736.76	736.76
		अ.जा.उ.यो.	..	208.05	208.05	..	..	208.05	208.05	..	..	80.00	80.00
सिंचाई–पन्ना लाल भेरूपाल लिफ्ट (गजनेर) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.		सामान्य	..	3,096.00	3,096.00	..	..	3,096.00	3,096.00	..	..	2,425.54	2,425.54
		अ.जा.उ.यो.	..	884.00	884.00	..	..	884.00	884.00	..	..	534.47	534.47
सिंचाई–डा. करणी सिंह लिफ्ट (कोलायत) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.		सामान्य	..	2,903.70	2,903.70	..	..	2,903.70	2,903.70	..	..	2,441.78	2,441.78
		अ.जा.उ.यो.	..	175.95	175.95	..	..	175.95	175.95	..	..	535.00	535.00
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण		सामान्य	65,499.88	43,666.59	1,09,166.47	88,250.98	65,499.88	43,666.59	1,09,166.47	12,351.48	12,351.48	80,675.90	93,027.38
		ज.जा.उ.यो.	44,104.02	29,402.68	73,506.70	21,352.92	44,104.02	29,402.68	73,506.70	5,728.82	5,728.82	1,03,145.06	1,08,873.88
		अ.जा.उ.यो.	30,942.42	20,628.28	51,570.70	30,942.42	30,942.42	20,628.28	51,570.70	21,209.27	21,209.27	39,926.08	61,135.35
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन (एन.आर.यू.एम.)		सामान्य	698.00	465.67	1,163.67	1,018.00	698.00	465.67	1,163.67	2,160.00	1,483.00	989.00	2,472.00
		ज.जा.उ.यो.	138.00	92.00	230.00	..	138.00	92.00	230.00	..	292.00	194.00	486.00
		अ.जा.उ.यो.	182.00	121.00	303.00	..	182.00	121.00	303.00	..	385.00	257.00	642.00
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.–जी.के.वाई.)		सामान्य	4,857.41	3,238.27	8,095.68	..	4,857.41	3,238.27	8,095.68	..	..	1,094.00	1,094.00
		ज.जा.उ.यो.	1,942.96	1,295.31	3,238.27	..	1,942.96	1,295.31	3,238.27	..	..	437.60	437.60
		अ.जा.उ.यो.	2,914.44	1,942.96	4,857.40	..	2,914.44	1,942.96	4,857.40	..	..	656.40	656.40
राजकीय विद्यालयों में कक्षा I से VIII के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण		सामान्य	3,888.00	2,551.74	6,439.74	..	3,888.00	2,551.74	6,439.74	..	4,200.00	2,797.62	6,997.62
राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण		सामान्य	..	4,799.99	4,799.99	..	..	4,799.99	4,799.99	..	..	4,795.90	4,795.90

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
						(₹ लाख में)							
मौजूदा वेटनरी अस्पताल तथा औषधालय की सुदृढता की स्थापना		सामान्य	1,916.16	1,277.95	3,194.11	..	1,916.16	1,277.95	3,194.11	..	..	..	..
भारत के संविदान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत माँ–वाडी केन्द्रों का निर्माण, नवीनीकरण और सुविधाओं का विस्तार		ज.जा.उ.यो.	500.00	..	500.00	..	500.00	..	500.00	..	660.00	..	660.00
विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत अनुसूचित क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	439.00	..	439.00
राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन.एन.एम.)		सामान्य	4,176.62	1,045.03	5,221.65	..	4,175.81	1,044.22	5,220.03	..	1,796.09	449.03	2,245.12
		ज.जा.उ.यो.	514.60	131.52	646.12	..	514.57	131.53	646.10	..	205.20	51.30	256.50
		अ.जा.उ.यो.	1,075.24	270.02	1,345.26	..	1,075.24	270.01	1,345.25	..	979.75	244.93	1,224.68
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)		सामान्य	896.52	7,419.27	8,315.79	..	895.70	7,418.57	8,314.27	418.00	694.72	5,903.14	6,597.86
		ज.जा.उ.यो.	103.07	1,468.92	1,571.99	..	103.04	1,468.81	1,571.85	..	80.89	1,353.93	1,434.82
		अ.जा.उ.यो.	175.70	1,462.38	1,638.08	..	175.69	1,462.38	1,638.07	..	13.88	1,269.26	1,283.14
डूंगरपुर, आशपुर तथा डोवाड़ा पेयजल परियोजना (शहरी)		सामान्य	..	168.37	168.37	..	..	168.37	168.37	..	..	..	..
डूंगरपुर, आशपुर तथा डोवाड़ा पेयजल परियोजना (ग्रामीण)		सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	421.31	2,980.04	3,401.35
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	116.61	530.26	646.87
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	152.08	720.70	872.78
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषित अनाज		सामान्य	1,676.10	1,117.40	2,793.50	568.93	1,676.10	1,117.41	2,793.51	..	628.82	419.22	1,048.04
		ज.जा.उ.यो.	312.00	208.00	520.00	102.12	312.00	208.00	520.00	..	79.70	53.13	132.83
		अ.जा.उ.यो.	444.00	296.00	740.00	139.40	444.00	296.00	740.00	..	117.41	78.28	195.69

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
									(₹ लाख में)				
समाज कल्याण-		सामान्य	13.74	8.63	22.37	..	13.74	8.64	22.38	9.38	67.56	45.76	113.32
महिला शक्ति केन्द्र		ज.जा.उ.यो.	3.10	2.07	5.17	..	3.09	2.08	5.17	..	14.78	9.87	24.65
		अ.जा.उ.यो.	0.81	0.54	1.35	..	0.81	0.54	1.35	..	20.31	13.27	33.58
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-		सामान्य	1,430.31	650.85	2,081.16	646.27	1,430.31	650.85	2,081.16	..	2,458.57	1,639.05	4,097.62
तिलहन		ज.जा.उ.यो.	282.23	128.68	410.91	83.57	282.23	128.68	410.91	..	439.69	293.14	732.83
		अ.जा.उ.यो.	486.17	245.68	731.85	..	486.16	245.68	731.84	..	506.48	337.65	844.13
पुलिस बल का आधुनिकीकरण- छात्र पुलिस कैडेट		सामान्य	72.03	45.48	117.51	..	73.14	46.00	119.14	..	..	0.68	0.68
औषधी विनियमन प्रणाली		सामान्य	252.12	899.96	1,152.08	..	252.12	899.73	1,151.85	..	1,244.88	292.68	1,537.56
का सुद्दढ़ीकरण		ज.जा.उ.यो.	5.25	..	5.25	..	5.25	..	5.25	..	95.00	..	95.00
		अ.जा.उ.यो.	42.00	..	42.00	..	42.00	..	42.00	..	143.00	..	143.00
पी.जी.सीटों फेज- II में वृद्धि		सामान्य	1,822.74	481.50	2,304.24	..	1,822.75	481.49	2,304.24	..	548.51	372.00	920.51
के लिए राजकीय चिकित्सा		ज.जा.उ.यो.	1,314.25	901.35	2,215.60	..	1,314.25	901.35	2,215.60	..	1,447.43	734.96	2,182.39
महाविद्यालयों का सुद्दढ़ीकरण तथा उन्नयन		अ.जा.उ.यो.	723.72	313.65	1,037.37	..	723.71	313.65	1,037.36	..	1,083.39	310.18	1,393.57
रीको ओद्यौगिक क्षेत्र, भिवाड़ी के ओद्यौगिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन		सामान्य	2,500.00	..	2,500.00	..	2,500.00	..	2,500.00	..	..	..	..
प्रयास(ओद्यौगिक मूल्य वर्धन के लिए कौशल का सुद्दढ़ीकरण)		सामान्य	944.00	..	944.00	..	944.00	..	944.00	1,417.00	627.80	..	627.80
राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक		सामान्य	664.42	573.81	1,238.23	..	664.42	573.81	1,238.23	..	1,235.52	1,000.00	2,235.52
परिवर्तन परियोजना		ज.जा.उ.यो.	398.64	318.11	716.75	..	398.64	318.11	716.75	..	600.00	600.00	1,200.00
(एन.आर.ई.टी.पी.)		अ.जा.उ.यो.	265.75	255.70	521.45	..	265.75	255.70	521.45	..	635.51	398.98	1,034.49
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी.एम.जे.वी.के.)		सामान्य	2,019.35	1,631.46	3,650.81	..	2,019.34	1,631.46	3,650.80	..	3,140.19	2,275.88	5,416.07

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
									(₹ लाख में)				
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी तथा जांच (ग्रामीण)		सामान्य	224.64	1,801.00	2,025.64	..	223.55	1,800.71	2,024.26	..	302.82	354.02	656.84
जल जीवन मिशन की सहायक गतिविधिया (ग्रामीण)		सामान्य	3,564.62	6,906.94	10,471.56	..	3,564.33	6,906.94	10,471.27	..	1,802.80	670.59	2,473.39
चम्बल-धोलपुर-भरतपुर जलपूर्ति परियोजनां(ग्रामीण)		सामान्य	40.55	211.79	252.34	..	40.55	204.44	244.99	..	247.27	228.93	476.20
		ज.जा.उ.यो.	..	31.92	31.92	..	..	31.92	31.92	..	49.10	43.08	92.18
		अ.जा.उ.यो.	26.71	44.94	71.65	..	26.71	44.94	71.65	..	63.92	59.76	123.68
बीसलपुर-दूदू-फुलेरा जलपूर्ति परियोजनां(ग्रामीण)		सामान्य	57.90	418.20	476.10	..	57.90	418.20	476.10	..	199.51	(-) 44.22	155.29
		ज.जा.उ.यो.	..	81.00	81.00	..	..	81.00	81.00	..	74.01	..	74.01
		अ.जा.उ.यो.	68.28	100.80	169.08	..	68.28	100.80	169.08	..	82.39	..	82.39
चुरू-झुन्झूनू जलपूर्ति परियोजना फेज- II		सामान्य	150.00	102.61	252.61	..	150.00	102.61	252.61	..	1,250.06	..	1,250.06
		ज.जा.उ.यो.	38.03	20.16	58.19	..	38.03	20.16	58.19	..	212.95	..	212.95
(अपनी योजना)(ग्रामीण)		अ.जा.उ.यो.	49.55	26.59	76.14	..	49.55	26.59	76.14	..	290.07	..	290.07
डीग जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)		सामान्य	152.65	245.25	397.90	..	133.44	245.25	378.69	..	1,120.19	222.72	1,342.91
		ज.जा.उ.यो.	..	41.09	41.09	..	..	41.09	41.09	..	187.25	42.76	230.01
		अ.जा.उ.यो.	..	35.99	35.99	..	..	35.99	35.99	..	294.59	57.00	351.59
बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज-।। पार्ट-बी		सामान्य	139.92	188.90	328.82	..	139.92	188.90	328.82	..	132.36	243.58	375.94
		ज.जा.उ.यो.	..	37.07	37.07	..	..	37.07	37.07	..	36.87	51.70	88.57
(नाबार्ड)(ग्रामीण)		अ.जा.उ.यो.	..	49.03	49.03	..	..	49.03	49.03	..	61.34	18.33	79.67
बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज-।। पार्ट-सी		सामान्य	2,264.53	..	2,264.53	..	2,264.53	..	2,264.53	..	6,581.08	5,099.90	11,680.98
		ज.जा.उ.यो.	633.76	..	633.76	..	633.76	..	633.76	..	1,145.98	890.03	2,036.01
(नाबार्ड)(ग्रामीण)		अ.जा.उ.यो.	826.50	..	826.50	..	826.50	..	826.50	..	1,577.94	1,464.25	3,042.19
व्यावर-ज्वाजा क्लस्टर परियोजनां(ग्रामीण)		सामान्य	473.15	409.97	883.12	..	473.15	409.97	883.12	..	1,187.93	612.75	1,800.68
		ज.जा.उ.यो.	73.94	59.73	133.67	..	73.94	59.73	133.67	..	330.29	153.32	483.61
		अ.जा.उ.यो.	179.03	85.30	264.33	..	179.03	85.30	264.33	..	428.77	207.99	636.76

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
									(₹ लाख में)				
गागरिन जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)		सामान्य	158.38	329.91	488.29	..	158.38	329.90	488.28	..	768.26	687.96	1,456.22
		ज.जा.उ.यो.	50.36	250.00	300.36	..	50.36	250.00	300.36	..	171.04	132.73	303.77
		अ.जा.उ.यो.	65.68	250.00	315.68	..	65.68	250.00	315.68	..	216.70	178.31	395.01
बांरा क्लस्टर परियोजना (ग्रामीण)		सामान्य	21.37	741.85	763.22	..	21.37	741.85	763.22	..	267.76	30.80	298.56
		ज.जा.उ.यो.	5.92	145.58	151.50	..	5.92	145.58	151.50	..	58.57	5.79	64.36
		अ.जा.उ.यो.	7.71	192.56	200.27	..	7.71	192.56	200.27	..	69.00	8.03	77.03
चम्बल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)(ग्रामीण)		सामान्य	3,152.46	12,270.17	15,422.63	..	3,152.46	12,270.17	15,422.63	..	4,307.43	6,842.58	11,150.01
		ज.जा.उ.यो.	432.39	2,217.75	2,650.14	..	432.39	2,217.75	2,650.14	..	940.90	1,798.13	2,739.03
		अ.जा.उ.यो.	1,116.25	3,010.26	4,126.51	..	1,116.25	3,010.26	4,126.51	..	1,065.73	2,460.52	3,526.25
चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज-I पार्ट-II (नाबार्ड)(ग्रामीण)		सामान्य	912.52	1,187.66	2,100.18	..	912.52	1,187.16	2,099.68	..	3,059.38	1,770.01	4,829.39
		ज.जा.उ.यो.	227.31	147.42	374.73	..	227.31	147.42	374.73	..	1,122.16	740.82	1,862.98
		अ.जा.उ.यो.	296.44	204.53	500.97	..	296.44	204.53	500.97	..	1,525.69	1,021.80	2,547.49
बांसवाड़ा-प्रतापगढ जलपूति परियोजना (नाबार्ड)(ग्रामीण)		सामान्य	154.58	..	154.58	..	154.58	..	154.58	..	3,098.88	481.00	3,579.88
		ज.जा.उ.यो.	30.38	..	30.38	..	30.38	..	30.38	..	559.74	94.00	653.74
		अ.जा.उ.यो.	40.05	..	40.05	..	40.05	..	40.05	..	759.36	125.00	884.36
नर्बदा जलपूर्ति परियोजना कलस्टर (डी.आर.) (नाबार्ड)(ग्रामीण)		सामान्य	1,099.08	524.53	1,623.61	..	1,099.08	524.53	1,623.61	..	903.89	972.36	1,876.25
		ज.जा.उ.यो.	169.00	103.62	272.62	..	169.00	103.62	272.62	..	232.35	318.28	550.63
		अ.जा.उ.यो.	348.35	136.12	484.47	..	348.35	136.12	484.47	..	303.48	411.89	715.37
बाड़मेर जिले की शिव तहसील से नर्बदा ग्रामीण जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)		सामान्य	2,236.48	..	2,236.48	..	2,236.48	..	2,236.48	..	3,277.99	4,340.21	7,618.20
		ज.जा.उ.यो.	583.64	..	583.64	..	583.64	..	583.64	..	453.00	596.41	1,049.41
		अ.जा.उ.यो.	761.14	..	761.14	..	761.14	..	761.14	..	718.00	790.83	1,508.83
भीनमाल तहसील तथा भीनमाल कस्बे के 256 गांवो के लिए ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)		सामान्य	724.65	1,002.04	1,726.69	..	724.65	1,002.04	1,726.69	..	..	43.65	43.65
		ज.जा.उ.यो.	228.01	179.98	407.99	..	228.01	179.98	407.99	..	..	8.24	8.24
		अ.जा.उ.यो.	362.67	244.97	607.64	..	362.67	244.97	607.64	..	..	11.39	11.39

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
									(₹ लाख में)				
अन्ता-मांगरोल तहसील जिला बांरा की सोनवा जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)		सामान्य	373.99	999.97	1,373.96	..	373.99	999.97	1,373.96	..	..	1,362.42	1,362.42
		ज.जा.उ.यो.	46.68	189.58	236.26	..	46.02	189.58	235.60	..	..	106.85	106.85
		अ.जा.उ.यो.	102.27	260.45	362.72	..	102.27	260.45	362.72	..	..	123.53	123.53
इसरदा दौसा जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)		सामान्य	1,221.00	1,717.49	2,938.49	..	1,221.00	1,717.49	2,938.49	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	338.00	337.50	675.50	..	338.00	337.50	675.50	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	441.00	445.00	886.00	..	441.00	445.00	886.00	..	..	..	..
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत जनजातीय लडके तथा लडकियों के लिए कोचिंग		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	1,000.00	..	1,000.00
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत आरडब्ल्यूएसएस सोजत की 10 ग्राम पचायते तहसील जिला पाली आइजीएनपी से दांतीवाडा जोधपुर में जल वितरण		सामान्य	..	966.26	966.26	..	..	966.26	966.26	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	..	181.80	181.80	..	..	181.80	181.80	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	..	251.94	251.94	..	..	251.94	251.94	..	..	..	..
चम्बल भीलवाडा जलपूर्ति परियोजना फेज- I (ग्रामीण) से बूंदी जिले के लिए हिन्डोली-नैनवा जलपूति परियोजना के लिए बूंदी से भीलवाडा जलपूर्ति जिला परियोजना चरण-I (ग्रामीण) जिला बूंदी परियोजना चरण-I (ग्रामीण)		सामान्य	1,221.00	5,176.38	6,397.38	..	1,221.00	5,176.38	6,397.38	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	338.00	973.93	1,311.93	..	338.00	973.93	1,311.93	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	441.00	1,349.69	1,790.69	..	441.00	1,349.69	1,790.69	..	..	..	..
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत प्रधानमंत्री कुसुम योजना		ज.जा.उ.यो.	500.00	..	500.00	..	500.00	..	500.00	..	800.00	..	800.00
एसडीआरएफ योजना के अलावा अन्य योजनाएं प्राकृतिक आपदाएं के कारण राहत		सामान्य	..	3,640.40	3,640.40	..	..	3,640.40	3,640.40	..	..	..	..
समग्र शिक्षा स्टार परियोजना		सामान्य	4,263.00	2,842.00	7,105.00	..	4,263.00	2,842.00	7,105.00	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	878.00	585.00	1,463.00	..	878.00	585.00	1,463.00	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	1,301.37	867.58	2,168.95	..	1,301.37	867.58	2,168.95	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(क्रमश:)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- *(समाप्त)*

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2021-22			वास्तविक 2021-22				वास्तविक 2020-21			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
					(₹ लाख में)								
जिला बीकानेर तहसील नोका की	सामान्य	..	1,167.90	1,167.90	..	..	1,167.90	1,167.90	..	..	..	..
की आर डब्ल्यू एस एस	ज.जा.उ.यो.	..	229.50	229.50	..	..	229.50	229.50	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	..	302.60	302.60	..	..	302.60	302.60	..	..	..	..
बाड़मेर लिफ्ट परियोजना,	सामान्य	..	309.11	309.11	..	..	309.11	309.11	..	..	..	..
फेज–।।, पार्ट–ए	ज.जा.उ.यो.	..	60.66	60.66	..	..	60.66	60.66	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	..	80.23	80.23	..	..	80.23	80.23	..	..	..	..
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अन्य विविध जनजातीय विकास कार्यक्रम	ज.जा.उ.यो.	1,860.45	..	1,860.45	..	1,860.45	..	1,860.45	..	..	..	..
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत विविध आधारभूत जनजातीय विकास कार्यक्रम	ज.जा.उ.यो.	797.31	..	797.31	..	797.31	..	797.31	..	..	..	..
राज्य आपदा मिटिगेशन निधि	सामान्य	29,620.00	9,880.00	39,500.00	..	29,620.00	9,880.00	39,500.00	..	..	..	..
अन्य योजनाएं जहां प्रावधान	सामान्य	724.52	917.77	1,642.29	28.15	724.41	909.22	1,633.63	..	1,064.88	1,141.63	2,206.51
और व्यय एक करोड़ से कम है	ज.जा.उ.यो.	233.56	102.23	335.79	..	233.56	102.23	335.79	..	502.68	56.79	559.47
	अ.जा.उ.यो.	3.86	127.32	131.18	..	3.86	127.32	131.18	..	8.40	93.25	101.65
कुल योग		**24,08,849.76**	**33,71,149.18**	**57,79,998.94**	**13,66,325.45**	**24,51,958.03**	**33,76,607.35**	**58,28,565.38** @	**13,05,647.62**	**19,08,042.70**	**27,85,842.72**	**46,93,885.42**

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (–) 0.03 लाख का अन्तर है ।

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं *

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.#	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
राजस्थान निवेश संवर्धन नीति	सामान्य	39,786.33	39,491.66	72,858.16	78,642.38	72,865.54	78,642.38
मुख्यालय तथा लोक निर्माण विभाग के खण्डों का कम्पयूटरीकरण	सामान्य	68.69	34.34	17.13	31.51	17.13	31.51
	ज.जा.उ.यो.	13.48	6.74	3.32	6.74	3.32	6.74
	अ.जा.उ.यो.	17.83	8.92	4.27	4.68	4.27	4.68
लोक कार्य–राजस्व भवन	सामान्य	1,433.19	1,656.12	1,723.05	1,517.72	1,712.45	1,496.09
	ज.जा.उ.यो.	173.45	312.17	179.25	152.61	179.25	152.61
	अ.जा.उ.यो.	278.41	380.81	308.52	219.24	302.78	215.78
लोक कार्य–सचिवालय में निर्माण	सामान्य	270.99	405.81	194.51	173.62	194.51	173.62
प्राथमिक शिक्षा– निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	60.20	125.77	23.52	29.78	23.43	29.28
लड़कों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय	सामान्य	415.06	20,702.02	449.51	5,423.22	449.51	5,422.90
	ज.जा.उ.यो.	0.03	250.00	..	60.07	..	60.07
	अ.जा.उ.यो.	107.60	107.60	116.00	106.86	116.00	106.86
लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय	सामान्य	0.02	3,000.21	..	917.62	..	917.62
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	..	..	..
प्राथमिक शिक्षा–निरीक्षण	सामान्य	533.01	533.50	121.66	487.45	121.66	487.45
जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के माध्यम से आश्रम छात्रावासों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	9,076.35	7,794.64	9,675.75	7,628.69	9,640.39	7,594.31
प्राथमिक शिक्षा–मदरसा बोर्ड	सामान्य	205.00	203.00	205.00	181.00	205.00	181.00
विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा– निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	81.80	64.80	210.11	74.29	210.11	74.29
उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को सहायता, रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर	सामान्य	628.00	341.17	428.00	36.53	428.00	36.53

* परियोजनाओं में ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक का राज्य निधि/योजनागत परिव्यय अथवा बजट आवंटन अथवा व्यय को सम्मिलित किया गया है।

\# इस परिशिष्ट में प्रयुक्त निम्न संक्षिप्त रूपों का पूर्ण विवरण इस प्रकार है:– 1. ज.जा.उ.यो. – जनजाति उप–योजना 2. अ.जा.उ.यो. – अनुसूचित जाति उप–योजना ।

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
लड़कों के राजकीय महाविद्यालय	सामान्य	9,628.20	8,560.20	10,138.83	8,566.07	10,138.85	8,564.21
	ज.जा.उ.यो.	1,576.58	1,333.15	1,439.29	1,414.48	1,439.29	1,412.33
	अ.जा.उ.यो.	1,787.55	1,292.60	2,126.37	1,765.36	2,126.37	1,764.13
लड़कियों के राजकीय महाविद्यालय	सामान्य	3,734.60	3,806.66	3,815.62	3,291.19	3,815.62	3,290.72
विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा– छात्रवृत्ति	सामान्य	1.00	1.00	530.26	0.85	530.26	0.85
प्रौढ़ शिक्षा–सतत शिक्षा कार्यक्रम	सामान्य	267.74	184.54	139.78	116.12	139.78	116.13
	ज.जा.उ.यो.	26.81	16.92	14.11	12.93	14.11	12.93
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	..	..	..
आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य को बढावा देना –राजस्थान साहित्य अकादमी को अनुदान, उदयपुर	सामान्य	157.00	70.00	130.80	6.09	130.80	6.09
भाषा विकास (संस्कृत शिक्षा)	सामान्य	8,049.95	7,089.95	8,684.16	6,620.33	8,683.66	6,624.13
संस्कृत विद्यालय	ज.जा.उ.यो.	1,302.15	782.15	1,257.82	835.09	1,257.82	835.09
	अ.जा.उ.यो.	2,003.45	1,703.45	1,686.72	1,391.76	1,686.72	1,391.76
भाषा विकास (संस्कृत शिक्षा)- राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर को अनुदान	सामान्य	136.01	90.00	151.40	75.00	151.40	75.00
भाषा विकास– भारतीय भाषाओं में साहित्य रचनात्मक के लिए हिन्दी ग्रंथ अकादमी,जयपुर	सामान्य	237.00	4.00	242.00	2.00	242.00	2.00
माध्यमिक शिक्षा -	सामान्य	510.80	200.00	30.70	41.24	30.70	39.56
माध्यमिक विद्यालय भवन	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	..	..	..
विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा–	सामान्य	5,000.00	1,504.88	4,419.78	4,587.25	4,419.77	4,592.13
उच्च शिक्षा भवन	अ.जा.उ.यो.	500.00	417.83	458.24	1,416.29	458.24	1,416.28
युवा तथा खेलकूद सेवाएं–	सामान्य	7,637.50	286.72	2,906.65	120.00	2,906.65	120.00
जिला खेलकूद परिसर	ज.जा.उ.यो.	3,055.00	354.49	650.00	30.00	650.00	30.00
	अ.जा.उ.यो.	4,582.50	358.76	794.00	..	794.00	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
कला एवं संस्कृति–मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक का आधुनिकीकरण, नवीनीकरण तथा उन्नयन	सामान्य	197.79	173.74	207.59	202.84	207.59	202.84
विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम	सामान्य	5,880.00	1,000.00	7,009.61	763.59	7,009.61	763.59
छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम राजस्थान राज्य भारत स्काउट तथा गाइड्स को अनुदान	सामान्य	1,242.01	240.03	1,206.58	137.25	1,206.58	137.25
	ज.जा.उ.यो.	37.00	22.47	37.00	..	37.00	..
	अ.जा.उ.यो.	67.00	37.50	67.00	22.74	67.00	22.74
खेलकूद तथा युवा सेवाएं - राजस्थान खेलकूद परिषद को अनुदान	सामान्य	2,990.00	1,373.80	4,350.72	400.00	4,350.72	400.00
	ज.जा.उ.यो.	176.00	269.60	430.19	160.00	430.19	160.00
	अ.जा.उ.यो.	264.00	356.60	537.65	240.00	537.65	240.00
कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन – भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर को अनुदान	सामान्य	166.00	25.00	188.50	14.00	188.50	14.00
कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन - राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर को अनुदान	सामान्य	153.01	45.01	173.19	74.94	173.19	74.94
कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन - राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर को अनुदान	सामान्य	560.00	145.01	145.00	35.00	145.00	35.00
कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन - जयपुर कत्थक केन्द्र को अनुदान	सामान्य	205.01	29.01	146.25	1.06	146.25	1.06
कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन - जवाहर कला केन्द्र को अनुदान	सामान्य	853.50	675.00	389.48	215.00	389.48	215.00
कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन - स्वायत्तशासी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता	सामान्य	150.00	190.00	100.00	28.56	100.00	28.56
अनुसूचित जातियों का कल्याण- अम्बेड़कर पीठ	अ.जा.उ.यो.	220.00	238.00	116.00	142.06	116.00	142.06
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास	ज.जा.उ.यो.	100.00	100.00	119.21	99.97	119.21	99.56
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं,(आयुर्वेद) - निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	1,171.60	818.87	780.09	718.48	780.06	718.10

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (आयुर्वेद) -	सामान्य	1,796.90	1,877.39	2,172.07	1,579.72	2,166.79	1,578.91
अस्पताल तथा औषधालय	अ.जा.उ.यो.	234.43	244.43	170.69	165.32	170.67	164.34
आयुर्वेदिक शिक्षा–आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर	सामान्य	262.11	435.78	104.69	39.98	104.69	36.20
	ज.जा.उ.यो.	22.50	22.50	22.24	18.93	22.25	18.93
	अ.जा.उ.यो.	10.00	12.00	10.05	8.00	10.06	8.00
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (होम्योपैथी)-	सामान्य	745.45	736.05	743.56	661.97	743.56	661.97
अस्पताल तथा औषधालय	अ.जा.उ.यो.	302.30	302.30	288.37	262.86	288.37	262.85
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - (यूनानी)	सामान्य	926.27	861.02	886.83	791.38	886.83	787.71
अस्पताल तथा औषधालय	अ.जा.उ.यो.	80.95	82.00	75.09	56.46	75.08	56.09
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी)–स्वास्थ्य उप केन्द्रों के लिए ब्लॉक पंचायतों/मध्यम स्तर पंचायतों को सहायता	ज.जा.उ.यो.	4,518.40	4,919.68	4,116.74	3,688.27	4,115.10	3,688.80
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी)– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ब्लॉक पंचायतों/मध्यम स्तर पंचायतों को सहायता	ज.जा.उ.यो.	7,588.60	7,572.81	6,339.39	5,667.30	6,335.97	5,668.76
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी)–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	ज.जा.उ.यो.	6,117.30	4,715.13	4,946.63	3,595.53	4,945.65	3,594.56
महाविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा–चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	सामान्य	9,205.82	6,722.03	8,563.99	6,590.40	8,563.31	6,587.69
	ज.जा.उ.यो.	202.00	167.00	193.89	167.47	193.89	167.47
	अ.जा.उ.यो.	10,032.01	9,036.01	9,177.21	8,938.70	9,177.22	8,938.69
चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर के माध्यम से नि:शुल्क दवा योजना	सामान्य	2,040.00	2,035.00	2,247.92	2,032.51	2,247.92	2,031.92
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को अनुदान	सामान्य	..	4,260.01	..	..	..	..
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (आयुर्वेदिक सहित फार्मेसी)– केन्द्र और पंचगव्य रसायनशाला पंचकर्म का निमार्ण	सामान्य	295.00	43.20	45.83	..	45.83	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- नर्स/कम्पाउन्डर	सामान्य	119.69	199.90	180.00	..	180.00	..
आयुर्वेद प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर का सुधार	ज.जा.उ.यो.	118.01	29.66	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	176.72	88.36	..	..	..	..
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन	अ.जा.उ.यो.	5,613.00	622.00	170.46	117.03	170.46	117.03
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन	सामान्य	0.01	242.61	37.28	179.34	36.80	179.34
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - मेडिकल महाविद्यालय, जयपुर में अन्य व्यय	सामान्य	963.03	1,620.01	841.21	1,165.62	841.20	1,165.62
जलपूर्ति के लिए प्रशिक्षण– अधीनस्थ अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान	सामान्य	197.95	202.94	191.49	164.45	191.49	164.45
पाइप लाईन के माध्यम से ग्रामीण जलपूर्ति योजनाए	सामान्य	11,883.28	10,700.70	10,635.02	..	10,635.02	10,641.40
ग्रामीण जलपूर्ति योजना - मशीनरी, फिल्टर संयंत्रों तथा मुख्य कार्यों का आधुनिकीकरण, कायाकल्प तथा पुर्नजीवीकरण, फिल्टर संयंत्रों के लिए उपकरणों की खरीद सहित	सामान्य	15.00	164.50	13.66	5.00	13.66	5.00
ग्रामीण जलपूर्ति योजना - ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता	सामान्य	8,174.00	8,481.00	11,217.81	9,064.61	11,217.16	9,033.68
ग्रामीण जलपूर्ति योजना - पम्प तथा मोटर को बदलना	सामान्य	500.00	1,034.00	564.98	941.41	564.92	941.30
पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और ग्रामीण क्षोत्रो में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाओं के लिए	सामान्य	1,200.00	2,068.00	599.93	847.67	599.73	839.51
चम्बल–सवाई माधोपुर–बालेर	सामान्य	1,717.50	20.00	806.22	..	806.22	..
जलपूर्ति परियोजना (शहरी)	ज.जा.उ.यो.	337.50	4.00	165.00	..	165.00	..
	अ.जा.उ.यो.	445.00	6.00	222.50	..	222.50	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
चूरू तथा झुंझुनू जलपूर्ति परियोजना (आपणी योजना फेज–II) (शहरी)	सामान्य	274.80	240.00	253.51	129.24	253.51	129.24
	ज.जा.उ.यो.	54.00	48.00	47.09	37.59	47.09	37.59
	अ.जा.उ.यो.	71.20	62.00	30.07	48.57	30.07	48.57
जनता जल योजना(ग्रामीण)	सामान्य	650.00	5,640.00	381.88	1,359.27	380.45	1,348.97
ग्रामीण जलपूर्ति योजना – सलाहकारों के माध्यम से परियोजनाओं की तैयारी	सामान्य	50.00	24.00	12.50	163.92	12.50	163.92
नागौर लिफ्ट नहर जलपूर्ति परियोजना फेज–1 (शहरी)	सामान्य	1,000.00	2,500.00	250.11	2,519.49	250.11	2,519.49
आवासीय– सामान्य पूल आवास	सामान्य	879.41	700.00	728.97	917.89	727.89	917.89
शहरी विकास–राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानीय निकायों को अनुदान	सामान्य	68,690.00	83,250.21	87,397.09	1,18,188.90	87,397.09	1,18,188.90
	ज.जा.उ.यो.	13,480.00	16,337.36	17,151.16	23,193.87	17,151.16	23,193.87
	अ.जा.उ.यो.	17,830.00	21,609.43	22,685.85	30,678.51	22,685.85	30,678.51
शहरी जन सहभागिता योजना	सामान्य	343.45	687.00	446.48	45.28	446.48	45.28
	ज.जा.उ.यो.	67.40	135.00	87.62	8.89	87.62	8.89
	अ.जा.उ.यो.	89.15	178.00	115.90	11.75	115.90	11.75
शहरी नवीनीकरण – सड़क और नालिया	सामान्य	3,091.05	3,091.05	486.57	2,347.16	486.57	2,347.16
	ज.जा.उ.यो.	606.60	606.60	95.49	460.62	95.49	460.61
	अ.जा.उ.यो.	802.35	802.35	126.30	609.26	126.30	609.26
सूचना तथा प्रचार- सूचना केन्द्र तथा कार्यालय भवन	सामान्य	134.64	62.18	..	33.29	..	25.64
	ज.जा.उ.यो.	120.98	31.34	68.85	30.94	68.85	30.95
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	..	..	..
छात्रावासों का रखरखाव	सामान्य	11,872.13	10,697.02	9,170.86	7,270.22	9,132.04	7,270.21
सम्बल ग्राम का विकास	अ.जा.उ.यो.	200.00	200.00	193.00	..	193.00	..
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का कल्याण– राजस्थान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को सहायता (आर एस एफ डी सी सी)	अ.जा.उ.यो.	1,000.00	1,000.00	2,550.00	1,000.00	2,550.00	1,000.00

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यको का कल्याण- पालनहार योजना	सामान्य	35,000.00	16,800.00	32,984.79	34,597.31	32,875.36	34,599.78
	ज.जा.उ.यो.	8,000.00	3,200.00	8,175.29	8,385.66	8,123.08	8,401.22
	अ.जा.उ.यो.	12,000.00	6,000.00	13,793.39	13,582.34	13,754.80	13,582.26
अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यको का कल्याण- अनुप्रति योजना	सामान्य	20.00	20.00	92.56	0.93	92.56	0.93
	ज.जा.उ.यो.	130.00	130.00	91.90	20.65	90.10	20.65
	अ.जा.उ.यो.	100.00	100.00	117.05	11.20	117.05	11.20
अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यको का कल्याण- सहयोग योजना	सामान्य	1,400.00	800.00	2,199.12	1,595.74	2,195.44	1,595.76
	ज.जा.उ.यो.	500.00	300.00	1,084.74	544.52	1,081.07	548.89
	अ.जा.उ.यो.	700.00	400.00	1,499.94	842.73	1,496.55	842.33
अल्पसंख्यकों का कल्याण- राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को अनुदान (आर एम एफ डी सी सी)	सामान्य	220.00	215.00	3,169.23	170.31	3,169.23	170.31
अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण - गाड़िया लुहार के लिए एकीकृत परियोजना	सामान्य	200.00	150.00	112.10	199.35	109.10	199.35
रोजगार सेवाएं -रोजगार मेला	सामान्य	112.00	100.00	24.24	12.00	24.24	12.00
	ज.जा.उ.यो.	20.00	26.00	3.17	1.27	3.17	1.27
	अ.जा.उ.यो.	30.00	36.00	3.86	3.00	3.86	3.00
सामाजिक सुरक्षा -विश्वास योजना	सामान्य	100.00	100.00	1,967.09	97.71	1,967.09	97.71
	ज.जा.उ.यो.	20.00	25.00	20.00	14.83	20.00	14.83
बाल कल्याण- बाल कल्याण योजनाओं का विस्तार	सामान्य	65.00	65.00	119.00	65.00	119.00	65.00
महिला कल्याण -महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान	सामान्य	103.00	156.60	99.78	49.89	99.51	52.87
पोषण - महिला कल्याण कोष	सामान्य	539.47	751.18	450.62	462.11	444.22	451.12
	ज.जा.उ.यो.	80.70	110.53	70.58	74.07	69.65	71.69
सामाजिक कल्याण-विकलांगों के विवाह हेतु कैम्प	सामान्य	130.00	130.00	148.75	130.00	147.75	129.50
	ज.जा.उ.यो.	15.00	15.00	1.00	13.50	1.00	13.50

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
सामाजिक कल्याण– चरवाहों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय	सामान्य	582.50	435.51	612.84	429.79	612.83	429.80
सामाजिक कल्याण - अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ घूमंतु जनजातियों के बच्चों की पढाई हेतु एकल एवं संयुक्त छात्रावास	सामान्य	110.00	110.00	18.65	42.92	18.65	42.92
सामाजिक कल्याण - रेबारी एवं अन्य प्रवासी समुदाय के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय भवन	सामान्य	300.00	266.68	160.00	237.97	160.00	237.96
रोजगार–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई)	सामान्य	7,500.00	5,866.00	10,305.08	6,235.66	10,305.09	6,235.65
	ज.जा.उ.यो.	350.00	350.00	89.25	..	89.25	..
	अ.जा.उ.यो.	550.00	550.00	188.28	1.15	188.28	1.15
तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं का निर्माण	सामान्य	322.00	235.64	266.63	77.65	266.63	77.66
	ज.जा.उ.यो.	25.01	25.01	24.90	..	24.90	..
बीज विकास	सामान्य	432.70	465.00	358.16	158.04	358.15	158.03
	ज.जा.उ.यो.	90.00	90.00	87.06	27.03	87.06	27.03
	अ.जा.उ.यो.	110.00	110.00	102.82	32.43	102.82	32.43
जिला स्तरीय कृषि योजनाएं- कृषि विस्तार सेवाएं	सामान्य	127.20	202.20	121.43	23.61	121.43	23.60
	ज.जा.उ.यो.	17.20	27.70	16.71	4.80	16.71	4.80
	अ.जा.उ.यो.	21.10	36.60	19.50	4.50	19.49	4.51
किसान प्रशिक्षण कृषि सूचना	सामान्य	949.00	822.02	592.91	809.51	592.90	809.51
	ज.जा.उ.यो.	169.50	153.01	119.52	152.88	119.51	152.87
	अ.जा.उ.यो.	305.50	208.01	158.67	207.41	158.67	207.41
जिला स्तरीय कृषि योजनाएं- कृषि प्रदर्शनी	सामान्य	70.00	252.00	20.95	18.55	20.95	18.55
	ज.जा.उ.यो.	13.00	32.00	8.67	10.05	8.67	10.05
	अ.जा.उ.यो.	17.00	66.00	8.37	1.50	8.37	1.50
किसान प्रशिक्षण–प्रोत्साहन कार्यक्रम	सामान्य	342.73	350.25	143.11	193.74	143.12	193.73
	ज.जा.उ.यो.	93.33	159.00	24.47	64.78	24.47	64.78
	अ.जा.उ.यो.	108.04	148.00	30.88	62.63	30.87	62.64

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
बागवानी का विकास	सामान्य	1,666.07	1,599.73	1,662.81	1,576.49	1,662.73	1,576.48
	ज.जा.उ.यो.	145.62	170.62	119.30	132.82	119.30	132.83
	अ.जा.उ.यो.	1.00	1.00	0.78	0.70	0.78	0.70
कृषि विकास–जल प्रबंधन	सामान्य	0.01	7,169.58	..	6,409.40	..	6,409.40
	ज.जा.उ.यो.	0.01	715.33	..	367.29	..	367.29
	अ.जा.उ.यो.	0.01	1,746.08	..	390.82	..	389.82
बागवानी विकास– बागवानी भवन का नवीनीकरण	सामान्य	113.13	31.99	113.13	16.98	113.13	16.98
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	..	..	..
मृदा संरक्षण–स्थापना व्यय	सामान्य	2,725.16	3,060.02	2,727.85	3,172.56	2,727.90	3,172.56
पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य–	सामान्य	16,703.18	11,207.99	15,244.97	14,258.89	15,243.98	14,252.78
पशु चिकित्सालय एवं औषधालय	ज.जा.उ.यो.	1,936.97	2,670.81	1,675.43	1,579.52	1,675.42	1,579.47
	अ.जा.उ.यो.	6,053.35	3,555.60	5,160.01	4,881.22	5,159.80	4,880.62
परिभाषित वनों का पुर्नवास	सामान्य	6,680.58	935.10	7,192.36	957.18	7,170.98	951.23
	ज.जा.उ.यो.	1,630.23	1,106.97	1,746.16	1,117.52	1,739.46	1,117.33
	अ.जा.उ.यो.	1,866.02	566.71	2,028.44	606.67	2,027.10	606.57
परिस्थितिक पर्यटन गतिविधियो	सामान्य	259.76	241.82	287.29	211.41	261.24	211.89
सहित जैव विविधता संरक्षण	ज.जा.उ.यो.	5.00	5.00	3.92	5.17	3.92	5.18
फार्म वानिकी	सामान्य	450.61	355.41	3,062.36	323.84	3,049.18	325.26
घना पक्षी अभ्यारण का विकास	सामान्य	0.01	0.01	..	..	..	..
(गोवर्धन ड्रेन)	अ.जा.उ.यो.	170.00	110.00	210.00	169.98	210.00	169.98
वानिकी संचार तथा भवन का आधुनिकीकरण, कायाकल्प, नवीनीकरण और उन्नयन	सामान्य	125.01	140.00	127.19	215.75	124.79	217.64
भाखड़ा नांगल नहर पौधारोपण	सामान्य	522.18	522.18	546.36	426.71	541.82	426.60
गंग नहर पौधारोपण	सामान्य	153.51	153.51	153.44	150.52	153.44	150.46
पर्यावरणीय वानिकी	सामान्य	275.00	275.00	464.02	247.74	460.85	247.69

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
कृषि अनुसंधान - स्वामी केशवानन्द राजस्थान	सामान्य	663.30	650.55	663.30	398.50	663.30	398.50
कृषि विश्वविद्यालय,बीकानेर को सहायतार्थ अनुदान	ज.जा.उ.यो.	0.03	0.03	..	..	..	..
कृषि अनुसंधान - महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी	सामान्य	920.00	928.19	917.50	928.00	917.50	928.00
विश्वविद्यालय, उदयपुर को सहायतार्थ अनुदान	ज.जा.उ.यो.	361.00	360.95	361.00	361.00	361.00	361.00
	अ.जा.उ.यो.	213.00	194.37	213.00	194.00	213.00	194.00
प्रकाशन तथा प्रचार	सामान्य	125.00	125.00	100.29	111.28	100.29	111.28
सहकारिता - सहकारी साख संस्थाओं को ब्याज	सामान्य	26,100.00	37,800.00	28,549.34	38,800.00	28,549.34	38,800.00
सहाय्य	ज.जा.उ.यो.	4,900.00	7,000.00	4,494.11	7,125.00	4,494.11	7,125.00
	अ.जा.उ.यो.	6,300.00	9,200.00	4,911.93	9,400.00	4,911.93	9,400.00
सहकारी समितियों के अच्छे ऋण धारकों को	सामान्य	0.01	0.01	46,201.00	..	46,201.00	..
ब्याज सहाय्य	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	6,439.00	..	6,439.00	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01	6,491.00	..	6,491.00	..
जिला परिषद एवं पंचायत समिति भवन का	सामान्य	2,01,527.00	1,74,713.20	3,00,495.82	1,73,945.33	3,00,493.92	1,73,945.33
आधुनिकीकरण	ज.जा.उ.यो.	39,717.00	19,177.05	68,506.56	34,265.30	68,506.19	34,265.30
	अ.जा.उ.यो.	52,956.00	32,902.75	78,964.26	45,732.41	78,963.77	45,732.41
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	सामान्य	30,600.00	30,600.00	68,000.00	14,994.00	68,000.00	14,994.00
	ज.जा.उ.यो.	6,300.00	6,300.00	14,000.00	3,087.00	14,000.00	3,087.00
	अ.जा.उ.यो.	8,100.00	8,100.00	18,000.00	3,969.00	18,000.00	3,969.00
ग्रामीण विकास कार्यक्रम - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों	सामान्य	..	239.75	50.00	239.75	50.00	239.75
के तहत पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	ज.जा.उ.यो.	..	47.25	..	47.25	..	47.25
	अ.जा.उ.यो.	..	63.00	..	63.00	..	63.00
विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम –मेवात क्षेत्र विकास	सामान्य	177.11	464.00	566.60	130.00	566.60	130.00
	ज.जा.उ.यो.	30.00	105.00	119.00	30.00	119.00	30.00
	अ.जा.उ.यो.	40.00	130.00	153.00	40.00	153.00	40.00
विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम –	सामान्य	213.01	464.99	204.93	51.72	204.92	51.71
डांग क्षेत्र का विकास	ज.जा.उ.यो.	30.00	105.00	44.00	..	44.00	..
	अ.जा.उ.यो.	40.00	130.00	57.00	..	57.00	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम –	सामान्य	159.32	330.00	810.64	226.78	810.64	226.78
मगरा क्षेत्र का विकास	ज.जा.उ.यो.	21.00	75.00	168.00	45.00	168.00	45.00
	अ.जा.उ.यो.	27.00	95.00	216.00	55.00	216.00	55.00
सिंचाई - भाखड़ा नांगल परियोजना	सामान्य	178.90	148.90	77.77	129.77	78.93	133.13
सिंचाई - इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर–द्वितीय स्टेज	सामान्य	5,524.38	5,442.42	5,277.67	5,443.42	5,069.84	5,466.44
	अ.जा.उ.यो.	109.13	163.00	93.74	133.04	93.74	131.67
सिंचाई - रतनपुरा वितरिका	सामान्य	148.00	140.00	105.68	133.47	105.68	133.47
सिंचाई– माही परियोजना	ज.जा.उ.यो.	600.00	1,500.06	620.40	1,949.01	562.15	1,949.01
सिंचाई - बीसलपुर परियोजना	सामान्य	328.00	356.70	328.25	410.13	352.54	409.52
	अ.जा.उ.यो.	72.00	78.30	71.14	90.23	73.98	100.88
सिंचाई - परवन परियोजना	सामान्य	59,885.00	58,888.00	56,779.51	69,800.57	56,287.61	68,227.00
	ज.जा.उ.यो.	10,688.00	11,624.00	12,213.03	8,116.30	12,213.03	8,116.17
	अ.जा.उ.यो.	17,927.00	16,088.00	8,449.86	13,127.90	8,262.78	12,931.37
सिंचाई - धौलपुर लिफ्ट परियोजना	सामान्य	13,600.00	22,100.00	11,960.46	3,325.76	11,701.35	3,349.98
	ज.जा.उ.यो.	2,800.00	3,961.68	1,671.56	699.98	1,671.56	699.98
	अ.जा.उ.यो.	3,600.00	6,438.32	2,546.21	880.34	2,491.05	886.75
सिंचाई सर्वेक्षण	सामान्य	2,345.27	2,425.02	2,094.13	2021.98	2,074.96	2,019.25
	अ.जा.उ.यो.	300.00	596.59	..	..	..	..
सिंचाई सोम कमला अम्बा परियोजना	ज.जा.उ.यो.	1,000.00	937.07	804.26	..	803.11	..
सिंचाई -मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण/	सामान्य	2,720.00	2,380.00	2,542.86	1,194.56	2,358.61	1,199.37
पुर्नजीविकरण उन्यन/पुनरूद्धार	ज.जा.उ.यो.	560.00	518.00	532.83	247.43	510.11	247.03
	अ.जा.उ.यो.	720.00	630.00	626.21	316.88	607.05	319.19
सिंचाई - गरदडा परियोजना (नाबार्ड)	सामान्य	2,380.00	2,720.00	1,109.66	2,072.10	1,088.66	2,085.52
	ज.जा.उ.यो.	490.00	560.00	59.80	367.21	59.80	367.21
	अ.जा.उ.यो.	630.00	720.00	95.97	438.91	95.28	440.18
सिंचाई - तकली परियोजना (नाबार्ड)	सामान्य	1,360.00	2,718.99	457.40	1,329.54	447.50	1,339.21
	ज.जा.उ.यो.	280.00	560.00	70.00	275.58	70.00	275.58
	अ.जा.उ.यो.	360.00	720.00	92.26	352.14	90.26	354.70

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
सिंचाई - ल्हासी परियोजना (नाबार्ड)	सामान्य	680.00	476.00	195.11	466.94	190.55	470.33
	ज.जा.उ.यो.	140.00	98.00	35.00	97.85	35.00	97.85
	अ.जा.उ.यो.	180.00	126.00	45.71	123.52	44.71	120.79
सिंचाई - राजगढ़ परियोजना	सामान्य	34.00	408.00	630.46	1,460.12	571.58	1,470.75
	ज.जा.उ.यो.	7.00	84.00	5.22	209.62	5.22	209.62
	अ.जा.उ.यो.	9.00	108.00	193.24	422.06	112.52	425.13
सिंचाई - गागरिन परियोजना (नाबार्ड)	सामान्य	1,700.00	3,060.00	2,302.03	864.69	2,252.16	870.99
	ज.जा.उ.यो.	350.00	630.00	303.50	181.92	303.50	181.92
	अ.जा.उ.यो.	450.00	810.00	505.53	228.90	494.58	230.56
सिंचाई - हथिया देय परियोजना	सामान्य	3,060.00	2,723.37	3,353.13	11,356.30	3,349.06	11,359.45
	ज.जा.उ.यो.	630.00	560.69	341.91	52.03	341.91	52.03
	अ.जा.उ.यो.	810.00	720.89	730.91	587.74	714.62	591.06
सिंचाई - चम्बल लिफ्ट सिंचाई योजना	सामान्य	34.00	34.00	96.74	49.94	92.37	50.30
	ज.जा.उ.यो.	7.00	7.00	17.77	10.52	17.77	10.50
	अ.जा.उ.यो.	9.00	9.00	23.42	13.26	18.03	13.35
सिंचाई - लघु सिंचाई निर्माण कार्य (नाबार्ड)	सामान्य	7,380.00	9,577.24	16,970.94	10,126.12	16,512.19	9689.42
	ज.जा.उ.यो.	4,206.43	6,600.00	3,697.87	5,648.58	3,616.87	5,637.36
	अ.जा.उ.यो.	1,620.00	3,321.76	4,484.19	3,329.38	4,175.93	3,351.11
सिंचाई - लघु सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण/ विस्तार/पुनरूद्धार	सामान्य	1,645.06	1,360.00	985.36	1,566.87	943.97	1,577.20
	ज.जा.उ.यो.	338.68	280.00	284.42	281.54	262.44	281.45
	अ.जा.उ.यो.	435.46	360.00	281.82	343.75	243.31	345.04
लघु सिंचाई–भूजल विभाग द्वारा निष्पादित कार्य	सामान्य	199.99	199.65	83.08	40.65	83.07	40.65
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.35	..	0.35	..	0.35
सिंचाई - जल संरक्षण ढाँचा (नाबार्ड)	सामान्य	1,438.00	3,332.00	2,247.21	1,839.95	2,205.25	1,844.29
	ज.जा.उ.यो.	1,350.00	686.00	1,656.20	330.74	1,521.44	330.73
	अ.जा.उ.यो.	612.00	882.00	619.70	342.61	560.88	345.11
बाढ. नियंत्रक परियोजनाएं–घग्घर बाढ़ नियंत्रण कार्य	सामान्य	207.16	214.00	155.65	506.84	155.02	507.74
	अ.जा.उ.यो.	36.00	36.00	30.95	117.79	30.70	117.79

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
बाढ़ नियंत्रण- अन्य जिलों में कार्य	सामान्य	1,230.00	1,653.12	518.71	1,051.54	507.13	1,059.20
	अ.जा.उ.यो.	270.00	366.42	156.21	228.82	152.52	230.49
विद्युतीकरण-राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश	सामान्य	20,236.80	21,175.00	10,472.00	2,262.72	10,472.00	2,262.72
	ज.जा.उ.यो.	4,166.40	5,775.00	2,156.00	422.96	2,156.00	422.96
	अ.जा.उ.यो.	5,356.80	11,550.00	2,772.00	642.32	2,772.00	642.32
वद्युतीकरण-राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में निवेश	सामान्य	13,600.00	15,125.00	6,800.00	..	6,800.00	..
	ज.जा.उ.यो.	2,800.00	4,125.00	1,400.00	..	1,400.00	..
	अ.जा.उ.यो.	3,600.00	8,250.00	1,800.00	..	1,800.00	..
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा-जैविक ईंधन प्राधिकरण	सामान्य	72.77	109.81	19.15	19.67	19.14	19.66
	ज.जा.उ.यो.	10.00	8.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	15.00	25.00	..	..	..	..
लघु उद्योग - क्लस्टर विकास	सामान्य	99.97	119.99	65.00	66.91	65.00	66.91
	ज.जा.उ.यो.	0.03	30.01	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	50.00	40.00	34.95	25.00	34.95	25.00
खादी ग्रामोद्योग-राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान	सामान्य	315.00	226.00	450.00	226.00	450.00	226.00
	ज.जा.उ.यो.	100.00	88.00	150.00	88.00	150.00	88.00
	अ.जा.उ.यो.	100.00	75.00	150.00	75.00	150.00	75.00
उद्योग विकास- निदेशन एवं प्रवर्तन	सामान्य	15.60	15.00	111.90	34.66	111.90	34.66
उद्योग उत्पादकता - निवेश संवर्धन ब्यूरो (बी आई पी) को अनुदान	सामान्य	1,250.00	940.00	1,775.00	940.00	1,775.00	940.00
उद्योग उत्पादकता - ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण (रूडा) को अनुदान	सामान्य	140.00	174.00	82.00	94.00	82.00	94.00
	ज.जा.उ.यो.	15.00	21.00	8.00	11.00	8.00	11.00
	अ.जा.उ.यो.	20.00	30.00	10.00	15.00	10.00	15.00
खानों का विनियमन तथा विकास - गहन पूर्वेक्षण तथा खनिज सर्वेक्षण	सामान्य	2,101.51	2,033.28	1,865.95	1,615.64	1,864.03	1,615.64
	ज.जा.उ.यो.	351.14	331.21	299.35	294.00	299.35	294.00
	अ.जा.उ.यो.	406.64	342.17	349.67	351.14	349.67	350.20

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
राज्य राजमार्ग का विकास – सड़क निर्माण	सामान्य	2,847.29	9,118.14	6,010.65	11,089.99	6,010.65	11,089.99
	ज.जा.उ.यो.	558.76	1,789.38	1,353.93	2,194.62	1,353.93	2,194.62
	अ.जा.उ.यो.	739.08	2,366.81	1,722.92	2,843.29	1,722.92	2,843.29
राज्य राजमार्ग का विकास - भू अधिग्रहण	सामान्य	182.36	303.94	328.17	111.22	328.17	111.11
	ज.जा.उ.यो.	35.79	59.65	48.49	0.69	48.49	0.69
	अ.जा.उ.यो.	47.34	78.89	63.36	1.24	63.36	1.24
राज्य राजमार्ग का विकास - मुख्य जिला सड़कों की चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण तथा पुनरूद्धार	सामान्य	2,431.50	6,078.76	2,483.94	8,915.26	2,483.94	8,917.38
	ज.जा.उ.यो.	477.17	1,192.92	279.14	1,592.40	279.14	1,600.12
	अ.जा.उ.यो.	631.15	1,577.88	331.55	2,286.55	331.55	2,306.66
जिला सड़कों का विकास - ग्रामीण सड़कें	सामान्य	49,331.36	73,856.95	29,256.83	31,690.12	29,256.83	31,690.12
	ज.जा.उ.यो.	9,646.44	14,493.98	4,906.72	6,010.07	4,906.72	6,010.07
	अ.जा.उ.यो.	12,759.36	19,171.19	6,678.93	8,280.89	6,678.83	8,280.97
जिला सड़कों का विकास - शहरी सड़कें	सामान्य	291.11	303.94	1,175.46	198.49	1,175.46	198.49
	ज.जा.उ.यो.	57.13	59.65	209.88	39.77	209.88	39.76
	अ.जा.उ.यो.	75.57	78.89	273.88	49.01	273.88	49.01
हवाई पट्टियों का निर्माण	सामान्य	952.20	530.97	1,018.53	2,372.78	318.53	2,372.78
	ज.जा.उ.यो.	344.88	233.09	344.88	233.08	344.88	233.08
	अ.जा.उ.यो.	295.97	324.43	295.95	324.43	295.95	324.43
पर्यावरण शिक्षा तथा जागरूकता कार्यक्रम	सामान्य	334.02	125.00	194.01	140.43	193.44	140.43
	ज.जा.उ.यो.	3.00	3.00	5.38	6.94	5.38	6.94
राज्य आयोजना मशीनरी	सामान्य	160.05	96.80	177.64	82.24	177.64	82.23
उद्योग उत्पादकता – राजस्थान फाउन्डेशन	सामान्य	180.00	77.00	120.00	..	120.00	..
सर्वेक्षण और सांख्यिकी- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (मुख्यालय)	सामान्य	3,133.75	2,661.19	3,330.19	2,736.73	3,330.19	2,736.72
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी - आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय	सामान्य	4,125.48	3,979.02	3,680.98	3,157.51	3,680.98	3,157.48
	ज.जा.उ.यो.	642.52	462.52	637.33	537.59	637.32	537.58
	अ.जा.उ.यो.	675.50	608.50	599.32	552.59	599.33	552.58

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
सहकारिता– राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को ऋण	सामान्य	0.01	0.01	5,000.00	..	5,000.00	..
अल्पसंख्यकों का कल्याण - राजस्थान वक्फ बोर्ड को अनुदान	सामान्य	400.00	285.34	250.00	..	250.00	..
लोक निर्माण कार्य- सामान्य प्रशासनिक भवन	सामान्य	1,122.51	1,048.15	4,720.58	815.87	4,695.79	815.80
लोक निर्माण कार्य- जेल भवन	सामान्य	887.61	1,144.16	567.10	384.31	567.10	382.83
	ज.जा.उ.यो.	1,837.07	68.73	902.71	26.55	902.71	26.55
	अ.जा.उ.यो.	237.13	282.69	39.31	19.92	39.31	19.92
लोक निर्माण कार्य- अभियोजन भवन	सामान्य	204.12	210.76	52.66	192.88	51.90	192.87
लोक निर्माण कार्य- स्टाम्प एवं पंजीकरण भवन	सामान्य	322.44	530.97	162.10	140.09	162.10	135.18
लोक निर्माण कार्य- राज्य उत्पाद भवन	सामान्य	96.50	483.94	58.53	264.12	58.50	264.12
	ज.जा.उ.यो.	6.16	30.97	4.48	25.14	4.48	25.14
लोक निर्माण कार्य- वाणिज्यिक कर विभाग भवन	सामान्य	1,141.28	1,402.06	614.55	1,097.54	614.55	1,097.54
लोक निर्माण कार्य- राजस्थान विधानसभा भवन	सामान्य	869.01	958.96	16.43	314.22	16.42	314.22
लोक निर्माण कार्य- परिवहन भवन तथा ड्राइविंग ट्रेक	सामान्य	134.14	251.42	52.67	88.31	52.65	87.90
	ज.जा.उ.यो.	26.32	59.87	9.76	26.32	9.76	26.32
	अ.जा.उ.यो.	34.81	79.24	20.16	53.91	20.02	53.91
लोक निर्माण कार्य- राजभवन में निर्माण	सामान्य	442.48	340.52	68.66	281.41	68.66	281.41
लोक निर्माण कार्य- कोष एवं लेखा विभाग भवन	सामान्य	300.00	363.72	73.10	240.62	73.10	240.62
	ज.जा.उ.यो.	33.63	22.21	3.91	5.22	3.91	5.22
	अ.जा.उ.यो.	44.25	22.13	..	..	..	..
हरीश चन्द्र माथुर लोक प्रशासन क्षेत्रीय संस्थान में निर्माण कार्य	सामान्य	600.00	1,200.00	583.58	506.28	582.70	507.56
माध्यमिक शिक्षा – निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	102.70	104.80	87.08	93.95	87.08	93.94

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को सहायता - कोटा विश्वविद्यालय	सामान्य	0.03	135.00	..	33.75	..	33.75
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	0.02	0.01	136.00	..	136.00	..
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	650.00	100.00	1,386.00	50.00	1,386.00	50.00
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	75.00	75.00	1,445.00	..	1,445.00	..
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	36.00	66.66	261.00	66.66	261.00	66.66
	ज.जा.उ.यो.	36.00	66.67	..	66.67	..	66.67
	अ.जा.उ.यो.	36.00	66.67	..	66.67	..	66.67
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	410.00	100.00	717.00	100.00	717.00	100.00
महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, अजमेर को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	51.00	70.00	512.00	50.00	512.00	50.00
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं,(एलोपैथी)-क्षेत्रीय तथा जिला स्थापना के लिए जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	सामान्य	569.00	579.50	443.44	436.63	441.85	436.17
चिकित्सा महाविद्यालय शिक्षा-	सामान्य	1,332.26	1,242.26	1,288.85	1,201.49	1,288.13	1,201.42
चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर	ज.जा.उ.यो.	480.90	375.30	601.82	347.35	601.82	347.35
	अ.जा.उ.यो.	3,917.70	3,909.10	3,544.80	3,640.01	3,544.79	3,640.01
चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना	सामान्य	228.00	215.00	231.01	216.71	230.93	216.66
चिकित्सा महाविद्यालय शिक्षा-	सामान्य	1,115.75	880.75	1,190.37	1,012.32	1,190.11	1,012.32
चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा	ज.जा.उ.यो.	2,795.02	2,245.02	2,754.03	2,664.36	2,754.03	2,664.34
	अ.जा.उ.यो.	2,245.35	2,095.35	2,579.94	2,096.31	2,579.93	2,096.31

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा के माध्यम से नि:शुल्क दवा योजना	सामान्य	350.00	350.00	404.42	347.69	404.39	347.69
नई जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन	सामान्य	302.00	383.29	184.42	304.98	184.42	304.98
	ज.जा.उ.यो.	60.00	75.22	36.64	59.85	36.64	59.85
	अ.जा.उ.यो.	78.50	99.49	47.94	79.17	47.94	79.17
बी.पी.एल. महिलाओं को प्रथम प्रसव पर सहायता	सामान्य	200.00	150.00	133.50	181.85	133.50	181.53
	ज.जा.उ.यो.	200.00	150.00	88.05	148.82	88.05	149.36
	अ.जा.उ.यो.	150.00	150.00	87.37	110.04	87.37	109.93
बोर होल और पंपिंग सेट का कायाकल्प शहरी जलपूर्ति योजना (यू.डब्ल्यू.एस.एस.) सहित का विस्तार/पुनर्गठन	सामान्य	36,407.24	26,446.00	29,214.72	32,800.29	29,163.56	32,715.57
पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप	सामान्य	2,400.00	2,060.00	1,643.98	1,531.60	1,627.07	1,522.46
लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ	ज.जा.उ.यो.	450.00	405.00	260.58	222.00	257.98	222.00
पेयजल सुविधा हेतु अन्य सुधार शहरी क्षेत्रो में	अ.जा.उ.यो.	600.00	535.00	397.19	316.19	393.18	316.19
शहरी जलपूर्ति योजनाओं का पुनरूद्धार, आधुनिकीकरण तथा कायाकल्प	सामान्य	500.00	450.00	65.02	206.93	65.02	206.93
शहरी जलपूर्ति योजना के फिल्टर प्लांट का कायाकल्प एवं उन्नयन	सामान्य	400.00	353.00	461.40	279.51	461.40	279.51
शहरी जलपूर्ति-अधिशाषी अभियन्ता/अधीक्षण अभिन्ता/ अति.मुख्य अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता के प्रशासनिक कार्यालयों का विस्तार/ आधुनिकीकरण/कायाकल्प	सामान्य	500.00	329.00	195.72	353.46	195.72	353.46
चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जलपूर्ति परियोजना(शहरी)	सामान्य	150.00	491.51	..	137.84	..	137.84
जवाई-पाली- जालौर जलपूर्ति योजना (शहरी)	सामान्य	2,061.00	686.00	41.56	36.72	41.56	36.72
	ज.जा.उ.यो.	405.00	136.00	..	7.42	..	7.42
	अ.जा.उ.यो.	534.00	178.00	..	9.80	..	9.80

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
पोकरण–फलसून्ड (फलौदी) जलपूर्ति परियोजना(शहरी)	सामान्य	0.01	686.00	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	0.01	136.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	178.00	..	..	..	..
नर्मदा–जलपूर्ति परियोजना(शहरी)	सामान्य	300.00	0.01	225.00	..	225.00	..
बीसलपुर बांध से टोंक–उनियारा–देवली	सामान्य	343.50	1,923.00	167.66	1,085.25	167.66	1,084.93
जलपूर्ति परियोजना(शहरी)	ज.जा.उ.यो.	67.50	378.00	20.96	118.59	20.96	117.29
	अ.जा.उ.यो.	89.00	499.00	37.10	161.57	37.10	161.57
राजगढ़–बूंदी जलपूर्ति परियोजना(शहरी)	सामान्य	103.05	65.00	103.05	244.26	102.79	244.27
	ज.जा.उ.यो.	20.25	12.00	20.25	31.49	20.25	31.49
	अ.जा.उ.यो.	26.70	17.00	26.70	17.00	26.70	17.00
शहरी जलपूर्ति योजनाएं - छोटे तथा मध्यम कस्बों के लिए	सामान्य	0.01	0.01	..	113.36	..	113.36
शहरी आधारभूत विकास द्वारा पोषित परियोजनाएं	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	22.22	..	22.22
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	29.37	..	29.37
शहरी क्षेत्र के लिए ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता	सामान्य	2,200.00	1,200.00	1,035.46	1,226.85	1,035.46	1,216.95
जनजाति कल्याण निधि के तहत अनुसूचित क्षेत्र में सरकारी अस्पताल में गैर बी. पी. एल. अनुसूचित जनजाति मरीजों को आंतरिक उपचार के लिए मेडिकल सहायता तथा टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम	ज.जा.उ.यो.	1,800.00	1,800.00	1,909.77	1,791.81	1,909.77	1,786.48
अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण - देवनारायण योजना	सामान्य	20,776.17	17,425.58	20,598.68	17,226.69	20,500.36	17,226.68
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में छात्रावास भवन	ज.जा.उ.यो.	300.00	0.01	300.00	..	300.00	..
बाल कल्याण - बाल अधिकार सुरक्षा आयोग	सामान्य	195.63	210.31	182.92	152.85	182.65	152.71
सैनिक विश्राम गृह का निर्माण	सामान्य	150.01	130.01	124.55	119.98	124.54	119.98
कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण के लिए सहायता	सामान्य	0.01	0.01	200.00	..	200.00	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
बूँद-बूँद सिंचाई राज्य योजना के लिए अतिरिक्त सहाय्य	सामान्य	0.01	1,099.04	..	1,085.71	..	1,085.71
	ज.जा.उ.यो.	0.01	248.31	..	230.67	..	230.68
	अ.जा.उ.यो.	0.01	230.33	..	210.77	..	210.77
पशु पालन- राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान	सामान्य	4,300.00	4,224.83	4,627.00	4,001.00	4,627.00	4,001.00
विश्वविद्यालय, बीकानेर को अनुदान	ज.जा.उ.यो.	1,700.00	1,545.18	1,805.00	1,544.00	1,805.00	1,544.00
	अ.जा.उ.यो.	3,100.00	3,332.87	3,210.00	2,355.00	3,210.00	2,355.00
सिंचाई - जवाहर सागर बांध	सामान्य	0.01	0.01	140.85	..	123.84	..
	ज.जा.उ.यो.	..	..	22.67	..	22.67	..
	अ.जा.उ.यो.	..	..	30.00	..	30.00	..
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी - ई-संचार	सामान्य	248.89	264.01	754.12	264.00	754.12	264.00
	ज.जा.उ.यो.	51.25	60.01	155.26	60.00	155.26	60.00
	अ.जा.उ.यो.	65.89	76.01	199.62	76.00	199.62	76.00
चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति परियोजना (शहरी)	सामान्य	68.70	130.00	51.80	130.00	51.80	130.00
	ज.जा.उ.यो.	13.50	24.00	5.66	24.00	5.66	24.00
	अ.जा.उ.यो.	17.80	34.00	10.20	34.00	10.20	34.00
नागौर लिफ्ट कैनाल फेज-II (शहरी)	सामान्य	4,122.00	2,925.00	4,121.99	2,925.00	4,121.99	2,925.00
	ज.जा.उ.यो.	810.00	575.00	804.22	573.04	804.22	573.04
	अ.जा.उ.यो.	1,068.00	760.00	1,068.00	760.00	1,068.00	760.00
इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना,	सामान्य	4,466.47	4,780.86	4,017.49	4,146.87	3,997.57	4,110.32
जैसलमेर (द्वितीय चरण)	अ.जा.उ.यो.	697.00	746.16	179.43	665.29	178.73	665.30
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी- आयोजना (जनशक्ति) विभाग	सामान्य	312.10	327.10	190.32	253.12	190.34	253.11
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)-अध्यापन अस्पताल- (जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर)	सामान्य	3,188.60	3,020.11	2,778.46	2,742.50	2,784.21	2,742.49
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)- अध्यापन अस्पताल- (जनाना अस्पताल, अजमेर)	सामान्य	257.90	275.90	212.63	229.18	212.63	229.18
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)-अध्यापन अस्पताल- पी.बी.एम. पुरूष अस्पताल, बीकानेर	सामान्य	2,973.80	2,785.30	2,789.19	2,552.72	2,789.18	2,552.62

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)–अध्यापन अस्पताल–सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	सामान्य	1,725.02	1,400.02	2,215.48	1,724.54	2,213.98	1,723.63
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)–अध्यापन अस्पताल–(मनोरोग केन्द्र, जयपुर)	सामान्य	124.02	115.02	128.53	106.79	128.52	106.79
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)–अध्यापन अस्पताल–सर पदमपत माँ और शिशु स्वास्थ्य संस्थान अस्पताल, जयपुर	सामान्य	1,070.07	790.07	1,039.29	940.00	1,039.29	940.01
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)–अध्यापन अस्पताल–(नवीन महिला अस्पताल, जयपुर)	सामान्य	330.03	240.03	326.75	274.92	325.40	274.07
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)–अध्यापन अस्पताल–(उम्मेद अस्पताल, जोधपुर)	सामान्य	1,741.10	1,443.98	1,890.23	1,511.35	1,890.23	1,511.35
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)–अध्यापन अस्पताल–(एम.डी.एम. अस्पताल, जोधपुर)	सामान्य	3,203.57	2,452.70	3,315.37	2,946.45	3,314.60	2,945.31
चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत–अध्यापन अस्पताल–(महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर)	सामान्य	3,466.41	3,576.41	3,491.19	2,968.01	3,491.18	2,967.14
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)–अध्यापन अस्पताल–(पन्नाधाय राजकीय जनाना अस्पताल, उदयपुर)	सामान्य	766.50	716.00	759.77	683.16	759.75	683.15
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)–अध्यापन अस्पताल–(महाराव भीम सिंह अस्पताल, कोटा)	सामान्य	1,386.80	1,176.30	1,569.54	1,232.78	1,569.53	1,232.75
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)–अध्यापन अस्पताल–(जे.के.लॉन महिला अस्पताल, कोटा)	सामान्य	1,426.53	1,306.19	1,446.46	1,248.24	1,446.12	1,247.83
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)–अध्यापन अस्पताल–(न्यू अस्पताल, कोटा)	सामान्य	3,149.02	2,963.18	3,267.04	2,969.80	3,267.01	2,969.17
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)–अध्यापन अस्पताल–(पंडित दीन दयाल उपाध्याय) चिकित्सालय, जयपुर	सामान्य	1,231.96	1,160.01	1,246.87	1,124.05	1,246.86	1,124.06

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)–अध्यापन अस्पताल–(मोबाइल सर्जिकल यूनिट, जयपुर)	सामान्य	205.41	175.01	203.50	184.77	203.40	184.74
	ज.जा.उ.यो.	102.00	124.05	95.36	89.92	95.35	89.93
	अ.जा.उ.यो.	169.40	122.95	181.18	148.44	181.17	148.31
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)–अन्य अस्पताल तथा औषधालय (औषधालय और राहत शिविर)	सामान्य	135.29	150.34	119.71	96.26	119.49	96.02
ग्राम उद्योग साल्ट क्षेत्र में सड़कों का विकास	सामान्य	89.00	100.00	77.23	30.00	72.53	30.00
सामाजिक कल्याण - नवजीवन योजना	सामान्य	213.38	163.14	209.10	439.46	208.20	439.46
	ज.जा.उ.यो.	16.00	10.00	16.00	15.89	16.00	15.89
	अ.जा.उ.यो.	300.00	200.00	986.02	287.75	978.30	287.75
क्षेत्रीय यातायात कार्यालयों में कम्प्यूटराईजेशन	सामान्य	1,465.08	1,553.34	1,755.28	1,418.53	1,754.96	1,418.53
	ज.जा.उ.यो.	287.52	278.16	308.59	224.79	308.59	224.79
	अ.जा.उ.यो.	380.30	397.41	455.11	371.20	455.11	371.20
कोषालय स्थापना	सामान्य	20.01	160.00	18.60	63.34	18.60	63.34
मिशन मोड परियोजना के अन्तर्गत कोषालय का कम्प्यूटराईजेशन	सामान्य	2,850.00	1,000.00	7,834.82	1,300.00	7,834.82	1,300.00
राजस्थान लोक सेवा आयोग भवन मे निर्माण	सामान्य	125.00	114.90	90.42	..	90.42	..
महाविद्यालय शिक्षा भवन मे निर्माण	ज.जा.उ.यो.	500.00	463.30	454.38	793.27	454.38	791.28
आईआईटी, जोधपुर मे निर्माण	सामान्य	0.01	0.02	793.00	746.00	793.00	746.00
एस.एम.एस. टॉउन हॉल तथा जलेबी चौक में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय	सामान्य	100.00	100.00	..	..	..	..
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)–अध्यापन अस्पताल–जनाना अस्पताल, जयपुर	सामान्य	158.00	125.00	178.42	139.31	178.41	139.31
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं(ऐलोपैथी)– अध्यापन अस्पताल–महात्मा गाँधी अस्पताल, जोधपुर	सामान्य	1,460.76	1,293.97	1,384.81	1,292.65	1,384.81	1,292.66

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - निदेशन तथा प्रशासन–होम्योपैथी	सामान्य	249.44	267.89	241.32	204.80	241.32	203.77
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं -	सामान्य	219.30	224.80	191.28	173.68	191.28	173.01
निदेशन तथा प्रशासन–यूनानी	ज.जा.उ.यो.	42.80	50.30	47.89	32.41	47.87	32.41
तकनीकी शिक्षा - पॉलीटेक्निक विद्यालय	सामान्य	303.00	250.30	456.94	240.83	456.94	240.84
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	466.41	491.41	401.35	384.08	401.34	384.07
लोक स्वास्थ्य के लिए ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंयायतों के ब्लॉक स्तरीय स्थापना के लिए सहायता	सामान्य	175.70	166.50	203.67	144.87	203.13	143.73
लोक स्वास्थ्य– जीवाणुतत्व सम्बन्धी प्रयोगशाला	सामान्य	117.06	131.06	126.08	80.59	126.05	80.59
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा भवन	सामान्य	20.01	420.00	..	..	..	..
डीग जलपूर्ति परियोजना(शहरी)	सामान्य	0.01	34.00	..	658.65	..	658.65
	ज.जा.उ.यो.	0.01	7.00	..	67.00	..	67.00
	अ.जा.उ.यो.	0.01	9.00	..	91.77	..	91.77
शहरी जलपूर्ति योजनाएं, बीकानेर के तहत	सामान्य	94.00	94.00	72.31	66.43	72.31	66.43
शोभासर सेक्शन तथा अन्य सहायक कार्य में 40 एम एल डी जल	ज.जा.उ.यो.	2.20	2.20	..	..	..	..
उपचार संयंत्र का निर्माण और कमिशनिंग	अ.जा.उ.यो.	19.00	19.00	..	16.50	..	16.50
नागदा, अंता–बलदेवपुरा जलपूर्ति परियोजना (शहरी)	सामान्य	34.35	97.00	23.77	29.56	23.33	29.56
	ज.जा.उ.यो.	6.75	18.00	4.58	10.63	4.58	10.63
	अ.जा.उ.यो.	8.90	25.00	6.18	1.01	6.18	1.01
शहरी जलपूर्ति – कम्प्यूटरीकरण स्क्राड सिस्टम/ ई–गवर्नेंस आदि	सामान्य	385.00	47.00	74.54	60.00	74.54	60.00
ग्रामीण जलपूर्ति योजना के विभिन्न घटकों का सुदृढ़ीकरण तथा कायाकल्प	सामान्य	600.00	1,410.00	164.11	452.79	163.89	451.11

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
अनुसूचित जाति बस्ती में शहरी जलपूर्ति	अ.जा.उ.यो.	9,700.00	6,865.00	6,736.93	8,277.78	6,719.16	8,268.20
जनजाति क्षेत्र विकास में शहरी जलपूर्ति योजनाएं	ज.जा.उ.यो.	7,000.00	5,189.00	4,878.67	5,907.88	4,865.94	5,886.62
समाज कल्याण के तहत निदेशन तथा प्रशासन का निदेशालय, विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति	सामान्य	294.22	259.22	310.71	253.84	310.71	250.21
महिला कल्याण–जिला महिला कल्याण	सामान्य	2,770.00	3,050.00	3,134.19	2,564.07	3,133.11	2,564.80
अभिकरणों के स्थापना व्यय	ज.जा.उ.यो.	609.00	509.00	435.43	314.98	435.31	314.95
	अ.जा.उ.यो.	681.00	681.00	639.66	643.84	639.49	643.10
अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास भवन	सामान्य	200.00	400.00	169.09	5.71	169.09	5.71
पशुपालन – निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	454.03	368.04	361.22	376.35	361.21	376.36
परिस्थितीकीय पर्यटन का विकास	सामान्य	400.00	50.00	399.93	180.61	399.93	180.61
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को सहायता	सामान्य	6,117.00	584.84	4,777.70	192.50	4,777.70	192.50
पंजाब में इन्दिरा गांधी फीडर तथा संबंधित	सामान्य	20,500.00	20,500.00	22,639.23	7,200.00	22,639.23	7,200.00
निर्माण कार्य	अ.जा.उ.यो.	4,500.00	4,500.00	10,360.77	1,800.00	10,360.77	1,800.00
पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिक उत्थान राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड को अनुदान	सामान्य	132.01	132.01	94.00	61.00	94.00	61.00
जयपुर डिस्कॉम में निवेश	सामान्य	10,791.60	35,022.86	22,196.44	7,814.56	22,196.44	7,814.56
	ज.जा.उ.यो.	2,221.80	9,758.00	4,569.85	1,937.44	4,569.85	1,937.44
	अ.जा.उ.यो.	2,856.60	21,219.14	5,875.53	1,740.00	5,875.53	1,740.00
जोधपुर डिस्कॉम में निवेश	सामान्य	10,200.00	25,099.52	14,917.62	10,130.28	14,917.62	10,130.28
	ज.जा.उ.यो.	2,100.00	6,993.35	3,071.27	2,085.44	3,071.27	2,085.44
	अ.जा.उ.यो.	2,700.00	15,207.13	3,948.79	2,681.28	3,948.78	2,681.28
अजमेर डिस्कॉम में निवेश	सामान्य	10,880.00	20,503.14	20,134.09	7,229.76	20,134.09	7,229.76
	ज.जा.उ.यो.	2,240.00	11,962.50	4,145.25	1,488.48	4,145.25	1,488.48
	अ.जा.उ.यो.	2,880.00	15,384.36	5,329.61	1,913.76	5,329.61	1,913.76

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
सरकारी मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण	सामान्य	383.50	50.00	..	..	..	..
मल-जल तथा सफाई-निदेशन	सामान्य	1,701.62	..	1,618.84	..	1,617.75	..
मल-जल तथा सफाई-निस्तारण	सामान्य	5,712.79	..	5,128.36	..	5,128.15	..
मल-जल तथा सफाई-शिल्पशाला	सामान्य	3,790.01	..	2,819.43	..	2,815.87	..
मल-जल तथा सफाई-आनुपातिक हिस्सा हस्तान्तरण	सामान्य	(-) 11,883.28	..	(-) 11,883.28	..	(-) 10,635.02	..
कृषि विभाग के भवन का निर्माण	सामान्य	210.00	400.00	210.00	110.00	210.00	110.00
	ज.जा.उ.यो.	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
	अ.जा.उ.यो.	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
कृषि शिक्षा को सहायता	सामान्य	7,211.01	405.30	7,429.00	405.00	7,429.00	405.00
महाराणा प्रताप कृषि तथा तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को सहायतार्थ अनुदान	अ.जा.उ.यो.	0.01	200.00	..	200.00	..	200.00
पशुपालन को सहायता	सामान्य	150.00	141.24	135.00	141.00	135.00	141.00
महाराणा प्रताप कृषि तथा तकनीकी विश्वविद्यालय,	ज.जा.उ.यो.	30.00	27.72	22.50	28.00	22.50	28.00
उदयपुर को अनुदान	अ.जा.उ.यो.	40.00	36.66	30.00	37.00	30.00	37.00
नोहर-सावा लिफ्ट योजना	सामान्य	4,153.66	2,784.44	2,497.55	2,141.26	2,493.56	2,141.81
	अ.जा.उ.यो.	1,424.85	1,268.15	1,674.22	1,218.59	1,671.18	1,218.59
गजनेर लिफ्ट योजना	सामान्य	2,938.97	2,966.85	1,710.30	2,439.57	1,704.25	2,438.28
	अ.जा.उ.यो.	1,468.00	1,154.00	1,754.61	1,183.98	1,754.61	1,183.73
कोलायत लिफ्ट योजना	सामान्य	2,140.48	1,809.14	1,604.46	1,685.47	1,602.56	1,688.47
	अ.जा.उ.यो.	784.15	913.36	752.67	831.28	752.67	831.29
फलौदी लिफ्ट योजना	सामान्य	1,184.18	754.95	867.22	1,022.10	866.81	1,012.25
	अ.जा.उ.यो.	34.00	34.00	19.25	33.34	19.25	33.34
पोकरण लिफ्ट योजना	सामान्य	335.39	342.52	316.39	312.16	316.21	312.02
	अ.जा.उ.यो.	25.00	25.00	2.45	21.03	2.45	21.03
बाँगड़सर लिफ्ट योजना	सामान्य	166.11	168.03	128.22	153.89	128.22	153.89
	अ.जा.उ.यो.	14.00	14.00	..	11.27	..	11.27

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
कँवरसेन लिफ्ट योजना	सामान्य	110.00	110.00	106.59	109.99	106.59	109.62
	अ.जा.उ.यो.	25.00	25.00	24.00	23.32	24.00	23.32
इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास - कृषि विस्तार (स्टेज -II)	सामान्य	302.68	231.21	275.06	267.55	273.61	267.54
राज्य सड़क विकास निधि द्वारा पोषित सड़कें	सामान्य	89,296.99	96,166.00	1,29,979.01	67,955.30	1,29,945.66	68,027.20
	ज.जा.उ.यो.	17,524.01	18,872.00	27,168.66	13,333.85	27,144.67	13,356.96
	अ.जा.उ.यो.	23,179.00	24,962.00	32,402.48	17,673.90	32,380.41	17,686.14
खनिज अन्वेषण और विकास -	सामान्य	0.01	100.01	..	..	..	..
खनिज कार्यालय भवन का निर्माण	ज.जा.उ.यो.	10.98	10.98	10.92	..	10.92	..
कम्प्यूटर सेवाएं	सामान्य	7,486.01	6,716.23	6,983.31	6,296.43	6,983.29	6,296.43
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (जिला कार्यालय)	ज.जा.उ.यो.	927.51	1,122.92	1,009.57	790.16	1,009.57	790.16
	अ.जा.उ.यो.	2,088.01	2,342.92	2,153.22	1,811.41	2,153.21	1,811.40
सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन का निर्माण	सामान्य	182.36	182.36	8.84	96.25	8.84	96.25
	ज.जा.उ.यो.	35.79	35.79	2.72	9.87	2.72	9.87
	अ.जा.उ.यो.	47.34	47.34	2.92	13.28	2.92	13.28
उप खंडीय अधिकारी तथा तहसीलदार के लिए आवास	सामान्य	523.54	500.00	698.43	479.46	686.08	479.29
दिव्यांगजनो का कल्याण–खण्डीय मुख्यालय पर मानसिक रूप से विमंदित पुनर्वास गृह	सामान्य	1,200.00	800.00	1,633.68	1,169.26	1,633.68	1,169.26
अल्पसंख्यक लड़कों तथा लड़कियों हेतु रोजगार योजना	सामान्य	200.00	200.00	..	..	..	..
अल्पसंख्यक लड़कियों के छात्रावास	सामान्य	336.21	224.26	122.87	108.06	122.11	107.16
महिला कल्याण– राजस्थान पुनर्वास संस्थान	सामान्य	0.01	309.00	24.79	150.93	24.79	150.93
महिला कल्याण–खण्ड मुख्यालय पर मानसिक रूप से विमंदित पुनर्वास गृह भवन	सामान्य	62.41	124.82	..	62.41	..	62.41

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
राजस्थान राज्य होटल निगम में निवेश	सामान्य	0.02	0.02	1,000.00	..	1,000.00	..
ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त सहाय्य	सामान्य	0.01	1,099.04	..	448.20	..	448.20
	ज.जा.उ.यो.	0.01	248.31	..	115.54	..	115.54
	अ.जा.उ.यो.	0.01	230.28	..	195.43	..	195.43
कम्प्यूटर सेवाएं आर एस डब्ल्यू ए एन होरीजोन्टल	सामान्य	3,780.00	4,286.21	3,780.00	3,399.94	3,780.00	3,399.94
	ज.जा.उ.यो.	1,134.00	882.46	1,134.00	950.00	1,134.00	949.99
	अ.जा.उ.यो.	1,386.00	1,134.59	1,386.00	1,150.00	1,386.00	1,149.99
कम्प्यूटर सेवाए - वेबसाइट का विकास एवं रखरखाव	सामान्य	66.01	66.01	132.00	66.00	132.00	66.00
	ज.जा.उ.यो.	15.01	15.01	30.00	15.00	30.00	15.00
	अ.जा.उ.यो.	19.01	19.01	38.00	19.00	38.00	19.00
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी - मुख्यमंत्री सूचना प्रणाली (सी एम आई एस)	सामान्य	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00
	ज.जा.उ.यो.	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
	अ.जा.उ.यो.	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00
संचार तथा विज्ञान की लोकप्रियता	सामान्य	259.51	269.50	247.80	239.32	247.80	238.84
	ज.जा.उ.यो.	8.90	4.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	10.40	2.59	..	..	..	..
ग्रामीण बी.पी.एल.आवास के लिए जिला परिषद/ जिला स्तरीय पंचायत को सहायता	सामान्य	27,828.00	28,830.28	29,596.49	19,277.81	29,596.49	19,277.81
	ज.जा.उ.यो.	5,484.00	5,681.88	5,832.93	3,799.24	5,832.93	3,799.24
	अ.जा.उ.यो.	7,313.00	7,575.84	7,777.13	5,065.62	7,777.13	5,065.62
ग्रामीण विकास कार्यक्रम ब्लॉक स्तरीय पंचायतो /मध्यम स्तरीय पंचायतों को सहायता	सामान्य	82,300.00	..	82,428.45	..	82,405.03	..
माध्यमिक शिक्षा का कम्प्यूटरीकरण	सामान्य	582.17	20.70	16.03	14.16	16.03	14.17
	ज.जा.उ.यो.	4.05	4.05	3.27	2.87	3.27	2.86
	अ.जा.उ.यो.	5.25	5.25	4.48	4.48	4.47	4.48
प्रतिभाशाली लड़कियों हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार	सामान्य	9,660.00	3,500.00	5,000.00	450.68	5,000.00	450.68
	ज.जा.उ.यो.	1,890.00	650.00	1,300.00	..	1,300.00	..
	अ.जा.उ.यो.	2,450.00	850.00	646.08	..	646.08	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
जिला शिक्षा अधिकारी तथा उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को जीप का किराया	सामान्य	85.00	85.00	81.31	72.37	81.31	72.34
	ज.जा.उ.यो.	15.00	15.00	23.32	12.84	23.32	12.84
ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को साइकिल वितरण	सामान्य	17,250.00	7,750.00	18,503.20	2,967.11	18,503.20	2,967.11
	ज.जा.उ.यो.	3,375.00	1,625.00	3,375.00	752.11	3,375.00	752.11
	अ.जा.उ.यो.	4,375.00	2,125.00	4,283.52	1,016.35	4,283.52	1,016.35
सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों का दुर्घटना बीमा	सामान्य	180.20	180.20	138.77	180.19	138.77	180.19
	ज.जा.उ.यो.	34.68	34.68	15.00	34.68	15.00	34.68
	अ.जा.उ.यो.	47.61	47.61	20.00	47.61	20.00	47.61
सहकारिता में ई–गवर्नेंस	सामान्य	1,000.00	500.00	60.00	..	60.00	..
नाबार्ड द्वारा वानिकीकरण कार्य	सामान्य	5,466.27	424.87	6,143.95	2,263.76	6,105.86	2,283.66
	ज.जा.उ.यो.	1,002.10	68.10	1,105.91	429.46	1,104.68	429.46
	अ.जा.उ.यो.	1,312.21	81.95	1,439.72	576.83	1,427.00	578.19
मौसम परिवर्तन तथा रेगिस्तान बढ़ाव को रोकना	सामान्य	4,458.19	1,717.94	4,588.98	1,777.43	4,513.06	1,775.14
	अ.जा.उ.यो.	2,050.16	1,958.92	2,219.16	2,067.00	2,205.20	2,066.45
भाषा विकास (संस्कृत शिक्षा)– संस्कृत महाविद्यालय	सामान्य	129.22	102.08	195.50	106.76	195.50	106.75
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	..	..	..
तकनीकी शिक्षा बोर्ड का सुदृढ़ीकरण	सामान्य	126.30	101.18	101.64	107.45	101.64	107.44
केन्द्रीय सरकार की सहायता से बहुशिल्प का उदघाटन	सामान्य	1,862.50	1,562.50	2,124.66	1,654.53	2,124.67	1,654.53
महिला बहुशिल्प महाविद्यालय का उदघाटन	अ.जा.उ.यो.	120.20	135.50	84.03	146.99	84.02	146.98
नए औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान का निमार्ण	सामान्य	1,140.73	832.85	1,229.53	1,009.27	1,229.52	1,009.27
	ज.जा.उ.यो.	1,000.00	1,050.00	1,198.92	1,409.26	1,198.93	1,409.25
	अ.जा.उ.यो.	1,600.00	1,600.00	463.78	1,537.91	463.78	1,537.91
बहुशिल्प हेतु अन्य सेवाएं	सामान्य	50.00	50.00	130.46	29.72	130.46	29.72
सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बांसवाड़ा तथा बाड़मेर सहित पॉलिटेक्निक्स में भवन निर्माण कार्य	अ.जा.उ.यो.	200.00	415.01	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेद-अस्पताल तथा औषधालय (ग्रामीण)	सामान्य	2020.94	2,079.81	1,772.08	1,694.52	1,771.98	1,692.42
	ज.जा.उ.यो.	400.75	476.75	304.90	322.75	304.90	322.02
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, एलोपैथी- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामान्य	38,827.00	28,526.03	36,435.68	27,577.78	36,421.46	27,580.08
	अ.जा.उ.यो.	8,617.20	5,788.34	8,948.36	5,402.95	8,947.70	5,402.74
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, एलोपैथी- स्वास्थ्य उप केन्द्रों के लिए ब्लॉक पंचायतों/मध्यम स्तर की पंचायतों को सहायता (ग्रामीण)	सामान्य	9,833.60	9,383.19	9,237.90	8,260.07	9,228.09	8,258.78
	अ.जा.उ.यो.	1,356.47	1,207.27	1,427.58	1,156.89	1,427.58	1,156.90
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, होम्योपैथी-अस्पताल तथा औषधालय (ग्रामीण)	सामान्य	611.88	612.97	595.46	530.56	595.44	530.56
	ज.जा.उ.यो.	154.98	170.78	161.00	136.28	160.99	136.27
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, एलोपैथी-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ब्लॉक पंचायतों/मध्यम स्तर की पंचायतों को सहायता (ग्रामीण)	सामान्य	30,262.00	26,673.96	25,546.37	23,104.47	25,539.29	23,098.55
	अ.जा.उ.यो.	5,860.10	4,310.10	4,078.28	3,352.81	4,077.60	3,352.81
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, यूनानी-अस्पताल तथा औषधालय (ग्रामीण)	सामान्य	410.95	451.85	441.87	358.14	441.88	347.25
	ज.जा.उ.यो.	62.20	75.20	31.42	40.13	31.41	40.13
युवा सेवाएं - राष्ट्रीय कैडेट कोर	सामान्य	144.27	133.27	83.65	117.40	83.65	117.15
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	..	..	..
जनजाति क्षेत्र विकास विभाग द्वारा माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	9,000.00	9,200.00	9,125.71	8,692.90	9,125.71	8,652.50
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में पब्लिक स्कूलों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	550.00	500.50	489.03	404.18	488.28	401.67
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में खेल छात्रावासों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	529.41	497.50	536.41	373.93	534.66	372.01
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	931.00	777.60	892.67	670.66	891.57	670.48
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के छात्रों को शैक्षणिक उत्प्रेरण	ज.जा.उ.यो.	2,889.30	2,145.00	2,578.25	2,794.32	2,564.70	2,785.90

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में महाविद्यालय छात्रावासों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	300.00	167.40	208.40	137.48	208.40	133.91
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति समुदाय को टी.आर.आई. के द्वारा कोचिंग	ज.जा.उ.यो.	110.00	110.00	54.97	23.58	54.97	23.03
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में आश्रम छात्रावासों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	1,666.40	1,567.50	1,488.30	1,168.42	1,480.06	1,164.28
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में आवासीय विद्यालयों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	527.50	450.30	487.80	348.90	487.41	338.10
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु आवासीय विद्यालयों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	1,041.50	832.50	1,006.86	742.77	1,005.31	742.11
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में महाविद्यालय छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	80.00	70.00	147.10	105.77	146.15	100.33
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा छात्रों को शैक्षिक उत्प्रेरक	ज.जा.उ.यो.	710.00	294.00	826.20	718.91	824.77	718.21
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु माध्यमिक शिक्षा छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	115.00	115.00	111.26	115.03	111.21	115.03
जनजाति कल्याण निधि के तहत माडा क्षेत्र में पीएमटी/ पीईटी, आईआईटी आदि की प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग	ज.जा.उ.यो.	100.00	100.00	..	18.95	..	18.95
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु महाविद्यालय छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	118.80	100.00	249.80	100.00	248.60	100.00
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेत माँ–बाड़ी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	1,000.00	1,100.00	870.48	749.66	870.48	749.66
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत बिखरी क्षेत्र में छात्रावासों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	531.05	456.10	514.20	304.56	512.52	304.54
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत बिखरी क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	475.00	295.00	786.04	504.56	785.72	503.96

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु आश्रम छात्रावासों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	726.20	634.58	732.42	458.46	732.36	458.30
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माँ–बाड़ी भवनों का निर्माण	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	500.00	..	500.00	..
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में छात्रावास भवनों का निर्माण तथा पुनरूद्धार	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	400.00	..	400.00	..
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत बिखरी क्षेत्र में छात्रावास भवनों का निर्माण तथा पुनरूद्धार	ज.जा.उ.यो.	300.00	0.01	299.65	..	299.65	..
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में महाविद्यालय छात्रों के लिए शैक्षिक प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	1,930.00	2,000.00	2,055.01	1,309.55	2,038.29	1,301.30
राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के नये भवन का निर्माण	सामान्य	3,000.00	3,400.00	2,455.57	1,970.84	2,455.57	1,970.84
राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर के भवन का निर्माण	सामान्य	548.00	500.00	710.00	..	710.00	..
कृषि शिक्षा हेतु लड़कियों को प्रोत्साहन	सामान्य	740.00	740.00	881.19	809.71	881.19	809.71
	ज.जा.उ.यो.	100.00	100.00	223.81	123.76	223.81	123.76
	अ.जा.उ.यो.	110.00	110.00	179.56	139.80	179.56	139.80
किसान सेवा केन्द्र मय गाँव ज्ञान केन्द्र का निर्माण	सामान्य	2,325.00	100.00	9.07	678.20	9.07	678.20
	ज.जा.उ.यो.	425.00	50.00	6.62	124.63	6.62	124.63
	अ.जा.उ.यो.	575.00	50.00	6.03	101.13	6.03	101.13
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से नि:शुल्क दवा वितरण योजना	सामान्य	10,386.48	10,730.70	10,620.05	8,938.84	10,614.33	8,935.77
	ज.जा.उ.यो.	3,067.72	2,055.36	3,212.03	1,464.66	3,211.63	1,464.32
	अ.जा.उ.यो.	1,664.36	2,869.81	1,714.10	2,625.74	1,710.73	2,625.31
राजस्थान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निगम के माध्यम से नि:शुल्क दवा वितरण योजना	सामान्य	37,700.00	29,323.97	36,900.00	29,322.97	36,900.00	29,322.97
	ज.जा.उ.यो.	9,600.00	7,454.18	9,020.00	7,453.65	9,020.00	7,453.65
	अ.जा.उ.यो.	7,700.00	9,495.20	7,700.00	9,494.40	7,700.00	9,494.40
वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान-विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में निर्माण कार्य	सामान्य	158.01	180.00	40.21	28.09	40.21	28.09

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
पुलिस विकास - पुलिस विकास निधि	सामान्य	7,000.02	500.03	3,414.73	3,382.02	3,414.62	3,382.02
शहरी विकास– राजस्थान यातायात आधारभूत विकास निधि	सामान्य	48,578.64	53,469.28	49,345.45	50,726.89	48,944.98	50,726.31
	ज.जा.उ.यो.	1,389.12	2,935.22	1,845.49	5,364.88	1,845.49	5,364.88
	अ.जा.उ.यो.	1,837.40	3,885.76	2,478.04	7,101.99	2,478.04	7,101.99
लैपटॉप वितरण (माध्यमिक शिक्षा)	सामान्य	8,400.00	3,312.00	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	1,600.00	648.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	2,000.00	840.00	..	..	..	..
कोर बैंकिग सहकारी साख समितियों को सहायता	सामान्य	2,227.75	2,227.75	..	..	..	..
सहकारिता - के.वी.एस.एस.	सामान्य	375.01	0.02	200.00	325.00	200.00	325.00
	ज.जा.उ.यो.	50.01	0.02	..	75.00	..	75.00
	अ.जा.उ.यो.	75.01	0.02	50.00	100.00	50.00	100.00
सहकारिता - ग्राम सेवा सहकारी समिति	सामान्य	420.01	0.02	1,260.00	420.00	1,260.00	420.00
	ज.जा.उ.यो.	72.01	0.02	216.00	84.00	216.00	84.00
	अ.जा.उ.यो.	108.01	0.02	324.00	96.00	324.00	96.00
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की हिस्सा पूंजी	सामान्य	0.01	0.01	40,000.00	..	40,000.00	..
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	10,000.00	..	10,000.00	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01	13,037.13	..	13,037.13	..
माणिक्य लाल वर्मा वस्त्र संस्थान, भीलवाड़ा को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	526.00	75.00	921.00	44.20	921.00	44.20
मत्स्य विकास– पर्यवेक्षीय स्टाफ का निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	80.50	83.59	65.93	65.43	65.92	65.41
	ज.जा.उ.यो.	26.35	30.45	25.72	22.54	25.73	22.54
शहरी विकास - मल–जल ट्रीटमेंट संयंत्र	सामान्य	3,434.50	8,985.49	2,747.60	343.33	2,747.60	343.33
	ज.जा.उ.यो.	674.00	1,766.46	539.20	67.50	539.20	67.50
	अ.जा.उ.यो.	891.50	2,333.05	713.20	89.17	713.20	89.17
उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को सहायता - बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	सामान्य	0.03	400.00	..	..	..	..
उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को सहायता - शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	सामान्य	0.03	230.00	..	142.50	..	142.50

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
पर्यटन विकास–राजस्थान पर्यटन विकास निगम में पूंजी निवेश	सामान्य	0.01	0.01	5,750.00	..	5,750.00	..
पर्यटन विकास– राजस्थान पर्यटन विकास निगम को ऋण	सामान्य	0.01	0.01	3,476.00	1,500.00	3,476.00	1,500.00
उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता– हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय	सामान्य	1,675.00	2,900.00	1,727.00	665.00	1,727.00	665.00
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (ऐलोपैथी)–अध्यापन अस्पताल (एस.आर.बी. भुवल्का यक्शमा आरोग्य सदन,बाढी उदयपुर)	सामान्य	426.00	371.00	385.84	379.35	385.84	379.35
उदयपुर तथा केलवारा में नये बहुशिल्प महाविद्यालय का प्रारम्भ	ज.जा.उ.यो.	290.30	301.10	519.26	252.54	519.26	252.54
उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को सहायता– मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	सामान्य	0.03	480.00	..	187.50	..	187.50
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (ऐलोपैथी),अध्यापन अस्पताल (टी.बी. एवं आइसोलेशन डिजिज अस्पताल, जोधपुर)	सामान्य	266.81	287.00	258.44	224.48	258.43	224.48
मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना	सामान्य	1,038.00	1,039.00	979.48	872.25	975.37	869.89
	ज.जा.उ.यो.	1,576.51	1,592.00	1,501.19	1,332.60	1,498.12	1,332.59
	अ.जा.उ.यो.	1,500.00	1,500.00	2,119.25	1,189.78	2,112.71	1,180.65
नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत भवन का निर्माण	सामान्य	600.00	1,000.00	..	484.05	..	484.05
जलपूर्ति योजनाओं के पर्यवेक्षण हेतु वाहनों को किराये पर लेना (शहरी)	सामान्य	260.00	217.00	293.72	288.13	293.72	288.13
जलपूर्ति योजनाओ के निरीक्षण वाहनों को किराये पर लेना (ग्रामीण)	सामान्य	1,080.00	700.00	1,053.10	1,038.44	1,051.55	1,037.49
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु एकीकृत विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	2,700.00	2,200.00	4,447.47	2,699.30	4,447.47	2,699.30

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माड़ा क्षेत्र में माँ–बाड़ी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	600.00	550.00	599.61	546.38	599.61	546.38
उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों को सहायता– डा.भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय	सामान्य	102.00	0.03	378.00	420.00	378.00	420.00
सिंचाई गुणवत्ता नियंत्रण	सामान्य	1,264.56	1,289.06	1,176.91	1,109.08	1,172.81	1,108.94
वृद्धावस्था गृह का संचालन	सामान्य	113.18	107.28	62.92	85.43	62.93	85.42
सरकारी तथा निजी क्षेत्र के मध्य साझेदारी आधार पर महाविद्यालय स्थापना	सामान्य	100.01	100.01	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	0.02	0.02	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	0.02	0.02	..	..	..	..
सिंचाई योजनाएं–चम्बल सिंचाई परियोजना के तहत कोटा बेराज का निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	262.76	257.74	256.69	239.04	256.64	239.04
पुलिस शिक्षा तथा प्रशिक्षण सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा तथा आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर को अनुदान	सामान्य	760.00	500.01	775.00	500.00	775.00	500.00
शहरी विकास- मास्टर योजना तथा अन्य योजनाएं	सामान्य	143.32	185.82	87.40	118.60	87.39	118.60
	ज.जा.उ.यो.	11.61	6.66	11.97	10.00	11.96	10.00
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति	सामान्य	2,000.00	1,000.00	909.19	1,338.32	909.19	1,311.81
	ज.जा.उ.यो.	1,250.00	1,050.00	577.17	1,023.95	577.17	1,002.10
	अ.जा.उ.यो.	1,800.00	1,400.00	1,136.02	1,687.02	1,136.02	1,653.79
फतेहपुर–लक्ष्मणगढ जलपूर्ति परियोजना (शहरी)	सामान्य	274.80	0.01	176.12	..	176.09	..
	ज.जा.उ.यो.	54.00	0.01	30.93	..	30.93	..
	अ.जा.उ.यो.	71.20	0.01	50.70	..	50.70	..
लोक निर्माण कार्य–नेहरू सहकार भवन का रखरखाव, जल संचयन तथा केन्द्रीय शीतलक प्रणाली	सामान्य	264.20	158.40	105.80	..	105.80	..
बहरे, गूंगे तथा अंधों के स्कूलों के लिए सॉफ्टवेयर	सामान्य	110.21	112.21	112.96	88.58	112.93	88.58
डी एम एच एस के माध्यम से नि:शुल्क जांच योजना	सामान्य	9,222.00	13,123.00	10,332.41	8,686.28	10,320.98	8,679.83
	ज.जा.उ.यो.	2,404.28	4,234.37	2,745.14	2,498.30	2,742.94	2,499.71
	अ.जा.उ.यो.	3,407.60	4,668.40	3,379.73	3,135.98	3,375.58	3,135.50

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं–नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ.	सामान्य	610.00	610.00	844.00	610.00	844.00	610.00
के तहत स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण (85:15)	ज.जा.उ.यो.	612.00	612.00	804.00	612.00	804.00	612.00
	अ.जा.उ.यो.	280.00	280.00	362.00	280.00	362.00	280.00
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं–नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ.	सामान्य	2,490.00	2,490.00	3,360.00	3,350.00	3,360.00	3,350.00
के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (85:15)	ज.जा.उ.यो.	1,072.00	1,072.00	1,440.00	1,932.00	1,440.00	1,932.00
	अ.जा.उ.यो.	890.00	890.00	1,200.00	1,750.00	1,200.00	1,750.00
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं–नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ.	सामान्य	2,693.35	2,693.35	3,592.00	3,573.00	3,592.00	3,573.00
के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (85:15)	ज.जा.उ.यो.	1,152.84	1,152.84	1,538.00	2,023.00	1,538.00	2,023.00
	अ.जा.उ.यो.	999.81	999.81	1,282.00	1,870.00	1,282.00	1,870.00
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, जोधपुर के माध्यम से नि:शुल्क जाँच योजना	सामान्य	1,740.31	1,555.31	2,037.36	1,505.83	2,030.21	1,505.83
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, कोटा के माध्यम से नि:शुल्क जाँच योजना	सामान्य	1,715.21	1,510.21	2,031.12	1,618.17	2,029.71	1,618.18
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, जयपुर के माध्यम से नि:शुल्क जाँच योजना	सामान्य	3,155.90	3,085.91	3,289.85	3,097.24	3,281.22	3,096.87
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, अजमेर के माध्यम से नि:शुल्क जाँच योजना	सामान्य	1,136.85	1,091.86	1,131.44	1,020.25	1,131.38	1,020.18
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, बीकानेर के माध्यम से नि:शुल्क जाँच योजना	सामान्य	1,310.00	1,240.00	1,401.24	1,233.78	1,401.24	1,233.74
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, उदयपुर के माध्यम से नि:शुल्क जाँच योजना	सामान्य	1,421.01	1,311.02	1,337.70	1,334.35	1,337.67	1,334.36
विद्युतीकरण–राजस्थान राज्य विद्युत वित्त निगम में निवेश	सामान्य	0.01	0.01	5,000.00	..	5,000.00	..
शहरी विकास–जोधपुर विकास प्राधिकरण को अनुदान	सामान्य	0.02	635.01	..	584.00	..	584.00
सिंचाई– इन्दिरा गांधी मुख्य नहर किमी 74 से	सामान्य	24.11	24.11	3.41	16.25	3.39	12.88
189– प्रथम चरण	अ.जा.उ.यो.	250.58	258.58	65.85	178.20	65.85	178.20

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति निगम के माध्यम से विशेष योग्यजन के स्वरोजगार के लिए अनुदान	सामान्य	500.01	500.01	287.76	485.43	283.43	470.43
अल्पसंख्यक छात्रों के छात्रावास का संचालन	सामान्य	301.17	276.27	142.54	84.28	142.21	84.24
गैर शासकीय संगठनो के माध्यम से वृद्ध आश्रम गृहों का संचालन तथा निर्माण	सामान्य	160.00	150.00	201.60	159.99	201.60	159.99
पशुधन प्रजनन सुधार योजना	सामान्य	500.00	1,000.00	804.94	1,157.33	804.94	1,107.33
	ज.जा.उ.यो.	500.00	1,000.00	404.67	440.95	404.67	440.95
	अ.जा.उ.यो.	1,000.00	..	430.69	..	430.69	..
विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा - संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण	सामान्य	350.00	445.85	206.21	308.91	206.21	308.91
	ज.जा.उ.यो.	50.00	70.06	1.16	..	1.16	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	..	..	..	..	..
सड़क परिवहन- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अनुदान	सामान्य	21,000.00	21,000.00	41,400.00	20,870.00	41,400.00	20,870.00
चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति परियोजना-समूह (शहरी)	सामान्य	377.69	1,030.00	313.80	..	313.80	..
	ज.जा.उ.यो.	74.22	203.00	62.69	..	62.69	..
	अ.जा.उ.यो.	97.86	267.00	80.15	..	80.15	..
इसरदा बांध का निर्माण सिंचाई विभाग के माध्यम से (ग्रामीण)	सामान्य	10,305.00	21,500.00	10,265.48	6,054.53	9,943.08	6,016.17
	ज.जा.उ.यो.	2,025.00	8,098.00	2,017.25	2,281.18	1,918.05	2,280.47
	अ.जा.उ.यो.	2,670.00	10,795.00	2,659.76	3,040.24	2,551.08	2,991.78
मुख्य सिंचाई परियोजनाओं का पुर्नजीविकरण/ उन्नयन/आधुनिकीकरण/पुनरूद्धार	सामान्य	2,040.00	1,020.00	1,810.07	756.98	1,591.46	762.50
	ज.जा.उ.यो.	420.00	210.00	352.87	127.56	352.19	127.56
	अ.जा.उ.यो.	540.00	270.00	482.36	113.56	471.90	114.38
महाविद्यालय शिक्षा विभाग की नवाचार/नयी योजनाएं	सामान्य	200.01	0.01	200.00	..	200.00	..
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना	सामान्य	830.00	1,046.83	17.79	628.86	17.79	628.87
	ज.जा.उ.यो.	170.00	269.87	..	9.88	..	9.88
	अ.जा.उ.यो.	230.00	83.30	..	17.81	..	17.81

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
बाल कल्याण–बाल अधिकारिता निदेशालय का निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	196.22	174.83	172.62	175.09	172.62	175.05
बाल कल्याण - जिला स्तरीय बाल अधिकारिता तथा बाल सुरक्षा इकाई	सामान्य	96.23	101.30	100.88	78.47	100.87	78.45
कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत सीकर,	सामान्य	549.60	1,172.00	241.74	1,217.28	241.74	1,217.28
झुन्झुनू तथा खेतड़ी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना	ज.जा.उ.यो.	108.00	221.00	47.58	218.42	47.58	218.42
(शहरी)	अ.जा.उ.यो.	142.40	306.00	60.02	305.70	60.02	305.70
भीनमाल तहसील तथा भीनमाल कस्बे के 256 गांवों हेतु शहरी	सामान्य	1,717.50	1,946.00	391.32	0.52	391.32	0.52
जलपूर्ति परियोजना(शहरी)	ज.जा.उ.यो.	337.50	367.00	48.70	..	48.70	..
	अ.जा.उ.यो.	445.00	508.00	67.50	..	67.50	..
जीवाणुनाशक असफल मामलों हेतु क्षतिपूर्ति	सामान्य	450.00	450.00	124.65	123.85	124.35	123.55
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड द्वारा पोषित	सामान्य	2,770.00	2,585.00	167.55	378.76	166.85	349.19
जलपूर्ति योजनाएं (शहरी)	ज.जा.उ.यो.	509.00	517.00	..	10.73	..	10.73
	अ.जा.उ.यो.	646.00	658.00	..	27.50	..	1.27
कला और संस्कृति–अभिलेखीय संग्रहालय	सामान्य	120.01	11.00	57.07	..	57.07	..
बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	220.00	370.00	259.00	180.00	259.00	180.00
इंजीनियरिंग कॉलेज, बांसवाड़ा को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	ज.जा.उ.यो.	75.01	75.00	129.00	..	129.00	..
कम्प्यूटर सेवाएं - ब्लॉक स्तर पर	सामान्य	680.00	680.00	1,360.00	680.00	1,360.00	680.00
वीडियो कान्फ्रेंस	ज.जा.उ.यो.	140.00	140.00	280.00	140.00	280.00	140.00
	अ.जा.उ.यो.	180.00	180.00	360.00	180.00	360.00	180.00
कम्प्यूटर सेवाए - वाई फाई हॉट स्पॉट	सामान्य	526.32	990.00	526.32	216.14	526.32	216.14
	ज.जा.उ.यो.	108.36	225.00	108.36	225.00	108.36	225.00
	अ.जा.उ.यो.	139.32	285.00	139.32	285.00	139.32	285.00
तेल तथा गैस का शोधन तथा विपणन–	सामान्य	20,042.12	20,065.01	30,005.60	7,261.69	30,005.61	7,261.69
राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	ज.जा.उ.यो.	10,000.00	10,000.00	26,710.00	4,295.00	26,710.00	4,295.00
	अ.जा.उ.यो.	20,000.00	20,000.00	30,000.00	7,067.00	30,000.00	7,067.00

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
गौ संरक्षण–गोपालन निदेशालय	सामान्य	379.51	372.70	328.71	335.75	328.71	335.76
युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना	सामान्य	899.99	899.99	625.00	675.00	625.00	675.00
कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना	सामान्य	65.00	65.00	..	29.00	..	29.00
	ज.जा.उ.यो.	20.00	20.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	15.00	15.00	..	..	..	..
विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा- कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	3,040.00	2,583.23	3,750.00	2,348.08	3,750.00	2,348.08
कृषि शिक्षा- कृषि विश्वविद्यालय, कोटा को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	2,505.00	1,340.00	2,312.50	1,090.00	2,312.50	1,090.00
कृषि शिक्षा- श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	6,312.00	3,361.87	6,787.00	1,583.37	6,787.00	1,583.37
	ज.जा.उ.यो.	419.00	592.13	387.00	457.84	387.00	457.84
खाद्य भंडारण और भांडागार- राजस्थान राज्य भण्डारण निगम को गोदाम निर्माण हेतु ऋण	सामान्य	5,000.00	5,000.00	4,000.00	..	4,000.00	..
सिंचाई–पार्वती परियोजना	सामान्य	700.00	250.00	826.90	391.13	808.99	393.98
सिंचाई–मेजा परियोजना	सामान्य	500.00	300.00	1,300.86	..	1,272.02	..
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, प्राकृतिक चिकित्सा	सामान्य	517.05	547.02	478.09	446.56	478.02	446.56
कम्प्यूटर सेवाएं - बैकएण्ड तथा नवीन परियोजना	सामान्य	1,428.01	2,300.01	3,214.51	2,598.73	3,214.51	2,598.73
	ज.जा.उ.यो.	294.01	525.01	1,001.83	610.03	1,001.83	610.03
	अ.जा.उ.यो.	378.01	675.01	1,412.88	772.10	1,412.88	772.10
गौ संरक्षण - राजस्थान गौ संरक्षण तथा विकास कोष से गौ शालाओं को अनुदान	सामान्य	32,100.00	24,807.65	33,218.30	23,613.31	33,218.30	23,607.01
	ज.जा.उ.यो.	12,100.00	13,000.00	11,880.02	17,270.19	11,880.02	17,270.19
	अ.जा.उ.यो.	18,000.00	13,000.00	17,955.02	16,524.07	17,955.02	16,498.01
गौ संरक्षण - राजस्थान गौ संरक्षण तथा विकास कोष से प्रशासनिक व्यय	सामान्य	56.00	0.01	48.79	26.23	48.79	26.23

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
गौ संरक्षण - राजस्थान गौ संरक्षण तथा विकास कोष से योजनाएं	सामान्य	825.01	..	..	..	..	50.00
	ज.जा.उ.यो.	0.01	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	..	..	..	..	..
बागवानी तथा वनस्पति फसल–स्वचालन पर सहायता	सामान्य	390.00	770.70	304.33	121.42	304.33	121.42
	ज.जा.उ.यो.	70.00	151.25	15.79	9.83	15.79	9.83
	अ.जा.उ.यो.	62.00	200.05	6.67	5.61	6.67	5.61
शुभलक्ष्मी योजना	सामान्य	4,120.00	4,878.00	2,060.00	2,439.00	2,060.00	2,439.00
	ज.जा.उ.यो.	810.00	957.00	405.00	478.50	405.00	478.50
	अ.जा.उ.यो.	1,070.00	1,265.00	535.00	632.50	535.00	632.50
नागरिक आपूर्ति - उपभोक्ता मामलात विभाग	सामान्य	179.05	212.50	145.16	359.87	145.16	359.85
कृषि अनुसंधान– श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	624.64	665.00	515.98	607.75	515.98	607.75
कृषि अनुसंधान - कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	160.00	220.51	160.00	160.00	160.00	160.00
जनजाति कल्याण निधि के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर आधारभूत निर्माण	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	100.00	..	100.00	..
जनजाति कल्याण निधि के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में क्षमता बढाने के लिए छात्रावासों का निर्माण	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	200.00	..	200.00	..
शहरी क्षेत्रों मे पेयजल आपूर्ति	सामान्य	480.37	480.36	480.36	..	480.36	..
	ज.जा.उ.यो.	94.81	94.80	94.80	10.20	94.80	10.20
	अ.जा.उ.यो.	124.85	124.84	124.84	..	124.84	..
लड़कों के लिए प्राथमिक विद्यालय के स्थापना व्यय के लिए ब्लॉक पंचायतो/मधयम स्तर पंचायतो को सहायता	सामान्य	0.01	8,800.20	..	2,294.65	..	2,294.40
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	..	..	..
उद्यान तथा वनस्पति फसल – निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	160.40	145.10	157.23	141.31	157.22	141.32
कृषि विकास–निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	9,289.90	8,099.49	7,351.25	7,012.43	7,351.25	7,012.43
	ज.जा.उ.यो.	714.62	556.63	635.82	480.57	635.82	480.56

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
शहरी जलापूर्ति- इसरदा बांध का निर्माण	सामान्य	6,870.00	10,473.00	506.59	686.94	506.59	673.07
	ज.जा.उ.यो.	1,350.00	1,998.00	95.32	134.98	95.32	134.98
	अ.जा.उ.यो.	1,780.00	2,728.00	132.09	177.99	132.09	177.99
चम्बल-धौलपुर-भरतपुर	सामान्य	687.00	1,355.00	171.75	..	171.75	..
परियोजना फेज- I, पार्ट- II (शहरी)	ज.जा.उ.यो.	135.00	189.00	28.57	..	28.57	..
	अ.जा.उ.यो.	178.00	353.00	44.50	..	44.50	..
जवाई-पाली पाइप लाइन	सामान्य	274.80	871.00	46.18	..	46.18	..
परियोजना फेज- II,पार्ट-बी (शहरी)	ज.जा.उ.यो.	54.00	170.00	13.50	..	13.50	..
	अ.जा.उ.यो.	71.20	226.00	17.29	..	17.29	..
जलपूर्ति योजनाएं- आर.जी.एल.सी से	सामान्य	51.52	49.00	59.18	81.49	59.18	81.49
बावरी कलॉ जलौदा (शहरी)	ज.जा.उ.यो.	10.13	9.00	9.69	15.36	9.69	15.36
	अ.जा.उ.यो.	13.35	13.00	15.35	21.23	15.35	21.23
कम्प्यूटर सेवाएं -भौगोलिक सूचना प्रणाली	सामान्य	4,800.00	4,649.00	8,644.94	2,399.99	8,644.94	2,399.99
	ज.जा.उ.यो.	990.00	1,036.00	989.99	499.99	989.99	499.99
	अ.जा.उ.यो.	1,210.00	1,315.00	1,209.97	599.99	1,209.97	599.99
कम्प्यूटर सेवाएं - राज सम्पर्क	सामान्य	1,972.00	1,793.00	1,972.00	1,793.00	1,972.00	1,793.00
	ज.जा.उ.यो.	406.00	370.00	406.00	370.00	406.00	370.00
	अ.जा.उ.यो.	522.00	475.00	522.00	475.00	522.00	475.00
कम्प्यूटर सेवाएं - विकास केन्द्र	सामान्य	1,360.00	1,296.00	1,442.98	..	1,442.98	..
	ज.जा.उ.यो.	280.00	267.00	284.99	..	284.99	..
	अ.जा.उ.यो.	360.00	343.00	372.98	..	372.98	..
कम्प्यूटर सेवाएं-ई-कार्यालय	सामान्य	340.00	330.00	1,775.96	39.43	1,775.96	39.43
	ज.जा.उ.यो.	70.00	75.50	393.70	8.05	393.70	8.06
	अ.जा.उ.यो.	90.00	94.50	488.85	11.84	488.85	11.84
महिला कल्याण-नारी निकेतन का संचालन	सामान्य	391.60	336.20	530.00	364.83	529.68	364.83
सरकारी-निजी सहभागिता के अन्तर्गत राज्य	सामान्य	2,057.65	607.88	285.36	285.93	285.36	285.93
सड़कों का निर्माण	ज.जा.उ.यो.	403.81	119.29	33.29	59.65	33.29	59.65
	अ.जा.उ.यो.	534.12	157.79	47.32	78.90	53.23	78.90

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन-	सामान्य	912.75	1,908.47	1,818.75	1,389.00	1,818.75	1,389.00
राजस्थान हेरिटेज् सुरक्षा तथा प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	120.00	0.01	120.00	..	120.00	..
प्राधिकरण (आर एच पी पी ए)	अ.जा.उ.यो.	125.00	0.01	70.00	..	70.00	..
राज्य योजना मशीनरी-	सामान्य	176.63	166.93	159.58	103.18	159.58	103.18
मुख्य मंत्री सलाहकार परिषद, राजस्थान							
अवैध खनन की रोकथाम	सामान्य	10.01	1,100.02	9.04	1,028.83	8.98	1,026.11
ग्रामीण विकास कार्यक्रम- गुरू गोलवलकर जनभागीदारी	सामान्य	..	680.00	..	1,020.00	..	1,020.00
विकास योजना	ज.जा.उ.यो.	..	140.00	..	210.00	..	210.00
	अ.जा.उ.यो.	..	180.00	..	270.00	..	270.00
गौ संरक्षण-वध से बचाये गौवंश को अनुदान	सामान्य	150.00	150.00	118.82	89.36	118.82	89.36
सम्पर्क केन्द्र संचालन	सामान्य	102.01	0.02	412.29	203.34	412.29	203.34
	ज.जा.उ.यो.	21.01	0.02	84.35	41.97	84.35	41.97
	अ.जा.उ.यो.	27.01	0.02	109.41	53.72	109.41	53.72
कम्प्यूटर सेवाएं - डाटा केन्द्र तथा नेटवर्क	सामान्य	5,940.01	10,689.00	14,372.54	14,779.39	14,372.54	14,779.39
संचालन केन्द्र (नेटवर्क संचालन केन्द्र)	ज.जा.उ.यो.	1,782.00	2,280.00	2,905.44	1,701.49	2,905.44	1,701.48
	अ.जा.उ.यो.	2,178.00	2,888.00	3,666.45	2,028.82	3,666.45	2,028.83
महिला कल्याण - महिला सुरक्षा तथा सलाह केन्द्र	सामान्य	80.00	80.00	102.31	76.34	102.31	73.94
	ज.जा.उ.यो.	14.00	14.00	13.87	13.78	13.86	13.78
	अ.जा.उ.यो.	16.00	16.00	14.96	15.92	14.96	15.92
सामूहिक विवाह अनुदान योजना	सामान्य	720.00	700.00	568.45	699.55	562.95	688.35
	ज.जा.उ.यो.	100.00	80.00	29.17	79.67	29.17	78.92
	अ.जा.उ.यो.	180.00	150.00	32.19	148.02	32.19	145.52
राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाओं के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति	सामान्य	250.00	319.00	158.56	166.87	155.33	166.87
	ज.जा.उ.यो.	2.00	5.00	..	0.22	..	0.22
	अ.जा.उ.यो.	3.00	5.50	0.14	1.39	0.14	1.34
उद्योग तथा संस्थान संवाद् प्रकोष्ठ	सामान्य	115.90	100.45	162.54	89.00	162.53	88.99
की स्थापना							

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
राजस्थान निवेश संवर्द्धन योजना	सामान्य	7,400.00	7,846.00	15,200.00	12,596.00	15,200.00	12,596.00
	ज.जा.उ.यो.	3,600.00	3,827.00	6,300.00	5,287.00	6,300.00	5,287.00
	अ.जा.उ.यो.	5,000.00	5,342.00	7,800.00	6,432.00	7,800.00	6,432.00
देहली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर	सामान्य	311.39	5,600.65	215.19	2,755.20	187.67	2,741.70
	ज.जा.उ.यो.	0.01	1,700.00	..	999.90	..	955.97
	अ.जा.उ.यो.	0.01	3,000.00	..	1,500.00	(-) 6.99	1,499.09
जिला सड़कें-आर आई डी एफ-XXI के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा पोषित सड़कें	सामान्य	60.79	60.79	29.10	82.14	29.10	82.14
	ज.जा.उ.यो.	11.93	11.93	6.91	8.96	6.91	8.96
	अ.जा.उ.यो.	15.78	15.78	7.29	19.11	7.29	19.11
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति-2015	सामान्य	30.02	180.00	76.34	109.59	76.33	109.59
ग्रामीण जलपूर्ति योजना,चम्बल नदी से चित्तौड़गढ जिले की भैंसरोड़गढ पंचायत समिति 38 गाँवों	सामान्य	648.05	65.00	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	151.24	12.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	198.44	17.00	..	..	..	..
सामाजिक कल्याण- सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा पशु दुर्घटना इत्यादि के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से सहायता	सामान्य	7,000.00	3,000.00	9,800.00	8,000.00	9,800.00	8,000.00
लघु सिंचाई कार्य (फोर वाटर कन्सेप्ट)	सामान्य	1,360.00	1,360.00	1,717.03	1,326.52	1,651.06	1,336.18
	ज.जा.उ.यो.	280.00	280.00	225.54	274.74	225.54	274.74
	अ.जा.उ.यो.	360.00	360.00	395.40	350.17	386.81	352.72
सड़क परिवहन-राजस्थान राज्य बस टर्मिनल प्राधिकरण	सामान्य	25.04	100.04	65.00	25.00	65.00	25.00
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	सामान्य	3,023.32	3,023.32	3,023.32	3,023.32	3,023.32	3,023.32
	ज.जा.उ.यो.	592.93	592.93	592.93	592.93	592.93	592.93
	अ.जा.उ.यो.	783.75	783.75	783.75	783.75	783.75	783.75
शहरी विकास- राजस्थान झील विकास प्राधिकरण	सामान्य	35.02	24.00	45.63	385.60	45.63	385.60
वन्य जीव संरक्षण - बायोलोजिकल पार्क, बीकानेर	सामान्य	0.02	0.02	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	350.01	350.01	349.13	348.76	349.13	348.76

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
पर्यटन प्रशिक्षण, उदयपुर के लिए उत्कर्ष केन्द्र की स्थापना	सामान्य	224.19	212.50	200.03	191.63	200.03	191.62
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाऐं–एलोपैथी	सामान्य	500.00	850.00	469.11	674.72	469.11	674.72
सार्वजनिक निजी सहभागिता मोड पर प्राथमिक स्वास्थ्य	ज.जा.उ.यो.	350.00	632.50	329.90	444.75	329.90	444.75
केन्द्रों के संचालन के लिए अनुदान	अ.जा.उ.यो.	350.00	685.00	270.14	537.35	270.14	537.35
अक्षय ऊर्जा– राजस्थान सूर्य ऊर्जा कंपनी लिमिडेड में निवेश	सामान्य	0.01	0.01	6,494.37	..	6,494.37	..
अक्षय ऊर्जा– राजस्थान लिमिटेड की सूर्य ऊर्जा कंपनी एस्सेल लिमिडेड में निवेश	सामान्य	0.01	0.01	2,325.57	..	2,325.57	..
अक्षय ऊर्जा– अडाणी अक्षय ऊर्जा पार्क राजस्थान लिमिटेड में निवेश	सामान्य	0.01	0.01	4,025.79	..	4,025.79	..
सिंचाई–राजस्थान नदी घाटी तथा जल संसाधन योजना प्राधिकरण को अनुदान	सामान्य	325.00	508.00	308.00	288.00	308.00	288.00
राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाली	सामान्य	670.00	400.00	1,473.00	95.77	1,473.00	95.77
प्रथम वर्ष की मेघावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना	ज.जा.उ.यो.	140.00	100.00	188.60	..	188.60	..
	अ.जा.उ.यो.	180.00	150.00	242.39	..	242.39	..
युवा प्रशिक्षु कार्यक्रम	सामान्य	1,166.30	1,641.30	318.47	180.13	318.45	180.12
भामाशाह रोजगार सृजन योजना	सामान्य	130.00	130.00	127.67	225.33	127.67	225.33
	ज.जा.उ.यो.	30.00	30.00	6.00	16.07	6.00	16.07
	अ.जा.उ.यो.	40.00	40.00	14.84	25.13	14.84	25.13
कम्प्यूटर सेवाएं - कमान और नियंत्रण केन्द्र	सामान्य	3,720.00	4,950.00	3,720.00	3,807.80	3,720.00	3,807.80
	ज.जा.उ.यो.	1,020.00	1,125.00	1,020.00	1,000.00	1,020.00	1,000.00
	अ.जा.उ.यो.	1,260.00	1,425.00	1,260.00	1,180.00	1,260.00	1,180.00
कम्प्यूटर सेवाएं - आई.टी. नीति के तहत प्रोत्साहन	सामान्य	0.01	0.01	70.03	..	70.03	..
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	14.42	..	14.42	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01	18.54	..	18.54	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
राजगढ़ जलपूर्ति परियोजना,	सामान्य	17.17	220.00	31.04	20.47	31.04	20.47
तहसील–पंचपहाड़, जिला झालावाड़ (ग्रामीण)	ज.जा.उ.यो.	3.38	42.00	5.84	3.92	5.84	3.92
	अ.जा.उ.यो.	4.45	58.00	8.09	5.45	8.09	5.45
प्रतापगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना	सामान्य	17.17	389.00	0.29	259.35	0.29	259.35
का पुनर्गठन	ज.जा.उ.यो.	3.38	73.00	..	1.80	..	1.80
	अ.जा.उ.यो.	4.45	102.00	..	66.99	..	66.99
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	सामान्य	3,77,500.00	2,67,554.28	3,95,713.34	3,76,651.79	3,93,175.23	3,71,880.03
	ज.जा.उ.यो.	72,500.00	53,448.00	75,295.32	76,455.45	74,874.50	75,788.89
	अ.जा.उ.यो.	91,000.00	68,268.00	89,170.53	94,348.16	88,604.72	94,245.67
मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना	सामान्य	1,62,000.00	1,15,566.00	1,60,589.41	1,29,154.80	1,59,844.50	1,29,152.25
	ज.जा.उ.यो.	27,500.00	24,654.00	29,718.12	23,847.98	29,552.87	23,845.62
	अ.जा.उ.यो.	38,800.00	31,640.00	42,053.87	33,648.64	41,828.97	33,648.39
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	सामान्य	41,700.00	32,254.00	41,868.75	35,587.24	41,657.55	35,586.95
	ज.जा.उ.यो.	6,800.00	5,717.00	7,582.16	5,924.70	7,538.72	5,924.68
	अ.जा.उ.यो.	11,500.00	9,605.00	12,784.84	10,040.24	12,711.63	10,040.21
औद्योगिक उत्पादकता– एकीकृत प्रसंस्करण विकास	सामान्य	1,150.00	1,150.00	2,350.00	800.00	2,350.00	800.00
योजना (आई पी डी एस)	ज.जा.उ.यो.	350.00	350.00	800.00	150.00	800.00	150.00
	अ.जा.उ.यो.	500.00	500.00	1,100.00	250.00	1,100.00	250.00
जिला सड़कें–नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ.	सामान्य	60.79	303.94	38.18	422.62	38.18	422.62
XXII की सड़कें	ज.जा.उ.यो.	11.93	59.65	1.42	79.46	1.42	79.46
	अ.जा.उ.यो.	15.78	78.89	2.48	112.24	2.48	112.24
पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थय–जिला कार्यालय	सामान्य	225.00	100.00	200.00	180.00	200.00	180.00
तथा पशु चिकित्सा अस्पताल का निर्माण							
अटरू–शेरगढ़ जलपूर्ति परियोजना,	सामान्य	24.04	454.00	18.03	165.83	18.03	165.83
जिला बांरा (ग्रामीण)	ज.जा.उ.यो.	4.73	86.00	3.54	32.00	3.54	32.00
	अ.जा.उ.यो.	6.23	118.00	4.67	43.04	4.67	43.04

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
अटरू–शेरगढ़ जलपूर्ति परियोजना,	सामान्य	0.01	259.00	14.32	..	14.32	..
जिला बांरा (शहरी)	ज.जा.उ.यो.	0.01	49.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	68.00	..	..	..	..
सिरोही जिले के लिए पेयजल	सामान्य	274.80	649.00	68.70	687.00	68.70	687.00
प्रयोजन हेतु बत्तीसा नाले पर बांध का निर्माण(शहरी)	ज.जा.उ.यो.	54.00	122.00	13.50	135.00	13.50	135.00
	अ.जा.उ.यो.	71.20	169.00	17.80	178.00	17.80	178.00
महिला कल्याण - मुख्यमंत्री राज श्री योजना	सामान्य	20,400.00	14,617.00	20,063.23	11,617.00	20,063.23	11,617.00
	ज.जा.उ.यो.	4,200.00	4,593.00	4,169.72	4,093.00	4,169.72	4,093.00
	अ.जा.उ.यो.	5,400.00	5,790.00	5,290.68	4,790.00	5,290.68	4,790.00
राज्य राजमार्ग - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सड़कें	सामान्य	20,530.97	8,861.29	7,901.78	7,075.38	7,901.78	7,075.38
पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	सामान्य	1.00	20.00	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	1,350.00	1,400.00	1,259.52	1,354.45	1,245.19	1,354.45
	अ.जा.उ.यो.	1,300.00	1,200.00	1,239.85	1,183.59	1,219.80	1,165.47
अन्नपूर्णा योजना	सामान्य	0.02	6,869.00	..	3,684.49	..	3,684.49
	ज.जा.उ.यो.	0.02	1,348.00	..	727.11	..	727.11
	अ.जा.उ.यो.	0.02	1,783.00	..	960.67	..	960.67
परिवहन सेवाएं–आर.एस.आर.डी.सी. को सड़कें तथा पुलों के लिए ऋण	सामान्य	0.01	0.01	24,340.98	2,106.13	24,340.98	2,106.13
जिला सड़कें–नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ.	सामान्य	303.67	924.29	182.35	940.99	182.35	940.99
XXIII की सड़कें	ज.जा.उ.यो.	59.65	165.66	..	105.18	(-) 4.63	105.18
	अ.जा.उ.यो.	79.16	237.48	22.45	128.17	22.45	128.17
राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली (जिलाधीश कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण)	सामान्य	379.69	0.01	214.11	37.13	214.11	37.13
सामाजिक सेवाएं - न्यास द्वारा संचालित मंदिरों के	सामान्य	0.01	354.72	0.47	238.24	0.47	238.24
उत्थान हेतु सहायता	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	..	..	..
भाषा विकास–शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राज्य संस्कृत संस्थान	सामान्य	196.25	182.09	343.30	185.54	343.29	185.53

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना	सामान्य	2,700.00	4,900.00	2,999.38	1,421.74	2,999.38	1,421.74
	ज.जा.उ.यो.	500.00	925.00	599.00	274.47	599.00	274.47
	अ.जा.उ.यो.	700.00	1,175.00	750.00	356.58	750.00	356.58
सिंचाई-पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	सामान्य	16,320.00	11,900.00	28,425.92	15,484.96	25,907.10	11,163.89
	ज.जा.उ.यो.	3,360.00	2,450.00	6,076.69	3,188.08	5,648.88	3,188.08
	अ.जा.उ.यो.	4,320.00	3,150.00	8,338.64	4,098.96	7,770.74	4,172.24
उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता - गुरू गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा	ज.जा.उ.यो.	0.03	471.00	125.00	171.00	125.00	171.00
सैनिक विद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति	सामान्य	213.93	213.93	237.23	102.50	237.23	102.50
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (ऐलोपैथी) अध्यापन अस्पताल- (आदर्श नगर सैटेलाइट अस्पताल, अजमेर)	सामान्य	162.38	158.88	157.33	158.18	157.33	158.18
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (ऐलोपैथी)अध्यापन अस्पताल- (सेठी कॉलोनी, सैटेलाइट अस्पताल, जयपुर)	सामान्य	169.25	160.58	161.38	150.21	161.36	150.20
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (ऐलोपैथी) अध्यापन अस्पताल- (कावंटिया अस्पताल, जयपुर)	सामान्य	316.59	272.54	297.54	279.44	294.27	279.40
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (ऐलोपैथी)अध्यापन अस्पताल- (बर्नीपार्क सैटेलाइट अस्पताल, जयपुर)	सामान्य	172.63	169.66	170.34	142.76	170.25	142.75
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (ऐलोपैथी)अध्यापन अस्पताल- (जिला अस्पताल, पावटा, जोधपुर)	सामान्य	282.44	276.74	276.66	249.57	276.67	249.58
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (ऐलोपैथी)अध्यापन अस्पताल- (महिला जिला अस्पताल, जोधपुर)	सामान्य	120.35	87.68	113.34	98.27	113.34	98.27
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (ऐलोपैथी)अध्यापन अस्पताल- (प्रतापनगर सेटेलाइट अस्पताल, जोधपुर)	सामान्य	336.95	301.35	345.27	297.81	345.26	297.80
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (ऐलोपैथी)अध्यापन अस्पताल- (शिवराम नाथूराम टांक अस्पताल, मण्डोर, जोधपुर)	सामान्य	119.20	96.22	132.80	103.33	132.79	103.32

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (ऐलोपैथी)अध्यापन अस्पताल– (श्री खेमराज कटारा सरकारी सेटेलाइट अस्पताल, उदयपुर)	सामान्य	118.90	109.14	136.18	97.93	136.17	97.91
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (ऐलोपैथी)अध्यापन अस्पताल– (सुंदर सिंह भंडारी सैटेलाइट अस्पताल, उदयपुर)	सामान्य	132.42	125.92	148.59	116.81	148.59	116.82
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (ऐलोपैथी) अध्यापन अस्पताल– (जिला अस्पताल बीकानेर)	सामान्य	169.90	147.92	148.89	140.32	148.89	140.32
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (ऐलोपैथी)अध्यापन अस्पताल– (राजकीय जिला अस्पताल, रामपुर कोटा)	सामान्य	115.75	107.25	121.53	89.08	121.52	88.86
सड़क परिवहन - समर्पित राजस्थान सड़क सुरक्षा कोष से हस्तान्तरण	सामान्य	25,058.00	9,304.05	7,524.03	2,636.38	7,510.07	2,636.35
राजस्थान चाकन बांध जिला बूंदी से इन्द्रगढ़	सामान्य	13.74	195.00	10.27	194.38	10.27	194.38
जलपूर्ति परियोजना (शहरी)	ज.जा.उ.यो.	2.70	37.00	2.02	37.00	2.02	37.00
	अ.जा.उ.यो.	3.56	51.00	2.66	51.00	2.66	51.00
जाखम बांध से जिला प्रतापगढ़	सामान्य	0.01	530.00	..	..	..	..
के गाँवों के लिए जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)	ज.जा.उ.यो.	0.01	101.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	138.00	..	..	..	..
चम्बल भीलवाड़ा जलपूर्ति परियोजना	सामान्य	24.04	1,362.00	20.47	634.77	20.47	634.77
के विस्तार से बूंदी का क्लस्टर वितरण जलपूर्ति	ज.जा.उ.यो.	4.73	257.00	4.19	119.77	4.19	119.77
परियोजना (ग्रामीण)	अ.जा.उ.यो.	6.23	355.00	5.68	165.45	5.68	165.45
वन्य जीव संरक्षण- तेंदुआ परियोजना	सामान्य	200.00	300.00	198.23	141.32	198.23	141.32
गोदामों और घास के मैदानों का विकास तथा संरक्षण	सामान्य	220.00	200.00	214.12	155.53	213.99	155.53
बड़े पौधों की वानिकी	सामान्य	169.40	426.35	177.45	390.96	176.78	389.05
छात्रावासियों के लिए साइकिल वितरण योजना	सामान्य	25.00	10.00	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	15.00	15.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	75.00	75.01	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण–राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय	सामान्य	160.00	160.00	152.00	135.00	152.00	135.00
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रतिभाशाली लड़कों और लड़कियों के लिए एक मुश्त नकद पुरस्कार और स्कूटी वितरण योजना	सामान्य	920.00	385.00	815.53	48.84	815.23	48.84
लोक निर्माण कार्य–राजस्थान राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण भवन का निर्माण	सामान्य	853.10	353.98	439.02	395.94	439.02	386.58
सामान्य शिक्षा - नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIII के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य	सामान्य	5,000.00	3,000.00	..	1,500.00	..	1,500.00
आवासीय विद्यालयों का संचालन–जिला परिषदों/जिला स्तर पंचायतों को सहायता	अ.जा.उ.यो.	3,506.05	3,203.05	3,378.11	2,359.42	3,372.73	2,359.41
अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुदान	सामान्य	180.00	167.00	135.00	132.00	135.00	132.00
अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण–राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को अनुदान	सामान्य	137.20	137.20	1,796.50	95.00	1,796.50	95.00
लोक निर्माण कार्य– न्यायिक प्रशासन भवन	सामान्य	973.45	884.96	492.30	764.70	492.30	764.66
अल्पसंख्यकों का विकास–राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग को अनुदान	सामान्य	110.00	110.00	86.00	55.00	86.00	55.00
सामाजिक कल्याण–राजस्थान पेंशनभोगी मेडिकल निधि के लिए ऋण	सामान्य	15,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00
योग्यजनों का कल्याण–शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यागों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को अनुदान	सामान्य	1,800.00	1,300.00	1,792.80	1,499.19	1,792.80	1,499.19
बाल कल्याण–मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए आवास	सामान्य	403.93	403.81	371.71	348.99	371.70	348.95
महिला कल्याण–मानसिक रूप से मंद महिलाओं के लिए आवास	सामान्य	393.70	405.40	399.13	354.55	399.13	351.88

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क/ रियायती यात्रा की राशि की प्रतिपूर्ति	सामान्य	15,000.00	20,000.00	25,500.00	7,989.91	25,500.00	7,989.91
पर्यावरण और प्रदूषण प्रबंधन	सामान्य	0.01	0.01	1,350.00	..	1,327.94	..
शहरी जलपूर्ति योजनाएं- राजस्थान जलपूर्ति और सीवरेज निगम (आर डब्ल्यू एस एस सी) के माध्यम से पूंजी कार्य	सामान्य	250.00	356.00	211.16	295.23	211.16	295.23
बीकानेर क्षेत्र के नहर क्षेत्रों में इनलेत चैनल और डिग्गियों का आधुनिकीकरण, कायाकल्प ओर सुद्दढीकरण (ग्रामीण)	सामान्य	3,000.00	5,640.00	1,587.30	3,282.55	1,577.38	3,282.54
बीसलपुर-जयपुर जलपूर्ति परियोजना फेज- II (शहरी)	सामान्य	4,594.39	2,260.00	3,741.54	2,079.64	3,738.54	2,073.89
किशनगढ शहरी जलपूर्ति योजना का पुनर्गठन	सामान्य	34.35	117.00	25.52	28.29	25.52	28.29
बिजली शुल्क को नही बढाने हेतु-वितरण डिस्कॉम को अनुदान	सामान्य	8,59,481.97	9,31,578.87	11,88,358.28	7,77,278.25	11,88,358.28	7,77,278.25
	ज.जा.उ.यो.	2,36,682.96	2,14,979.75	2,97,108.82	1,78,555.29	2,97,108.82	1,78,555.29
	अ.जा.उ.यो.	5,27,509.94	2,86,639.66	4,95,181.37	3,19,575.66	4,95,181.37	3,19,575.66
बिजली ड्यूटी सहाय्य-वितरण डिस्कॉम को अनुदान	सामान्य	1,06,466.92	1,06,899.89	1,02,057.29	96,177.16	1,02,057.29	96,177.16
	ज.जा.उ.यो.	21,919.66	22,008.80	21,011.79	19,801.18	21,011.79	19,801.18
	अ.जा.उ.यो.	28,182.42	28,297.03	27,015.18	25,458.66	27,015.18	25,458.66
बिजली चोरी अपराध की प्रषगम राशि के विरूद्ध वितरण डिस्कॉम को अनुदान	सामान्य	2,686.17	1,389.23	1,633.14	2,086.60	1,633.14	2,086.60
	ज.जा.उ.यो.	553.04	286.01	336.23	429.61	336.23	429.61
	अ.जा.उ.यो.	711.04	367.74	432.31	552.33	432.31	552.33
जिला सड़कें- नाबार्ड द्वारा पोषित आर आई डी एफ XXIV की सड़के	सामान्य	616.19	2,464.78	1,301.12	8,906.16	1,301.12	8,908.71
	ज.जा.उ.यो.	110.44	441.77	209.85	1,463.82	209.85	1,463.82
	अ.जा.उ.यो.	158.32	633.27	304.84	2,077.90	304.84	2,077.90
कम्प्यूटर सेवाएं- स्टार्टअप	सामान्य	1,361.00	1,360.00	1,777.35	232.23	1,777.35	232.23
	ज.जा.उ.यो.	281.00	280.00	367.01	46.33	367.01	46.33
	अ.जा.उ.यो.	361.00	360.00	474.00	13.06	474.00	13.06

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
सिंचाई–जयसमन्द परियोजना	सामान्य	612.00	2,244.00	479.61	1,987.94	465.22	1,979.28
	ज.जा.उ.यो.	126.00	462.00	295.83	420.00	288.66	419.32
	अ.जा.उ.यो.	162.00	594.00	126.95	495.51	124.14	498.39
पर्यटक सहायता बल	सामान्य	220.00	220.00	217.99	244.87	217.99	244.87
आवास–मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सरकारी आवास	सामान्य	200.00	200.00	118.05	137.04	118.04	137.04
आवास - V एवं VI टाईप के सरकारी आवासीय क्वार्टर	सामान्य	150.00	150.00	89.15	87.46	88.25	87.47
आवास - I एवं II टाईप के सरकारी आवासीय क्वार्टर	सामान्य	150.00	150.00	73.88	112.55	73.27	112.55
आवास - III एवं IV टाईप के सरकारी आवासीय क्वार्टर	सामान्य	250.00	250.00	112.45	103.91	110.92	103.91
बागवानी एवं सब्जी फसले–उत्कृष्टता केन्द्रों का संचालन	सामान्य	362.50	369.26	302.80	296.06	302.57	296.06
	ज.जा.उ.यो.	..	0.01	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	..	0.01	..	..	..	..
गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय को सहायता–सैनिक विद्यालय, चित्तौड़गढ	सामान्य	1,275.00	450.00	675.00	100.00	675.00	100.00
गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय को सहायता–सैनिक विद्यालय, झुन्झुनू	सामान्य	3,550.00	3,600.00	2,366.15	3,575.00	2,366.15	3,575.00
कृषि विकास–महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ऋण	सामान्य	0.01	0.01	4,300.00	..	4,300.00	..
कृषि विकास–स्वामी केश्वानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को ऋण	सामान्य	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00
लोक निर्माण कार्य–निर्वाचन विभाग भवन का निर्माण	सामान्य	136.85	11.00	128.42	10.87	128.41	10.87
राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (आर.यू. आई.डी.पी.फेज-IV)	सामान्य	..	17,499.02	..	14,570.88	..	14,526.92

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
समाज कल्याण- राज्य विशेष रूप से विकलांग कल्याण निधि के तहत चल रही योजनाएं	सामान्य	0.01	0.01	11,500.00	..	11,500.00	..
सहकारिता-कृषि ऋण माफी योजना	सामान्य	2,24,000.01	2,92,100.01	2,29,400.00	3,16,200.00	2,29,400.00	3,16,200.00
	ज.जा.उ.यो.	41,600.01	54,300.01	42,614.00	58,800.00	42,614.00	58,800.00
	अ.जा.उ.यो.	54,400.01	70,900.01	55,700.00	76,728.00	55,700.00	76,728.00
राजस्थान दूध पोषण कार्यक्रम (मिड डे मील)	सामान्य	0.01	40,600.00	..	3,250.00	..	3,250.00
	ज.जा.उ.यो.	0.01	15,300.00	..	750.00	..	750.00
	अ.जा.उ.यो.	0.01	16,700.00	..	1,000.00	..	1,000.00
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-जनजाति कल्याण निधि के तहत स्वरोजगार के लिए अनुदान	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	500.00	1,958.90	500.00	1,958.90
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-जनजाति कल्याण निधि के तहत खैरवा के लिए एकीकृत विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	200.00	200.00	199.90	196.72	199.90	196.72
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा	सामान्य	0.01	0.01	..	..	..	..
अल्पसंख्यको का कल्याण-ऋण माफी के लिए अनुदान	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	629.00	..	629.00
गरदा पेयजल परियोजना (ग्रामीण)	सामान्य	1,030.50	344.00	..	156.64	..	156.64
	ज.जा.उ.यो.	202.50	65.00	..	30.78	..	30.78
	अ.जा.उ.यो.	267.00	91.00	..	40.58	..	40.58
परवन-अकवड पेयजल परियोजना	सामान्य	3,435.00	344.00	2,576.25	687.07	2,576.25	687.07
(ग्रामीण)	ज.जा.उ.यो.	675.00	65.00	454.66	134.62	454.66	134.62
	अ.जा.उ.यो.	890.00	91.00	667.50	178.30	667.50	178.30
बीसलपुर-जयपुर जलपूर्ति	ज.जा.उ.यो.	600.00	457.00	800.00	356.83	800.00	356.83
परियोजना फेज- द्वितीय (शहरी)	अ.जा.उ.यो.	800.00	577.00	706.36	504.53	706.36	504.53
हरिपूरा मानजी जलपूर्ति परियोजना, जिला कोटा	सामान्य	0.01	324.00	..	..	..	..
(ग्रामीण)	ज.जा.उ.यो.	0.01	61.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	85.00	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
माध्यमिक शिक्षा नाबार्ड आर आई डी एफ XXIV के	सामान्य	5,763.00	6,300.00	700.00	5,180.00	700.00	5,180.00
तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य	ज.जा.उ.यो.	1,070.00	1,200.00	130.00	960.00	130.00	960.00
	अ.जा.उ.यो.	1,400.00	1,500.00	170.00	1,260.00	170.00	1,260.00
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज-।।। के तहत	सामान्य	700.03	3,178.02	899.72	1,095.01	899.72	1,095.00
सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन	ज.जा.उ.यो.	150.03	528.04	200.00	503.02	200.00	503.00
	अ.जा.उ.यो.	150.03	694.03	300.00	667.02	300.00	667.00
राज्य के इच्छुक उम्मीदवारों को सेना में प्रारंभिक भर्ती	सामान्य	0.01	1,000.00	..	..	..	..
के लिए आवासीय सुविधाएं एवं प्रशिक्षण							
रिफाइनरी क्षेत्र, पचपदरा में साल्ट पिट धारकों को	सामान्य	90.00	90.00	..	..	..	..
इनाम तथा क्षतिपूर्ति	ज.जा.उ.यो.	30.00	30.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	35.00	35.00	..	..	..	..
नाबार्ड आर. आई .डी. एफ. XXIV के तहत पशु चिकित्सालय	सामान्य	500.00	1,000.00	..	4,000.00	..	4,000.00
तथा उप केन्द्रों का निर्माण	ज.जा.उ.यो.	200.00	500.00	..	1,700.00	..	1,700.00
	अ.जा.उ.यो.	300.00	1,000.00	..	3,200.00	..	3,200.00
पुरातत्व-स्मारक तथा संग्रहालय	सामान्य	2,235.00	1,576.23	2,001.09	801.29	2,001.09	801.30
	ज.जा.उ.यो.	500.00	301.48	396.73	169.89	396.73	169.89
	अ.जा.उ.यो.	990.00	398.76	833.35	..	833.35	..
आई.जी.एन.पी. क्षेत्रों में पुनर्रोपण	सामान्य	1,061.00	..	1,078.32	..	1,075.98	..
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाड़मेर को तकनीकी	सामान्य	100.00	100.00	100.01	..	100.00	..
शिक्षा के लिए सहायता							
नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ. –XXV की	सामान्य	9,242.92	19,416.29	6,606.60	11,570.05	6,606.60	11,570.05
सड़कें	ज.जा.उ.यो.	1,656.64	3,480.04	972.00	1,944.13	972.00	1,944.13
	अ.जा.उ.यो.	2,374.78	4,988.62	1,464.88	2,690.16	1,464.88	2,696.86
पी.एम.एस.एस.वाई.	सामान्य	400.00	300.01	292.98	300.00	292.98	300.00
	ज.जा.उ.यो.	1,700.00	100.01	1,050.00	100.00	1,050.00	100.00
	अ.जा.उ.यो.	548.00	100.01	348.00	100.00	348.00	100.00

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
सीमान्त तथा लघु कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना	सामान्य	24,100.00	13,272.56	19,416.52	17,855.80	19,352.64	17,855.80
	ज.जा.उ.यो.	3,600.00	2,336.33	3,296.02	3,043.52	3,285.14	3,043.52
	अ.जा.उ.यो.	4,400.00	2,612.40	3,733.60	3,636.41	3,720.05	3,636.85
मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना	सामान्य	7,000.00	7,000.00	7,840.00	5,250.00	7,840.00	5,250.00
	ज.जा.उ.यो.	6,500.00	6,500.00	7,280.00	4,875.00	7,280.00	4,875.00
	अ.जा.उ.यो.	6,500.00	6,500.00	7,280.00	4,875.00	7,280.00	4,875.00
माध्यमिक शिक्षा - नाबार्ड XXV के तहत माध्यमिक विद्यालय में निर्माण कार्य	सामान्य	15,000.00	10,000.00	7,500.00	25,000.00	7,500.00	25,000.00
नाबार्ड भण्डारण योजना (एन.डब्ल्यू. एस.) 2013-14 के अन्तर्गत भण्डारण आधारभूत निधि (डब्ल्यू.आई.एफ.) से ऋण सहायता	सामान्य	2,825.00	2,550.00	200.00	1,500.00	200.00	1,500.00
मुख्यमंत्री युवा समर्थन योजना	सामान्य	69,733.00	43,619.46	41,725.82	35,235.77	41,725.81	35,235.77
	ज.जा.उ.यो.	13,708.00	7,800.01	7,298.38	5,484.79	7,298.38	5,484.79
	अ.जा.उ.यो.	18,104.00	10,200.01	8,273.28	6,762.14	8,273.28	6,762.14
नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXV के तहत पशु चिकित्सालयों तथा उपकेन्द्रों का निर्माण	सामान्य	..	0.01	..	600.00	..	..
शून्य लागत आधारित कृषि	सामान्य	340.00	340.00	9.22	149.45	9.22	149.45
	ज.जा.उ.यो.	70.00	70.00	0.62	39.02	0.62	39.01
	अ.जा.उ.यो.	90.00	90.00	0.10	34.66	0.10	34.67
जुलीफ्लोरा स्थानीय प्रजातियों के पेड़ों का पुनर्रोपण का उन्मूलन और पोधारोपण	सामान्य	300.00	..	292.85	..	292.75	..
राजस्थान जन आधार योजना	सामान्य	2,477.97	3,273.03	1,806.42	851.83	1,806.41	851.83
	ज.जा.उ.यो.	1,584.02	2,045.02	853.14	602.00	853.14	602.00
	अ.जा.उ.यो.	2,566.02	3,136.02	1,380.00	980.00	1,380.00	980.00
सोशल मीडिया गतिविधियां	सामान्य	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00
	ज.जा.उ.यो.	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00
	अ.जा.उ.यो.	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
जन सूचना पोर्टल	सामान्य	105.01	105.01	105.00	105.00	105.00	105.00
	ज.जा.उ.यो.	19.51	19.51	19.50	19.50	19.50	19.50
	अ.जा.उ.यो.	25.51	25.51	25.50	25.50	25.50	25.50
राजीव गांधी जल संचय योजना	सामान्य	8,840.00	6,869.00	8,571.53	3,175.79	8,571.53	3,175.79
	ज.जा.उ.यो.	2,340.00	1,783.00	1,731.83	849.45	1,731.83	849.45
	अ.जा.उ.यो.	1,820.00	1,348.00	1,820.00	660.67	1,820.00	660.67
नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXV के तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज-II में नहरों का आधुनिकीकरण/नवीनीकरण कार्य (बीकानेर जोन)	सामान्य	3,650.00	445.01	2,707.95	1,173.28	2,707.95	1,173.28
	अ.जा.उ.यो.	1,350.00	80.01	1,286.79	329.70	1,286.79	329.70
नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXV के तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज-II में नहरों का आधुनिकीकरण/नवीनीकरण कार्य (जैसलमेर जोन)	सामान्य	2,000.00	821.00	1,300.00	39.46	1,298.75	39.46
	अ.जा.उ.यो.	500.00	179.00	499.64	9.55	499.64	9.55
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना	सामान्य	4,550.00	650.00	3,789.42	359.56	3,772.24	359.56
	ज.जा.उ.यो.	1,050.00	150.00	608.38	1.24	608.38	1.24
	अ.जा.उ.यो.	1,400.00	200.00	740.10	2.23	740.10	2.23
स्थगित अनुदान का भुगतान	सामान्य	1,020.00	975.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00
	ज.जा.उ.यो.	210.00	225.00	210.00	210.00	210.00	210.00
	अ.जा.उ.यो.	270.00	300.00	270.00	270.00	270.00	270.00
चुंगी प्रतिपूर्ति	सामान्य	1,57,464.96	1,43,149.95	1,57,464.96	1,43,149.95	1,57,464.96	1,43,149.95
	ज.जा.उ.यो.	30,901.55	28,092.32	30,901.55	28,092.32	30,901.55	28,092.32
	अ.जा.उ.यो.	40,873.49	37,157.73	40,873.49	37,157.73	40,873.49	37,157.73
बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना	सामान्य	..	3,450.00	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	..	650.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	..	900.00	..	..	..	..
किसान कल्याण कोष (के-3)	सामान्य	0.01	8,000.00	..	..	..	..
निर्यात प्रोत्साहन के लिए कॉर्पस निधि	सामान्य	25.00	100.00	25.00	75.00	25.00	75.00
शहरी विकास - टॉउन हॉल का निर्माण	सामान्य	3,434.51	2,060.71	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	674.01	404.41	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	891.51	534.91	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
सीवरेज लाईनों की सफाई	सामान्य	3,023.32	3,023.32	3,023.32	3,023.32	3,023.32	3,023.32
	ज.जा.उ.यो.	592.93	592.93	592.93	592.93	592.93	592.93
	अ.जा.उ.यो.	783.75	783.75	783.75	783.75	783.75	783.75
क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (दिल्ली–गुडगांव–	सामान्य	0.01	200.00	..	200.00	..	200.00
रेवाड़ी–अलवर कॉरिडोर)	ज.जा.उ.यो.	0.01	150.00	..	150.00	..	150.00
	अ.जा.उ.यो.	0.01	150.00	..	150.00	..	150.00
इंदिरा महिला शक्ति योजना	सामान्य	4,925.23	4,900.22	2,599.89	2,435.50	2,599.82	2,441.61
	ज.जा.उ.यो.	947.13	947.13	299.74	258.18	299.74	260.08
	अ.जा.उ.यो.	1,217.73	1,217.73	531.96	522.92	532.47	525.04
जिला सड़कें - नाबार्ड द्वारा पोषित आर आई डी एफ–	सामान्य	9,765.45	3,039.38	13,773.13	751.31	13,773.13	751.30
XXIV की सड़कें	ज.जा.उ.यो.	1,750.29	596.46	2,284.31	120.75	2,284.31	120.75
	अ.जा.उ.यो.	2,509.04	788.94	3,328.00	163.98	3,328.90	163.98
राजस्थान कौशल मिशन	सामान्य	1,150.00	1,030.33	1,717.00	1,030.00	1,717.00	1,030.00
	ज.जा.उ.यो.	215.00	202.21	337.00	200.00	337.00	200.00
	अ.जा.उ.यो.	285.00	267.46	446.00	270.00	446.00	270.00
पी.एम.–कुसुम के लिए सहायता कम्पोनेट बी	सामान्य	14,020.50	0.05	14,627.28	..	14,627.28	..
	ज.जा.उ.यो.	2,579.50	0.01	2,549.38	..	2,549.38	..
	अ.जा.उ.यो.	3,400.00	0.01	2,399.58	..	2,399.58	..
सूक्ष्म सिंचाई के लिए अतिरिक्त सहाय्य	सामान्य	7,000.00	0.01	2,222.45	..	2,222.45	..
	ज.जा.उ.यो.	1,300.00	0.01	166.08	..	164.13	..
	अ.जा.उ.यो.	1,700.00	0.01	210.90	..	211.96	..
नाबार्ड (आर आई डी एफ-XXVI) (ग्रामीण)	सामान्य	15,801.00	0.01	10,730.87	..	10,730.87	..
द्वारा वित्त पोषित जलपूर्ति परियोजनाएं	ज.जा.उ.यो.	3,105.00	0.01	1,906.66	..	1,906.66	..
	अ.जा.उ.यो.	4,094.00	0.01	3,795.97	..	3,795.97	..
राज्य स्तरीय जिला पॉलीक्लिनिक, पशु चिकित्सा	सामान्य	4,000.00	..	3,000.00	1,400.00	3,000.00	2,000.00
अस्पतालों तथा उप केन्द्र/औषधालय का निर्माण–	ज.जा.उ.यो.	1,500.00	..	1,000.00	..	1,000.00	..
नाबार्ड (आर आई डी एफ-XXVI)	अ.जा.उ.यो.	2,500.00	..	1,000.00	..	1,000.00	..
काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना	सामान्य	450.00	..	450.00	..	450.00	..
	अ.जा.उ.यो.	600.00	..	1,040.00	..	1,040.00	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
कोविड-19 से प्रभावित कमजोर लोगों को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	36,100.00	..	39,600.00	..	39,600.00	..
	ज.जा.उ.यो.	10,200.00	..	11,220.00	..	11,220.00	..
	अ.जा.उ.यो.	13,700.00	..	15,180.00	..	15,180.00	..
ग्रामीण विकास -जिला नवाचार कोष	सामान्य	825.00	..	825.00	412.50	825.00	412.50
	ज.जा.उ.यो.	330.00	..	330.00	165.00	330.00	165.00
	अ.जा.उ.यो.	495.00	..	495.00	247.50	495.00	247.50
माध्यमिक शिक्षा-कस्तूरबा गांधी छात्रा विद्यालयों की संस्थापना	सामान्य	4,090.00	..	1,380.00	483.00	1,380.00	483.00
	ज.जा.उ.यो.	835.00	..	270.00	94.50	270.00	94.50
	अ.जा.उ.यो.	1,075.00	..	350.00	122.50	350.00	122.50
हिंडोली-नैनवा जलपूर्ति परियोजना, जिला बूंदी से चंबल भीलवाड़ा जलपूर्ति परियोजना चरण-I (शहरी)	सामान्य	893.10	..	349.25	..	349.25	..
	ज.जा.उ.यो.	175.50	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	231.40	..	..	..	..	..
यू.डब्ल्यू.एस.एस. उदयपुर के लिए जयसमंद झील से उत्पादन का संवर्द्धन	सामान्य	1,717.50	..	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	337.50	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	445.00	..	..	..	..	..
अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	सामान्य	100.00	..	49.98	..	49.98	..
विश्वविद्यालयों को अनुदान-राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	सामान्य	12,500.00	..	12,500.00	..	12,500.00	..
विश्वविद्यालयों को अनुदान-जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर	सामान्य	12,200.00	..	12,400.00	..	12,400.00	..
विश्वविद्यालयों को अनुदान-मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर	सामान्य	5,000.00	..	5,500.00	..	5,500.00	..
निरोगी राजस्थान	सामान्य	700.03	..	350.00	..	350.00	..
	ज.जा.उ.यो.	130.03	..	65.00	..	65.00	..
	अ.जा.उ.यो.	170.03	..	85.00	..	85.00	..
जनता क्लीनिक	सामान्य	165.60	..	17.91	1.69	17.91	1.69
	ज.जा.उ.यो.	29.91	..	8.81	..	8.82	..
	अ.जा.उ.यो.	39.51	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एम एस ई- सीडीपी)	सामान्य	270.00	..	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	80.00	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	100.00	..	..	..	..	..
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण- पीड़ित मुआवजा योजना (वी सी एस)	सामान्य	1,500.00	..	1,813.42	..	1,813.42	..
	ज.जा.उ.यो.	500.00	..	476.08	..	476.08	..
	अ.जा.उ.यो.	500.00	..	225.35	..	225.35	..
महिला कल्याण- राजस्थान राज्य महिला आयोग को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	260.00	..	250.00	..	250.00	..
श्रम कल्याण- श्रम कल्याण बोर्ड राजस्थान को भवन और अन्य निर्माण	सामान्य	40,000.00	..	36,755.12	..	36,755.12	..
कला और संस्कृति का उन्नयन- आमेर विकास तथा प्रशासनिक प्राधिकरण को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	3,100.33	..	2,293.25	..	2,293.25	..
आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन	सामान्य	250.00	..	76.07	..	75.87	..
पत्रकार कल्याण योजना	सामान्य	200.00	..	600.00	..	600.00	..
पर्यटन- राजस्थान पर्यटन विकास निगम को अनुदान	सामान्य	0.01	..	1,030.00	..	1,030.00	..
जलपूर्ति योजनाओं का रखरखाव एव संचालन (शहरी)	सामान्य	1,677.41	..	1,677.41	..	1,677.41	..
	ज.जा.उ.यो.	329.18	..	329.18	..	329.18	..
	अ.जा.उ.यो.	435.41	..	435.41	..	435.41	..
राजस्थान शहरी विकास कोष द्वारा संचालित योजनाएं	सामान्य	6,869.00	..	20,607.00	..	20,607.00	..
	ज.जा.उ.यो.	1,348.00	..	4,044.00	..	4,044.00	..
	अ.जा.उ.यो.	1,783.00	..	5,349.00	..	5,349.00	..
बीकानेर हाउस प्रबन्धन सोसाइटी, नई दिल्ली को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	100.01	..	100.00	..	100.00	..
समाज कल्याण- राज्य सूचना आयोग को सहातार्थ अनुदान	सामान्य	575.00	..	566.00	..	610.00	..
जल संरक्षण उपकर कोष द्वारा संचालित योजनाएं	सामान्य	1,174.01	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना और प्रशासनिक खर्च	सामान्य	860.00	..	645.00	..	645.00	..
	ज.जा.उ.यो.	270.00	..	201.00	..	201.00	..
	अ.जा.उ.यो.	370.00	..	279.00	..	279.00	..
खादी बिक्री पर छूट	सामान्य	400.00	..	1,000.00	..	1,000.00	..
	ज.जा.उ.यो.	150.00	..	400.00	..	400.00	..
	अ.जा.उ.यो.	200.00	..	600.00	..	600.00	..
दंगों के पीड़ितों को मुआवजा	सामान्य	25.00	..	352.06	..	351.96	..
	ज.जा.उ.यो.	0.01	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	..	..	..	..	..
पुलिस कर्मियों का कल्याण	सामान्य	186.00	..	118.17	..	118.17	..
	ज.जा.उ.यो.	39.00	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	50.00	..	25.00	..	25.00	..
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण- राज्य मानवाधिकार आयोग को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	583.50	..	548.10	..	548.10	..
पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरित कर्मचारियों के स्थापना व्यय हेतु अनुदान	सामान्य	1,445.00	..	883.86	..	883.86	..
ग्रामीण विकास- इंदिरा गांधी पंचायती और ग्रामीण विकास संस्थान	सामान्य	150.00	..	170.00	..	170.00	..
ग्रामीण विकास- हेण्ड पम्प मिस्त्री और फिटर हेतु अनुदान	सामान्य	8,050.00	..	8,850.00	..	8,850.00	..
राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	136.16	..	111.73	..	111.73	..
बिजली कंपनियों को ब्याज सहाय्य	सामान्य	1,898.50	..	1,898.46	..	1,898.46	..
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण- सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सहायता	सामान्य	201.20	..	1,601.00	..	1,601.00	..
खेल और युवा सेवाएं- भारत स्काउट एंड गाइड को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	100.00	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
सैनिक विद्यालय, चित्तौड़गढ़ को ऋण	सामान्य	0.01	..	360.00	360.00	360.00	360.00
प्रारंभिक शिक्षा- शिक्षाकर्मी बोर्ड	सामान्य	7,520.00	..	8,068.00	..	8,068.00	..
प्रारंभिक शिक्षा- प्राथमिक विद्यालय के लिए पंचायत	सामान्य	2,20,150.00	..	2,73,547.56	..	2,73,547.10	..
समितियों को सहायतार्थ अनुदान	ज.जा.उ.यो.	20,010.00	..	25,009.92	..	25,009.92	..
वानिकी- पंचायती राज संस्थानों को स्थानान्तरित	सामान्य	1,565.40	..	707.33	..	707.33	..
कर्मचारियों का स्थापना व्यय	ज.जा.उ.यो.	202.60	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	10.00	..	..	..	..	..
क्षेत्रीय उड़ान कनेक्टिविटी योजना	सामान्य	1,500.00	..	697.09	..	697.09	..
महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना	सामान्य	1,700.00	..	4,420.00	..	4,410.21	..
	ज.जा.उ.यो.	350.00	..	910.00	..	907.98	..
	अ.जा.उ.यो.	450.00	..	1,170.00	..	1,167.41	..
सीवरेज योजनाओं का रखरखाव- स्थानीय निकायों को सहायता	सामान्य	660.00	..	..	..	..	..
लघु सिंचाई-राज्य जल संसाधन योजना विभाग से संबंधित कार्य	सामान्य	395.55	..	364.73	..	364.72	..
नाबार्ड (आर आइ डी एफ XXI) द्वारा वित्त	सामान्य	1,219.42	..	1,219.41	..	1,219.41	..
पोषित जलपूर्ति परियोजनाएं (ग्रामीण)	ज.जा.उ.यो.	239.60	..	134.51	..	134.51	..
	अ.जा.उ.यो.	315.95	..	229.05	..	229.05	..
नाबार्ड (आर आइ डी एफ XXII) द्वारा वित्त	सामान्य	343.50	..	..	..	..	..
पोषित जलपूर्ति परियोजनाएं (ग्रामीण)	ज.जा.उ.यो.	67.50	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	89.00	..	..	..	..	..
नाबार्ड (आर आइ डी एफ XXIII) द्वारा वित्त	सामान्य	2,748.00	..	1,717.51	..	1,717.51	..
पोषित जलपूर्ति परियोजनाएं (ग्रामीण)	ज.जा.उ.यो.	540.00	..	337.50	..	337.50	..
	अ.जा.उ.यो.	712.00	..	444.99	..	444.99	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
नाबार्ड(आर आइ डी एफ XXIV) द्वारा वित्त पोषित जलपूर्ति परियोजनाएं (ग्रामीण)	सामान्य	5,152.50	..	795.79	..	795.79	..
	ज.जा.उ.यो.	1,012.50	..	179.15	..	179.15	..
	अ.जा.उ.यो.	1,335.00	..	211.93	..	211.93	..
नाबार्ड (आर आइ डी एफ XXV) द्वारा वित्त पोषित जलपूर्ति परियोजनाएं (ग्रामीण)	सामान्य	8,816.10	..	6,593.75	..	6,559.10	..
	ज.जा.उ.यो.	2,026.50	..	1,704.27	..	1,704.27	..
	अ.जा.उ.यो.	2,657.40	..	2,071.20	..	2,071.20	..
ग्रामीण विकास–जिला परिषद का स्थापना व्यय	सामान्य	6,250.00	..	6,522.73	..	6,517.24	..
ग्रामीण विकास–जिला परिषद/पंचायत समिति भवन का निमार्ण	सामान्य	959.00	..	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	189.00	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	252.00	..	..	..	..	..
राजस्थान शहरी जलपूर्ति और फ्लोराइड मिटिगेशन परियोजना, चरण–।।	सामान्य	137.40	..	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	27.00	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	35.60	..	..	..	..	..
जिला सड़के– नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित आर आइ डी एफ XXVII की सड़के	सामान्य	6,078.76	..	14,752.23	..	14,735.67	..
	ज.जा.उ.यो.	1,192.92	..	2,552.43	..	2,551.43	..
	अ.जा.उ.यो.	1,577.88	..	3,784.80	..	3,782.19	..
ग्रिड कनेक्टेड पंप सेट के सौरकरण के लिए कुसुम योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	4,299.88	..	1,173.16	1,777.00	1,173.16	1,777.00
	ज.जा.उ.यो.	..	..	190.68	..	190.68	..
	अ.जा.उ.यो.	..	..	245.16	..	245.16	..
कृषि उपभोक्ताओं हेतु बिजली टैरिफ दरों में छूट प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	5,800.02	..	4,531.54	1,335.14	4,531.54	1,335.14
	ज.जा.उ.यो.	..	..	932.96	..	932.96	..
	अ.जा.उ.यो.	..	..	1,199.53	..	1,199.53	..
विपणन सुविधाएं विकास योजनाओं के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	18,625.07	..	26,991.00	4,000.00	26,991.00	4,000.00
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 (उद्योग विभाग)	सामान्य	0.02	..	274.25	..	274.25	..
	ज.जा.उ.यो.	0.02	..	100.00	..	100.00	..
	अ.जा.उ.यो.	0.02	..	100.00	..	100.00	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमशः)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमशः)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
खादी और ग्रामोद्योग–खादी प्लाजा	सामान्य	250.00	..	..	..	..	..
उच्च शिक्षा के लिए एम बी एम विश्वविद्यालय, जोधपुर को सहायता	सामान्य	1,300.01	..	198.00	..	198.00	..
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना–2021	सामान्य	0.07	..	265.21	..	265.21	..
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान (एलोपैथी)– नवीन नर्सिंग महाविद्यालय	सामान्य	6,000.01	..	408.00	..	408.00	..
	ज.जा.उ.यो.	2,000.01	..	162.00	..	162.00	..
	अ.जा.उ.यो.	2,000.01	..	142.00	..	142.00	..
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान (एलोपैथी)– नवीन लोक स्वास्थ्य महाविद्यालय	सामान्य	3,000.01	..	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	1,000.01	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	1,000.01	..	..	..	..	..
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान (एलोपैथी)– इंस्टीटयूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसन एंड वायरोलॉजी	सामान्य	600.01	..	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	200.01	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	200.01	..	..	..	..	..
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान (एलोपैथी)– इंस्टीटयूट ऑफ कारडियोलॉजी	सामान्य	600.01	..	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	200.01	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	200.01	..	..	..	..	..
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान (एलोपैथी)– इंस्टीटयूट ऑफ पी जी मातृत्व एवं नवजात संस्थान	सामान्य	600.01	..	100.00	..	100.00	..
	ज.जा.उ.यो.	200.01	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	200.01	..	..	..	..	..
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान (एलोपैथी)– क्षेत्रीय केंसर संस्थान	सामान्य	1,000.01	..	400.00	..	400.00	..
	ज.जा.उ.यो.	500.01	..	250.00	..	250.00	..
	अ.जा.उ.यो.	500.01	..	250.00	..	250.00	..
कृषि कार्यक्रम– कृषक कल्याण	सामान्य	27,400.02	..	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	5,400.02	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	7,200.02	..	..	..	..	..
शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट कार्ड योजना	सामान्य	17,000.00	..	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	3,500.00	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	4,500.00	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- *(क्रमश:)*

ख- राज्य योजनाएं- *(क्रमश:)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
औद्योगिक उत्पादकता- स्टार्ट अप के लिए सीड राशि	सामान्य	3,400.00	..	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	700.00	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	900.00	..	..	..	..	..
शहरी विकास- शहरी स्थानीय निकायों में	सामान्य	0.02	..	88.23	..	88.23	..
सड़कों की मरम्मत/जीर्णोद्धार/ नीवीनकरण	ज.जा.उ.यो.	0.02	..	17.30	..	17.30	..
	अ.जा.उ.यो.	0.02	..	22.87	..	22.87	..
धन्वंतरि आयुष स्वरोजगार योजना	सामान्य	1,000.03	..	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	500.03	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	500.03	..	..	..	..	..
जिला एवं अन्य सड़कें- सडकों की मरम्मत/जीर्णोद्धार/ नीवीनकरण	सामान्य	34,345.00	..	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	6,740.00	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	8,915.00	..	..	..	..	..
शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	2,500.41	..	852.61	..	852.61	..
शैक्षिणिक संस्थानों की स्थापना	सामान्य	2,500.11	..	..	..	..	..
सामाजिक और सामुदायिक सेवा	सामान्य	..	..	77,675.37	..	77,675.37	..
बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम, जोधपुर का सुद्दढीकरण और नवीनीकरण	सामान्य	..	..	1,000.00	..	1,000.00	..
जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में इक्विटी पूंजी निवेश	सामान्य	..	..	4,865.00	..	4,865.00	..
	ज.जा.उ.यो.	..	..	2,000.00	..	2,000.00	..
	अ.जा.उ.यो.	..	..	3,000.00	..	3,000.00	..
आमेर विकास और प्रबंधन प्राधिकरण	सामान्य	..	..	156.00	..	156.00	..
अम्बेडकर डी बी टी वाउचर योजना	सामान्य	..	..	52.16	..	37.94	..
	ज.जा.उ.यो.	..	..	24.24	..	24.24	..
	अ.जा.उ.यो.	..	..	33.48	..	33.48	..
आर यू डी एस आई सी ओ में इक्विटी पूंजी निवेश	सामान्य	..	..	18,978.06	..	18,978.06	..
	ज.जा.उ.यो.	..	..	3,724.33	..	3,724.33	..
	अ.जा.उ.यो.	..	..	4,926.17	..	4,926.17	..

परिशिष्ट संख्या V- *(समाप्त)*

ख- राज्य योजनाएं- *(समाप्त)*

राज्य योजना	सामान्य/	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
		(₹ लाख में)		*(₹ लाख में)*		*(₹ लाख में)*	
जनजाति विकास निधि के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, डेयरी, पशुपालन, कृषि बागवानी, कुसुम, कौशल विकास कार्यक्रम	ज.जा.उ.यो.	..	..	600.00	..	600.00	..
जनजाति कल्याण निधि के तहत अन्य विविध कार्यक्रम	ज.जा.उ.यो.	..	..	150.00	..	150.00	..
जनजाति कल्याण निधि के तहत जनजाती भागीदारी योजना में आधारभूत विकास कार्य	ज.जा.उ.यो.	..	..	480.00	..	480.00	..
बसों का निमार्ण/नवीनीकरण	सामान्य	..	..	1,800.00	..	1,800.00	..
इंजीनियरिंग कालेजों/तकनीकी संस्थानों में निमार्ण कार्य	सामान्य	..	..	238.00	..	238.00	..
	ज.जा.उ.यो.			27.77	..	27.77	..
विद्या भवन ग्रामीण संस्थान पालिटेक्निक सोसायटी उदयपुर	सामान्य	..	..	177.67	..	177.67	..
राजस्थान फाईनेन्सीयल सर्वीस डिलेवरी लिमिटेड	सामान्य	..	..	501.11	..	501.11	..
डिस्काम को नुकसान पुरा करने के लिए आर्थिक सहायता/अनुदान	सामान्य	..	..	62,203.18	..	62,203.18	..
	ज.जा.उ.यो.	..	..	17,943.22	..	17,943.22	..
	अ.जा.उ.यो.	..	..	39,475.10	..	39,475.10	..
एक करोड़ से कम की अन्य योजनाएं	सामान्य	4,433.60	4,150.49	3,888.72	2,482.15	3,859.02	2,378.63
	ज.जा.उ.यो.	846.13	976.19	685.08	602.14	684.40	595.87
	अ.जा.उ.यो.	286.41	396.87	161.97	239.35	161.89	239.13
	योग	**66,96,232.03**	**56,60,889.95**	**76,65,877.02**	**51,49,163.03**	**76,52,216.94 @**	**51,47,128.71**

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) 0.03 लाख का अन्तर है ।

परिशिष्ट संख्या VI – राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण (राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियां) (गैर अंकेक्षित आंकड़े)*

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी #		
			2021-22	2020-21	2019-20
				(₹ लाख में)	
नियंत्रक: कृषि					
कृषि आधारभूत निधि	कृषि आधारभूत निधि (ए आई एफ), जयपुर	सामान्य	..	100.00	..
कृषि गणना एवं सांख्यिकी की एकीकृत योजना	कृषि विश्वविद्यालय	सामान्य	1,081.20	1,484.89	517.25
कृषि विपणन	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	..	1,250.50	5,885.77
प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि (पी एम–किसान)	राजस्थान सहकारी विभाग	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	4,55,409.12	4,40,321.98	3,28,417.30
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	सामान्य	153.80	76.60	50.00
कृषि मशीनीकरण पर प्रस्तुतीकरण	कृषि विभाग, राजस्थान	सामान्य	..	280.00	..
बीज और पौधारोपण सामग्री पर सबमिशन	राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज और जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण एजेन्सी	सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	17.85	501.29	731.40
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	सामान्य	244.20	..	..

* भारत सरकार द्वारा जारी राशि बेवसाइट (महालेखा नियंत्रक लेखा के सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पोर्टल) से ली गयी है।

\# राज्य में स्थित केन्द्रीय निकायों के साथ साथ राजस्थान सरकार के दायरे से बाहर विभिन्न अन्य निकायों को जारी राशियां सम्मिलित नहीं हैं।

परिशिष्ट संख्या VI - *(क्रमशः)*

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2021-22	2020-21	2019-20
				(₹ लाख में)	
नियंत्रक: नागरिक उडड्यन तथा पर्यटन					
आई एच एम एस/एफ सी आई एस/आई आई टी टी एम/ एन आई डब्ल्यू एस को सहायता	खाद्य क्राफ्ट संस्थान तथा राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान	सामान्य	550.11	247.00	1,376.00
तीर्थ यात्रा कायाकल्प तथा आध्यात्मिक वृद्धि (पी आर ए एस ए डी)	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आर.टी.डी.सी.एल.)	सामान्य	..	..	670.07
विशिष्ट– थीम आधारित पर्यटन सर्किटस् का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन)	राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आर.टी.डी.सी.एल.)	सामान्य	1,642.18	1,491.66	2,129.32
नियंत्रक: वाणिज्य					
हस्तशिल्प कारीगर विस्तार कल्याण योजना	जयपुर विकास प्राधिकरण एवं शहरी सुधार न्यास, सीकर	सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	..	274.16	36.14
नियंत्रक: उपभोक्ता मामलें और सार्वजनिक वितरण					
एन एफ एस ए के तहत खाद्यान्नों और एफ पी एस डीलरों के अंतर राज्य गतिविधि के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	सामान्य	58,583.81	37,402.43	7,835.24
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत देय चीनी सहाय्य	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम	सामान्य	..	693.89	100.00
उपभोक्ता कल्याण निधि	उपभोक्ता मामलात विभाग	सामान्य	..	750.00	..
तोल और माप के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण तथा क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं और भारतीय कानूनी माप विज्ञान संस्थान का सुद्दढीकरण	उपभोक्ता मामलात विभाग	सामान्य	..	315.19	..
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबन्ध व्यवस्था	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	सामान्य	136.69	81.35	..

परिशिष्ट संख्या VI - *(क्रमशः)*

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2021-22	2020-21	2019-20
				(₹ लाख में)	
नियंत्रक: संस्कृति					
कला एवं संस्कृति का संवर्धन तथा बढ़ावा (अकादमी का सहयोग)	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	सामान्य एवं जनजाति उपयोजना	653.92	878.28	926.48
नियंत्रक: पर्यावरण तथा वानिकी					
पर्यावरणीय संरक्षण तथा निगरानी (सूचना, शिक्षा,जानकारी तथा प्रशिक्षण)	राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	544.10	184.31	139.97
स्थापना व्यय (ई एफ एण्ड सी सी)	राज्य वन विकास अभिकरण राजस्थान	सामान्य	444.36	..	..
नियंत्रक: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग					
प्रधानमंत्री सुक्ष्म भोजन की औपचारिकता प्रसंस्करण उद्यम पीएम–एफएमई	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर	सामान्य	368.23	794.66	..
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना– मेगा फूड पार्क	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर	सामान्य	..	326.37	..
नियंत्रक: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण					
स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत का विकास	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय	सामान्य	359.14	211.20	259.95
स्थापना तथा सुदृढीकरण एन सी डी सी शाखाओं और स्वास्थ्य की पहल अंतर क्षेत्रीय समन्वय जनोटिक की तैयारी और नियंत्रण के लिए रोग और अन्य उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग वायरल हेपेटाइटिस की निगरानी एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय	सामान्य	139.36	27.39	..
आयुष स्थापना व्यय	राजस्थान राज्य औषधीय पौध बोर्ड, एयरफोर्स अनुसंधान संस्थान और वन विकास एजेन्सीयां	सामान्य	..	33.24	186.86
आपतकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए विकास स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तत्परता और प्रबन्धन और मानव संसाधन	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय	सामान्य	146.25	430.00	..
राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण समिति	सामान्य	5,475.91	4,116.53	3,869.31
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति	सामान्य	..	..	704.39
एन सी डी सी की मौजूदा शाखाओं की मजबूती और 27 शाखाओं की स्थापना	प्राचार्य, एस एम एस चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	सामान्य	..	..	123.88

परिशिष्ट संख्या VI - *(क्रमशः)*

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2021-22	2020-21	2019-20
				(₹ लाख में)	
नियंत्रक: उद्योग					
ढांचागत विकास कार्यक्रम तथा क्षमता निर्माण	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम तथा उद्यम प्रोत्साहन संस्थान अजमेर	सामान्य	415.33	2,642.52	1,094.27
खरीद और विपणन सहायता योजना	उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर	सामान्य	..	..	330.00
भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन को तेजी से अपनाने और विनिर्माण के लिए योजना (फेम–इंडिया)	जयपुर सिटी परिवहन सेवाएं लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड	सामान्य	..	1,428.00	..
नियंत्रक: सूचना प्रौद्योगिकी					
इलेक्ट्रॉनिक्स और आई टी एच डब्ल्यू विनिर्माण (एम एस आई पी एस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर)	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड (रीको)	सामान्य	..	633.59	..
नियंत्रक: श्रम तथा रोजगार					
राष्ट्रीय बाल मजदूर परियोजना	बाल मजदूर परियोजना समितियां	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	16.64	124.20	174.57
नियंत्रक: विधि एवं न्याय					
ई–न्यायालय फेज– II	राजस्थान उच्च न्यायालय	सामान्य	161.81	1,058.25	128.50
नियंत्रक: पेयजल एवं सफाई मंत्रालय					
जल जीवन मिशन (जे जे एम)/ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	एस डब्ल्यू एस एम, जयपुर, राजस्थान (आर जे 308)	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	2,34,522.55	..	..
नियंत्रक: मत्स्यपालन, पशुपालन ओर डेयरी मंत्रालय					
पशुधन स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण	पशुपालन निदेशालय, जयपुर	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	8,576.00	..	..

परिशिष्ट संख्या VI - *(क्रमशः)*

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2021-22	2020-21	2019-20
				(₹ लाख में)	
नियंत्रक: मत्स्यपालन, पशुपालन ओर डेयरी मंत्रालय – *(समाप्त)*					
खुरपका एवं मुँहपका रोग (एफ एम डी) और ब्रुसीलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम	पशुपालन निदेशालय, जयपुर	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	..	1,707.07	4,075.65
डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (आर सी डी एफ एल टी डी)	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	2,931.78	1,750.22	2,439.70
राष्ट्रीय गोकुल मिशन	राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड (आर एल डी बी)	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	2,839.77	405.00	1,386.14
नियंत्रक: नवीन और अक्षय ऊर्जा					
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर–ग्रिड ईटंरएक्टिव	राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	225.33	553.40	..
किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान–ग्रिड ऑफ (कुसुम)	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम	सामान्य	..	3,000.00	..
किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान–ग्रिड इंटरएक्टिव (कुसुम)	राजस्थान बागवानी विकास सोसायटी सौर परियोजना	सामान्य	15,348.69	2,206.14	..
सौर ऊर्जा ग्रिड ईटंरएक्टिव	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम	सामान्य	1,036.66	2,196.32	..
सौर ऊर्जा–ऑफ ग्रिड	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और राजस्थान बागवानी विकास सोसायटी सौर परियोजना	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	..	..	8,812.11
नियंत्रक: पंचायती राज					
पंचायतों को प्रोत्साहन	पंचायती राज विभाग	सामान्य	162.00	185.67	135.49

परिशिष्ट संख्या VI - *(क्रमशः)*

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2021-22	2020-21	2019-20
				(₹ लाख में)	
नियंत्रक: कार्मिक, पी.जी. और पी.					
प्रशिक्षण योजनाएं	एच सी एम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान	सामान्य	24.90	10.44	179.88
नियंत्रक: योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन					
अटल अभिनव मिशन	जिला एआईएम तथा अकादमी संस्थान	सामान्य	428.00	414.00	398.00
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिलाधिकारी	सामान्य	5,850.00	4,250.00	17,000.00
टिकाऊ लक्षित विकास के लिए अधिकारिक विकास सहायता	एसपीवी–एस्पिरेशनल	सामान्य	2,232.79	..	..
चल रहे कार्यक्रम और पावर योजनाएं	एसपीवी–एस्पिरेशनल	सामान्य	..	838.03	299.31
नियंत्रक: सड़क परिवहन और राजमार्ग					
सड़क विंग अन्तर्गत कार्य	उपखण्ड अधिकारी झूंझुनू तथा सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ती एन एच– 11	सामान्य	4,897.13	296.66	168.04
अनुसंधान प्रशिक्षण और अध्ययन तथा अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन विभाग राजस्थान, जयपुर	सामान्य	623.20	206.54	..
नियंत्रक: ग्रामीण विकास					
डिजिटल इंडिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	राजस्थान भू–अभिलेख आधुनिकीकरण समिति, जयपुर	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	4,826.60	1,752.75	323.22
आर डी कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला योजना की सुद्ढीकरण प्रक्रिया	पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र तथा इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान	सामान्य	111.09	101.52	93.77
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम	राज्य रोजगार गांरटी निधि, जयपुर	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	7,83,500.52	8,30,386.05	5,42,777.74

परिशिष्ट संख्या VI - *(क्रमशः)*

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2021-22	2020-21	2019-20
				(₹ लाख में)	
नियंत्रक: ग्रामीण विकास –*(समाप्त)*					
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् तथा राजस्थान कोशल एवं आजीविका विकास निगम	सामान्य	25.12	3.00	368.80
नियंत्रक: विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी					
नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती	शिक्षण संस्थान	सामान्य	176.35	45.73	19.50
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान तथा मानव केपेसिटी बिल्डिंग	शिक्षण संस्थान	सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	295.39	302.27	388.42
नियंत्रक: जल संसाधन					
राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	जल संसाधन विभाग	सामान्य	1,800.00	..	300.00
अटल भू–जल योजना	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, भू–जल विभाग	सामान्य	4,634.67	2,205.00	..
नियंत्रक: महिला एवं बाल विकास					
बेटी बचावों बेटी पढ़ाओं	जिलाधीश	सामान्य	..	378.21	180.86
वन स्टॉप केन्द्र	जिलाधीश	सामान्य	..	566.87	677.11
सामर्थय (बी बी बी पी क्रेच पी एम एम वी वाई जेंडर बजट अनुसंधान कौशल प्रशिक्षण आदि)	जिला कलेक्टर, सहायक निदेशक और एड महिला ई एम पी बी बी बी पी	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	11,386.42	..	..
संबल (वन स्टॉप सेंटर महिला पुलिस स्वयंसेवी महिला हेल्पलाइन स्वाधार उज्जवला विधवा घर आदि)	जिला कलेक्टर और कार्यक्रम अधिकारी वी वन स्टॉप सेंटर	सामान्य,	997.91	..	..
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	महिला एवं बाल विकास विभाग	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	..	9,584.32	8,780.44

परिशिष्ट संख्या VI - *(समाप्त)*

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2021-22	**2020-21**	**2019-20**
				(₹ लाख में)	
नियंत्रक: युवा मामले और खेल					
खेलों के विकास हेतु खेलों भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम	राजस्थान खेल परिषद तथा शैक्षणिक संस्थान	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	215.50	115.00	2,452.50
राष्ट्रीय सेवा योजना	राजस्थान राज्य एनएसएस सेल	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	367.04	623.84	831.31
एक करोड़ से कम की योजनाएं (विभिन्न मंत्रालयों के तहत)		सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	483.05	572.38	611.84
		कुल योग	**16,15,062.47@**	**13,62,815.91**	**9,48,386.50**

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) 0.01 लाख का अन्तर है।

परिशिष्ट संख्या VII - शेषों की स्वीकृति तथा समाधान
(विवरण संख्या 7 एवं 18 में दर्शाये अनुसार)

कर्जों से सम्बन्धित मूलधन तथा ब्याज के बीतकाल बकाया के विवरण अभी तक निम्नलिखित विभागों/प्राधिकारियों से प्रतीक्षित है (जुलाई 2022):-

क्रम संख्या	विभाग/ प्राधिकारी वर्ग का नाम	बकाया विवरणों की संख्या	पूर्व के वर्ष से बकाया
1.	निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर	6	2019-20
2.	उप सचिव , कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर	5	2015-16
3.	निदेशक, पशु-पालन विभाग, जयपुर	4	2019-20
4.	क्षेत्रीय विकास आयुक्त, कमान क्षेत्र विकास, कोटा	2	2014-15
5.	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	1	2019-20
6.	रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, जयपुर	1	2020-21
7.	मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर	1	2019-20
8.	निदेशक, गोपालन विभाग, जयपुर	2	2007-08
9.	उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर	3	2019-20
10.	आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर	2	2015-16
11.	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर	34	2016-17
12.	निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	1	2019-20
13.	निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर	1	2019-20
14.	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जयपुर	2	2019-20
15.	सचिव, आपदा प्रबंधन तथा राहत विभाग, जयपुर	4	2020-21
16.	आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	1	2020-21
17.	आयुक्त, सेटलमेंट डिपार्टमेंट, जयपुर	1	2019-20
18.	आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	6	2009-10
19.	निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जयपुर	1	2013-14
20.	निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर	2	2017-18
21.	आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	4	2016-17
22.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर	9	2009-10
.23.	निदेशक, वित विभाग, जयपुर	1	2009-10
	योग	**94**	

परिशिष्ट संख्या VIII

(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां			वर्ष के दौरान राजस्व में छूट अथवा राजस्व की माफी	वर्ष के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 11 एवं 12)	वर्ष के दौरान हुए कार्य चालन व्यय तथा अनुरक्षण			निवल राजस्व जिसमें ब्याज शामिल नहीं है			ब्याज का भुगतान करने के पश्चात् निवल लाभ या हानि	
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष राजस्व	अप्रत्यक्ष प्राप्तियां	योग			प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	अधिक व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व (कॉलम 13) का अधिशेष (+) या (कॉलम 13) राजस्व पर अधिक व्यय (कॉलम 16) का आधिक्य (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर	प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज	अधिक व्यय पर राजस्व का अधिशेष (+) या राजस्व पर अधिक व्यय का अधिशेष (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								(₹ लाख में)												
क. मुख्य सिंचाई – वाणिज्यिक																				
1.	भाखड़ा नांगल परियोजना (सिंचाई शाखा भाग)	78.93	0.77	79.70	9,698.61 (क)	76.15	9,774.76	736.11	7.36	743.47	..	743.47	4,090.13	25.39	4,115.52	(-) 3,372.05	34.50	721.45	(-) 4,093.50	41.88
2.	चम्बल परियोजना (सिंचाई शाखा भाग)	23,941.37*	233.23	24,174.60	1,05,654.69 (ख)	885.06	1,06,539.75	2,276.04	22.76	2,298.80	..	2,298.80	1,878.71	(घ) 4.15	1,882.86	415.94	0.39	5,457.51(ड.)	(-) 5,041.57	4.73
3.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	68,381.80	508.83	68,890.63	7,13,208.75 (ग)	3,332.69	7,16,541.44	7,053.43	70.53	7,123.96	..	7,123.96	12,903.45	21.63	12,925.08	(-) 5,801.12	0.81	47,623.82	(-) 53,424.94	7.46
4.	गुड़गांव नहर	..	..	..	4,664.39	20.98	4,685.37	0.51	0.01	0.52	..	0.52	77.51	..	77.51	(-) 76.99	1.64	..	(-) 76.99	1.64
5.	जाखम परियोजना	..	..	..	14,181.39	53.12	14,234.51	16.35	0.16	16.51	..	16.51	86.39	0.01	86.40	(-) 69.89	0.49	..	(-) 69.89	0.49
6.	गंग नहर	28.25	..	28.25	66,816.97	423.46	67,240.43	417.73	4.18	421.91	..	421.91	1,320.65	1.85	1,322.50	(-) 900.59	1.34	5,011.12	(-) 5,911.71	8.79
	योग – क	**92,430.35**	**742.83**	**93,173.18**	**9,14,224.80**	**4,791.46**	**9,19,016.26**	**10,500.17**	**105.00**	**10,605.17**	**..**	**10,605.17**	**20,356.84**	**53.03**	**20,409.87**	**(-) 9,804.70**	**1.07**	**58,813.90**	**(-) 68,618.60**	**7.47**

(क) उपनिवेशन से सम्बन्धित ₹ 63.30 लाख शामिल नहीं है।

(ख) विद्युत हिस्से के ₹ 3,490.89 लाख, उपनिवेशन योजनाओं के ₹ 33.26 लाख और जल संग्रहण के ₹ 0.73 लाख का व्यय शामिल नहीं है।

(ग) उपनिवेशन ₹ 202.30 लाख, विश्व खाद्य कार्यक्रम ₹ 26.83 लाख, राजस्थान भूमि विकास निगम से फार्म विकास पर वसूली योग्य ₹ 747.29 लाख और पूंजीगत ब्याज ₹ 618.00 लाख से संबंधित व्यय शामिल नहीं है।

(घ) विद्युत हिस्से से संबंधित ₹ 120.62 लाख शामिल नहीं हैं।

(ड.) विद्युत हिस्से पर ब्याज से सम्बन्धित ₹ 263.98 लाख शामिल नहीं है।

* विद्युत् हिस्से पर व्यय ₹ 123.84 लाख शामिल नहीं है।

परिशिष्ट संख्या VIII - *(क्रमश:)*

(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम- *(क्रमश:)*

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां			वर्ष के दौरान राजस्व में छूट अथवा राजस्व की माफी	वर्ष के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 11 एवं 12)	वर्ष के दौरान हुए कार्य चालन व्यय तथा अनुरक्षण			निवल राजस्व जिसमें ब्याज शामिल नहीं है			ब्याज का भुगतान करने के पश्चात् निवल लाभ या हानि	
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष राजस्व	अप्रत्यक्ष प्राप्तियां	योग			प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	अधिक व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व (कॉलम 13) का अधिशेष (+) या (कॉलम 13) राजस्व पर अधिक व्यय (कॉलम 16) का आधिक्य (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर	प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज	अधिक व्यय पर राजस्व का अधिशेष (+) या राजस्व पर अधिक व्यय का अधिशेष (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								(₹ लाख में)												
ख. मध्यम सिंचाई - वाणिज्यिक																				
7.	जवाई नदी परियोजना सेई - डाइवर्जन योजना	..	..	..	697.36	12.21	709.57	39.97	0.40	40.37	..	40.37	62.27	0.10	62.37	(-) 22.00	3.10	..	(-) 22.00	3.10
8.	मेजा परियोजना	1,272.02	11.43	1,283.45	5,826.76	20.37	5,847.13	7.52	0.08	7.60	..	7.60	107.71	0.16	107.87	(-) 100.27	1.71	389.13	(-) 489.40	8.37
9.	पार्वती परियोजना (धौलपुर)	808.99	7.27	816.26	8,380.57	67.25	8,447.82	0.12	..	0.12	..	0.12	360.53	0.05	360.58	(-) 360.46	4.27	597.80	(-) 958.26	11.34
10.	गुढ़ा परियोजना	..	..	..	163.29	0.20	163.49	0.20	..	0.20	..	0.20	44.48	0.13	44.61	(-) 44.41	27.16	..	(-) 44.41	27.16
11.	मोरेल परियोजना	..	..	..	235.54	0.29	235.83	3.76	0.04	3.80	..	3.80	62.05	0.25	62.30	(-) 58.50	24.81	..	(-) 58.50	24.81
12.	अलनिया परियोजना	..	..	..	195.06	0.91	195.97	0.26	..	0.26	..	0.26	60.55	0.04	60.59	(-) 60.33	30.79	..	(-) 60.33	30.79
13.	पश्चिम बनास परियोजना	..	..	..	67.03	..	67.03	39.43	0.39	39.82	..	39.82	20.28	0.07	20.35	19.47	29.05	..	19.47	29.05
14.	वल्लभ नगर परियोजना	..	..	..	86.37	..	86.37	..	..	..	..	..	14.17	0.01	14.18	(-) 14.18	16.42	..	(-) 14.18	16.42

परिशिष्ट संख्या VIII - *(क्रमश:)*

(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम- *(समाप्त)*

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां			वर्ष के दौरान राजस्व में छूट अथवा राजस्व की माफी	वर्ष के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 11 एवं 12)	वर्ष के दौरान हुए कार्य चालन व्यय तथा अनुरक्षण			निवल राजस्व जिसमें ब्याज शामिल नहीं है			ब्याज का भुगतान करने के पश्चात् निवल लाभ या हानि	
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष राजस्व	अप्रत्यक्ष प्राप्तियां	योग			प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	अधिक व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व (कॉलम 13) का अधिशेष (+) या (कॉलम 13) राजस्व पर अधिक व्यय (कॉलम 16) का आधिक्य (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर	प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज	अधिक व्यय पर राजस्व का अधिशेष (+) या राजस्व पर अधिक व्यय का अधिशेष (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								(₹ लाख में)												
ख. मध्यम सिंचाई - वाणिज्यिक- *(समाप्त)*																				
15.	बड़गांव पाल परियोजना	..	..	..	76.02	..	76.02	0.51	0.01	0.52	..	0.52	19.03	0.05	19.08	(-) 18.56	24.41	..	(-) 18.56	24.41
16.	ओराई सिंचाई परियोजना	..	..	..	63.42	..	63.42	..	..	..	..	..	33.54	0.04	33.58	(-) 33.58	52.95	..	(-) 33.58	52.95
17.	वागन डाईवर्जन परियोजना	..	..	..	1,396.62	0.64	1,397.26	0.04	..	0.04	..	0.04	21.94	0.05	21.99	(-) 21.95	1.57	..	(-) 21.95	1.57
	योग-ख	**2,081.01**	**18.70**	**2,099.71**	**17,188.04**	**101.87**	**17,289.91**	**91.81**	**0.92**	**92.73**	**..**	**92.73**	**806.55**	**0.95**	**807.50**	**(-) 714.77**	**4.13**	**986.93**	**(-) 1,701.70**	**9.84**
	कुल योग	**94,511.36**	**761.53**	**95,272.89**	**9,31,412.84**	**4,893.33**	**9,36,306.17**	**10,591.98**	**105.92**	**10,697.90**	**..**	**10,697.90**	**21,163.39**	**53.98**	**21,217.37**	**(-) 10,519.47**	**1.12**	**59,800.83**	**(-) 70,320.30**	**7.51**

परिशिष्ट संख्या VIII – *(क्रमश:)*

(ii) विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम

विभागीय स्तर पर चलने वाला कोई विद्युत उपक्रम नहीं है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. गत वर्ष की तुलना में लाभ अथवा हानि के प्रतिशतता में वृद्धि/कमी निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ब्याज की पूर्ति के बाद निवल हानि लाभ प्रतिशतता में		वृद्धि (+)/ कमी (-)
		2020-21	2021-22	
1.	भाखड़ा नांगल परियोजना (सिंचाई शाखा हिस्सा)	(-) 46.68	(-) 41.88	(-) 4.80
2.	चम्बल परियोजना (सिंचाई शाखा हिस्सा)	(-) 4.62	(-) 4.73	(+) 0.11
3.	इंदिरा गाँधी नहर परियोजना	(-) 8.99	(-) 7.46	(-) 1.53
4.	गुड़गाँव नहर	(-) 2.83	(-) 1.64	(-) 1.19
5.	जाखम परियोजना	(-) 0.71	(-) 0.49	(-) 0.22
6.	गंग नहर	(-) 8.54	(-) 8.79	(+) 0.25
7.	जवाई नदी परियोजना (सेई–डाइवर्जन स्कीम)	(-) 0.55	(-) 3.10	(+) 2.55
8.	मेजा परियोजना	(-) 3.40	(-) 8.37	(+) 4.97
9.	पार्वती परियोजना (धौलपुर)	(-) 12.77	(-) 11.34	(-) 1.43
10.	गुढ़ा परियोजना	(-) 31.09	(-) 27.16	(-) 3.93
11.	मोरेल परियोजना	(-) 22.50	(-) 24.81	(+) 2.31
12.	अलनिया परियोजना	(-) 56.35	(-) 30.79	(-) 25.56
13.	पश्चिमी बनास परियोजना	(-) 8.65	(+) 29.05	(-) 37.70
14.	वल्लभ नगर परियोजना	(-) 30.45	(-) 16.42	(-) 14.03
15.	बड़गाँव पाल परियोजना	(-) 25.36	(-) 24.41	(-) 0.95
16.	ओराई सिंचाई परियोजना	(-) 56.29	(-) 52.95	(-) 3.34
17.	वागन डाइवर्जन स्कीम	(-) 2.77	(-) 1.57	(-) 1.20

वृद्धि /कमी के कारण उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट संख्या VIII – *(समाप्त)*

व्याख्यात्मक टिप्पणियां –*(समाप्त)*

2. *उत्पादक और अनुत्पादक निर्माण कार्य*– जल संसाधन विभाग के निर्माण कार्यों का 'उत्पादक' या 'अनुत्पादक' वर्गीकरण, उनके प्रत्येक परियोजना से निर्माण संबंधी अनुमानों के संवरण दिनांक से दस वर्ष व्यतीत होने पर प्राप्त निवल राजस्व (सकल निर्धारित राजस्व में से कार्य चालन व्यय घटाकर) के अनुसार किया जाता है, चाहे वह निवेशित पूंजी पर निर्धारित वार्षिक ब्याज अंतर्निहित करता हो अथवा नहीं। 2021–22 के दौरान निर्धारित ब्याज की दर 7.5 *प्रतिशत* थी। यदि 'उत्पादक' माना गया कोई निर्माण – कार्य तीन क्रमिक वर्षों में निर्धारित प्रतिफल देने में असफल रहे तो उसे अनुत्पादक वर्ग में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी प्रकार ' अनुत्पादक' माना गया कोई निर्माण कार्य तीन क्रमिक वर्षों में निर्धारित प्रतिफल देने में सफल रहे तो उसे 'उत्पादक' वर्ग में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा कार्यों के वर्गीकरण में उनके 'उत्पादक' अथवा 'अनुत्पादक' होने का कोई संकेत नहीं किया गया (जुलाई 2022)।

3. *जल प्रभार की वसूली की बकाया* – विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचनानुसार मार्च 2022 की समाप्ति तक जल प्रभार की ₹ 17,150.67 लाख की वसूली बकाया थी। निम्न परियोजनाओं में बकाया के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं :–

क्रम संख्या	परियोजनाओं के नाम	वर्ष					योग
		2017-18 तक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
		(₹ लाख में)					
1.	भाखड़ा नांगल परियोजना	1,374.05	222.01	270.11	351.11	381.39	2,598.67
2.	चम्बल परियोजना	1,613.61	(-) 23.32	(-) 131.90	175.29	(-) 45.96	1,587.72
3.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना (सी.ए.डी. सहित)	2,201.77	1,011.64	1,286.97	3,783.97	3,067.54	11,351.89
4.	गंग नहर	259.10	138.60	207.69	208.48	229.28	1,043.15
5.	जवाई नदी परियोजना	15.33	..	12.06	26.41	..	53.80
6.	मेजा परियोजना	0.13	..	..	..	..	0.13
7.	गुढा परियोजना (वाणिज्यिक)	19.31	7.62	3.66	1.46	1.55	33.60
8.	मोरेल परियोजना	..	..	..	0.62	0.03	0.65
9.	अलनिया परियोजना	3.22	..	..	..	..	3.22
10.	वल्लभ नगर परियोजना	..	..	..	..	1.81	1.81
11.	ओराई सिंचाई परियोजना	3.72	..	1.17	..	..	4.89
12.	वेगन डाइवर्जन परियोजना (वाणिज्यिक)	..	..	..	0.16	..	0.16
13.	माही परियोजना	248.17	5.64	6.86	5.96	6.80	273.43
14.	बीसलपुर परियोजना देवली	113.20	(-) 3.63	(-) 3.23	(-) 1.49	..	104.85
15.	परवन लिफ्ट	22.07	3.48	41.53	8.91	9.99	85.98
16.	हरीश चन्द्र सागर	5.07	0.16	..	1.06	0.43	6.72
	योग	**5,878.75**	**1,362.20**	**1,694.92**	**4,561.94**	**3,652.86**	**17,150.67**

परिशिष्ट संख्या IX- सरकार की वचनबद्धता-
अधूरे पूंजी निर्माण कार्यों की सूची

राज्य निर्माण विभागों अर्थात लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.), लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.)
और जल संसाधन विभागों ने समय पर अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई और उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत और अधूरी थी।
इसलिए, वर्ष 2021-22 के लिए यह परिशिष्ट तैयार नहीं किया गया है।

परिशिष्ट संख्या X – संवेतन एवं गैर संवेतन भाग को पृथक करते हुए रखरखाव व्यय

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
001	राज्य विधान मंडल	2011	02	103	01	01	राज्य निधि	..	110.65	110.65
योग अनुदान 001								**..**	**110.65**	**110.65**
005	प्रशासनिक सेवाएं	2070		003	01	05	राज्य निधि	..	3.86	3.86
		2070		003	01	08	राज्य निधि	..	6.72	6.72
		2070		114	06	01	राज्य निधि	..	104.37	104.37
		2070		115	08		राज्य निधि	..	2.02	2.02
		2070		115	09	01	राज्य निधि	..	5.21	5.21
योग अनुदान 005								**..**	**122.18**	**122.18**
008	राजस्व	2029		103	02		राज्य निधि	..	57.72	57.72
योग अनुदान 008								**..**	**57.72**	**57.72**
009	वन	2406	01	001	02		राज्य निधि	..	49.45	49.45
		2406	01	101	07		राज्य निधि	..	136.80	136.80
		2406	01	101	12		राज्य निधि	..	1.35	1.35
		2406	01	101	13		राज्य निधि	..	0.50	0.50
		2406	01	101	14		राज्य निधि	..	0.20	0.20
		2406	01	101	19		राज्य निधि	..	835.67	835.67
		2406	01	101	20		राज्य निधि	..	124.79	124.79
		2406	02	110	01		राज्य निधि	..	278.32	278.32
		2406	02	110	01		केन्द्रीय सहायता	..	267.66	267.66

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
009	वन – *(समाप्त)*	2406	02	110	03		राज्य निधि	..	93.60	93.60
		2406	02	110	11	01	राज्य निधि	..	16.93	16.93
		2406	02	111	02		राज्य निधि	..	106.16	106.16
		2406	02	112	01		राज्य निधि	..	555.07	555.07
	योग अनुदान 009							**..**	**2,466.50**	**2,466.50**
011	विविध सामाजिक सेवाएं	2250		103	01		राज्य निधि	..	5.57	5.57
		2250		103	02		राज्य निधि	..	0.96	0.96
		3425	01	800	05		राज्य निधि	..	216.75	216.75
	योग अनुदान 011							**..**	**223.28**	**223.28**
016	पुलिस	2055		003	01	01	राज्य निधि	..	44.97	44.97
		2055		101	01	01	राज्य निधि	..	12.96	12.96
		2055		101	01	02	राज्य निधि	..	26.00	26.00
		2055		104	01		राज्य निधि	..	3.79	3.79
		2055		109	10	01	राज्य निधि	..	32.67	32.67
		2055		109	11	01	राज्य निधि	..	119.22	119.22
		2055		116	01		राज्य निधि	..	79.66	79.66
	योग अनुदान 016							**..**	**319.27**	**319.27**
017	जेल	2056		101	01		राज्य निधि	..	42.84	42.84
	योग अनुदान 017							**..**	**42.84**	**42.84**

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
018	जन–सम्पर्क	2220	60	102	01	01	राज्य निधि	..	0.89	0.89
		2220	60	106	01	01	राज्य निधि	..	0.40	0.40
योग अनुदान 018								**..**	**1.29**	**1.29**
019	लोक निर्माण कार्य	2059	80	053	01	01	राज्य निधि	3,051.76	1,794.34	4,846.10
		2059	80	053	02	01	राज्य निधि	..	0.50	0.50
		2059	80	053	02	02	राज्य निधि	..	4.03	4.03
		2059	80	053	04		राज्य निधि	..	424.99	424.99
		2059	80	053	06		राज्य निधि	..	396.91	396.91
		2059	80	053	07		राज्य निधि	..	17.29	17.29
		2059	80	053	08		राज्य निधि	..	312.27	312.27
		2059	80	053	09		राज्य निधि	..	19.86	19.86
		2059	80	053	10		राज्य निधि	..	14.00	14.00
		2059	80	053	12		राज्य निधि	..	1,885.53	1,885.53
		2059	80	053	18	01	राज्य निधि	..	13.07	13.07
		2059	80	053	18	02	राज्य निधि	..	332.79	332.79
		2059	80	053	19		राज्य निधि	..	108.40	108.40
		2059	80	053	21		राज्य निधि	..	357.64	357.64
		2059	80	053	22		राज्य निधि	..	116.55	116.55
		2059	80	053	23		राज्य निधि	..	17.52	17.52
		2059	80	053	26		राज्य निधि	..	11.05	11.05

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
019	लोक निर्माण कार्य – ***(समाप्त)***	2059	80	053	29		राज्य निधि	..	34.04	34.04
		2059	80	053	31		राज्य निधि	..	10.19	10.19
		2059	80	053	32		राज्य निधि	..	1.99	1.99
		2059	80	053	33		राज्य निधि	..	32.61	32.61
		2059	80	053	34	01	राज्य निधि	..	117.32	117.32
		2059	80	053	35	01	राज्य निधि	..	9.00	9.00
		2059	80	053	37	01	राज्य निधि	..	27.23	27.23
		2059	80	053	38	01	राज्य निधि	..	2.25	2.25
		2059	80	053	41	01	राज्य निधि	..	18.85	18.85
		2059	80	053	42	01	राज्य निधि	..	15.49	15.49
		2059	80	053	43	01	राज्य निधि	..	0.71	0.71
		2059	80	053	44	01	राज्य निधि	..	11.48	11.48
		2059	80	053	45	01	राज्य निधि	..	17.10	17.10
		2059	80	053	46	01	राज्य निधि	..	10.36	10.36
		2059	80	053	47	01	राज्य निधि	..	19.28	19.28
		2059	80	053	48	01	राज्य निधि	..	4.15	4.15
		2059	80	053	49	01	राज्य निधि	..	3.11	3.11
		2059	80	053	50	01	राज्य निधि	..	10.20	10.20
		2059	80	053	51	01	राज्य निधि	..	33.67	33.67
		2059	80	053	52	01	राज्य निधि	..	2.81	2.81
योग अनुदान 019								**3,051.76**	**6,208.58**	**9,260.34**

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
020	आवास	2216	05	053	01	01	राज्य निधि	1,126.70	..	1,126.70
		2216	05	053	01	05	राज्य निधि	..	495.84	495.84
		2216	05	053	01	07	राज्य निधि	..	566.26	566.26
		2216	05	053	01	08	राज्य निधि	..	1,084.36	1,084.36
		2216	05	053	01	09	राज्य निधि	..	695.95	695.95
		2216	05	053	02	02	राज्य निधि	..	686.44	686.44
		2216	05	053	03	02	राज्य निधि	..	7.64	7.64
		2216	05	053	05	02	राज्य निधि	..	27.95	27.95
		2216	05	053	07		राज्य निधि	..	121.93	121.93
		2216	05	053	08		राज्य निधि	..	2,270.08	2,270.08
योग अनुदान 020								**1,126.70**	**5,956.45**	**7,083.15**
021	सड़कें एवं पुल	3054	02	337	01	02	केन्द्रीय सहायता	..	26,691.50	26,691.50
		3054	03	337	01	01	राज्य निधि	5,979.32	3,207.06	9,186.38
		3054	04	338	01	01	राज्य निधि	..	1,000.00	1,000.00
		3054	04	800	01	01	राज्य निधि	2,819.50	2,280.47	5,099.97
		3054	04	800	02	01	राज्य निधि	2,435.01	32,277.59	34,712.60
		3054	04	800	06		राज्य निधि	517.42	459.27	976.69
		3054	80	107	01		राज्य निधि	..	848.19	848.19
		3054	80	800	04		राज्य निधि	..	197.85	197.85
योग अनुदान 021								**11,751.25**	**66,961.93**	**78,713.18**

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
022	क्षेत्र का विकास	2705		102	01	04	राज्य निधि	..	0.50	0.50
		2705		102	01	07	राज्य निधि	..	0.20	0.20
		2705		102	01	08	राज्य निधि	..	0.50	0.50
		योग अनुदान 022 **(राजस्व)**						**..**	**1.20**	**1.20**
		4705		101	04	06	राज्य निधि	..	23.30	23.30
		योग अनुदान 022 **(पूंजीगत)**						**..**	**23.30**	**23.30**
योग अनुदान 022								**..**	**24.50**	**24.50**
024	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202	02	001	02	01	राज्य निधि	..	13.75	13.75
		2202	02	109	27	01	राज्य निधि	..	106.83	106.83
		2202	03	103	13	01	राज्य निधि	..	2.20	2.20
		2202	03	103	14	01	राज्य निधि	..	9.80	9.80
		2202	05	103	08	01	राज्य निधि	..	39.95	39.95
		2203		001	03	01	राज्य निधि	..	0.50	0.50
		2203		001	04	01	राज्य निधि	..	0.39	0.39
		2204		102	01	01	राज्य निधि	..	18.91	18.91
		2205		102	05		राज्य निधि	..	7.99	7.99
		2205		102	25	01	राज्य निधि	..	1.00	1.00
		2205		102	26	01	राज्य निधि	..	1.99	1.99
		2205		103	05	01	राज्य निधि	..	3.89	3.89
		2205		103	06	01	राज्य निधि	..	1,907.57	1,907.57
		2205		104	01	01	राज्य निधि	..	8.00	8.00

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
024	शिक्षा, कला एवं संस्कृति – *(समाप्त)*	2205		104	01	03	राज्य निधि	..	1.87	1.87
		2205		104	01	04	राज्य निधि	..	4.92	4.92
		2205		107	01		राज्य निधि	..	4.38	4.38
	योग अनुदान 024							**..**	**2,133.94**	**2,133.94**
025	कोष एवं लेखा प्रशासन	2054		095	01		राज्य निधि	..	19.04	19.04
	योग अनुदान 025							**..**	**19.04**	**19.04**
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210	01	102	04	01	राज्य निधि	..	2.87	2.87
		2210	01	110	01	01	राज्य निधि	..	49.93	49.93
		2210	01	110	01	04	राज्य निधि	..	34.97	34.97
		2210	01	110	01	08	राज्य निधि	..	249.93	249.93
		2210	01	110	01	09	राज्य निधि	..	4.97	4.97
		2210	01	110	01	10	राज्य निधि	..	79.96	79.96
		2210	01	110	01	11	राज्य निधि	..	10.84	10.84
		2210	01	110	01	13	राज्य निधि	..	4.99	4.99
		2210	01	110	01	14	राज्य निधि	..	44.96	44.96
		2210	01	110	01	16	राज्य निधि	..	48.07	48.07
		2210	01	110	01	18	राज्य निधि	..	19.99	19.99

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई–*(क्रमशः)*	2210	01	110	01	22	राज्य निधि	..	59.80	59.80
		2210	01	110	01	25	राज्य निधि	..	3.00	3.00
		2210	01	110	01	33	राज्य निधि	..	89.97	89.97
		2210	01	110	01	36	राज्य निधि	..	55.00	55.00
		2210	01	110	01	37	राज्य निधि	..	69.96	69.96
		2210	01	110	01	38	राज्य निधि	..	9.00	9.00
		2210	01	110	01	39	राज्य निधि	..	59.99	59.99
		2210	01	110	01	40	राज्य निधि	..	6.00	6.00
		2210	01	110	01	41	राज्य निधि	..	1.99	1.99
		2210	01	110	01	42	राज्य निधि	..	0.50	0.50
		2210	01	110	01	43	राज्य निधि	..	799.98	799.98
		2210	01	110	01	44	राज्य निधि	..	5.98	5.98
		2210	01	110	01	45	राज्य निधि	..	23.35	23.35
		2210	01	110	01	46	राज्य निधि	..	15.00	15.00
		2210	01	110	01	47	राज्य निधि	..	2.12	2.12
		2210	01	110	01	48	राज्य निधि	..	74.11	74.11
		2210	01	110	01	49	राज्य निधि	..	68.16	68.16
		2210	01	110	01	51	राज्य निधि	..	129.99	129.99
		2210	01	110	01	52	राज्य निधि	..	69.99	69.99
		2210	01	110	01	53	राज्य निधि	..	9.97	9.97

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई–*(क्रमशः)*	2210	01	110	01	54	राज्य निधि	..	1.05	1.05
		2210	01	110	01	55	राज्य निधि	..	75.79	75.79
		2210	01	110	01	56	राज्य निधि	..	89.20	89.20
		2210	01	110	01	57	राज्य निधि	..	4.86	4.86
		2210	01	110	01	58	राज्य निधि	..	2.50	2.50
		2210	01	110	01	59	राज्य निधि	..	85.00	85.00
		2210	01	110	01	60	राज्य निधि	..	3.19	3.19
		2210	01	110	01	62	राज्य निधि	..	1.48	1.48
		2210	01	110	01	68	राज्य निधि	..	0.09	0.09
		2210	01	110	01	70	राज्य निधि	..	0.10	0.10
		2210	01	110	01	72	राज्य निधि	..	1.50	1.50
		2210	01	110	01	73	राज्य निधि	..	0.12	0.12
		2210	01	110	01	79	राज्य निधि	..	4.22	4.22
		2210	01	110	01	80	राज्य निधि	..	7.94	7.94
		2210	01	110	01	81	राज्य निधि	..	1.29	1.29
		2210	01	110	01	88	राज्य निधि	..	3.50	3.50
		2210	01	110	01	89	राज्य निधि	..	0.50	0.50
		2210	01	110	03	08	राज्य निधि	..	3.00	3.00
		2210	02	101	03	04	राज्य निधि	..	2.83	2.83
		2210	05	001	01		राज्य निधि	..	1.26	1.26

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई– ***(समाप्त)***	2210	05	105	01	01	राज्य निधि	..	68.01	68.01
		2210	05	105	01	22	राज्य निधि	..	50.00	50.00
		2210	05	105	01	23	राज्य निधि	..	0.28	0.28
		2210	05	105	01	24	राज्य निधि	..	11.00	11.00
		2210	05	105	01	25	राज्य निधि	..	1.37	1.37
		2210	05	105	01	26	राज्य निधि	..	2.11	2.11
		2210	05	105	01	28	राज्य निधि	..	2.78	2.78
		2210	05	800	01	02	राज्य निधि	..	49.99	49.99
		2210	06	104	01	04	राज्य निधि	..	0.06	0.06
		2210	06	104	04	01	राज्य निधि	..	1.06	1.06
योग अनुदान 026								**..**	**2,581.42**	**2,581.42**
027	पेय जल योजना	2215	01	003	01	01	राज्य निधि	..	1.50	1.50
		2215	01	101	01		राज्य निधि	..	59.86	59.86
		2215	01	101	02		राज्य निधि	..	35.92	35.92
		2215	01	101	03		राज्य निधि	..	1.97	1.97
		2215	01	101	04		राज्य निधि	..	11.07	11.07
		2215	01	101	05		राज्य निधि	..	45.00	45.00
		2215	01	101	06		राज्य निधि	..	44.77	44.77
		2215	01	101	07		राज्य निधि	..	435.61	435.61
		2215	01	101	08		राज्य निधि	..	49.62	49.62

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
027	पेय जल योजना – *(समाप्त)*	2215	01	101	10		राज्य निधि	..	18.92	18.92
		2215	01	101	11		राज्य निधि	..	74.98	74.98
		2215	01	101	12		राज्य निधि	..	1,550.47	1,550.47
		2215	01	101	14		राज्य निधि	..	147.79	147.79
		2215	01	102	01		राज्य निधि	..	2,708.36	2,708.36
		2215	01	102	04		राज्य निधि	..	85.57	85.57
		2215	01	102	08	01	राज्य निधि	..	7,079.52	7,079.52
		2215	02	001	04		राज्य निधि	..	975.07	975.07
		2215	02	107	02		राज्य निधि	..	0.99	0.99
योग अनुदान 027								**..**	**13,326.99**	**13,326.99**
029	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217	80	001	06	01	राज्य निधि	..	2.53	2.53
योग अनुदान 029								**..**	**2.53**	**2.53**
030	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202	01	796	08	02	राज्य निधि	..	38.85	38.85
		2202	02	796	17	01	राज्य निधि	..	1.57	1.57
		2202	02	796	17	02	राज्य निधि	..	1.99	1.99
		2202	02	796	17	03	राज्य निधि	..	5.95	5.95
		2202	03	796	04	01	राज्य निधि	..	2.19	2.19
		2202	03	796	11	01	राज्य निधि	..	1.49	1.49
		2205		796	03	01	राज्य निधि	..	396.73	396.73

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
030	जनजाति क्षेत्रीय विकास–*(समाप्त)*	2225	02	796	16	01	राज्य निधि	..	3.99	3.99
		2225	02	796	17	03	राज्य निधि	..	2.89	2.89
		2225	02	796	17	04	राज्य निधि	..	6.98	6.98
		2225	02	796	21	01	राज्य निधि	..	8.44	8.44
		2225	02	796	21	02	राज्य निधि	..	1.98	1.98
		2225	02	796	21	14	राज्य निधि	..	0.97	0.97
		2401		796	41		राज्य निधि	..	1.50	1.50
		2406	01	796	02		राज्य निधि	..	0.20	0.20
		2406	01	796	04		राज्य निधि		153.98	153.98
		2700	27	796	01		राज्य निधि	..	33.64	33.64
		2700	27	796	02		राज्य निधि	..	54.06	54.06
योग अनुदान 030								**..**	**717.40**	**717.40**
033	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2059	01	053	01	02	राज्य निधि	..	20.16	20.16
		2235	60	105	01		राज्य निधि	..	17.38	17.38
योग अनुदान 033								**..**	**37.54**	**37.54**
034	प्राकृतिक आापदाओं से राहत	2245	02	106	08	01	राज्य निधि	..	1,453.92	1,453.92
		2245	02	106	08	01	केन्द्रीय सहायता	..	4,330.90	4,330.90
		2245	02	107	02	01	राज्य निधि	..	0.33	0.33
		2245	02	107	02	01	केन्द्रीय सहायता	..	1.00	1.00

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
034	प्राकृतिक आापदाओं से राहत – ***(समाप्त)***	2245	02	122	02	01	राज्य निधि	..	196.29	196.29
		2245	02	122	02	01	केन्द्रीय सहायता	..	588.88	588.88
योग अनुदान 034								**..**	**6,571.32**	**6,571.32**
036	सहकारिता	2425		001	04	01	राज्य निधि	..	16.75	16.75
योग अनुदान 036								**..**	**16.75**	**16.75**
037	कृषि	2401		103	01		राज्य निधि	..	0.81	0.81
		2401		103	02		राज्य निधि	..	0.26	0.26
		2401		103	15		राज्य निधि	..	0.99	0.99
		2401		105	11		राज्य निधि	..	3.58	3.58
		2401		105	13	01	राज्य निधि	..	0.40	0.40
		2401		107	06		राज्य निधि	..	19.33	19.33
		2401		107	07	02	राज्य निधि	..	1.94	1.94
		2401		107	08	01	राज्य निधि	..	0.44	0.44
		2401		109	01	05	राज्य निधि	..	1.99	1.99
		2401		109	13		राज्य निधि	..	9.72	9.72
		2401		800	22		राज्य निधि	..	44.73	44.73
योग अनुदान 037								**..**	**84.19**	**84.19**
038	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	2402		102	02	19	राज्य निधि	..	1.50	1.50

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
038	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण–*(समाप्त)*	2702	02	005	01		राज्य निधि	..	1.97	1.97
		2702	03	103	01	02	राज्य निधि	..	1,388.71	1,388.71
योग अनुदान 038								**..**	**1,392.18**	**1,392.18**
039	पशुपालन एवं चिकित्सा	2403		101	17		राज्य निधि	..	3.95	3.95
		2403		101	17		केन्द्रीय सहायता	..	5.98	5.98
		2405		101	04		राज्य निधि	..	3.45	3.45
योग अनुदान 039								**..**	**13.38**	**13.38**
043	खनिज	2853	02	001	06	02	राज्य निधि	..	37.90	37.90
योग अनुदान 043								**..**	**37.90**	**37.90**
044	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	2058		103	01	01	राज्य निधि	..	4.88	4.88
योग अनुदान 044								**..**	**4.88**	**4.88**
046	सिंचाई	2700	01	101	01	01	राज्य निधि	544.65	..	544.65
		2700	01	101	01	02	राज्य निधि	..	186.18	186.18
		2700	01	101	04	01	राज्य निधि	..	19.54	19.54
		2700	01	101	05	01	राज्य निधि	..	85.37	85.37
		2700	01	101	06	01	राज्य निधि	..	2,247.57	2,247.57
		2700	02	001	01	06	राज्य निधि	..	0.33	0.33

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
046	सिंचाई – *(क्रमशः)*	2700	02	001	03	01	राज्य निधि	..	4.99	4.99
		2700	02	101	01	01	राज्य निधि	..	16.00	16.00
		2700	02	101	01	02	राज्य निधि	85.42	..	85.42
		2700	02	101	02	01	राज्य निधि	..	98.47	98.47
		2700	02	101	02	02	राज्य निधि	243.21	..	243.21
		2700	02	101	02	08	राज्य निधि	..	124.93	124.93
		2700	02	101	02	09	राज्य निधि	70.25	..	70.25
		2700	02	101	03	01	राज्य निधि	..	149.98	149.98
		2700	02	101	03	02	राज्य निधि	198.98	..	198.98
		2700	02	101	04	01	राज्य निधि	..	20.78	20.78
		2700	02	101	05	01	राज्य निधि	..	17.30	17.30
		2700	02	101	05	02	राज्य निधि	57.48	..	57.48
		2700	02	101	06	01	राज्य निधि	..	6.32	6.32
		2700	02	101	06	02	राज्य निधि	5.58	..	5.58
		2700	03	101	01	01	राज्य निधि	..	9,314.25	9,314.25
		2700	04	101	01	01	राज्य निधि	..	229.34	229.34
		2700	04	101	01	02	राज्य निधि	438.99	..	438.99
		2700	04	101	01	03	राज्य निधि	..	2.00	2.00
		2700	04	101	02	01	राज्य निधि	..	76.16	76.16
		2700	04	101	03	01	राज्य निधि	..	187.58	187.58
		2700	04	101	03	02	राज्य निधि	377.58	..	377.58

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
046	सिंचाई – *(क्रमशः)*	2700	04	101	07	01	राज्य निधि	2,414.18	..	2,414.18
		2700	04	101	07	02	राज्य निधि	..	341.60	341.60
		2700	04	101	09	01	राज्य निधि	..	45.75	45.75
		2700	05	101	01		राज्य निधि	..	380.00	380.00
		2700	05	101	02	01	राज्य निधि	..	751.00	751.00
		2700	05	101	03	01	राज्य निधि	..	150.00	150.00
		2700	06	101	01	01	राज्य निधि	..	0.50	0.50
		2700	06	101	01	02	राज्य निधि	76.37	..	76.37
		2700	22	101	01	01	राज्य निधि	..	1.49	1.49
		2700	22	101	01	02	राज्य निधि	69.79	..	69.79
		2700	24	101	01	01	राज्य निधि	..	49.57	49.57
		2700	25	101	01	01	राज्य निधि	..	42.29	42.29
		2700	25	101	02	01	राज्य निधि	..	36.47	36.47
		2700	25	101	03	01	राज्य निधि	..	30.00	30.00
		2700	26	101	01	01	राज्य निधि	..	59.88	59.88
		2700	28	001	01		राज्य निधि	102.97	57.93	160.90
		2700	28	001	02		राज्य निधि	20.50	39.41	59.91
		2700	31	101	01	01	राज्य निधि	..	72.89	72.89
		2700	31	101	01	02	राज्य निधि	302.42	..	302.42
		2700	31	101	02	01	राज्य निधि	..	112.00	112.00
		2700	80	800	01	04	राज्य निधि	..	1.00	1.00

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
046	सिंचाई – *(क्रमशः)*	2701	01	101	01	01	राज्य निधि	..	9.86	9.86
		2701	01	101	01	02	राज्य निधि	42.97	..	42.97
		2701	02	101	01	01	राज्य निधि	..	15.51	15.51
		2701	02	101	01	02	राज्य निधि	59.45	..	59.45
		2701	02	101	02	01	राज्य निधि	30.84	..	30.84
		2701	03	101	01	01	राज्य निधि	..	5.00	5.00
		2701	03	101	01	02	राज्य निधि	353.85	..	353.85
		2701	04	101	01	01	राज्य निधि	..	13.20	13.20
		2701	04	101	01	02	राज्य निधि	28.79	..	28.79
		2701	05	101	01	01	राज्य निधि	..	24.74	24.74
		2701	05	101	01	02	राज्य निधि	34.51	..	34.51
		2701	06	101	01	01	राज्य निधि	..	4.50	4.50
		2701	06	101	01	02	राज्य निधि	55.14	..	55.14
		2701	07	101	01	01	राज्य निधि	..	7.24	7.24
		2701	07	101	01	02	राज्य निधि	12.17	..	12.17
		2701	08	101	01	01	राज्य निधि	..	1.23	1.23
		2701	08	101	01	02	राज्य निधि	12.79	..	12.79
		2701	09	101	01	01	राज्य निधि	..	4.91	4.91
		2701	09	101	01	02	राज्य निधि	11.72	..	11.72
		2701	10	101	01	01	राज्य निधि	..	3.99	3.99
		2701	10	101	01	02	राज्य निधि	29.07	..	29.07

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
046	सिंचाई – *(क्रमशः)*	2701	23	101	01	01	राज्य निधि	384.13	2.00	386.13
		2701	24	101	01	01	राज्य निधि	..	8.99	8.99
		2701	24	101	01	02	राज्य निधि	76.38	..	76.38
		2701	27	101	01	01	राज्य निधि	..	5.28	5.28
		2701	27	101	01	02	राज्य निधि	16.03	..	16.03
		2701	30	101	01	01	राज्य निधि	..	3.12	3.12
		2701	30	101	01	02	राज्य निधि	18.36	..	18.36
		2701	31	101	01	01	राज्य निधि	..	1.00	1.00
		2701	31	101	01	02	राज्य निधि	22.10	..	22.10
		2701	33	101	01	01	राज्य निधि	..	4.00	4.00
		2701	33	101	01	02	राज्य निधि	52.71	..	52.71
		2701	35	101	01	01	राज्य निधि	..	27.00	27.00
		2701	35	101	01	02	राज्य निधि	20.25	..	20.25
		2701	38	101	01	01	राज्य निधि	..	0.54	0.54
		2701	38	101	01	02	राज्य निधि	50.67	..	50.67
		2701	40	101	01	01	राज्य निधि	..	5.36	5.36
		2701	40	101	01	02	राज्य निधि	89.94	..	89.94
		2701	41	101	01	01	राज्य निधि	..	1.79	1.79
		2701	41	101	01	02	राज्य निधि	35.42	..	35.42
		2701	43	101	01	01	राज्य निधि	..	1.00	1.00
		2701	43	101	01	02	राज्य निधि	26.14	..	26.14

परिशिष्ट संख्या X – *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
046	सिंचाई – *(समाप्त)*	2701	44	101	01	01	राज्य निधि	269.40	3.92	273.32
		2701	45	101	01	01	राज्य निधि	..	0.12	0.12
		2701	48	101	01	01	राज्य निधि	58.35	0.62	58.97
		2701	60	101	01	01	राज्य निधि	..	1.75	1.75
		2701	60	101	01	02	राज्य निधि	53.04	..	53.04
		2701	64	101	01	02	राज्य निधि	32.26	..	32.26
		2701	65	101	01	01	राज्य निधि	..	4.98	4.98
		2701	65	101	01	02	राज्य निधि	12.89	..	12.89
		2701	80	001	02	04	राज्य निधि	..	0.14	0.14
		2701	80	005	01	02	राज्य निधि	..	43.92	43.92
		2702	01	800	01	01	राज्य निधि	..	1,003.73	1,003.73
		2702	01	800	02		राज्य निधि	..	1.98	1.98
		2702	01	800	03		राज्य निधि	..	17.16	17.16
योग अनुदान 046								**6,897.74**	**16,187.45**	**23,085.19**
047	पर्यटन	3452	80	001	01	01	राज्य निधि	..	0.27	0.27
योग अनुदान 047								**..**	**0.27**	**0.27**
051	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2205		789	04	01	राज्य निधि	..	833.35	833.35
		2405		789	02		राज्य निधि	..	0.75	0.75
		2406	01	789	04		राज्य निधि	..	92.66	92.66

परिशिष्ट संख्या X – *(समाप्त)*

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
051	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना– *(समाप्त)*	2406	01	789	05		राज्य निधि	..	864.42	864.42
		2705		789	01	05	राज्य निधि	..	34.86	34.86
		योग अनुदान 051 **(राजस्व)**						**..**	**1,826.04**	**1,826.04**
		4705		789	02	01	राज्य निधि	..	7.00	7.00
		योग अनुदान 051 **(पूंजीगत)**						**..**	**7.00**	**7.00**
योग अनुदान 051								**..**	**1,833.04**	**1,833.04**
योग (राजस्व)								**22,827.45**	**1,27,425.11**	**1,50,252.56**
योग (पूंजीगत)								**..**	**30.30**	**30.30**
कुल योग								**22,827.45**	**1,27,455.41**	**1,50,282.86**@

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) 0.05 लाख का अन्तर है।

परिशिष्ठ संख्या XI– वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं *

भविष्य रोकड़ प्रवाह के लिये बजट में प्रस्तावित नयी योजनाओं
पर वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों के लिये क्रियान्विति पर विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	नीति निर्णय/नयी योजना की प्रकृति	के लिए लागू			आवृत्ति के प्रकरण में, वार्षिक अनुमानों का निवल नकद प्रवाह पर प्रभाव इंगित		वार्षिक व्यय की प्रकृति के संदर्भ में इंगित				स्त्रोत जहां से नई योजनाओं पर व्यय की पूर्ति हो सके		
		प्राप्तियां/ व्यय/ दोनों	आवृत्ति / एक मुश्त	यदि एक मुश्त, प्रभाव इंगित	निश्चित अवधि (निर्दिष्ट अवधि)	स्थायी	राजस्व		पूंजीगत		राज्य के स्वयं के स्त्रोत	केन्द्रीय अंतरण	ऋण वृद्धि (विशिष्ट)
							केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि			

* राज्य सरकार से बार–बार लिखे जाने के बाद भी सूचना प्राप्त नहीं हुयी है।

परिशिष्ट XII– सरकार के वचनबद्ध दायित्व *

भविष्य में राज्य के वचनबद्ध दायित्वों/बकाया दायित्वों का विवरण
(31 मार्च 2022 की स्थिति)

क. वचनबद्ध दायित्व

क्र. सं.	दायित्व की प्रकृति	दायित्व राशि (₹ लाख में)		प्रस्तावित दायित्वों को पूरा करने के संभावित स्त्रोत			निपटान का संभावित वर्ष	चालू वर्ष के दौरान संपादित दायित्व	बकाया शेष
				राज्यों के स्वयं के स्त्रोत	केन्द्रीय अंतरण	कर्ज उठाना (निर्दिष्ट करना)			

ख . बकाया दायित्व

क्र. सं.	दायित्व की प्रकृति	दायित्व राशि (₹ लाख में)		प्रस्तावित दायित्वों को पूरा करने के संभावित स्त्रोत			निपटान का संभावित वर्ष	चालू वर्ष के दौरान संपादित दायित्व	बकाया शेष
				राज्यों के स्वयं के स्त्रोत	केन्द्रीय अंतरण	कर्ज उठाना (निर्दिष्ट करना)			

* राज्य सरकार से बार–बार लिखे जाने के बाद भी सूचना प्राप्त नहीं हुयी है।

© भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
2022

www.cag.gov.in